राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का तैंतीसवां दिवस [संख्या : 20

सोमवार,

2 अप्रैल, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11:00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल मीणा।

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में रिक्त पद

252. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(I) जनजाति उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत कितने आश्रम छात्रावास तथा कितने आवासीय विद्यालय संचालित हैं? उक्त छात्रावासों में वार्डनों एवं सह-वार्डनों तथा अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में स्वयं का कैडर बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा): (1) जनजाति उप योजना क्षेत्र में 230 आश्रम छात्रावास एवं 9 आवासीय विद्यालय संचालित हैं।

उक्त छात्रावासों में वार्डनों, सह-वार्डनों तथा अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट– 'अ' पर संलग्न है।

(2) इस संबंध में राजस्थान अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री समिति द्वारा की गई सिफारिश का परीक्षण किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 230 आश्रम छात्रावास और 9 आवासीय विद्यालय जो टीएसपी क्षेत्र में संचालित हैं वहां पर छात्रावासों में और आवासीय विद्यालयों में एडमिशन के लिए 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत से जो बच्चे पास होते हैं उन बच्चों का वहां एडमिशन होता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कुल 296 पद हैं अधीक्षक ग्रेड–II और कोच के III ग्रेड के इनमें से 62 पद रिक्त हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन 62 पदों को कब तक भरा जाएगा। दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि वार्डन और अध्यापक के स्वीकृत 144 पदों में से कुल 90 पद खाली हैं तो इन रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन अध्यापकों के और कोच के नहीं होने की वजह से इन आवासीय विद्यालयों में जीरो प्रतिशत से दस प्रतिशत रिजल्ट रहा है तो ये कब तक भरने का प्रयास करेंगे? दूसरा प्रश्न यह है कि इन्होंने जवाब दिया है अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री कमेटी ने जो सिफारिश की है, उसका मैं परीक्षण करवा रहा हूं । ये पिछले तीन सालों से सिफारिश करते आ रहे हैं, ये कब तक परीक्षण पूरा करेंगे और कब तक परीक्षण करके और इस सिफारिश को लागू करेंगे जिसमें अभी तक जो शिक्षा विभाग से अध्यापक और कोच को ये प्रतिनियुक्ति पर लेते हैं जहां से साल भर तक अध्यापक आवासीय विद्यालय और छात्रावासों में नहीं आते हैं तो क्या मंत्रीजी अपने विभाग का खुद का स्वयं का कैडर निर्माण करने की मंशा रखते हैं और रखते हैं तो ये कब तक पूरा करेंगे?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आवासीय विद्यालय और आश्रम छात्रावासों में पदों की रिक्तियां हैं और उसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है। गत दो वर्षों में भी हमने प्रयास करके इस बात की पूरी कोशिश की है। परंतु अभी आपने बताया कि ये कब तक भरे जाएंगे, ये पद नहीं होने की वजह से जो आवासीय विद्यालय में छात्रों के साथ और उनके परीक्षा परिणाम को देखते हुए हमें बड़ा दुःख भी है और आपको भी सबको महसूस हो रहा होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए परामर्शदात्री समिति की बैठक में भी यह बारबार प्रश्न आया कि स्वयं का कैडर बनाया जाए और हमने जो प्रयास किये हैं दो वर्ष में इनका भी उल्लेख करना चाहूंगा कि कुल हमारे पद 207 हैं और इन 207 पदों में से हमने 78 पद अभी भरे और रिक्त हैं 129 और उसके अन्तर्गत हमने कोशिश की थी

(श्री कनकमल कटारा)

2004-05 में कि अध्यापक हमको उपलब्ध हो जाएं और दुर्गम स्थानों पर आवासीय विद्यालय बने हुए हैं और इसलिए दो सौ रुपये अधिक राशि इनको दी जाए। यह भी हमने प्रयोग किया लेकिन इसमें भी अध्यापक आये नहीं और रुचि दिखायी नहीं ।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने यह भी कोशिश की कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आयु सीमा और बढ़ाकरके इनके भी आवेदन लिये जाएं और इस दृष्टि से 63 वर्ष तक की आयु के भी हमने आवेदन मांगे थे और उसमें चार अध्यापक आये और उसमें भी हमने पूरी कोशिश की । दूसरा वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा यानी जो इच्छित अध्यापक व्यक्ति आये उसके लिए भी हमने कोशिश की और उसके अन्तर्गत हमने बयालीस पद भरे हैं और इन बयालीस पदों के भरने के बाद में हमने और भी सोचा है कि एनजीओ यानी गैर सरकारी संस्था के द्वारा भी इन पदों को भरा जाए ताकि इन बच्चों की सुविधा ठीक ढंग से हो सके। इसमें भी हमने पूरे प्रयास किये लेकिन इसमें भी हमें परिणाम ठीक नहीं लगे। इसके बाद हमने कोशिश की है कि आने वाले समय में अलग से कैडर की बात आपने की है और मैं भी चाहता हूं शुरू से उसमें भी प्रयत्नरत हैं लेकिन स्वयं के कैडर में यह छोटा सा विभाग है और छोटे-से विभाग में पदोन्नति के इनके चांसेज कहां बनेंगे जो कर्मचारी नियुक्त किये जाएंगे उनकी क्या परिस्थिति होगी इसके बारे में हमने मुख्य सचिवजी और हमारे प्रिंसीपल सेकेट्री, टीएडी और वित्त विभाग के सेकेट्री और डीओपी सेकेट्री के साथ 29 मार्च को मीटिंग करके इसके बारे में चर्चा भी की है और उसमें बहुत चिंतित हैं और आज फिलहाल मुख्यमंत्री महोदया से भी चर्चा हुई। कैबिनेट मीटिंग में इस विषय को रखा और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जब तक हमारा यह कैडर नहीं होता है तब तक जुलाई से व्यवस्था ठीक ढंग से हो इसके लिए हम विद्यार्थी शिक्षा मित्र योजना के तहत इन अध्यापकों को जुलाई तक हम पूरा भर करके पूरी व्यवस्था कर देंगे और साथ ही साथ जो कैडर अलग से जिसके लिए हमने चर्चा की है वह भी निश्चित रूप से आने वाले समय में मुख्य मंत्री महोदया से चर्चा हुई है अभी चीफ सैक्रेटरी से भी हमारी चर्चा हुई है इसके बारे में स्थायी निदान हो, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है और हम कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आ गया फिर भी मैं मौका दे रही हूं मूल प्रश्नकर्ता को एक और सप्लीमैंट्री पूछने के लिए।

श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया कि स्वयं का कैडर बनाने के लिए आगे प्रमोशन के कोई चांस नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि आपके विभाग में टीएडी में उप शिक्षा निदेशक का पद आपके वहां कार्यरत है तो क्यों नहीं आप अपने स्वयं का कैडर बना करके और खुद के टीचर भर्ती करके उनको लिया जाए तो निश्चित रूप से आपके विभाग में काफी पद शिक्षा विभाग के भी चल रहे हैं तो आप उसका स्वयं का कैडर बनाने का प्रयास करें और उसका स्वयं का कैडर बन जाएगा तो जो नब्बे पद खाली हैं और भी दूसरे पद खाली हैं, वो पद खाली नहीं रहेंगे। दूसरा टीएसी की बैठक में जो भी प्रस्ताव पारित करके सिफारिश की गई है वो आप कब तक लागू करेंगे? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): उसके बारे में निवेदन किया ही है स्थायी रूप से हम समाधान कर रहे हैं और आज आश्वस्त किया गया हमें भी कि निश्चित रूप से इस बारे में स्थायी समाधान स्वयं का कैडर किस तरह से क्या होगा क्योंकि इसका बहुत परीक्षण करके ही करना पड़ेगा। स्थायी समाधान मैं भी बार-बार चिन्तन यही कर रहा हूं। आवासीय विद्यालय का स्थायी रूप से समाधान नहीं होता तब तक माननीय सदस्य आवासीय विद्यालय और आश्रम छात्रावासों की जो मांग कर रहे हैं इन बच्चों के साथ में जो आज परिस्थिति हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए उसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे मांग करें ताकि जब तक ये स्थायी समाधान हो जाए उसके बाद में जितनी परिस्थिति होगी उसके अनुसार करेंगे और जैसा कि परामर्शदात्री के बिन्दुओं के बारे में चर्चा की है एजेंडा और जिसकी क्रियान्विति के रूप में समय-समय पर हर तीन महीने में मीटिंग लेते रहते हैं, उसके बारे में निर्णय लेकर के आपको निश्चित रूप से अवगत करा दिया जाएगा और आने वाले समय में जो भी बिन्दु लेते हैं उसकी क्रियान्विति निश्चित रूप से हो यह भी मैं आश्वस्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दे दिया सब जवाब।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, चौथा बजट सरकार ने पेश कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, आबू रोड के आवासीय विद्यालय में ...

श्री अध्यक्ष: आबू रोड कहां आ गया यहां?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसी में है 9 में आबू रोड भी है। ये 9 के अन्दर सब प्लान में आबू रोड भी है पूछो मंत्रीजी को। क्या बात कर रहे हैं।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मना नहीं कर रहे हैं, है न । ये सबके लिए व्यवस्था है आप जो चिंता कर रहे हैं उससे भी आगे बढ़ करके ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारे जिले का नहीं पूछेंगे क्या?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): और निश्चित रूप से उसका स्थायी समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं और माननीय मुख्य मंत्री ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह आप तो प्रयोग कर रहे हैं लगातार और चिन्ता प्रकट कर रहे हैं और दुःख प्रकट कर रहे हैं ये चौथा बजट आ गया आपका। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप तो चिन्ता कर रहे हैं, मैं इसका स्थायी करने का निवेदन कर रहा हूं और यह मैं करके रहूंगा। यह मैं विश्वास दिला रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ...

श्री अध्यक्ष: जो सूचना थी सब दे दी आपने अब और क्या चाहते हैं आप?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आबू रोड का आवासीय विद्यालय जिसमें तीन सौ बच्चे हैं, (व्यवधान) न तो वहां पर वार्डन है, न वहां हैड मास्टर हैं और भीषण रूप से बच्चों का परीक्षा परिणाम प्रभावित हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने यह बात तो मान ली ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हैड मास्टर भी नहीं है, वार्डन भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष: मान ली ना उन्होंने यह बात ।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): ... (व्यवधान) जो प्रयास किये हैं वह भी हैं और आने वाले समय में जुलाई में इसकी स्थाई रूप से व्यवस्था करेंगे । (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वहां हैड मास्टर और वार्डन दोनों ही नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, आप अंदाजा लगाइए कि उन छोटे-छोटे बच्चों के साथ, यह सरकार उनके भविष्य के साथ किस रूप में खिलवाड़ कर रही है ।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्रीजी, चाहे आप वार्डन भेजें चाहे हैड मास्टर भेजें, एक तो भेजे आप ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक तो भेजिए आप । यह कोई बात हुई क्या?

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मैंने कहा है कि निश्चित रूप से जुलाई से यह पूरी व्यवस्था हो जायेगी ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप कब तक व्यवस्था कर दोगे एक की यह बताओ आप? (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी यह बताएं कि यह पद कब से रिक्त हैं? (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-253

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) श्री जोगाराम पटेल । (अनुपस्थित) (अनुपस्थित : कृपया आगे देखें) श्री कान्ती प्रसाद मीणा (अनुपस्थित) श्री देवीशकर भूतड़ा (अनुपस्थित) (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह बताएं कि यह पद कब से रिक्त चल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: .... श्री कान्ती प्रसाद, श्री नंदलाल मीणा । (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है । माननीय सदस्यगण, स्थान ग्रहण करें । मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): अध्यक्ष महोदय, यह संपूर्ण उदयपुर डिवीजन के टीएसपी एरिया के लिये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यह पद लंबे समय से रिक्त चले आ रहे हैं । माननीय मंत्रीजी, आप इसको जितना जल्दी हो त्वरित गति से इन पदों को भरे वरना पूरे ट्राइबल सब प्लान के छोटे-छोटे, हमारे होनहार बच्चे, इस देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष: मान तो लिया उन्होंने, भर रहे हैं, कह तो दिया आपको। अंकित नहीं हो । श्री नंदलाल मीणा ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): वह तो भर दिया है, अध्यापक ही बाकी हैं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अध्यक्ष: वार्डन का तो भर दिया है ।

श्री कनकमल कटारा (महिला एवं बाल विकास मंत्री): मेरे पास जानकारी है वह भरा है । जो बाकी है उसका जुलाई से स्थाई समाधान करेंगे, पूरी व्यवस्था कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है और उन्होंने कह दिया है । श्री नंदलाल मीणा । कांती प्रसाद बोले क्यों नहीं? कान्ती प्रसाद का नाम पुकारा, वह बोले क्यों नहीं? कहां है कान्ती प्रसाद? कान्ती प्रसाद मीणा ।

श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी): जी हां ।

श्री अध्यक्ष: आप बोले क्यों नहीं उस समय ।

श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी): बोल दिया था 254

श्री अध्यक्ष: सारी, सारी, ठीक है । कान्ती प्रसाद मीणा । चिकित्सा मंत्रीजी, अब आप बीच में नहीं बोलें। आप स्थान ग्रहण करें। कान्ती प्रसाद मीणा ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नारायणपुर (थानागाजी) का क्रमोन्नयन

254. श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किये हुए हैं ? यदि हां, तो मानदंडों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मानदंडानुसार पदस्थापित कार्मिकों को विभिन्न योजनाओं यथा मातृत्व जननी सुरक्षा, टीकाकरण, नसबंदी आदि के सफल संचालन हेतु पर्याप्त मानती है ? यदि हां, तो किस प्रकार एवं कितनी जनसंख्या पर ? मानदंडों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार ग्राम नारायणपुर (थानागाजी) जिसकी 40000 जनसंख्या है, के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह): (1) जी हां। मापदंडों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है ।

(2) जी हां। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पदस्थापित चिकित्सा अधिकारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इन योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सफल संचालन के लिए पर्याप्त है। सामान्य क्षेत्र में 30,000 एवं मरू/जनजाति क्षेत्र में 20,000 की ग्रामीण आबादी के लिए ये पद समुचित है । मानदंडों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है ।

(3) निर्धारित ग्रामीण जनसंख्या आधारित मापदंड के अनुसार पंचायत समिति थानागाजी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की कमी है । आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पंचायत समिति थानागाजी के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस पूरे क्षेत्र से वाकिफ हैं । आप वहां मौके पर भी गये थे, पर आपने घोषणा नहीं की थी । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब यह कस्बा सभी मानदंडों को पूरा कर रहा है तो इस पीएचसी को सीएचसी में अभी क्रमोन्नत कर इस सदन में विश्वास दिलाएं ।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अपने जवाब में कहा है ...

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मंत्रीजी, माननीय सदस्य का यह पहला ही सवाल लगा है चौथे बजट तक और यह सभी मापदंड भी पूरे कर रहा है ।

श्री अध्यक्ष: आपको पैरवी करने की आवश्यकता नहीं है, वह खुद ही कर लेंगे ।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): मेरे पड़ौसी भी हैं मैं पड़ौसी का धर्म भी निभा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आपने कोई प्रश्न नहीं पूछा, यह कोई तरीका नहीं है आपका। यह कोई बात हुई, इस तरह पैरवी करने लग जायें ।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): उसके लिये माफी, लेकिन यह पहली बार ही लगा है ।

श्री अध्यक्ष: हां बोलिए मंत्रीजी ।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अपने जवाब में कहा पापुलेशन के हिसाब से एक सीएचसी की वहां आवश्यकता है और मैं खुद भी नारायणपुर जाकर आया था, काफी बड़ा कस्बा है, आबादी भी काफी है और भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि वहां एक सीएचसी की आवश्यकता है इसलिए मैं सदन में माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपकी भावनाओं को ध्यान में रखा जायेगा ।

श्री कान्तीप्रसाद मीणा (थानागाजी): मंत्रीजी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो आपका बहुत पौंचा है कि विचार किया जाना सम्भव होगा । आपका जवाब तो बड़ा पौंचा था लेकिन खैर, अब आपने घोषणा कर दी ठीक है ।

प्रश्न संख्या-255

श्री देवी शंकर भूतड़ा (अनुपस्थित)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री नन्दलाल मीणा ।

प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पुन: विद्युत संबंध हेतु लंबित प्रकरण

256. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जून, 2004 से अब तक विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ में कितने विद्युत कनेक्शन काटे गये ? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) वर्तमान में काटे हुए कनेक्शनों को पुन: जुडवाने के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए? इनमें से कितने कनेक्शनों को पुन: जोड़ दिया गया तथा कितने कनेक्शन जोडे जाना शेष हैं? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): (1) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ में माह जून, 2004 से फरवरी, 2007 तक कुल 3894 विद्युत कनेक्शन काटे गये । पंचायतवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में उक्त कटे हुए विद्युत कनेक्शनों में से उन्हें पुन: जुड़वाने हेतु 2312 आवेदन प्राप्त हुए हैं । इन सभी आवेदकों के कनेक्शन पुन: जोड़ दिये गये हैं । पंचायतवार विवरण उपरोक्त परिशिष्ट 'अ' में दर्शाया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ उप खंड में 53 ग्राम पंचायतों में 3894 वर्ष 2004 से 2007 तक विभाग द्वारा कुओं के कनेक्शन काटे गये हैं और 2312 कनेक्शन फरवरी, 2007 तक वापस इन्होंने जोड़े हैं । अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा था और कुओं में पानी नहीं होने की वजह से काश्तकारों ने स्वेच्छा से अपने कनेक्शन कटवाये थे । राज्य सरकार ने बाद में निर्णय लिया था कि जो काश्तकार दुबारा कनेक्शन कराना चाहते हैं, वह आवेदन कर सकते हैं । यह संपूर्ण आदिवासी क्षेत्र है और जो ग्राम की सूची मंत्री महोदय ने संलग्न की है, उनमें से अधिकांश काश्तकार आदिवासी कृषक हैं । उनकी जानकारी में नहीं है कि पुन: कनेक्शन कराने की कितनी राशि ली जायेगी या नि:शुल्क कनेक्शन किये जायेंगे । मैं मंत्री महोदय जानना चाहता हूं कि जो कटे हुए कनेक्शन बाकी हैं विभाग द्वारा क्या इन काश्तकारों को पुन: कनेक्शन कराने के लिये आवेदन मांगेगे या उनके आवेदन पर ही आप कनेक्शन करेंगे । अगर मान लो आवेदन करते हैं तो इन कनेक्शनों को कब तक री-कनेक्ट करने के आदेश जारी करेंगे ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, जितने भी कनेक्शन कटे थे नोन पेमेंट आफ बिल्स की वजह से, उनमें से जितने लोगों ने एप्लीकेशंस दे दी है, उनके कनेक्शन कर दिये हैं । यदि कोई और भी एप्लीकेंट्स आयेंगे तो उनके कनेक्शन भी तुरंत कर दिये जायेंगे ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और सवाल है। यहां पर जितने भी कनेक्शन हुए हैं वह फ्लेट रेट पर हुए हैं और फ्लेट रेट की राशि इतनी है कि वह काश्तकार उसका भुगतान नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे वहां पथीरीला एरिया होने की वजह से पानी बहुत कम है, घंटा आधे घंटा तीन हार्स पावर की मोटर चलती है इसलिए वह पैसा ज्यादा है । वर्तमान में इन सब के मोटर लग जाती है तो काश्तकारों को भी रिलीफ मिलेगी ।

श्री अध्यक्ष: तीन हार्स पावर की तो कम ही है ।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): तीन की है, कुओं में पानी नहीं है और इन्होंने फ्लेट रेट पर कनेक्शन किये हैं तो जो फ्लेट रेट के कनेक्शन किये गये थे और पानी की कमी की वजह से वह भुगतान नहीं कर पाये, पैसा ज्यादा आया तो क्या राज्य सरकार इन गरीब आदिवासियों पर पुनर्विचार कर के जो फ्लेट रेट से पैसा चार्ज किया, जिसकी वजह से उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, उन पैसों को माफ करने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, जो भी फ्लेट रेट के कंज्यूमर हैं, उनके पास आप्शन है, वह मीटर कैटेगिरी में जा सकते हैं उनके पास ऑप्शन है।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात बताऊं।

श्री अध्यक्ष: यह आप गलत कह रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरे घर पर 6 महीने पहले दोनों कुओं के मीटर आकर रख दिये और परसों ही उसका कनेक्शन हुआ है, अब तक 6 महीने का फ्लेट रेट से मुझे पेमेंट करना पड़ा। सवाल यह है कि मीटर तो आ गए परन्तु काश्तकार के कुए पर मीटर लगे हैं कि नहीं लगे हैं? आपने घरों पर ले जाकर रख दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अमरारामजी भी साथ ही पूछ लेते हैं।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि कटे हुए कनेक्शन को दस साल में रिकनेक्शन करने का आदेश है लेकिन उसमें शर्त लगा रखी है कि उसी जगह होगा, क्योंकि पानी खतम होने पर कनेक्शन कटा था, दूसरी जगह उसी खेत में या उसी खातेदारी में कहीं भी कनेक्शन लेता है तो वह पहले जहां कटा था वहां कनेक्शन कराएगा और फिर वहां ले जाएगा इससे जो दुविधा है, क्या मंत्री महोदय, जो कटे हुए कनेक्शन को रिकनेक्शन कराने की दस साल की छूट दी हे उसमें उसी स्थान पर कनेक्शन लेने की जो पाबंदी है, क्या इसको हटाकर किसान के हित में, जहां भी वह खातेदारी में जहां भी वापिस रिकनेक्शन लेता है वहां देने की परमीशन देंगे, यह मंत्रीजी बताएं?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय अब जवाब दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, जो रिकनेक्शन

(श्री गजेन्द्र सिंह)

का मामला है, शिफ्टिंग के नाम पर बहुत मिसयूज हुआ, हमारे बहुत पेण्डिंग कनेक्शन है, हमें लोगों को बहुत देने हैं, तो जितने भी पेण्डिग, जो हमने दस साल की अवधि बढ़ाई है, उसे हमने रिकनेक्शन के लिए दस की बजाए पन्द्रह साल कर दिया है।

श्री अमराराम (धोद): आपने उसी जगह पर क्यों पाबंदी लगा रखी है, इसमें कम्पनी का भी नुकसान है।

श्री अध्यक्ष: सवाल यह है कि उसी जगह (व्यवधान) देकर फिर शिफ्ट करते हैं।

श्री अमराराम (धोद): किसान का भी नुकसान है। वह अपना कनेक्शन कहीं भी ले अपने खातेदारी में, आपको क्या एतराज है? (व्यवधान) डबल नुकसान होगा। पहले वहां कनेक्शन होगा, वहां पोल खड़े करेंगे, जहां पानी नहीं है और वहां फिर शिफ्ट करेंगे इससे तो उल्टा कम्पनी को नुकसान है, किसान को नुकसान है, उसमें उसको छूट दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां बस ठीक है, देंगे जवाब, दे रहे हैं जवाब ।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, जहां भी कनेक्शन कटा है वहीं पर रिकनेक्शन होगा, एक पंचायत समिति का एक हमने जो प्रावधान किया था उससे बाहर नहीं जा सकते।

श्री अध्यक्ष: वहां तो पानी खतम हो गया, उसके पास में अपना खोद लिया, उसमें आपको क्या आपत्ति है, उसी खसरा नम्बर में दूसरा है तो आपको क्या आपत्ति है ?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उसी खेत में है तो कोई समस्या नहीं है, सेम खेत है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।

श्री अध्यक्ष: उसी खसरा नम्बर में है। उसी खसरा नम्बर में दूसरा उसने खोद लिया, पहले में पानी खतम हो गया तो क्या आपत्ति है ?

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आदेश अभी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोले, बात का जवाब आने दीजिए।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, अगर सेम खसरा नम्बर में है, उसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): खेत में खसरा नम्बर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर कैसे कह रहे हैं यह ?

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, खसरा नम्बर तो कुए का होता है, खसरा नम्बर में दूसरा कुआ हो ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष: पहला नम्बर तो खेत का....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): खेत की खातेदारी में, उसी किसान की खातेदारी में कहीं भी कुआ है, खसरा नम्बर तो कुए का खसरा नम्बर है उसमें दूसरा कुआ बन ही नहीं सकता, वह उतना ही नम्बर होता है। यह तो किसान अपने खेत में अपने उसी खातेदारी में कहीं भी कुआ लेता है आपको क्या एतराज है उसमें ? उसका कनेक्शन, उसका खेत है उसमें वह कनेक्शन लेता है आपने केवल यह आदेश दे रखा है कि उसी जगह, उसी खेत में उसी कुए पर उसमें कनेक्शन होगा, शिफ्ट कराना होगा तो दुबारा कराना होगा यह क्या बात हुई?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): किसी खेत के अंदर अगर कुआ है या टयूबवैल है, उसी खेत के अंदर दूसरा बोरवैल करके कनेक्शन ले सकते हैं, उसके तो प्रावधान हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ): अध्यक्ष महोदय, इसमें इतना सा निवेदन है कि सैटलमेंट में कुए का खसरा नम्बर छोटा कर दिया तो खसरा नम्बर जब किसान का अलग हो गया उस जगह तो दूसरा कुआ खुद नहीं सकता, तो पुराना खसरा नम्बर बड़ा खेत है उसमें कहीं भी आपको अलाऊ करना पड़ेगा, नम्बर एक।

श्री अध्यक्ष: वह तो कह रहे हैं ना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं, अध्यक्ष महोदय, सेटलमेंट में कुए का चाहे छोटा-सा खसरा नम्बर अलग बना दे, छितम्भे काट दिए उसमें दूसरा कुआ कैसे खुदेगा मंत्री महोदय ? अध्यक्ष महोदय, दूसरा किसानों का मुद्दा यह है कि पहले बिजली वाले कहीं भी कनेक्शन ले लो, किसानों को कनेक्शन दे देते थे। पुराने जमाने में गैर खातेदारी में कनेक्शन हो गया आज उनको अगर वह शिफ्ट कराना चाहते हैं खातेदारी में तो यह कहकर मना कर देते हैं कि यह तो 20 साल पहले गैर खातेदारी में हुआ था अब इसको खातेदारी में नहीं देंगे, यह राइडर हटाना चाहिये। जब तो आप किसी भी एप्लीकेशन पर देते थे, आज यह, किसी आदमी ने 15 साल पहले कुए का कनेक्शन लिया और वह कुआ सूख गया, अब उसको शिफ्ट कराना चाहता है अपने खातेदारी के खेत में, आप यह कहकर मना कर रहे हैं क्योंकि 20 साल पहले कनेक्शन गैर

(श्री जुबेर खान)

खातेदारी का था इसलिए इसको खातेदारी में शिफ्ट नहीं करेंगे, यह राइडर हटाइये, किसान के हित में है मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, दो साल तो ओनरशिप रहित तो होना ही चाहिये, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। दो साल की आपकी ओनरशिप होनी चाहिये। आपके पंचायत समिति के अंदर कोई भी आपका खसरा है, दो साल की ओनरशिप होनी चाहिये।

श्री अमराराम (धोद): ओनरशिप क्या है? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्री महोदय, एक किसान ने 30 साल पहले एग्रीकल्चर कनेक्शन लिया, वह आपने गैर खातेदारी में दे दिया, वह कुआ सूख गया अब वह शिफ्टिंग चाहता है दूसरी जगह आप यह मना करके, शिफ्टिंग नहीं कर रहे, उसको कनेक्शन नहीं दे रहे क्योंकि आपका तो गैर खातेदारी में कनेक्शन है इसलिए आपको नहीं देंगे। आज तो वह खातेदारी में ले रहा है और आपने विधिवत तरीके से उसको कनेक्शन दिया है, यह तो अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): 20 वर्ष वाली खातेदारी करवा लो ना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देशित करिये कि इस संबंध में कोई न कोई कदम उठाए।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गैर खातेदारी करवाई जा सकती है कौनसा कानून आड़े आ रहा है उसमें।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, जो खारा पानी है जहां मीठा पानी लाना चाहते हैं, दो साल तक वह इंतजार करें कि खारा पानी है जहां 3 किलोमीटर पर मीठा पानी है दो बिस्वा जमीन लेकर टयूबवैल बनाकर, यह जो दो साल की पाबंदी लगाते हैं कि दो साल तक वह इंतजार करें, जहां मीठा पानी से दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर से अपने खेत में लाकर कर रहे हैं इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि यह पाबंदी हटाए कि दो साल की खातेदारी होगी, वरना किसान को नुकसान होता है क्योंकि पड़ौस में खारा पानी हो जाता है तो नजदीक से मीठा पानी लाने के लिए परेशानी है। कोई भी अपना कनेक्शन कहीं भी ले, किसी भी जमीन में ले, इसमें सरकार को क्या एतराज है ? (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): अध्यक्ष महोदय, एक मेरा क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं मंत्रीजी।

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): इससे संबंधित छोटा-सा है। मंदिर माफी की जमीन में कई किसानों ने पहले कनेक्शन ले लिया और उसमें कुआ सूख गया दूसरा बोर उसने करवाया था उसको दुबारा परमीशन के लिए लिखा जाता है एक तो, एक उसी कुए में अगर कनेक्शन कट गया और दुबारा रिकनेक्शन लिया जाता है तो भी उसको कनेक्शन नहीं दिया जाता है, जब एक बार अनापत्ति ले ली तो बार-बार लेने की जरूरत नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, जितने इम्पोर्टेंट हमारे कन्ज्यूमर हैं शिफ्टिंग के उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जो लोग पेण्डिग कनेक्शन, इतने वर्षो से जो वेट कर रहे हैं। शिफ्टिंग के नाम पर जो मिसयूज हो रहा हैं..We don't want to allow that misuse. आपके जो पेण्डिंग कनेक्शन है उसको आप रोकना चाहते हैं क्या? कांग्रेस के, आपकी सरकार के समय में माननीय सदस्य, आपके तो शिफ्टिंग अलाऊ ही नहीं थी।

श्री अमराराम (धोद): आपने तो दिया ही नहीं। 31 मार्च तक सबको देने का किया था, आपने एक नहीं दिया। किसानों को बल्ब दिया है। (व्यवधन) 31 मार्च, 2007 को पेण्डिग खतम करने की आपने घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष: श्री टीकमचन्द कांत।

श्री अमराराम (धोद): मंत्री महोदय बैठे हैं, आज तक उसका इम्पलीमेंट नहीं किया। यह केवल ट्विस्ट कर रहे हैं। 31 मार्च, 2007 को जितनी पेण्डिंग थी सबको कनेक्शन जारी, 31 मार्च, 2007 का किया था, आज तक सरकार ने नहीं किया, केवल बहाना करते हैं और किसानो को धोखा दे रहे हैं।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): एक साल से कोई कनेक्शन नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): मेरे प्रश्न का जवाब दें मंत्रीजी, मैंने भी क्वेश्चन किया था उसका जवाब तो दिया नहीं।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता): एक साल से कोई कृषि कनेक्शन नहीं...(व्यवधान)

श्री दाताराम गुर्जर (खेतड़ी): मंदिर माफी की जमीन के लिए मैंने पूछा था मंत्रीजी से, मंत्रीजी ने ध्यान ही नहीं दिया।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): (व्यवधान) डिमांड नोटिस जमा किया था। उन कनेक्शंस को बैन कर दिया गया, दो साल हो गए बेन करे हुए, किसानों ने 60-60 हजार, 70-70 हजार रुपये डिमांड नोटिस जमा करा रखे हैं, उन बैन को सरकार कब तक खोलेगी मंत्री महोदय बताएं?

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, तीन साल से हमारी सरकार ने जितने कनेक्शन दिए, पांच साल में कांग्रेस सरकार ने कनेक्शन नहीं दिए और हम एक लाख कनेक्शन से ज्यादा क्रोस कर चुके हैं और अभी भी एक अप्रैल के बाद...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने तो, आपकी सरकार ने इस सदन में कहा था पहले बजट सत्र के अंदर। घनश्याम तिवाड़ीजी जब जवाब दे रहे थे, जितने कनेक्शन हैं, जितनी एप्लीकेशन हैं सारे दे देंगे और यह (व्यवधान) पहले आओ, पहले पाओ। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अब नये कनेक्शन कब खोलेंगे, अब तो आपने पूरा बैन लगा रखा है।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, कनेक्शन खोल दिये जाएंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री सुरेश मीणा (करौली): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, टीकमचन्द कांत।

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): कनेक्शन खुल गए हैं, आपको ज्ञान नहीं होगा, कनेक्शन खुल चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन, टीकमचन्द कांत।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): प्रश्न संख्या 257

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट कवेश्चन, टीकमचन्द कांत।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): प्रश्न संख्या 257 (व्यवधान)

सिणधरी-जालौर राज्य उच्च मार्ग का संधारण

257. श्री टीकमचन्द कांत (सिवाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री टीकमचन्द कांत)

(1) क्या यह सही है कि राज्य उच्च मार्ग 16 के सिणधरी से जालौर तक का हिस्सा सीमा सड़क संगठन (ग्रेप) को मरम्मत हेतु सुपुर्द किया गया है? यदि हां, तो अब उस सड़क की क्या स्थिति है ?

(2) क्या यह सही है कि सीमा सड़क संगठन उक्त सड़क का रख-रखाव सही तौर पर नहीं कर पा रहा है ?

(3) क्या सरकार इस हिस्से को सार्वजनिक निर्माण विभाग को पुन: सुपुर्द करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी हां, उक्त सड़क की सामान्यत: स्थिति संतोषजनक नहीं है।

(2) जी हां। वर्तमान में ग्रेफ के अधीन इस सड़क का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। सड़क का रखरखाव सीमा सड़क संगठन के पास होने से रक्षा मंत्रालय के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

(3) सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस हिस्से की पुन: सुपुर्दगी केन्द्रीय सरकार की नीति पर निर्भर करेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, रक्षा मंत्रालय के पास वित्तीय संसाधनों और पारस्परिक प्राथमिकता की, आपको क्या तकलीफ हो रही है इन बातों की जो आप यह जवाब दें। आप उनको दिखाओ कि यह सड़कें खराब हैं, करो ठीक इन्हें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमने एक-दो बार नहीं, 20 बार पत्र लिखे हैं। मुख्य मंत्रीजी से मिलकर मेरे स्तर पर और मुख्य अभियंता स्तर पर और उसके बाद जो उनका जवाब आता है, जवाब में वे यह कहते हैं कि हमारी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो जिम्मेदारी उनकी है तो फिर उनके वित्तीय संसाधनों की यहां पर क्यों दुहाई दें।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, यह सड़क स्थानान्तरित क्यों हुई और कब हुई और इसकी लम्बाई कितनी है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्थिति संतोषजनक नहीं है तो सरकार या विभाग ने इस हेतु क्या कार्यवाही की? इसी प्रकार से आपने कहा कि यदि रक्षा मंत्रालय के

(श्री टीकम चन्द कान्त)

पास संसाधन नहीं हैं तो हमारी सड़क को स्थानान्तरित करने के पीछे हेतु क्या था। पारस्परिक प्राथमिकता, इसका क्या तात्पर्य है, मैं नहीं समझ पाया, पारस्परिक प्राथमिकता। एक और प्रश्न पूछ लूं, उसके बाद दूसरे पर आता हूं। आपने कहा कि यह केन्द्र सरकार की नीति पर आधारित है। यदि केन्द्र सरकार की नीति हमारे अनुकूल नहीं है तो इस नीति को बदलने के लिये हमने केन्द्र सरकार पर क्या-क्या दबाव डाला, या उनसे बातचीत क्या की?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सड़क राजस्थान के अन्दर सामरिक महत्व की सड़क है। सेना विभाग और सेना का ग्रेफ (GREF) है, जो जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, जिन पर सेना का आवागमन ज्यादा होता है।

श्री अध्यक्ष: इसलिये चिन्ता की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जी, अध्यक्ष महोदय। उन सड़कों का अधिग्रहण वे करते हैं और इसके अधिग्रहण से पहले जब सेना के उच्चाधिकारी हमें लिखते हैं उसके बाद एक समिति बनी हुई है, सी.एम.एल.सी., सिविल मिलिट्री लाइजिनिंग कमेटी, इस कमेटी में बैठकर विचार होता है और उसके बाद जो सामरिक महत्व की सड़क है, यह उनको स्थानान्तरित की जाती है।

जिस सड़क का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं यह स्टेट हाइ-वे 16 है। इसकी दूरी कुल मिलाकर 98 किलोमीटर है और इसमें से बाड़मेर जिले में 16 किलोमीटर है जो ग्रेफ को 10.06.2002 को स्थानान्तरित की गई थी, और 83 किलोमीटर जालोर जिले में है। यह 29.01.2003 को स्थानान्तरित की गई। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि इन 98 किलोमीटर सड़क में से 47 किलोमीटर सड़क ऐसी है, जो क्षतिग्रस्त है। यह अगस्त, 2006 के अन्दर जब अतिवृष्टि हुई, बाड़मेर और जालोर जिले में, उसके कारण से क्षतिग्रस्त हुई और इसमें 591 लाख की जरुरत है। यह सारा चूंकि हमारे आधिकारिक क्षेत्र में नहीं है, यह पूरा का पूरा ग्रेफ, भारत सरकार का है और उसके लिये हमने बार-बार पत्र लिखे हैं। अध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्य मंत्रीजी ने स्वयं ने भी पत्र लिखे, रक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्री प्रणव मुखर्जी को 19.12.2004 को, 12.2.2005 को मैंने भी पत्र लिखा। 20 पत्र ऐसे हैं जो बार-बार लिखने पर भी इस सड़क का संधारण नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, हमारे बोर्डर से लगने वाले जिले हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिनमें 3850 किलोमीटर सड़क ग्रेफ के पास है, जिनके संधारण का काम और रखरखाव का काम वही करते हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या आपका और केन्द्र सरकार के बीच कोई करार होता है या सिर्फ अधिग्रहित की जाती है, एक आदेश से ही हो जाता है और करार होता है तो कुछ उसके अन्दर शर्तें होती होंगी। उन सड़कों पर सामरिक महत्व की सड़क होते हुए मानो कि सेना के काम में आती हैं लेकिन वहां के रहने वाले, जो नागरिक हैं, वह भी आवागमन करते हैं। आज आपने स्वयं ने स्वीकार किया, 43 किलोमीटर सड़क खराब है, आज स्थिति यह है कि वहां टायर फटते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोग चल नहीं पाते हैं इस स्थिति के कारण हमारा कर्तव्य क्या है। हमारे क्षेत्र के अन्दर है यह और अगर कोई करार, और कोई शर्त है तो उसके तहत हम बात करें और यह बात नहीं करें तो उनसे कहें कि हमारे लोग कष्ट देख रहे हैं, असुविधा भोग रहे हैं तो केन्द्र सरकार इसके अन्दर कोई न कोई तुरन्त कार्यवाही करे। या फिर उनकी कोई बैठक बुलायें, जो पहले इनकी कौनसी बैठक, आपने नाम लिया है, उस बैठक को बुलाएं। बैठक के अन्दर हमारे भी लोग भागीदारी करें तो कोई बात बने। मैं क्या कहूं, अध्यक्ष महोदय, वहां डामर बिकता है, डीजल बिकता है, केरोसिन बिकता है, कंकरीट बिकती है, सारा सब कुछ बिकता है, उस सड़क की तो हालत क्या है, हम जानते हैं। सामरिक महत्व की है, सामरिक महत्व की सड़क ऐसी होती है क्या? इसलिये हमको पुरजोर विरोध करना पड़ेगा इस प्रकार की सड़कों के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया यह सारी सडकें, एक कमेटी बनी हुई है, सी.एम.एल.सी., (सिविल मिलिट्री लाइजिंग कमेटी) पहले भारत सरकार के सेना के उच्चाधिकारी हमें लिखते हैं, इन सड़कों पर सेना का आवागमन बढ़ रहा है और इन सड़कों का संधारण विभिन्न कारणों से हम लेना चाहते हैं उसके बाद इस कमेटी में मामला आता है और उसके बाद हम उनको सौंपते हैं। उनको सौंपते हैं तब शर्त निश्चित तौर पर यह रहती है कि सड़क का रखरखाव और सड़क की चौड़ाई करना और सुदृढ़ीकरण यह सारा सेना अपने संसाधनों से करती है, करना चाहिए उनको। अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि इन सड़कों की आयु भी निर्धारित है। यह स्टेट हाइ-वे है, 6 से 8 वर्ष के बीच में इसका पूरा रिन्यूवल

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो जाना चाहिए और जितनी सड़कें मिलिट्री के पास हैं उसमें 500 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिनका रिन्यूवल प्रतिवर्ष होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष भी, बार-बार हमने लिखा तो 2006-07 में सिर्फ 262 किलोमीटर सड़क का इन्होंने रिन्यूवल किया और 2005-06 में 246 किलोमीटर का किया। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, हम तो बार-बार लिख ही सकते हैं। चूंकि सेना का मामला है और इन सड़कों का सामरिक महत्व है, इसलिये हम यह तो कह नहीं सकते हैं कि यह सड़क हम उनको नहीं दे रहे हैं। परन्तु आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप कहें तो मैं वह सारे लैटर टेबल करने को तैयार हूं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, इसके लिये हमने बैठक भी की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी स्तर पर भी बैठक हुई और लगातार हमारा दबाव है। मुख्य मंत्रीजी ने प्रणव मुखर्जी को पत्र भी लिखा है कि यह जितनी सड़कें आपने ले रखी हैं और इन सड़कों की लम्बाई भी 3850 किलोमीटर है, कई और माननीय सदस्यों के क्षेत्र में भी है। निश्चित तौर पर मैं पुन: सदन की भावना के अनुसार प्रणव मुखर्जी साहब को भी लिखूंगा और कोशिश करुंगा कि इन सड़कों के रखरखाव के लिये केन्द्र सरकार हमें पैसा दे और हम इसकी भी कोशिश करेंगे, उनको कहेंगे...

श्री अध्यक्ष: नहीं, यह बनाते तो आप ही हो ना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): जी, बनाते हैं।

श्री अध्यक्ष: पैसा वहां से आता है, बनाते आप हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, नहीं।

श्री अध्यक्ष: तो यह एजेंसी कौन है, फिर बनाता कौन है, सड़कों को ठीक कौन करवाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सड़कें, जिन सड़कों को ग्रेफ हमसे लेता है, वह सड़कें पहले से बनी हुई होती हैं। बहुत कम ऐसे स्ट्रेचेज होते हैं जहां ग्रेफ खुद कहता है कि हम इन नई सड़कों का निर्माण कराना चाहते हैं, इसलिये हम बनाते हैं और उसके बाद उनको सौंप देते हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मेंटिनेंस करने की जिम्मेदारी उनकी है, यह आपने कहा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उनकी जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, लेकिन वह रखरखाव वही करते हैं कि पैसा देकर के और आपसे करवाते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, अध्यक्ष महोदय, उनकी इंजीनियरिंग की अलग से विंग है। जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स है इनका टोटल अलग से सिस्टम है। यह अलग से अपने ठीक कराते हैं। अपने हिसाब से काम करवाते हैं तो हम उनको कहते जरुर रहते हैं क्योंकि वहां सिविलियन भी उन्हीं सड़कों पर चलते हैं। इसलिये निश्चित तौर पर यह सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, अध्यक्ष महोदय, और कुल मिलाकर 925 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हैं राजस्थान के अन्दर 3850 किलोमीटर में, बार-बार लिखने के बाद भी नहीं करते हैं। अब चूंकि इन सड़कों का महत्व सेना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिये हम उनको यह भी नहीं कह सकते हैं कि हम सड़कें वापस लेंगे। परन्तु मैं, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह विश्वास जरुर दिलवाना चाहूंगा कि इस बार हम उनको लिखेंगे या तो निश्चित समयावधि के अन्दर इनका संधारण करने का काम आप करें, वरना यह सड़कें, जिस रूप में हैं पुन: सौंप दें ताकि हमारा विभाग इनका संधारण करे। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): यह सामरिक महत्व का जहां तक प्रश्न है साहब, सामरिक महत्व का मतलब इस देश को बचाने के लिये सड़कें बढ़िया होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सेना के टैंक वगैरह उस पर चल सकें। सड़कें ऐसी हैं कि हमारे ट्रैक्टर भी खराब हो रहे हैं। इसलिये मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सामरिक महत्व का कहकर हम छोड़ नहीं सकते हैं, सामरिक महत्व का, हमारी सुरक्षा इसके साथ जुडी हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सेना का आवागमन जब वहां होता है तो सेना ने भी तो लिखा होगा उन्हें।

श्री अमराराम (धोद): यह रिपेयर करायें तो सेना मना नहीं करती है। अगर राजस्थान का सार्वजनिक निर्माण विभाग उन सड़कों को रिपेयर करता है तो मना नहीं करता है कोई।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, नहीं, करवा सकते हैं।

श्री अमराराम (धोद): लेकिन यह तो बचने का एक बहाना है कि उनको दी हुई है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, बचने का नहीं है। यह लिखना चाहिए था कि यदि आप ठीक नहीं करवायेंगे तो हम ठीक करवा रहे हैं और पैसा आपको देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जालोर जिला हेडक्वार्टर जाने की मुख्य सड़क जो सांचोर से.....(व्यवधान) होते हुए जालौर आती है।

श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, जो हमारे हनुमानगढ़ को...(व्यवधान) एक मिनट, एक मिनट, आप दूसरों को बोलने दें।

हनुमानगढ़ को, जो डिस्ट्रिक्ट से जोड़ती है, सांगरिया को, वह पहले पी.डबल्यू.डी. की सड़क बनी हुई थी, और कुछ 5-10 साल पहले, उन्होंने, ग्रेफ वालों ने ले ली। अब ग्रेफ वालों ने दूसरा रास्ता बना लिया, कहीं उन्होंने हनुमानगढ़ से या दूसरे रास्ते से सीधे रोड बना दी उनके बोर्डर को जाने के लिये। अब 4-5 साल से उसमें इतने खड्डे पड़े हैं, पिछले 2-3 महीनों में 32 एक्सीडेंट हुए वहां और 5 आदमी मर गये मंत्री महोदय खुद सांगरिया पधारे थे और वादा करके भी आये थे। मेरा आपसे निवेदन है कि जो रोड़ वहां बनी हुई है, वह पी.डबल्यू.डी. की बनी हुई है। अगर उन्होंने नहीं सम्भाली तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे तहसील हैडक्वार्टर को जो सड़क जोड़ती है, हमारी खुद की बनाई हुई सड़क हमने उनको दी थी, अगर उन्होंने छोड़ दी तो हम लोगों को भूल थोड़ी जाएंगे जो वहां के लाखों लोग बसने वाले हैं। वह सड़क पंजाब को लिंक करती है, हरियाणा को लिंक करती है। मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि उन सड़कों को, पी.डबल्यू.डी. की पुरानी सड़क बनी हुई है। तो आप उसको जैसे भी हो सके, उसकी मरम्मत, उसके खड्डे, वहां लोगों को ट्रैक्टर-ट्रोली और छोटे व्हिकल्स को तो इतना नुकसान है कि वहां चल ही नहीं सकते, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: अब आपका क्या है?

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह की यह समस्या है। रानीवाड़ा-सांचौर से जालौर जिला हैडक्वार्टर जाने वाली सड़क 47 किलोमीटर इतनी टूटी हुई है कि वहां कोई गाड़ी चलने लायक रस्ता ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: वह सीमा सुरक्षा से थोड़े ही है? (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भी ग्रेफ में है इसलिए मेरा मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि कम से कम वह पेचवर्क तो करवा कर खड्डे तो बुरवायें ताकि वहां एक सामान्यत: साधन तो चल सके। (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक प्रमुख सड़क सूरतगढ़ से अनूपगढ़ भी ग्रेफ के पास है।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये। बात यहां है सीमा सड़क संगठन की है। (व्यवधान)

श्री अशोक नागपाल (सूरतगढ़): उस 76 किलोमीटर सड़क के लिए, तीन घंटे का सफर, तीन घंटे में सफर पूरा होता है माननीय मंत्री महोदय ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी बात, वह बात ठीक है पर ... (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सड़क मेंटिनैंस के संबंध में एक जनरल क्वेश्चन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरल क्वेश्चन है मेरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क मेंटिनैंस के संबंध में मेरा जनरल क्वेश्चन यह है कि अपने सड़क मेंटिनैंस का पीरियड फिक्स है। यहां विलेज रोड्स के जो मेंटिनैंस का पीरियड है यह 10 साल, 12 साल है लेकिन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग है। अब पूरे राजस्थान में किसी सड़क पर कहीं ज्यादा बरसात होती है और उस पर ट्रेफिक भी ज्यादा चलता है तो वह जल्दी उखड़ जाती है और जहां पर बरसात कम होती है और ट्रेफिक नहीं चलता है वह उखड़ नहीं पाती और एक भी गड्डा नहीं होता। इन सबका नम्बर 10 साल और 12 साल में आता है।

श्री अध्यक्ष: यह मूल प्रश्न जो है ... (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): तो सड़क की स्थिति को देखते हुए रिन्युअल पीरियड अलग-अलग होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न सीमा सड़क संगठन की सड़कों का है। आप के क्षेत्र में नहीं आता है यह। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, जनरल प्रश्न है यह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके इलाके में नहीं है यह। कृपया, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): यह जनरल क्वेश्चन है। जनरल पॉलिसी है कि 10 साल से, 12 साल में मेंटिनैंस होती है सबकी, चाहे कोई सड़क उखड़े या मत उखड़ो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री चन्द्रशेखर बैद।

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): और जहां पर बरसात ज्यादा होती है तो ज्यादा उखड़ जाती है और जहां पर बरसात कम होती है वहां पर कम उखड़ती है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह सीमा सड़क संगठन का प्रश्न है। आपके इलाके में नहीं है यह। नैक्स्ट क्वेश्चन।

स्थगित प्रश्न

(बुधवार, दिनांक 21 मार्च, 2007)

जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत व्यय राशि

197. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जननी सुरक्षा योजनान्तर्गत वर्ष 2005 से अब तक आबंटित राशि के विरुद्ध कितनी राशि व्यय कर कितनी जननियों को लाभान्वित किया गया ? वर्षवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजनान्तर्गत नियम विरुद्ध रजिस्ट्रेशन से अधिक महिलाओं को राशि का वितरण किया गया? यदि हां, तो जिलेवार रजिस्ट्रेशन की संख्या तथा लाभार्थियों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत अनटाइड फंड के रूप में प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर 10,000/- रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई? यदि हां, तो कौन-कौन से स्वास्थ्य केन्द्र पर किस प्रकार राशि का उपयोग किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की ओर से हैल्प लाइन योजना प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो उक्त में कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त योजनान्तर्गत कितनी महिलाओं को सरकारी अस्पताल में जाने के लिए यातायात सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कितनी राशि व्यय की गई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा. दिगम्बर सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 से अब तक 51 करोड़ 25 लाख 53 हजार रुपये जिलों को आबंटित किये गये जिसके विरुद्ध अभी तक लगभग 28 करोड़ 65 लाख 70 हजार रुपये व्यय का विवरण प्राप्त हो चुका है तथा 3 लाख 9 हजार 330 महिलाओं को लाभान्वित किया गया। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। हैल्प लाइन योजना में जनवरी, 2007 तक 19 लाख 49 हजार 84 रुपये की राशि व्यय की गई है। योजनान्तर्गत राज्य में निम्न सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं:-

* गर्भवती माताओं हेतु टेलीफोन पर मार्ग-दर्शन।

* संस्थागत प्रसव हेतु टेलीफोन मांग पर वाहन की व्यवस्था।

* निजी वाहन मालिकों के साथ मिलकर सभी गांवों के निकट के अस्पताल तक परिवहन हेतु दरों का निर्धारण, जिसमें प्रसूता को निश्चित दर पर तुरन्त निकटतम अस्पताल तक पहुंचने हेतु वाहन उपलब्ध हो सके।

* अस्पताल को महिला के पहुंचने से पूर्व टेलीफोन द्वारा सूचित करना, जिससे प्रसव की तैयारी में होने वाले विलम्ब से बचा जा सके।

* गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में आशा सहयोगिनियों के साथ सहयोग।

* मातृ मृत्यु की सूचना।

व्यय राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(5) इस योजना में 22,806 महिलाओं को सरकारी चिकित्सा संस्थानों में जाने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राशि रुपये 87.03 लाख व्यय की गई है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'स' पर उपलब्ध है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि खंड एक के अन्दर आपने यह कहा है कि 51 करोड़ 25 लाख 53 हजार रुपये जिलो को आबंटित किये गये। अब मेरा प्रश्न यह है कि आपको केन्द्र सरकार से 2005-06 के

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

अन्दर और 2006-07 में अब तक जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कितनी राशि प्राप्त हुई?

दूसरा, 2005-06 में और 2006-07 में आपने कितनी-कितनी राशि जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत व्यय की? क्योंकि मेरी जो सूचना है उसमें पहले साल आपने सिर्फ 10 प्रतिशत राशि व्यय की और दूसरे साल इसमें टोटल जो आपने बताया है 51 करोड़ 25 लाख रुपये में से आपने 28 करोड़ 65 लाख रुपये ही व्यय किये हैं अभी तक, आबंटित किये हैं।

तीसरा प्रश्न यह है कि 2005-06 के अन्दर कितने बच्चे राजस्थान में पैदा हुए? अमूमन 15 लाख बच्चे राजस्थान में पैदा होते हैं जिसमें 11 लाख तो ग्रामीण एरिया में होते हैं चार 4 लाख शहर के अन्दर होते हैं तो जहां 15 लाख बच्चे पैदा हो रहे हैं और आपने 3 साल, 2 साल के अन्दर सिर्फ 3 लाख 9 हजार 330 महिलाओं को ही लाभान्वित किया है तो ऐसा क्या कारण हो गया कि आपने इतनी कम महिलाओं को लाभान्वित किया?

एक जो हैल्प लाइन योजना है। उसमें सारे जिलों में, जो आपने सूची दी है उसमें 32 जिलों में से 28 जिलों के अन्दर आपने हैल्प लाइन शुरू कर दी। अब टोंक में, चूरू में, बूंदी में और धौलपुर, इसमें चूरू भी आ गया और धौलपुर भी आ गया और बूंदी भी आ गया और टोंक भी आ गया, इन्होंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि यहां पर आपने हैल्प लाइन नहीं शुरू की? और आखिरी प्रश्न मेरा यह है कि आपने पांचवें खंड में बताया है कि जब जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को दूरदराज इलाके से अस्पताल में पहुंचाने के लिए जो वाहन की सुविधा है वह भी उपलब्ध करायी जाती है तो जब 15 लाख बच्चे एक साल के अन्दर हो रहे हैं और आपने यह सुविधा दी है सिर्फ 22806 महिलाओं को। ऐसा क्या कारण रहा जबकि महिलाएं बार-बार फोन करती हैं कि हमारे प्रसव के लिए हमको दूसरे अस्पताल में, अमुक अस्पताल में भेज दो, राशि उपलब्ध करायी जाती है तो राशि उपलब्ध क्यों नहीं करायी गयी?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला सवाल तो माननीय सदस्य का था कि सन 2005-06 और 2006-07 में कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई?

श्री अध्यक्ष: इनका कहना है कि 2005-06 में तो 10 परसेंट ही खर्च किया आपने। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कितनी राशि प्राप्त हुई केन्द्र सरकार से क्योंकि केन्द्र सरकार तो, आप ज्यादा चिंतित हैं न उसके लिए इसलिए पूछ रहे थे तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, 2005-06 में 5.43 करोड़ और 2006-07 में 35.5 करोड़ की राशि प्राप्त हुई।

श्री अध्यक्ष: 10 परसेंट ही हुआ, ठीक कह रहे हैं वह। सही। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अब मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जननी सुरक्षा के बारे में और हैल्प लाइन के बारे में जो बात कही कि इतने बच्चे गांव में पैदा होते हैं, इतने शहर में पैदा होते हैं ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): नहीं-नहीं, इसमें खर्च कितनी की, साहब, इसी में बताओ, साहब। 5 करोड़ और 35 करोड़ मिले न, इसमें से पहले साल कितनी खर्च की? (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं वह ही निवेदन कर रहा हूं, सर। आप विराजिये तो सही। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जननी सुरक्षा योजना शुरू हुई 9 सितम्बर, 2005 को और जब इसको शुरू किया गया तो ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): तो इसके पीछे केवल आशय इसका केवल बी.पी.एल. महिलाओं को लाभ देने के लिए था इसलिए आप जो कह रहे हैं न कि खर्च की और उसकी बात वह इस बात से स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आदेश को इसमें इसको चेंज किया गया, इस आदेश को और इसमें ए.पी.एल. और बी.पी.एल. दोनों को सम्मिलित किया गया और यह पहली अप्रैल, 2006 से शुरू किया गया जिसमें ए.पी.एल. महिलाओं को भी शामिल किया गया। उस समय भी उसमें कुछ राइडर्स थे कि महिला की उम्र 19 साल होनी चाहिए। दो बच्चे से ज्यादा पर यह राशि देय नहीं होगी और तीसरे बच्चे पर अगर राशि देय होगी तो यह उसी स्थिति में जबकि वह नसबंदी का आपरेशन कराने के लिए तैयार हो। इसके बाद इस राइडर को भी समाप्त किया गया और 700 रुपये शुरू-शुरू में था इसको 1400 रुपये किया गया और ए.पी.एल., बी.पी.एल. सब कैटेगरी

(डा. दिगम्बर सिंह)

की महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का तय किया गया। चाहे उसके कितने भी बच्चे हो, उसको भी यह लाभ देने का तय किया गया। उसके नसबंदी आपरेशन से भी उसको नहीं जोड़ा गया। उसकी एज का जो राइडर था उसको भी इसमें से हटा लिया गया इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शुरू में केवल बी.पी.एल. महिलाओं के लिए था इस वजह से खर्चे में जो आप कह रहे हैं और इसके बाद जो हमारी स्पीड आयी है, इस जननी सुरक्षा योजना की जो हमारी सफलता इस राज्य में आयी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है क्योंकि 40 परसेंट से ज्यादा का हमारा इन्क्रीज है। हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का और हमारा जो मातृ मृत्यु दर है, हमारी शिशु मृत्यु दर है उसमें भी जो डिक्लाइन इतना शार्प हो रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय, वह इसी के कारण से है और निश्चित रूप से गरीब लोगों को बहुत मदद इस योजना के माध्यम से हम दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हैल्प लाइन के बारे में मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि हैल्प लाइन का निश्चित रूप से, यह शुरूआत हमने की है जिससे, और इसके कई फायदे हमारी गरीब जनता को मिलते हैं। क्योंकि अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं हैल्प लाइन के थ्रू पहले हो जायें, जो मरीज का ट्रांसपोर्टेशन होना है, गर्भवती महिला का, जैसे पेन होने के बाद गांव में ट्रांसपोर्टेशन की उसको प्रॉब्लम होती है। तुरन्त हैल्पलाइन करे तो निश्चित रूप से उससे काफी कुछ हम गर्भवती महिलाओं को लाभ देने में सफल हुए हैं। आपने कहा है कि कुछ जिलों में यह हैल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और खासकर के चूरू का आपने बताया। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू में बोरूका ट्रस्ट वहा पर काम कर रहा है और यह नवयुवक मंडल, एक संस्था है चूरू में, इन्होंने राजगढ़, जो आपका ब्लॉक है, उसमें काम करना शुरू किया है और अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक बार कहीं से आ रहा था और मुझे बोरूका ट्रस्ट पर रूकने का मौका मिला And It was up to my surprise कि जब मुझे बोरूका ट्रस्ट वालों ने बताया कि हमारे राजगढ़ ब्लॉक की मैटरनल मोर्टेलिटी, इज लैस दैन द नेशनल एवरेज, फिर मैंने अपने अधिकारियों को कहा। मैंने कहा एक बार, क्योंकि उनके कहने पर विश्वास हमने नहीं किया। हमने अपने अधिकारियों को कहा कि एक बार उस राजगढ़ ब्लॉक की पूरी

(डा. दिगम्बर सिंह)

अपने स्तर पर हमने जांच करायी कि वास्तव में वहां पर मैटरनल मोर्टेलिटी की रेट अगर इतनी अच्छी है तो इस मॉडल को हम पूरे राजस्थान में भी लागू करें। जहां तक चूरू और बूंदी में, दोनों में जी.एस.वाई. की फण्डिंग है, परन्तु कलक्टर द्वारा इस व्यवस्था को वहां पर किया गया है। टोंक और धौलपुर में हमारी जी.एस.वाई. की फण्डिंग नहीं है। टोंक और धौलपुर में यूनिसेफ की फण्डिंग है और यूनिसेफ ही हैल्पलाइन का काम कर रहा है और काफी अच्छा काम टोंक और धौलपुर में यह लोग कर रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): माननीय अध्यक्षजी, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपने कहा कि पहले साल पांच करोड़ 43 लाख रुपये आपको मिले और दूसरे साल 35 करोड़ 01 लाख रुपये मिले। पहले साल आपने कितने व्यय किये और दूसरे साल आपने कितने व्यय किये? दूसरी चीज मेरी जहां तक जानकारी है पहले साल जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत जो महिलाएं आती थीं, उनको अगले साल आपने पेमेन्ट किया है। दूसरा यह कि आपने अभी तक कहा एक साल में 15 लाख बच्चे पैदा होते हैं तो आपने दो साल में 3 लाख 9 हजार 330 महिलाओं को ही लाभान्वित किया है और यह जो आपने फीगर दिये हैं उससे स्पष्ट है कि अभी भी आपने जो राशि आबंटित की है, वह टोटल आपने 51 करोड़ 25 लाख की है जिसमें से खर्चा हुआ है सिर्फ 28 करोड़ । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब केन्द्र सरकार से ठीक समय पर समुचित राशि आपको उपलब्ध करा दी गयी तो आप उस राशि का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उसका दुरूपयोग हो रहा है। कम महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, कम राशि खर्च हो रही है। हर मद के अंदर कम खर्च हो रहा है तो ऐसे क्या कारण हैं कि कम खर्चा हो रहा है? आप यह देखिये लास्ट में आपने जो जवाब दिया है कि आपने सिर्फ 22 हजार 806 ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये न ।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): महिलाओं को खाली आपने वाहन की सुविधा दी, जबकि जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू में गांव इतनी दूर-दूर हैं जहां कि वाहन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये तो 30 लाख महिलाओं के प्रसव हुआ, उसमें से लाभान्वित किया सिर्फ 22 हजार को।

श्री चांदनाथ (बहरोड़): आप प्रश्न तो पूछ नहीं रहे, इन्फोर्मेशन दे रहे हैं।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): इससे यह स्पष्ट हो गया कि कम महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और राशि का दुरुपयोग हो रहा है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हमने जननी सुरक्षा योजना में रखी है । अगर पेशेंट खुद अपने ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके आता है तो हम पेशेंट को 300 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। यह जो फीगर दिया है, यह हमारी हैल्पलाइन के थ्रू जो व्यवस्था है, उसका फीगर आपको दिया है और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि कोई चीज जब नई शुरू की जाये, क्योंकि मेरे ख्याल से एक लाभदायक योजना राजस्थान में तो पहली बार शुरू हुई है और निश्चित रूप से गरीब महिलाओं को इसका बहुत बड़ा लाभ भी मिल रहा है। आप जो कह रहे हैं पैसे का ...(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है कि बिना सहयोगिनी और आशा के अस्पताल में जो डिलीवरी होती है, उनको कोई रुपये नहीं दिये जाते हैं ....(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम तो बी.पी.एल. की जो महिलाएं हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी को जवाब तो देने दें। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, गरीबों के लिये बहुत जरूरी बात है। जो डिलीवरी अस्पताल में होती है यदि उसके साथ आशा या सहयोगिनी नहीं है तो उसको 1400 रुपये नहीं दिये जाते और वह इधर-उधर धक्के खाता फिरता है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि 700 से 1400 आपने किये, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन यह भी उसमें से निकालें कि सहयोगिनी नहीं हो तब भी उसको 1400 रुपये दिये जायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सरकार की तरफ से सुविधा है, कोई न ले, तो नहीं लेगा। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): राजस्थान मेडिकल हैल्थ में दो प्रोग्राम आ रहे हैं एक वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है और राजस्थान रूरल हैल्थ एम्बीशन का प्रोग्राम है, इन दोनों प्रोग्रामों में जो प्रिक्योरमेंट करने हैं इक्विपमेंट्स, उसमें तो

(डा. सी.पी. जोशी)

अचीवमेंट 60 प्रतिशत से ऊपर है और जिसमें लोगों को मदद करनी है उसमें आपका 10 प्रतिशत भी नहीं है। यह आपकी एफिशियेंसी श्यों नहीं करता?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जननी सुरक्षा योजना की बात चल रही थी, माननीय सदस्य एक बात बीच में पता नहीं कहां से लेकर आ गये। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): I am sorry, अलग नहीं है। राजस्थान सरकार के पास भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के जो पैसे आ रहे हैं उसमें जो करोड़ों रुपये का प्रिक्योरमेंट करनी है मशीन, उसमें तो आपका अचीवमेंट है। जहां जनता को लाभ देना है उसमें आपका अचीवमेंट है ही नहीं। यह आपका माध्यम नहीं है क्या? आप डिपार्टमेंट की एफिशियेंसी बता रहे हो । राजस्थान सरकार को जितना पैसा भारत सरकार से मिल रहा है, आज 24 प्रतिशत पैसा ज्यादा मिल रहा है, जननी सुरक्षा के अंदर मिल रहा है। आपको वर्ल्ड बैंक से 400 करोड़ रुपये मिल रहा है, उसमें जो पर्चेज करने हैं, चाहे फ्रिज पर्चेज करने हैं, चाहे दूसरी मशीन पर्चेज करनी हैं, उसमें अचीवमेंट 60 प्रतिशत से ज्यादा है। जहां लोगों को हैल्प करनी है उसमें 20 प्रतिशत अचीवमेंट नहीं है आपकी ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो आर.एच.डी.एस.पी. प्रोजेक्ट की बात की है यह वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है। निश्चित रूप से लोन का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर एहसान तो किया है नहीं। इतना निवेदन करना चाहता हूं कि हमने पहले फैसेलिटीज, जहां पर इक्विपमेंट की जरूरत है, सीटी स्कैन हमने लगाई तो सीटी स्कैन लगाने के लिये पहले कमरा बनवाया। इंजीनियर से बकायदा नक्शा बनवाकर कमरा बनवाने के बाद सीटी स्कैन मशीन सप्लाई की। ...(व्यवधान)..

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): डा. साहब, माफ करना। 90 प्रतिशत जगह इक्विपमेंट्स को प्रिक्योर किया है, वहां पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्रूटमेंट ने किया है, फिर वहां इक्विपमेंट क्या काम आ रहे हैं ? खाली आपने पर्चेज कर लिया, न पैरा मेडिकल स्टाफ है, न उनके काम करने की कोई व्यवस्था है और आप कह रहे हो, हमने कमरा बनवा दिया, प्रिक्योर कर लिया। आपने पैरा मेडिकल स्टाफ लगाये बिना करोड़ों रुपये की मशीन किसके लिये खर्च करना चाहते हैं ?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जो भी इक्विपमेंट पर्चेज किये हैं, पहले अपने स्टाफ को ट्रेनिंग के लिये भेजा है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): पैरा मेडिकल स्टाफ को आपने भेजा ही नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि जहां गायनिकालोजिस्ट नहीं है तो जननी सुरक्षा योजना का उन हास्पिटल्स में कोई मतलब ही नहीं हुआ। आप क्या इरादा रखते हैं कि वहां प्राइवेट हास्पिटल्स के अंदर जो वैल इक्विप्ड हैं, उनको यह सुविधा प्रदान करेंगे कि वह वहां पर प्रसव कराये और उनको जननी सुरक्षा योजना के तहत पैसा मिले ? दूसरी बात आबू रोड में भाजपा के पदाधिकारी से व्यथित होकर जिस डॉक्टर अग्रवाल ने आत्महत्या की, क्या आप उसकी विधवा के लिये कुछ करना चाह रहे हैं। उसकी विधवा को कुछ देना चाह रहे हैं आप ? तीसरा, माननीय मंत्री महोदय, बूंदी अस्पताल में करीब 8 दिन से खबर आ रही है कि चद्दरों की धुलाई में घोटाला चल रहा है। उसके विषय में आपने क्या किया ? आप यह देखिये वहां पर भी भारत विकास परिषद् के पास ही है। यह जो भाजपा का एक नाटक हो रहा है इसके लिये आप क्या कर रहे हैं ? इसके लिये मैं आपसे पूछना चाहूंगी ।

श्री अध्यक्ष: माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जननी सुरक्षा योजना में जो आर्थिक सहायता दी जाती है उसके लिये माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने अभी यह जानकारी दी कि पहले जो शर्तें थीं कि दो बच्चों से ज्यादा तीसरा होगा या चौथा होगा तो छूट नहीं दी जायेगी। उसमें आपने नसबंदी थी, राइडर, वह भी हटा दी। लेकिन एक बात आपने कही कि मिनिमम 19 साल की जो राइडर थी, इसको भी आपने हटाने का काम किया है। मैं, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि इस ऐज को आपने कितनी कर दी 19 साल के राइडर को हटाकर ? क्योंकि एक तरफ तो आप लड़की की शादी की मिनिमम आयु 18 वर्ष निर्धारित किये हुए हैं । लड़का 21 साल का होना चाहिये और लड़की 18 साल की होनी चाहिये। 18 साल की लड़की की उम्र होगी मिनिमम तब शादी होगी तो फर्स्ट डिलीवरी होगी तो 9-10 महीने मानते हैं, तो 19 साल हो गये, उसको क्या आपने कम कर दी 18 से ? अगर ऐसा किया है तो आपने गलत किया है इसलिए इस पर जरा कुछ बताइये।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाले माननीय सदस्य की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं और यह बात सब लोग जानते हैं कि बहुत अरली ऐज में महिला की डिलीवरी नहीं होनी चाहिये और शादी की उम्र हमारे कानून के हिसाब से भी 18 साल है और इस हिसाब से पहले राइडर इसमें लगाये हुए थे, पर इसका जवाब मेरे पास केवल यह है कि इसको पूछने के लिये आपको केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां के डायरेक्शन के ऊपर ही हमने यह किया है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप मुझे एम.पी. बना दो, मैं उनसे पूछ लूंगा।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे चार प्रश्न में से एक का भी जवाब नहीं आया। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपका जो कपड़े धोने का सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूं न। आप विराजें तो सही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो इसका क्या जवाब देंगे जिसमें आपने कहा है यह भाजपा का नाटक है? इसका क्या जवाब देंगे? अभी उन्होंने कहा है यह भाजपा का नाटक है ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है, भारत विकास परिषद के पास ही वहां का सारा ठेका है और उन्होंने ही सब चद्दरों के घोटाले कर रखे हैं। आप एक बार जाकर तलाश तो करवाएं कि क्या है।

एक माननीय सदस्य: 1400 रुपये सभी को देना चाहिए।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): दूसरा, डाक्टर अग्रवाल की पत्नी के लिए आपने क्या प्रावधान किया?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं बताना चाह रहा हूं, बी.पी.एल. के परिवार की महिलाओं के लिए अभी भी अगर इंस्टिट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती है, घर पर भी डिलीवरी होती है तब भी हम वहां पर 500 रुपये एक बी.पी.एल. के परिवार की महिलाओं को ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, आप तो यह बताओ कि इसको 18 वर्ष से कम कर दिया क्या आपने?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, कर दिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): चाहे किसी के कहने से किया है 18 वर्ष से कम, केन्द्र सरकार जो भी कहती है वो सारे मानते हो क्या?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह केन्द्र सरकार के डाइरेक्शंस पर है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, तो 18 वर्ष से कम किया है क्या आपने? इस पर पुनर्विचार कीजिए। 18 वर्ष से कम किया है, चाहे किसी के भी कहने से किया हो ...(व्यवधान) यह तो आपकी जिम्मेदारी है, इसमें क्या बात हुई?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं बिलकुल आपकी इस बात से सहमत हूं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ हम कानून बना रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए और अब 17 साल की बच्ची को, 16 साल की बच्ची को डिलीवरी हो जाए, मां बन जाए उसको सहायता दे रहे हो। ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): तो आप गैर-कानूनी काम करने का काम कर रहे हो।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं परन्तु केन्द्र सरकार के डाइरेक्शंस हैं इसीलिए मैंने आपके सामने यह बात रखी है। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप टेबल करिये केन्द्र सरकार के डाइरेक्शंस को। टेबल कर दीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, टेबल कर दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अगर केन्द्र सरकार कोई गलत निर्देश दे रही है तो आप उस पर चलते रहोगे क्या?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वो टेबल कर दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं

(मोहम्मद माहिर आजाद)

बताएं, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि एक तरफ हम कह रहे हैं 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं होनी चाहिए और फिर हम 16 साल की बच्ची को डिलीवरी होने पर, मां बनने पर सहायता दे रहे हैं तो यह गैर कानूनी काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो चाहे किसी के भी दबाव में हो रहा है, इसको आप देखकर के और इसको रोकने का काम कीजिए। ...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय मंत्रीजी, केन्द्र सरकार ने तो आपको कहा है ...(व्यवधान)... इंस्टिट्यूशंस में पैरामेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी दे रखी है ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप कर नहीं रहे हो। इसके बारे में भी तो आप बताइये न। पैसा वहां से आ रहा है, सब-कुछ वहां से आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, क्या यह बात सही है कि 16 साल की लड़की को आपने यह सुविधा दी है?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले राइडर था कि 19 साल से कम उम्र की अगर किसी महिला के डिलीवरी होती है तो उसको इस सुरक्षा योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा परन्तु केन्द्र सरकार ने फिर जो डाइरेक्शंस इश्यू किये उनमें से सारी राइडर्स विथड्रा कर लिये। बाकी मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से सहमत नहीं हूं कि 19 साल से महिला की उम्र कम हो उसमें डिलीवरी हो। क्योंकि इससे, निश्चित रूप से इस राइडर को हटाने से केन्द्र सरकार से भी हम बात करेंगे पर माननीय सदस्य की बात से मैं भी सहमत हूं कि 18 साल हम शादी की उम्र मानते हैं लड़की की, तो एक साल का, 19 साल पर कम से कम उसकी डिलीवरी हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इससे कम उम्र में डिलीवरी होना उसके स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है उस महिला के स्वास्थ्य के लिए, लीगली ...

श्री अध्यक्ष: स्वास्थ्य की बात छोड़िये आप, आप तो यह बताइये कि भारत सरकार का कोई ऐसा निर्देश है क्या?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां है न, भारत सरकार के निर्देश।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): टेबल करिये। कब आया, अब तक बात क्यों नहीं कही आपने?

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): टेबल करिये।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भारत सरकार के निर्देश है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अगर दो साल पहले, तीन साल पहले आया, आप उस पर लागू कर रहे हो?

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भारत सरकार के निर्देश हैं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने इसका विरोध किया क्या बीईंग ए डाक्टर? आप खुद इस बात से सहमत हो तो अगर कोई निर्देश आया भी था तो आपको वापस लिख देना चाहिए था कि यह व्यावहारिक नहीं है, इसको नहीं लागू करेंगे। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ग्रामीण महिलाओं के साथ में, 16 और 17 के चक्कर में गरीब लड़की का आप गला घुटवा दोगे ...(व्यवधान)...

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं इस बात से सहमत हूं ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सदन को गुमराह मत कीजिए। केन्द्र सरकार की आड़ में सदन को गुमराह करने का काम मत कीजिए।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई आदिवासी परिवार हैं उन लोगों के जो नियम और कानून हैं, हमारे कहां पर जन्म तिथि लिखी हुई है, आदिवासी इलाके में कहां से जन्म तिथि लिखी हुई है? यह 16 और 17 के इस चक्कर में हम लोगों के गले मत कटवा देना। गरीबों को फायदा मिल रहा है वह फायदा मिलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: यह गलत बात है। (व्यवधान) गलत बात है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह काई सवाल नहीं है इनका।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब सुन लीजिए, प्लीज। प्लीज बैठें आप।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): नहीं, हमारा कहां पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है?

श्री अध्यक्ष: बैठें, आप बैठें।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो केन्द्र सरकार के डाइरेक्शंस हैं इनको टेबल कर रहा हूं, आप एक बार इसको फरमा लें।

श्री अध्यक्ष: हां, कर दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, आप पहले बता भी दें कब के हैं, क्या हैं? पहले बता भी दें।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसमें लिखा है (a) age restrictions removed. यह पहला पहला इन्होंने लिखा है (b) the restricting benefits of JSY upto two births removed. In other words the benefits of the schemes are exended to all pregnant women in LPS states irrespective of birth orders. (c) No need for any marriage or BPL certification provided woman delivers in Govt. or accreted private health institution. यह मैं टेबल करता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह तो बी.पी.एल. और ए.पी.एल. का आ गया, इसमें दो बच्चों वाला आ गया ...(व्यवधान) इसमें एज का रिलेक्सेशन कहां आया? और यह कितनी तारीख का है, यह भी बताइये।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गरीब के साथ अन्याय हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): हां, यह बताइये कि कौनसी तारीख का है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इसको टेबल पर रखिये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ। वह टेबल पर रखने की कह तो दी इन्होंने।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसको टेबल कर रहा हूं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, डा. दिगम्बर सिंह ने प्रति सदन की मेज पर रखी)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कौनसी तारीख का है, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, यह है कौनसी तारीख का? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है और आफिसर्स गैलेरी में देखिये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): डाइरेक्शन दिया हुआ है उसके मुताबिक ग्रामीण इलाके की गरीब महिला को आप सहायता देंगे क्या? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वायत्त शासन मंत्रीजी आराम से घूमते हुए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: धोद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है, मंत्रीजी जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कौन गये हैं?

श्री अमराराम (धोद): यह स्वायत्त शासन मंत्रीजी आराम से घूमते हुए जा रहे हैं और आसन पैरों पर है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने इसका गलत इण्टरप्रिटेशन किया है।

श्री अमराराम (धोद): सरकार में बैठे हुए मंत्री आसन का सम्मान नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा?

श्री अध्यक्ष: उनको संसदीय नियमों की इतनी ही जानकारी है। इतनी ही जानकारी है संसदीय नियमों की।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह गलत है।

श्री अमराराम (धोद): नियमों की जानकारी कराएं आप। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, यह इण्टरप्रिटेशन गलत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर एवं अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

1. श्री बाबूलाल एवं आठ अन्य सदस्यों की ओर से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की भर्ती व पदोन्नति के बैकलाग की पूर्ति, आरक्षण एवं कतिपय अन्य विषयों के सम्बन्ध में।

2. डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य की ओर से निजी शिक्षण संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान में कटौती के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में विभिन्न अवसरों पर चर्चा हो चुकी है। बार-बार चर्चा की अनुमति देना सम्भव नहीं है अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं।

3. डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से महावीर जयन्ती के पावन पर्व पर शराब एवं मांस की खुली बिक्री के सम्बन्ध में।

इस विषय को पर्ची के माध्यम से भी उठाया जा रहा है, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं, लेकिन माननीय सदस्य को उस समय दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

4. श्री खुशवीर सिंह एवं 19 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकोल के अनुसार प्रदत्त सुविधाओं में अन्तरविरोध होने के सम्बन्ध में।

5. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अपने नाम भूमि हस्तान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री खुशवीर सिंह एवं श्री जुबेर खान को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

मैंने पूर्व में भी कहा है कि 250 शब्दों तक सीमित रहना चाहिये। माननीय सदस्य, बहुत विस्तृत रूप में लिख कर यहां पढ़ना चाहते हैं लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है तो जो बहुत विस्तृत हैं उन्हें बड़ा मुश्किल है मेरे लिए अनुमति देना।

1. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से रेवदर तहसील में महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।
2. श्री बद्रीलाल जाट, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन में सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद आरम्भ करने के सम्बन्ध में।
3. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा, सदस्य की ओर से तहसील फागी एवं चाकसू में मुंसिफ न्यायालय खोलने के सम्बन्ध में।
4. श्रीमती राजकुमारी शर्मा, सदस्य की ओर से सीकर नगर परिषद में सफाई कार्मिकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में।
5. श्री जयराम जाटव, सदस्य की ओर से पंचायत समिति कोटकासिम के ग्राम नांगल सालिया में 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में।
6. श्री टीकम चन्द कान्त, सदस्य की ओर से चिकित्सालयों में अंशकालीन कार्यकर्ता वार्डब्याय/धोबी/कुक/स्वीपर को स्थायी कर नियमान्तर्गत वेतन देने के सम्बन्ध में।
7. श्री रामनारायण मीणा, सदस्य की ओर से जिला बूंदी के लाखेरी, नैनवां, इन्द्रगढ़, हिण्डौली क्षेत्र के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालयों में फेबरीकेशन एवं परिवहन के कार्यों में भ्रष्टाचार पनपने के सम्बन्ध में।
8. श्री बाबूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से कृषि उपज मण्डी समिति, जोधपुर की मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।
9. श्री बीरूसिंह राठौड़, सदस्य की ओर से लालकोठी योजना कच्ची बस्ती के वर्ष 1981-82 में आबंटित भूखण्डों के लीजडीड पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में।
10. श्रीमती स्नेहलता, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डग में संचालित रोडवेज बसों के संचालन में सुधार करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री सी.डी. देवल, सदस्य की ओर से राज्य में पूर्व विधायकों को प्राप्त सुविधाएं अन्य राज्यों की तुलना में नगण्य होने के सम्बन्ध में।

12. श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ में राजस्व सम्बन्धी समस्याओं का समाधान करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उपरोक्त विषयक सूचना को मैं सदन में पढ़ा हुआ मान लेती हूं क्योंकि आज और भी बिजनैस बहुत है। श्री खुशवीर सिंह ।

(विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: केवल अंकित वही होगा जिस माननीय सदस्य का नाम मैंने पुकारा है ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण में राजस्थान विधान सभा एकादश क्रिकेट टीम ने कल भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की क्रिकेट टीम को मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में सात विकेट से हराकर शानदार जीत हासिल की है। इसके लिए आपको और सदन के सभी सदस्यों को, कप्तान युनूस खानजी को, उप कप्तान रघुवीर मीणाजी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों को मेरी ओर से सदन की ओर से बहुत बहुत बधाई।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): खास तौर से मैन आफ दी मैच रहे संयम लोढ़ा जी को, जिन्होंने मैच जिताया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: जब नाम मैंने नहीं पुकारा है ...(व्यवधान) अंकित क्यों कर रहे है?

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: पहले कितनी बार आप यह प्रश्न उठा चुके हैं। नो, नो, अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिये यह बात आप कितनी बार आप उठा चुके हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: आप सदन का समय जाया कर रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: मैंने आपका नाम नहीं पुकारा। आप सदन का समय न लें, मेहरबानी करें, आप इस प्रश्न को कई बार उठा चुके हैं। सरकार की तरफ से कई बार जवाब दिया जा चुका है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित हो ही नहीं रहा, सदन का समय इस प्रकार से फालतू ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: नो-नो। आसन की अवहेलना न करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, आसन की अवहेलना लम्बे समय तक बर्दाश्त नहीं होगी।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें, प्लीज स्थान ग्रहण करें। आप कैसे खड़े हैं? गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्यों खड़े हैं, किसलिए खड़े हैं ? प्लीज सिट डाउन।

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, आज नोन आफिशियल डे है, आपको लाना चाहिए था बिल।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लें आप। मैं आपसे पुन: आग्रह कर रही हूं, स्थान ग्रहण करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन कर रही हूं स्थान ग्रहण करें, दूदू से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: यहां आपकी आपाधापी नहीं चलेगी। स्थान ग्रहण करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री अध्यक्ष: आप मुझे मजबूर न करें नाम से पुकारने के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई):×××

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा):×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा):×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल):×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। जो-जो माननीय सदस्य खड़े हैं कृपया स्थान ग्रहण कर लें। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे कह रही हूं स्थान ग्रहण करें। मिस्टर मीणा, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) करौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप लोगों को जो बात कहनी थी, आपने कह दी, सरकार ने सुन ली। इसीलिये मैंने आपको इतनी देर का मौका दिया। आपकी सुन ली ... (व्यवधान) प्लीज स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें आप। (व्यवधान) माननीय सदस्यगण, आसन ने जो व्यवस्था दी है वह आप ... (व्यवधान) जो माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े हैं मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या आसन ने जो व्यवस्था दी है आपको वह मान्य नहीं है ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा): ×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। प्लीज स्थान ग्रहण करें आप। गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आपको कह रही हूं। दूदू से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। करौली से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। आसन पांवों पर है ... (व्यवधान) आसन पांवों पर, स्थान ग्रहण कर लें उचित रहेगा। (व्यवधान) अब आप क्यों खड़े हो गये ? खुशवीर सिंह ... (व्यवधान) खुशवीर सिंह ... (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री अध्यक्ष: चूंकि असेम्बली आज और कल दो दिन ही चलेगी इसलिये मैं नहीं चाहती कि ... (व्यवधान) आप दोनों क्यों खड़े है ? Why are you standing? फिर आप खड़े हो गये। आसन पांवों पर क्या मतलब है इस बात का ? आसन पांवों पर है। (व्यवधान) I say sit down. आपसे कह रही हूं बैठिये। आसन पांवों पर है। कितना ही गंभीर मामला हो आसन जब पांवों पर होता है तो खड़ा नहीं हुआ जाता। मैं नहीं चाहती आज नोन आफिशियल डे था ... (व्यवधान) पिछले पांच साल की अवधि में, पिछले टर्म में एक दिन भी नोन आफिशियल डे नहीं था, मैंने जान-बूझकर के कि लोगों को एक दिन तो आखिर मैं इस बात का दूं कि लोग अपने-अपने विषयों को नोन आफिशियल डे पर बोल सकें इसीलिये मैंने नोन आफिशियल डे रखा और आप इस समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं। जब मैंने कह दिया कि अंकित नहीं हो रहा है और आपने कह दिया तो प्रेस तो लिख देगा। यही तो मतलब था ना ? वह तो आपका मकसद पूरा हो गया। अब आप चलने दो आगे ... (व्यवधान) असेम्बली को चलने दो। अब विधान सभा को चलने दो ... (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन कर रही हूं इस विषय को आप कई बार उठा चुके हैं। कई बार चर्चा हो चुकी है। कई बार सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जा चुका है ... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री निर्भय लाल (रूपवास):×××

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: आप जिस तरह से व्यवधान डाल रहे हैं और सदन की गरिमा गिरा रहे हैं। आसन के अनुशासन में आप रह नहीं रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि दो दिन के लिये मैं किसी को बाहर निकालूं। मैं यही लिहाज करके बार-बार आपसे कह रही हूं, अब कृपा करके आप कार्यवाही आगे चलने दें।

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री रणवीर सिंह गुढा (गुढा):×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, इम्पोर्टेंट सवाल है यह और जिसके द्वारा आपके भी आ जाती है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या इम्पोर्टेंट है ... (व्यवधान) क्या इम्पोर्टेंट सवाल आपने उठाया ? क्या उठाया ? तो पूछ रही हूं ना ... (व्यवधान) पूछ रही हूं ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: पूछ रही हूं। तो इनसे पूछ रही हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इस सवाल के ऊपर उद्वेलित हैं और सरकारी पक्ष की तरफ से न कोई मंत्री बोल रहे हैं, न कोई विधायक बोल रहे हैं। इसका अर्थ समझा जा सकता है कि कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किस बात पर? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या कह दिया ? मुख्यमंत्री ने क्या कह दिया बजट भाषण में ? बजट भाषण में क्या कह दिया ? रिकार्ड कर लो क्या कह दिया ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हां, माननीय नेता प्रतिपक्ष ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं कम से कम उनकी बात तो सुन लीजिये। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, कम से कम उनकी बात तो सुन लीजिये। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं अब तो सुन लो क्या कह रहे हैं वह। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): क्या कह दिया ऐसा बता दीजिये आप ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप क्या प्रश्न उठा रहे हैं आप तो बताओ मुझे। आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप तो बताओ क्या कह रहे हो? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. 28 परसेंट हैं ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं प्लीज ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.सी., एस.टी. 28 परसेंट हैं जिसके बारे में आप भी चिंतित हैं।

पूरा सदन चिंतित है और सत्ता पक्ष मौन है, यह बैकलाग पूरा होना चाहिए। इस सरकार का क्या पक्ष है, क्या कहना चाहती है या तो वह वक्तव्य दे दे या अपने कमेंटस दे और आपके साइलेंस को यह समझा जाये कि आप कुछ कहेंगे नहीं, पक्ष में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री अमराराम (धोद):×××

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर का यह आरोप है इससे मैं इंकार करता हूं, मैंने अक्षरश: मुख्य मंत्रीजी के भाषण को सुना था ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अब आप बात तो सुनिये, एक बार कह दिया तो क्या होगा, यह ऐसा ज्वलंत मामला है कि यह बार-बार उठेगा। यह तो ज्वलंत मामला है, एक बार कह दिया तो क्या संतोष हो जायेगा। कोई कार्यवाही कीजिये तब संतोष होगा ना, मुख्य मंत्रीजी ने इतनी बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर दीं, आप पूर्ति कर देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री):×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय नेता, प्रतिपक्ष विधान सभा में एक बार जिस बात की चर्चा हो जाती है, दुबारा वह मामला नहीं उठाया जाता है। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सुनिये आप, विधान सभा में तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चर्चा कर दी तो इसका मतलब है कि हम चुप हो जायें, ऐसा हुक्म तो मत दें।

श्री अध्यक्ष: आप तो चुप मत होवें, आप तो बोलें ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): ऐसा तो मत कहें, यह तो चर्चा का ही प्लेटफार्म है, चर्चा का ही मंच है। अगर चर्चा नहीं होगी तो कौन पूछेगा विधान सभा को। जनता की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए और सरकार की तरफ से रिएक्शन आना चाहिए और सरकार मौन बैठी रहे तो यह शोभनीय बात नहीं है। निंदनीय है और दु:खदायी है।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक):×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष के बोलने के बाद किसी को आवश्यकता होती है क्या बोलने की? नेता प्रतिपक्ष बोल गये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां):×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष से यह जानना चाहता हूं कि आपका क्या इरादा है? जोन ऑफ कंसीडरेशन भारत सरकार की तरह करने का है? कि नहीं है और रोस्टर प्रणाली जो है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनका इरादा तो मौन बैठे रहने का है, अब कहिये, आगे बोलिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: जब तक हाउस आर्डर में नहीं आयेगा, तब तक किसी की बात नहीं लिखी जायेगी। पहले आर्डर में आये हाउस।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: हाउस आर्डर में आये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लिखा नहीं जा रहा है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हाउस आर्डर में हो ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): लिखा नहीं जा रहा है क्या? . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह पहले आप कहें, बाकी माननीय सदस्य मुझे यह एश्योर करें कि आपके बोलने के बाद कोई नहीं बोलेगा और फिर यह विषय नहीं उठेगा तो बोल दीजिये।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री अध्यक्ष: सरकार को मैं यह नहीं कह सकती हूं कि सरकार बोलेगी कि नहीं बोलेगी ...(व्यवधान) यह आसन नहीं कह सकता है, 'Aasan' cannot compel. आसन किसी को भी इस बात के लिए कम्पेल नहीं कर सकता है कि आप इस बारे में जवाब दें। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: 'Aasan' cannot compel anybody.

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार को आपको बुलवाना चाहिए ...(व्यवधान) इस कुर्सी की शोभा बढ़ेगी सरकार से बुलवायें। यह सरकार में सब +++ क्यों बैठे हैं ...(व्यवधान) यह तो कोई मतलब नहीं होता, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर बैठे हैं, ग्रेट शिक्षा मंत्री बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आखिर यह क्या है? ... (व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा (करौली):×××

श्री अध्यक्ष: नेता, प्रतिपक्ष, एक ही काफी था यहां तो हर शाख पर बैठा है ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अगर सत्ता पक्ष कुछ भीनहीं

(श्री रामनारायण चौधरी)

बोलता है, आश्वासन नहीं देता है तो अध्यक्ष महोदय, हम अपने आपको इस चर्चा से विदड्रा करते हैं और बहिर्गमन करते हैं।

बहिर्गमन

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):×××

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई):×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल):×××

श्री अध्यक्ष: अब आप तो बिराजें।

श्री जयराम जाटव (खैरथल):×××

श्री अध्यक्ष: अब आप बिराजें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: जब इस बात की चर्चा हो चुकी है, माननीय सदस्य, जिस बात की चर्चा हो चुकी है ...(व्यवधान)

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): ×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल):×××

श्री अध्यक्ष: अब आप तो विराजो, स्थान ग्रहण करो।

श्री जयराम जाटव (खैरथल):×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस बात की चर्चा हो चुकी है, आपने विरोध दर्ज करवा दिया, आप बहिर्गमन कर गए। अब आप पुन: इस बात को न उठाएं। (व्यवधान) नो, नो, अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री अध्यक्ष: आप प्रस्ताव क्या था? आप वैश्म में बात करना।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री अध्यक्ष: जीरो ऑवर में न पाइण्ट ऑफ ऑर्डर होता है और न पाइण्ट ऑफ इन्फोर्मेशन होता है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री अध्यक्ष: अभी अंकित नहीं किया जा रहा है। जब तक मैं नाम न पुकारूं तब तक अंकित नहीं होगा इसलिए आपको समय बाद में दिया जाएगा, आप बैठें। श्री खुशवीर सिंह।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

प्रोटोकोल अनुसार प्रदत्त सुविधाओं में अन्तरविरोध

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारा देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद।

श्री अध्यक्ष: तीन मिनट का समय है, यदि आप गुलामी में चले जाएंगे तो आपकी बात ही रह जाएगी।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत मुश्किल के बाद तो हमारा देश आजाद हुआ था और आजादी के बाद सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि प्रजातंत्र की स्थापना हुई है और प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा अगर जनप्रतिनिधि ही नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...।

श्री अध्यक्ष: आप रक्षा के साथ सम्मान की बात भी करो फटाफट।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र के सम्मान की ही बात है। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस होता है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने प्रोटोकाल की एक वरीयता बना रखी है और उस वरीयता के अनुरूप माननीय सांसदों और माननीय विधायकों को सुविधा प्राप्त नहीं हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 26 जनवरी को तहसील हैडक्वाटर्स और उप खण्ड कार्यालयों पर जहां कहीं भी ध्वजारोहण होता है तो माननीय विधायक पंक्ति में खड़ा रहता है और वहां उससे प्रोटोकाल की वरीयता सूची में नीचे का एस.डी.एम. या तहसीलदार द्वारा झण्डारोहण किया जाता है। यह बहुत ही शर्मनाक बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक सी.एच.सी. पर मेडिकल रिलीफ सोसायटी गठित है और वहां उसका एस.डी.एम. अध्यक्ष होता है जबकि एक विधायक के कार्यकाल में तीन एस.डी.एम. बदले जाते हैं और वह विधायक मात्र सदस्य बनकर एस.डी.एम. के

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

अधीनस्थ साइड में बैठा रहता है। यह प्रोटोकाल की वरीयता के हिसाब से उचित नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरा निवेदन करना चाहता हूं कि जिन माननीय विधायकों के निवास स्थान जिला मुख्यालयों पर हैं और जो अधिकारी, तथाकथित अधिकारी जो कार्मिक है या सरकारी कर्मचारी, उनके भी निवास जिला मुख्यालय पर है लेकिन वह तो सर्किट हाउस में रुक सकता है और सारी सुविधा प्राप्त कर सकता है और प्रोटोकाल की वरीयता में विधायक उनसे बहुत ऊपर है, उसके बावजूद भी उन विधायकों से पूरा का पूरा पैसा वसूल किया जाता है और वहां के मैनेजर अपनी इच्छा से सुओमोटो डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं आपका यहां निवास है इसलिए हम आपसे पूरा पैसा वसूल करेंगे जबकि ऐसे कई उदाहरण हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिला कलक्टर एक वर्ष तक सर्किट हाउस में रुके जबकि उनके नाम से सरकारी निवास अलॉट था । टोंक में भी, और भी ऐसे कई प्रकरण हैं। जयपुर की बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चेयरमैन, रेवेन्यू बोर्ड, वह भी एक वर्ष तक सर्किट हाउस में रुके।

दूसरी बात, जयपुर के अंदर जो अधिकारी हैं, तथाकथित अधिकारी, अधिकारी शब्द भी बहुत गलत है, लेकिन वह आज सर्किट हाउस में रुकने के लिए एनटाइटल है जयपुर में, उनका निवास, उनकी पोस्टिंग और रिटायर जितने भी अधिकारी हैं, वह तो रुक सकते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक नहीं रुक सकते और पूर्व विधायक की बात तो आप छोड़ो, वह तो कहीं भी रुकने के लिए नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके ऊपर सरकार का इतना व्यय हो रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी विधान सभा की कमेटियों के जितने भी चेयरमैन हैं, वह सरकारी यात्रा पर जब जाते हैं तो वह सैकण्ड ए.सी. के लिए एनटाइटल हैं, जितने भी अधिकारी तथाकथित हैं वह जाते हैं फस्ट ए.सी. में, हम नहीं कहते कि हमें फस्ट ए.सी. के लिए एनटाइटल करो पर सरकार के ऊपर व्यय बढ़ रहा है, इसलिए उनको भी बाध्य किया जाए कि सैकण्ड ए.सी. में ही यात्रा करो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व विधायक राजस्थान हाउस और सर्किट हाउस में नहीं ठहर सकते हैं तो मैं चाहूंगा कि पूर्व मंत्री और जितने भी सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, राजस्थान हाउस और सर्किट हाउस की सुविधा उन्हें भी

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

उपलब्ध नहीं होनी चाहिए, सरकार के ऊपर फिजूलखर्ची और भार बढ़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अधिकारी जो चार-चार बीघा की आलीशान, बड़ी-बड़ी कोठियां लेकर जयपुर में विराजमान हैं, मैं चाहूंगा कि करोड़ों रुपये का व्यय उन पर हो रहा है मैंटीनेंस का तो...

श्री अध्यक्ष: आप प्रोटोकाल की बात करते-करते कहां आ गए?

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रोटोकाल में एम.एल. की वरीयता उनसे ऊपर है और उनको सर्वेण्ट जैसे क्वार्टर मिले हुए हैं जबकि एम.एल.ए. जो जनप्रतिनिधि है उनके पास लोग मिलने आते हैं, लोग उम्मीद लेकर आते हैं और हमारे कार्यकर्ता होटलों में और सड़कों पर ठोकरें खाते हैं और सरकारी अधिकारियों के पास मिलने के लिए कोई नहीं आता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि फ्लैट बनाकर उनको अलॉट किए जाएं और यह बड़ी-बड़ी राजशाही कोठियां मिली हुई हैं, यह उनसे तुरन्त खाली करवाई जाएं। आप सरकार को निर्देश दें, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि इसके ऊपर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त करें और रिटायर अधिकारियों की सुविधा पूरी समाप्त करें। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे रिटायर और एक्स एम.एल.ए. को सुविधा दो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि लाल बत्ती अधिकारियों के तो बंद करवाइए कम से कम, मंत्रियों के चाहिए, आपके चाहिए, मुख्य मंत्री के चाहिए लेकिन अधिकारियों के लाल बत्ती लगाकर आप इस आजाद भारत की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? (व्यवधान) इनकी लाल बत्ती बंद करवाइए, कोई आवश्यकता नहीं है लाल बत्ती लगाने की, मात्र जनप्रतिनिधि के होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकूलर है, इसी सम्बन्ध में है। इसमें है कि अगर विधायक का नाम वोटर लिस्ट में जिला मुख्यालय पर है तो वह नहीं ठहर सकता है। उसका मकान होगा तो भी नहीं ठहर सकता और सरकारी अधिकारी वह वहां के रहने वाले हों उनके मकान हों और सरकारी आवास भी उनको उपलब्ध हो तो वह भी ठहर सकते हैं। लगातार आपके निर्देशों के बाद हाउसिंग कमेटी के निर्देशों के बाद इस

(श्री हरिमोहन शर्मा)

परिपत्र को वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। इन्होंने आदेश दे रखे हैं कि सरकारी गाड़ियां उपलब्ध नहीं होने पर निजी गाड़ियों की व्यवस्था करवाई जाएगी। सरकार ने डाइरेक्शन दे रखे हैं लेकिन एक भी कलक्टर इस परिपत्र की अनुपालना में गाड़ियां उपलब्ध नहीं करवा रहा है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा सचिवालय से आज ही पत्र प्राप्त हुआ है, गाड़ियों के लिए, सरकारी वाहनों के लिए,...(व्यवधान) मंत्रीजी, आप भी कभी न कभी भूतपूर्व बनेंगे, सोचो आप, आज इनकी तरफ मत देखो।

श्री अध्यक्ष: संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह बात तो बिलकुल सही है कि जिला मुख्यालयों पर जहां सर्किट हाउस है वहां पर जब आपने कोई अलाट नहीं कर रखा, आपका कोई अहसान नहीं है, यदि उसका घर का कोई मकान है तो होगा, आपको उससे क्या लेना देना है, वह रहना चाहता है सर्किट हाउस में यदि वह एनटाइटल है सर्किट हाउस में रहने का इसलिए यह जो भेदभाव है कि सरकारी कर्मचारी का तो मकान है तो भी वह सर्किट हाउस में वहां पर ठहर सकता है और विधायक के लिए नहीं हो, यह गलत है, इसका तो आप दूर करवाइए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारी। जिला मुख्यालय पर है, वह भी नहीं रुक सकता है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत कर दूं, जयपुर के अंदर..

श्री अध्यक्ष: आपने अलाट थोड़ा कुछ मकान आलाट कर रखे हैं, आपने जहां जैसे जयपुर में अलाट कर रखा है, वहां जयपुर के सर्किट हाउस में मत रहने दीजिए, ठीक बात है और कहीं जहां पर उसको मकान अलाट नहीं है, मान लीजिए उसकी बीवी जिला प्रमुख है, उसको अलाटमेंट है, वहां पर मकान दिया हुआ तो उस आदमी को मत रुकने दीजिए अगर कोई व्यक्ति है और उसकी बीवी यहां पर है, वह रुकना चाहे तो उसे मत रुकने दीजिए क्योंकि वहां उसको हाउस अलॉट है लेकिन जिसको कोई अलॉट नहीं कर रखा है उसको आप इस आधार पर कि आपका एनसेस्ट्रल मकान होगा। उसमें कोई और रहता होगा, जनता से मिलने के लिए, आम अवाम से मिलने के लिए वहां पर कोई

(श्री अध्यक्ष)

सुविधा नहीं होगी, ऐसी हालत के अंदर यह सरकार का जो अब का निर्णय है यह मैं समझती हूं उचित नहीं है। इसको ठीक करिए आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, 26 जनवरी पर ध्वजारोहण की बात भी तो आप करें।

श्री अध्यक्ष: 26 जनवरी और 15 अगस्त पर भी एसडीओ करे उसकी बजाय यदि विधायक अवेलेबल है तो विधायक को प्राथमिकता होनी चाहिए। झण्डारोहण की विधायक को प्राथमिकता होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपकी भावनाओं के प्रति हम आभारी हैं, लेकिन हमें इस बात का दुःख है कि +++ जितना आपको करना चाहिए। अभी एससी, एसटी के बैकलॉग और उनके जॉन आफ कंसीडरेशन पर आपसे जद्दोजहद की ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन के ऊपर एस्पर्शन कास्ट किया, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, यह गलत बात है नेता प्रतिपक्ष की।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी बात सुनो साहब।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको उस पर कह रही हूं ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी बात सुनें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपकी यह गलत बात है, आप आसन के ऊपर यह आक्षेप लगाएं +++ यह गलत बात है। मैं पूरा ध्यान रखती हूं, खास तौर से आपका तो पूरा ध्यान रखती हूं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी सुनो। मेरी सुन लो आप।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष को बोलने का पूरा मौका देती हूं, उसके बाद आप इस तरह की बात कर रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मेरी बात सुनो तो सही आप दो बात। (व्यवधान) हमने इतना जद्दोजहद किया, आपसे निवेदन किया, लेकिन माननीय मंत्री लोग +++ हुए बैठे हों, आप इनको कह नहीं सकते हो? लेकिन आपने ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह +++ क्या होता है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसका अर्थ है उल्लू।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): राजस्थान के एक विचित्र पक्षी का नाम है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हम बहिर्गमन कर गये, हमारे पीछे से यह गरज रहे थे।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा सरकार इसके बारे में कुछ आश्वासन तो दे।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे पीछे से ये गरज रहे थे। इसलिए मान्यवर, इनका हमारे पीछे से गरजना आपका अपमान है। जब आप विराजी हुई थीं, बुलवाना चाहती थीं तब तो बोले नहीं और हम बाहर चले गये उसके बाद में किसको सुना रहे थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप ही को।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): पार्लियामेंटरी मिनिस्टर साहब, थोड़ी शर्म करो कि प्रतिपक्ष चला गया, उसके बाद में आप गरज रहे हो। आपको तो कुछ नहीं बोलना चाहिए और बोलते तो आप पहले बोलते। बाद में कह रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री तो राजस्थान के हैं या आपके अकेले के हैं? मुख्यमंत्री तो राजस्थान के हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री। (व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप भी प्रतिपक्ष के नेता पूरे राजस्थान के हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप हमारे सामने ही कह दो।

श्री अध्यक्ष: हमारे में आप भी आते हैं, आप भी हमारे में सम्मिलित होते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वे तो राजस्थान के हैं। न हमारे हैं, न आपके हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है उन्होंने मुख्यमंत्री की। यह नहीं ली कि आपके हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ये हमारे भी हैं और आपके भी हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हम आपके आभारी हैं, आसन के आभारी हैं कि आसन ने ..(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): मुख्य मंत्री हैं पूरे राजस्थान के।

श्री अध्यक्ष: हमारे, आपके, सबके हैं वो मुख्य मंत्री। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता का आप कितना सम्मान करते हो, यह राजस्थान की जनता जानती है, झुंझुनू की जनता तो बहुत अच्छी तरह जानती है। अध्यक्ष महोदय, आपने दो-तीन निर्देश आसन से दिये ..(व्यवधान)

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): अध्यक्ष महोदय, यह जो पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर ने ..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष: ये बोल रहे हैं। देखो, यह गलत बात है।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): एक मिनट। आधा मिनट में कठ दूं। (व्यवधान) आप अलाऊ करें तो मैं बोलूं।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोलने के लिए खड़े हैं उसके बाद भी आप सुझाव दे सकते हैं, लेकिन मंत्रीजी खड़े हैं।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर जवाब दे दें, मैं आधा मिनट के लिए निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि हाउस में कोई भी चीज आ जाती है तो हाउस की प्रोपर्टी हो जाती है। अब जब हाउस की प्रोपर्टी है, यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है, छोटा-मोटा मामला नहीं है, प्रोटोकोल का मामला है। लोकतंत्र और जनतंत्र, इसका मतलब यह है लोकतंत्र यानी लोक का तंत्र है यह।

अध्यक्ष महोदय, जितने भी कानून बने हुए हैं ये अंग्रेजों के जमाने के बनाये हुए हैं और वे लोग हमारे पर राज करते थे इसलिए आफिसर्स को वेटेज देने के लिए उन्होंने इस तरह की परिपाटी डाल रखी थी। अध्यक्ष महोदय, आज भारत आजाद है, स्वतंत्र है और आज भारत सरकार ने कुछ नियमों में परिवर्तन किये हैं, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा आज भारत सरकार का सेक्रेट्री भी एक फ्लेट में रहता है, उसको कोई कोठी अलॉट नहीं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप किस विषय पर बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया।

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: काहे पर बोल रहे हैं आप?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): आपने दो चीजों के डाइरेक्शन दिये। मेरा निवेदन यह है कि दो चीजें नहीं, मैं पार्लियामेंट्री ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वे जवाब दे रहे हैं, फिर आप क्या कह रहे हैं?

डा. एन. एस. गुर्जर (टोडारायसिंह): मैं सरकार से और आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जितनी भी चीजें हैं इन सबको लेकर आप बैठें और विचार करें और विचार करने के बाद आप उचित समझते हैं कि कहां लोक को महत्व दिया जाना चाहिए और कहां तंत्र को महत्व दिया जाना चाहिए, इस पर आप विचार कर लें और उसके बाद इसमें संशोधन करें, जहां आपको उचित लगता हो। मैं यह नहीं कहता कि इसमें करें या इसमें नहीं करें, यह जो सदन की भावना है या कभी इस पर चर्चा करवा लें ताकि इस संबंध में बार-बार एमएलए खड़े होकर छोटी-छोटी चीजों को हाउस में उठाते हैं और अखबारों में उसकी आलोचना होती है, कभी लाल बत्ती के लिए एमएलए झगड़े, कभी सर्किट हाउस के लिए एमएलए झगड़े, कभी इसके लिए एमएलए झगड़े। हम कोई भीख मांग रहे हैं क्या अध्यक्ष महोदय? यह कोई भीख नहीं है, यह आम जनता के लिए फेसेलिटीज का सवाल है। एमएलए अपने लिए कुछ नहीं मांगता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं सरकार इन सारे मुद्दों पर एक साथ विचार कर ले और एक साथ कुछ करे। आपने मुझे अलाऊ किया इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्ष: सरकार पता नहीं कब करेगी, दो बातें महत्वपूर्ण थीं जो कुछ मैं कह रही हूं। फिर इस पर क्या कहना है? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन में कहूंगा। 1992 में माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर महोदय, यह था कि केवल राजस्थान में जहां सरकार ने क्वार्टर अलॉट कर रखा है वहां के अलावा सब जगह रुकते थे। यह बीच में बदला है, आप देख लीजिए। मेरे पास दोनों कॉपी हैं, आप कहें तो आधा घण्टे में ला दूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ठीक है, हो गई ना बात। फिर इसके बारे में आप कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसलिए कृपा करके अध्यक्षजी, हम आपके आभारी हैं आपने भावना व्यक्त की। अध्यक्षजी की भावना के मुताबिक आप सदन को आश्वस्त कर दें और नियमों में अमेण्ड कर दें, हम तो इतना-सा चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सही है तंत्र लोक के लिए बनता है और आपने जो कुछ बात कही विशेष तौर पर आपने दो निर्देश दिये हैं। एक निर्देश तो यह दिया है कि उपखण्ड पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झण्डारोहण जनप्रतिनिधि और विशेष तौर पर विधायक से कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए झण्डा एक्ट बना हुआ है, फ्लेग एक्ट है। मैं फ्लेग एक्ट को दिखवा लूंगा, क्योंकि भारत सरकार का वह फ्लेग एक्ट है, उसमें कोई इस तरह का प्रोविजन न हो जिसमें प्रतिबंध हो तो निश्चित तौर पर उसमें अगर कोई संशोधन की जरूरत पड़ी तो संशोधन करेंगे।

दूसरा, आपने यह कहा कि जिला मुख्यालय के जो विधायक हैं, जिनको मकान आबंटित नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय, यह 1992 नहीं, पहले से परिपाटी चली आ रही है, लेकिन आपने निर्देश दिये हैं निश्चित तौर पर दिखवाकर और जिला मुख्यालय के विधायक को वहां सर्किट हाउस में रुकने की दो या तीन दिन जितने भी हो सकेंगे उतनी अनुमति दी जाए, उसके लिए निश्चित तौर पर कहूंगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): मंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिये थे सरकारी वाहन के बारे में।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मंत्रीजी, आपको भी अच्छी तरह से याद है और अध्यक्षजी ने सही कहा है कि 1990 तक एमएलए जब मौजूद होता था तो 15 अगस्त, 26 जनवरी को तो झण्डारोहण वही करता था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कभी नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): क्या बात करते हो आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप और हम एमएलए थे।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह तो उसके बाद में चेंज कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप और हम भी एमएलए रहे हैं, 90 से हैं, कभी नहीं रहा। मैं दिखवा लूंगा, निश्चित तौर पर दिखवा लूंगा।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय ने सरकारी वाहन के बारे में मंत्री महोदय को कुछ निर्देश दिये, इसके बारे में कहूंगा कि सरकारी वाहन विधायकों को उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। जितने भी वाहन यहां से भेजे गये

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

वे वाहन नियमों के विरुद्ध जिला कलकटर ने एसडीएम को अलॉट कर दिये नियमों के विरूद्ध। इसलिए मैं चाहूंगा ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय जुबेर खान। अब नहीं बोलें। (व्यवधान)

नगर विकास न्यास, अलवर का भूमि हस्तांतरण प्रकरण

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गरीब किसानों की ऐसी समस्या सरकार के सामने लाना चाहूंगा कि हाल ही में राज्य सरकार ने आदेश भेजे हैं कि शहर की पेराफेरी में जो गांव आते हैं उन गांवों की सरकारी भूमि को और सिवाय चक भूमि को यूआईटी के नाम दर्ज करा दिया जाए, उनकी एंट्री चेंज कर दिया जाए। मैं निवेदन करना चाहूंगा अलवर में 1998 में मास्टर प्लान बना और उसके बाद उसी को 2011 तक एक्सटेंड कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आबंटन कमेटी ने गरीब लोगों को खासतौर से एससी के लोगों को जो आबंटन किये थे 1964 में, आबंटन कमेटी की प्रोसीडिंग है, जब कुमारी उमा माथुर रामगढ़ से विधायक होती थी, आप भी इतने वरिष्ठ हैं, आपको भी ज्ञात होगा 1964 में गरीब लोगों को जिनके पास भूमि नहीं थी, उन्होंने भूमि का आबंटन किया 1964 में। यह शर्त रखी कि 10 वर्ष तक इनके कब्जा रहने के बाद इनको खातेदारी अधिकार मिल जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इनमें जो पढ़े-लिखे लोग थे उन्होंने तो खातेदारी ले ली और जमीनें बेच भी दीं और जो गांव के गरीब व इनोसेंट लोग थे वे आज भी उस जमीन पर काबिज हैं। 91 की रसीदें उनकी कट रही हैं, गिरदावरी में उनके नाम आ गये हैं, जोत में उनके नाम हैं, जिस तरह से 1975 और 77 के बीच में इंदिराजी के 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत लोगों को जमीनें आवंटित हुईं। उसके बाद 1985-86 में जमीनों का आबंटन हुआ, इन आबंटनों के आधार पर गांव के गरीब और किसान लोग इन जमीनों पर बैठे हुए हैं। लोगों ने वहां मकान बना लिये, आवास बना लिये, कुए भी खोद लिये, धर्मशालाएं बना लीं और यथास्थिति से 30-40 साल से लगातार रह रहे हैं, किसी कारणवश उनको खातेदारी नहीं मिल पायी। अब अगर यूआईटी के नाम सिवाय चक का जहां 30-40 साल से गरीब बैठे हैं अगर वो यूआईटी के नाम म्युटेशन खुल गया तो उनके लिए भारी समस्या हो जाएगी और अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं किसान की बेटी हैं, जो किसान 40 साल से जमीन जोत रहा है, वह मरने को

(श्री जुबेर खान)

तैयार हो जाएगा पर जमीन का कब्जा नहीं छोड़ेगा, इससे लॉ-एण्ड-ऑर्डर की सिचुएशन और बिगड़ेगी। वहां 20-25 गांव हैं ढाढोला, बहाला, सांखला, देसूला, अग्यारा जहां यह समस्या आ रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह दिखवा लीजिए, जो लोग सवाई चक के ऊपर काबिज हैं, पिछले 30-40 साल से उनको आप खातेदारी दिलाने के लिए कार्यवाही करें और यूआईटीज को आप सर्कूलर भेजें कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और उनकी जमीन को यूआईटी के नाम हस्तांतरण नहीं करें ताकि वहां के गरीब किसानों को, उनके पास भूमि नहीं है, इनमें तो बहुत-सी तो विधवा हैं और एस.सी. के लोग हैं 90 परसेंट, कोई और जमीन उनके पास है नहीं। इसके अलावा, उन्होंने सोचा कि हम 40 साल से इस जमीन पर बैठे हैं, हमारी जमीन हो गई होगी। आज जब पटवारी उनको जाकर के बताता है कि इस जमीन को तो हम यूआईटी के नाम दर्ज कर रहे हैं तो उनमें बैचेनी हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को इस महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर जहां गरीब लोग हैं, ध्यान देकर उनकी भूमि जो आपने आबंटन कमेटी को भी उनको अलाट किये हैं, उस भूमि का नियमन कराएं, जो आबंटन कमेटी पर आज रोक लग गई, क्योंकि यह पेराफेरी में आ गये तो अब आबंटन कमेटी ने भी यह रिकमण्डेशन दी है कलक्टर को क्योंकि इसमें पेराफेरी में हम आबंटन नहीं कर सकते हैं लेकिन हम इस बात से सहमत हैं कि इन आदमियों के नाम इनकी भूमि का नियमन होना चाहिए। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं सरकार इसके ऊपर उचित कार्यवाही करे।

श्री अध्यक्ष: आप बोल तो नियमन की बात पर रहे हैं और आपने जो स्थगन प्रस्ताव दिया, वह दिया है कि आवासन मण्डल ग्रहण कर रहा है, वह तो आपने वह दिया है। (व्यवधान) आपने आवासन मण्डल लिखा है ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नगर विकास न्यास है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हां, नगर विकास न्यास।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हां, राजस्व मंत्रीजी, लॉ-एण्ड-ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाएगी, आप इसके ऊपर कोई उचित कार्यवाही कराइए।

श्री अध्यक्ष: जानकारी लेंगे तो, एक सैकण्ड में ऐसे थोड़े ही बोल देंगे, यह उनको थोड़े ही मालूम है कि इसके बारे में क्या है, क्या नहीं है। खैर,

(श्री अध्यक्ष)

मंत्रीजी, आप इस बात पर गौर करिए कि पता लगाओ, क्या है, क्या नहीं, देख लो, क्या किया जा सकता है। श्री मदन राठौड़। (व्यवधान)

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): और उसके अन्दर पेराफेरी क्षेत्र के अन्दर जो ग्रामीण आ गये हैं और उनके अलाटमेंट का जो मामला उठाया है, उसके बाबत देख लेते हैं कि पुराना मामला है और पेराफेरी के अन्दर नियमन यूडीएच, नगर परिषद् और नगरपालिका के लागू होते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नगरपालिका के कैसे होंगे, मंत्री महोदय, यह तो ग्राम पंचायत है। (व्यवधान) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और तहसील है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हकदार तो हैं नहीं वह। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप यह मत कहिए, क्योंकि 91 में पेराफेरी में आए हैं। (व्यवधान) लोगों को 1964, 1975 में अलाटमेंट हुए हैं, पेराफेरी में आने के पहले अलाटमेंट हो चुके हैं, लोगों को कब्जा दिया गया है आपके तहसीलदार द्वारा।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): यह सारा मामला दिखवा लेंगे। वैसे तो कोई है यदि तो यह सारा मामला दिखवा लेंगे, दिखवाने के बाद ही कहने की स्थिति में रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: अलाटमेंट कब किया गया, किसने किया व वैधानिक तौर पर बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं वह सब दिखवा लेंगे, क्या दिक्कत है। श्री मदन राठौड़।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): 50 साल का कब्जा काश्तकारों का यदि उन पर है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कहने को कह देते हैं 50 साल का होता तो अब तक खातेदारी नहीं ले लेते क्या यह। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह दी नहीं, वह यूआईटी ने।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): 64 में उमा माथुरजी एमएलए थी तब की अलाटमेंट कमेटी के कागज भी लोगों के पास हैं।

श्री अध्यक्ष: यदि कमेटी ने बिलकुल वैधानिक तौर पर अलाटमेंट किया है तो निश्चित रूप से अब तक उनको मिल जाती खातेदारी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यूआईटी ने किया है, उमाजी माथुर जब थी। (व्यवधान) रिकार्ड है वह तो गवर्नमेंट का रिकार्ड है, देख लो।

श्री रामनारायण डूडी (राजस्व मंत्री): रिकार्ड है ?

श्री अध्यक्ष: हां, तो वही तो बात है। वही तो बात है कि कमेटी ने अलाटमेंट किया है तो ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): और यह पेराफेरी तो आप रोज नगरपालिकाओं की सीमा बढ़ा रहे हैं, पेराफेरी तो आज नहीं तो कल आ जाएगी।

श्री अध्यक्ष: नहीं तो, वह तो हो गयी न बात, उमा माथुर के समय का है, उमा माथुर तो 62 में थी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, 1964 के अलाटमेंट हैं।

श्री अध्यक्ष: 62 से लेकर के 67 तक थीं वो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पर इसमें से, अध्यक्ष महोदय, जो पढ़े-लिखे लोग थे उन्होंने खातेदारी ले ली जमीनें बेच दीं, यह बेचारे इनोसेंट जो हरिजन थे, ये किसी कारण से, वैसे तो पटवारी को स्वत: ही 10 साल बाद खातेदारी दे देनी चाहिए थी, तहसीलदार को दे देनी चाहिए थी, चलो गांव के अनपढ़ लोगों से कोई गलती हो गई, नहीं करा पाये तो तहसीलदार की जिम्मेदारी है, एक जब आबंटन में शर्त थी कि 10 साल इनका रेगुलर कब्जा रहने के बाद ...(व्यवधान) इनको खातेदारी दे दी जाएगी और आपके तहसीलदारों ने नहीं दी।

श्री अध्यक्ष: अलाटमेंट कैसे हैं, किसने किया, कब हुआ, देख लीजिएगा। श्री मदन राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार को आगाह करवाना चाहता हूं जो इन दिनों कश्मीर में सेना हटाने की बात कर रही है।

श्री अध्यक्ष: तो केन्द्र सरकार को आगाह कर रहे हो आप ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं आपके माध्यम से करवाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कश्मीर में ...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इसमें राजस्थान प्रदेश का क्या लेना देना है ?

श्री अध्यक्ष: विषय नहीं है इसीलिए तो आगाह कर रहे हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): देश का नागरिक हूं ...(व्यवधान) साहब, देश का नागरिक हूं, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है ...(व्यवधान) और मैं सोचता हूं कि आपने थोड़ी गंभीरता यदि रा खी होती तो निश्चित रूप से मेरे बोलने से पहले ही आप आगाह कर चुके होते लेकिन आपको कश्मीर की चिंता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप उन्हें जवाब देने के बजाय अपनी बात कहो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): जिन्ना साहब की मजार पर धोक करने अपने कुछ कह कर आए थे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कांग्रेस ने वहां कह दिया कि वहां से सेना नहीं हटाई जाएगी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

कश्मीर में तैनात सेना की संख्या कम नहीं करने का भारत सरकार से आग्रह

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह नियमित रूप से दूरदर्शन और समाचार पत्रों में आ रहा है कि पूर्व मुख्य मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद वहां की सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि यदि केन्द्र सरकार से वहां ने सेना नहीं हटाई तो हम समर्थन वापस ले लेंगे और समर्थन वापस लेने के डर से वहां के मुख्य मंत्री ने भी सीधा हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री से आग्रह किया है कि वहां से सेना हटाई जाए। अध्यक्ष महोदय, हम अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आदर के साथ कह रहा हूं, नई-नई परम्परा मत डालिए, फिर हम गुजरात के मुख्य मंत्री को भी डिस्कस करना चाहेंगे यहां तो कल आप अलाउ करेंगी क्या? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): तो क्या हो गया? (व्यवधान) देश की सुरक्षा का मामला है। कई पंडित घाटियाँ छोड़कर चले गये हैं। (व्यवधान)...

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कौन से मुद्दों पर यहां चर्चा हो सकती है और कौन से मुद्दे पर नहीं हो सकती।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): कई कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर जा चुके हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप नई परम्परा मत डालिए, आप इनसे कहिए कि ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): देश की सुरक्षा का मामला है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आज मुझे यह समझ में नहीं आया कि आपको तकलीफ क्या हो रही है? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): घाटी के कश्मीरी पंडित घाटी छोड़ चुके हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान) स्थान ग्रहण करिए।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): और जब मैं इस बात को रख रहा हूं कि देश का नागरिक होने के नाते आपको भी यह चिंता होनी चाहिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): अध्यक्ष महोदय, और कोई मामला हो तो ठीक है लेकिन सेना तैनाती करने का मामला है, वह वहां की जम्मू कश्मीर की सरकार करे। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मुझे इस बात का दु:ख है कि आपको चिंता क्यों नहीं हो रही है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): यहां राजस्थान की सरकार और यहां के लोगों का क्या लेना देना है। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आपको भी इस बात की चिंता करनी चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप यदि सुन लेते तो शायद एतराज नहीं करते। मैंने यह कहा कि केन्द्र को हम आगाह करना चाहते हैं, राजस्थान की विधान सभा के माध्यम से केन्द्र को हम संकेत देना चाहते हैं कि केन्द्र इस प्रकार की धृष्टतापूर्ण कार्यवाही नहीं करे, इस प्रकार की कायरतापूर्ण कार्यवाही नहीं करे। यदि कश्मीर में सेना हटा ली गई तो क्या स्थिति बनेगी। इसके बारे में हर देश के नागरिक को सुझाव देने का अधिकार है और देश के नागरिक को कहने का अधिकार है, मुझे यह समझ में नहीं आ रही है कि आप एतराज क्यों कर रहे हैं। आज कश्मीर में स्थिति कितनी खराब है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इस विधान सभा के कुछ नियम और परम्पराएं हैं, आप उनको मत तोड़िए, हमें एतराज इस पर बिलकुल नहीं है, हमको एतराज यह है कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के संचालन के कुछ नियम बनाए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां कुछ परम्परा रही हैं यहां और इस सदन में भारत के उप राष्ट्रपति महामहिम जैसे आदमी यहां से गये हैं और यहां पर यह परम्परा नहीं रही है। (व्यवधान) अगर आप इन परम्पराओं को तोड़ेंगे ...(व्यवधान) तो यह ठीक नहीं है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कश्मीर की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) बांग्लादेशियों को निकालिए उसके बाद कश्मीर की बात करिए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह कोई कांग्रेस की बपौती नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): यहां के मुद्दे तो आप रिजेक्ट कर देते हैं और कश्मीर का ले आए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आपको कतई तकलीफ नहीं है, मुझे इस बात का दुःख है और आप परम्पराओं की बात करते हैं। (व्यवधान) मैं बोल रहा हूं तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय सदस्य, पहले बांग्लादेशियों को निकाल दीजिए, उसके बाद आप बात करिए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जरा अपनी गिरहबान में झांक कर के देखो पहले, आप दूसरों की चिंता मत करो। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): यहां तो बैठे हुए हैं उनको तो निकालने की बात करिए, आप सीधे कश्मीर पर जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): उन बांग्लादेशियों को बसाने का काम भी आप लोगों का है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हमें कश्मीर की चिंता है, कश्मीर हमारा मुकुट है, आप इस बात को नहीं समझ पाते होंगे, आपने कई बार तुष्टिकरण की नीति अपनाई होगी। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): अध्यक्ष महोदय, माननीय महिला सदस्य बोल रही हैं, बोल रहे हैं कि गिरेबान में झांक कर देखो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): कई बार आप अपने दूसरों को खुश करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): क्या गिरहबान में झांक कर देखें, आपके गिरेबान में झांक कर देखें क्या? ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, बिलकुल। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप एक महिला सदस्य से कह रहे हैं कि गिरेबान में झांक कर देखो। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हां, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हम कुर्बानी देने के लिए आज भी तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): एक नेता भी है, जिसने कुर्बानी दी हो, वह बताइए आप। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसका मतलब यह है कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): नहीं, तो आपके कितने पार्टी के नेताओं ने देश के लिए कुर्बानी दी? (व्यवधान) आपके कितने नेता कुर्बानी में मरे हैं तो नाम बताइए उसका सदन में।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बैठिए, मैं बताता हूं अभी आपको।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मर गये नेता कुर्बानी से, कोई एक भी नेता मरा हो तो बताइए ? मर गये कुर्बानी से।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बिराजें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप माननीय महिला सदस्य को कह रहे हैं कि गिरेबान में झांक कर देखें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, मै बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप अपमान करते हो महिलाओं का। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): बंशीलालजी, मैं इनके लिए पर्याप्त हूं, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप तो गाय की बात करो, गाय के अलावा कोई बात मत करो आप। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, मैं बताता हूं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इस बात को कौन सा मोड़ देना चाहते हैं? (व्यवधान) आपकी मानसिकता ही खराब है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैं जो बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, हर बात में बीच-बीच में खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। (व्यवधान) नहीं, यह गलत बात है। आप क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ये कह रहे हैं कि महिला को कह रहे हैं कि गिरेबान में झांके जबकि माननीय सदस्य ने यह कहा कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर के देखे कि पूर्व में इन्होंने क्या किया। इनका यह आशय था और ये स्टोरी कहां ले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): जब माननीय सदस्या बोल रही थीं, उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने कहा वो मैं फिर दोहराता हूं। आप बैठिये, मैं बताता हूं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): मैं बैठूंगा नहीं। राठौड़ साहब, आपके कहने से नहीं बैठने वाला मैं। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): आप बीच में खड़े भी नहीं हो सकते।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय अध्यक्ष की इजाजत से बोल रहा हूं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जब मैं बोल रहा हूं तो आप बीच में खड़े मत होइये। आपको जो कहना है, जो करना है उसके बाद में कहिये। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप बोल रहे हो तो क्या हो गया? आप बोल रहे हो तो कोई हिन्दुस्तान का दरबार बोल रहा है क्या? आप बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिठा सकते हैं मेरे को। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हिन्दुस्तान का नागरिक बोल रहा हूं, एक जवाबदार नागरिक बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): आप तो गाय की बात करो बंशीलालजी। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामलों पर भी आप नहीं टोकते हो। ऐसे मौके पर भी आप नहीं टोकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी सुन रहे हैं, लगातार वो अनर्गल बातें किये जा रहे हैं। (व्यवधान) ईर्रेलेवेंट बातें कर रहे हैं, जिनका कोई महत्व नहीं है... (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): कोई भी माननीय सदस्य बोले, ये खड़े होकर के बोलने लग जाते हैं। (व्यवधान) ये बार-बार ऐसा करते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): जहां मर्जी होती है, कुछ भी बोल जाते हैं। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ... या तो हिन्दू कट जाएंगे वहां से, यदि सेना वहां से हट गई कश्मीर चला जाएगा। सेना यदि हट गई तो वह खतरे में पड़ जाएगा। वैसे ही कश्मीरी पंडित कई जा चुके हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): कहीं नहीं जाएगा कश्मीर, इनको भेज दो साहब।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): घाटी खाली हो चुकी है कश्मीरी हिन्दुओं से। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): एक संकल्प पारित करवाओ। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): विधान सभा के सारे सदस्य वहां जाएंगे। आप यह संकल्प पास कराइये कि विधान सभा के 200 के 200 सदस्य कश्मीर की सीमा पर जाकर के देश की चौकसी करेंगे। यह सदन में पास कराओ संकल्प। कराइये पास। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): .... यह संकल्प पास कराओ। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, कश्मीर बचाने के लिए इनको भेजो आप। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): राजस्थान विधान सभा के सभी सदस्य कश्मीर की सीमा पर जाकर के देश की रक्षा करेंगे, कराइये। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): तैयार हैं, कराइये। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना): माननीय गृह मंत्रीजी, आपको निवेदन कर रहा हूं, कराइये। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): हम रहने को तैयार हैं, आप चलने को तो तैयार हो ही गये।

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि मैंने क्या किया, मैं इनको बताना चाहता हूं कि जब कश्मीर में आंदोलन हुआ तो सबसे पहले....

श्री अध्यक्ष: आपने आगाह कर दिया, बहुत है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ... वहां पर जब मुरली मनोहर जोशी के साथ में नेतृत्व करने वालों में मैं भी था और कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में झंडा फहराने के लिए गये तब मैं भी वहां गया था यह मैं बताना चाहता हूं। आप अपने गिरेबान में झांककर के देखें कि आपने क्या किया। आपने क्या किया कश्मीर के लिए यह मैं बताना चाहता हूं। आप किस बात को काट रहे हो, मैं गया था उस समय और कुछ लोगों का चयन हुआ था। माननीय गृह मंत्रीजी यहां विराजमान हैं और माननीय तिवाड़ी साहब भी विराजमान हैं, इनको पता है कि जब वहां पर चयन हुआ और हमारी वाहिनी जा रही थी तब वहां पर घाटी में विस्फोट करके जब रास्ते रोक दिये गये थे तब कुछ लोगों का चयन किया गया उसमें मेरा भी चयन किया गया था और श्रीनगर के लाल चौक में जब मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में जो झंडा फहराया गया था। उसमें मैं भी गया था और चारों ओर से गोलियां बरसाई जा रही थीं, गोले बरसाये जा रहे थे, उस समय मैं भी वहां गया था। किसको आप चुनौती देते हो? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने पर्ची के माध्यम से उठा दिया। (व्यवधान) बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कह रहे हैं कि आपने यह कहा। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि आपने कैसे कहा कि अपने गिरेबान में झांक कर के देखो। यह मैंने इसलिए कहा कि मैंने तो किया है, आप कुछ करके बताओ।

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपने पर्ची के माध्यम से भारत सरकार को आगाह कर दिया, सफिशिएंट है, बहुत है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बात ही पूरी नहीं की। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कर दी। आपका विषय है भारत सरकार सेना की संख्या को कम नहीं करे। भारत सरकार सेना की संख्या को कम नहीं करे, इस बारे में भारत सरकार को आगाह कर दिया। (व्यवधान)

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): .... यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। माननीय सदस्य ने इसका जिक्र किया है और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य विदेशी नेता के सहारे बोलते हैं, केवल मुसलिम तुष्टिकरण से बोलते हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, आप ने इनको मौका दिया, ये बिलकुल सही बात बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने बीच में टोका-टाकी की, इनका संरक्षण जरूरी है।

श्री अध्यक्ष: देखिये, सुनिये मेरी बात।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इनको दर्द क्यों हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई गैर-जवाबदारी की बात नहीं उठाई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण कर लें। चूंकि यह विषय राजस्थान से सम्बन्धित नहीं है लेकिन आपका महत्वपूर्ण विषय था कि सेना की संख्या यदि कम हो जाएगी तो हो सकता है कि आतंकवादियों का भी जोर उसमें बढ़ जाएगा और हमारे भारतवर्ष को खतरा भी हो जाए। उस वजह से मैंने केवल अलाऊ किया और केवल इतना ही कहने के लिए अलाऊ किया था कि सेना की संख्या को कम नहीं किया जाए। इसके लिए केन्द्र सरकार को आगाह करना था कि सेना की संख्या को कम मत करो और यह बात आपकी हो गई, चली गई। अब आप उसके ऊपर 50 तरह की 50 बातें कहें तो यह विषय-वस्तु यहां चर्चा कर लिए सदन का विषय नहीं है, इतना ही मुझे कहना है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने तो अभी कहा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: आपने कह दिया और क्या कहेंगे अब आप? क्या कहेंगे आप? कह दिया।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं पूरा विषय ही नहीं बोल पाया।

श्री अध्यक्ष: हो गई बात।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, काल्पनिक सवालों पर यहां चर्चा हो रही है। फौज को कम करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। पी.डी.पी. के नेता ने मांग की है लेकिन वैसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। कांग्रेस

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

के मुख्य मंत्री गुलामनबी आजाद इसका विरोध कर रहे हैं। काल्पनिक विषयों के ऊपर यहां पर चर्चा की जा रही है। कोई फौज तो कम हुई ही नहीं वहां पर। (व्यवधान) कहां कम हुई है वहां पर फोर्स?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह आप घोषणा कर दो कि फोर्स कम नहीं होगी। यह एश्योर कर दो कि कम नहीं होगी। आप कर दीजिये कि फोर्स कम नहीं होगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कहां कम हुई है? हो गई क्या? अभी हुई कहां है?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह तो बतायें, आप कह दें। आप सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने हुए हैं, माननीय सदस्य सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गये हैं, आप घोषणा कर दें केन्द्र की कांग्रेस की तरफ से कि वहां सेना कम नहीं की जाएगी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हाइपोथेटिकल विषय पर, यहां पर ऐसे विषय पर चर्चा करके सदन का समय जाया किया जा रहा है। (व्यवधान) कहां कम हुई है? हो गई क्या? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): होने के बाद क्या है, होने के बाद क्या बचा है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): क्या बात हो गई। काल्पनिक सवालों के ऊपर चर्चा हो रही है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): काल्पनिक नहीं है। आप घोषणा करो, आप घोषणा कर दो कि कम नहीं होगी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ... भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है क्या कि मदन राठौड़जी को आगाह करना पड़ रहा है केन्द्र सरकार को? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इतना कमजोर हो गया क्या कि वो आगाह करने की स्थिति में नहीं है और इनको आगाह करना पड़ रहा है? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): हां, इस देश के प्रत्येक नागरिक को करना पड़ रहा है। आप जैसे गैर-जिम्मेदार लोग बैठे हैं इसलिए करना पड़ रहा है। मेरे समझ में नहीं आया कि मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं तो आपके पेट में मरोड़े क्यों उठ रहे हैं। आपको दर्द क्यों हो रहा है यह मेरे समझ में नहीं

(श्री मदन राठौड़)

आया। या तो आप यह घोषणा कर दें, यह सदन को आश्वस्त कर दें कि कम नहीं की जाएंगी और कम नहीं की जाएंगी तो मुझे कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये कैसे कह देंगे कि कम नहीं की जाएगी? ये कौन हैं कहने वाले? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): तो फिर ये मेरी बात को काट कैसे रहे हैं कि काल्पनिक सवाल है। मैं आगाह करने के लिए कह रहा हूं, मैं सावधान करने की बात कह रहा हूं, इसमें गलत कहां हो गया?

श्री अध्यक्ष: आपने आगाह कर दिया अपनी बात उठाकर के। डाक्टर जालमसिंह रावलोत।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कश्मीर का मुद्दा इतना संवेदनशील है कि उसमें ऐसा मखौल करना, यह तो उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह बहुत शर्मनाक बात है। ये मखौल बताते हैं, यह शर्मनाक स्थिति है।

श्री अध्यक्ष: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, पर्ची के माध्यम से आपने आगाह कर दिया भारत सरकार को कि सेना की संख्या कम मत करो। खतम हो गई बात। डाक्टर जालमसिंह रावलोत।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): धारा 370 असली झगड़े की जड़ है उसको हटवाइये आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप राज में रहे, 6 साल क्या किया? वहां भाड़ झौंका था क्या 6 साल? (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कमाने-खाने के अलावा क्या किया आपकी सरकार ने? (व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): ..... कश्मीर में फैलाना चाहते हैं इसलिए आपके मिर्च लग रही है बार-बार। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जमीन बेचने के अलावा 6 साल में किया क्या था?

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): दारूल इस्लाम बनाना चाहते हैं पूरे

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

जम्मू कश्मीर को आप लोग। इसको दारूल इस्लाम बनाना चाहते हैं इसलिए मिर्च लग रही है आपके। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह 370 किसको कहते हैं पता है आपको? 370 के नाम पर खाया-कमाया है, देश को बर्बाद किया है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सारे सरकारी होटल बेच दिये 6 साल में। 6 साल में धारा 370 याद क्यों नहीं आई? हटाना चाहिए था फिर। (व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क): जम्मू कश्मीर दारूल इस्लाम नहीं बनेगा।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर जालमसिंह रावलोत। बैठे-बैठे नहीं।

बाड़मेर-जैसलमेर में डैजर्ट नेशनल पार्क से उत्पन्न समस्याएं

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर एवं जैसलमेर की एक विशेष परिस्थिति है जिससे वहां पर सामान्य जन-जीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है। आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार और केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि 1981 का वर्ष हमारे बाड़मेर-जैसलमेर की उन सीमावर्ती पंचायत समितियों सम और शिव के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष रहेगा कि केन्द्र सरकार और तत्कालीन राज्य सरकार जो संयोग से दोनों कांग्रेस की थीं, उन्होंने बिना किसी सोच-समझ के, बिना किसी प्रकार का विचार-विमर्श किये एक डेजर्ट नेशनल पार्क घोषित किया जिसके कारण से उस क्षेत्र में रहने वाले बाड़मेर के 39 और जैसलमेर के 34 गांवों, 3162 वर्ग किलोमीटर जमीन और 50 हजार की आबादी का सामान्य जीवन जीना दूभर हो गया है। जहां सरकार की विभिन्न विकास योजनाएं राजस्थान और देश में फलीभूत हो रही हैं पर यह 50 हजार की आबादी का क्षेत्र पूरी तरह से केवल डेजर्ट नेशनल पार्क की समस्या के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 50 सालों से राजस्थान की राजनीति में विशेष स्थान रखा हुआ है। इन्दिरा गांधी नहर को बाड़मेर की गडरा रोड क्षेत्र तक ले जाने का जो सपना संजोया गया था और बाड़मेर जिले को पानी पिलाने की योजना थी वह सपना खतम होते दिख रहा है। डेजर्ट नेशनल पार्क के नियमों के कारण वहां पर पानी की टंकी नहीं बन सकती ट्यूबवैल बनाना

(डा. जालम सिंह रावलोत)

तो दूर की बात है, वहां बिजली के खंभे नहीं लग सकते, वहां स्कूल नहीं बन सकती, वहां नया राजस्व गांव नहीं बन सकता, वहां आबादी भूमि का विस्तार नहीं हो सकता, वहां टेलीफोन की कोई सुविधा नहीं पहुंच सकती, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की 32 सड़कें स्वीकृत हो चुकी हैं, ठेके हो चुके हैं लेकिन उनका निर्माण कार्य रुक गया है। सर्व-शिक्षा अभियान की स्कूलें सब जगह बन रही हैं लेकिन उस क्षेत्र में नहीं बन सकती, इन सब के कारण उस क्षेत्र में रहने वाली भोली-भाली गरीब जनता को बहुत ही दुःख हो रहा है और जबरदस्त आक्रोश व्याप्त हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे मंत्रिमण्डल के वरिष्ठ सदस्यों को पूरी जानकारी है और मंत्रियों ने स्थिति की सुध भी ली है लेकिन मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी केन्द्र सरकार के अंतर्गत जो भारतीय वन्य जीव अधिनियम लागू है उसकी धाराओं के तहत कुछ ऐसी गलतफहमियाँ पैदा हुई हैं जिसके कारण एक तरह से नये दिशा-निर्देश की जरूरत है। व्यवहार में वो डेजर्ट नेशनल पार्क है लेकिन कागजों में वह केवल डेजर्ट नेशनल सैंक्चुरी है, नियम यह कहते हैं कि सैंक्चुरी के अंदर किसी भी प्रकार का विकास कार्य चल सकता है केवल जिले के वन अधिकारियों से अनुमति लेकर सभी प्रकार के विकास कार्य बिना किसी रोक-टोक के हो सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि हमारे वन विभाग के अधिकारी उसको सैंक्चुरी न मानकर उसको पार्क बता रहे हैं और पार्क बताए जाने से जो नियम है और सुप्रीम कोर्ट का जो हवाला दिया जा रहा है जिसके तहत ये सारे विकास कार्य रुके पड़े हैं, जिसके कारण जनता में इतना आक्रोश है कि यदि तुरन्त स्थिति को नहीं संभाला तो अन्य परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे।

मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रतिपक्ष के माननीय नेताजी से कि हमने केन्द्रीय वन मंत्रीजी को यह सारा विषय बता दिया है और हमारे सांसदगण इस विषय को केन्द्रीय स्तर पर उठा चुके हैं। केन्द्रीय वन मंत्रीजी को निमंत्रण दिया जा चुका है कि वो इस क्षेत्र का दौरा करें। हमारे माननीय मंत्रिमण्डल के माननीय सदस्य माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर तीन माननीय मंत्री वन मंत्रीजी के नेतृत्व में पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी और जलदाय मंत्रीजी तुरंत उस क्षेत्र का दौरा करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्रीजी से एक जानकारी चाहता हूं कि एक तो वो क्षेत्र में प्रवास की जल्दी तारीख तय करें, दूसरा अभी जो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू हुआ है वह एक ऐसा

(डा. जालम सिंह रावलोत)

कार्यक्रम है कि उस क्षेत्र की जनता जो वर्षों से अकाल भुगत रही है, जहां किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी और अभी चूंकि लोकतंत्र में यह सारी सुविधाएं मिलने की जो आशा की किरण बंधी थी उन सब के तहत विशेष रूप से राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत जो रोजगार मिलने की सम्भावनाएं थी उन भूखे लोगों को, उस पर भी अभी वन विभाग के अधिकारियों ने सभी सरपंचों को और अन्य पंचायत समिति और जिला परिषदों को यह पत्र भेजकर कहा है कि आप राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम डीएनपी क्षेत्र में नहीं कर सकते, बहुत दुःख की बात है कि नियमों में ऐसा कुछ नहीं है, केवल वन विभाग के अधिकारी अपनी दादागिरी कर रहे हैं और हमने कई बार मंत्रीजी को बताया जब ये मंत्रीगण उस क्षेत्र का ट्यूर करेंगे तो निश्चित रूप से यह समस्या उनकी जानकारी में आएगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय जब 1981 में बन रहा था, अभी दो दिन पहले स्वर्गीय हो चुके इस विधान सभा के पूर्व सदस्य, जैसलमेर के पूर्व विधायक श्री चन्द्रवीरसिंहजी ने यह आग्रह किया था लेकिन केन्द्र की कांग्रेस सरकार और राजस्थान की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यदि इस ओर गौर किया होता तो आज बाड़मेर-जैसलमेर के उन 50 हजार लोगों की यह बुरी हालत नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन और मंत्रिमण्डल के सदस्यों का, खासकर प्रतिपक्ष नेता महोदय का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजनीति अपनी जगह है, कांग्रेस और बीजेपी का सवाल नहीं है, यह उस क्षेत्र का सवाल है और खासकर बॉर्डर के पूरे 70 गांव हैं जहां राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से वहां यदि नहर बनती है, वहां यदि विकास के काम होते हैं तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से लोगों को राष्ट्र की भावना से जोड़ने के हिसाब से यह एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही आवश्यक होगा कि डीएनपी की वहां कोई आवश्यकता नहीं है, डीएनपी 1981 में बनी है, एक पैसे का खर्चा चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे राजस्थान की

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार हो डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम पर एक पैसा खर्च नहीं किया गया है। माननीय शिवचरणजी माथुर साहब जो उस समय तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी थे, संयोग से वह भी विराजमान हैं, मैं उनको भी निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी क्या जरूरत थी कि उस क्षेत्र में डेजर्ट नेशनल पार्क बनाया गया है। अब हम

(डा. जालम सिंह रावलोत)

मिलकर के कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, कांग्रेस की सरकार, राज्य सरकार मिलकर के ऐसा कोई प्रस्ताव बनाये कि डेजर्ट नेशनल पार्क की वहां कोई जरूरत नहीं है, वह पार्क वहां से हटाये। वहां किसी प्रकार के कोई वन्य जीव नहीं रहते हैं केवल हिरण रहते हैं तो वैसे भी आज की तारीख में कोई मूर्ख ही होगा जो इन वन्य जीवों की हत्या करता होगा। डेजर्ट नेशनल पार्क की वहां जरूरत नहीं है, नहीं तो जनता बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को उस क्षेत्र में घुसने नहीं देगी। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमको अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। वो बोल रहे हैं न, आप क्यों खड़े हो गये, नो-नो मंत्रीजी खड़े हैं, नो-नो मंत्रीजी खड़े हो गये हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वन्य जीव अधिनियम,1972 धारा 28(ए) के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की गई है इसको सेंक्चुरी के लिए, धारा 18 से धारा 25 तक और 26(ए) में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। माननीय सदस्य ने बताया मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने याचिका संख्या 377/95 दिनांक 13.11.2000 और एक दूसरी याचिका नम्बर 202/95 दिनांक 14.2.2000 में यह आदेश पारित किया कि अनारक्षित करने में प्रतिबंध लगाया गया था और एक नियम और प्रक्रिया जारी की गई थी, यह जिस डेजर्ट नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में इस मामले में जहां वानिकी कार्य हैं वहां पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, जहां गैर वानिकी कार्य है उसमें एक प्रक्रिया है जो स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव आते हैं और उन प्रस्तावों को गवर्नमेंट आफ इण्डिया को भेजा जाता है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को और सुप्रीम कोर्ट के पास यह प्रस्ताव जाते हैं और प्रस्ताव वहां पारित होने के बाद में वह योजना स्वीकृत की जाती है। जिस पेयजल की योजना के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने निवेदन किया, 600 वर्ग किलोमीटर यह इर्रिगेशन की योजना है, इस 600 किलोमीटर के अंदर यह इर्रिगेशन की योजना अगर सम्पादित की जाती है तो यह राष्ट्रीय महत्व का नेशनल डेजर्ट पार्क है जो मात्र भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में प्रख्यात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पहले प्रिंसीपल सैक्रेटरी

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

इर्रिगेशन, हमारे फोरेस्ट सैक्रेटरी और चीफ वाइल्ड लाइफ के बीच में एक मीटिंग हुई थी और उनसे आग्रह किया था कि अगर पेयजल योजनाओं के अनारक्षण प्रस्ताव अगर आप प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से राज्य सरकार इस पर विचार करेगी। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, कि कुल सड़कों के 8 प्रस्ताव, जिसमें से 3 प्रस्ताव हैं स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे हैं और अब 7.4.2007 को आगे और स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग है, उस मीटिंग में इन प्रस्तावों के बारे में निश्चित रूप से निर्णय किया जाएगा। जहां तक सीडीपी के कार्य हैं वो इस क्षेत्र के अंदर सीडीपी कार्य निश्चित रूप से सम्पादित हो रहे हैं और गैर वानिकी के जो भी कार्य हैं, प्रस्ताव आएंगे, उन प्रस्ताव पर चर्चा कर इसको भारत सरकार को वाइल्ड लाइफ बोर्ड को और सुप्रीम कोर्ट के प्रस्तुत कर निश्चित रूप से जो जस्टिफाईड होंगे, उसको कराने का निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए क्या करेंगे? उन्होंने क्लीयर नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के ऊपर इस तरीके से वाद-विवाद का कोई सिस्टम नहीं है....

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव): रोजगार गारंटी कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय एक मई से लागू हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, श्री जयराम जाटव। वैसे तो देखिए पानी की डिमाण्ड भी आ चुकी थी, फिर भी आपको मौका है कल, अकाल के साथ-साथ बिजली, अकाल और पानी की चर्चा करने का फिर मौका है, इसलिए पर्ची के माध्यम से आपको नहीं उठाना चाहिए था यह और आपको 15 लाख रुपए इस पानी पर ही खर्च करने पड़ेंगे यह भी मुख्य मंत्रीजी ने कह दिया, उसके बाद भी कहना चाहे तो दो मिनट में आप अपनी बात कह दें।

खैरथल में विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत पेयजल व्यवस्था

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अलवर जिले में मेरा क्षेत्र जो खैरथल है उस खैरथल विधान सभा क्षेत्र में चार तरह की स्कीमों से ग्रामीणों को पीने के

(श्री जयराम जाटव)

पानी की व्यवस्थाएं हैं, चार स्कीमों के माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सैक्रट्री फार्म, स्वजल धारा, जनता जल योजना, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी बैठे हैं इनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इन तीन सालों में माननीय मंत्रीजी ने हमारे क्षेत्र में लगभग 500 हैण्डपम्प लगवाए हैं और चालीस गांवों में जनता जल योजना के माध्यम से वहां बोरिंग करवाये, टंकियां बना दीं और कुछ जो आज से बीस साल पहले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से पीएचईडी के बोरिंग थे वो बोरिंग सूख गये थे। वहां अधिकांश बोरिंगों की व्यवस्था माननीय मंत्रीजी ने करा दी लेकिन सन् 2000 में सैक्टर रिफार्म स्कीम आयी थी जिसमें अलवर, सीकर, जयपुर और राजसमंद को लिया गया था। माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, अलवर जिले में सैक्टर रिफार्म में ऐसे-ऐसे गांव हैं जो कस्बे टाइप हैं जैसे बहादुरपुर, चिकाणी है वहां की जो कमेटी गांव के लोगों की बनी थी, गांव की उस कमेटी के माध्यम से गांव के लोगों को पीने के पानी की सेक्टर रिफार्म कमेटी बना दी, बोरिंग हो गये, टंकी तो नहीं बनी, सीधी सप्लाई के माध्यम से। लेकिन आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है उन कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, जो सेक्टर रिफार्म कमेटी गांव के लोगों की बनी थी, उनकी लापरवाही के कारण आज कई गांवों में जैसे चिकाणी और बहादुरपुर के बिजली के 5-5, 6-6 लाख रुपये के बिल बकाया हैं इसलिए बिजली बोर्ड ने उनके कनेक्शन काट दिये और आगे आने वाला जो समय है जो गर्मी का समय है वहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो जो सेक्टर रिफार्म की स्कीम हमारे जिले में और हमारे क्षेत्र में है इसको कृपा करके हमारे जिले में से और हमारे क्षेत्र में से आप पीएचईडी में लेने का आप अभी आश्वस्त करें मुझे।

(समय : 13.32 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

दूसरा, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी कि हमारे क्षेत्र में आप लोगों ने जनता जल योजना के माध्यम से खूब काम कराये हैं लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं, जो बड़ी-बड़ी ढाणियां हैं उनकी आबादी पन्द्रह सौ

(श्री जयराम जाटव)

नहीं है जो क्राइटेरिया पन्द्रह सौ का है और पन्द्रह सौ से कम की जो ढाणियां हैं उन ढाणियों को चाहे सिंगल फेस के माध्यम से इस तरह की व्यवस्था भी वहां करायें।

तीसरा मैं माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो बीस साल पहले या पच्चीस साल पहले पीएचईडी के बोरिंग हुए, पाइप लाइन डल गयी और टंकी बना करके पानी की व्यवस्था ग्रामीणों के लिए कर दी गई लेकिन बीस साल के बाद में गांव की जनसंख्या डबल हो गयी और वो टंकियां छोटी पड़ गयीं या निष्क्रिय हो गई और कई जगह गांवों में पाइप लाइन चौक हो गयी। जैसे मैं आपको गिनाना चाहता हूं मेरे क्षेत्र में ही धासोली, खानपुरमेवात, कारोली, हरसोली, इस्माइलपुर, खैरथल, किशणवास, वासकृपाल नगर, पाटन मेवात, जाट का कोलगांव, नांगल, सालियार, जटियाला इनमें ये स्कीमें लगभग बीस-पच्चीस साल पुरानी स्कीमें हैं। वहां पाइप लाइन अधिकांश चौक हो चुकी हैं और वहां जो पानी की टंकियां हैं वो इतनी छोटी हैं कि पूरे ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो आभारी हूं आप हरसौली में खुद करके आये और आज भी मुझे विश्वास है आज जो मैं अपनी पर्ची के माध्यम से मेरा मूल जो मुद्दा था वो बहादुरपुर का था चूंकि बहादुरपुर और, चिकाणी, इन दो गांवों की तो सैक्टर रिफोर्म की कई बार आपसे चर्चा की थी। अलवर जिले में सैक्टर रिफोर्म योजना है उस योजना को कृपा करके आप पीएचईडी में ले लें चूंकि अब ग्राम पंचायतों को आप देना चाहते हैं। ग्राम पंचायतों के सरपंच अपने सिर क्यों फुड़ाएंगे जब सैक्टर रिफोर्म की कमेटी की तरफ से चार-चार, पांच-पांच लाख रुपये के बिजली के बिल बकाया है। सरपंच लेने को तैयार नहीं हैं तो इस तरह की जो स्कीमें हैं उन स्कीमों को आप पीएचईडी में लेने की कृपा करें और जो ढाणियां और गांव जो जनता जल योजना के माध्यम से पन्द्रह सौ की जनसंख्या में नहीं आ रहे हैं उन छोटे गांवों को, ढाणियों में भी उनसे पानी की व्यवस्था करायें कृपया। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): माननीय उपाध्यक्षजी, मंत्रीजी से थोड़ा सा तो कहलवा दें। (व्यवधान)

महावीर जयन्ती दिवस पर प्रतिबन्धित गतिविधियां होने से समाज में उत्पन्न रोष

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित मरुधर मृदुल की कविता की दो पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं,

'कितना भी हो तम, आओ मशाल लें।

इस पर भी जो न मिटे तम, आओ हम खुद ही जलें।'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2600 साल पहले हमारे देश में जब कर्मकाण्ड का दौर था, हिंसा का दौर था, पशु बलि और नर बलि का दौर था, ऐसे वातावरण से व्यथित होकर जिस व्यक्ति ने खुद की इच्छाओं पर विजय का संकल्प लिया और संयम का व्रत धारण किया और अपने तप के बूते, अपनी सहनशक्ति के बूते वर्द्धमान नाम होने के बावजूद दुनिया ने उन्हें महावीर नाम दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समाज को हिंसा से दूर करके समाज में एक नैतिक बल जागृत करना, अहिंसा की भावना का विस्तार करना और हर आत्मा को इस बात का अहसास कराने का संकल्प लेकर जिन्होंने अपनी सन्यास यात्रा शुरू की कि हर आत्मा में परमात्मा बनने का सामर्थ्य है और वो मोक्ष की सोच इस भारतीय समाज को जिन्होंने दी जिस पर चल कर हजारों-हजार लोगों ने उस जीवन शैली को, उस धर्म दर्शन को अपनाया और अपनी मुक्ति के लिए उसको एक रास्ते के रूप में स्वीकार किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन 2600 सालों के दौरान हर शासन व्यवस्था ने सालों-साल भगवान महावीर की देशना को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता हमेशा दर्शायी। लेकिन मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि अभी परसों 31 मार्च को चैत्र सुदी, तेरस को भगवान महावीर का जन्म दिवस था और पूरे राजस्थान में जैन धर्मावलम्बियों ने उनके जन्म दिवस के निमित्त अपने विभिन्न कार्यक्रम रखे थे। सरकार ने भी भगवान महावीर की देशना, सरकार में बैठे हुए लोग भी जिस-जिस रूप में प्रभावित रहे हैं समय-समय पर उन्होंने व्यवस्था की है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में होगा उन्हीं के बताये हुए अहिंसा के रास्ते पर चल कर हमारे मुल्क ने स्वाधीनता संग्राम को लड़ा, महात्मा गांधी ने अहिंसा के मत को आगे बढ़ाया और मद्यनिषेध का सोच भी मैं यह सोचता हूं कि भगवान महावीर की देशना का ही परिणाम था लेकिन

(श्री संयम लोढ़ा)

इस 31 मार्च को राजस्थान की इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न केवल जैन धर्मावलम्बियों को बल्कि अहिंसा, शाकाहार और इस तरह के नैतिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले हर राजस्थानवासी के मन को आहत किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर जहां से हमारे माननीय गृह मंत्री निर्वाचित होकर आते हैं वहां मत्स्य विभाग ने केजड़ तालाब से, क्योंकि केजड़ तालाब में मछलियों के आखेट पर प्रतिबंध है। पिछले सोमवार को माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मछलियां जब्त की थीं और इस राजस्थान सरकार को उन सूखी मछलियों को पांच दिन रखने के बाद नीलामी के लिए जो दिन मिला वो महावीर जयंती का दिन था। महावीर जयंती के दिन पांच दिन उन मछलियों को रखने के बाद महावीर जयंती के दिन मत्स्य विभाग ने उन सूखी मछलियों को नीलाम करने का घृणित काम करके राजस्थान के ही नहीं हिन्दुस्तान के लाखों जैन धर्मावलम्बियों को ठेस पहुंचाने का काम किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरीके से कोटा जिले के कैथून में मांस की दुकानें खुली हुई थीं और जैन मुनि चिन्मय सागर को व्यथित होकर वहां सड़क पर बैठना पडा क्योंकि सरकारी आदेश होने के बावजूद प्रशासन ने किसी जगह पर, किसी बात की कोई परवाह नहीं की। इसी तरीके से नागौर जिले की कुचामन सिटी में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महावीर जयंती का जुलूस निकल रहा था और रास्ते में गंदगी और मरा हुआ जानवर तक पडा हुआ था और नतीजा यह हुआ कि चार घंटे तक सैकड़ों की तादाद में महिलाओं और जैन मुनि जो साथ थे वो कुचामन सिटी के अन्दर वहां रास्ते के अन्दर धरने पर बैठे रहे और मैंने ईटीवी पर वहां के अतिरिक्त जिला कलक्टर का इंटरव्यु देखा, जिस बेशरमी के साथ उनके फेस एक्सप्रेशन थे, मुझे बहुत दुःख है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक साधु जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया वो तो निर्वस्त्र रहता है। हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का कमण्डल होता है और एक मोर पंखी पीधी होती है क्या हम उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे इस बात की भी व्यवस्था नहीं कर सकते और इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में भी अंबाबाडी, ट्रांसपोर्ट नगर इन सारी जगहों पर रोक होने के बावजूद शराब की दुकानें खुली रहीं, धडल्ले से शराब बिकती रही । अजमेर में महावीर जयंती के दिन ही एक

(श्री संयम लोढ़ा)

शराब की दुकान के उद्घाटन का प्रयास किया गया लेकिन लोगों ने रोका। उपाध्यक्ष महोदय, धोलाभाटा रोड स्थित नागबाई हरिजन बस्ती के सामने ड्राइ डे लिखा हुआ है लेकिन शराब की दुकान के उद्घाटन की कोशिश कर रहे थे स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो उद्घाटन नहीं हो सका । उपाध्यक्ष महोदय, धौलपुर में शराब के नये ठेके हो रहे थे तो उन पुराने दुकानदारों की शराब कैसे ज्यादा से ज्यादा बिके, धौलपुर में तो आबकारी विभाग के अधिकारी ने कमाल किया शराब की दुकान पर जाकर शराब की दुकान को तो सील किया नहीं उसके पास जो जनरल स्टोर है उसको जाकर सील कर दिया जिससे कि जनरल स्टोर तो बंद रहे और पास की शराब की दुकान से शराब बिकती रही।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं यह सरकार धर्मानुरागियों की सरकार है । यह सरकार धर्म में बहुत अटूट आस्था रखने वालों की सरकार है। गृह मंत्रीजी, मैं खास तौर से आपके नोटिस में लाना चाहूंगा आपके उदयपुर शहर में आज शाम को सर्वऋतु विलास महावीर जयंती समारोह समिति की बैठक है जो इस बात पर फैसला करेगी कि जो लोगों की भावनाओं को आहत करने और ठेस पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है और जिन अधिकारियों ने किया है उनके खिलाफ संघर्ष की क्या रूप रेखा तय की जाये । इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कोटा में भी श्री आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर सेवा समिति की आज रात को 8 बजे बैठक हो रही है । जिसमें इस बात की रूपरेखा तय की जायेगी कि पूरे राजस्थान में जिस तरह का घटनाक्रम सामने आया है और जिस ढंग से भगवान महावीर के जन्म दिवस के प्रति इस सरकार ने अनादर का भाव जाहिर किया है उसका कैसे जवाब दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी में होगा इसी 12वीं विधान सभा में मैंने आबकारी नीति के मसले पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था । जब इस सरकार ने शराब के ठेकेदारों के दबाव में आकर 7 शुष्क दिवस से घटाकर 3 शुष्क दिवस कर दिये थे । उसमें महावीर जयंती का भी शुष्क दिवस इस सरकार ने काट दिया था लेकिन हमारे विरोध करने पर इस सरकार को वापस 3 से बढाकर 4 शुष्क दिवस करने पड़े और आज 4 शुष्क दिवस चल रहे हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा

(श्री संयम लोढ़ा)

और मैं चाहूंगा हमारे गृह मंत्रीजी भी एक धर्मानुरागी व्यक्ति हैं। समय-समय पर धर्म प्रचार के कार्य में उनका भी पूरा सहयोग मिलता रहता है और आज जिन-जिन अधिकारियों ने, खास तौर से आपके अपने उदयपुर शहर में भी जिस ढंग का आचरण किया है गृह मंत्रीजी, मैं आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि हमारे साधु संतों और जिन धर्मावलम्बियों की भावनाओं को आघात लगा है, आप सरकार की तरफ से उन सब के खिलाफ कठोर कार्यवाही की घोषणा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो ।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया वह अहिंसा के और भगवान महावीर को सम्मान देने वाले हर व्यक्ति के मन में इस बात का एक तरह से दुःख है इन घटनाओं को सुन कर और देख कर । राज्य सरकार किसी की भी रही हो लेकिन भगवान महावीर का सम्मान करने की दृष्टि से राज्य सरकार की तरफ से महावीर जयंती के दिन ड्राई डे भी है और मांसाहार की बिक्री भी उस दिन बंद है । यह आदेश आज से नहीं बहुत प्रारम्भ से है । इसकी पालना करने की जिम्मेदारी वहां के प्रशासनिक अधिकारियों की है । मैं सोचता हूं कि कुछ तो शायद लोगों के ध्यान में इस बात को लगातार रिपीटिशन नहीं होने के कारण से, समय पर सूचना नहीं जाने के कारण रूटिन में व्यक्ति महावीर जयंती के दिन ड्राई डे है यह उसके दिमाग से कई बार ओझल हो जाता है । एक तो यह है कि सरकार अब जब भी ड्राई डे होता है उसके पहले प्रशासनिक आदेश निकाल कर वहां के सारे के सारे लोगों को भी इसकी बराबर सूचना समय से चार-पांच दिन पहले जरूर दें ताकि उनसे जाने अनजाने भी यह गलती नहीं हो । दूसरा, जिन प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी थी जैसे उदयुपर की घटना, निश्चित रूप से उदयपुर की घटना हुई है । कलक्टर को स्वयं को मैंने इसकी जिम्मेदारी दी है क्योंकि यहां की नगर परिषद की जिम्मेदारी थी कि वहां किसी भी प्रकार की कोई मांस की दुकान न खुले, उस दिन प्रतिबंध रहे, निश्चित रूप से वह जांच कर के जिस अधिकारी की जिम्मेदारी थी और जिसने इसमें लापरवाही की उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी । इसी तरह से विभूति सागरजी ने जैसे एकदम सड़क पर ही बैठ गये और कई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

घंटों तक वह वहीं बैठे रहे कुचामन में, केवल एक मात्र छोटी-सी बात थी जिस सड़क से इस जुलूस को गुजरना था उस पर इतनी गंदगी थी, वह इस तरह से गंदा था कि उनका मन उद्वेलित हो गया और उस जुलूस में ही वह उस जगह बैठ गये । निश्चित रूप से सरकार इस बारे में भी जहां भी इस प्रकार के कार्यक्रम हों कम से कम उस रास्ते की सफाई और उसकी व्यवस्था भी ठीक प्रकार से हो इसकी भी व्यवस्था निश्चित रूप से करेगी । मैं माननीय सदस्य के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान के महावीर के प्रति अनंत श्रद्धा रखने वाले लोगों को यह आश्वस्त करता हूं कि जहां कहीं भी प्रशासनिक कमी रही है उस प्रशासनिक कमी को सुधारा जायेगा और जिसने जान बूझ कर गलती की है, तीन चार जगहों पर घटनाएं होने की शिकायत आई है। हो सकता है और कई जगह इस प्रकार की घटनाएं घटी होगी कि जहां शराब की दुकान किसी कोने में खुली रह गई होगी लेकिन जो कैथून के बारे में कहा उसमें केवल एक दुकान के बारे में शिकायत आई थी, उसका घर भी वहीं है और उसकी दुकान भी वहीं पर है, वह खुली हुई थी और वह एक समाज विशेष का जो मांसाहार का व्यापार करता है उसके कारण वह विषय ध्यान में आया लेकिन उसकी दुकान और मकान का एक ही रास्ता था जिसके कारण से वह खुला था उसको भी हमने दिखाया है । फिर भी मैं आश्वस्त करता हूं और एक बार आदेश को दुबारा हम सरकार की तरफ से सभी जगह भेज कर, केवल इसी दिन नहीं जो बाकी ड्राई डे है, जहां मांसाहार का उपयोग उस दिन नहीं हो सकता, या उनकी दुकानें नहीं खुल सकती हैं उनको ठीक तरह से उसकी पालना हो उसकी भी व्यवस्था के लिये दुबारा सबको सूचित करेंगे और लोगों के मन में भी इस बात की किसी न किसी मीडिया के माध्यम से भी यह आये कि आज का दिन ड्राई डे है, कई बार जैसे मछली वाली आपने जो बात कही कि मछली पकड़ी थी, कई दिनों पहले पकड़ी थी लेकिन उसकी नीलामी करने वाले को यह मालूम नहीं था कि आज महावीर जयंती के दिन यह जो कई दिनों से पकडी हुई मछली है उसको नीलाम की जाये या नहीं की जाये, गलती हुई है उससे उसका भी परिमार्जन करने के लिये जहां भी जिस अधिकारी के लेवल पर इसका ध्यान रखना चाहिये वह शायद इस कारण से नहीं रहा कि वह महावीर जयंती को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। उसको यह नहीं मालूम कि आज की तारीख और उसकें बेचने का दिन एक ही हो लेकिन कहीं न कहीं इसमें भूल जरूर हुई है वह भविष्य में न हो उसकी पुख्ता व्यवस्था करके निश्चित रूप से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ऐसे जो ड्राई डे आते हैं सरकार के माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी दो चार दिन पहले इस प्रकार का प्रचार रहे, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो । उदयपुर में जो गलती हुई है उसमें जिनके खिलाफ कार्यवाही करनी है कलक्टर को मैंने कल ही इसके बारे में निर्देशित कर दिया जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी का ध्यान सिर्फ इस तरफ आकर्षित करुंगा आप स्वयं एडमिट कर रहे हैं उसके लिये आपका साधुवाद है, आपका अधिकारी पांच दिन पहले पकड़ी हुई मछलियों को नीलाम करने के बाद भी यह दैनिक भास्कर का स्टेटमेंट मैं कोट कर रहा हूं मछलियों की नीलामी करना आवश्यक था नहीं तो मछलियां सड़ जातीं और राजस्व की भी हानि होती । नीलामी पांच दिन पहले कर लेता।

श्री उपाध्यक्ष: फाइनेंशियल ईयर खतम हो रहा था, साधारण सी चिंता कर रहा था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस बात को इस तरह से साधारण रूप में नहीं ले सकते ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मछलियों को प्रिजर्व करने के लिये सोमवार को जब्त की ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य वह नासमझी थी ।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप मेरी बात सुन लें । मच्छी चौडे में तो पड़ी रहती नहीं है । मच्छी को रखने के लिये निश्चित रूप से बर्फ लगाई होगी । मच्छी बिना बर्फ के रह ही नहीं सकते, वह एक दिन में खराब हो जायेगी । आपने जब बर्फ लगाई थी सोमवार से लेकर शनिवार तक It is a major lapse. होम मिनिस्टर साहब, यह कोई साधारण बात नहीं है कि कौन क्या करेगा, यह मनोवृत्ति जो हमारे अधिकारियों में बढती जा रही है कि हमने कर दिया, जो कर दिया । एक दिन और उसको प्रिजर्व कर सकते थे, एक दिन पहले बेच देते आप । माननीय गृह मंत्रीजी मैं आपको बताऊं कि इस मामले की गहराई यह है कि Fishes cannot be preserved. जब तक आप पूरी तरह बर्फ नहीं लगाओगे मच्छी प्रिजर्व हो नहीं सकती है । मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह कोई साधारण चीज नहीं है, यहां पशु पालन मंत्रीजी भी विराजमान हैं, शायद फिशरीज भी इनके पास ही है, यह कोई साधारण चीज

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

नहीं है You must take action. जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, और आप जो कह रहे हैं कि ड्राई डे के दिन पुलिस के नोलेज में रहता है कि ड्राई डे कौन से हैं पर खुली रहती हैं । बदकिस्मती क्या हुई है कि रेवेन्यू के चक्कर में, वैसे तो पुलिस आडे दिन घूमती रहती है लेकिन इंटरफेयर्स की जो बात है उसके अंदर ड्राई डे में कम से कम आप यह एश्योर तो कर लें होम डिपार्टमेंट का सर्कुलर निकलवा दें आप, ड्राई डे के दिन तो कम से कम यह चीजें नहीं होगी। Police can interfere in that. यह तो आप कर सकते हैं, ड्राई डे का सर्कुलर तो आप निकलवा सकते हैं। बाकी रोजमर्रा की दुकानों की चैक रोक दें आप क्योंकि वहां पुलिसिंग अपने आप होगी लेकिन ड्राई डे वाले में तो आप पुलिस को पाबंद कर सकते हैं कि वह इस चीज को देखे, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो है साहब..(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सर्कुलर परमानेंट निकला हुआ है। महावीर जयंती के लिए, अपना जो पर्यूषण पर्व होता है उसमें तो हर बार निकलता है लेकिन महावीर जयंती ड्राई डे का परमानेंट सर्कुलर निकला हुआ है। जब भी महावीर जयंती होगी ड्राई डे है लेकिन वापस उसके स्मरण में न दिलाने के कारण से कॉमन आदमी के तो ध्यान में नहीं रह सकता। मैं सोचता हूं कि मछली वाली में जो बात आई, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि यह जानते हुए कि महावीर जयंती है, जिस अधिकारी ने भी उस दिन उसकी नीलामी की, वह अपने विभाग के अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अब बता दीजिए मंत्रीजी, क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष: संबंधित अधिकारी की लापरवाही है साहब, कार्यवाही करें। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिश: भी भगवान महावीर स्वामी और अहिंसा का कट्टर समर्थक हूं। मन से, वचन से, वाणी से निश्चित रूप से यह प्रयास करते हैं कि हमें भगवान महावीर स्वामी के सिद्धान्तों पर चलना चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो घटनाक्रम है, एक खेजड तालाब है, उदयपुर में सहाडा तहसील का है, यहां पर मछलियों का ठेका नहीं दिया जाता है लेकिन पिछले दिनों एक

(श्री प्रभुलाल सैनी)

शिकायत प्राप्त हुई, 30 तारीख को जैन समाज के कुछ सदस्यों द्वारा शिकायत की गई कि इस तालाब में कुछ लोग मत्स्य आखेट कर रहे हैं। इस पर हमारा एक दल, हमारे दो निरीक्षक और 4-5 आदमियों ने जाकर मौका निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर उस तालाब से कोई भी मछली वगैरह बरामद नहीं हुई, वहां मात्र टायर वगैरह जिसका वह उपयोग करते थे, लेकिन यह सूचना मिली कि वहां से 6-7 किलोमीटर ले जाकर थूर घाटी एक जलाशय है, उसके पेटे में वहां पर छोटी-छोटी मछलियां ले जाकर सूखवाकर इस प्रकार का वह काम करते हैं। वहां पर ढाई से साढे तीन क्विण्टल सूखी मछलियां, छोटे-छोटे बच्चे के रूप में थी, वह सूखाई जा रही थी। वहां सूखी हुई थी और कुछ मछलियां 30 तारीख को लाकर शायद वहां पर सुखाने के काम में ली जा रही थी, विभाग ने उसको जब्त किया। जब्त करने के बाद निश्चित रूप से उनको ले गए जैसा फोटो अखबर में छपा है, मैंने भी पूरा देखा, बड़ा चिंता का विषय है। मैं सहमत भी हूं कि महावीर जयंती जैसे अवसर पर सम्पूर्ण, हमारे जो ड्राई डे घोषित किया इस प्रकार की घटना नहीं होन चाहिये, फिर भी सारे विषय को मैं अध्ययन करवा रहा हूं। निश्चित रूप से अधिकारी द्वारा इस प्रकार की जानबूझकर कार्यवाही की गई है, इसमें यह पाया जाता है कि उसने उदासीनता बरती है, निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा, सदन को यह आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): स्टेटमेंट पढ़कर सुनाया। घटना होने के बाद भी उसको रियलाइजेशन नहीं है। आप समझ नहीं रहे हैं इस चीज को। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आ जाएगा (व्यवधान) आगे यह ध्यान में रखी जाएगी। संबंधित अधिकारी की लापरवाही हो सकती है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, आप अधिकारी का स्टेटमेंट पढ़िए, घटना होने के बाद भी वह क्या कह रहा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कंसीडर किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कंसीडर क्या, आप कार्यवाही की बात करिये। मंत्रीजी, आप कार्यवाही की घोषणा करो। जैसा गृह मंत्रीजी ने आपसे कहा है, आप कार्यवाही की घोषणा करो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या दिखवाओगे आप, इसमें क्या दिखवाओगे ?

श्री उपाध्यक्ष: कार्यवाही करने का..(व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कहने मात्र से ही ऐसा करना पड़ेगा या फलां आदेश, ऐसा नहीं है, निश्चित रूप से कार्यवाही होगी यह मैं सदन के बीच में कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कह दिया, इन्होंने कह दिया।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): एक बार विषय के प्राथमिक तथ्यों को हमको देखना होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी पूरे राजस्थान के जैन समाज में आपकी सरकार की धज्जियां उड़ा रहा है यह स्टेटमेंट। आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको रिलाइजेशन नहीं है इस बात का? (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह जैन समाज की जो चर्चा हो रही है, जैन समाज किसी के बाप की बपौती नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय (व्यवधान) जैन समाज उसका है जो इसको धारण करता है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कमाल कर रहे हैं आप। अगर आपको नहीं करना है तो आप बैठ जाइये।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): जो भी इसको धारण करता है, मैं भी जैन समाज धारण करता हूं तो मैं भी जैन समाज का हूं.(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह तो जैन समाज को मानने वाले हैं।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): बहस करवा रहे हैं, आप यह गलत परम्परा डाल रहे हैं। पर्ची के आधार पर बहस करवा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: बहस नहीं हो रही।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): बहस ही हो रही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, बहस नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, यह घोर आपत्तिजनक बात है। एक घटना इस तरह की होने के बाद भी अधिकारी को रिलाइजेशन नहीं है कि उसने क्या किया (व्यवधान) मंत्रीजी कह रहे हैं मैं दिखवा लूंगा, आप क्या दिखवा लेंगे ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, कार्यवाही करने का आश्वासन.. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं उपाध्यक्ष महोदय । गृह मंत्रीजी ने एडमिट किया कि सरकार कार्यवाही करेगी तो बताइये क्या कार्यवाही करेंगे आप?

श्री उपाध्यक्ष: इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? श्री गोपाल बाहेती।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं कार्यवाही चाहता हूं। माननीय सदस्य से पूछूंगा क्या माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) राजस्थान के लाखों लोगों की, हिन्दुस्तान के लाखों लोगों की भावना को इस सरकार ने आघात पहुंचाया। क्या कहना चाहते हो आप ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ऐसे नहीं चल सकता। सरकार को कार्यवाही की घोषणा करनी पड़ेगी। यह घटना होने के बाद भी एक अधिकारी इस तरह का वक्तव्य दे रहा है। यह शर्म की बात है सरकार के लिए। क्या दिखवायेंगे आप ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, सब चीजें ध्यान में रखकर कार्यवाही की जाएगी, इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं ?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब अधिकारी यह एडमिट कर रहा है कि उसने यह किया फिर कार्यवाही करने में देरी क्यों कर रहे हैं? आपको कार्यवाही करनी चाहिये। खुद मान रहा है कि मैंने यह कर दिया मैंने, वह खुद मान रहा है तो फिर अपन लेट क्यों करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): जब कार्यवाही करनी है तो तत्काल कार्यवाही होनी चाहिये। (व्यवधान) मंत्री महोदय, मेरा आग्रह है यह लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। महावीर जयंती के पवित्र दिन पर अपनी सरकार के कार्यकाल में यदि कोई मच्छियों की नीलामी कर दे, यह हमारे लिए शर्म की बात है, हमारी सरकार के लिए शर्म की बात है। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि इसमें आप देरी मत करो। अधिकारी ने जब एडमिट कर लिया, इस बात को एडमिट कर लिया, उसने स्वीकार कर लिया, वरना खराब हो जाती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सही बात है आपकी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): देरी क्यों करें अपन।

श्री उपाध्यक्ष: उसके लिए नोटिस देना पड़ेगा, जवाब लेना पड़ेगा, कार्यवाही होगी माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): कब होगी कार्यवाही? (व्यवधान) जब मान रहे हैं कि गलती उसने कर दी, जब उसने स्वीकार कर लिया, कार्यवाही कर लो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप जानते हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह बेशर्मी कर रहा है, ऐसा करने के बाद भी बेशर्मी से कह रहा है कि हमारा रेवेन्यू लोस होता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई गलती करेगा, वह भुगतेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): करो ना, भुगताओ फिर, क्या बात हुई फिर?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको निर्देश देना चाहिये अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए, इसने कहा मैंने मछलियां बेची, रेवेन्यू का लोस हो जाता।

श्री उपाध्यक्ष: एडमिट हो गई।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह देखिये, बिना कपड़ों के लोग बैठे है वहां सड़को के ऊपर। आप क्या चाहते हैं पूरे राजस्थान में लोग बैठे इस तरीके से। पूरे राजस्थान के लोग सड़क पर आएं, यह चाहते हैं आप ?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सरकार को निर्देश देना चाहिये ऐसे अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आसन की तरफ से निर्देश देना चाहिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): तत्काल कार्यवाही हो ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आपको तत्काल घोषणा करनी चाहिये कि उसको निलम्बित किया जाता है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सस्पैण्ड करो उसको (व्यवधान) यह क्या बात हुई?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, अब एडमिटेड है कि फैक्ट्री अधिकारी ने गलती की और अधिकारी बैठा हुआ है क्या वह जांच को

(श्री रामनारायण मीणा)

प्रभावित नहीं करेगा? माननीय मंत्रीजी मैं विश्वास करता हूं कि आप अहिंसा के पुजारी हो लेकिन महावीर जयंती के दिन ऐसा काण्ड हो जाए, गृह मंत्रीजी ने साफ कहा है, माननीय सदस्य पारख साहब कह रहे हैं वह अधिकारी वही बैठा हुआ है, उसके खिलाफ आप कार्यवाही करने की बात करते हो तो (व्यवधान) सदन में जब कोई चीज उठ गई तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो आपके माध्यम से अनुरोध है मंत्रीजी उसको वहां से हटाने की कार्यवाही (व्यवधान) सज़ा आप क्या देंगे, यह आप जाने, कृपया करके आप तो उनके शिष्य हो जो वास्तव में अहिंसा के पुजारी हैं, कृपया करके कुछ न कुछ बोलिए। सदन का मामला है, सदन की भावना को समझिये और ऐसे मामलों में आइंदा से अधिकारियों में डर बैठे, यह काम आप कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: फिर कह दी बात, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी सरकार यह चाहती है राजस्थान में एनीटेशन हो, उसके बाद आप कार्यवाही करें तो आप वह बता दो। (व्यवधान) हम ऐसे नहीं करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने विस्तृत रूप से कह दिया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने विस्तृत रूप से कहा है, पर कार्यवाही नहीं होगी जब तक मैं बैठूंगा नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, बाहर निकाल दो भले ही आप मुझे, मैं नहीं बैठूंगा। (व्यवधान) दोनों मंत्रियों ने जवाब दे दिया। कार्यवाही होगी। कार्यवाही करनी पड़ेगी सरकार को। (व्यवधान) आप दबाव डाल रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): संयुक्त उत्तरदायित्व है। गृह मंत्रीजी बोले, गृह मंत्रीजी, आप स्वयं इस बात को मानते हैं, तो संयुक्त उत्तरदायित्व पर ही बता दीजिए, एक्चुअल घोषणा कर दीजिए, बात खतम हुई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य बीच में नहीं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मछली को प्रिजर्व एक दिन ज्यादा रख सकता था, एक दिन पहले डिस्पोज कर सकता था। यह काम नहीं करके गलती की ...(व्यवधान) इश्यू यह नहीं है, वह एक दिन ज्यादा रख सकता था, एक दिन पहले कर सकता था। यह काम नहीं किया यह प्राइमाफेसी गलती रह जाती है ...(व्यवधान) क्या तकलीफ है?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मंत्रीजी ने बताया कि मछलियां छोटी-छोटी थी उनको सूखा रखा था, प्रिजर्व करने वाली बात नहीं है । (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): फिर तो और सीरियस बात है, सूखी मछलियों को ....(व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): सूखी मछलियों तो एक दिन और रख सकते थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): फिर तो अब और भी गम्भीर है, अगर मच्छी सूख गई डाक्टर साहब, मैं वही आपसे कह रहा हूं, आप तो प्रोफेसर हैं, डाक्टर है, प्रिजर्व की हुई मछली एक दिन बाद कौनसी आफत आ गई थी। अगर सुखा दी गई थी, सूखी हुई मच्छी की लाइफ वैसे भी ज्यादा है मेरी आपसे गुजारिश है, आप जिद में न पड़े, कृपया आप जिद में न पड़े, एक मैसेज जाएगा ..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): Suspension is no punishment. You can announce the suspension. Suspension is no punishment.

फाल्ट नहीं हो तो वापस लेना आप। सस्पेंशन में क्या तकलीफ है? उसमें क्या तकलीफ है आपको?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अगर डिटेल इंक्वायरी में आपको लगता है तो आप बहाल कर देना। यह तो प्राइमाफेसी सस्पेंशन का मामला है। आगे आपकी मर्जी है। आप यदि जैन मत के मानने वाले हो, जो अपमान हुआ है इससे, और वह भी महावीर जयन्ती के दिन। आप जैन नहीं हैं, आप जैन धर्म के....(व्यवधान) सुनिये, एक बात सुनिये आप। (व्यवधान) मन, वचन, कर्म कह रहे हैं तो अगर आप होते ना, तो आप यह जिद नहीं करते। आप सस्पेंड करिये। आपके इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, पारख साहब, यहां बैठे हुए, वह कह रहे हैं। यहां पर सभी लोग कह रहे हैं, आप इसके सस्पेंशन की घोषणा करेंगे, इससे आप का कद ही बढ़ेगा। इससे और कुछ नहीं होने वाला है, आपका कद बढ़ेगा।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): गृह मंत्रीजी कह रहे हैं, गृह मंत्रीजी को कहने दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने शायद, उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय बात कही थी, मैंने उदयपुर के दोनों कैसेज, जो मांस की दुकान खुली हुई थी वह भी और यह मछलियां उसी दिन नीलाम कीं, उसको भी, दोनों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के लिये मैंने जिला कलक्टर को पहले से ही बता दिया। उनकी जैसे ही रिपोर्ट आयेगी, जो अधिकारी मांस की दुकान खुलाने के लिये जिम्मेदार था उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी और जिस अधिकारी ने इस दिन नीलामी लगाई उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने किसी अधिकारी का नाम नहीं लिया, न मैं यह जानता हूं कि इसकी जिम्मेदारी किसकी थी। क्योंकि मेरे सामने यह सारा विषय नहीं आया था। मैंने यह जरुर कहा, आपने तो आज विषय उठाया, मैंने कल ही, जैसे ही इस विषय की जानकारी हुई उसके साथ ही जिला कलक्टर को इन दोनों चीजों की जांच के लिये जो अधिकारी इसमें आते हैं उनके विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। माननीय मंत्रीजी से भी यही क्योंकि इनके विभाग का मामला था। लेकिन मैंने दोनों की जांच कलक्टर को दे दी पहले कि वह इसकी तुरन्त रिपोर्ट करें कि इसमें किस अधिकारी का जिम्मा होता है, जिसको इस बात को देखना था और जिसकी गलती के कारण से लोगों की भावनाओं को इस प्रकार से ठेस पहुंची है। यह मैं पहले कह चुका हूं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मान्यवर, हाउस चल रहा है, हाउस चलने के बाद, यदि आप स्वयं इस बात से भलीभाँति सहमत हैं कि वहां दुकान खुली और यह हुआ तो एक्शन लेने में कहां तकलीफ है। फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम एक्शन के लिये किसका इंतजार कर रहे हैं? 48 घण्टे हो गये। यह माननीय कटारिया साहब, आज के युग में इलेक्ट्रानिक मीडिया में, कोई टीवी पर आता है तो सरकार कोग्नीजेंस लेती है, प्रिण्ट मीडिया में आता है तो कोग्नीजेंस लेती है। आप स्वयं उदयपुर में थे, अख़बार में यह आ गया। आपके नोटिस में आ गया, फिर आज का दिन और 24 घण्टे निकल गये। मैं समझता हूं, यह एक गलत मैसेज अपने सरकारी अधिकारी को दे रहे हैं कि हम विधान सभा की परवाह नहीं कर रहे हैं। मैं समझता हूं सुओ-मोटो आपके जैसे सेंसेटिव आदमी को तो खड़े होकर कहना चाहिए कि इमीडिएटली दोनों को सस्पेंड करते हैं। Suspension is not punishment. अगर वह गिल्टी नहीं हो तो वापस ठीक कर लें, लेकिन हम यह निर्णय कर लें कि नहीं साहब, विधान सभा में प्रतिपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न उठाया इसलिये नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह आपकी जो भावना है, वह ठीक भावना नहीं है। मैं फिर अनुरोध करुंगा आपसे कि आप मेहरबानी करके आप सदाशयता बढ़ायें, यह धार्मिक मामला है, और धार्मिक मामले में धर्म के लोगों की निष्ठा को,

(डा. सी.पी. जोशी)

लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिये आपको खुद को खड़े होकर कहना चाहिए। आप कलक्टर को कहोगे, कलक्टर को कहने के बाद एक्शन तो डिपार्टमेंट लेगा, डी.ओ.पी. लेगा। फिर होम मिनिस्टर के कहने से क्या होगा। आपने एक्शन ले लिया, एक्शन लेने के लिये तो आप कोम्पीटेंट नहीं हैं। एक्शन तो फिशरीज डिपार्टमेंट लेगा। मैं समझता हूं कि सदन में सामूहिक जिम्मेदारी मंत्रिमण्डल की है। न केवल होम मिनिस्टर के रूप में, एक जिम्मेदार मंत्री के रूप में आपको खड़े होकर कहना चाहिए कि हम तुरन्त उनको सस्पेंड करते हैं। फिर आपको लगे तो आप वापस ले लेना। लेकिन यह जो जिद कर रखी है सरकार ने, मैं समझता हूं कि कटारिया साहब, आप जैसे आदमी को, इस धार्मिक मामले में, मैं अभी भी याद दिलाना चाहता हूं आपको, आपको याद है जालौर का किस्सा, जालौर के किस्से के समय में आप विधान सभा में थे, हम तो विधान सभा में नहीं थे। हमने तो खाली सुना है, आप जब इतने भावुक हो गये थे जालौर वाली घटना में, आज आप भावुक क्यों नहीं हो रहे हैं। मंत्री बन गये इसलिये..

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): उस समय भी मंत्री थे।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, क्या आप पर्ची पर उलाऊ कर रहे हैं? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप पर्ची पर डिबेट अलाऊ कर रहे हैं क्या? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप उस वक्त क्यों भावुक हो गये थे। लोग आज भी कोट करते हैं कि भैरोंसिंहजी शेखावत जैसे मुख्य मंत्री होने के बाद भी कटारियाजी इतने भावुक हो गये थे। आज भावुक होने की आवश्यकता ज्यादा जरुरी है कि सरकार के इतने 24 घण्टे निकलने के बाद भी यदि हम कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। (व्यवधान) पर्ची पर डिबेट कर रहे हैं। आप पर्ची पर डिबेट करवा रहे हैं। मंत्रीजी ने जवाब दे दिया और पर्ची पर आप डिबेट करवा रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्री के जवाब से मतलब तो नहीं हुआ ना, जवाब का क्या मतलब हुआ। (व्यवधान) क्या हुआ जवाब का मतलब? (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): नहीं, नहीं, पर्ची के अन्दर आप डिबेट कर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं उस टाइम आप नियम लगाते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): इन्होंने जवाब दिया, इनसे पूछिये।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): जब मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, जोशीजी। (व्यवधान) आप पर्ची पर गलत परम्परा डलवा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी का जवाब नहीं, हम एक्शन चाहते हैं। एक्शन चाहते हैं हम।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): एक्शन, मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। आपके कहने से, कैसे वह एक्शन कर लेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): मंत्रीजी ने जवाब दे दिया। यह काहे को बार-बार धमका रहे हैं खड़े होकर। यह खड़े होकर कैसे धमका रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नहीं, आपका विषय नहीं है। मंत्रीजी जवाब देंगे, आप विराजें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिये आप।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): आप गलत परम्परा डाल रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय। जो माननीय सदस्य खड़े हुए उनको 3 मिनट में बैठा दिया। पर्ची पर जब मंत्रीजी ने जवाब दे दिया तो ये बार-बार क्यों धमका रहे हैं। मंत्रीजी ने जवाब दे दिया उस बात का।

श्री उपाध्यक्ष: माननननीय सदस्य, विराजिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला अहिंसा से जुड़ा हुआ है और निश्चित रूप से महावीर जयन्ती के उपलक्ष्य में ड्राई-डे के दिन इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से अहिंसा के सभी पुजारियों के मन में पीड़ा होती है। मैं सदन में यह घोषणा करना चाहूंगा कि निश्चित रूप से जिस अधिकारी ने यह स्वीकार किया है और ड्राई-डे के दिन उसने इस प्रकार का किया है तो निश्चित रूप से उसको निलम्बन की आज मैं घोषणा करता हूं, सस्पेंड करेंगे। और मैं यह भी सदन

(श्री प्रभुलाल सैनी)

को जानकारी देना चाहूंगा कि इस मामले की एफ.आई.आर. दर्ज कराने के डाइरेक्शंस मैंने जारी कर दिये हैं। मुकदमा भी दर्ज होगा। निश्चित रूप से जितने भी दोषी व्यक्ति होंगे, सबके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर श्रीगोपाल बाहेती।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उपाध्यक्ष महोदय, अब तो बात हो ही गयी, अब क्या बोलना, बात हो ही गई अब तो। इसी विषय पर मेरा स्थगन था, यह बात तो पूरी हो गई। लेकिन मैं इस बात को इस रूप में कहना चाहता हूं कि महावीर जयन्ती जैसे पावन अवसर पर यदि ड्राई-डे की खुली अवहेलना हो...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अब क्या, जब विषय पूरा हो गया।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं वही कह रहा हूं, मंत्री महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मेरा स्थगन प्रस्ताव था। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि महावीर जयन्ती के अवसर पर, ड्राई-डे की अवहेलना हो और मांस की बिक्री हो, इसमें कहीं न कहीं सरकार की मानसिकता, सरकार का उपेक्षापूर्ण व्यवहार यह बीच में आता है कि इतने खुले आम अजमेर, उदयपुर, नागौर, कोटा सब जगह यह हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर चर्चा हो चुकी और बहुत विस्तृत तरह से हो चुकी है। इसमें आगे कोई गुंजाइश नहीं है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): एक मिनट, मेरी बात पूरी सुन लीजिये। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसे मौजूं अवसर पर, एक महावीर जयन्ती ही नहीं, और दिनों पर भी सरकार को इस बात की पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए कि आइन्दा के लिये इस प्रकार की घटनाएं न हों जिससे धर्म प्रेमी बंधुओं की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। मेरा यह कहना है।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावनाओं का आदर किया जाएगा।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह भगवान महावीर जयन्ती का ही अवसर नहीं है। मैं तो कहता हूं कि पूरे सदन के लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि इस प्रकार की अहिंसा के जो हम पुजारी हैं, हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि इस प्रकार की हिंसा का कार्यक्रम से कम हम तो नहीं करें, सब मिलकर यह संकल्प लें। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार की ओर से संकल्प रखवाओ आप, तैयार हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): ऐसे ही कर लो आप संकल्प।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप संकल्प लाएं, बूचड़खाने बंद करने का प्रस्ताव ला दो। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): संकल्प रखवाओ, तैयार हैं हम।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सरकार का यह संकल्प स्वीकार हो जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कम से कम जिन्होंने बोला है वह तो संकल्प ले लें कि हम पियेंगे भी नहीं और खाएंगे भी नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमने तो संकल्प लिया हुआ है। (व्यवधान) हमने तो संकल्प लिया हुआ है, न खाएंगे, न पियेंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह संकल्प ले लीजिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप मत शुरू कर देना।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय मुख्य सचेतकजी, आप प्रस्ताव ले आएं। आप तो अहिंसा के पुजारी हो। कथनी और करनी में अन्तर मत लाओ। बूचड़खाने बंद करने का प्रस्ताव लाओ, हम साथ देंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अहिंसा के पुजारी से हिंसा करवा तो दी, और क्या चाहिए।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): माननीय सदस्य, बैठिये, बैठिये। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हम साथ देते हैं, आप लाइये ना। हाथी के दांत खाने के और, दिखाने के और हैं, लाओ प्रस्ताव आप।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस पर चर्चा समाप्त हुई, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह बूचड़खाने बंद करने का प्रस्ताव लाना चाहते हैं, हम साथ देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आपको सुझाव दिया है। मानें नहीं मानें, वह अलग बात है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हम साथ देंगे। मेरे विपक्ष की ओर से

(श्री रामनारायण मीणा)

मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आप लाइये। नहीं तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे तो मंत्री पद छिन जाएगा। आप प्रस्ताव लाइये। खड़े होकर बोलिये।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): सारे बड़े-बड़े लोग, मछली और मीट खाते हैं, 80 प्रतिशत यहां बोलने वालों में। यह काहे को इतना हल्ला कर रहे हैं, इसमें कौनसी प्रलय हो गयी है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय ने मुझे अलाऊ किया था।

श्री उपाध्यक्ष: किस बात पर, किस बारे में? (व्यवधान)

सूचना

राजस्थान में 3 साल में 509 बच्चों की गुमशुदगी की बाबत

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय ने मुझे अलाउ किया था, पाइंट आफ इंफार्मेशन पर अलाउ किया था, वही बात मैं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भी यू.पी. की तरह निठारी काण्ड की पुनरावृत्ति होने जा रही है। मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछले 3 साल के अन्दर करीब 509 बच्चे गुमशुदा हुए और पुलिस ने आज तक एक भी बच्चे को अभी तक बरामद नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह कोई रिसेंट घटना नहीं है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंफार्मेशन देना चाहता हूं कि अभी हाल में 2 जनवरी को एक बच्चा, मनीष गोयल, जयपुर में पेंइग गेस्ट की हैसियत से एक पेंइग गेस्ट हाउस में रह रहा था। वह गुम हो गया। घर वालों ने 3-4 दिन तक उसकी तलाश की, फिर 5 तारीख को सांगानेर, पूर्व थाने में उसकी रिपोर्ट कराई।

श्री उपाध्यक्ष: इंवेस्टीगेशन में चल रहा होगा मामला। माननीय सदस्य, यह पाइंट आफ इंफार्मेशन नहीं है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): नहीं, इन्वेस्टीगेशन नहीं हो रही, तीन साल हो गये।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप सुनो तो सही।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): ऐसे सैकड़ों कैसेज हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इंवेस्टीगेशन पर चल रहा होगा मामला। माननीय सदस्य, पाइंट आफ इन्फोरमेशन पर बात हो गयी ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप सुनो तो सही।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): इतना महत्वपूर्ण केस है। राजस्थान से बच्चे गायब हो रहे हैं। बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: पिछले तीन महीने से ... (व्यवधान) इंवेस्टीगेशन चल रही है। माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): ×××

श्री महीपाल यादव (बानसूर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह अंकित नहीं हो रहा है। आपको मैं अलाऊ नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) सब हो रही है। एफ.आई.आर. दर्ज हो गयी, उस पर कार्यवाही होगी। माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं। (व्यवधान) फिर आप बीच-बीच में? माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। यहां पर कोई अंकित नहीं होगा ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विषय तो बहुत गम्भीर है और मैंने जिस दिन से यह बच्चा गायब हुआ, मैंने स्वयं ने कम से कम इसके बारे में 15 बार मेरे अधिकारियों से लेकर, आई.जी. से लेकर अलग-अलग टीम बनाकर मैं जितना प्रयास कर सकता था, मैंने उनके घर वालों के सामने और लास्ट में जब मैं सब तरफ से निराश हो गया कि इस बच्चे को अभी तक ढूंढने में मैं सफल नहीं हुआ तो मैंने एस.ओ.जी. टीम को यह केस अभी आज से कोई आठ दिन पहले उसको दिया कि अलग से टीम गठित करके इस बच्चे की जानकारी करें। जहां तक रहा सवाल राजस्थान के जो बच्चे गायब हुए हैं एकदम तो मेरे पास एटरेंडम नहीं है, लेकिन बच्चे गये हैं। कुछ मिले हैं, कुछ अभी भी मिसिंग हैं। यह नहीं है कि वह सेंट-परसेंट जितने बच्चे गये और जिनकी रिपोर्ट दर्ज हुई वे सारे के सारे बरामद हो गये या मिल गये, ऐसा नहीं है लेकिन उनमें से 60 परसेंट से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अधिक बच्चे वापस आये भी हैं, मिले भी हैं। कुछ अभी भी मिसिंग हैं और इस बच्चे के बारे में तो मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं क्योंकि उसका परिवार इतना व्यथित है कि वह लगभग सदमे की स्थिति में आज भी जब भी वह मिलता है तो उसके पिताजी बात करने में भी समर्थ नहीं हैं। मैंने उनकी पीड़ा को समझकर मैं जिस लेवल पर भी, मैं अभी तक जो कुछ कर सकता था वह मैंने किया और अन्त में जब मुझे सब तरफ से निराशा लगी तो मैंने एस.ओ.जी. की टीम को इस काम को दिया है और भगवान करेगा तो हमें इसमें सफलता जरूर मिलेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। इस पर नहीं। गृह मंत्रीजी ने सब कह दिया। आगे कोई चर्चा नहीं। अंकित नहीं हो रहा। माननीय सदस्य, अब इसका कोई अन्त नहीं होगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): ×××

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर):×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। सारे पहलुओं की जांच होगी। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उन सबसे हमने, अब तक उनके परिवारजनों को जितने भी, जिन लोगों पर भी संदेह था, उन सबको हम लाये हैं। पेइंग गेस्ट वालों को भी लाये हैं। उसके जितनी मित्र मंडली है, जिनके साथ वह रहता है उनको भी लाये हैं। जो कुछ भी अभी तक किया है उसमें से यह चीज निकल कर नहीं आयी कि वह कहां गया? आज भी वह मैं सोचता हूं कि जो आपके मन का कष्ट है वह मेरा भी है क्योंकि मेरा भी बच्चा अगर इस तरह से इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा अगर इस तरह मिसिंग हो जाए तो स्वाभाविक है और इसलिए मैंने अन्त में यह एस.ओ.जी. की नई टीम गठित करके फिर एक बार शुरू से लेकर आखिरी तक इस केस को ढूंढने का प्रयास करेंगे। जहां से भी जिस तरह से हमको लाइन मिलेगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस बच्चे को ढूंढें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया ... (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मामला है। केवल ध्यानाकर्षण के लिए, मैं तो गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री एक अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे। बैठिये। थोड़ा बैठिये।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बैठिये, पहले मैंने उनका नाम पुकार लिया है। उनके बाद कह देना आप, ठहरिये थोड़ा। (व्यवधान)

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

गृह विभाग

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधिसूचना संख्या-एफ 33(5) होम-9/2005, दिनांक 11.10.2006, जिसके द्वारा राजस्थान प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियम, 2006 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब कहिये आप।

सूचना

कोजोता मररूपमुर (कोटपूतली) से महिलाओं का अपहरण

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के गांव कोजोता महरूमपुर के पास से दो महिलाओं का पांच दिन पूर्व अपहरण हो गया। उनको अगवा कर लिया गया है और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है। दोनों तरफ के परिवार बड़े पीड़ित हैं। 24 घंटे से वह लोग थाने के ऊपर बैठे हुए हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह आग्रह है कि वह इस मामले को बहुत गम्भीरता के साथ लेकर और उन दोनों महिलाओं को बरामद करने की कार्यवाही करायें। (व्यवधान)

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री उपाध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री गोविन्द राम मेघवाल, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे। There will be no end bhai. इस तरह से उसका क्या होगा? दो-दो मिनट, तीन-तीन मिनट बात आये एकदम से और गृह मंत्रीजी से कुछ भी पूछ रहे हैं यहां, यह क्या है? (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं:-

नोखा के गांवों को पेयजल आपूर्ति विषयक

(1) इंदिरा गांधी नहर से नागौर पेयजल योजना में नोखा के गांवों को भी सम्मिलित कर पेयजल की पूर्ति करने बाबत, एवं

बीकानेर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति बाबत

(2) बीकानेर ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करने बाबत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसर देव बाबर, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे। श्री केसर देव बाबर। (अनुपस्थित) डा. सुरेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे। डा. सुरेश चौधरी। (अनुपस्थित)

श्री हरलाल सिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे।

श्रीमाधोपुर (सीकर) के अजीतगढ़ मार्ग को चौड़ा करने विषयक

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार श्रीमाधोपुर (सीकर) से अजीतगढ़ सड़क मार्ग की चौड़ाई दोगुनी करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए। ... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष: पहले रखने तो दो, माननीय सदस्य।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): इसमें पाइंट आफ आर्डर इसी पर है, रखने पर ही है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, इस पर तो ... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरा रखने पर ही तो पाइंट आफ आर्डर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप सुनेंगे तब है न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पुर:स्थापित तो हो चुका है, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): तो इसी पर जो आप बिल यहां पर रख रहे हैं, उसी पर तो मैं अपना पाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं। आप सुन तो लें एक मिनट। (व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

मनी बिल की परिभाषा विषयक

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सुन लीजिए।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 199 पर आकर्षित करना चाहता हूं। 199-Definition of Money Bills. For the purposes of this Chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill, if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely:- (a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax;. This is (a) I am not going to "a,b,c,d,e,f" of this proviso but I am going 'g' also. (g) any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f). माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 199 डिफाइन करता है कि मनी बिल क्या है? यह जो बिल माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां रख रहे हैं, माननीय मंत्रीजी, यह मनी बिल है क्योंकि it regulates. Regulation of any tax. राजस्थान का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको रेगुलेट करने के लिए आप वैट का यह बिल ला रहे हैं इसलिए जो आर्टिकल 199 का जो 'ए' पार्ट है उसकी कैटेगरी में आता है। Regulation of any tax माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्टिकल 207, कांस्टीट्यूशन का आर्टिकल "A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of Article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor and a Bill making such provision shall not be introduced in a legislative Council." माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल माननीय मंत्रीजी यहां पर अभी डिसकस करने के लिए रख रहे हैं यह मनी बिल की कैटेगरी में आता है और मनी बिल की कैटेगरी में इसलिए आता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि यह रेगुलेट करता है टैक्स को और जब यह रेगुलेट टैक्स को करता है तो कांस्टीट्यूशन की धारा 207 के अन्तर्गत गवर्नर साहब कि इसमें एसेन्ट होना जरूरी था और यह जो बिल आप इस सदन में आप जो चर्चा कर रहे हैं इसमें गवर्नर साहब की एसेन्ट नहीं है, नम्बर एक।

(डा. सी.पी. जोशी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रेक्टिसेज एण्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामैंट इसके पेज 523 पर भी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, 524 पर भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह पार्लियामैंट प्रेक्टिसेज के चैप्टर-22 लेजिस्लेशन में भी लिख रखा है – A Money Bill has been defined as under; (1) A Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, namely; (a) the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax; इसमें भी वही है जो मैंने कोट किया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 'regulation of any tax' इसमें भी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रेगुलेशन आफ एनी टैक्स लिख रखा है और जो 'जी' क्लॉज है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट प्रेक्टिसेज, उसमें लिखा है कि "Any matter incidental to any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f). यह मैटर इंसीडेंटल की केटेगरी में नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कैटेगरी 'ए' के अन्दर भी ... (व्यवधान) लिखा है। रेगुलेट करने के लिए है। माननीय मंत्रीजी खड़े होकर यह बता दें, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मनी बिल है या नहीं? यदि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मनी बिल है तो बिना गवर्नर साहब की कंसेट किये हुए मनी बिल को हाउस में डिसकस नहीं किया जाए और मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य है राजस्थान का, राजस्थान का दुर्भाग्य है, जब कभी भी वित्तीय विधेयक की चर्चा होती है तो मुख्य मंत्री यहां पर उपस्थित नहीं रहते हैं।

और जब कभी भी माननीय वित्त राज्य मंत्री प्रस्तुत करते हैं तो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर उनको बोलने का मौका ही नहीं देते हैं और वह खुद जाकर उनको गाइड करने की कोशिश करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि तीन साल तक जिस आदमी को वित्त राज्य मंत्री का पद दे रखा है, उसकी कोम्पीटेंस के बारे में पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर को ज्ञान नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर इस बात के लिये रेस्पांसिबल हैं क्योंकि कोई भी बिल पास होकर आता है तो सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि इसकी जांच की जाये कि यह मनी बिल है या नहीं है। मेरा पुरजोर शब्दों में आपसे निवेदन है कि यह सरकार लम्बे समय से संविधान का उल्लंघन कर रही है। प्रभारी मंत्री बनाना हो, प्रभारी इंचार्ज बनाना हो, पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर को स्टेट मिनिस्टर का दर्जा देना हो, इस

(डा. सी.पी. जोशी)

राजस्थान की सरकार ने संविधान की सारी व्यवस्थाओं का मखौल उड़ा रखा है। आज आवश्यकता इस बात की है, उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद वकील हैं, आप खुद पढ़ लें इस बात को, मैंने जो कोट किया है कांस्टीट्यूशन का प्रोविजन, यह रेगुलेट के अंदर आता है या नहीं वेट। वेट यदि रेगुलेट करने के अंदर आता है तो मैं समझता हूं कि सरकार की इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती। मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि संविधान की रक्षा करने का उत्तरदायित्व आपका है, आप चेयर पर बैठे हुए हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपका है। पक्ष और प्रतिपक्ष बहुमत के आधार पर, विरोध के आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है पर जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसका धर्म बनता है कि हमने संविधान के प्रति शपथ ली है, संविधान के जो प्रोविजन हैं, उनका ठीक ढंग से पालन किया जाये। यह सरकार गैर-संवैधानिक काम कर रही है इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि आप सरकार को निर्देश दें कि इस बिल को गवर्नर साहब से असेंट करवा कर लाये, फिर हाउस में डिसकस करे। तब तो बिल संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन होगा और बहुमत के आधार पर, खोटे पार्लियामेंट अफेसर मिनिस्टर की खोटी राय के आधार पर यदि सरकार की चलाने की अपनी जिम्मेदारी निभा रखी है तो मैं समझता हूं कि हमें हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है, उस अधिकार को हम छोड़ेंगे नहीं और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि पहले आप इस पर निर्णय करें कि यह मनी बिल की कैटेगिरी में आता है कि नहीं ? यदि यह मनी बिल की कैटेगिरी में आता है और गवर्नर साहब की असेंट नहीं है तो मेहरबानी करके इस बिल को विद्-ड्रा करें और कल वापस गवर्नर साहब के साइन कराने के बाद हाउस में चर्चा करायें। तब तो मैं समझता हूं कि संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप कानून के जानकार व्यक्ति हैं और कानून का जानकार व्यक्ति भी यदि कानून की पालना के बारे में नहीं कहेगा तो फिर राजस्थान की जनता में यह मैसेज जायेगा कि कानून की पालना करना जरूरी नहीं है। यदि आप कानून की पालना इस सरकार से नहीं करवा सकते तो जनता से कानून की पालना के बारे में अपेक्षा करें, यह भी ठीक नहीं है। मैं आशा करूंगा कि पहले आप निर्णय करें कि यह बिल मनी बिल है और मनी बिल होने के अन्तर्गत गवर्नर साहब के इस पर साइन नहीं हैं, इसलिए सदन में बिना गवर्नर साहब के साइन किये हुए हाउस में इसकी चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय मंत्रीजी, आप यही कहेंगे न कि it is replacing the Ordinance.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): Yes.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप यही तो कहेंगे न ? अब आप बिराजें एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट, पहले मैं बात कह दूं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, जब आपको पता है कि यह सही बात कहेंगे तो फिर यह सही बात कहेंगे, इसमें विवाद फिर कहां है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं उसका डिस्टिंगविस कर रहा हूं। (व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, अगर ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप यही कहेंगे कि It is replacing an Ordinance. आप यही कहेंगे? मेरा सजेशन यह है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप एक मिनट, मेरी बात तो सुन लीजिये। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य निश्चित तौर पर ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी हर चीज संवैधानिक ...(व्यवधान) इस राठौड़ी में कहीं पर लिखा हुआ है कि ओर्डिनेंस पर गवर्नर ने साइन कर दिये, इसलिए बिल में जरूरत नहीं है तो मैं अपने आपको विद्-ड्रा कर लूंगा। किसी प्रोविजन में कानून के अन्तर्गत यह छूट नहीं है। ओर्डिनेंस पर गवर्नर ने साइन किये, बिल के संबंध में कोई प्रोविजन लागू नहीं होता, जो ओर्डिनेंस पर लागू होता है। बिल के संबंध में, यदि बिल आ रहा है तो बिल पर अलग से गवर्नर साहब से असेंट लेने की आवश्यकता है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह बड़ा वैलिड सवाल है। हमने इसका अध्ययन किया है, देखा है इसको। कोल एण्ड शकधर में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। अब आप खड़े रहेंगे तो आपको देखने के उपरान्त मेरे मुंह से बोली ही नहीं निकलेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस कारण से ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप राठौड़ जो हैं। माननीय उपाध्यक्ष

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

महोदय, सिर्फ सवाल इसमें इतना-सा है जो बिल ओर्डिनेंस को रिप्लेस करेगा, क्या उसके अंदर गवर्नर की असेंट लेने की आवश्यकता है या नहीं। हमारा कहना है आवश्यक है यह भी। आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि आप इससे बचना चाहें तो आप नहीं बच सकते। Since it regulates, it is a Finance Bill. उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेंस बिल की तारीफ में आता है। कोल एण्ड शकधर पढ़ लीजिये पूरा उठाकर। मैंने कोल एण्ड शकधर को पूरा पढ़ा है। यह मनी बिल की डेफिनेशन के अदंर आता है और आप रूक जाइये, गवर्नर साहब से असेंट लीजिये इसके ऊपर, आप कल इंट्रोड्यूज कर सकते हैं, अन्यथा यह हाई कोर्ट में चैलेंज होगा बिना गवर्नर की असेंट के और आपके स्ट्राइक डाउन कर देगा, हाई कोर्ट मानेगा ही नहीं इसको और जो भी इसके तहत असेसमेंट वगैरह होंगे, सारे के सारे इल्लीगल हो जायेंगे। यह मैं आपसे निश्चित रूप से कह रहा हूं और राजस्थान की जनता का बहुत बड़ा अहित होगा। राजस्थान की जनता लिटिगेशन में फंस जायेगी, इसलिए मेहरबानी करके जल्दी के अंदर कोई काम ना करायें। आप लोग देखते तो हैं नहीं इसको, पूरा अध्ययन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा ओर्डिनेंस का रिप्लेस हो रहा है इसलिए आवश्यकता नहीं है। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा, बिलकुल सही कहा है। ऐसा आप बता दीजिये ओर्डिनेंस को जो बिल रिप्लेस करेगा, उस पर गवर्नर के असेंट की जरूरत होगी, नहीं होगी। आप किसी चीज में उठाकर दिखा दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, अभी नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आर्टिकल 199 का हवाला देकर यह कहा कि यह मनी बिल है। उपाध्यक्ष महोदय, एक बार नहीं, शायद राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य अपने उस रोल को भूल गये जो यहां से आप किया करते थे। कई बार, कई बार क्या उपाध्यक्ष महोदय, कई उदाहरण हैं ओर्डिनेंस जारी हुआ ...(व्यवधान) एक मिनट ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उदाहरण कानून बन जाते हैं क्या, अजीब बात है। कोई कानून, उपाध्यक्ष महोदय, आपका आफिसियो प्रोफिट बिल कोई पचास साल से पड़ा हुआ था और जब इंटरप्रियेट किया तो असेंट हुआ उस पर। अब हमने नहीं किया, यह कोई कानून का मामला है क्या ? हमने नहीं किया पांच साल तक, आप नींद निकाल रहे थे, आप अपोजिशन में थे, आपको पाइंट आउट करना चाहिये था उस समय । आप क्या कर रहे थे पांच

(डा. सी.पी. जोशी)

साल तक ? उपाध्यक्ष महोदय, रेलेवेंट क्लाज कोट करवाइये। पांइट आफ आर्डर पर व्यवस्था यह है कि रेलेवेंट क्लाज में बता दीजिये इस पर गवर्नर के साइन के बाद, बिल में जरूरत नहीं है। वह कोई क्लॉज बता दीजिये, हम मान लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, 27 दिसम्बर को यह ओर्डिनेंस जारी हुआ और महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति मिली, 28 दिसम्बर को हमने गजट में इसको नोटिफाई कर दिया। आज उसका रिप्लेसिंग बिल लेकर आ रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञा से ही सारी चीज निकलती है। उन्होंने जिस चीज का अनुमोदन पहले कर दिया, आज वह रिप्लेसिंग बिल आया। उस पर किसी तरह की आपत्ति मैं समझता हूं एक बार, दो बार नहीं कई बार, कई मर्तबा राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और यहां पूर्व मुख्य मंत्री, शिवचरणजी भी बिराज रहे हैं, इनसे पूछ लें रिप्लेसिंग बिल के लिये, मनी बिल की परिभाषा में आता है, मैं मानता हूं कि मनी बिल की परिभाषा में आता है और मैं यह भी मानता हूं ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप कोई ऐसा उदाहरण तो बता दीजिये। आप कोई एक उदाहरण इस सदन का बता दीजिये। आप कह रहे हो आप करते थे तो आपने पाइंट आउट नहीं किया। आपको एतराज करना चाहिये था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस चीज का एजराज ? कानून सम्मत ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नम्बर दो आप कोई नियम बता दीजिये, कोई कानून बता दीजिये, इस हाउस का कोई उदाहरण बता दीजिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय राठौड़ साहब, इस ओर्डिनेंस पर साइन करना गवर्नर साहब का कांस्टीट्यूशनल राइट है। बिल पर डिसकस करना हमारी असेम्बली का राइट है Don't mix up two things together. ओर्डिनेंस आये, कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन है, ओर्डिनेंस बिना गवर्नर के साइन के नहीं आ सकता That is a different issue. बट जब बिल हाउस में आयेगा That is my prerogative as a Member कि बिल डिसकस करने में जो कांस्टीट्यूशन में प्रोविजन है, वह लागू होंगे इसलिए कोई भी रेलेवेंसी ओर्डिनेंस में गवर्नर के साइन के हिसाब से इसमें नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, दो चीज

(डा. सी.पी. जोशी)

बिलकुल साफ है। मैं आपको फिर निवेदन करना चाहता हूं कि ओर्डिनेंस में बिना गवर्नर के साइन के कोई ओर्डिनेंस नहीं आ सकता। ओर्डिनेंस पर मस्ट हैं गवर्नर के साइन होना, उसकी कोई नहीं है। यहां विधान सभा में जब बिल आता है एवरी ओर्डिनेंस, ओर्डिनेंस का परपज क्या है, उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्टरवेनिंग असेम्बली के बीच में बिल नहीं ला सकते हैं, ओर्डिनेंस आयेगा, गवर्नर साइन करेगा That is a limited purpose. बट हाउस का बिल का जो परपज है, उसकी कोई रेलेवेन्सी नहीं है कि गवर्नर साहब ने साइन किये कि नहीं किये । गवर्नर का परपज ओर्डिनेंस के सम्बन्ध में यह लेजिस्लेटर का अधिकार है कि बिल जब डिसकस होगा और यदि वह मनी बिल है तो निश्चित तौर पर गवर्नर की कन्सर्ट उस बिल के लिये मस्ट है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले निवेदन किया और आर्टिकल 207 में गवर्नर साहब की स्वीकृति आवश्यक है। यह दोनों संवैधानिक आवश्यकताएं थीं, इनको पूरा कर लिया गया है, इसलिए इसमें कोई ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कहां कर लिया, कागज बताइये ? उपाध्यक्ष महोदय, इसमें फोरमेट होता है, यह फोरमेट कर लिया गया है तो फोरमेट बतायें। इस बिल के साथ कोई फोरमेट नहीं है। आप यह बताइये मुख्य मंत्रीजी, वित्त मंत्रीजी कहां हैं ? गवर्नर का कोई लिखा हुआ नहीं है। आप इसके एम्स एण्ड ओब्जेक्टिव देखिये, एम्स एण्ड ओब्जेक्टिव हैं, सबसे विचित्र बात, उपाध्यक्ष महोदय, इतनी जल्दी में लाये हैं एम्स एण्ड ओब्जेक्टिव को स्टार्ट किया है दी प्रोविजन आफ दिस एक्ट इसमें कोई चीज मेंशन भी नहीं की है । एम्स एण्ड ओब्जेक्टिव में ऐसा खोटा बिल आज दिन तक नहीं आया है जिसमें एम्स एण्ड ओब्जेक्टिव में कोई चीज मेंशन नहीं कर रखी हो Right from the start it is a first sentence. उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी बिल आप पढ़ें, इसको एम्स एण्ड ओब्जेक्टिव को लिखते हैं फिर नीचे भी लिखते हैं एक भी पैराग्राफ, किस प्रकार पैराग्राफ में which pertains to the Aims and Objectives. इस एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, इस लोकतंत्र में एक लिमिट हो जायेगी राजशाही की बात को एग्री करने के लिये। पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर अपने-अपने हितों को साधने के लिये इस असेम्बली के जो नियम और कानून हैं, उनको यदि आप सरकमेंट कर रहे हैं

(डा. सी.पी. जोशी)

तो मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनेगी। आपने एम्स एण्ड ओब्जेक्टिव में इसको मेंशन नहीं किया है। आप यह खोटा बिल लाकर इस राजस्थान की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। और यह बिल जो टैक्सेशन बिल है, जैसे राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, यह लिटिगेशन में जायेगा और लिटिगेशन में जायेगा उसके बाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम अपने प्रतिपक्ष की भूमिका निभा कर गवर्नर साहब और प्रेसीडेंट साहब को बतायेंगे कि यह सरकार गैर-कानूनी काम कर रही है और जनता को भी मालूम पड़ेगा कि ऐसा बिल जो बिल गवर्नर से पास नहीं है, उसके आधार पर टैक्सेशन लगायेंगे तो टैक्सेशन सारे गलत हो जायेंगे और जनता लिटिगेशन में जाकर के फंस जायेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई तर्क के आधार पर तर्क करे ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): This is a constitutional failure. संवैधानिक दायित्व निभाने में यह सरकार असफल रही है और प्रशासनिक दृष्टि से it is a major lapse on the part of the government कि यह भेजा नहीं वहां पर। लॉ डिपार्टमेंट का तो भट्ठा बैठ गया है यहां पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुनिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना बड़ा आसान है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तर्क के नाम पर तर्क करके हम किसी बात को कितनी ही बढ़ाते रहें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को अगर आप पढ़ेंगे, इसके किसी भी खण्ड में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है। यह तो जो व्यापारी हैं उनके कुछ संशय थे, उन संशयों को दूर करने के लिए लाया गया है जिससे राजस्थान का एक तरफ राजस्व बढ़ेगा दूसरी तरफ इसमें जो संशय हैं उन संशयों को दूर करने का काम है। कहीं कोई नये टैक्स की बात नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): इसमें रिट्रोस्पेक्टिव डेट से, कितना खोटा बोल रहे हैं, शिड्यूल में रिट्रोस्पेक्टिव डेट से प्रोस्पेक्टिव डेट से टैक्स लगा रहे हो और कह रहे हो हम कुछ नहीं कर रहे। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना खोटा पार्लियामेंट्री अफेयर्स

(डा. सी.पी. जोशी)

मिनिस्टर बोलेंगे, इसमें रिट्रोस्पेक्टिव डेट से, प्रोस्पेक्टिव डेट से टैक्स लगाये, यह प्रोविजन है और आप बातें कर रहे हैं इसमें खाम खां में, बिलकुल अनपार्लियामेंट्री बात कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ कर सुनाता हूं आपको।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): शिड्यूल यह दे रखा है, रिट्रोस्पेक्टिव डेट से टैक्स लगायेंगे आप प्रोस्पेक्टिव डेट से टैक्स लगायेंगे और आप कह रहे हो कि इसमें कुछ है ही नहीं। हद हो गयी बिलकुल ही।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ कर सुनाता हूं. Money Bill and Finance Bill. A Money Bill has to be decided…

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात डा. सी.पी. जोशी ने कह दी, नयी बात क्या कह रहे हैं?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप एक मिनट रुक जाएं। आपने यह कहा कि वो तो यह किया है कि ''... a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, …"

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप पढ़ कर वो सुना दो कि आर्डिनेन्स पर रिप्लेसिंग बिल से पहले फिर परमिशन की जरूरत है उसके बाद। यह आर्टिकल 199 दोबारा पढ़ कर सुना रहे हैं। क्या मतलब की बात है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अब आप सुन लें गौर से जरा. ''... a Bill shall be deemed to be a Money Bill if it contains only provisions dealing with all or any of the following matters, …" All or any. "…imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax .."

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, ऐसी कोई व्यवस्था …(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप गौर से सुन लें। इस एक्ट के तहत ''...imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax .." अगर आप रेगुलेट भी करते हैं, अब अपील का मैटर भी तय होगा, अपील इस हिसाब से डिस्पोज ऑफ होगी। इसमें आगे व्याख्या में दिया हुआ है, यह मनी बिल की तारीख में आता है और कोई भी मनी बिल बिना राज्यपाल महोदय की (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस ने मना किया? किस ने मना किया? ...(व्यवधान)... रूल 199 में आता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई एक नजीर बता दें। पहले यह मामला केबिनेट में, केबिनेट के बाद में इसमें गवर्नर साहब की असेंट से आर्डिनेन्स जारी होता है, आर्डिनेन्स जारी होने के बाद विधान सभा में रिप्लेसिंग बिल आया, अगर आर्डिनेन्स जारी करने के बाद दोबारा हमें, पहले परमिशन जो हमने ले रखी है, पुन: राज्यपाल महोदय की स्वीकृति की आवश्यकता है, कहीं उल्लेख है तो बता दो मुझे। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पूरे संविधान में, आप पढ़ लीजिए, आप कानूनविद् हैं, इस पूरे संविधान में आर्डिनेन्स का कोई उल्लेख नहीं है। आर्डिनेन्स का सम्बन्ध केवल मात्र यह है कि विधान सभा जब नहीं चल रही हो तब आपको कोई चीज लानी है तो गवर्नर साइन कर के आये. That is the only purpose of the Ordinance. बाकी जो सारे कांस्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसमें जो हमारा अधिकार है बिल में, उस बिल में मनी बिल यदि है, जैसा खुद माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मान रहे हैं कि मनी बिल है, मनी बिल है तो गवर्नर की इसमें असेंट का कागज हमको चाहिए। बताइये कागज कहां है? इस बिल के साथ बताएं कागज, इन्होंने लगाया?

व्यवस्था

मनी बिल की परिभाषा विषयक

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जहां तक आपके आब्जैक्शन का प्रश्न है, पहली बात तो यह है कि बिल पुर:स्थापित हो चुका, उस वक्त आपने किसी भी प्रकार का कोई आब्जैक्शन किया नहीं। उसके अलावा उसी आर्डिनेन्स को ही वापस बिल के रूप में पेश किया गया है और आप 207 का प्रोविजन भी देखेंगे, माननीय सदस्य, आर्टिकल 207 में भी दिया है – ‘‘Special provisions as to financial Bills. – (1) A Bill or amendment making provision for any of the matters specified in sub-clauses (a) to (f) of clause (1) of Article 199 shall not be introduced or moved except on the recommendation of the Governor, and a Bill making such provision shall not be introduced in a Legislative Council: Provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction or abolition of any tax.” यह रिडैक्शन और अबोलिशन के लिए प्रोविजन दिये हैं इसलिए

(श्री उपाध्यक्ष)

इसमें कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसके साथ में आर्डिनेन्स में असेंट है, आर्डिनेन्स जो जारी किया है वो गवर्नर साहब की असेंट है ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मुझे हालांकि आपने व्यवस्था दे दी है, यह प्रोविजो जो है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वो रेगुलेट करने के सम्बन्ध में नहीं है। यह जो आपका वैट का बिल है, इस बिल में रेगुलैट कर रहे हैं आप टैक्स को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां कर रहे हैं न।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अबोलिशन और उसका यह पार्ट भी उसका रेगुलेशन का पार्ट होता है. So it cannot be in isolation. मैं समझता हूं कि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे व्यवस्था दे दी, जिस सरकार के सारे काम गैर-कानूनी चल रहे हों, गैर-संवैधानिक चल रहे हों, उससे मैं कोई संवैधानिक व्यवस्था की आशा करूं, सम्भव नहीं है इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार गैर-संवैधानिक काम करके इस विधान सभा के बिल लाकर हमारे अधिकार का हनन करना चाहती है, हम इसका खुला विरोध करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं आपके निर्णय को चुनौती नहीं देता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आसन से व्यवस्था दी जा चुकी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लेकिन आपने यह कहा है कि जो वैट का यह बिल आ रहा है उसमें ना तो सरकार कोई नया टैक्स लगा सकती है ना घटा सकती है, ऐसी बात नहीं है। इसमें जो अमेंडमेंट है उसमें वैट के मामले में किसी को भी सरकार एग्जम्प्शन दे सकती है और किसी का भी गजट नोटिफिकेशन के आधार पर टैक्स घटत-बढ़त कर सकती है। इसलिए यह प्रोविजो इसमें लागू नहीं होता है, आपको पुनर्विचार करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप कर लेना न। बिल के स्कोप में इन्हें कुछ कहना है तो कह दें न, कहां मनाही है। बिल के स्कोप में कुछ कहना है तो कहें यह।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और मनी बिल के रूप में इन्होंने माना है कि इसकी गवर्नर साहब से असेंट लेनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, व्यवस्था दी जा चुकी है।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मैम्बर्स डे है तो इस पर चर्चा तो पहले क्या लम्बी-चौड़ी है, वापस लेना है, सब को, तो कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: होनी तो नहीं चाहिए वैसे तो। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो कानूनी मुद्दा माननीय सदस्य ने उठाया था, हालांकि आपकी व्यवस्था हो चुकी है पर मैं एक बात पुन: निवेदन करूंगा माननीय सदस्य से कि किसी विधेयक को विचारार्थ स्वीकार करना और किसी विधेयक को, जो वर्ड है हिन्दी का पुरस्थापित करना, उसमें फर्क है और जो संवैधानिक व्यवस्था बता रहे थे, चाहे आर्टिकल 207 की हो या आर्टिकल 199 की हो, वो व्यवस्था अगर उस दिन, जिस दिन इंट्रोड्यूज करने की स्टेज पर थी, वो एक अलग मुद्दा था। आपने विचारार्थ, जब आलरेडी इंट्रोड्यूज हो चुका है तो विचारार्थ लिये जाने वक्त अगर ऐसा कंसेंट माननीय राज्यपाल महोदयजी की जरूरी हो, वैसी इसमें

(श्री जोगाराम पटेल)

लैंग्वेज नहीं है, न ऐसी कोई भाषा है पर चूंकि ऐसी व्यवस्था हो चुकी, वो विषय समाप्त हो चुका है। और इसमें दो पहले व्यवस्था भी है।

जहां तक यह राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक 2007 का प्रश्न है, इसमें जो-जो, जिन-जिन धाराओं, उप-धाराओं में संशोधन किया गया है वो किस तरह व क्योंकर आवश्यक रहा है, इसका उन्हीं धाराओं में उसके साथ में दिये गये में बहुत विस्तृत विवरण किया गया है। राजस्थान में इस विधेयक के आने के बाद राजस्थान की जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें भारी आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है और उसका हित राजस्थान की आम जनता के साथ जुड़ा है, उसका लाभ राजस्थान की आम जनता को मिला है और वैट रूपी कानून बना कर के व्यवस्था के माध्यम से राजस्थान की सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है उस ऐतिहासिक व्यवस्था के तहत बजट भाषण के दौरान, माननीय गवर्नर की स्पीच के दौरान जो कुशल वित्तीय प्रबन्धन हुआ उसके बारे में विस्तृत जानकारियां दी गयीं। कितना लाभ हुआ, इसकी विस्तृत जानकारियां दी गयीं। कितना करों में बिना कर लगाये लाभ हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी दी गयी।

उन सारे विषयों में, मैं आज नहीं जाऊंगा पर मैं इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि इसके द्वारा यह जो वैट का टैक्स प्रारम्भ किया उसके बाद सरकार ने व्यापारियों की, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करते हुए ऐसी व्यवस्था की, उस व्यवस्था से व्यापारियों को लाभ हुआ, उपभोक्ताओं को लाभ हुआ और इस तंत्र के माध्यम से सरकार ने उन सब की सहायता की जो इनसे प्रभावित होने वाले थे या प्रभावित हो रहे हैं।

सबसे पहले सरकार ने विभागीय हैल्प लाइन कायम की। इस एक्ट के आने के बाद नया-नया एक्ट था, राजस्थान में व्यापारी इतने तकनीकी ज्ञान के जानकार भी नहीं हैं, उनकी तकलीफ होने की स्थिति में उसका तुरन्त निराकरण हो और इसमें सबसे पहले सरकार ने जो विभागीय हैल्प लाइन कायम की। उसके द्वारा फ्रैंकली आस्क क्वश्चन, सरल भाषा में जिसका जवाब दिया जा सकता है। जो व्यापारी अपनी भाषा में कोई प्रश्न करता था, अपनी समस्या बताता उसका तुरन्त ही निराकरण किया जाने लगा और इससे आम उपभोक्ता और व्यापारी को फायदा हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं डिवीजनल कमिश्नर लेवल पर कमेटियां बैठाकर, मीटिंग आयोजित कर

(श्री जोगाराम पटेल)

व्यापारियों के साथ बैठकर सरकार के अधिकारियों ने उन व्यापारियों की उन सब शंकाओं का समाधान किया, उन सब तकलीफों को दूर किया जो उनको समय-समय पर इस एक्ट के माध्यम से हो रही थीं या इस एक्ट के प्रावधानों की पालना में जो उनको तकलीफ हो रही थी, उनका सब निराकरण किया। यह भी एक विशेष बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, इस वैट के विधिक प्रावधानों की जानकारी हेतु, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं, अभी यह नया-नया एक्ट आया था, इतनी तकनीकी जानकारी नहीं थी, इतने एक्सपर्ट नहीं थे। कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून में तब तक एक्सपर्ट नहीं होता है जब तक उसका दो या चार बार प्रयोग नहीं हो जाता है। मात्र पढ़ने से उस एक्ट के तकनीकी विषयों की जानकारी नहीं हो सकती और हमारे विभाग के अधिकारियों ने ज्यों-ज्यों इनको जानकारी मिली, इसके अलावा सरकार ने इसमें ट्रेनिंग देकर, उनको इस विषय की ट्रेनिंग दी गयी कि यह इस तरह के इसके प्रावधान हैं, इसकी पालना इस तरह से की जानी है, ऐसे फार्म भरे जाने हैं, व्यापारियों की इस तरह की शिकायत की जानी है, इससे भी व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने हेतु प्रशासन को कौनसी कठिनाई आ रही है, व्यापारी को कौनसी कठिनाई आ रही है और इन दोनों को कौनसी कठिनाई है, आपस में बैठकर सुलझाई जा सकती है, आपसी संवाद कायम कर, मीटिंग कर दूर किया गया, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व प्राप्ति का प्रतिशत बढ़ा। मैं आंकड़ों में नहीं जाकर सिर्फ आपको इतना ही निवेदन करूंगा जहां 1999-2000 में राजस्व प्राप्ति 5.97 प्रतिशत थी वह धीरे-धीरे प्रतिवर्ष बढ़ते-बढ़ते 2006-07 में 6.80 के परसंटेज में इन्क्रीज हुई और इस एक्ट की वजह से राजस्व प्राप्ति जो हुई उसमें एक बहुत ज्यादा बड़ा लाभ वैट की वजह से राजस्थान की सरकार को हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं यह जो राजकोषीय घाटा था, जो एक समस्या बनी हुई थी राजस्थान सरकार के लिए और उस राजकोषीय घाटे

(श्री जोगाराम पटेल)

को भी इस एक्ट के आने के बाद व्यापारियों के सहयोग, अधिकारियों की कार्य कुशलता और सरकार के कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण इसमें बहुत सुधार हुआ और 2002-03 में 64.34 यानि 65 परसेंट के करीब राजकोषीय घाटे की प्रवृत्ति थी वह धीरे-धीरे इस वर्ष आकर गत वर्ष के फाइनेंशियल बिल में 0.84 हो गया और फिर सरप्लस में जाने की स्थिति जो बनी है वह सब इसी कारण से बनी है। इसके लिए मैं सरकार को साधुवाद देते हुए इसकी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां जो आ रही हैं व्यापारियों को, उसकी ओर मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कुछ ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयां व्यापारियों को आ रही हैं जिनका निराकरण किया जाना भी बहुत आवश्यक है जिससे कार्य कुशलता भी व्यापारियों की बढ़ने के साथ-साथ जो अधिकारियों को भी परेशानी हो रही है, जो अनावश्यक रूप से थोड़े से सरलीकरण के कारण सुलझाई जा सकती हैं उसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा। उस सम्बन्ध में सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं इसके सैक्शन 27, 28 और रूल 53 की ओर, जहां एक टैक्स लगाने की प्रवृत्ति नहीं है, पहले आप जमा कराओगे फिर आप फार्म भरोगे, फिर रिफण्ड होगा, उस सम्बन्ध में। उससे एक समस्या यह पैदा हो गई है कि आपके रूल्स हैं, आपके प्रोवीजन्स हैं सैक्शन 27 और 28 जिसके तहत नोन टैक्सेबल आइटम अगर आपका है तो उसका असेसमैंट करके आप जमा कराओगे और फिर वह फार्म भरकर आपको रिफण्ड मिल जाएगा।

इस जमा करवाने और रिफण्ड लेने की कार्यवाही के दौरान स्पेशली मैं उदाहरण देकर बताना चाहूंगा जोधपुर में स्टेनलैस स्टील की जो पट्टी है या हैण्डीक्राफ्ट हैं, इनके करीब-करीब तीस करोड़ से पचास करोड़ के बीच में इन दोनों विभागों को, करीब तीस करोड़ स्टैनलैस स्टील विभाग का और करीब पचास करोड़ जो रुपया है वह इन व्यापारियों का जमा करता है। हालांकि सरकार ने प्रयास किया है कि इनके रिफण्ड की कार्यवाही तुरन्त की जाय पर फिर भी अधिकारियों को भी बहुत परेशानी हो रही है। वह जमा करना, वापस रिफण्ड देना, हिसाब रखना, तुरन्त रिफण्ड करना, व्यापारी का तीस करोड़, पचास करोड़ का अमाउंट जमा रह जाना, उससे उसके व्यापार पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिंदु की बाबत, इस व्यवस्था की बाबत कोई न कोई सरलीकरण करने की आवश्यकता है। पहला मेरा निवेदन यह था।

(श्री जोगाराम पटेल)

इसमें हमने जितना महसूस किया है, हमारे व्यापारियों ने महसूस किया है वह अपनी तरफ से दो सुझाव हैं वह कितने व्यावहारिक हैं आप उसकी जांच करें। एक तो यह है कि इसमें अभी जीरो परसेंट टैक्स है, इस जीरो परसेंट सी. एस. टी. टैक्स को आधा परसेंट कर दें, एक परसेंट कर दें और इस जमा कराने और रिफण्ड करने की प्रवृत्ति है वह बंद हो जाएगी। तो सरकारी अधिकारियों को इतना बड़ा लवाजमा इसमें लगाना पड़ता है, हिसाब रखना पड़ता है, देना पड़ता है, लेना पड़ता है, वह व्यवस्था खतम हो जाएगी और व्यापारी सहर्ष आधा परसेंट, एक परसेंट टैक्स दे देंगे और उसका रिफण्ड भी नहीं लेंगे। जहां तक मेरा मानना है इससे गवर्नमैंट की रेवेन्यू इन्क्रीज होगी, गवर्नमैंट को अधिक रेवेन्यू मिलेगी। अगर यह व्यावहारिक हो तो इसको एक्जामिन किया जाय और यह लागू किया जाना चाहिए। पहला मेरा निवेदन यह था।

दूसरा, राजस्थान में एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा जो महकमा है तो वह हैण्डीक्राफ्ट है और उसका सबसे बड़ा स्थान जोधपुर है। हैण्डीक्राफ्ट सबसे ज्यादा फोरेन एक्सचैंज दिलवाता है, फोरेन रेवेन्यू दिलवाता है और अरबों रुपए का एक्सपोर्ट हैण्डीक्राफ्ट के मार्फत हो रहा है। हैण्डीक्राफ्ट में जो टैक्स का स्लैब है और उसके अन्दर जो छोटे-छोटे आइटम आते हैं जिसके सम्बन्ध में मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा, उसमें जो व्यवहारिक कठिनाइयां हैं, सबसे पहली कठिनाई जो है यह निल टैक्स प्रमाण पत्र है, उस प्रमाण पत्र में आइटम वाइज इतने ज्यादा हैं और एक आपका फार्म-9 है, वह इतना काम्पलीकेटेड फार्म है कि साधारण व्यापारी को उसमें बहुत कठिनाई आ रही हैं। उसमें जो नेसेसरी इन्फार्मेशन है वह विभाग जरूर लें पर फार्म-9 को सरल करें, क्योंकि इतना काम्पलीकेटेड फार्म है कि उस फार्म को भरने में व्यापारियों को बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है। एक तो मेरा निवेदन यह है।

दूसरा इसमें ई. ओ. यू. जो आपका प्रोवीजन आपने बनाया है, उस प्रोवीजन में आपने निल टैक्स के प्रमाण पत्र हैण्डीक्राफ्ट खरीद पर लागू कर दी है जबकि इसके तीन या चार जो आइटम हैं, जैसे लकड़ी, लकड़ी पर आपका वैट जो है वह है साढ़े बारह परसेंट और उसकी जगह आपने चार परसेंट किया पिछली बार, अगर यह सम्भव हो तो उसमें से लकड़ी के दो हैं। बबूल की लकड़ी भी है जो अपने यहां हर जगह उपलब्ध होती है और इसमें

(श्री जोगाराम पटेल)

शीशम की भी है और कीमती लकड़ियां भी हैं, उसको अलग-अलग अगर बबूल की लकड़ी को एग्जम्प्ट कर दें और बाकी लकड़ी पर आप अगर टैक्स अलग कर दें तो जो छोटे-छोटे साधारण व्यापारी हैं, जैसे हैण्डीक्राफ्ट में सुथार हैं, छोटे आइटम बनाने वाला है वह अपनी बबूल की लकड़ी को काम में लेता है, उसकी कठिनाई खतम हो जाएगी, एक निवेदन तो यह था। उसमें शीशम, नीम, इन्हें भले ही आप अलग रख दें और उसमें आप चार परसेंट टैक्स कर दें, यह हमारी आपसे प्रार्थना है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी से जुडता हुआ स्टैनलैस स्टील से संबंधित है। स्टैनलैस स्टील में सी एस टी जीरो परसेंट है परन्तु स्टेनलैस स्टील पट्टी और पट्टा यह दो तरह के आइटम होते हैं और उसमें क्वाटरली रिफाइन के जो अलाऊ करके रिफन वाली बड़ी जो है उसको बचाने के लिए पट्टी पट्टा को एक करके जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि इसमें आप भले ही टैक्स का स्लैब बढ़ा दें, आधा परसेंट, एक परसेंट या जो भी सम्भव हो पर लेने देने की वजह से जो खरबों रुपए का, जोधपुर में करीब तीस करोड़ और पचास करोड़ छह महीने के अन्दर हो जाते हैं तो पूरे राजस्थान लेवल पर बहुत बड़ा अमाउंट व्यापारियों का जमा रहता है, उससे व्यापारी की कमर टूट जाती है, वह इसी के आधार पर बिजनैस करता है और जब इतना अमाउंट तीस करोड़, पचास करोड़, अस्सी करोड़, सौ करोड़ रुपये उसके जमा रह जाते हैं और उसको दो महीने, छह महीने और बारह महीने में अगर वापस मिलता है तो उस दौरान इतने अमाउंट की व्यवस्था वह नहीं कर पाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस दृष्टि से देखा जाए।

अगला मेरा निवेदन था कि वैट में साढ़े बारह परसेंट से आठ परसेंट कई आइटम किये हैं परन्तु उसमें रेवेन्यू बढ़ाने की सम्भावना, मैं आपसे निवेदन करता हूं जो-जो आइटम हैं, जो मैंने आपको मेरे ज्ञान के अनुसार बताये हैं जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा और टैक्स स्लैब कम होगा। जैसे पहले हस्त उद्योग में आपने लकड़ी में काम आने वाले लिए हैं, उसमें वर्तमान साढ़े बारह परसेंट है और अगर इसको चार परसेंट कर दें तो छोटे-छोटे जो व्यापारी हैं, जो अपने छोटे-छोटे खिलौने घोड़े वगैरह बनाकर के हैण्डीक्राफ्ट वालों को सप्लाई करते हैं तो वह उनका जो अमाउंट है, जो वह वर्क करते हैं वह ज्यादा बढ़

(श्री जोगाराम पटेल)

जाएगा और वर्क ज्यादा बढ़ जाएगा तो टोटल जो रेवेन्यू मिलेगी वह आपको बराबर मिल जाएगी।

साथ ही साथ इण्डस्ट्रियल एसेसरीज हैं, इसमें वुड ग्लुब हैं, हाल ही में आपने इसको चार परसेंट किया है लेकिन हैण्डीक्राफ्ट को इण्डस्ट्रियल इनपुट की तरह इसको कंसीडर अगर किया जाय तो इसमें भी रेवेन्यू अधिक होगी। आपने पेंट और थिनर इसमें पर फर्क किया है। पड़ौसी राज्यों में पेंट और थिनर पर कोई टैक्स नहीं है। आप किसी भी स्टेट को लेंगे तो अब क्या हो रहा है कि वहां जो पेंट और थिनर है व्यापारियों को मजबूरन बाहर से मंगाना पड़ा है। जो रेवेन्यू मिलने वाला था राजस्थान को, वह रेवेन्यू हमारा जा रहा है। क्योंकि पेंट और थिनर पर सिवाय राजस्थान के पूरे किसी भी प्रदेश में इस पर टैक्स नहीं है। इसलिये भी मेरा निवेदन है कि आप इसको भी कंसीडर करेंगे।

अब पापड़ का खार लीजिये। पापड़ के खार पर साढ़े बारह परसेंट टैक्स है लेकिन टैक्निकली सब लोग जानते हैं राजस्थान वाले कि यह जो बनता है इसमें एक मूंग या उसका कोई आटा लगता है, साथ में उसकी साजी लगती है जो खार दिलाने के लिये लगती है। अब टैक्निकली साजी है उस पर चार परसेंट टैक्स है। साजी पर तो चार परसेंट टैक्स और साजी का उपयोग करके अगर पापड़ बना देते हैं तो साढ़े बारह परसेंट टैक्स, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस भी ध्यान देंगे तो आप यह पायेंगे कि यह टैक्निकल मिस्टेक की वजह से हुआ है। पापड़ और साजी में कोई फर्क नहीं है। वह साजी और आटा मिलकर पापड़ बनता है। अब उसके एक पार्ट पर साढ़े बारह परसेंट टैक्स और एक पार्ट पर चार परसेंट टैक्स, तो इसलिये यह व्यवहारिक कठिनाई भी आ रही है। यह टैक्निक मिस्टेक भी है।

इसी तरह गमछा, तौलिया है। इसमें से अब आपने गमछे, तौलिये में एक आइटम गमछे पर हटा दिया और तौलिये पर नहीं हटाया। गमछा, तौलिया इससे मिलते जुलते जितने भी आइटम हैं मेरा निवेदन है कि उन पर भी वह टैक्स जो रेट गमछा, तौलिये की है, इक्वीलेंट होनी चाहिये।

इसके साथ ही मेरा आपसे निवेदन है कि यह टैक्स इवेजन रोकने के लिए जो इमारती पत्थर है। इमारती पत्थर की भी कई कैटेगरी हैं पर उसमें एकरूपता नहीं है। उसकी वजह से भी कई बार कंफ्यूजन व्यापारियों में होता

(श्री जोगाराम पटेल)

है। एक सबसे बड़ी व्यवहारिक कठिनाई जो आ रही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि बिजली पूरी नहीं मिलती है और बिजली पूरी नहीं मिलने से उद्योगपति हैं या व्यापारी हैं वह उसकी जगह डीजल इंजन चलाकर अपने प्रोडक्शन को कंटीन्यू रखने का प्रयास करते हैं। जितने घण्टे बिजली मिली उतना बिजली से ही उद्योग चला दिया और बिजली नहीं मिली तो वह डीजल इंजन लगाकर, डीजल पर टैक्स लगने से उसका जो प्रोडक्शन है वह बहुत हाइली कोस्ट हो जाता है इसलिये मेरा निवेदन है कि उस व्यापारी को चूंकि अब 24 घण्टे बिजली देना सम्भव नहीं है। जितने पीरियड़ तक वह बिजली के अलावा अपने डीजल इंजन चला कर अपने उद्योग के काम में लेता उस पर उसके टैक्स नहीं लगे तो वह व्यापारी राजस्थान में बराबर-बराबर दूसरे व्यापारियों के साथ टिक पायेगा। क्योंकि दूसरे प्रदेशों में बिजली ज्यादा मिलती है तो बिजली की खपत से उसकी प्रोडक्शन रेट डाउन आती है और यहां डीजल लगाने से प्रोडक्शन रेट ज्यादा आ जाती है इसलिये राजस्थान का व्यापारी पिटता है। इस सम्बन्ध में भी मेरा आपसे निवेदन है और मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि तौलिये पर तो आपने बारह से चार परसेंट कर दिया, पर गमछा इस सम्बन्धित जो आइटम हैं उस पर नहीं किया, यह निवेदन था।

लास्ट में, मैंने आपसे निवेदन कर दिया फार्म नम्बर 7 और 9 की बाबत इसमें जितनी इन्फोर्मेशंस मांगी गयी हैं वह अनावश्यक हैं। टैक्स से संबंधित जरूरी इनफोर्मेशन ली जावे यह स्पेशली मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस फार्म नम्बर 7 और 9 की बाबत विशेष ध्यान दिया जावे कि टैक्निकली एग्जामिन करवा कर या व्यवहारिक रूप से एग्जामिन करवा कर जो जरूरी इन्फोर्मेशंस हैं वह जरूर ली जाए। जो व्यवहारिक सूचनाएं नहीं है, अनावश्यक रूप से कहीं से एडोप्ट करके इतना लम्बा-चौड़ा बना दिया गया है उसको ठीक किये जाने की आवश्यकता है।

आपसे मेरा निवेदन है कि टाइमली जो नोटिफिकेशन हुए हैं उनको कंसोलिडेट करना भी बहुत जरूरी है। इससे बहुत व्यवहारिक कठिनाई आ रही है। समय-समय पर इस टैक्स से संबंधित कई नोटिफिकेशन हुए हैं वह आथोरिटी को भी, कंजूमर को और व्यापारी को, इन तीनों को ही कठिनाई कर रहे हैं इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इसको कंसोलिडेट करके एक बार

(श्री जोगाराम पटेल)

जारी हो जावे ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे कि उस समय तो यह नोटिफिकेशन था। उसके बाद यह आ गया। टैक्स रेट में है या आइटम में हो या उसका मैन्यूफैक्चर में हो, उस सम्बन्ध में भी निवेदन है।

अंत में मेरा आपसे यह निवेदन भी रहेगा कि कुछ ऐसी व्यवहारिक कठिनाइयां हैं फार्मों से संबंधित, सी फार्म से संबंधित, टैक्स से संबंधित, सी.एस.टी. टैक्स से संबंधित, उसके कई एक्सपर्टस व्यापारी भी हैं और वह व्यवहारिक जानकारी देना भी चाहते हैं और उनकी एक बार फिर आपकी जो कमेटी है उसके लिये मैं बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा कि आपकी जो कमेटी है एस.एन. गुप्ताजी की अध्यक्षता वाली, वह इसमें बहुत बढ़िया काम कर रही है। जहां तक हो सके इसमें सरलीकरण हुआ है। फिर भी आप अब चूंकि यह कानून नया है। व्यापारी अभी तक पूरे रूप से परिचित नहीं हो पाये हैं इसलिये इसको थोड़ा और अधिक व्यवहारिक करने के लिये हो सके तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सम्भाग लेवल पर जितना सम्भव हो पाये उतनी और मीटिंग एक बार रख करके आपके सामने बहुत लम्बे-चौड़े सुझाव हैं, मैं इनको संक्षिप्त में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं।

मैं पुन: आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस वैट एक्ट के माध्यम से जो राजस्थान का आर्थिक ढांचा सुधरा है उसके लिये सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद और समय-समय पर आपने सरलीकरण करने के जो प्रयास किये हैं उसके लिये सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद पर इसमें और अभी गुंजाइश है सरलीकरण की उसका सरकार प्रयास करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अधिनियम बाबत जो अपना प्रस्ताव दिया है जनमत जानने हेतु मैं आपसे इसको वापस लेने की अनुमति की प्रार्थना करता हूं। आपने समय दिया उसके लिये बहत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: डा. सी.पी. जोशी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले आपसे निवेदन किया, आपने व्यवस्था दे दी। मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स, 2003 ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2003 में सरकार किसकी थी ? इसके हिस्टोरिकल बैक ग्राउण्ड को समझने की आवश्यकता है। तत्कालीन एन.डी.ए.

(डा. सी.पी. जोशी)

सरकार के वित्त मंत्री यशवन्त सिंहजी ने सारे हिन्दुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर्स को बुलाकर यह कहा कि देश के हित में वैट को लागू किया जाए। हमारे तत्कालीन वित्त मंत्री प्रद्युम्न सिंहजी उसमें गये। बंगाल के वित्त मंत्री उस कमेटी के चेयरमैन थे और यह जो एक्ट बनाया 2003 का, यह कांग्रेस की देन है कि कांग्रेस ने उस समय वैट के सम्बन्ध में राजनीतिक आधार पर नहीं पर राजस्थान का हित इस बात में है कि वैट लागू होने से राजस्थान की रेवेन्यू जनरेट होगी इसलिये 2003 में यह एक्ट बनाया। पर दुर्भाग्य है सरकार को पलटने के बाद उसी सरकार के वित्त मंत्री जिन्होंने वैट का कंसेप्ट हिन्दुस्तान में दिया। जब हिन्दुस्तान में मनमोहन सिंहजी प्रधानमंत्री हुए और यू.पी.ए. की सरकार बन गयी तो सारे हिन्दुस्तान के भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलायी गयी और कहा गया कि वैट लागू नहीं किया जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और दो साल तक इसी बात पर चर्चा चलती रही कि वैट लागू किया जाए या नहीं लागू किया जाए, पर जो हिस्टोरिकल स्थितियां बनीं, उन स्थितियों के कारण भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार को भी वैट स्वीकृत करना पड़ा, देर से करना पड़ा। उनको इस बात के लिये राजस्थान की जनता से माफी मांगनी चाहिये।

आप याद करें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा की सरकार चोटाला साहब की सरकार थी, मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सबसे पहले वैट लागू किया और वैट लागू करने के बाद हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा यदि कहीं रेवेन्यू जनरेशन हुआ तो हरियाणा में जनरेट हुआ और आज उसको करीब तीन-चार साल हो गये। तीन-चार साल में उसके रेवेन्यू के कुमुलेटिव फिगर्स को हम देखें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैट के माध्यम से हरियाणा में पैसा इकट्ठा कर लिया गया। हम दो साल बाद भी यह कमेटी बनाकर वाहवाही लेना चाहते हैं कि वैट के माध्यम से हम राजस्थान की स्थिति ठीक करेंगे पर राजस्थान की, जैसा मैंने कहा कि यह सरकार संवैधानिक दृष्टि से काम नहीं करना चाहती है, यह सरकार अपने मनमाने ढंग से काम करना चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकर आश्चर्य करेंगे, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय ध्यान दें। यह प्रिंसिपल एक्ट है। इस प्रिंसिपल एक्ट के सैक्शन-8 में मैं चाहता हूं कि उसको देखें कि कितनी हेस्ट में इस चीज को लाये हैं। यह सैक्शन-8 में लिखा हुआ है एग्जम्प्शन आफ टैक्स। इसमें एक भी सैक्शन नहीं है। मैं चाहता हूं

(डा. सी.पी. जोशी)

कि आप भी इसको ध्यान से देखें। फिर आप जो रूलिंग देंगे वह माननी पड़ेगी मुझे। पर सैक्शन-8 जो प्रिसिंपल एक्ट है, 2003 का इसके अन्दर एक भी सेक्शन नहीं है और आप अमेंडमैंट कर रहे हैं। सेक्शन-8 के अन्दर अमेंडमैंट कर रहे हैं। अमेंडमैंट सेक्शन-8 में लिखा है कि "After the existing sub-section (3) and before the existing sub-section (4), the following sub-section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted…." अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रिंसिपल एक्ट के अन्दर सैक्शन-8 के अन्दर कोई भी सब-सैक्शन नहीं है और यह अमेंडमैंट कहां से ला रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता, विधान सभा को भी समझ रखा है कि किसी एक व्यक्ति को खुश करके हम जैसा चाहे वैसा पास कर लेंगे। मंत्री महोदय जब जवाब दें तब बतायें कि प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन-8 के अन्दर कोई सब-सैक्शन है क्या? जब सब-सैक्शन नहीं तो अमेंडमैंट किस पर ला रहे हैं। यह जो अमेंडमैंट आप ला रहे हैं, इसमें लिख रखा है – अमेंडमैंट इज सैक्शन-4, एक्ट नम्बर-2003, सैक्शन-8, यह सैक्शन-8 मैंने पढ़ा। यह एग्जम्प्शन ऑफ टैक्स लिखा हुआ है इसमें एक भी सैक्शन नहीं है। मैं चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले आप इसको देख लें कि इसमें सब-सैक्शन तक नहीं है। कितनी हेस्ट के अन्दर इसको लाये हैं। सबसे पहला उदाहरण दिया मैंने और मैं चाहता हूं कि मंत्रीजी इस प्रिंसिपल एक्ट का सैक्शन-8 उठाकर देख लो। दो बार, तीन बार, चार बार और पांच बार इसमें कहीं भी सैक्शन लिखा हो तो बता दें मुझे और आप अमेंडमैंट ला रहे हैं यह पेज बीस में 4. Amendment of section 8, Rajasthan Act No. 4 of 2003. अब यह किस एक्ट में अमेंडमैंट हो रहा है? तीन, चार, पांच, जब प्रिंसिपल एक्ट में प्रोविजन नहीं है तो अमेंडमैंट किसमें कर रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और अमेंडमैंट भी कर रहे हैं देखिये आप "after the existing sub-section (3) and before the existing sub-section (4).

वह हाइपोथेटिकली पता नहीं कहां से था"..the following sub-section shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the Ist day of April, 2006; namely:- "(3A) subject to such conditions as it may impose, the State Govt. may, if it considers necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Tazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedule-II…" Where is Schedule–II? प्रिंसिपल एक्ट के अंदर शिड्यूल सैकण्ड नहीं है, यह जो प्रपोज कर रहे हैं उसके अंदर

(डा. सी.पी. जोशी)

शिड्यूल सैकण्ड नहीं है Our Schedule is a part of the statuette. इस स्टेट्यूट के शिड्यूल के अंतर्गत हम किसी एक्ट का पार्ट नहीं बन सकते हैं, मैं चाहता हूं कि यह प्रिंसिपल एक्ट में मंत्रीजी खड़े होकर के बतायें कि इसमें शिड्यूल फर्स्ट कौनसा है, शिड्यूल सैकण्ड कौनसा है, इसमें अमेंडमैंट करना है, क्योंकि अमेंडमैंट एक कमेटी से कराना है, अपने आदमी से कराना है, उसकी जेब में पड़ा हुआ है शिड्यूल सैकण्ड, वह जिसको चाहेगा उसको निकाल देगा, जिसको चाहेगा उसको छोड़ देगा। इसमें लिखा है कि शिड्यूल सैकण्ड प्रोसपेक्टिवली और रेस्ट्रोक्टिवली...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इसमें आपको क्या तकलीफ है?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मुझे तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो आपको होनी चाहिए। मुझे क्यों होगी। मुझे डेढ़ साल तो तकलीफ नहीं है। डेढ़ साल तो तकलीफ आपको ही होनी है। शिड्यूल सैकण्ड पहले रखा नहीं, शिड्यूल सैकण्ड के अंदर प्रोसपेक्टिवली और रेस्ट्रोस्पेक्टिवली "....prospectively or retrospectively, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly." सैकण्ड शिड्यूल इसमें है नहीं, शिड्यूल सैकण्ड में प्रोसपेक्टिवली और रेस्ट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट करा लिया, अमेंडमेंट कितने लाखों का, करोड़ों का किया, क्या व्यवस्था की है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना तो इस प्रिंसिपल एक्ट में है, ना इस अमेंडमेंट में हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी जवाब दें तब बतायें कि शिड्यूल सैकण्ड कहां पर है और शिड्यूल सैकण्ड में क्या चीजें लिखी हुई हैं। इसी प्रकार इस सैक्शन-3 में राजस्थान एक्ट में एक अमेंडमेंट किया है, इसमें भी आप देख लें, आपने 2 में लिखा है "Not withtanding anything contained in sub-section (1), a dealer, other than that enumerated in clause (b) of sub-section (i),.." अब इसमें प्रिंसिपल एक्ट में क्लॉज सी और है, क्लॉज सी के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, मैं चाहूंगा जब माननीय मंत्रीजी जवाब दें तो इस सैक्शन में क्लॉज सी है या नहीं है, क्लाज सी में लिखा है "Incidence of tax" प्रिंसिपल एक्ट का 3 पढ़ रहा हूं मैं "Subject to the provisions of this Act; (a) every dealer who is an importer of the goods, or (b) whose is a manufacturer of goods and whose annual turnover exceeds Rs. 2 lac, or (c) whose annual turn-over exceeds Rs. 5 lac. यह सी है, सी के संबंध में इन्होंने कुछ नहीं कहा है, ए और बी के बाद में कहा है कि हम नई चीज एड कर दें, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जब माननीय मंत्रीजी जवाब में बतायें कि उसमें सी क्लॉज एपलिकेबल है या नहीं है, सी को

(डा. सी.पी. जोशी)

आपने डिलीट किया है या सी को आपने रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें अच्छा किया है "..who purchases goods from a registered dealer of the State and sells such goods within the State, may opt for payment of tax on his turn-over excluding the turnover of the goods specified in Schedule-I. Where is the Schedule-I? शिड्यूल 1 में आप बतायें कि, शिड्यूल 1 में कहा, हमने देखा है कि प्रिंसिपल एक्ट में अदर शिड्यूल 1 है, इस एक्ट के अंदर शिड्यूल 1 है, शिड्यूल 1 आपने लिखा नहीं, शिड्यूल 2 आपने लिखा नहीं Schedule I pertains to the goods. Schedule II pertains to the persons. Neither you have mentioned the persons nor have you mentioned the goods. अब गुड्स कौन-कौनसे हैं, किसमें छूट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वह चिट्ठी लेकर के आयेगा जिसको हम धन्यवाद दे रहे हैं, वह हमारा बहुत कांपिटेंट चेयर पर्सन है, उनकी कांपिटेंट के बिना सरकार चलती नहीं है। सारे मंत्री एक तरफ बैठे हुए हैं। मंत्रियों को मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यह कैबीनेट में पास हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह कैबीनेट के मंत्री क्या कर रहे थे। कैबीनेट के मंत्रियों की डयूटी नहीं बनती थी कि शिड्यूल 1 कहां है, शिड्यूल सैकण्ड कहां है, यह मालूम नहीं करना चाहिए हमें कि शिड्यूल फर्स्ट के अंदर कौनसी चीज आयेगी, शिड्यूल सैकण्ड के अंदर कौनसी चीज आयेगी। कौन से गुड्स को हम देंगे, किसको प्रोसपेक्टिव देंगे, किसको रेस्ट्रोक्टिवली देंगे। यह इसमें नहीं बताया गया है। केवल मात्र विधान सभा में भी आई वाश करके कि हम किसी तरह से पास करा लें और जो कुछ हमने किया है उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाये। इसको पास करने के लिए इन्होंने यह व्यवस्था की है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें रजिस्टर्ड डीलर्स के साथ धंधा करेगा वह तो आयेगा, जो रजिस्टर्ड डीलर्स के साथ में गुड्स नहीं लेगा, उसके बारे में क्या करेंगे? दो तरह के डीलर्स कर दिये। रजिस्टर्ड डीलर्स एक कर दिये, जो रजिस्टर्ड डीलर्स नहीं हैं और वह 2.5 प्रतिशत देंगे तो उसको भी आप कंसीडर कर लेंगे। दो तरह की इसमें व्यवस्था कर ली। एक तो होंगे रजिस्टर्ड डीलर्स, आपको रजिस्टर्ड डीलर्स के गुड्स से ही काम लेना है, जबकि आप जानते हैं माल प्रेक्टिसेज, राजस्थान में छोटा व्यापारी रजिस्टर्ड डीलर्स से सामान नहीं लेता है वह थर्ड और फोर्थ आदमी से माल लेकर के धंधा करता है। जहां आप इंटीरियर में किसी हैमलेट में दुकान खोल रखी है वह किसी रजिस्टर्ड डीलर्स से सामान लेकर के नहीं जा रहा है। वह एक सब आदमी से लेकर के जा रहा है।

(डा. सी.पी. जोशी)

लेकिन आपने तो कह दिया कि रजिस्टर्ड डीलर्स से सामान लेगा, उसको तो छूट देंगे और रजिस्टर्ड डीलर्स से सामान नहीं लेगा उसको छूट नहीं देंगे। अब रजिस्टर्ड डीलर्स को मजा आ गया, 50 लाख की छूट तो दे दी, 50 लाख की छूट पर वह रजिस्टर्ड डीलर्स जो एंट्री करेगा अपनी उसका तो फायदा मिल जायेगा और जो दूसरा डीलर है इसके अंदर उसका गला पकड़कर के हिसाब-किताब करेंगे इंसपेक्टर से कि इतना पैसा ला, इतना हिसाब लगेगा। आपने एक तो रजिस्टर्ड डीलर्स की व्यवस्था की, एक नान रजिस्टर्ड डीलर्स की व्यवस्था की। यदि मैं आप्ट कर लूं, आपको 2.5 प्रतिशत टैक्स मैं दे दूंगा तो मुझे रजिस्टर्ड डीलर्स होने की जरूरत भी नहीं है ना मुझे सी.ए. से कोई व्यवस्था करने की जरूरत है। दोहरी व्यवस्था है, रजिस्टर्ड डीलर्स को सी.ए. से तो अकाउंट को वैरीफाई कराना पड़ेगा पर जो आदमी रजिस्टर्ड डीलर्स नहीं है और 2.5 प्रतिशत का टैक्स दे रहा है आपके हिसाब से 50 लाख के ऊपर उसको सी.ए. से हिसाब-किताब कराने की जरूरत नहीं है। उसका हिसाब एस.एन. गुप्ता साहब भी कर लेंगे। कोई सी.ए. की जरूरत नहीं है, बाकी तो सी.ए. 50 चाहिए लेकिन ऐसे डीलर्स के लिए एक ही काफी है। ऐसे डीलर्स के लिए और किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, एक ही आदमी, सी.ए., गवर्नमेंट के जो रजिस्टर्ड हैं, सिंगल विंडो सिस्टम जो कर रखा है, इससे बड़ा आपका सिंगल विंडो सिस्टम नहीं हो सकता है। जो आदमी उनसे बात कर ले, उनसे हिसाब-किताब कर ले उसकी तो व्यवस्था हो जाये दूसरे की व्यवस्था नहीं होगी। यह आपने ओपन रखा है। आपको सारे व्यापारियों को एक ही कैटेगिरी में रखना चाहिए था या तो रजिस्टर्ड डीलर्स की केटेगिरी में रखते या आप देखते कि जो उनका टर्न ओवर है उस पर छूट देंगे, उसको रखेंगे। दो तरह की व्यवस्था करें और नीचे के लेवल पर जो सबसे छोटा फोर्थ कैटेगिरी का जो शॉपकीपर है वह जो सामान लेकर के आयेगा, नॉन रजिस्टर्ड डीलर्स के साथ में तो उसको फायदा नहीं मिलेगा, यह आपने क्लॉज किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है सैक्शन 8, सैक्शन 8 में कोई प्रोविजन नहीं, फिर भी आपने यह प्रोविजन कर दिया, आपने पता नहीं कहां से व्यवस्था की है, अमेंडमेंट है सैक्शन 15 और एक्ट के अंदर 2003 में, इसमें इनीशियल सिक्योरिटी का वर्ड आया है, आपने इसमें यह व्यवस्था कर दी कि सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। दो रजिस्टर्ड डीलर्स जब साइन कर देंगे तो वह व्यवस्था भी चल जायेगी। आप पूरी व्यवस्था को ओपनिंग रखकर के भ्रष्टाचार

(डा. सी.पी. जोशी)

की व्यवस्था करने का काम करना चाहते हैं। आपने सारे डीलर्स में सिक्योरिटी का प्रोविजन कर दिया, जब आपने यह व्यवस्था क्यों की कि कुछ डीलर्स को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। उनकी कोई डीलर्स गारंटी देंगे तो उसको भी हम मान लेंगे, यह भी प्रोविजन आपने किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, सैक्शन 18 में अमेंडमेंट किया है। उसके पहले 17 में अमेंडमेंट किया है, इसको आप देखें, बड़ा इंट्रेस्टिंग अमेंडमेंट है, उसमें मेन एक्ट में जो प्रोविजन था "..the Commissioner after recording reasons for doing so may, by a general or specific order, direct to grant such refunds even earlier." यदि किसी इनपुट सब्सिडी के आधार पर किसी आदमी का एक साल का टैक्स बनता था वह यदि ठीक नहीं हो रहा है तो अगले साल कैरी आउट करने का आपने प्रोविजन किया। यह अच्छा किया आपने लेकिन यह जो नीचे वाला पार्ट है इसको आपने इनटैक्ट रखा, इसका मतलब जिस व्यापारी से ज्यादा पैसा बन गया उसको अगले साल कैरी आउट करने का प्रोविजन भी कर दिया, कमिश्नर को अधिकार भी दे दिया कि वह चाहे तो बीच में भी उसका पेमेंट कर सकता है। यह दोहरी व्यवस्था कर दी, यह पिक एंड चूज डिस्क्रिशन करने का कमिश्नर को अधिकार दे दिया। आप यदि यह व्यवस्था करते कि हम उसको कैरी फारवर्ड अगले तीन-पांच सालों में करेंगे तो समझ में आता है। आपने नियम यह भी कर दिया कि तीन-चार साल और साथ में कमिश्नर का जो प्रोविजन था वह भी आपने रखा है। इसलिए कमिश्नर जिसको चाहेगा उससे पैसा ले लिया, जिसको व्यवस्था करनी है उसको एडजस्ट भी कर लें। यह भी प्रोविजन कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि यह जल्दी में लाया गया है, यह बिल आपने दिया है, मंत्रीजी जवाब दें, यह जो आपने हमें पीछे दिया है ओरिजिनल एक्ट, इसमें कोई सैक्शन 20 मेंशन है क्या, आप पेज खोलकर देख लें जिसमें आपने अमेंडमेंट किया है, एस्ट्रेक्ट आपने लिखा Extracts taken from the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003. यह पीछे हमें दिया है, इसमें सैक्शन 20 भी लिखा हुआ है, मेन एसट्रेक्ट में, आप इतनी जल्दी में थे, आपके पास समय ही नहीं है, आपके 17, 18, 33 और 58, 20 का कोई सैक्शन आपने एसट्रेक्ट में दिया ही नहीं है और आपने इसमें अमेंडमेंट सैक्शन 20 में भी किया है। सैक्शन 20 में अमेंडमेंट यह किया है "Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, by notification in

(डा. सी.पी. जोशी)

the Official Gazette, allow the dealer…" उपाध्यक्ष महोदय, सुनना आप "…availing the facility of deferment under sub-section (3) to make prepayment of the amount of deferred tax on such terms and conditions includig the condition of remission from a part of deferred tax, as may be specified in such notification." यह आपका खुला खाता है, जिस बिजनैस मैन से आप चाहेंगे उससे एडवांस टैक्स ले लेंगे और ऐसी कंडीशन डाल देंगे, उससे व्यवस्था करेंगे कि इतना पैसा पार्टी फंड में दे दे तो इतने पैसे की व्यवस्था कर देंगे। यह क्लॉज भी आपने एड कर दिया। आपने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी। आप एडवांस टैक्स भी ले लेंगे और उसके बाद उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, उसकी कंडीशन को भी आप निर्णय करेंगे। यह निर्णय करने का अधिकार भी सब्जेक्टिव कर लिया गया है कि हम कैसे निर्णय करेंगे कि उसका कोई आब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है। आप टैक्स लेंगे, किससे लेंगे, आप लेंगे 50 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये, सीमेंट फैक्ट्री के एसोसिएशन या ऐसे बड़े-बड़े जो कंसर्न हैं उनसे लेंगे, छोटे-मोटे से एडवांस लेंगे नहीं, एडवांस लेकर के उसमें आप कंडीशन डालेंगे कि हम आपका मैन में एडजेस्टमेंट कर देंगे। क्या आवश्यकता पड़ी है? यह अमेंडमेंट जो मैन एसट्रेक्ट है उसका पार्ट नहीं है। आप देख लीजिये, सैंक्शन 20 उसमें नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आपको बाद में याद आया कि चुनावों के समय चंदा लेना पड़ेगा। चंदा लेने के लिए क्या करेंगे, इस अमेंडमेंट को इसमें ठोक दें। मैं समझता हूं सरकार इस बात का जवाब दे कि आपने एसट्रेक्ट में तो सैक्शन 20 लिखा नहीं और अमेंडमेंट में सैक्शन 20 लिखा और 20 में यह प्रोविजन किया है कि आप एडवांस टैक्स लेंगे, यह एडवांस टैक्स की व्यवस्था करने का ख्याल आपके किस स्टेज पर आया है?

मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे। यह सैक्शन 20, यह गली है जो भ्रष्टाचार पनपाएगी, यह एक गली है जो बड़े बिजनसमैंनों से पैसा लेकर सेटलमेंट करेगी और सेटलमेंट करने के बाद कंडीशन लगाने का अधिकार आपने ले लिया है कि मनमर्जी से उनको एडजस्ट करेंगे और मनमर्जी से उस पैसे को अपनी पार्टी फण्ड में उपयोग लेंगे। यह एक प्रोविजन इसके अंदर आपने किया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महावीरजी जैन, चीफ व्हिप साहब, जब भी पढ़ते हैं तो किताब से पढ़ते हैं, इसमें उठा कर देख लें, एक भी सेंटेंस एम्स एण्ड ऑब्जेक्टिव के बारे में

(डा. सी.पी. जोशी)

लिखा हुआ हो तो पढ़ें। मैं समझता हूं कि इतनी हेस्ट में, यह जो स्टेटमेंट ऑफ एम्स एण्ड रीजन लिखा है, स्टार्ट में - ''The provisions of sub-section (2) of section 3 of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 hereinafter referred to as the Act ..'' बताइए इसमें कहां एम लिखा हुआ है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो वकील हैं। पहले सेंटेंस में, दूसरे, तीसरे, चौथे सेंटेंस में भी लिखा हो जिसमें इसका ऑब्जेक्ट लिखा हो, इसका ऑब्जेक्ट एण्ड रीजन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लिखने की इनकी हिम्मत ही नहीं है, इनकी अण्डरलाइंग एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट है चन्दा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना और मनमानी करना, यह कैसे लिखें? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया, इसके अंदर एम्स एण्ड ऑब्जेक्टिव, कोई भी चीज मेंशन नहीं कि यह पहला बिल है, पहला बिल, जिसमें एम्स एण्ड ऑब्जेक्टिव के बारे में यह सरकार साइलेंट है और साइलेंट क्यों है क्योंकि यह उसका हिडन एजेण्डा है, हिडन एजेण्डा क्यों है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार के मंत्री कॉम्पीटेंट नहीं है, राजस्थान सरकार में एक ही व्यक्ति कॉम्पीटेंट है, वही वैट के बारे में निर्णय करेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैट के सम्बन्ध में अब राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान के दूसरे स्टेटों में भी नई बहस शुरू हो गई है। वैट आपने निश्चित किया फ्लोर रेट के आधार पर, दूसरे स्टेट भी फ्लोर रेट के आधार पर करेंगे। केरल सरकार ने पहली बार यह किया है कि फ्लोर रेट के आधार पर वैट का निर्णय करना सरकार के फायदे में नहीं है इसलिए उन्होंने फैसला किया कि लक्जरी टैक्स उन्होंने ज्यादा बढ़ाया और लक्जरी टैक्स ज्यादा बढ़ा कर उन्होंने अपनी रेवेन्यू जनरेट करने का काम किया। मैं भी कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान सरकार...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इसमें अमेंड नहीं है एडेड है। (व्यवधान) आपने पहले सेक्शन 20 बोला था न। एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स में नहीं है, यह अमेंडमेंट सैक्शन 20 में है, उसमें लिखा है, ... the following sub-section shall be added, ...'' 'एडेड' है संशोधन नहीं हुआ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): 'एडेड' है मान्यवर, तो इसका मेंशन करते एब्सट्रेक्ट में। आप मेंशन के लिए हरेक सैक्शन देख लीजिए, 18, 15, 17, जो भी मेंशन किया है, मेंशन कर रखा है। आपने मेरा ध्यान आकर्षित

(डा. सी.पी. जोशी)

किया, धन्यवाद, क्योंकि आपका यह ध्यान आकर्षित करना जरूरी था। यही वह क्लॉज है जिसमें हिडन एजेंडा छिपा हुआ है इसलिए आपने इसको किया, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसमें हिडन एजेंडा छिपा हुआ है। इसी क्लॉज के अंदर आप देखिए माननीय मंत्रीजी, घनश्यामजी, मुझे खुशी होगी, आप देखिए, एब्सट्रेक्ट में, सेक्शन 3, 5, 8, 15, 17, 18, 33, 58, 68, सब मेंशन है, नॉट 20...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 20 में एडीशनल है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): 20 में एडीशनल है, यही एडीशनल, हमको कमजोर करेगा, मैं तो इस सरकार की इनकम्पीटेंस पर सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इतने सीनियर मिनिस्टर होने के बाद भी उनके मंत्रियों के सामने इन चीजों को नहीं लाकर शिड्यूल वन इसमें नहीं, शिड्यूल सैकण्ड इसमें नहीं, सैक्शन 20 में इसमें अंतर किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में रेवेन्यू पिछले दो साल में बढ़ जाती यदि राजस्थान में वैट लागू कर दिया जाता। 2003 में यह सरकार, जिसके वित्त मंत्री माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं, दो साल तक भारत सरकार से विरोध नहीं करते तो यह राजस्थान सरकार का रेवेन्यू दो साल पहले बढ़ जाता। आज माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस आधार पर किया है उसमें राजस्थान का रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए, दूसरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, उस रेवेन्यू को जो अनअकाउण्टेबल बढ़ रहा है, उसके लिए वैट में संशोधन करने का यह काम करे इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के हित में भी यही है कि हम उन चीजों को आइडेण्टीफाई करें, उन आर्टिकल्स को आइडेण्टीफाई करें जहां दूसरे स्टेट से फ्लोर रेट के आधार पर यदि हम करेंगे तो राजस्थान का नुकसान होगा। केरल ने यह स्टार्ट किया है और केरल ने पहली बार भारत सरकार से यह कहा है कि यह जो वैट कानून है, वह हमारे हित में नहीं है, लक्जरी टैक्स लगाकर केरल गवर्नमेंट ने अपना पैसा बढ़ाया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री, जिनकी कमेटी ने हिन्दुस्तान में वैट लगाया, वहां की सरकार भी नई चीजों को सोच रही है तो राजस्थान की सरकार को भी नई

(डा. सी.पी. जोशी)

चीज सोचकर राजस्थान के हित का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सोचता हूं कि सरकार यह जो बिल लाई है वह बिल न तो संवैधानिक दृष्टि से अप्रूव्ड है, यह बिल हेस्ट में लाया गया है, इस बिल में न शिड्यूल फर्स्ट है, न शिड्यूल सैकण्ड है, शिड्यूल फर्स्ट और शिड्यूल सैकण्ड पार्ट होता है, एक्ट के स्टेट्यूट का पार्ट होता है, बिना शिड्यूल फस्ट और सैकण्ड के रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है और व्यापारियों को जो लाभ दिया है उसको रेगुलराइज करने का काला धंधा कर रहे हैं। मैं इसके खिलाफ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए ताकि जनता के साथ न्याय हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर विधेयक, 2007 पर नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इनके भाषण के पश्चात् कोई बात रह गई क्या?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं उन चीजों को नहीं छुउंगा जिन चीजों पर विशेष रूप से नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रकाश डाला है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप अनछुई चीजों को ही छूते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अनछुई चीजों को छूता हूं वही आदमियों को थोड़ी चुभती है इसलिए उसी में आनंद की अनुभूति होती है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह जो आरोप लगा है अभी आपके ऊपर, काला धन कमाने का तरीका ढूंढा है, उस पर नहीं जाएंगे, वह तो इन्होंने कह दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हमारे ऊपर तो आरोप लगता ही नहीं आप समझ लो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): वह कौनसा पक्ष काला धन ज्यादा कमा रहा है, आप लोगों में से, आपके तो पक्ष और विपक्ष है, इतना तो बता दो आप। आप तो प्रखर आदमी हो, संत आदमी हो, कह दो, हमें भी जानकारी हो जाए, कुछ बोलो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक पर मैं कुछ बातों की ओर सरकार का और माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो यह निर्विवाद है कि जिन राजनीतिक कारणों से मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और सरकार ने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के खातिर दो साल तक वैट अधिनियम नहीं लगाकर राजस्थान के हितों की अनदेखी की है उससे ज्यादा शर्म की बात मौजूदा नेतृत्व के लिए कोई दूसरी हो नहीं सकती है। इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सन् 2005-06, 2006-07 का बजट इन्होंने प्रस्तुत किया उसमें इन्होंने वैट लागू करने के सम्बन्ध में जिन-जिन चीजों को प्रस्तावित किया था या तो वे वस्तुएं जो इन्होंने निर्धारित दर उसमें रखी, औचित्यपूर्ण तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से किसी ठोस आधार पर नहीं रखी और इस कारण लगातार इन्होंने जो टैक्स नीति और टैक्स रेट लगाई उसमें समय-समय पर इतने व्यापक रूप से परिवर्तन किया कि उससे यह आश्चर्य होता है कि वर्तमान वित्त मंत्रालय राजस्थान सरकार का और वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है उन्होंने यह नहीं सोचा कि जिस समय वैट एक्ट के तहत उन्होंने कर प्रस्तावित किया उसमें इतने व्यापक संशोधन एक साल की अवधि के अंदर करने पड़े कि जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय इन्होंने प्रावधान किया 1 अप्रैल, 2006 को, उसके बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन में विचार-विमर्श होने के पश्चात् करीब 28 वस्तुओं की कर नीति और कर रेट में परिवर्तन किया, वहां तक भी ठीक है। वित्त मंत्री जब सदन में कोई सदस्य विचार करे और उनमें गुण और अवगुण के आधार पर उसमें रेट में अंतर करे यहां तक तो समझ में आता है लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्यजनक घटनाक्रम यह है कि 1.4.2006 के बाद राजस्थान की विधान सभा में वैट एक्ट पास होने के बाद और माननीय मुख्य मंत्रीजी की घोषणा कर देने के बाद राजस्थान विधान सभा का सत्र समाप्त होने के पश्चात् से आज तक, नवम्बर माह तक, इन्होंने 64 वस्तुओं पर कर की नीति में परिवर्तन किया और लगभग 33 वस्तुओं पर इन्होंने कर लगाने के बाद इस दौरान कर मुक्ति की घोषणा की और लगभग इतनी ही शेष बची है, इनकी कर रेट में अंतर किया गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि इतनी ज्यादा 64 वस्तुओं पर कर निर्धारण में या तो इन्होंने गलतियां की हैं कि पहले जो गलत कर निर्धारण किया उसको यह

(श्री हरिमोहन शर्मा)

स्वीकार करें, लेकिन इसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन 64 वस्तुओं के लिए स्थानीय स्तर पर अलग-अलग संघों द्वारा, अलग-अलग व्यापारियों द्वारा, अलग-अलग प्रभावित लोगों द्वारा स्थान-स्थान पर आंदोलन करवाये गये, उन स्थानों पर मांग की गई। मांग करने के बाद वहां पर जनांदोलन करवाये गये, वहां की दुकानें बंद करवायी गईं और इसके बाद जिस प्रकार से यह सरकार नियमित और लगातार अनकांस्टीट्युशनल काम करने में माहिर है, एक ऐसी संस्था खड़ी कर दी जिसका नाम है जन अभाव अभियोग निराकरण संस्था। जन अभाव अभियोग निराकरण संस्था में उन व्यापारियों से आप पर्ची दिलवाओ, उनसे अपनी मांगों के मामले में कहलाओ, फिर जन अभाव अभियोग निराकरण संस्था वित्त मंत्री को अलग रखते हुए, सरकार को अलग रखते हुए सरकार के कुछ जो उनके प्रभाव के नीचे के लोग हैं, उनको उस समिति में अपने साथ रखते हुए जगह-जगह जाएंगे। जगह-जगह जाकर जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के नाम से वे वहां पर सभा करेंगे, फिर उन व्यापारियों को बुलवाएंगे, व्यापारियों से ज्ञापन लेंगे और व्यापारियों से ज्ञापन लेने के बाद आपसी चर्चाएं करेंगे और उसी स्थान पर यह आश्वासन देंगे कि हम आपका यह काम इतना कर देंगे। इसमें इतना प्रतिशत कर देंगे और इसमें इतना प्रतिशत कर देंगे यह जन अभाव अभियोग निराकरण समिति के माध्यम से राजस्थान सरकार जिस प्रकार से टैक्स के मामले में व्यापारियों को ब्लैकमेलिंग कर रही है और जिस प्रकार से आर्थिक दृष्टिकोण से, जिस प्रकार का घालमेल इन सब बातों में हो रहा है, सबसे ज्यादा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चिन्ता का विषय यह है। आप आश्चर्य करेंगे आज तक के इतिहास में कभी भी शराब पर कोई टैक्स माफ नहीं हुआ, लेकिन यह सरकार है और यह कमेटी है, यह पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी है और यह राजस्थान सरकार के उसमें तथाकथित मंत्री हैं, जो उनके साथ हैं। आप आश्चर्य करेंगे इन्होंने रिकार्ड कायम किया है। इसमें इन्होंने चौसठवें कालम पर लिखा है, जिस पर इन्होंने 12.5 परसेंट टैक्स लगाया था, country liquor, Indian made foreign liquor and beer, 12.5 परसेंट का टैक्स इस सरकार ने लगाया, लेकिन शराब की बड़ी-बड़ी कम्पनियों से मिले होने के कारण, शराब के ठेकेदारों से मिले होने के कारण इन्होंने चुपचाप इस 12.5 परसेंट टैक्स को इस विधान सभा का सत्र खतम होने के बाद शराब पर पहली बार राजस्थान के

(श्री हरिमोहन शर्मा)

इतिहास में जो 12.5 परसेंट टैक्स इस सरकार ने लगाया पूरा का पूरा उन शराब माफियाओं के लिए और उन शराब कम्पनियों के लिए करमुक्त कर दिया। जो 32, 34 और 40 चीजें हैं जिनको इन्होंने एक्जम्प्ट किया, इस सरकार ने जिस पर 12.5 परसेंट का टैक्स लगाया उस समिति ने उसको समाप्त कर दिया। जो-जो समितियों ने सिफारिश की और जिस-जिस प्रकार के समितियों ने निर्णय लिये और जिस प्रकार की चर्चा चाहे कोटा हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे जयपुर हो और अन्य स्थानों पर उन समितियों के मामले में आज चर्चा हैं और व्यापारी आकर कहते हैं इस समिति के माध्यम से हमने यह आश्वासन दिया, हम यह करेंगे, वह करेंगे उसके आधार पर सारे राजस्थान के आर्थिक दृष्टिकोण पर इस वैट एक्ट के तहत जो निर्णय राजस्थान सरकार ने लिया है उससे ज्यादा शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती। अगर इन्होंने विवेकपूर्ण तरीके से वैट एक्ट में अपनी बात लिखी होती और वैट एक्ट के बाद 75-75 चीजों में सारा ही रिशफल जिसमें 40 एक्जम्प्ट और किसी में कितना, किसी में 5 परसेंट कम और किसी में क्या किया।

कोटा स्टोन के मामले में आंदोलन हुआ आखिर उस समिति की सिफारिशों के मामले में और कोटा स्टोन के मामले में कोटा, झालावाड़, रामगंजमण्डी, बूंदी में जो कोटा स्टोन का मामला है आखिरकार माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपने बजट भाषण के जवाब में प्रहलादजी गुंजल को संतुष्ट करने के लिए कहना पड़ा कि हम कोटा स्टोन पर कुछ रिवाइज करने पर विचार कर रहे हैं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि विधान सभा को विश्वास में रखे बिना इतना कर दिया। ठीक है, सरकार का अधिकार है वैट एक्ट के तहत सरकार अधिकार ले सकती है, कुछ चीजों में रिवाइज कर सकती है, लेकिन 75-75 वस्तुओं में। पूरा ही आमूलचूल परिवर्तन। इस सरकार को यह मानना पड़ेगा यहां के वित्त मंत्रालय को, यहां के वित्त्त मंत्रीजी को और यहां के वित्त मंत्रालय से जुडे सभी लोगों को, कि ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें कि हमसे भयंकर गलती हो गई, हमने 31 मार्च, 2006 को जो बजट पास करवाया था उसमें बिना सोचे-समझे अविवेकपूर्ण तरीके से उन वस्तुओं को सम्मिलित कर लिया जिनको हमें नहीं करना चाहिए था। उन वस्तुओं को हमने इसलिए सम्मिलित कर दिया कि आगे जाकर कोई प्रेशर टैक्टिक्स करके इन संस्थाओं को बुलाकर इनसे राजनैतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से वार्तालाप करके

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सारा का सारा परिवर्तन कर दें यह सोच होगा, यह स्वीकार करना पड़ेगा। अब या तो अपनी गलती स्वीकार करो या इस बात को आपको अस्वीकार करना है तो यह कहो कि हमने इस प्रकार के कारणों से नहीं किया। आप सार्वजनिक रूप से क्षमायाचना करें कि इतनी मेजर भूल हमारे वित्त मंत्रालय और हमसे हुई है इस कारण जनता हमको माफ करे। आप माफी मांगो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप बड़े जोरदार तरीके से भाषण दे रहे हो, शराब पर किस दिन सेल्स टैक्स था आपको मालूम है क्या? 1987 के बाद में एक्साइज टैक्स में इसको शामिल कर दिया। आज तक 1987 के बाद शराब पर कभी सेल्स टैक्स रहा ही नहीं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): बजट में रखा ही क्यों, आपको मालूम था तो। आपको मालूम था तो नहीं रखना चाहिए था। बातें कर रहे हो खामख्वाह।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह शराब माफिया वाली बात तो आप छोड़ो, इसको इससे रिलेटेड ही रहने दें, लेकिन जिस प्रकार से शराब की कम्पनियों से इन ठेकेदारों को एक तरफ ले जाकर उन कम्पनियों से ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब आपको बोलना है उसका तो कोई इलाज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इनको बोलना है, कुछ कहना है, उसका तो इलाज नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिस प्रकार से उन मामलों में करोड़ों रुपया अप्रत्यक्ष रूप से इस सरकार ने वसूल किया है ..(व्यवधान) करोड़ों रुपया वसूल किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो चीज बुनियादी तौर पर नहीं है, 1987 के बाद सेल्स टैक्स अगर शराब पर कभी लगा है ..(व्यवधान) इसलिए उस स्लैब में यह आता ही नहीं था।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप इससे अंदाज लगा लो केवल मात्र एक मंत्री बैठा है केबिनेट का, बाकी पूरी केबिनेट नहीं है। वैट में कितना घपला है इसका उदाहरण है केवल एक मंत्री बैठा हुआ है जस्टीफाई करने के लिए। पूरी केबिनेट आउट है, इससे अंदाज लगा लो आप। आपकी इस वैट की कमेटी के अध्यक्ष हैं उन्होंने पूरी केबिनेट को नेगलिजेंस कर रखा है। उसको अकेला

(डा. सी.पी. जोशी)

मंत्री जस्टीफाई नहीं कर सकता, यह प्रजेंस शो कर रही है। केवल महावीरजी बैठे हुए हैं नोट करने के लिए कि आपके एक्शन कैसे हैं। That's all.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): महावीर बजरंगी हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): वह बजरंगी है ध्यान रखना, आज हनुमान जयंती है। बजरंगी को याद मत दिलवाओ। बहुत महंगा पड़ेगा, ध्यान कर लेना।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह घोटा तो आपको ही महंगा पड़ेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी इस दिखावटी, प्रदर्शित करने वाली एकता के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। आप अपने मनों में टटोलें कि कौन कहां और किस-किस जगह से, कहां-कहां कैसे चल रहा है। आपकी एकता चलती रहे, हम तो कायल हैं आपकी एकता के।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एकता किस बात के लिए?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार चलाने के लिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हम चलाएंगे ना।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं यही तो कह रहा हूं, लेकिन जिस ढंग से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपकी सरकार चल रही है और जो चलाने के तरीके का विरोध माननीय महावीरजी, आपने समय-समय पर प्रदर्शित किया है हम तो उन बातों से कभी-कभी प्रभावित हो जाते हैं कि सच कह रहे हैं, क्या है, लेकिन अंततोगत्वा उस सारे भ्रष्टाचार की नदी में आप दूर से बैठे-बैठे देखकर उसका समर्थन करोगे तो दोषी आप भी होंगे, बच नहीं पाओगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसा है भ्रष्टाचार की जननी यदि कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आप सब हमारी पैदाइश हो, इसमें दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यह तो मानो ..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ये सारे अमेंडमेंट आज तक किये हैं ..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कांग्रेस और बीजेपी में क्या अंतर है वह यह सरकार बता रही है पार्टी में डिफरेंस, पूरी केबिनेट एक तरफ बैठी रहे

(डा. सी.पी. जोशी)

और कुछ आदमी फैसला करें ऐसा पार्टी में डिफरेंस कोई नहीं है। मंत्री को मालूम नहीं क्या हो रहा है यह डिफरेंस। चीफ व्हिप को मालूम नहीं है और चीफ व्हिप खड़ा होकर जस्टीफाई कर रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपकी पार्टी में डिफरेंस है और यह डिफरेंस रहेगा।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): 'Party with difference' and party with difference, both.

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): यह अंग्रेजी कम समझते हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): महावीरजी, आप तो सत्यवादी आदमी हो, मान लो सारी बात।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): क्या बात मान लो?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह मान लो कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): किसके साथ अन्याय हो रहा है?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप तो आंसू पोंछते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमारे साथ तो कोई अन्याय नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं हो रहा है तो आपकी यह स्थिति क्यों हो रही है? आपका नाम ही नहीं है पार्टी में आजकल। विधान सभा में जरूर चीफ व्हिप का नाम है, इसके अलावा नहीं है। आप इतने सीनियर मैम्बर हो, आपको कोने में डाल रखा है। आप रात को रोते हो और दिन में हंसते हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप बाहर क्या कहते हो? आप बाहर कहते हो नेता बनने का अधिकार तो मेरे को है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप रात को रोते हो या नहीं रोते हो?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप कहते हो कि जिनको नेता बनाया है इनके हाथ-पैर चलते नहीं हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हो,

(श्री रामनारायण मीणा)

आप हमसे प्यार से रहते हो इसलिए आपको याद दिला रहे हैं, नहीं तो हमें कोई मालूम नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने नहीं कहा कि मैं ही केवल कम्पीटेंट पर्सन हूं जो यहां विपक्ष का नेता बन सकता हूं?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हम तो मानते हैं, लेकिन ये संसदीय कार्य मंत्री नहीं मानते।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं हूं जो तो आप सबको मानना पड़ेगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): राजस्थान की जनता तो सक्षम मानती है, ये अक्षम मानते हैं, इतना अंतर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुझे अक्षम कैसे मानते हैं? मुख्य सचेतक अक्षम होता है क्या?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): शेर मूंछों को इधर-उधर नहीं करता, दहाड़ता भी है। आज तो आपने दहाड़ना ही बंद कर दिया।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस से कोई राजस्थान का भला होने वाला नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बहुत ही संक्षेप में मैं दो-तीन चीजें और निवेदन करना चाहता हूं। सैक्शन 18 में input tax credit and stock on the date of commencement of this Act, यह आपने प्रोविजन किया है। और इस प्रोविजन के तहत ही आपने जब इसमें छूट का प्रावधान किया गया है तो वाणिज्य कर आयुक्त ने 1.7.2007 को इस एक्ट की मूल भावनाओं के विपरीत एक सर्कुलर निकाल दिया और एक सर्कुलर निकाल कर के जो लाभ मिल सकता था व्यापारियों को वह लाभ इन्होंने कम कर दिया। जैसे पैडी पर तो आपने छूट दे दी और चावल के स्टॉक पर छूट नहीं है लेकिन चावल के स्टॉक वाला व्यापारी अगर उस चावल को दूसरों को बेच देता है तो उसको छूट प्राप्त है। इसी प्रकार खादी और ग्रामोद्योग में आपने छूट दे दी लेकिन राजस्थान में अगर वह कच्चा माल खरीदता है तो उनको छूट नहीं है। इसी प्रकार पोहा के मामले में उसको कर मुक्त कर दिया लेकिन गल्डे की खरीद पर जो आईटीसी छूट नहीं दे रहे हैं, फिर राजस्थान में इस परिस्थिति में कौन उनका माल खरीदेगा? यह कुछ इनकंसीसटेंसी जो हैं, इन सब बातों के साथ

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जो परिस्थितियां हैं, उनमें मेरा आप सब से अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि हमने जो आपके सामने विचारों की अभिव्यक्ति की इस संबंध में इस बिल को जनमत जानने के लिए आप प्रसारित करें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री गोपाल बाहेती।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैट के बिल पर चर्चा के दौरान जो तथ्य सामने आए उससे स्पष्ट है कि सरकार किस तरह विधान सभा को एक तरफ रखकर, छिपकर काम करना चाहती है। जो बिल संविधान सम्मत नहीं हो, जिस बिल के अन्दर एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स नहीं हों, जिस बिल में शिड्यूल वन और टू नहीं हो, उस बिल को सदन से पास करवाना पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि गत सत्र से यह बिल लाने के बाद सत्र के बाहर जिस तरह से बदलाव किया गया समय-समय पर और जिस तरह की चर्चा राजस्थान में हुई, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कब, कौन व्यक्ति किससे मिल लिया और किस प्रकार से जिंस वैट से मुक्त हो गई, वह पता न मंत्री मण्डल को, न पता दूसरों को और पता पड़ता है सिर्फ अख़बार से जब फोटो छपती है अख़बार में कि बहुत-बहुत धन्यवाद मुख्य मंत्रीजी का और इन मंत्रीजी का, उसमें हमारे मंत्रीजी का फोटो आता ही नहीं है तो इससे सिद्ध होता है कि ... (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): कल ही आया है फोटो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अजी, एक आया होगा, साहब। इससे सिद्ध होता है कि सरकार किस तरह वैट के मामले में छिपकर काम कर रही है और मुझे तो लगता है कि वैट इनके पास एक ऐसा हथियार के रूप में आ गया है कि जिसके माध्यम से सरकार अपने आप में किस तरह से काम कर रही है, यह कल्पना ही नहीं कर सकते आप। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार राजस्थान की भा.ज.पा. सरकार ने इसको दो साल लेट किया, यह राजस्थान की जनता का सबसे बड़ा नुकसान था, इस वैट के बिल को और केवल राजनीति आधार पर एन.डी.ए. सरकार ने इस बिल को बनाया, लागू किया, प्रस्ताव किया और ज्यों ही विपक्ष में आए, उसका

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

विरोध किया तो जिस पार्टी को शुरू से बिल को लेकर के राजनीति करनी थी, वह पार्टी आज भी इसमें राजनीति कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बांस जैसी एक छोटी-सी चीज जिसको गूंथ कर घुमंतू जाति के लोग झाड़ी बनाते हैं, झाड़े बनाते हैं, वह तो वैट में है और बड़ी-बड़ी चीजें वैट से बाहर हैं, चूंकि वह छोटे लोग इनको खुश नहीं कर सकते, जिस टर्म्स से हम बात करते हैं, उस टर्म में वह बात नहीं कर सकते, वह केवल हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो यह बिल वैट इसलिए बनाया गया था कि वैट के बाद कानून कैसे बनेगा कि जिसमें जो टैक्स लगेंगे उस टैक्स के अन्दर एक सिमेट्री आएगी, एक साम्यता आएगी और उसमें एक ऐसी नार्मल्सी आएगी कि जिससे यहां के व्यापार में बढ़ोत्तरी हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि छोटे व्यापारी को 5 लाख के टर्न ऑवर पर वैट से मुक्त करते हो, आप यह देखिए इस जमाने में 5 लाख का टर्न आवर तो बहुत छोटी-सी बात है, इसको 10 लाख का करते। आज हम देखते हैं कि गली कूचे में बैठा व्यापारी भी आज दुकान खोलता है तो 4-5 लाख का माल रखता है, उस व्यापारी को भी आर्थिक वैट से मुक्त नहीं करोगे तो किस तरह दूर होगी बेरोजगारी ? एक मेरा इसमें निवेदन यह था। इसी प्रकार से, यह पहले जो सी फार्म और डी फार्म जमा कराते थे तो उसमें दो-दो साल का समय भी लगता था, अब इसमें समय दिया है तो 3 महीने का और आज की तारीख में भी आपके 2003-04 2004-05 और 2005-06 इनके टैक्स का असेसमेंट अब भी बाकी पड़ा है और यदि इसके अन्दर इन्होंने सी फार्म और डी फार्म को जमा कराने में और समय नहीं दिया तो बहुत-से व्यापारी जिन्होंने अपना असेसमेंट नहीं कराया, वह घाटे में रहेंगे क्योंकि इसके अन्दर असेसमेंट तो नहीं हो रहा है, अब तक हुआ नहीं है और हम इसको उस दृष्टि से देखते हैं कि जिनमें सैल्स टैक्स प्राप्त था, वह वैट में ले लिया, जैसे आपकी रद्दी और यूज प्लास्टिक उसमें सेल्स टैक्स प्राप्त था और वैट आपका चार परसेंट है, आप उसमें माफ कर सकते हैं तो लोगों को ठीक लगेगा इससे। आज हम गुलकंद पर, गुलाब जल पर माफ कर दिया लेकिन गुलाब का जो सूखा फूल है उन पर वैट है तो एक व्यापारी जो गुलाब जल बनाएगा, गुलकंद बनाएगा, वह गुलाब का फूल भी रखेगा तो किसी प्रकार से आप व्यापारी को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं तो यह कुछ बातें इस प्रकार की हैं बहुत ही पुनर्विचार करने की बात है। मैंने पूर्व में बताया कि फार्म

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

नं. 7 और 9 वह वास्तविकता में इतना काम्प्लीकेटेड है, उसमें होनी चाहिए सरलता ताकि व्यापारी खुद भर सके। उसको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो और न वह टैक्स की चोरी करे और न वह इंस्पेक्टर राज के चंगुल में आवे, दोनों बातों से वह बच जाएगा। इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन आपसे यह भी है कि यह बहुत बड़ी चिंता की बात है कि जो मेरे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि 60-60, 70-70 चीजों को वैट से कम कर देने, वैट से फ्री करने और आउट साइड द मिनिस्ट्री, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और यदि हमको इसी प्रकार का बिल बनाना है तो फिर तो आपका आर्डिनैंस ही काम कर रहा है फिर किसलिए इस खोटे बिल के अन्दर हमको पार्टनर बनाते हो और विधान सभा की सील लगवाते हो तो मेरा आपसे निवेदन यह है कि एक बार पुन: इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित करें और इस बिल पर टैक्सेशन, व्यापारी और जनता मिलकर के खुले मन से पुनर्विचार करें ताकि इसके अन्दर एकरूपता आ सके। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा। - (अनुपस्थित) डा. बुलाकीदास कल्ला।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए, इसके बारे में मैं अपने विचार रखता हूं। सबसे पहले जर्मनी में एफ वॉन साइमंस ने 1918 में जर्मनी में टर्न-ओवर टैक्स को सब्स्टीट्यूट करने के लिए इस विचार को आगे बढ़ाया और उसके बाद फ्रांस पहला देश था, उपाध्यक्ष महोदय, जिसने वैट को लागू करने के लिए आगे आकर अपना एक स्थान बनाया। आज संसार के 120 देशों में वैट सिस्टम लागू है जिसके अन्दर सेल्स टैक्स को वैट के रूप में वसूल किया जाता है। यह वैल्यू एडेड टैक्स है और इसमें वसूल करने वाली संस्था को हर पाइंट पर टैक्स मिलता है। इसके कारण से सन् 1918 के बाद भारत बहुत पीछे रह गया। 1992 में राना चलैया नाम की एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने यह सुझाव दिया कि तमाम प्रकार से टोल-टैक्स, एंट्री टैक्स अथवा सैस वगैरह इनको टर्न-ओवर टैक्स वगैरह में हटा कर एक इकजाई टैक्स लगाया जाए जिसको वैट के रूप में परिभाषित किया और उसके बाद हमारे देश में वैट का प्रादुर्भाव हुआ और धीरे-धीरे हमारे अन्य प्रदेशों में यह प्रारम्भ हुआ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): देखो, संसदीय कार्य मंत्रीजी, कितनी तैयारी है, कहां-कहां से जानकारी, फ्रांस की, जर्मनी की, सारे देशों की, देखो। आप बातें करने में लग रहे हो। ये सुनो बहुमूल्य सुझाव। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): दुःख तो इस बात का है न उनकी विद्वता को आप ही नहीं मानते हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): और कोई विद्वता माने न माने लेकिन आपकी विद्वता का स्तर पता लग गया, आप विद्वता की जगह किसको खुश करने के लिए क्या करते रहते हो और नारद मुनि का रोल यदि किसी ने वास्तव में किया है तो आपने किया है, बस एक चोटी की जरूरत है अगर वह लग जाए तो पक्के नारद बन जाएं आप। उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मैं यह कह रहा था कि भारत में फिर राजस्थान में कैसे लेख हुए इसके बारे में लोग कह चुके हैं लेकिन मैं खासतौर से आपसे यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जब वैट लागू हुआ उस समय राजस्थान में और देश में 6 अनुसूचियां बनाई गईं। उन अनुसूचियों के बारे में आपको खासतौर से बताना चाहता हूं कि धारा 8 (1) के अन्तर्गत फर्स्ट अनुसूची जारी की गई जिसमें उन वस्तुओं पर टैक्स एग्जैम्प्ट किया गया है, उसकी सूची दी गई है। उसमें खासतौर से कृषि उपकरण, हमारे पशुओं से ढोने वाले वाहन हैं उनके बारे में है और हमारे पॉवर से चलने वाले जो ट्रैक्टर वगैरह हैं उनके बारे में सूची दी गई है। जिनके ऊपर टैक्स एग्जैम्प्ट किया गया था उसकी अनुसूची है। दूसरी अनुसूची वह है जिसमें वैट माफ किया गया है। इसमें ऐसे व्यक्तियों की सूची है जैसे यू एन ओ, डिप्लोमेट्स और इससे सम्बन्धित संस्थाएं। तीसरी अनुसूची वो है जिसमें एक प्रतिशत वैट लगाया गया है। चौथी अनुसूची वो है जिसमें 4 प्रतिशत वैट लगाया गया है। 5वीं अनुसूची वो है जिसमें एक और चार प्रतिशत पर जो कवर नहीं किये जाते हैं उन पर 12.5 प्रतिशत टैक्स लगाने की बात कही गई है और छठी अनुसूची वो है जिसमें विशेष कर लगाया गया है जिसमें खासतौर से 6 वस्तुएं हैं। उसमें मोलासेस, भांग, ओपियम, फोरेन लिकर, एवियेशन से सम्बन्धित स्प्रिट और हाई डीजल स्प्रिट, ये 6 वस्तुएं ऐसी हैं जिनके ऊपर विशेष प्रकार से कर लगाया गया है। इसमें फोरेन लिकर के ऊपर 20 प्रतिशत, भांग के ऊपर 50 प्रतिशत, ओपियम के ऊपर 50 प्रतिशत और एवियेशन डीजल के ऊपर 20 प्रतिशत। उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से ये विशेष प्रकार की वस्तुएं हैं जिनके ऊपर इतना-इतना लगाया गया है। इसमें डीजल और

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

पैट्रोल को भी लिया गया है जिसमें डीजल के ऊपर 20 प्रतिशत और पैट्रोल के ऊपर 28 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खासतौर से आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जैसा सदन को बताया कि आपने कंट्री मेड जो फोरेन लिकर है उसके ऊपर वैट नहीं लगाया जबकि भांग के ऊपर, ओपियम के ऊपर, अन्य चीजों के ऊपर 50 प्रतिशत टैक्स लगाया है। क्या वे एक्साइज के आइटम नहीं हैं? वे एक्साइज के आइटम हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि या तो जो कंट्री-मेड फोरेन लिकर है उसके ऊपर भी आप 50 प्रतिशत लगायें और नहीं तो कम से कम भारत सरकार की गाइड लाइन है कि आप समान चीजों के ऊपर समान करें। ये सब नशे की चीजें हैं और इनके ऊपर जितना लगाया जाए, मैं समझता हूं वो कम है पर इनके ऊपर एक जैसा टैक्स लगना चाहिए।

दूसरी बात, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वैट का जब कंसेप्ट आया था, उस समय यह कहा गया था कि पूरे देश में 46 प्रकार की ऐसी वस्तुएं हैं जो स्टेट के ऊपर छोड़ दी गई थीं जिनको स्टेट अपनी मर्जी से छोड़ दे। लेकिन इन्होंने अब तक 72 जिन्सों के ऊपर टैक्स एग्जैम्प्ट कर दिया। एक +++ की कमेटी बनी उसको जो माला पहना दे, अब माला कौनसी थी, क्या थी वो आप रोज अखबारों में पढ़ते हैं, नोटों की माला पहनाओ और टैक्स माफ कराओ। खुलेआम यह वन विंडो सर्विस हो गई कि +++ को माला पहनाओ और टैक्स माफ कराओ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह बिना आधार के अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो सदन के सदस्य नहीं हैं और बिना किसी प्रमाण के आप आरोप लगा रहे हैं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं, इस तरह चलते-चलते ही किसी पर आरोप लगा देना बिना किसी कारण से, यह ठीक नहीं है। इसको एक्सपंज कराओ उपाध्यक्ष महोदय। इसको एक्सपंज कराओ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या एक्सपंज कराओ। सारा राजस्थान जानता है। (व्यवधान) मैं तथ्यों के आधार पर बता रहा हूं कि 46 वस्तुओं पर ये टैक्स एग्जैम्प्ट कर सकते थे पर आज तक इन्होंने 72 वस्तुओं पर टैक्स एग्जैम्प्ट कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष: यह अंकित नहीं होगा वो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): संसदीय कार्य मंत्रीजी, इसकी जांच करवा लें वास्तविकता पता चल जाएगी। रोजाना अखबारों में आ रही हैं ये बातें तो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, 72 वस्तुओं के ऊपर इन्होंने टैक्स एग्जैम्प्ट कर दिया। किस आधार पर किया? इन्होंने जिस तरीके से इस मामले में धांधलेबाजी की है, मैं संसदीय कार्य मंत्रीजी और वित्त राज्य मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि आपने कौन से एक्ट के आधार पर जिसको चाहा उन जिंसों का माफ कर दिया? अमेंडमेंट तो आप आज ला रहे हो और पावर ले रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, कि यह अप्रैल, 2006 से लागू होगा। आपको कोई अधिकार नहीं था। वैट के मामले में पूरे राष्ट्र में आम सहमति बनी थी उसके अनुसार 46 वस्तुओं से ज्यादा कहीं पर भी टैक्स एग्जैम्प्शन का कोई इनको अधिकार नहीं था, लेकिन इन्होंने उससे ज्यादा वस्तुओं को, दुगुने के करीब ये पहुंच गये हैं जिन पर इन्होंने टैक्स एग्जैम्प्ट कर दिया और उससे राजस्थान को रेवेन्यू लोस हुआ, राजस्थान का नुकसान हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट ये लेकर के आये हैं। खासतौर से amendment of section 3, Rajasthan Act No. 4 of 2003, इसमें इन्होंने किया है "Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a dealer other than that enumerated in clause (a) or clause (b) of sub-section (1), who purchases goods from a registered dealer of the State and sells such goods within the State, may opt for payment of tax on his turnover excluding the turnover of the goods specified in Schedule I, at the rate as may be notified under sub-section (3) of section 4, subject to the condition that such annual turnover does not exceed rupees fifty lacs in a year." उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि 50 लाख का टर्न ओवर जिसका होगा और वह कोई चीज इम्पोर्ट कर रहा है, अब इम्पोर्ट करने वाले व्यक्तियों को इतना लाभ मिलेगा कि 2 प्रतिशत गजट नोटिफिकेशन से इन्होंने टैक्स की सीमा निर्धारित कर दी है। आज थाइलैण्ड से, चाइना से और आस-पास के देशों से हमारे यहां सामान आ रहा है उसके ऊपर केवल 2 प्रतिशत टैक्स लगेगा और देश की उत्पादित वस्तुओं पर 4 प्रतिशत, 12.5 प्रतिशत टैक्स लगेगा। इसलिए यह आयातित वस्तुओं को लाभ देने के लिए नोटिफिकेशन निकलेगा और उसका लाभ

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

निश्चित रूप से आयातित वस्तुओं का व्यापार करने वालों को मिलेगा, देश में उत्पादित वस्तुओं के लिए इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा।

इसके अलावा एक बात इसमें और है कि जो व्यापारी अपना हिसाब-किताब नहीं रखते हैं उनको लम्पसम यह छूट देना चाहते हैं। वह छूट 50 लाख के व्यापारी को क्यों, कम से कम इसकी एक सीमा बनाई जानी चाहिए थी और आयातित व्यापार करने वाले को इस श्रेणी से अलग रखना चाहिए था।

इसके अलावा दूसरा अमेंडमेंट जो ये लेकर के आ रहे हैं खासतौर से सैक्शन 8 का, इसमें "(3A) Subject to such conditions as it may impose, the State Government may, if it considers necessary so to do in the public interest, by notification in the Official Gazette, add to or omit from, or otherwise amend or modify the Schedule-II, prospectively or retrospectively, and thereupon the Schedule shall be deemed to have been amended accordingly." इसमें यह पावर ले रहे हैं कि अनुसूची-2 में जिन संस्थाओं को और जिन व्यक्तियों को यह रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से और आगे से कभी भी चाहे जब उनको करों में छूट दे सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यू.एन.ओ. है, अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, डिप्लोमेट्स हैं और उनसे सम्बन्धित संस्थाएं हैं। ये अपने गजट नोटिफिकेशन के आधार पर किसी को भी यह कोई भी छूट दे सकते हैं। यह इतनी बड़ी भारी छूट लेने का मतलब यह है कि सरकार इस पॉवर का दुरुपयोग करेगी और जिसको चाहे उसको करों में छूट देगी। इसके लिए इसका मैं विरोध करता हूं।

इसके बाद amendment of section 15, Rajasthan Act No. 4 of 2003. "In sub-section (3) of section 15 of the principal Act, for the existing expression 'the initial security shall be', the expression 'the initial security shall be in the form of surety of two dealers registered under this Act, and where the dealer is not in a position to furnish such surety, he shall submit security' shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of April, 2006." उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी कानून बनता है उस कानून में हरेक में इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इसको लागू करने की बात की है, यह मूल रूप से विधिमान्य सिद्धांतों के विपरीत है। दूसरी बात, इस कानून के अन्तर्गत जो बहुत छोटे व्यापारी हैं, पान का व्यापारी है, मान लीजिये कोई छोटा टॉफी बेचने वाला दुकानदार है, उन सब को 10 हजार की

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

एन.एस.सी. लेनी पड़ेगी या उनको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी अथवा दो व्यवहारी जो रजिस्टर्ड हैं उनसे प्रतिभूति या श्योरिटी दिलानी पड़ेगी। ये प्रावधान जो किये गये हैं, मैं समझता हूं कि इन प्रावधानों को घटाने की आवश्यकता है। जब आप धारावाइज इसके ऊपर बात करेंगे तो मेरे अमेंडमेंट हैं उनके बारे में मैं अपनी बात रखूंगा। लेकिन खासतौर से छोटे व्यापारियों के लिए यह राशि बहुत ज्यादा है।

इसके अलावा मैं आपके सामने इस एक्ट के बारे में, जब आप विचार कर रहे है तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे पड़ोसी राज्यों में जिन वस्तुओं का वैट हमारे से कम है, उनके बराबर यदि आप नहीं लाएंगे तो वैट की भावना और वैट का कोई महत्व नहीं रहेगा। इस वैट को इसलिए लाया गया था कि पूरे देश में सैल्स टैक्स एक जैसा हो और खासतौर से पड़ोसी राज्यों में वैट की जो दर है वह एक जैसी रहे ताकि एक दूसरे राज्य का व्यापार प्रभावित नहीं हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में आज 28 प्रतिशत की दर से पेट्रोल के ऊपर वैट लग रहा है, 20 प्रतिशत की दर पर हमारे यहां डीजल के ऊपर टैक्स लग रहा है और 50 प्रतिशत सेस लग रहा है। वैट में स्पष्ट कहा गया है कि वैट लगने के बाद कोई टर्न-ओवर टैक्स, कोई सेस, कोई अन्य प्रकार की चीजें नहीं रहेंगी, एंट्री टैक्स नहीं लगेगा तो इसमें पेट्रोल और डीजल पर सेस क्यों लगाया जा रहा है? इसको खतम किया जाना चाहिए। यह वैट की भावना के विपरीत है। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारे पड़ोसी राज्यों में वैट 28 प्रतिशत से कम है, उसके बराबर आपको करना चाहिए और जितनी भी वस्तुएं हैं जिनके ऊपर चाहे चार प्रतिशत टैक्स लगा रहा है, चाहे साढ़े बारह प्रतिशत लग रहा है पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में हमारा जो वैट है, उन्हीं की दर के बराबर लगना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कई बार आगरा वगैरह गया हूं।वहां वाहन मेला लगता है और धौलपुर और आसपास के लोग वहां जाते हैं और वही से जाकर के वाहन खरीद लाते हैं क्योंकि वहां पर वाहन के ऊपर टैक्स कम है और यहां पर हमारे राजस्थान में टैक्स ज्यादा होता था इसलिए लोग वहां जाकर के वाहन खरीदते हैं। राजस्थान के हितों का नुकसान होता है, आज भी बहुत-सी ऐसी कम्पनियां हैं, जैसे हमारे यहां गंगानगर में हैं, हनुमानगढ़ में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

डीज़ल और पेट्रोल लोग पड़ोसी पंजाब से लेकर आते हैं। हरियाणा के पड़ोस में जो लोग हैं वह हरियाणा से पेट्रोल और डीज़ल लेकर आते हैं, सीमेंट कम्पनियां पेट्रोल और डीज़ल सी फार्म के ऊपर पडोसी राज्यों से लेकर आ रही है। इससे हमारे राजस्थान के सेल्स टैक्स का, वैट का नुकसान हो रहा है। वैट सेल्स टैक्स का ही पर्याय है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि अलग-अलग वस्तुओं पर पड़ोसी राज्यों में जो टैक्स है उसके बराबर टैक्स लगाया जाए। मैं एक उदाहरण देकर आपको मेरे तथ्यों की पुष्टि करना चाहूंगा कि दालों के ऊपर हमारे यहां 4 प्रतिशत पहले टैक्स था और पड़ोसी राज्यों में और प्राय: पूरे भारत में दालों के ऊपर कोई टैक्स नहीं है उसके बाद सरकार के पास लोग गये अभी भी दालों पर एक प्रतिशत टैक्स है, उसके कारण पड़ोसी राज्य जो हैं उनका व्यापार ज्यादा होता है और आसपास के ज़िले तो एक प्रतिशत पर तो सारा व्यापार हो जाता है। इसलिए पूरे राज्य में ऐसी-ऐसी वस्तुओं का वर्गीकरण हमको निर्धारित करना चाहिए कि पड़ोसी राज्यों के मुकाबले में जिन वस्तुओं का टैक्स हम ज्यादा ले रहे हैं, उनको उनके बराबर हमको लेना चाहिए। इसके अलावा वैट का रेश्नलाइजेशन करना बहुत जरूरी है, जब तक हम रेश्नलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक वैट के माध्यम से हमको जो फायदा होने वाला है, वह फायदा हम नहीं ले पाएंगे। इसके साथ-साथ जो छोटे व्यापारी हैं जो दो लाख का, पांच लाख का, दस लाख का, पन्द्रह लाख का काम करते हैं, उनको वैट से पूरा-पूरा एग्जैम्पट करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुन: आग्रह करता हूं कि इस वैट के बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री विरेन्द्र बेनीवाल, अनुपस्थित। डा. समरजीत सिंह, अनुपस्थित। डा. चन्द्रशेखर बैद, अनुपस्थित। डा. एन.एस. गुर्जर, अनुपस्थित। श्री मदन राठौड़, अनुपस्थित। प्रश्न यह है कि श्री जोगाराम....

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनमत जानने के लिए हमने प्रस्ताव रखा, उसके बाद में हमेशा जवाब की परम्परा रही है।

श्री उपाध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं, प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जोगाराम पटेल ने प्रस्तुत किए हैं, उनको वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

माननीय मंत्री महोदय।

श्री वीरेन्द्र मीणा (वित्त एवं करारोपण राज्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स अमेंडमेंट बिल, 2007 इस सदन में लाया गया है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने कई बातें कहीं कि एक कमेटी बना दी है और उसके अंदर वैट आइट्म्स में छूट दे दी जाती है, वैट टैक्स के अंदर और भी कई प्रकार के अनर्गल आरोप लगाये हैं यहां पर, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि वैट टैक्स 1 अप्रैल, 2006 से हमारे प्रदेश में लागू हुआ और माननीय सी.पी. जोशीजी बिलकुल सही फरमा रहे थे कि वैट एक्ट कांग्रेस सरकार में 2003 में बना था और इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने किया, निश्चित किया इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि केन्द्र सरकार का वित्त विभाग जब अपना व्हाइट पेपर लेकर के आया, जिसके अंदर स्टेट एम्पावर्ड कमेटी में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और उस मीटिंग में मैं भी गया था और वहां पर जो व्हाइट पेपर केन्द्र सरकार द्वारा लाया गया उसके अंदर उन्होंने यह तो कह दिया कि सीएसटी को हम लोग हटाएंगे परंतु उस सीएसटी का रोड मैप जो है, वह नहीं बताया तो उस व्हाइट पेपर लाने के बाद सारे भाजपा शासित राज्य, भाजपा शासित राज्य ही नहीं, इसके अलावा 25 स्टेट के अंदर से 18 स्टेट हमारे साथ थे जिन्होंने वैट का विरोध किया और बस उसमें यही बात थी कि आप वैट का रोड मैप बता दें, क्योंकि केन्द्र सरकार की नीति के अंदर फर्क था, वह कह क्या रहे थे और वैट का रोड मैप जो, उसको क्लीयर नहीं कर रहे थे। इसी वजह से केन्द्र सरकार की नीयत में खोट होने की वजह से यह वैट हमने देरी से लागू किया और जब उन्होंने क्लीयर किया कि हम इसको चार प्रतिशत से तीन प्रतिशत करेंगे, जो अभी कल ही किया है, कल यानि 1 अप्रैल, 2007 से लागू हुआ है उसके बाद हमने हमारे प्रदेश के अंदर वैट लगाने की घोषणा की है। क्योंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रतिशत कम करने से हमको 300 साढ़े 300

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

करोड़ रुपए का घाटा होता था। राज्यों के पास इतने ज्यादा संसाधन नहीं है, राज्य में काफी सीमित संसाधन है तो जब तक केन्द्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं होती तो राज्यों के लिए सम्भव नहीं था इतने बड़े घाटे को झेलना, इस वजह से यहां वैट लगाने में देरी हुई। आज माननीय सी.पी. जोशी साहब ने कई बातें यहां पर कही, सी.पी. जोशी साहब और कल्ला साहब सबके बारे में विस्तारपूर्वक मैं बताना चाहूंगा कि शिड्यूल 2 के अंदर जो आइटम्स के बारे में इस एक्ट के अंदर हमने बताये नहीं है तो इसमें तो कल्ला साहब ही कह गए थे कि शिड्यूल में जो-जो आइटम्स है शिड्यूल-1 के अंदर आपने अपने मुंह से खुद ने बता दिए थे तो अब मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कल्ला साहब और जोशी साहब, आप दोनों ही बैठकर के तय कर लें, उनको बता दें कि शिड्यूल-1 में कौन-कौन से आइटम हैं? आप दोनों ही एक दफा फैसला करे कि शिड्यूल-। में कौन-कौन से आइटम हैं? खुद बता रहे थे सारे....

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): वह बता रहे हैं अच्छा है, एक्ट के अंदर ऐसा थोड़े ही होता है अध्यक्ष महोदय, वह बता रहे हैं क्या तकलीफ है? Schedule is a part of the Act. आप मना कर दीजिए, आप मना कर दीजिए कि शिड्यूल एक्ट का पार्ट नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी राय लेना चाहते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनकी सीट पर तो महावीर प्रसादजी ठीक हैं, आपको हम आगे की सीट पर देखना चाहते हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप रूलिंग कर दें कि शिड्यूल इसका पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: वह तो अब आप खुद देखें।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप भी तो कानूनविद् हैं बताइए आप अगर कानून में कोई पार्ट बना रहे हैं तो उसका शिड्यूल उसका स्टेच्यूट का पार्ट है या नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं है, पर मंत्री महोदय ने ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्री महोदय तो आरती उतारेंगे, हम भी आरती उतारेंगे क्या? कानून किसी से नहीं चलता है, किसी की मन-मर्जी से, कानून के अपोजिट में मुझे बता दीजिए आप कानून में प्रोविजन है कि

(डा. सी.पी. जोशी)

नहीं कि Schedule is part of the statute? शिड्यूल पार्ट है, ऐसे थोड़े ही होगा मेरे को कोई जानकारी है तो मैं बोल दूंगा, ऐसे थोड़े ही होगा, जानकारी तो 50 हो सकती है मेरे पास, आप जो नया एक्ट लेकर आये हैं 2007 में, तो 2007 के अंदर एक्ट के शिड्यूल-। और ।। को आपको जोड़ना पड़ेगा, ऐसे थोड़े ही हो सकता है कि 2003 में कल्ला साहब बता रहे थे, कल्ला साहब कह रहे थे, ठीक है कल्ला साहब को अपनी जानकारी होगी पर मैं एज ए एमएलए आपसे यह जानना चाहता हूं आप बताइए कि क्या शिड्यूल-। और ।। जो एक्ट 2007 आ रहा है उसका पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताइए आप।

श्री उपाध्यक्ष: बता रहे हैं मंत्रीजी।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार आपने धारा 20 के अंदर कोई प्रावधान संशोधित नहीं किया गया है उसके बारे में आपने विस्तार से ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सैक्शन-8 बोले पहले तो. What about Section 8?

श्री उपाध्यक्ष: बता देंगे, बीच में नहीं।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): इसी प्रकार धारा 20 में आपने बताया धारा 20 के अंदर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई प्रावधान संशोधित नहीं किया गया है अपितु इसमें नई धारा 20(6) जोड़ी गई है। अत: एक्स्ट्रेट के अंकन की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार धारा 8 के बारे में भी आपने कहा धारा-8 को 8.3.2006 को संशोधित किया जाकर शिड्यूल्ड-1 एवं 2 अंत:स्थापित किये गये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, मैं माफी चाहता हूं। आप एक्ट 2003 का अमेंडमेंट ला रहे हैं कि 2006 का ला रहे हैं? राजेन्द्रजी, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। आप पढ़ लीजिये इसका टाइटल यह अमेंडमेंट है 2003 के एक्ट का । आप यू हीं बातें कर रहे हैं। जो आर्डिनेंस में आप अमेंडमेंट लाये हैं, आपने रेफरेंस आर्डिनेंस का नहीं दिया है आपने रेफरेंस दिया मेन एक्ट 2003 का तो 2003 के एक्ट के अन्दर आप बातें करिये। आप जो बात कोट कर रहे हैं वो आर्डिनेंस के 2006 के पार्ट कर रहे हैं। 2006 का पार्ट नहीं है आप अमेंडमेंट मैन एक्ट में लाये हैं। आप खोटी-खोटी बातें करवा रहे हैं बिलकुल ही। मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं पास

(डा. सी.पी. जोशी)

करवा दीजिये वैसे ही, आप यह गलत पास करवा दीजिये। यह 2003 का एक्ट है, 2003 के एक्ट के जो प्राविजन हैं उनमें अमेंडमेंट हो रहा है। यहां जो कोट कर रहे हैं वो 2006 के आर्डिनेंस का जो अमेंडमेंट है, उसको कोट कर रहे हैं। How is it relevant with this?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आर्डिनेंस में तो अमेंड ले आये थे न।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ये नहीं रखा आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 2003 के एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आये हैं पहले आर्डिनेंस आ गया था इसलिए उन्होंने कोट कर दिया।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ...(व्यवधान) आप अमेंडमेंट किस पर कर रहे हैं राठौड़ साहब, ऐसे नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जवाब दीजिये मुझे। I don't want go into all this.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, 2003 के ...(व्यवधान) 2003 के एक्ट में अमेंडमेंट है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, ये जो बिल है वो 2003 का एक्ट है, ये 2003 के एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है आप फिर दुबारा पढ़ लीजिये इसको। आप जो लेकर आये हैं 2003 के प्रिंसिपल एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां सही है न ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ये जो कोट कर रहे हैं वो कोट कर रहे हैं आर्डिनेंस का क्या रिलेवेंस है इससे? आपको कोट करना चाहिए, फिर लिखिये 2006 के आर्डिनेंस के अनुसरण में बिल ला रहे हैं। ये तो लिखा नहीं आपने। अध्यक्ष महोदय, आपने हमको दिया है 2003 के प्रिंसिपल एक्ट के अमेंडमेंट का। पढ़िये मंत्रीजी आप। मंत्री महोदय, आप किसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं? ऐसे राजेन्द्रजी, खोटे पढ़-पढ़ कर आप अपने मंत्री को डिमोर्लाइज मत करिये। आप गलत बातें कर रहे हैं बिलकुल ही। मैं समझता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके पास ज्युडिशियरी का सैकेट्री है, आप फैसला करवा दीजिये इस पर। वैसे गैरकानूनी पास करना चाहते हैं तो करवा दीजिये। बाकी

(डा. सी.पी. जोशी)

यह 2003 के एक्ट का अमेंडमेंट है, which is the principle Act. ये जो कोट कर रहे हैं वो आर्डिनेंस 2006 को कोट कर रहे हैं। 2006 का कोई रिलेवेंस नहीं है आप प्रिंसिपल एक्ट में अमेंडमेंट ला रहे हैं और प्रिंसिपल एक्ट में बता दीजिये प्रिंसिपल एक्ट के सैक्शन 8 को कहां लिखा हुआ है बता दीजिये सैक्शन 3 का है, 4 का है, 5 का है, बता दीजिये मुझे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि 2003 के एक्ट में अमेंडमेंट लेकर आये हैं और उपाध्यक्ष महोदय, यह भी सही है इससे पहले जब आर्डिनेंस आया था तब इन्होंने एक्ट की धारा 8(4) के रूप में एक नयी धारा को जोड़ दिया था और उसमें शिड्यूल्ड I और शिड्यूल्ड IV उसका पार्ट थे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप अमेंडमेंट किसमें ला रहे हैं? मुझे आश्चर्य है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 2003 में ला रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): 2003 में है तो 2003 के प्रिंसिपल एक्ट के सैक्सन 8 में कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले आर्डिनेंस आ गया था। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा यहां पर. I will sit on hunger strike. I will not allow this wrong legislation to be passed. इस तरह गंदा कानून पास नहीं होने दूंगा मैं। I will sit here. आप प्रिंसिपल एक्ट में 2003 में अमेंडमेंट ला रहे हैं और गलत कोट कर रहे हैं। आप करायें कोट, I will sit here.

(माननीय सदस्य, डा. सी.पी. जोशी द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने अपनी बात रख दी, अब आप जवाब ही नहीं सुनना चाहते। यह कोई बात नहीं है उनका जवाब तो सुनें, वो कह रहे हैं 2003 का आर्डिनेंस में अमेंडमेंट हुआ है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रार्थना कर रहा था कि निश्चित तौर पर नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे थे अमेंडमेंट जो लेकर आ रहे हैं प्रिंसिपल एक्ट 2003 का, उपाध्यक्ष महोदय, जो यह प्रिंसिपल एक्ट है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसमें एक आर्डिनेंस के द्वारा पहले हम अमेंडमेंट ले आये थे । मंत्री महोदय अपनी बात कहते-कहते जो अमेंडमेंट हम आर्डिनेंस में लेकर आये थे जिसको आज कानूनी जामा पहना रहे हैं उसका उन्होंने उल्लेख कर दिया तो उसमें उत्तेजित होने की बात नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर आपकी बात सही है। आपको इस बात से नाराजगी है कि आर्डिनेंस की चर्चा ही यहां न करें, आर्डिनेंस जो लेकर आये हैं, अब इनके मुंह में शब्द डालना चाहें उपाध्यक्ष महोदय, ये तो न्याय की बात नहीं है, सी.पी. जोशी साहब, आप विद्वान आदमी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी। माननीय जोशीजी। आर्डिनेंस के जरिये हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन किया है निश्चित तौर पर ये अमेंडमेंट जो लाया गया है प्रिंसिपल एक्ट 2003 का था उसी एक्ट के अन्दर अमेंडमेंट जो लाने के लिए माननीय मंत्रीजी ने प्रस्ताव मूव किया है उपाध्यक्ष महोदय, ये भी सही है कि चूंकि इसमें पहले आर्डिनेंस के द्वारा अमेंडमेंट ले आये थे उसका रिप्लेसिंग बिल आज ले आये इसलिए इन्होंने आर्डिनेंस की बात कह दी। अब दुबारा बात करेंगे तो 2003 के प्रिंसिपल एक्ट की बात कहते हुए अमेंडमेंट की बात कह देंगे।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं आपको फिर निवेदन कर रहा हूं। नया आदमी जीतकर आया है। हम गलत काम नहीं करें। आपको सुओमोटो 2003 के प्रिंसिपल एक्ट से सैक्शन 8 में अमेंडमेंट लाना चाहिए। उसका आर्डिनेंस से कोई रिलेवेंस नहीं है। मुझे बतायें कि किसको पास कर रहे हैं? आपने हमको मूव किया है 2003 के प्रिंसिपल एक्ट अमेंडमेंट को, पढ़िये 2003 के प्रिंसिपल एक्ट के सैक्शन 8 में यह सैक्शन है ही नहीं। जो आप कोट कर रहे हैं आर्डिनेंस में, तो क्या संबंध है इसका? मैं समझता हूं कि हमारा काम लेजिस्लेशन है, हम इतना खोटा काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं प्रार्थना करूं कि शायद आपको याद नहीं होगा 2006 में, 2003 प्रिंसिपल एक्ट था, 2006 में हम इसी हाउस में इसका अमेंडमेंट पहले लेकर आये थे उसकी बात आप कर रहे हैं। अब उपाध्यक्ष महोदय, कंफ्यूजन यहां हो गया प्रिंसिपल एक्ट 2003 का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है 2006 में अमेंडमेंट हुआ था जिसको इसी हाउस में पास किया था उसके बाद एक आर्डिनेंस हम लेकर आये थे। आर्डिनेंस का रिप्लेसिंग बिल आज लाये हैं इसलिए यह कंफ्यूजन हो रहा है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, मैं फिर कह रहा हूं नहीं हो रहा है कंफ्यूजन। I am very sorry. फिर आपको निवेदन कर रहा हूं ज्युडिशियरी सर्विस के आदमी बैठे हुए हैं आप 2003 के प्रिंसिपल एक्ट में अमेंडमेंट ला रहे हैं और आप 2003 के सारे ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं-नहीं, 2006 में एक बार इसी सदन में, मैं आपको तारीख बता देता हूं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप मेरी बात सुनिये पहले। मुझे मालूम है और 2006 में आप आर्डिनेंस लाये वो 2006 का और अमेंडमेंट जो आर्डिनेंस है आपको यदि यह बिल लाना था तो आप लिखते 2006 के अमेंडेड एक्ट में प्राविजन ला रहे हैं यह आपको मूव करना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशी साहब।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आपने 2003 को मूव किया और 2006 की बातें कर रहे हैं। अभी भी आप गलत बातें कोट करते जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह कानून बनाना हमारा अधिकार है उसमें खोटा कानून बनाने के लिए हम बैठे हुए हैं क्या? आप फैसला करवायें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी, इसको स्पष्ट कर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): इनको नहीं करना है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माफी चाहता हूं। यह विधान सभा के सेक्रेटेरिएट को मैं पूछ रहा हूं। मैं इनसे नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे पूछना चाहता हूं विधान सभा के उपाध्यक्ष महोदय, आज 2003 के मैन एक्ट में अमेंडमेंट है, आर्डिनेंस का नहीं है। आप आर्डिनेंस का मेंशन करते, कहां लिख रखा है? बतायें मुझे। आपने जो कापी दी है हमको, आप पूछ लेना आप फैसला कर देना। पाइंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री उपाध्यक्ष: दे रहे हैं स्पष्टीकरण।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, आपसे मैं चाहता हूं इसका सोल्यूशन।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, उनका कहना यह है कि 2006 में अमेंडमेंट हो चुका था इसका आप स्पष्टीकरण सुनें तो सही ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं यह 2006 में हो गया मुझे जानकारी है। आप जो अमेंडमेंट ला रहे हो उसमें टाइटल डालिये कि राजस्थान वैट एक्ट, 2006 के अमेंडेड एक्ट के अनुसार यह लिखिये न आप। आपने टाइटल जो लिखा है उसको अमेंडेड करिये न आप। आप बातें कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरा आपसे यह निवेदन है कि ये जनमत जानने के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं उसका उत्तर माननीय मंत्रीजी को देना है अब इन्होंने जो पाइंट उठाया है उस पर जो आपको व्यवस्था देनी है, मेरा आपसे निवेदन है कि इसको पहले आप एग्जामिन करवा करके व्यवस्था रिजर्व रख लें और फिर इसमें व्यवस्था दे दें। अभी ये केवल जनमत जानने के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं और जनमत जानने के प्रस्ताव पर मंत्रीजी उत्तर देंगे और उसके बाद जो इसका निर्णय है, वो करके व्यवस्था दे दें।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं सहमत हूं आपकी बात से उपाध्यक्ष महोदय, मैं टाइटल पढ़ देता हूं एक मिनट, आपको ध्यान रहेगा. ''The Rajasthan Value Added Tax (Amendment) Bill, 2007. (To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly). A Bill further to amend the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003." There is no reference to amended ordinance of 2006. That you have to do it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट में निवेदन करूं उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): महावीरजी ने जो बात कही है ... (व्यवधान) आपकी बात का समर्थन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, ये जो प्रिंसिपल एक्ट 2003 है इसमें जब 2006 के अन्दर हम अमेंडमेंट ले आये और वो अमेंडमेंट इसका पार्ट बन गया तो आज हम इसको यह कह सकते हैं, The Rajasthan Value Added Tax, 2003, as amended from time to time.

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): Yes.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो उसका पार्ट बन गया 2006 के अन्दर जो अमेंडमेंट लाये 2003 में तो लेकर आये थे नहीं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कहां लिखा हुआ है आप जो बोल रहे हैं मान्यवर, कहां लिखा हुआ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इसमें लिखने की जरूरत नहीं है ये तो अपने समझने की बात है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या बातें कर रहे हैं ये पोस्टेरिटी तो इसकी जांच करेगी. Posterity will evaluate this. What Rathore sahib is saying, इससे नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आप जैसा कानून विज्ञ ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं राठौड़ साहब, ऐसे नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपके जैसे कानून विज्ञ विराजे हुए हैं तो इसकी कोई समस्या नहीं है ये तो सुओमोटो अपने आप ही हो गया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप साहब की उस बात पर सहमत हैं आप डिस्कशन करवा लीजिये और दिखवा लीजिये, हम गलत होंगे तो विद्ड्रा कर लेंगे, माफी मांग लेंगे आपसे, पर खोटा कानून पास नहीं होने देंगे हम। मैं फिर आपसे कह रहा हूं हम अगर गलती पर हैं तो हम माफी मांग लेंगे लेकिन खोटा कानून पास नहीं होने देंगे ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आसन को असीमित अधिकार है और उन अधिकारों के प्रति यदि आसन को कोई निर्णय लेना है तो ले लेंगे, खोटा कानून पास नहीं होगा ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल एक्ट, 2003 ही कहलायेगा। एक्ट 2003 में, 8 मार्च, 2006 को इसी सदन में कुछ अमेंडमेंट लेकर आये थे जो इसमें सम्मिलित हो गये, वह प्रिंसिपल एक्ट 2003 ही कहलायेगा और अब यह जो आर्डिनेंस लेकर आये थे जिसको हमने गजट में 28 दिसम्बर, 2006 को इसमें साया किया था जिसको आज रिप्लेसिंग बिल के माध्यम से ला रहे हैं, यह कन्फ्यूजन की बात है और कोई बात नहीं है ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं आपको यह लाना चाहिये था. The Rajasthan Value Added Tax Amended, 2006. This was the right title. There was no relevance. 2003 की कोई रेलेवेंसी नहीं है । इसलिए जो माननीय चीफ व्हिप ने कहा मैं निवेदन करना चाहता हूं आप जिद में खोटा कानून पास नहीं कराएं, आप चैक कर लें। हम यदि गलती पर होंगे तो खडे होकर माफी मांग लेंगे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन आपके गलत तर्क से, गलत आर्ग्युमेंट के आधार पर इस खोटे बिल को पास नहीं करेंगे । आप चैक कर लें, हमें क्या तकलीफ है । आप रूलिंग बाद में दे दीजिए, डिबेट करा दीजिए क्या तकलीफ है पर खोटे बिल को आप कैसे पास करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): यह आप इंटरप्रिएट करेंगे क्या, गलती भी आप करें ...(व्यवधान) तो पास कराइए फिर ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): सारे इंटरप्रिटेशन इनके समझ लें क्या या आपने कह दिया जो पत्थर की लीक हो गई ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): हां कर दीजिए क्या तकलीफ है । यह हमारा अधिकार है खोटा कानून नहीं पास होने देंगे । यह हमारा राइट है हम पास नहीं होने देंगे. We will go to the Hon'ble Governor. आप पास कराओ क्या तकलीफ है । आप कोई गैर कानूनी काम करें, यह हमारा अधिकार है हम नहीं रोकेंगे क्या ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपको करेक्ट करने का हम प्रयास कर रहे हैं ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरे को करेक्ट होने में, माफी मांगने में कोई तकलीफ नहीं है । मैं फिर कहना चाहता हूं यह आपका टाइटल छोटा टाइटल है, इस टाइटल से पास नहीं कर सकते आप ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): करेक्शन तो सरकार को करना है, हमको क्या करेक्ट कर रहे हैं आप । करेक्शन तो आपको खुद को करना है ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, अगर गलती हो गई हो तो जैसे होम मिनिस्टर साहब स्वीकार कर लेते हैं आप स्वीकार कर लो। इसको अभी आप वापस ले लो ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में कितने संशोधन आ गये, संविधान तो उसी समय का कहलाया जायेगा । (व्यवधान) मूल कानून में ही संशोधन है । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): इसमें आदमी को शर्म नहीं आनी चाहिये । कोई गलती हो गई तो उसको स्वीकार कर लो । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): किसी चीज की लिमिट होती है। (व्यवधान) ऐसा कभी होता है क्या ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज प्राइवेट मेम्बर डे है हमारे संकल्पों पर चर्चा करा लीजिए । कोई गलती हो गई तो उसको मान लेना चाहिये जिद करने से थोड़े ही काम चलता है ।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब तो सुनिए । माननीय सदस्य संसदीय कार्य मंत्रीजी द्वारा जो जवाब दिया गया है 2006 के अमेंडमेंट के द्वारा 2003 के एक्ट में अमेंडमेंट हो चुका है । अब इसमें उस बात का मेंशन किया जाता है तो यह कोई ऐसी त्रुटि नहीं है जिसके बिना एक्ट पास होने की आगे की कार्यवाही नहीं चले इसलिए मैं आपका आब्जेक्शन ओवर रूल करता हूं ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, छोडिए आप, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं टाइटल नहीं बदलेंगे तब तक खोटा कानून पास करवा रहे हैं आप । आप क्या बात कर रहे हो इसमें टाइटल 2003 का है. There is no word like ‘amended’. अमेंडमेंट कहां लिखा हुआ है ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रिंसिपल एक्ट तो 2003 का ही रहेगा। अनादि समय तक जब तक यह एक्ट है, 2003 ही कहलायेगा ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जो भी अमेंडमेंट हुए समय-समय पर मूल एक्ट में उनका समावेश हो जाता है । इसलिए जो भी नया अमेंडमेंट होगा, 2003 में होगा ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय सांवरमलजी, फिर एक्स्ट्रेक्ट में मेंशन कर देना, इसको एक्स्ट्रेक्ट में मेंशन क्यों नहीं किया । उपाध्यक्ष महोदय, why have you not mentioned in extracts? Why have you not mentioned it? Who stopped you from mentioning it? आज जो यह अमेंडमेंट किया 2006 में यह एक्स्ट्रेक्ट में मेंशन क्यों नहीं किया । आप जो अमेंडमेंट करवा रहे हो उसका रेलेवेंट एक्स्ट्रेक्ट दे रखा है आपने । रेलेवेंट एक्स्ट्रेक्ट में क्या लिखा

(डा. सी.पी. जोशी)

रखा है, बता दीजिए आप । Where is it mentioned? रेलेवेंट एक्स्ट्रेक्ट में कहां मेंशन कर रखा है, बता दीजिए आप ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, लैंड रेवेन्यू एक्ट का बना था 1956 में ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या बातें कर रहे हैं 1955-56 की आप रेलेवेंस बताइए इसकी । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, प्रिंसिपल एक्ट 1956 का था इसलिए लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 ही कहलायेगा । टीनेंसी एक्ट अगर 1955 में बना था तो टीनेंसी एक्ट 1955 ही कहलायेगा । इसलिए यह 2003 ही कहलायेगा ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप परमिशन दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं आप मेरी बात सुन लीजिए. Why do you submit extracts with the Amendment Bill? आपने जो हमको यह बिल दिया इसके साथ-साथ एक्स्ट्रेक्ट लगा रखा है, प्रिंसिपल एक्ट के एक्स्ट्रेक्ट में यदि आपने 2006 में अमेंडमेंट किया तो आपको मेंशन कर देना चाहिये था, क्या तकलीफ थी । आपने यह मेंशन नहीं किया । मैंने यह कहा है कि सैक्शन 8 प्रिंसिपल एक्ट में जो है, वह इसमें नहीं है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, पुरःस्थापन के समय इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं उठाई जा सकती क्योंकि नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। जो उन्होंने आपत्तियां उठाईं उसके जवाब में और उसके बाद जब यह आयेगा तो जब-जब एक्ट बने हैं। 1956 एक्ट बना है, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट आते रहे हैं, वह क्या कहलाते रहे हैं, वह एक्ट 1956, 1953 जितने एक्ट हैं उन्हें उसी नाम से पुकारा जाता है । अमेंडमेंट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ उसको बाद में देख लिया जायेगा । अभी केवल आपका प्रस्ताव इसको जनमत जानने के लिये भेजा जाये यह है। उस पर आप मंत्री महोदय का जवाब सुन कर इसमें फैसला कीजिए कि इसको रिजेक्ट किया जाये या मंजूर किया जाये और इसमें यदि कहीं मतदान की आवश्यकता है तो वह भी हो जायेगा ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐतराज किया गया कि अमेंडमेंट जो मांगा गया है वह ओरिजनल एक्ट or the principal act, whatever may be, उसको लीगली प्रिंसिपल एक्ट कहते हैं । प्रिंसिपल एक्ट में अमेंडमेंट मांगे गये हैं और आर्डिनेंस का हवाला दिया गया है क्योंकि जो ड्यूरिंग द आर्डिनेंस और प्रिंसिपल एक्ट के बीच में जो अमेंडमेंट हुआ है उसका हवाला दिया गया । मैं निवेदन करना चाहता हूं सबसे पहले प्रिंसिपल एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ राजस्थान मूल्य परिवर्धन कर संशोधन अध्यादेश 2006 और उसको इस हाउस में पास कर दिया और पास होने के बाद जो-जो प्रोविजर्स ...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): पास नहीं किया । (व्यवधान) It is ordinance. बिल पहली बार आया है. I am sorry. Don't misquote it. It is ordinance. बिल तो पहली बार आया है, फिर खोटी बात कर रहे हैं आप । It is ordinance. It will come in Bill. आर्डिनेंस पास कर दिया, क्या बातें कर रहे हैं, मन में आये जो हर बात कर रहे हैं ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह लूणी से आने वाले माननीय सदस्य क्या कह रहे है, आर्डिनेंस कभी पारित होता है क्या, आर्डिनेंस तो आपने इश्यू करा दिया, बिल पास होता है । पहली बार हाउस में बिल आया है, कौनसा आर्डिनेंस पास हो गया ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आर्डिनेंस तो गवर्नर साइन करता है । आर्डिनेंस के बाद बिल आता है और वह पहली बार बिल आया है ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): उसके पहले गई साल आ चुका एक बार । मार्च में गत वर्ष अमेंडमेंट आ चुका उसमें ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): श्रीमान आप आर्डिनेंस लाये हो, हाउस में बिल आता है । उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में आर्डिनेंस नहीं आता है । हाउस में बिल हो कर आता है, क्या बातें कर रहे हो आप? आर्डिनेंस पास कर दिया, आर्डिनेंस में केवल मात्र गवर्नर साइन करता है on the request of the ruling party, not the majority. Ordinance never comes in the Assembly. बातें कर रहे हैं आर्डिनेंस पास कर दिया, मन में आये जो बोलते जाओ, क्या तकलीफ है ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है संसदीय कार्य मंत्रीजी, आर्डिनेंस तो जब विधान सभा नहीं चलती है तब लेकर आते हैं और वह आर्डिनेंस फिर यहां बिल बनता है तो यह आप क्या सिखा रहे हो ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हां, मुझे मालूम है ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आर्डिनेंस कभी विधान सभा में आता है क्या, यह तो आप जाओ कैबिनेट की सिफारिश लेकर और राज्यपाल महोदय से दस्तखत करा लाओ ।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लूणी से आने वाले माननीय सदस्य गलत कोट कर रहे हैं, विधान सभा में यह पहली बार आया है ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): सिंचाई मंत्रीजी कह रहे हैं पास करा दिया आर्डिनेंस, आर्डिनेंस पास थोड़े ही होता है, आर्डिनेंस तो जारी होता है ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आर्डिनेंस की कौन कह रहा है, बिल पास हुआ है मैं यह कह रहा हूं ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): बिल तो पहली बार आ रहा है ।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): बिल तो पहली बार आया है बिल कब पास हो गया? बिल तो पहली बार आया है और बिल ही पास हो गया ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में 8 मार्च, 2006 को यह बिल पेश हुआ था और 31 मार्च, 2006 को महा महिम राज्यपाल महोदय ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर दिये थे और इस बिल के अमेंडमेंट होने के साथ-साथ यह मूल बिल का पार्ट बन गया था । यह कंफ्यूजन है, शायद माननीय सदस्य को मालूम नहीं था, अब दूर हो गया अब आगे बढ़िये साहब । आर्डिनेंस अलग आया है और यह जो पहले बिल आया वह अलग आया था ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर को अपनी बात को ओन करना चाहिये । आप दो बात समझ लें नंबर वन, 2003 में बिल आया था जब कांग्रेस की सरकार थी और 2006 में आप आर्डिनेंस लाये हैं. Where is it mentioned? आप मर्जी हो जो बोलते जा रहे हैं, इसमें कहां मेंशन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं 8 मार्च, 2006 को सदन में प्रस्तुत किया गया, 31 मार्च, 2006 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने उस बिल पर हस्ताक्षर किये । वह बिल 2003 के मूल बिल का हिस्सा बन गया उसके बाद हम दुबारा आर्डिनेंस लेकर आये । आर्डिनेंस का रिप्लेशन...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): राजेन्द्रजी, एक मिनट आखिरी लाइन

(डा. सी.पी. जोशी)

पढ़ रहा हूं मैं – “This Bills seeks to replace the aforesaid ordinance.” यह आपका खुद का सेनटेंस है । यह आर्डिनेंस रिप्लेस करने का है, बिल कहां पास हो गया । फिर आप खोटी बात कर रहे हो । (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): संसदीय कार्य मंत्रीजी आप सदन को गुमराह कर रहे हो, आप मिसलीड कर रहे हो । गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं, गृह मंत्रीजी कह दें कि वाकई यह सही है क्या 8 मार्च को पेश हो गया और 31 मार्च को पास हो गया ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): एक मिनट माहिर जी, इसमें लिखा है- “This Bills seeks to replace the aforesaid ordinance.” यदि आपका बिल पास हो गया तो फिर आर्डिनेंस क्यों लेकर आये?

श्री उपाध्यक्षः वह तो पहले हो चुका ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय सदस्य हम बीच में लेकर आये थे जिसका रिप्लेसिंग .... (व्यवधान) मार्च, 2006 में लेकर आये थे वह तो प्रिंसिपल एक्ट का पार्ट बन गया । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अगर आपका बिल हो गया तो फिर ओर्डिनेंस क्यों लेकर आए?

श्री उपाध्यक्षः वह तो पहले हो चुका। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): क्या बातें कर रहे हैं, जो मार्च 2006 में लेकर आए वह प्रिंसिपल एक्ट का पार्ट बन गया।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय राठौड़ साहब, यदि आपका बन गया तो 2006 लिखिए इस पर। इस पर 2006 लिखिए, फिर 2003 नहीं होगा। (व्यवधान) 2006 लिखिये, 2003 नहीं होगा, बातें कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय सदस्य, दूसरे व्यक्ति को भी सुनना चाहिये। मेरा इतना निवेदन है कि दूसरे व्यक्ति को भी सुनना चाहिये। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप जरूर बोलें, पर कोर्ट और असेम्बली का ध्यान रखकर बोलें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह बात आप ध्यान रखें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ओर्डिनेंस में और बिल में, ओर्डिनेंस हाउस में पास नहीं होता, हाउस में बिल पास होता है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप सुन लें पहले फिर कोर्ट का रेफरेंस दें। कोर्ट को बीच में नहीं लावे। आप यह फर्क करने की कोशिश यूं नहीं करें कि जो मैं कहता हूं वह ही सही है, एक इतनी बात आप दिमाग से निकाल दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है यह ओरिजनल और प्रिंसिपल एक्ट 2003 में आया (व्यवधान) आप कृपया सुन लीजिए, बीच में नहीं। कृपया दूसरों को सुनना चाहिये, हो सकता है आप बहुत ज्यादा सही हो, पर कन्फयूज भी होना चाहिये कभी। यह मत मानिये कि मैंने कह दिया वह खुदा की लकीर हो गई। मेरा निवेदन यह था कि 2003 में प्रिंसिपल एक्ट आया वह प्रिंसिपल एक्ट इस पवित्र सदन ने पास किया, वह बन गया प्रिंसिपल एक्ट। उसके बाद में 2006 में यह अमेंडमेंट और आया और वह भी जैसा अभी दो तारीखें बताई, उन दो तारीखों को प्रोडयूज हुआ फिर हाउस में पास हुआ। माननीय गवर्नर महोदय ने उस पर अपने साइन कर दिये, वह प्रिंसिपल एक्ट का पार्ट बन गया। प्रिंसिपल एक्ट का पार्ट बनने के बाद और प्रिंसिपल एक्ट का पार्ट बनने के बाद (व्यवधान) एक मिनट आप सुन लीजिए मेरी बात, हम आपको बैठकर सुनते हैं ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कहां लिखा हुआ है? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं इसका जवाब दे रहा हूं ना।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आज जो कह रहे है, लिखा है... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मैं जवाब दे रहा हूं ना। आप में क्षमता है तो सुन लीजिए, दो मिनिट के लिए बस। वह जो धाराएं इसमें जितनी भी जोडी गई 1,2,5,10 वह उस प्रिसिंपल एक्ट का पार्ट बन गया है। यह एक्ट एक साल चलेगा, 50 साल चलेगा, 100साल चलेगा इस अवधि के दौरान कई धाराओं में,उप धाराओं में संशोधन होंगे, ज्यों-ज्यों संशोधन होंगे वह मूल एक्ट का पार्ट बनता जाएगा। जब कभी भी फ्यूचर में अमेंडमेंट मांगा जाएगा तब यही लिखा जाएगा जो प्रिसिंपल एक्ट का प्रोवीजन है वो लिखा जाएगा। जैसे आज हमारे आई पी सी में सी आर पी सी 1891 बनी थी और उससे लगातार आज दिन तक हजारों अमेंडमेंट हुए पर आई पी सी आज भी इंडियन पैनल कोर्ट 1891, हमारी सी पी सी कभी भी बन गई थी और उसमें आज भी सौ बार अमेंडमेंट हुए पर आज भी लिखा जाएगा व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1995,

(श्री जोगाराम पटेल)

फलां, तो कोई भी अधिनियम बनता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) दो मिनट, कोई भी अमेंडमेंट हो, अगर उसमें भविष्य में जब कभी भी संशोधन होगा तो संशोधन के लिए यह लिखा जाएगा मूल अधिनियम में यह संशोधन किया जा रहा है और ऐसा का ऐसा इसमें लिखा गया है। यह लिखना कोई जरूरी नहीं है कि इसमें फलां दिन संशोधन हो गया था इसलिए यह एक्ट का नाम बदलकर फलां हो गया। इस एक्ट का नाम तो हमेशा कर संशोधन अधिनियम 2003 है, वो ही रहेगा। 2003 में, 2006 में, 2005 में 2007 में जबकभी भी अमेंडमेंट किये गये और मंजूर हो गये कानून के अनुसार वह उसके मूल धारा का पार्ट हो गया इसलिए जब कभी भी संशोधन मांगा जाएगा अब तो वो ही मांगा जाएगा, प्रिएम्बल में लिखने की जरूरत नहीं है। एक्ट का लिखने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल एक्ट में लिखने की जरूरत नहीं इसलिए जो लाया गया, वह बिलकुल सही है। आपका यह कहना कि 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ उसको लिखना चाहिये था। यह लिखना कतई जरूरी नहीं है कानूनन और किसी भी तरीके से आपका जो एतराज है वह बिलकुल गैरवाजिब है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप बताएं मुझे ...(व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिए, इस एक्स्ट्रेक्ट में तो मेंशन करना चाहिये था।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): Not at all. कतई नहीं, आज एक भी कानून बता दीजिए आज दिन तक चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे असेम्बली का हो, कि अमेंडमेंट हुआ है वह लिखना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है, प्रिंसिपल एक्ट...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप मेरी बात सुन लीजिए, एक बार पूरा सुनिये । (व्यवधान) मेरा भी ज्ञानवर्द्धन हो जाएगा, क्या तकलीफ है, गलती मान लूंगा मैं, क्या तकलीफ है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): गलती हो गई।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ना, ऐसे नहीं हुई है। यह जो सैक्शन 8 है, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य प्रिंसिपल एक्ट का सैक्शन एट, उस सैक्शन 8 में कहीं अमेंडमेंट हुआ है...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपका क्वेश्चन था, यह एक्ट का नाम 2003 नहीं होना चाहिये।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मेरा क्वेश्चन यह नहीं है। (व्यवधान) आप बैठिये, पूरी बात सुनियु। मेरा क्वेश्चन यह है (व्यवधान) मेरी बात सुनिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप सम्बोधन तो उपाध्यक्षजी को कीजिए।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अच्छा ठीक है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुनिये आप, यह जो मुझे दिया गया है इस एक्ट में लिखा हुआ है प्रिंसिपल एक्ट 2003 और फिर लिखा हुआ है ओर्डिनेंस, लास्ट में लिखा हुआ है कि ओर्डिनेंस 27 दिसम्बर 2006 (व्यवधान) नीचे लिखा है - "This Bills seeks to replace the aforesaid ordinance." इस ओर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए आएगा तो इसका मतलब 2006 में जो आपका ओर्डिनेंस है उस ओर्डिनेंस के रिप्लेस करने में जो चीज आएगी तो जो ओर्डिनेंस में सैक्शन 8 है वह तो मेंशन होना चाहिये इसमें। इसमें कहां गलती कर रहा हूं मैं। आपने जो हमको एक्स्ट्रेक्ट दिया है उसमें सैक्शन एट में यह तो मेंशन होना चाहिये ना। इसमें क्या गलती हो रही है यह तो बताओ। खाली आप जस्टिफाई करना चाहते हैं। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूंगा मैं एक क्षण के लिए लूणी से आने वाले माननीय सदस्य की बात मान लूं तो उसमेंजो प्रिसिंपल एक्ट में 2003-2006 के बीच हुआ उसका तो मेंशन होना चाहिये इसमें। वह मेंशन होता ना इसमें। आपने केवल मेंशन किया मूल 2003 और फिर आर्डिनेंस किया 2006, आप बीच में जो कोई पास किया वो मेंशन कर देते तो मैं इसको कर देता। आपने पूरे एक्ट के अंदर केवल प्रिंसिपल एक्ट 2003 और ओर्डिनेंस 2006 का मेंशन किया है। न आपने बीच वाली और कोई चीज का मेंशन कर रखा और एक्सट्रेट के सैक्शन 8 में आपने कोई अमेंडमेंट किया है तो मेंशन करना चाहिये। यह पांइट आफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, उद्देश्य और कारणों का कथन उसकी बात को कोट करते-करते यह बात कह रहे हैं कि उसके अंदर 2006 के अंदर हम अमेंडमेंट लेकर आए उसका उल्लेख क्यों नहीं किया। आज तक किसी बिल के साथ उद्देश्य और कारणों के कथन में यह बात हो तो बताए। उपाध्यक्ष महोदय, अब जिस ओर्डीनेंस को लेकर आब्जेक्शन कर रहे हैं इसमें साफ लिखा हैं चूंकि राजस्थान राज्य विधान सभा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सत्र में नई, तीन ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान राज्य के राज्यपाल को तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया था इसलिए 27 दिसम्बर, 2006 राजस्थान मूल्य परिवर्तित...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इसका भी मैं जवाब दे दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह साफ है उपाध्यक्ष महोदय, कोई मतलब ही नहीं है। अब गलत लाइन पकड़ ली इसलिए (व्यवधान) अब आगे मंत्रीजी का जवाब आने दें। (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो साथ में संक्षिप्त चार दिया जाता है, जिस शब्द के द्वारा आप कहना चाहते हैं इसमें सभी लिखा रहता है कि कौन से सैक्शन के कौन से रेलीवेंट पार्ट से दिया जाता है, एज ए सैक्शन और सब सैक्शन, क्लाज और सब क्लाज एज ए होल दी जाती है एज हाल तो बहुत बढ़ा है, 2006 में जो अमेंडमेंट हुआ, वह अमेंडमेंट हुआ है सब क्लॉज सैक्शन 8 का, सब क्लाज फोर में, थ्री में, वन एंड टू, और यह जो अभी सब-सेट दिया है इसको लिखा है सैक्शन 8 में यह 2,3,4 काटकर...(व्यवधान) आप सुन तो लीजिए। यह वन टू फोर, यह लिखा है वन टू फोर। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सैक्शन आठ में सैक्शन ही नहीं है (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): सैक्शन यह लिखा।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सैक्शन ही नहीं है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह लिखा हुआ है ।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कहां है, बताएं आप ? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह रहा।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): बताएं, सैक्शन इसमें ?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह लिखा वन टू फोर डैश डेश.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी फिर काहे का वाद-विवाद है। वाद-विवाद करना है तो बाहर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाकर वाद-विवाद कर ले। (व्यवधान) अगर इनको आपस में कोई विचार करना है तो बाहर जाकर कर ले। अब तो आगे चलिये ना।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य (व्यवधान) आपस में बैठकर देख लीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा है, क्या है ? यह राजस्थान की विधान सभा है क्या, यह क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): यह तो इनसे भूल हुई है। यह यहां लिखा हुआ है (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यथा समय जो अमेंडमेंट होता है... (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): इनसे भूल हो गई भूलवश... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इनका उल्लेख इसमें जरूर करना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भूल हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। भूल हो जाती है। वन टू फोर लिखा हुआ है। सब क्लाज पांच को ही बताया है बस। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर, sorry, it is section 20, not section 8. दो बातें हुई हैं इसमें. Don’t confuse it.

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी बात आ गयी, अब समाप्त करें।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सॉरी में क्या तकलीफ है, तकलीफ थोड़े ही है। मैं कोई वकील थोड़े ही हूं (व्यवधान) क्या तकलीफ है इसमें ?

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आज टैक्स रेट को लेकर कई बातें की कि टैक्स के अंदर कमी कर दी, टैक्स बढ़ा दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

महोदय कि एम्पावर्ड कमेटी के अंदर निर्णय होता है और एम्पावर्ड कमेटी ने प्रत्येक राज्यों को एक सरटेन आइटम की लिस्ट दे रखी है कि इससे ज्यादा आइटम्स में अगर आप टैक्स में एग्जम्प्ट करेंगे तो हमको कम्पनसेशन मिलने वाला है उसके अंदर कटौती हो जाएगी। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने 64 वस्तुओं पर करों की नीति में परिवर्तन, 35 वस्तुओं पर करमुक्ति की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमने करों के अंदर परिवर्तन किए पहला, पडौसी राज्यों को देखकर, दूसरा व्यापारिक हितों के अंदर और इस सदन के अंदर मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि यदि इन करों के अंदर करों में जो कटौती की गई है उसमें किसी भी प्रकार से कोई व्यापारी यह कह दे कि हमसे इस प्रकार से डिलिंग की है, वह किया है तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर खुली चुनौती है माननीय सदस्यों को, एक भी व्यापारी अगर यह कहता है इस प्रकार से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई डिस्कशन का इश्यू नहीं है (व्यवधान) वह अलाऊ नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष: इनको अलाऊ नहीं किया है।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई कि शराब के ऊपर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आपका अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है, बिना परमीशन के अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा यह।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने शराब के ऊपर टैक्स की बात की। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): आपके वक्त में भी शराब पर सेल्स टैक्स नहीं था खाली एक्साइज ड्यूटी थी। अब भी वही स्थिति है और एक्साइज ड्यूटी की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अभी माननीय सदस्यों द्वारा फार्म 7 के बारे में, फार्म 9 के बारे में कई बातें उठायीं गयीं। क्योंकि फार्म 7 के द्वारा आई.टी.सी. दिया जाता है अत: जो भी मैन्युफेक्चरिंग यूनिट होती है, यह आवश्यक है और फार्म 9, जिसके बारे में बताया गया कि काफी कोम्पलीकेटेड है, उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमने हर डी.सी. लेवल के ऊपर एक कमेटी बना रखी है और वेट के बारे में हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। वह व्यापारियों से मिलते हैं रेगुलर, मन्थली, महीने-दो महीने के अन्दर मीटिंग होती है और उसमें जो भी कठिनाई व्यापारियों को आती है, उसका तुरन्त वहां पर निस्तारण किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बात यहां पर माननीय कल्ला साहब कह रहे थे रिफण्ड और पेट्रोल-डीजल की रेट्स के बारे में, उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगा कि पेट्रोल-डीजल का जो मामला है, पेट्रोल-डीजल के ऊपर जो रेट आफ वैट है, हमारे राज्य के अन्दर 20 प्रतिशत है और पंजाब के अन्दर 12 प्रतिशत है, हरियाणा में 8 प्रतिशत है। इसके बारे में एम्पावर्ड कमेटी में कई बार गम्भीरता से इसको उठाया गया और एम्पावर्ड कमेटी में एक दफा निर्णय हुआ कि राष्ट्रीय विकास परिषद की जब मीटिंग होगी तो पंजाब व हरियाणा, उनके मुख्य मंत्रियों से बात करके, समय लेकर और उनसे यह बात की जाएगी कि आपने जो यह रेट कम कर रखी है, क्योंकि उनके द्वारा यूनिफार्म फ्लोर रेट का वायलेशन किया गया है। वेट के अन्दर डीजल पर 20 प्रतिशत और पेट्रोल के ऊपर 28 प्रतिशत रेट रखने का प्रावधान है। उन दो राज्यों के द्वारा यू.एफ.आर. का जो वायलेशन है तो उसके लिये हमने बात भी की परन्तु उस टाइम समय के अभाव से, क्योंकि पंजाब, हरियाणा के अन्दर चुनाव थे, राज्य सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि कैसे भी करके पेट्रोल, डीजल की रेट है, उसको समान किया जाए। मैं आपको बताऊं कि डीजल की कर दर 20 प्रतिशत है और इसको अपन अगर घटाकर 12.5 प्रतिशत कर दें तो राज्य को 600 करोड़ रुपये की हानि होगी, जो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इस झटके को झेल नहीं सकती है।

दूसरा, एक धारा 17(2) में संशोधन किया गया। इसके अन्दर यह परिवर्तन किया गया कि कैरी फारवर्ड की सुविधा को वर्ष के पश्चात ही व्यवहारियों को दी गयी है। इससे पूर्व में यह सुविधा सम्बन्धित वर्ष तक ही

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

सीमित थी। अब आगे यह अमाउण्ट कैरी फारवर्ड हो जाता है और एम्पावर्ड कमेटी के निर्णयानुसार ही राज्य को रिफण्ड वर्ष के समाप्त होने के बाद अगले वर्ष के पश्चात देने की व्यवस्था है। हमारी धारा 17(2) में ऐसे रिफण्ड जल्दी देने की भी व्यवस्था की गयी। यह प्रावधान सिर्फ हमारे राज्य के अन्दर ही किया गया है। इसमें कमिश्नर को हमने अधिकार दिया है कि वह चाहे तो किसी व्यवहारी को जल्दी भी रिफण्ड दे सकता है, वह परिस्थितियां देखते हुए...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): मिला क्या? आप कह रहे हो कि भार का वहन नहीं कर सकता है तो हरियाणा भी स्टेट चल रहा है, पंजाब भी चल रहा है तो राजस्थान नहीं चल सकता है क्या? देने वाली चीजें तो देते नहीं हो, और क्या चूडी पर टैक्स कम कर दिया, बिंदी पर टैक्स कम कर दिया। वह टैक्स कम करना क्या। आपने कोई टैक्स कम किया है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इस टैक्स की कण्डीशन है। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): आप ऐसे ही करके...(व्यवधान) यह कोई कम किया है क्या? यह सब बातें तो उनको बताओ। (व्यवधान) बगैर पढ़े-लिखे लोगों को, गांव में जाकर बताना। (व्यवधान) आपने क्या किया?

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ वस्तुओं के बारे में भी यहां पर चर्चा की गयी। जिसका टैक्स पड़ोसी राज्यों में कम है, अपने यहां ज्यादा है। तो इन सब निर्णयों के ऊपर बजट से पूर्व विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी और जिन-जिन वस्तुओं के अन्दर अपने को टैक्स रिबेट देनी थी, उनकी मुख्य मंत्रीजी ने बजट के अन्दर घोषणा कर दी है। अब विभिन्न राज्यों के अन्दर टैक्स में जो फर्क है, उसके बारे में एम्पावर्ड कमेटी की जो एक संख्या की बाध्यता है उसको क्रोस करके तो अब करना सम्भव नहीं है। इसके लिये अब एम्पावर्ड कमेटी से परमीशन लेकर ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, उन धाराओं के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं समझता हूं इस बारे में विस्तारपूर्वक बताने का कुछ नहीं। अत:मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं, राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अभी तो जनमत जानने का है, उसके बाद है पारित की स्टेज तो।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को विचारार्थ लिया जाए।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2, डाक्टर बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक के खण्ड-2 के उप खण्ड-2 की अन्तिम पंक्ति में विद्यमान अभिव्यक्ति '50 लाख' के स्थान पर अभिव्यक्ति '75 लाख' प्रतिस्थापित किया जाए, यह प्रस्ताव करता हूं।

इस सम्बन्ध में तर्क यह है कि आज रुपये की परचेजिंग पावर बहुत कम हो गई है, जिसके कारण व्यवहारी का 50 लाख का टर्न-ओवर, बहुत छोटे व्यापार में ही हो जाता है इसलिये इसकी सीमा 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये करनी चाहिए। इसके साथ-साथ जो अभी वित्त राज्य मंत्री ने जो अभी उत्तर दिया, उसमें यह कहा है कि सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने अपना रोड-मेप सी.एस.टी. के लिये तय नहीं किया, इससे मैं सहमत नहीं हूं। सेण्ट्रल गवर्नमेंट ने अपना रोड मेप तय कर दिया था कि वह हर साल एक प्रतिशत सी.एस.टी. कम करेगी और उसी के अनुरूप उन्होंने इस साल एक प्रतिशत सी.एस.टी. कम कर दी। अगले साल फिर यह कम कर देंगे और धीरे-धीरे यह शून्य हो जाएगा। लेकिन यह आपकी इच्छाशक्ति नहीं थी। आप पोलिटिकली इसका विरोध कर रहे थे और अपनी गवर्नमेंट आने पर आपको लागू करना पड़ा। इससे राज्य की 25 प्रतिशत वैट से इनकम बढ़ी है और आने वाले वक्त में आपकी इच्छा शक्ति रही तो निश्चित रूप से वैट से राजस्थान को लाभ

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मिलेगा। आज दुनिया के 120 देशों को इसका लाभ मिल रहा है। भारत और खासतौर से राजस्थान प्रान्त को इसका लाभ क्यों नहीं मिलेगा। जरुर मिलेगा, सी.एस.टी. धीरे-धीरे शून्य होगा। लेकिन आप पिछले दरवाजे से जो सेस लगा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल पर, यह वैट की पीठ में छुरा घोपने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वैट जब लगाया गया था तो यह साफ था कि आप कोई टी.ओ.टी., नहीं लगाएंगे, कोई एण्ट्री टैक्स नहीं लगाएंगे, कोई टर्न ओवर टैक्स नहीं लगाएंगे और कोई सेस नहीं लगाएंगे। लेकिन आप सेस लगाकर, पेट्रोल के ऊपर एक तरफ तो आप कह रहे हो हरियाणा और पंजाब से आपने 8 प्रतिशत टैक्स ज्यादा लगा रखा है और उसके ऊपर 50 नये पैसे प्रति लीटर सेस लगा रखा है। यह वैट के साथ आपने विश्वासघात किया है और वैट के जो मुख्य सिद्घान्त हैं उसके ऊपर आपने हमला किया है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इससे आपका व्यापार प्रभावित होगा। आज पंजाब और हरियाणा से पेट्रोल और डीजल राजस्थान में आ रहा है। और इसी प्रकार से आपने अन्य चीजों के ऊपर जो छूट दी है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, वित्त राज्य मंत्रीजी, यह बात बतायें कि क्या वैट में आपको केवल मात्र 46 जिंसों के ऊपर टैक्स एक्जम्प्ट करने की छूट दी थी और आपने कितनी जिंसों के ऊपर, कितनी वस्तुओं के ऊपर टैक्स एक्जम्प्ट किया है। इसको आप क्लीयर करें। और दूसरा, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप खासतौर से यह बतायें कि व्यवहारी का टर्न-ओवर 50 लाख रुपये, तो बहुत सामान्यतया हो जाता है, आपको इसको कम से कम 75 लाख रुपये करना चाहिए ताकि व्यवहारी को जो आप गजट नोटिफिकेशन के आधार पर लाभ देना चाहते हैं, वह लाभ मिल सके और आयातित वस्तुओं को इसमें बाहर करना चाहिए। यह, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया व्हाइट पेपर, मैं पहले भी कह चुका हूं, गवर्नमेंट आफ इण्डिया का फाइनेंस डिपार्टमेंट लकर आया था, and in that white paper, वहां पर क्लीयर जो रोड-मेप है, that was not there. उसमें यह लिखा था कि सी.एस.टी. को फेजेज-आउट, in the coming years C.S.T. will be phased out. उसमें कोई समय-सीमा, and what will be the compensation which Government of India will give to the States.

जो इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। यह आप अपने आपको अप

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

डेट कर लें। मैं उस व्हाइट पेपर की कॉपी भी आपको आप कहें तो उपलब्ध करा सकता हूं और दूसरा आपने एक जो यह संशोधन 50 लाख के स्थान पर अभिव्यक्ति 75 लाख रुपये प्रस्तावित की जाए, इसके बारे में माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि एम्पावर्ड कमेटी की गाइड लाइन्स हैं, यह इसके अनुसार पूरे देश में पचास लाख की सीमा निर्धारत की गयी है। इसको अपन विदाउट एम्पावर्ड कमेटी के अन्दर पूरा लेकर तब तक इसमें अपन चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमने सेक्शन थ्री टू में न्यूनतम जो कर दरें हैं 0.25 है वह रखी है, यह भी एम्पावर्ड कमेटी की गाइड लाइन्स के हिसाब से है, इसमें जो भी हमको चेंज करना है वह without permission of that Empowered Committee, we cannot. तो एक तो यह बात थी इसलिए आपके इस प्रस्ताव को हम स्वीकार नहीं कर सकते। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, आपने एग्जम्प्ट, एम्पावर्ड कमेटी में, जिसमें यह कहा हुआ था कि 46 वस्तुओं को फिर आपने ज्यादा कैसे कर दिया?

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): अब जहां तक आपने टैक्स में एग्जम्प्शन की बात करी है, एम्वावर्ड कमेटी ने, मैंने आपको पहले ही बताया कि निश्चित दे रखे हैं, इतने आइटम्स में। कुछेक आइटम्स हमने उनको वह भी किया है मतलब हम थोड़े-बहुत ज्यादा उसको कर गये हम तो, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसने कम से कम वायलेशन किया है बाकी आप और स्टेट्स को उठाकर देखेंगे तो उन्होंने तो पूरा का पूरा ही वायलेशन कर रखा है। इसके बारे में मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा परन्तु राजस्थान ने कम से कम वायलेशन किया है और वायलेशन भी व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए और हमारे गांव के गरीब के ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई कर का बोझ नहीं पड़े, इस वजह से वह अमेंडमैंट हमने किये हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, उसमें रोड-मैप दिया था। फोर, थ्री और वन, इसमें आप खुद मीटिंग में गये थे उस मीटिंग में भारत सरकार के जो, बंगाल के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने मीटिंग ली। उन्होंने खुद कहा कि आपका जो सेल्स टैक्स है वह फोर, थ्री और वन के हिसाब से हम रिड्यूज करेंगे और आप कह रहे हो कि वह कभी हुआ ही नहीं यह ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): सेंटर गवर्नमैंट ने कम क्यों किया है? उन्होंने एक परसेंट कम कर दिया और फिर कम करेंगे, आगे कम करेंगे। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोशीजी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप व्हाइट पेपर मंगाकर देख लें। व्हाइट पेपर के अन्दर जब वह क्लियर कट उसका रोड मैप नहीं दिया था, उसी के बाद स्टेट्स ने ... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, व्हाइट पेपर नहीं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): उसके बाद ही स्टेट्स ने ... (व्यवधान) उसके बाद ही स्टेट ने ... (व्यवधान) एग्री किया कि उसके बाद ही ... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): व्हाइट पेपर नहीं, I am not saying White Paper. आप देख लीजिए व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर वगैरह आप जिस मीटिंग में मौजूद थे, White Paper is a different thing, जिस मीटिंग में आप गये थे उस समय क्लियर कट आपको यह आफर थी। फोर थ्री, टू, वन की... (व्यवधान) उसके आधार पर कोई मानने देंगे अगले को तो ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि खंड-2 में जो संशोधन डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खंड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-2 स्वीकार किया गया।

खंड-3 एवं 4 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड 3 एवं 4 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

खंड 3 एवं 4 स्वीकार किये गये।

खंड-5, डा. बुलाकीदास कल्ला संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खंड-5, विधेयक के खंड-5 की सातवीं पंक्ति में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रतिभूति 10 हजार के स्थान पर अभिव्यक्ति प्रतिभूति 5 हजार प्रतिस्थापित की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन मैंने इसलिए दिया है कि बहुत छोटा व्यापारी जो कोई गांव में, मजरे में, ढाणी में, शहर के किसी वार्ड में दुकान किये हुए बैठा है। उससे यदि वह रजिस्ट्रेशन कराना चाहे और उसको दस हजार रुपये यदि रजिस्ट्रेशन का लगे तो वह उचित नहीं है और कोई भी व्यवहारी किसी की कोई गवाही देने में या उसकी श्योरिटी देने में हिचकिचाता है क्योंकि यदि वह श्योरिटी देता है तो टैक्स बर्डन उनके ऊपर आ जाता है जो श्योरिटी देने वाला है इसलिए यह दस हजार रुपये की जो इन्होंने राशि रख रखी है वह छोटे व्यापारियों के लिए बहुत ज्यादा है इसके लिए उनको पांच हजार रुपये की राशि रखनी चाहिए ताकि व्यवहारी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें और वह वैट स्वेच्छा से दे सकें। इसके अलावा अभी वित्त राज्य मंत्रीजी ने जो बातें व्हाइट पेपर के बारे में और उनके बारे में कही इनमें सरकार ने जो अच्छा लगा है, वह तो कर लिया। इन्होंने 46 वस्तुओं के बारे में भी तो, व्हाइट पेपर में ही यह पब्लिश किया हुआ था कि आप 46 वस्तुओं से ज्यादा वस्तुओं के ऊपर टैक्स एग्जम्प्ट नहीं कर सकेंगे। उनको आपकी गुप्ता कमेटी ने चूंकि रिकमंड कर दिया और अभी आपकी ही पार्टी के एक माननीय सदस्य ने चुनौती दी कि आप जितना चाहते हो उनके पास प्रूफ तैयार है लेकिन आपने उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। कमेटी ने जिस-जिस का नाम दिया उसको आपने माफ कर दिया और इस संबंध में खास तौर से जहां-जहां आपको अच्छा लगा, आपने वायलेशन कर दिया और जब हम यह कहते हैं कि इसमें आप दस हजार की जगह पांच हजार कर दो तो यह बताइये कि इस व्हाइट पेपर में कहीं लिखा हुआ है क्या कि दस हजार से पांच हजार करने में आपको कोई दिक्कत है? यह तो आपने एन.एस.सी. को बढ़ावा देने के लिए अथवा और किसी कारण से यह प्रावधान रख दिया। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां इस प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन आपने इस एन.एस.सी. का या बैंक गारंटी का या श्योरिटी का प्रावधान करके व्यवहारियों को मजबूर कर दिया कि

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

वह आपको दस हजार रुपये दे ही दें। पहले ऐसे प्रावधान राजस्थान में कहीं लागू नहीं थे। पुराने व्यवहारी जो हैं उनको इस प्रकार का कहीं पांच हजार या दस हजार रुपया जमा कराना नहीं पड़ता था लेकिन अब आपने यह प्रावधान कर दिया, इसलिए आप जो व्हाइट पेपर का या कमेटी का जो जिक्र कर रहे हैं, वह अपने आप में बिलकुल निरर्थक है। जहां-जहां आपने चाहा है उसका वायलेशन किया है और जहां आपने चाहा है अपने तरीके से काम किया है। मैं आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं कि जो अमेंडमैंट मैंने किया है उसको स्वीकार करें ताकि छोटे व्यवहारियों के हितों की रक्षा हो सके।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव, आपने जो संशोधन करने के लिए प्रतिभूति दस हजार के स्थान पर अभिव्यक्ति प्रतिभूति पांच हजार प्रतिस्थापित की जाए, इसमें हमने कोई संशोधन नहीं किया। ओरिजनल जो सेल्स टैक्स एक्ट था उसके अन्दर भी दस हजार था और इसको हम दस हजार ही रखेंगे और इसमें कोई संशोधन नहीं करना चाहते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, आपने संशोधन तो किया है कि आपने व्यवहारियों की श्योरिटी की बात नई जोड़ी है। आपको मालूम ही नहीं है। लेकिन हमारा यह कहना है कि इस राशि को कम करें जब बिल बन रहा है तो उसमें आपको विचार करना चाहिए। छोटे व्यवहारियों के प्रति कि दस हजार की जगह उसको पांच हजार करें। एक व्यक्ति का दस हजार रुपया हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): छोटे व्यापारी गांवों में रहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोटे व्यापारी गांवों में रहते हैं और गांव के प्रति इनका मोह नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

प्रश्न यह है कि खंड-5 में जो संशोधन डा. बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खंड-5 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खंड-5 स्वीकार किया गया।

खंड-6 से 14 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-6 से 14 स्वीकार किये जाए?

(स्वीकृत)

खंड 6 से 14 स्वीकार किये गये।

खंड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खंड-1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाए?

(स्वीकृत)

खंड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब बोल लिया काफी।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, बोल लेंगे साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: जोशीजी, कह दिया आपने काफी। (व्यवधान)

प्रश्न यह है कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री रामनारायण मीणा, प्रभारी सदस्य प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान साहूकारी (ब्याज की अधिकतम सीमा) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए।

अशासकीय विधेयक

राजस्थान साहूकारी (ब्याज की अधिकतम सीमा) विधेयक, 2007 का पुर:स्थापन

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान साहूकारी (ब्याज की अधिकतम सीमा) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे बढ़ाया जाए। एक घंटा।

श्री उपाध्यक्ष: सदन का समय आज की कार्यवाही सम्पूर्ण होने तक बढ़ाया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कार्यवाही पूरी होने तक ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कार्यवाही का क्या मतलब है? कार्यवाही तो ... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्षजी की बात भी नहीं मान रहे हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप उनसे भी ऊपर हो क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की कार्यवाही का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है।

अशासकीय विधेयक

राजस्थान साहूकारी (ब्याज की अधिकतम सीमा) विधेयक, 2007 का पुर:स्थापन

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज गैर सरकारी दिवस है और मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम कोट करना चाहूंगा आपके सामने।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कौनसा है ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नियम 110 है, पृष्ठ संख्या 43 पर है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां बोलो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जरा मुख्य सचेतक महोदय, आप इसके प्रावधान देखिये कि जब कोई गैर सरकारी दिवस पर संकल्प प्रस्तुत कर दिया जाता है तो जो संकल्प हमने 31 मार्च, 2006 को प्रस्तुत किये थे, वह चार संकल्प आज की तारीख में भी स्टेण्ड कर रहे हैं। इन नियमों के प्रावधान के अनुसार यह है कि उनको या तो सदन से आप संकल्प पारित कर दें या उनको निरस्त कर दें तो पहले जो स्टेण्ड कर रहे थे, उन पर चर्चा होगी। चार संकल्प तो पूर्ववर्ती हैं और आपने अभी लाटरी निकाली है इससे चार-पांच संकल्प की पर्ची अभी निकाली है और इसके प्रावधान में आप देखें। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी सदस्य जो संकल्प प्रस्तुत करेगा, वह कम से कम आधा घण्टा या आसन द्वारा अनुमति दिये जाने पर इससे अधिक यानि आधे घण्टे से कम तो वह अपने विचार व्यक्त करेगा ही नहीं और आसन उसको उससे एक्सीड कर सकता है। चार संकल्प जब पहले यहां स्टेण्ड कर रहे हैं तो आधा घण्टा भी बोलें तो दो घण्टे तो उसके हो गये और उसके बाद आप भी नया संकल्प रखवायेंगे। यह जानते-बूझते हुए आप इस गैर सरकारी दिवस को हल्केपन से ले रहे हैं और इतना होने के बाद भी आज की कार्य सूची जब तक समाप्त नहीं हो, आप एक घण्टे का समय बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब अध्यक्षजी ने सारे मैम्बर्स के आग्रह पर जो गैर सरकारी दिवस का आज नियतन किया है, आप उसको हल्केपन से लेकर उड़ाना चाहते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए इस समय को आप 8 बजे तक बढ़ाने का कष्ट करें। मुझे लगता है सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इसलिए मेरा आपसे पुन: अनुरोध है कि एक घण्टे के बजाय या आप यह आश्वस्त कर दें या

(मोहम्मद माहिर आजाद)

मुख्य सचेतकजी, यह आश्वस्त कर दें कि एक घण्टे बाद फिर समय बढ़ा दिया जायेगा, लेकिन यह प्रावधान है। मैं अपनी तरफ से यह बात नहीं कह रहा हूं। इसमें लिख रखा है कि जो भी सदस्य गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेगा, वह कम से कम आधा घण्टा उस पर अपना भाषण देगा कम से कम तो चार तो पिछले संकल्प सदन के अंदर स्टेण्ड कर रहे हैं तो आधा-आधा घण्टा तो कम से कम उसके ऊपर ही हमको बोलना है तो एक घण्टे के चार चारों पर और दूसरों को भी बुलवा देंगे और जो चार नये निकले हैं, उनके ऊपर भी बुलवा देंगे और इस पर जो दूसरे सदस्य हैं, उनकी भी राय हो जायेगी । इसलिए मेरा पुन: आपसे अनुरोध है कि आप इस व्यवस्था को दुबारा संशोधित करें और इस समय को और ज्यादा बढ़ाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष: आवश्यकतानुसार बढ़ा दिया जायेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यस, ठीक है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यह तो सदन तय करेगा कि आपका संकल्प ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपका जवाब है, यह जो मादक द्रव्य, पदार्थों वाला है, क्या यह प्रिजर्वेशन एक्ट का पार्लियामेंट ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: समय और बढ़ा देंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, कौनसा संकल्प ऐसा आया है जो किस रूचि का है और जनता के इंटरेस्ट में कितना आवश्यक है। पूरे सदन को जरूरी लगता है तो सारी रात भी चला सकते हैं, इसमें कोई समय सीमा नहीं है। सब अपने ऊपर निर्भर है पर आप अपना संकल्प किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं, उस पर तय करेगी यह बातें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज तो बड़ी सही बातें कर रहे हो महावीरजी। (व्यवधान) पहले तो पूरी अकेले की मोनोपोली ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हां, फिर अब क्या हो गया ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब सही-सही राय दे रहे हो, आज बिलकुल सही राय दे रहे हो। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, राय तो हमेशा एक ही देता रहा हूं। अब आपको सही लगने लगी है। अब आप समझ गये।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह बीच में महावीर जयन्ती आ गयी इसलिए महावीरजी सही हो गये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह क्षमावाणी पर्व आता है न, उस पर जब यह चिट्‌ठी लिखते हैं तब तो थोड़े दिन ठीक रहते हैं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो हमेशा ठीक रहता हूं। एक-सा रहता हूं, पर धीरे-धीरे आपकी यह समझ में आ गया कि हम जो कह रहे हैं वह सही है और आप थोड़ा अनुशासन में और नियमों में बोलने लगे हैं, इसलिए आपको यह ठीक समझ में आ गया।

श्री उपाध्यक्ष: आज तो दोनों तरफ ही सुधार हो गया है।

श्री श्रवण कुमार : महावीरजी, आप पर यह दोहा लागू होता है-

'जमीं सलाम करे, आसमां सलाम करे,

ऐसा काम करो जो ऊपर वाला भी सलाम करे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप क्या कहना चाहते हैं ? आपको ऊपर भेजकर जायेंगे। आप कहना क्या चाहते हो ऊपर वाला सलाम करे इनको, यह शुभकामना देना चाहते हो आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ऐसा है मृत्यु सत्य है इसलिए यदि यह शुभकामना देते हैं तो इसमें आपको और मुझे दोनों को कहां एतराज है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बात सुनकर ही हृदय भर आया । उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह बात कही, हृदय मेरा भर गया। ऐसी कोई बात होती है कभी ? अभी आपको 100 साल जीना है, हमारा नेता भी बनना है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महावीरजी के लिये कहना चाहता हूं कि-

'करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे,

यह फासले तो गलतफहमियां ही पैदा करती हैं।'

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप दूर रहो तो ही अच्छा है, आपको करीब से लोगों ने देखा है और जिन्होंने भी देखा है, जिन्होंने भी करीब रखा है, उन्होंने आपको धकेला है।

श्री श्रवण कुमार : महावीरजी, राजेन्द्रजी को तो पीड़ा हो रही थी। महावीरजी एक आप पर लागू होता है—आदर्शों से महान्

सिद्धान्तों से महान् ज्ञान से महान् ऐसे महान् हमारे लिये बन जाओ।

आप महान् बन जाओ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): शुक्रिया आपका।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान साहूकारी ब्याज की अधिकतम सीमा, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी सदस्य, विधेयक को पुर:स्थापित करेंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान साहूकारी ब्याज की अधिकतम सीमा विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 306 के तहत नियमों के निलम्बन का आपसे अनुरोध करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत पुरानी परिपाटी है ब्याज की। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सूदखोरी की जो समस्या है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने पुर:स्थापित कर दिया, अब बोलने की जरूरत नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): निलम्बन के लिये अर्ज कर रहा हूं नियम 306 के तहत। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपको जवाब देना है, शंकाओं का निवारण करना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह पुर:स्थापित किया है, उसके बाद यह जायेगा। आप अमेंडमेंट मांगेंगे । कोई जनमत जानने का अमेंडमेंट देगा, सारे काम होंगे तभी इस पर चर्चा होगी। आज का काम तो पूरा हुआ आपका। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय शिक्षा मंत्रीजी, फिर 306 काहे के लिये है ? मैं तो आपसे अनुरोध करूंगा ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बाकी सारे मामले बनेंगे। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह अनुरोध भी आसन इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता कि यह जायेगा, इसको पुर:स्थापित करने के बाद में, माननीय सदस्यों को अमेंडमेंट करने का अधिकार है। वह अमेंडमेंट का अधिकार आप कैसे खतम कर सकते हैं ?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमारे पास अधिकार है इसमें अमेंडमेंट करने का। इसमें समय देना पड़ेगा आसन को। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): महावीरजी, यह जो मैंने पेश किया है यह आपकी भावना के अनुरूप पेश किया है । अब मैं यह मानता हूं कि सदन मेरी भावना से पूरी तरह सहमत होगा, मेरा ऐसा अर्ज करना है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी पुर:स्थापित कर दिया आपने । अभी इस पर ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मानने, नहीं मानने का सवाल नहीं है। इसमें कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन्स हैं और इसमें हर मैम्बर का राइट है। उनको अपने संशोधन देने का राइट है और उन नियमों में प्रावधान है कि उसमें समय देना पड़ेगा। अभी यह बिल आया है, पुर:स्थापित हुआ है, इसके बाद में जो नियमों में है, उन सबमें फिर आपको क्या सुनें, पुर:स्थापित के वक्त सुनने की कोई परम्परा ही नहीं है। क्या सुनना है इसमें? आप बिल लाइये, उसको सरकुलेट कीजिये, उसके बाद फिर हम अमेंडमेंट देंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): इसमें मेरा उद्देश्य है ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उद्देश्य और कारण, यह सारे बताओ उसमें, वह बिल लाइये।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप मेरी सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष: अभी आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य, अभी इसमें कोई प्रावधान नहीं है इसलिए आप ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं इसमें जो कार्य संचालन नियमावली है उसके तहत मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप 56 को देखियेगा।

श्री उपाध्यक्ष: उसके पुर:स्थापित के बाद आयेगी कोई बात। पुर:स्थापित किया है अभी ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): पुर:स्थापित हो गया।

एक माननीय सदस्य: अभी तो हमारा राइट है।

श्री उपाध्यक्ष: तो हो गया अब आपका। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने सर्कुलेट कर दिया क्या?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): नहीं, यह पुर:स्थापित हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: तो अब हम अमेंडमेंट देंगे, अपोज करेंगे न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आगे की प्रक्रिया करेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): विधान सभा करेगी, पर अभी तो पुर:स्थापित किया है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सर्कुलेट हो गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने प्रस्तुत कर दिया उसके बाद यह सर्कुलेट होगा, उसके बाद अमेंडमेंट मांगे जायेंगे। अमेंडमेंट का हरेक सदस्य का अधिकार है। इस समय पुर:स्थापन के अवसर पर इसमें कोई बोलने का ही नहीं है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है जब इस स्टेज पर आयेगा, उस समय आप बोलना।

आपका बहुत अच्छा है, यह बिल जो लाये हो बहुत अच्छा लाये हो, अब इसको देखने तो दीजिए।

व्यवस्था

पूर्व संकल्पों पर सदन में विचार को वरीयता

श्री उपाध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक 31 मार्च, 2006 को माननीय डा. श्रीगोपाल बाहेती, मोहम्मद माहिर आजाद, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, श्री प्रहलाद गुंजल ने निम्नांकित गैर-सरकारी संकल्प विचार हेतु प्रस्तुत किये थे:-

(1) यह सदन संकल्प करता है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता दिये जाने का प्रावधान करे।

(2) यह सदन संकल्प करता है कि सरकार राज्य में लोगों के स्वास्थ्य की

(श्री उपाध्यक्ष)

दृष्टि से मादक द्रव्य तम्बाकू, गुटका की सार्वजनिक बिक्री व उपयोग को प्रतिबंधित करे।

(3) यह सदन संकल्प करता है कि सरकार राज्य में राजकीय सेवारत चिकित्सकों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाये।

(4) यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था करे।

उक्त संकल्पों को प्रस्तुत करते समय डा. श्रीगोपाल बाहेती, मोहम्मद माहिर आजाद, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, श्री प्रहलाद गुंजल ने अपने-अपने संकल्पों पर विचार प्रकट कर दिये थे। एवं माननीय सदस्य, जिनके इन संकल्पों में नाम हैं उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया है।

प्रक्रिया के नियम 26 के अन्तर्गत उपरोक्त चारों संकल्प दिनांक 31 मार्च, 2006 को चर्चाधीन रहे हैं और गैर-सरकारी कार्य दिवस के लिए जो नये पांच गैर-सरकारी संकल्प आज की कार्य सूची में लिये हैं उन पर चर्चा पूर्व में 31 मार्च, 2006 को चर्चाधीन रहे संकल्पों पर चर्चा के बाद होगी। जो माननीय सदस्य बोलना चाहें वो इसमें भाग ले सकते हैं।

श्री खुशवीर सिंह।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें निवेदन यह करना है, आपने जो व्यवस्था दे दी वो शिरोधार्य है लेकिन उस समय यह हुआ था कि पहला संकल्प अब यहां प्रस्तुत हुआ है इसलिए अपनी सारी विषय-वस्तु रख दें उसके बाद यह कहा गया कि संकल्प तो चारों प्रस्तुत करवा दें, जो पर्ची में निकले हैं। तब हमको यह कहा गया कि आप अपना संकल्प प्रस्तुत कर दो तो संकल्प प्रस्तुत कर दिया था लेकिन उस पर हम को जो गहनता से अपनी विषय-वस्तु यहां पर रखनी थी, वो नहीं रख पाये थे इसलिए आपसे अनुरोध है कि पहले आप हमको बोलने दें।

सालभर में तो बहुत परिवर्तन हो जाता है, क्या हुआ एक्ट में, उसमें और तो इसलिए आपसे निवेदन है कि पहले आप हमको अपने विचार रखने की अनुमति दें फिर हमारे साथ और जिन माननीय सदस्यों ने दस्तखत किये हैं वो जो-जो बोलना चाहें उनको बुलवा लें। (व्यवधान) पुर:स्थापित कर दिया, रख दिया संकल्प, उसको बोलना थोड़ी कहते हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): बोलेंगे। नहीं, पहले बोलने नहीं दिया था।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप प्रोसिडिंग निकलवा कर देख लें अगर आधा घंटे भाषण दिया हो तो नहीं बोलेंगे, नहीं तो उसमें प्रावधान है कि कम से कम आधा घंटे बोलेगा। पढ़ लें आप।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): पहले केवल रखवाया था। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अभी आधा घंटे नहीं बोल सकते। (व्यवधान) प्रस्तुत करने के समय बोलेंगे। अब आप आधा घंटे नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): प्रस्तुत करने के समय बोलने नहीं दिया तब क्या करोगे उसका इलाज?

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): पहले इन्होंने केवल रखवाया था। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं, गलत बात, आधा घंटा नहीं बोल सके तो इसमें कोई ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खाली उस समय प्रस्तुत करवाया गया था अध्यक्ष महोदय के द्वारा। ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपको आधा घंटे की डोज हमको देनी पड़ेगी?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): नहीं, आधे घंटे से ज्यादा भी बोल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): बोल लेते, किसने मना किया था?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आधे घंटे से ही कोई दिक्कत है तो एक घंटे बोल लेंगे। पूरा एक घंटे बोल लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, नहीं, अब बोल चुके, अब आगे की अध्यक्षीय व्यवस्था है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: श्री खुशवीर सिंह। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): केवल हमसे प्रस्तुत करवाया था, हमने रखा था। हमें यह कहा था बोलने का मौका बाद में मिलेगा और मेरा निवेदन आपसे यह है कि संकल्प बहुत गम्भीर है, वाइड इंट्रेस्ट का है।

श्री उपाध्यक्ष: मोहम्मद माहिर आजाद, श्री वीरेन्द्र बेनीवाल, श्री प्रहलाद गुंजल ने अपने-अपने संकल्पों पर विचार प्रस्तुत कर दिये थे और यह प्रोसिडिंग्स में आया हुआ है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): जी नहीं।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): वेश्म में मिलिये।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सब्मिशन एक मिनट सुन लीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह व्यवस्था आप थोड़ी दे सकते हो, व्यवस्था माननीय उपाध्यक्ष महोदय दें। किस के, आपके वेश्म में मिलें क्या?

श्री उपाध्यक्ष: सुझाव है यह तो।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आप कहोगे तो भी मिल लेंगे। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लास्ट सत्र में यह कहा गया था कि आप संकल्प प्रस्तुत कर दें और चालू कर दें, इसकी विस्तृत चर्चा बाद में होगी। मेरा सब्मिशन आपसे यह है कि हमने ... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब समय जा रहा था, जैसे खुशवीर सिंहजी और दूसरे से रखवा रहे हैं, ऐसे उस रोज हमको यह कहा गया कि आप अपना संकल्प तो रख दीजिए।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): यस, यह कहा था।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): चर्चा बाद में हो जायेगी। अब इसमें आप देख लें साफ कह रहे हैं कि इसमें कम से कम आधा घंटा वो भाषण दे सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने नाम पुकार लिया। श्री खुशवीर सिंह। ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): पहले यह बता दीजिए हमारे संकल्पों का क्या हुआ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तो यह व्यवस्था दे दें कि हमारे संकल्प स्टैण्ड कर रहे हैं न? या तो आप संकल्प पारित करवा दें या उसको निरस्त करवा दें, उसके बाद दूसरे लें। चार पिछले साल के चल रहे हैं, चार आप इस साल के ले लें फिर अगली साल फिर चार ले लेना निर्णय कुछ हो ही नहीं, इससे क्या फायदा हुआ गैर-सरकारी दिवस का?

श्री उपाध्यक्ष: व्यवस्था दे दी, मैंने माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया। श्री खुशवीर सिंह।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप यह तो फैसला कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोल चुके, माननीय सदस्य, पहले आपको मौका मिल गया था।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नहीं, मैं यह नहीं कह रहा, मैं बोलने की कह ही नहीं रहा।

श्री उपाध्यक्ष: अब प्रोसिडिंग में तो आपका आया हुआ है सारा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं तो आपको बोलने की कह ही नहीं रहा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प हमने प्रस्तुत किये हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): या तो आप यह कहें कि जो अभी नये संकल्प आये हैं वो प्रस्तुत हो जाएं उसके बाद आप पहले पुराने वालों पर चर्चा करायेंगे तो हमको दिक्कत नहीं है, बैठ जाते हैं। यह कह दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: कह दी न बात उन्होंने।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): लेकिन यह थोड़ी कि पुराना तो पेंडिंग रहे और फिर नया आ जाए। तो ऐसे तो पेंडेंसी बढ़ती रहेगी और निर्णय कुछ होगा ही नहीं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संकल्प का वेटेज देखो, संकल्प का महत्व देखो, सामान्य बात नहीं है यह। हमने आपसे निवेदन किया था कि उसमें न चर्चा हुई न बात हुई तो उसका क्या हुआ फिर? पहले वाले चार संकल्पों का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। ...(व्यवधान) अभी दूसरे माननीय सदस्यों को बोलने दीजिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो आज तक होता आया है वो हो रहा है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो माननीय सदस्यों ने संकल्प किया है ...(व्यवधान) इनके अधिकारों को रोक रहे हैं आप। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आज तक क्या होता आया है, आप यह कैसी बात कर रहे हो, आज तक होता आया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): जो प्राइवेट मैम्बर बिल रखा है और आज तक होता आया है ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): क्या बात कर रहे हैं कि जो आज तक होता आया है, कैसे आज तक होता आया है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जो गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत होते हैं उन पर विचार होता है ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): न चर्चा हुई, न बात हुई ...(व्यवधान) न उसमें पारण किया न उसको आपने रिजैक्ट किया।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यहां पर सदन यदि यह निर्णय करता है, संकल्प पास करने का यदि सदन निर्णय करता है ... (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आप मना कर दीजिए, क्या दिक्कत है आपको, लेकिन ऐसा कैसे कि जो आज तक होता आया है, यह सदन है ... (व्यवधान) यहां पर ऐसे बोल रहे हो मुंह से आप कि जो आज तक होता आया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मैं यह कह रहा हूं कि जो हमने संकल्प रखा उसकी क्या परिणति हुई? (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ वह बताएं हमको पहले आप।

सूचना

श्री हरिसिंह रावत, माननीय सदस्य पर हमला

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ इन्फोर्मेशन।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 27 तारीख को हमारे विधायक श्री हरीसिंहजी रावत हैं उनके घर रात को बर्छियों से और हथियारों से लैस होकर के लक्ष्मणसिंहजी, भूतपूर्व एम.एल.ए. ने हमला किया है, करीब 20 लोग साथ में थे। पांच वाहन जब्त हुए हैं, आज भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): हमला हुआ है लक्ष्मण सिंहजी के ऊपर।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): कल्ला साहब, पहले मैं बोल लूं फिर आप अपनी बात रख लेना।

मेरा आग्रह है कि करीब पांच वाहन जब्त हुए हैं अभी तक एक भी उसमें हथियार जब्त नहीं हुआ है। गृह मंत्रीजी से मेरी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मांग है कि एक तो उसमें धारा 307 लगायी जाए और अभी तक एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ऊपर से कल का अख़बार, यह आज का अख़बार बोल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष, कल्लाजी वहां जाकर के बोल रहे हैं कि सभी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जायेगा जब राज आयेगा कांग्रेस का। इस तरह तो फिर यह एक लोकतंत्र का मजाक है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि जितने भी मुलजिम हैं, चाहे वो भूतपूर्व गृह मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, कानून की दृष्टि में सब बराबर हैं,जिसने भी अपराध किया है उसके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। आज भी हमारे जो विधायक हैं उनका परिवार सदमे में है और यदि तुरन्त इसमें कार्यवाही नहीं हुई तो वहांकैसी भी घटना घटित हो सकती है।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से मांग है कि जो भी असामाजिक तत्व हैं, जिस तरह से उनके पास अवैध हथियार हैं, हथियार सीज करके और उनके खिलाफ जो भी धाराएं हैं उसमें उनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः श्री खुशवीर सिंह।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और जो इस तरह से असामाजिक तत्वों को भड़काने की कार्यवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): वहां लक्ष्मण सिंहजी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और उनके खिलाफ असत्य मुकदमा दर्ज हुआ है।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी सुना जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, यह बहस का मुद्दा नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उलटा होना तो यह चाहिए कि लक्ष्मण सिंहजी के ऊपर जो हमला हुआ है, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह आप कैसे कह सकते हैं असत्य मुकदमा दर्ज हुआ है? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): प्रतिपक्ष के नेता रहे हुए और कांग्रेस के अध्यक्ष ...(व्यवधान) वहां जाकर लोगों को उकसाया गया है, लोगों को भड़काया गया है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): इतना समय बीत जाने के बाद भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ ...(व्यवधान) जानलेवा हमला करने के बाद थाने में पांच घण्टे तक बैठाये रखा और उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया ...(व्यवधान) इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी, जिन लोगों ने लक्ष्मण सिंहजी के ऊपर हमला किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और लक्ष्मण सिंहजी के खिलाफ जो असत्य मुकदमे हैं, उनको वापस लिया जाय।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): प्रजातंत्र में यह अच्छी बात नहीं है कि अभी तक एक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है और यह कह रहे हैं कि असत्य मुकदमा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः गृह मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): छूट है क्या इनको कि वह लोग हथियार और वाहन लेकर चले जाएं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): लोगों को भ्रमित करके ...(व्यवधान) मैं यहां पर था और मेरे घर इन्होंने हमला करवाया है और उसके बाद यह कल्ला साहब अपने आपको ...(व्यवधान) कल मुख्य मंत्री बनकर आये और मेरे परिवार को मारने की धमकी देकर गये और पुलिस को बोलते हैं एक एक को मरवाऊंगा ...(व्यवधान) चाहते क्या हैं यह ?

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो, कोई अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ×××

श्री हरीसिंह रावत (भीम):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री हरीसिंह रावत (भीम):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये, कोई अंकित नहीं हो रहा ...(व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

श्री हरीसिंह रावत (भीम):×××

श्री **उपाध्यक्ष:** माननीय सदस्य, माननीय सदस्य,

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले इस विषय पर तो आने दीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): पाइंट आफ इन्फार्मेशन है, मैं कह रहा हूं एक साथ ही जवाब दे दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष: साथ में नहीं बैठेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): दोनों घटनाएं अलग-अलग हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): मेरे खुद के साथ घटना हुई है। मैं सदन का, आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी आप स्थान ग्रहण कीजिये, कोई बात आपकी होगी तो पहले जवाब आने दीजिये इसका ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): इसके बाद बता देना, दोनों विषय अलग-अलग हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (श्रीगंगानगर): ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन में यह विषय उठा था कि पूर्व गृह मंत्री के मुकदमे को दर्ज नहीं किया, मैंने उस दिन भी कहा कि नहीं, सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला झगड़ा एक सामान्य था देवगढ़ में जो दर्ज हुआ 97 उसमें आपसी किसी खान को लेकर जगह को लेकर विवाद था 107, 115 में दोनों को पाबंद कर दिया, दोनों को समझाइश करके चले गये। उसके ठीक दूसरे दिन लक्ष्मण सिंहजी उसी मुकदमे को जो आपस में रजामंद होकर 107, 151 की कार्यवाही करके दोनों पक्षों को खतम कर दिया, उसी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए कुछ लोगों को लेकर के देवगढ़ थाने पर आये और वह जिस दिन आपने बात उठाई, मुकदमा दर्ज नहीं किया, सेम घटना जो 26 तारीख को हुई उसको दूसरे मुकदमे में दर्ज करने के लिए उन्होंने प्रेशर बनाया वहां, फिर भी हमने उस मुकदमे को दर्ज किया और यह कहा कि मेरी गाड़ी को आड़ी लगाकर के आये, नहीं, लक्ष्मण सिंहजी ने स्वयं ने 20-25 लोगों को पांच व्हीकल में बुलाकर इनके घर पर जाकर के हमला किया, तब जाकर के मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद जब वापस दोनों ही मुकदमा दर्ज कराने आये थे उस समय गाड़ियां वहीं सब थाने पर पड़ी थीं लक्ष्मण सिंहजी की पांच गाडियां, एडीशनल एस. पी. उस समय तक वहां पहुंच गया था, उसने उन गाड़ियों को कब्जे में ली तो उसमें हथियार मिले तो वह हथियार जब्त किये, गाड़ी जब्त की और मुकदमा दर्ज किया जबकि दूसरे पक्ष के पास न कोई गाड़ी थी, न कोई हथियार था, कुछ नहीं था। घटना थी देवगढ़ की मुकदमा दर्ज कराने की, रास्ते में जाकर के उन्होंने उनके घर पर जाकर के किंवाड़ खटखटाए तो गांव के लोग इकट्ठे हो गये, वह वहां से छूट गये और आकर के तो इस तरह से मनगढंत घटना बनाकर अगर अपन इस सदन का उपयोग करेंगे तो कृपा करके ऐसा मत करिये और आपने कल जो भाषण दिया, उस भाषण में कहा कि राज तो कल हमारा आ रहा है, हम एक-एक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अधिकारियों की फीती उतार देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे क्या बात हुई?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कोई हमला नहीं हुआ, उनकी गाड़ी के कोई कांच नहीं फूटे थे, उनकी थी और उनके लड़के की थी, वह गाड़ी बिलकुल सुरक्षित थी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री हरीसिंह रावत (भीम):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): न लक्ष्मण सिंहजी को कोई चोट आयी, न उनके परिवार के किसी को चोट आयी ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ऐसा है, इस प्रकार की असत्य इन्फार्मेशन के आधार पर ...(व्यवधान) न उनकी गाड़ी को, न उनके शरीर पर एक भी रगड़ तक नहीं लगी है, न कोई आपसी झगड़ा हुआ। इन्होंने जाकर के हमला किया है इनके घर पर और उसको ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री हरीसिंह रावत (भीम):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

(समय : 19.17 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द):×××

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है, माननीय सदस्यगण, ...(व्यवधान) आसन पांवों पर है ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आप एक साथ जो बोलते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ता है मेरे, एक एक करके माननीय सदस्य बोलें तो पता लगे किसने क्या कहा, क्या न कहा, एक साथ में आप इतने क्यों बोलने लगे? बोल कौन रहे थे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज तो दिन भी इन्हीं का है, प्राइवेट मैम्बर्स डे है, इनको कुछ बहस करनी हो तो करें वरना शोर-शराबे से कोई अर्थ तो है नहीं ।

श्री अध्यक्ष: कौन बोल रहे थे ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा था, मैं निवेदन यह कर रहा था कि ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): खुशवीर सिंहजी का नाम पुकारा था।

श्री अध्यक्ष: खुशवीर सिंहजी, आप बोलें, आप क्या कहना चाह रहे हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, निवेदन सुन लें, मैं निवेदन यह कर रहा था कि पिछली बार आपने हमारे उस पर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में न बोलें, मुझे सुन लेने दें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आपने हमारे अनुरोध पर गैर सरकारी दिवस का नियतन किया और आपने ...(व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, कल जाकर कल्ला साहब मेरे को यह धमकी देकर आये कि एक-एक को चुनकर पुलिस वाले मारेंगे, एक-एक का बदला लेंगे, अध्यक्ष महोदय, यह कल भड़काऊ भाषण देकर आए हैं और खुद कल मुख्य मंत्री बन गये वहां पर जाकर के ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इसमें क्या दिक्कत हो गयी?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा कोई कह सकता है क्या? यह बिलकुल असत्य बात कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं मैं मुख्य मंत्री ...(व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, झूठे-झूठे मुकदमे दायर करवा कर ...(व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ऐसा वक्तव्य कल्ला साहब ने कोई नहीं दिया। नहीं, यह अख़बार वाले गलत हैं। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): यह गलत कह रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर आप एक साथ बोलने लगे। हां, आप क्या फरमा रहे थे?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विराजें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर आप खड़े हो गये। जब मैंने मौका दे दिया नगर से आने वाले माननीय सदस्य को।

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था।

श्री अध्यक्ष: आपकी कोई बात है तो जब वो बैठ जाएं तब आप बोलियेगा। आप यों ही खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि काफी हमारे अनुरोध पर आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने ...

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके निवेदन का क्या हुआ?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब आसन ने मेरा नाम पुकार लिया फिर वो ही बात हो गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): एक माननीय सदस्य को जान का खतरा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा, जान का खतरा है, यह दो मिनट में अपनी बात कह दें फिर जान के खतरे की बात कह देना। (व्यवधान) फिर जान के खतरे की बात कह देना आप।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, वो तो बोलेंगे पर यह कल्ला साहब धमका कर आये हैं। (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): और इसके बाद भी वहां जाकर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं यह लोग ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसके बाद कोई बात कह देना आप। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार उनकी है, आप पर विश्वास नहीं है क्या जो जान का खतरा है ...(व्यवधान) आप उनका भी इन्तजाम नहीं कर सकते हो तो +++ । सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, सरकार आपके पास है, आप, महावीरजी कह रहे हैं उनको जान का खतरा है, फिर किस मर्ज की दवा हो आप। हम से कह रहे हो क्या? शर्म की बात है आप लोगों के लिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप ऐसे कैसे धमका रहे हो ...(व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुकदमे को झूठा साबित कर रहे हैं जबकि पाँच गाड़ियों में हथियार जब्त हुए हैं। पुलिस ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप ऐसे कैसे धमका रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): और वहां जाकर के बोले हैं ...(व्यवधान) बड़े शर्म की बात है जो अपने आप को मुख्य मंत्री ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजस्थान के जन जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आपको सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। किस से कह रहे हो, किस से याचना कर रहे हो आप? (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्म आनी चाहिए, लानत है ऐसे आदमियों को जो भड़काऊ भाषण देते हैं वहां जाकर के। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं बोलें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): कल्ला साहब ने बीकानेर में ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने अधिकारों से हट कर और यह अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजैक्ट करके और जिस प्रकार की इन्होंने कार्यवाही की है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है और कोई वो नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो इस सदन से याचना कर रहे हो, साहब, उनकी जान को खतरा है।

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपकी सरकार है, आपके दल के सदस्य हैं, आपके गृह मंत्री हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? अंकित नहीं हो जो कुछ यह कह रहे हैं अंकित नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): हमको सरकार पर विश्वास है, मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि सरकार थोड़ा लिहाज करती है इसलिए या तो आप अपने आचरण को सुधारो नहीं तो सरकार को नियमों में किसी के ऊपर ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई लिहाज नहीं किया। जो मुकदमा दर्ज किया है वो मुकदमा दर्ज किया और जो मुकदमा दर्ज कराने आये तो इनकी गाड़ियों की सर्च की, उस सर्च में हथियार मिले। उन पाँच गाड़ियां को हमने जब्त किया। उनमें से तीन गाड़ियां उन्होंने कोर्ट से से छुड़वायी, दो गाड़ियों के अभी तक वो कागज भी पेश नहीं कर पाये कि यह गाड़ियां किसकी हैं और क्या उसका आधार है।

और वास्तव में हमला तो लक्ष्मणसिंहजी ने किया और मुकदमा उल्टा दर्ज करा कर के यहां जिस प्रकार की आपने प्ली की, वो सच नहीं है बिलकुल, जो घटना है वो ना तो किसी की गाड़ी रोकी, ना कुछ, आपने बनाया और वहां जाकर के भी आपने पुलिस को यह धमकाने की कोशिश की। जैसा लक्ष्मणसिंहजी ने वहां धमका कर के अपना मुकदमा दर्ज कराने में, जो मुकदमा आलरेडी दर्ज हो चुका, जिस पर 107 की कार्यवाही हो चुकी। उसी घटना का दूसरे दिन इन्होंने जिस तरह से बात करके और वो मुकदमा दर्ज करा वो भी हमने किया और उसके बाद भी कार्यवाही हम कर रहे हैं।

इसके बाद जो हथियार उनके पास बरामद हुए, जो हमला उन्होंने किया उनके खिलाफ केस बना हुआ है, आगे कार्यवाही चल रही है और आपके जो भाषण जिस तरह से थे, पुलिस को धमकाया कि कल राज हमारा आने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वाला है, हम तुम्हारे खिलाफ जो है यह कार्यवाही करेंगे, आपको शोभा नहीं देता वहां पब्लिक मंच पर। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऐसा है, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिप तो कहते हैं मैंने वहां कह दिया कि मैं मुख्य मंत्री बनूंगा, मैंने कहीं नहीं कहा। (व्यवधान) वर्बेटम है, इनके बैठे हुए हैं, एक-एक वर्बेटम भाषण को लिखा है, यह बहुत असत्य बात कह रहे हैं। नम्बर वन।

दूसरा, मैं वहां पर गया, गीता के ऊपर हाथ रख कर लक्ष्मण सिंहजी ने कहा कि मेरे आगे 414 नम्बर का डम्पर आकर के रोका गया, हमारे साथ चलने वाली कार शीशे तोड़े गये उसके बाद मेरे पर जान लेवा हमला हुआ। मैंने गाड़ी बैक कर के और मैं थाने में गया। पांच घंटे तक रात को दो बजे तक उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराना था वो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तब जाकर के इन्होंने कहा कि मैं जाता हूं और उसके बाद आपके ऊंचे अफसर ने वहां पर कहा, भाई, मुकदमा तो दर्ज कर लो तब मुकदमा दर्ज हुआ और उससे पहले ही हरिसिंहजी और उसके परिवार वालों का मुकदमा दर्ज हो गया, अब मैंने कल वहां क्या कहा, मैंने यह कहा कि लक्ष्मण सिंहजी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। यदि इनको आपने सही ढंग से डील नहीं किया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जेल भरेंगे और सरकार की तरफ से जो भी गलत कार्यवाही की जा रही है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, विषय को इधर से उधर घुमा रहे हैं ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): कोई नहीं घुमा रहे हैं ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक मिनट, कृपा करके सुन लें, दो प्रकरण अलग-अलग हैं, देवगढ़ में 26 तारीख को उनके माइन्स की खनन को लेकर दोनों के बीच में एक विवाद था और उसके बाद में यह कहा कि इन्होंने हमको धमकाया। दोनों ने आकर 26 को मुकदमा दर्ज किया, पुलिस ने दोनों पार्टियों को बुलाकर पाबन्द किया, समझौता कराया और चले गये। उसी घटना, जो देवगढ़ की माइन्स को लेकर हुई उस बात को दर्ज कराने के लिए लक्ष्मण सिंहजी थाने पर गये और वहां जाकर के उसी घटना का दुबारा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा तो उसमें पुलिस ने कहा कि यह तो जो घटना आप बता रहे हो इसमें दोनों के बीच में आपस में समझौता हो गया, दोनों को पाबन्द कर दिया, मामला खतम हो गया फिर भी वह इस बात पर अड़े रहे कि नहीं, इसका भी मुकदमा 27 तारीख को दर्ज करो और उन्होंने आप सबको टेलीफोन किया। यह जो देर से मुकदमा दर्ज होने की बात है वह है देवगढ़ की। जो 26 तारीख की घटना थी, 27 तारीख की घटना में जो आप बता रहे हो वह जो वहां 27 तारीख को मुकदमा दर्ज करके वह जब वापस जा रहे थे, अपने कुछ लोगों को और उन्होंने ब्यावर से या कहां से बुलाया और इनके जो गांव है, घर पर जाकर के हमला हुआ, उन्होंने किंवाड़ खटखटाये, कुछ हुआ तो गांव के सब लोग आ गये, यह वहां से रवाना हो गये, उनकी गाड़ी को न किसी ने रोका, कुछ नहीं हुआ, कोई वाकया ही नहीं हुआ। यह तो बाद में आकर के पाँच गाड़ियों में जब इनका मुकदमा दर्ज हो गया तो इनके घर पर हमला होने का तो फिर उन्होंने भी अपना एक काउंटर केस दर्ज कराने के लिए उन पांचों गाड़ियों में भरे हुए लोग यह भीम थाने पर आये और भीम थाने पर दो मुकदमे दर्ज हुए एक हरीसिंहजी के भाई के द्वारा और एक इनके द्वारा। जब उस समय एडिशनल एस. पी पहुंच गया था या सब गाड़ियां थीं, एडिशनल एस.पी. ने गाड़ियों की सर्च ली, जो गाड़ियां पांचों लक्ष्मण सिंहजी की थीं उसमें जो हथियार मिले, पांचों गाड़ियों को पुलिस ने वहीं जब्त कर लिया, वहीं रख लिया। इनके पास न कोई गाड़ी थी, न कोई हथियार थे, न कहीं बीच में रास्ते में झगड़ा हुआ, न किसी को खरोंच लगी, न किसी को कुछ हुआ। जिन दो गाड़ियों में बैठकर के वह और उनके लड़के आए थे आज भी वह सुरक्षित गाड़ी वहीं पड़ी हुई है पुलिस थाने पर। दो गाड़ियां जो दूसरी थीं उनके ऊपर पत्थर से पीछे के कांच टूटा है जो इनके साथ वाली गाड़ियां थीं, बाकी किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई।

यह उल्टा उनके घर पर हमला करें और मुकदमा भी स्वयं दर्ज कराने जाएं और यह अपन उनको इस बात में कहें यह सच्चाई नहीं है और उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आप अपने तथ्य से प्रमाणित कर दें कि इनकी गाड़ी को किस डम्पर ने रोका और कहां रोका और किन लोगों ने उस डम्पर को रोकते हुए देखा। अगर यह एविडेंस होगी तो इसकी भी कार्यवाही होगी परन्तु बिना एविडेंस के आप यह चाहो कि केवल हव्वा बनाकर के आप केस बनाना चाहो तो नहीं, अगर आप एविडेंस दोगे कि वास्तव में उनकी गाड़ी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को किसी ने डम्पर लगाया, कौनसा डम्पर लगाया, कौन आदमी है उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी। बाकी अब तक जो एविडेंस आयी उस दिन तो मैंने केवल जो मुझे सामान्य जानकारी थी वही बताई। मैं अभी कह रहा हूं जो मुकदमे दर्ज हुए, जिसका भी अपराध होगा उसको दण्ड मिलेगा लेकिन यह भड़काने वाली और इसको एक सनसनीखेज न्यूज बनाकर के इस प्रकार से नहीं चलेगा। कम से कम लोकतंत्र में हरेक को अपनी बात कहने का अधिकार है और वह कह सकता है और पुलिस की भी एक जिम्मेदारी है कि वह मुकदमा दर्ज करके जो भी एविडेंस आएगी उसके अनुसार कार्यवाही करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षिप्त में यह कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हो कि लक्ष्मण सिंहजी की गाड़ियों में हथियार थे और वह हरीसिंहजी के घर पर गये। क्या हरीसिंहजी के किसी के घरवालों के कोई चोट आयी ... (व्यवधान) जो व्यक्ति थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, वह साथ हथियार लेकर जाएगा क्या (व्यवधान) लक्ष्मण सिंहजी थाने में पांच घंटे तक बैठे रहे, 8 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक, उनकी कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुई ... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अभी थाने में हथियार हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): हथियार अभी भी थाने में जब्त हैं, गाड़ियां जब्त हैं ... (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): ... (व्यवधान) कि अपने घर पर पापा इस प्रकार का अटैक हुआ है मेरे को मेरी बेटी ने फोन किया ... (व्यवधान) मैं तो यहां था।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या यह सही है कि लक्ष्मण सिंह जी के ड्राईवर ने जब आपके थाने के लोग उस पर लाठियां और ... (व्यवधान) हथियार रख रहे थे ......

श्री हरीसिंह रावत (भीम): और आप मुकदमा दर्ज कराओ... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): थाने के लोगों ने उनकी गाड़ियों में सरिये और लाठियां रखीं, उसने गीता के ऊपर हाथ रखकर ... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): क्यों बदनाम करते हो? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कुछ तो शर्म करो ... (व्यवधान) उन्होंने गाड़ी में रखे, इतना असत्य तो मत बोलो, इतनी असत्य बात तो मत करो ... (व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): कहां से गीता लेकर के आये? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप मेरी बात सुनें ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): गीता को क्यों बदनाम करते हो ब्राह्मण देवता ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लक्ष्मण सिंहजी ने वहां सार्वजनिक तौर पर गीता पर हाथ रखकर के बयान दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें ...(व्यवधान)

श्री हरीसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष बने हुए हैं प्रदेश के और मुख्य मंत्री बनेंगे ...(व्यवधान) शर्म आनी चाहिए आपको ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): गीता को बदनाम मत करें ब्राह्मण देवता ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मण सिंहजी ने वहां पर गीता पर हाथ रखकर के ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर के ही देते हैं वह कितने सच्चे होते हैं, सब जानते हैं अच्छी तरह से ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): गीता का बहाना बनाकर के असत्य बयान कर रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): गीता को बदनाम कर रहे हैं ब्राह्मण देवता ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य, आपको यह छूट नहीं है कि आप मर्जी आये सो बोलें। चाहे जब खड़े हो जाते हैं, चाहे जो कुछ बोलने लग जाते हो ...(व्यवधान) नो, नो, नोट लाइक दिस।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): मैंने हाथ खड़ा किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हाथ खड़े करने से क्या होता है। वह बोल रहे हैं, बात

(श्री अध्यक्ष)

कम्प्लीट कर लेने दें, उनको कह लेने दो। सही, गलत जो कुछ भी कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं वह सुन लें। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि लक्ष्मण सिंह ने सार्वजनिक तौर पर गीता पर हाथ रखकर के जनता के सामने बयान दिया कि मैं जो कहूंगा, सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ भी नहीं कहूंगा और उन्होंने ...(व्यवधान) जनता के सामने किताब पर हाथ रखकर के यह बोलने के लिए ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): गीता कहां है, गीता थी ही नहीं वहां पर ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): उन पर जान लेवा हमला हुआ, 414 नम्बर के डम्पर में भीम से उनके घर से फार्म हाउस जाते हुए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): वहां गीता कहां से आयी, यह बता दें आप तो ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): दो किलोमीटर की दूरी पर उनके आगे डम्पर लेकर आये, डम्पर के आगे जो गाड़ी थी उसके कांच तोड़े गये और उसके बाद उनके ऊपर तलवारों और लाठियों से हमला करने की कोशिश की गयी। वह अपनी कार को बैक करके वापिस लाये, उसके बाद थाने में उप अधीक्षक ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी ने कह दिया न कि पूरे मामले की जांच करेंगे। जो कुछ सही पाया जायेगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। कह तो दिया उन्होंने।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक तथ्य और ला देता हूं, एक तथ्य इनके ध्यान में नहीं है ...(व्यवधान) थानेदार के सामने और उप अधीक्षक के सामने उनको मां-बहन की गालियां निकाली और इनका भतीजा उनको मारने के लिए लपका। क्या यह भी बात सही नहीं है। थाने में थानेदार के सामने पूर्व गृह राज्य मंत्रीजी के ऊपर जानलेवा हमला हो और वहां पर थानेदार और सी.आई. ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, यह गैर सरकारी दिवस है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): क्या यह कहने का अधिकार नहीं है कि इतना ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह पैरवी का सवाल है, एफ.आई.आर. लॉज हो गयी, हम मेरिट और डी-मेरिट पर यहां बहस करेंगे। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं दावे के साथ में कहता हूं कि यह लोग आपके वक्त में कार्यवाही नहीं करेंगे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट आयेगी तो हम अपने गृह मंत्रीजी से रिकवेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करायेंगे। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष से यह पूछना चाहता हूं कि वह वहां गये, इन्होंने इनवेस्टिगेशन की, गीता पर हाथ रखकर के यह कहा ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): लक्ष्मण सिंहजी ने कहा।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, ठीक है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह गीता पर हाथ रखकर के चाहे मर्डर का केस है, चाहे मर्डर का अपराधी है वह भी गीता पर हाथ रखकर के बयान करता है, कोर्ट में जो भी बात है वह गीता पर हाथ रखकर के कहता है।

श्री अध्यक्ष: कोर्ट में नहीं कहा, उन्होंने तो जिस प्रकार की बात थी ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): नहीं, वह कहते हैं कि जनता की कोर्ट में कहा। जो इनके सामने कहा। आप यह देखिये, यह तो सही है कि उन्होंने गीता पर हाथ रखकर कहा इसलिए आपने मान लिया। आपने स्वयं ने तो इनवेस्टिगेशन नहीं किया। यह बात भी सही है कि पाँच गाड़ियां लक्ष्मण सिंहजी की थी।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): यह होम मिनिस्टर साहब कह चुके ना सब।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप लोग गुमराह कर रहे हैं,

(श्री हरिमोहन शर्मा)

इनवेस्टिगेशन एजेंसी आपके पास है, आपके गृह मंत्री हैं और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाकर के आप यह साबित करना चाहते हैं कि आप गलत करेंगे तो भी हम नहीं बोलें ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत परम्परा पड़ जायेगी। यह बहुत गलत है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप यह चाहते हो कि सरकार गलत काम करे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में ना बोलें ...(व्यवधान) अंकित न हो ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हाउस में कही हुई बात पर कहीं भी कोई बहस नहीं हो सकती है ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दबाव बनाकर के इस प्रकार की कार्यवाही कर देते हैं जिसके कारण से गलत संदेश जाता है और उसमें अन्याय भी हो जाता है।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम जो भी बात करते हैं, चाहे वह किसी को नकेल डालने की बात हो, चाहे वह किसी भी अपराधी की बात हो, हम सनसनी पैदा करके इस प्रकार की बात करते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यहां पर लक्ष्मण सिंहजी के मामले में भी यही हुआ कि जो मामला निपट गया, जिसमें समझौता हो गया।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): जहां पर कांग्रेस के कुछ लोगों ने इस प्रकार का दबाव बनाया जिसके कारण यह स्थिति बनी और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमको जो विशेषाधिकार मिले हैं उनका दुरूपयोग नहीं करें। यहां इनको धमकाया। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री अध्यक्ष: आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें। वह बोल रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, यह भी कहा है कि जब हमारी सरकार आयेगी तब इनके फीते उतारकर और यह करेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्या यहां भी कहा है?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): उन पर कार्यवाही करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: आब्जेक्शनेबल, ओब्जेक्शनेबल।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप इनको प्रताड़ित कीजिये ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): दबाव बनाकर के अपराधियों को बचाने की जो कार्यवाही करते हैं और स्वयं उन्होंने कहा, यह स्वयं देखने गयें, वहां हथियार लेकर क्यों गये थे, गाड़ियों में हथियार क्यों भरे थे?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं निवेदन करता हूं कि यह सदन का दुरूपयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने जो विधान सभा में बात कही है उस पर कोई मुकदमा दर्ज हो नहीं सकता। कल्ला साहब ने यहां पर जो बात कही उस पर मुकदमा दर्ज हो नहीं सकता ...(व्यवधान) वहां जाकर के जो बात कही है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मान जायें आप ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने आपके साथ क्या किया डाक बंगले में ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैंने आपके साथ क्या किया?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आपने पिछली विधान सभा में भी कही थी और मैंने आपकी उस एस.पी. से भी बात करायी ...(व्यवधान) आपको शपथ है जिसको मानते हो, उसकी शपथ है। आपके माता-पिता की, आपके बच्चों की, कि मैंने कुछ भी किया है ...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान) या तो मैंने आपके साथ कुछ किया हो तो बता दो। ...(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरे नाम से डाक बंगला बुक नहीं था। (व्यवधान) यदि मैंने किसी कुन्दन शर्मा को यह कहा हो तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। आप कहलवा दो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप उनको अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में बुला लो, यदि मैंने यह कहा हो। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि मैंने कहा हो तो मैं ... (व्यवधान) छोड़कर चला जाऊंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): यदि यह कहा हो, मैं उसके घर गया हो ...(व्यवधान) आप उनसे यह कहलावा दो, मैं उनके यहां गया हो (व्यवधान) ।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर):×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपने जो चार्ज लगाए हैं इन पर, तो इनको जवाब देने का तो मौका आए न। अपनी बात कह रहे हैं तो सुन लो आप, यह क्या कह रहे हैं। (व्यवधान) आप उन पर चार्ज लगा रहे हो, फिर उनकी बात भी नहीं सुन रहे हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक):×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा):×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस धौलपुर की घटना का यहां जिक्र हुआ, मैंने उस समय ही कहा था कि मैं जांच के लिए आई.जी. को भेज रहा हूं। आई.जी. वहां गए, एस.पी. वहां गए और महिला राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी वहां गए, यहां की महिला आयोग की अध्यक्ष वहां गई। सरासर झूठी एक मनगढंत कहानी बनाई थी, मैंने उनके खिलाफ यहां भी कहा था कि मैं उनके खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज कराऊंगा, जिन्होंने सनसनीखेज न्यूज बनाकर यह कहा कि नाक में नथ डाल दी गई, उसके साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट आ गई, झगड़ा जरूर हुआ, मारपीट हुई, यह तो सच बात है लेकिन यह दोनों घटनाएं नहीं हुई तो मैं निश्चित रूप से जैसे सदन में मैंने कहा उनके खिलाफ उल्टा मुकदमा बनाकर इसको प्रेरित करने वालों को भी जरूर मुलजिम बनाएंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली):×××

श्री श्रवण कुमार (पिलानी):×××

व्यवस्था का प्रश्न

पुराने अशासकीय संकल्पों पर चर्चा

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि पिछली बार भी आपने सदस्यों के अनुरोध पर गैर-सरकारी दिवस का नियतन किया और प्राइवेट मैम्बर-डे निश्चित रखकर लोगों से संकल्प के लिए प्रस्ताव मांगे। चार पर्चियां निकलीं और 4 संकल्प पिछली बार आपने 31 मार्च को यहां प्रस्तुत कराए। उस वक्त व्यवस्था यह दी गई थी कि एक संकल्प पर पहले चर्चा हो जाए लेकिन आपने अध्यक्षीय आसन से यह

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कहा कि नहीं, पहले चारों प्रस्तुत कर दिए जाएं, वह चारों संकल्प प्रस्तुत हो गए। मैं इस संकल्प के बारे में राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 110 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कहा गया है,

'110. अध्यक्ष संकल्प की ग्राह्यता विनिश्चित करेगा- (1) अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई संकल्प या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है अथवा नहीं और वह किसी संकल्प अथवा उसके किसी भाग को अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में संकल्प प्रस्तुत करने के अधिकार का दुरुपयोग हो अथवा सदन की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता हो :

परन्तु अध्यक्ष अपने स्वविवेक से ऐसे संकल्प के रूप में संशोधन कर सकता है या सम्बन्धित सदस्य को उसमें संशोधन करने का अवसर दे सकता है।

(2) सचिव सदस्य को, यथास्थिति, सूचना देगा कि उसके संकल्प को प्रतिग्रहीत या यथा-संशोधित प्रतिग्रहीत या अस्वीकृत किया गया है और संकल्प को अस्वीकृत किए जाने की दशा में उसके कारण या कारणों को भी बताएगा।

110 का. संकल्पों का क्रम और सीमा- (1) उन संकल्पों की, जो नियम 110 के अधीन ग्राह्य कर लिए गए हैं, पारस्परिक पूर्ववर्तिता अध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार ऐसे दिन जो वे निर्दिष्ट करे, शलाका द्वारा अवधारित की जाएगी।

(2) जब तक अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दे, किसी दिन के लिए कार्य-सूची में पाँच से अधिक संकल्प (किसी ऐसे संकल्प के अतिरिक्त जो नियम 26 के परन्तुक के अंतर्गत अवशिष्ट हो) नहीं रखे जाएंगे।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि चार संकल्प तो 31 मार्च को जो निकले हैं वह आ गए, उसके बाद 4 संकल्प इस बार की लाटरी से किए गए वह आ गए, 8 हो गए, इसलिए पांच से ज्यादा एक दिन में हो नहीं सकते, संकल्प आज की तारीख में 8 हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि एक-एक संकल्प पर चर्चा हो जाए या तो एक संकल्प को पारित किया जाए या निरस्त किया जाए, उसके बाद आगे दूसरा लिया जाए।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

पिछली बार आपने जो हमारे संकल्प थे पहले नम्बर पर पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपना संकल्प यहां प्रस्तुत किया था और दूसरे नम्बर पर मादक द्रव्यों/पदार्थों से संबंधित मेरा था। आप किसी एक पर ले लें, उस समय प्रस्तुत किया था और जो हमारी विषयवस्तु थी, किन कारणों से प्रस्तुत किया है, क्या हम चाहते हैं उसका पूरे तरीके से हम यहां पर उल्लेख नहीं कर पाये थे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपकी कृपा से यह गैर सरकारी दिवस का नियतन हुआ है तो यह संकल्प ऐसा नहीं हो कि पिछले 31 मार्च के चार इस साल तक पेण्डिंग थे, आज फिर चार हो जाएं और अगले साल ये आठ पेण्डिंग रहें जबकि नियमों के अनुसार 5 से ज्यादा एक दिन में हो नहीं सकते। इसलिए आप कैसे भी, यह आपका अधिकार है, आसन का अधिकार है कि आप इसका कोई भी क्रम निर्धारित करें, कैसे भी लें, इस पर एक-एक पर चर्चा करके सदन में संकल्प पारित कराएं या अस्वीकृत कराएं और उसके बाद दूसरा लें, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आप व्यवस्था दें। एक समय यदि आवश्यक समझें तो ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसा है जब कार्यसूची में सबका समावेश कर दिया गया तो उसी हिसाब से सबको बोलने का मौका मिल जाएगा, सब बोल लेंगे उस हिसाब से। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): समय भी बढ़ाया जाए। एक ही घण्टा बढ़ाया था इन्होंने, वह पूरा हो गया। खतम हो गया वह यदि बढ़ाएंगे नहीं तो। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ एक्सप्लेनेशन। माननीय अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): टाइम बढ़ाएं। दो मिनट घट रहे हैं जो बढ़ाया था। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कोई भी प्रस्ताव कर सकता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय आज की कार्यसूची तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: आज की कार्यसूची तो बहुत लम्बी है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी अजीब स्थिति है। विधान सभा सेक्रेटेरियट कोई कार्य सूची रखे, रूलिंग पार्टी का चीफ व्हिप प्रस्ताव नहीं रखे तो फिर यह किसका अपमान है, किसकी अवमानना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो खड़ा हुआ हूं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): टाइम बढ़ाने का काम तो जो रूलिंग पार्टी है उसका है और उसको अवेल करना है। आप स्वयं इस प्रेक्टिस को एनकरेज करेंगे तो यह आने वाले समय में ठीक परम्परा नहीं होगी। फिर इस तरह से हाउस कैसे होगा?

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): आज तो गैर सरकारी दिवस है, कोई भी रख सकता है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कोई भी रख सकता है। कोई जरूरी थोड़े ही है कि आप प्रस्ताव रखें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): खैर, आप रखते, देर आयद दुरुस्त आयद कि इस संकल्प पर चर्चा का समय चर्चा हो जाए तब तक बढ़ाते।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आपका ही अधिकार है ..(व्यवधान) यह आप ही का अधिकार है, आप रखें, बहुत आभारी रहेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं तो खड़ा हुआ हूं, बढ़ाने के लिए खड़ा हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा भी था समय बढ़ाने के लिए कि आप उचित समझें तो, पर आपने उनकी बात सुननी प्रारम्भ की है।

श्री अध्यक्ष: अभी तो समय है, आप बढ़ा दें।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): फिर आप व्यवस्था देने में लग गये। इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा .. (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): फिर वही एक घण्टा।

श्री अध्यक्ष: एक घण्टा बहुत है, क्या करोगे और?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सदन का समय ..(व्यवधान) क्योंकि हम जिन बातों पर चर्चा करना चाहते हैं वह तो कर नहीं रहे। अब एक घण्टा पहले बढ़ाया, यदि हम उसमें चर्चा करते ..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): एक घण्टा आपकी एफआईआर खा गई। आपने किया एक घण्टा पूरा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाए। क्योंकि उस समय जो मेरे ऊपर आरोप लगे थे ..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): अब उस पर आ गये। यह प्राइवेट मेम्बर डे का सारा समय ऐसे ही जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह याद है एक बार आपने व्यवस्था दी थी कि जब कोई एक मुकदमा दर्ज हो गया और कोई भी एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो हमको उस पर यहां चर्चा नहीं करनी चाहिए ताकि जांच प्रभावित न हो, लेकिन नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां सूचना के अधिकार के तहत मामला उठा दिया और एक घण्टा उसके ऊपर हाउस में चर्चा कर ली। (व्यवधान) दोनों पक्षों की तरफ से ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लेकिन विधान सभा में ही यदि किसी सदस्य के खिलाफ कोई आरोप लगाया जाए तो उसका तो स्पष्टीकरण देने का अपना अधिकार है सदन में लगा है तो ..(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये तो उसी समय स्पष्टीकरण दे रहे थे। वे तो स्पष्टीकरण दे चुके।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): पहले एक घण्टा तो बढ़ाओ।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

स्पष्टीकरण

श्री संयम लोढ़ा सदस्य का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं कि हमने संवैधानिक प्रावधान के तहत आपके माध्यम से स्थगन प्रस्ताव के जरिये यह सवाल उठाया था कि संवैधानिक अनुच्छेदों की घोर अवहेलना करके राजस्थान सरकार, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ नहीं ली उनके लिए मंत्री का प्रयोग कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आपकी जानकारी में आदेशों की प्रति ला दी, हमने माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में भी ला दी,

(श्री संयम लोढ़ा)

हमने माननीय गृह मंत्रीजी की जानकारी में ला दी। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह जानना चाहता हूं सरकार ने उस संबंध में क्या फैसला किया?

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरा स्पष्टीकरण भी तो हो।

श्री अध्यक्ष: आपका स्पष्टीकरण इस बारे में बाद में देना।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आपका भी हो जाएगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन सरकारी मुख्य सचेतक का स्पष्टीकरण

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मेरा मतलब यह है कि उस समय हो-हुल्लड़ बहुत हुआ और यह बात सही है कि मैंने अपनी बात कही है लेकिन यह बात बार-बार आती है, मैं हमेशा के लिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कल्लाजी खूब टौंक में, निवाई में ..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड में यह बात कही? जो इधर से कही या उधर से कही आपने तो उस वक्त कह रहा था।

श्री अध्यक्ष: मैं थी नहीं।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): जो भी था, जो रिकार्ड में नहीं गई उसके ऊपर काहे का एक्सप्लेनेशन और काहे की सफाई।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिसकी चर्चा की गई है ..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर): कोई चीज रिकार्ड में गई हो तो आप दिलवा दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदि रिकार्ड में है तो इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे नाम कभी भी कोई डाक बंगला बुक हुआ हो और उसमें मैं वहां पर ठहरा हूं और उसमें कोई आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी काम हुआ हो उसके लिए मैं यदि कल्लाजी कहेंगे, मुझे बता दें तो मैं सदन छोड़कर चला जाऊंगा। (व्यवधान)

दूसरा, उन्होंने यह कहा है कि मैंने किसी एसपी या एडिशनल एसपी के किसी के भी वहां उसके घर गया। यदि मैं उसका घर जानता भी हूं, यदि मैं उसके घर गया हूं और मैंने जाकर कोई दबाव दिया हो और यदि वह सिद्ध कर दे और उससे कहलवा दे, आपके चेम्बर में आकर तो मैं सदन छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं तो कल्लाजी क्या करें, वह कल्लाजी के ऊपर निर्भर है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी मौजूदगी में ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि I will get it correct. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपने स्वयं ने आसन से यह व्यवस्था दी थी 2004 के जिस मूल आदेश में, जिसमें मंत्रियों को प्रभारी लगाया गया था और जिसका संशोधन किया गया है, आप स्वयं उसका अवलोकन कर लेंगी और उसके बाद में जो भी है राज्य सरकार को निर्देश प्रदान करेंगे। लेकिन उसके बाद में खुद माननीय मुख्य मंत्री ने आपकी मौजूदगी में इस बात को रियलाइज किया था कि यह ठीक नहीं हुआ है और I will get it correct. गृह मंत्रीजी ने सदन में यह आश्वस्त किया था अगर मंत्री लिखा गया है तो यह गलत हुआ है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिर खतम हुई ना बात।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष: जब गृह मंत्रीजी ने यह कह दिया कि प्रभारी मंत्री लिखा गया है तो ठीक नहीं लिखा गया, काम गलत है। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, इसको आगे करेक्ट कर दें तो पुनरावृत्ति नहीं हो इस बात की। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था और सरकार का काम, दोनों में अंतर है, यह काम सरकार का है। यदि सरकार संवैधानिक इतर काम कर रही है तो सरकार को करेक्ट करना है। या तो आप निर्देश दे दीजिए कि सरकार करेक्ट कर देगी तो हम बैठ जाते हैं। आप सरकार को निर्देश भी नहीं दें ..(व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा): उसमें प्रभारी लिखा हुआ था।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मान्यवर, पूरे कागज ओरिजनल दिये हैं जिसमें प्रभारी मंत्री लिखा हुआ है ..(व्यवधान) आपके आदेश की कापी है, प्रभारी मंत्री लिखा हुआ है। वो कागज मुख्य मंत्रीजी को और अध्यक्षजी को प्रेषित किया है। कोई भी बात हम करें वह गैर जिम्मेदारी की बात नहीं करें। हम स्वयं यह बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि चुनी हुई सरकार संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करे। यदि पालन नहीं होता है तो प्रश्न यह है प्रतिपक्ष में बैठे हैं, हमारा धर्म है, हमने आपके सामने पाइंट आउट किया, ओरिजनल कागज रखे उसके बाद सरकार को या तो निर्देश दें या

(डा. सी.पी. जोशी)

सरकार स्वयं खड़े होकर यह आश्वस्त करे कि इस तरह की गलती हुई, भविष्य में गलती नहीं होगी। कहीं न कहीं तो करेक्ट करना पड़ेगा, छह महीने सदन नहीं चलेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि या तो आप आज या कल मुख्य मंत्रीजी का टाइम फिक्स कर दें इस बारे में स्पष्टीकरण दे दें।

श्री अध्यक्ष: ठीक है। कल इस बारे में व्यवस्था दे दी जाएगी। मुख्य मंत्रीजी इस बारे में कह देंगी।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

नगरीय विकास राज्य मंत्री पर लगे आरोपों के स्पष्टीकरण की सत्यता

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ क्लेरिफिकेशन। जिस समय नगरीय विकास की मांग पर चर्चा हो रही थी तो चर्चा के दौरान मैंने यह बात कही थी कि माननीय मंत्रीजी बताएं कि विशाल बोहरा कौन है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सदन को गुमराह किया। विशाल उनके भाई का नाम भी है, उन्होंने बता दिया। उनके भाई का नाम भी विशाल है। उन्होंने बता दिया, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस विशाल के लिए मैंने चर्चा की थी वह आज भी बताया नहीं गया है। कृपया इसको स्पष्ट करें कि वह विशाल कौन था और आप चाहें तो मैं आपको मोबाइल नम्बर भी दे सकता हूं जो बार-बार काम आया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, किस प्रसंग में कैसे बात कर रहे हैं? मैं सवाल खड़ा कर दूं कि रामलाल कौन था, फिर कहूं श्यामलाल कौन था। क्या यह सदन इसके लिए है माननीय अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मेरा निवेदन यह है कि उस दिन जो चर्चा हुई थी उस चर्चा में यह बात आई थी ..(व्यवधान) विशाल अग्रवाल .. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट मेम्बर डे है, इनका समय है, कुछ डिसकस करें, कोई सारगर्भित बात आये, विशाल बोहरा कौन था और विशाल अग्रवाल कौन था, यह कोई बात है?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किसके नम्बर दे देंगे ये? (व्यवधान) आज इस हिन्दुस्तान में आप प्रधानमंत्री से लेकर किसके नम्बर किसको मालूम नहीं है?

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): विशाल बोहरा। विशाल अग्रवाल नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह बात गलत है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री जो कह रहे हैं उससे हम सहमत हैं पर सदन यह आश्वस्त होना चाहता है कि पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कोई बात कही, माननीय मंत्रीजी ने सदन में यह कहा है, सदन के रिकार्ड में है कि मेरा भाई अमेरिका में है, उसका नाम विशाल है, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि विशाल बोहरा जो है, यदि वह मंत्री का भाई है तो सदन को कहें कि वह मेरा भाई है, विशाल के नाम से विशाल बोहरा के संबंध में जो सदस्यों ने बातें कहीं, अध्यक्ष महोदय, इस सरकार का धर्म बन जाता है कि यह सरकार अपने आपको खुले रूप से सामने लाए कि सरकार के सामने जो बातें की जा रही हैं कि विशाल बोहरा माननीय जेडीसी, माननीय यूडीएच और माननीय मंत्रीजी, यह जो बातें की जा रही थीं, अध्यक्ष महोदय, तो सदन आश्वस्त होना चाहता है, हम आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, यह सरकार दूध की धुली हुई है, जैसे आप दूध के धुले हुए हो, वैसे ही यूडीएच मिनिस्टर धुले हुए हैं, हम कोई आरोप नहीं लगाना चाहते हैं तो सदन आश्वस्त होना चाहता है कि यह यूडीएच के नाम पर यदि विशाल बोहरा कोई काम कर रहा है, विशाल बोहरा के साथ यूडीएच के चेयरमैन मिलकर जमीन ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह गम्भीर मसला है, अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं यह सरकार अपने आपको कम से कम सरकार को यह जरूरी है कि अपनी क्रिडेंशियल एस्टेब्लिश करने के लिए यदि मंत्रीजी कह रहे हैं कि विशाल बोहरा उनका भाई नहीं है, हम मानने को तैयार हैं कि विशाल बोहरा इनका भाई नहीं है तो सदन आश्वस्त होना चाहता है कि जो माननीय पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन या उसके पास आतिश मार्केट की जमीन या 1500 बीघा जमीन का आपने किया है। इस संबंध में सरकार यदि स्पष्टीकरण नहीं देती है तो जो कंटेंशन है कि सरकार निश्चित तौर पर भागीदार है, सरकार इस बात का ऑन करे फिर आप कह रहे हो कि

(डा. सी.पी. जोशी)

आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप भी नहीं लगावें, स्पष्टीकरण भी नहीं चाहें तो अध्यक्ष महोदय, इस सदन की प्रापर्टी है, सदन के अन्दर मंत्रीजी ने यह कहा है कि मेरा भाई अमेरिका रहता है, उसके भाई पर किसने आरोप लगाये, अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान) चार साल से और सारे आदमी जानते हैं कि विशाल बोहरा उनका भाई नहीं है तो विशाल बोहरा उनका भाई नहीं है तो विशाल बोहरा कौन है, निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, यदि नाराज नहीं हों तो पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर, विशाल बोहरा निश्चित तौर पर मंत्री का भाई का रिश्तेदार है, मंत्रीजी को मालूम है कि विशाल बोहरा कौन है, खुद राठौड़ साहब को मालूम है विशाल बोहरा कौन है, खुद राजस्थान सरकार को मालूम है विशाल बोहरा कौन है, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सदन किसको डिस्कस करने के लिए बैठा है? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर मैं कहना चाहता हूं या तो प्रिविलेज मोशन हमें अलाउ करें, सदन के सामने गलत बात कहने का अधिकार मंत्री को नहीं है। बिलकुल अधिकार है, पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने बिलकुल कांक्रीट यह बात लगाई है, एक यूडीएच की बात हुई है, विशाल बोहरा और एक लाइन में कह दिया यह मेरा भाई है अमेरिका में, हम इतने गैर जिम्मेदाराना आदमी हैं, हमारे साथी हैं मंत्रीजी अथवा मंत्रीजी पर आरोप नहीं लगने चाहिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है, सदन में कई बातें उठायी हैं तो स्पष्टीकरण दें, यदि स्पष्टीकरण नहीं देकर केवल इस बात को करना चाहें कि दोनों नाम कॉमन हैं लेकिन सब नाम कॉमन नहीं हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए इसको फिर रिपीट करना चाहता हूं कि कल के दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी अथवा मंत्रीजी के सामने सदन को यह आश्वस्त करें कि यह विशाल बोहरा यह है, उनका भाई है या नहीं। नम्बर एक। यदि यह इनका रिश्तेदार है तो क्या यह है कि यह जो पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आतिश मार्केट हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड की जमीन हो या एनआरआई की जमीन हो, उस जमीन के संबंध में लेन-देन का मामला चल रहा है, उसमें कहीं पर विशाल बोहरा, यूडीएच सेक्रेटरी और जे.डी.ए. कहीं न कहीं आपस में लेन-देन है कि नहीं है ? या तो कमेटी बना दें या प्रूफ लाकर हम दे दें

(डा. सी.पी. जोशी)

आपको? आपको यह तो कहना पड़ेगा कि हर बात खड़े होकर आप कह दें कि आरोप भी मत लगाओ, यह मत लगाओ। अध्यक्ष महोदय, यह समझता हूं कि यह आपको भी गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार को भी मेरा आपसे सानुरोध है, मेरी इस मामले में आपसे रिक्वेस्ट है कि सदन नियम और कानून से चले, सदन में सरकार अपने आप को दूध की धुली हुई बताए तो सरकार को भी आगे आकर अपना स्पष्टीकरण करना चाहिए, केवल मात्र आप यह बात कह कर कि मेरा भाई अमेरिका में रहता है और सदन को गुमराह करें, अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी गम्भीर चीज कोई नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, आप माननीय मंत्रीजी को, आज नहीं हैं यहां पर, कोई तकलीफ नहीं, कल आकर बता दें यहां सदन के अन्दर कि विशाल बोहरा उनका भाई है, विशाल सिंघवी उनका भाई है या विशाल बोहरा और उनके बीच में क्या संबंध है, इसका स्पष्टीकरण दे दें, कोई तकलीफ नहीं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): या इसकी आप जांच करवा लें, अध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्रीजी स्पष्टीकरण नहीं भी देना चाहें तो आप जांच करवा लीजिए मुख्य मंत्रीजी से कह कर जांच करवा लीजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद और तकलीफ है कि आज का जैसा महत्वपूर्ण दिन और उसमें इस तरह की अप्रासंगिक बातें उठा कर चलते-चलते आज कोई भी किसी भी आदमी का रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है और बिना नोटिस दिये, आरोप पर आरोप लगाते चले जाएं। मैं समझता हूं, यह उचित नहीं है, अध्यक्ष महोदय, अब किस विशाल बोहरा को डिस्कस करने के लिए राजस्थान की विधान सभा बैठी है? विधान सभा का लगभग कल आखिरी दिन है, आज और भी कोई विषय आ सकते थे, एक काल्पनिक नाम को लेकर हो सकता है, दो नाम एक जैसे हों। (व्यवधान) एक मिनट।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह प्रापर्टी है हाउस की, जो कुछ कहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलने दें उनको। (व्यवधान) आप बोलने दें उनको। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): यह प्रोसीडिंग्स हैं, अध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब आपका सम्मान करता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बोलने दें उनको। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): और आपको यह अधिकार नहीं देता हूं मैं। (व्यवधान) मैं आपका सम्मान करता हूं लेकिन यह जो प्रोपर्टी हाउस में कहा गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उस चर्चा को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है, अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) यह रिकार्ड में है हर चीज पर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपने एक प्रश्न उठाया कि विशाल बोहरा और विशाल सिंघवी उनके भाई हैं, विशाल बोहरा के नाम से और यूडीएच के अन्दर किसी तरह की कोई कार्यवाही हो रही है या वह इन्वाल्व हैं, उस बारे में वह कुछ अपना कहना चाह रहे हैं और इस बात पर कल मुख्य मंत्रीजी से बात करके यूडीएच मिनिस्टर आ गये या तो आपने कल कोई बात कही है, वह जो आप बता रहे हैं, कृपया आप ही बता दें, यूडीएच मिनिस्टर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी तो बता देंगे पर अध्यक्ष महोदय, किसी भी नाम के साथ कोई भी बात जोड़कर बिना किसी प्रमाण के और मैं कहना प्रारम्भ कर दूं, आपने यह घोटाला किया है, आपने वह घोटाला किया है, हमें नियमों में नोटिस देते अगर इनके पास कोई है, तर्कों के साथ कोई कागज रखते यहां, मतलब काल्पनिक बातों के आधार पर आज, अध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है, आज राजनीतिक जीवन में जो व्यक्ति काम करता है, आज इसीलिए उनको संदेह की दृष्टि से लोग देखने लग गये, एक दूसरे पर आरोप लगा कर हमने एक दूसरे को नंगा करने का काम चालू कर दिया और सदन के अन्दर इस तरह की भूमिका निभाना हमने चालू कर दी। ताकि सब के सामने, पूरे समाज के सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाए। मैं समझता हूं कि विशाल नाम का कोई आदमी हो सकता है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विशाल बोहरा नाम का भी कोई आदमी हो सकता है, विशाल सिंघवी नाम का भी कोई आदमी हो सकता है। इसका अर्थ यह हो गया कि इनका कोई भी रिश्तेदार है उसके किसी के नाम को लेकर किसी को कह दें, एनआरआई कालोनी में यह हो गया, अगर इनके पास कोई प्रमाण हैं, एनआरआई कालोनी में किस वक्त क्या-क्या हुआ, आतिश मार्केट में किस वक्त क्या-क्या हुआ तो प्रमाण दें और आपको नोटिस की इसमें व्यवस्था कर रखी है, नोटिस दे दें, कल का समय है जवाब देंगे हरेक चीज का। बातों के इशारे में कोई बात कह दें तो हम भी कोई न कोई बात कह सकते हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं कोट करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा, सभापति महोदय, मैं इसको कोट करना चाहता हूं आपके नोटिस में ...(व्यवधान) अब आप सुन लीजिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ये कैसी बातें कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, नोटिस देकर आवें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आपको तथ्यों पर रहना पड़ेगा ...(व्यवधान) एक मिनट सुन लें, अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नोटिस देने की आवश्यकता तब होती है जब कोई बात हो। यहां तो प्रश्न यह है कि मंत्री ने सदन में कोई बात कही है और वह बात गलत कही है। सवाल इसका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो प्रिविलेज मूव करें न। नियमों में प्रिविलेज का है। प्रिविलेज मोशन मूव करें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यह पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा ...(व्यवधान) इसके पास 33 बीघा जमीन और खरीद ली, एक्वायर किसकी बोली चल रही थी 188 करोड़ रुपये उसमें लग चुके हैं, अब यह तो मंत्रीजी अपने जवाब में बता दें कि यह आरोप झूठा है। भगवान करे झूठा निकले, यह विशाल कौन है, यह चेयरमैन कौन है, यह लगाया था पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने। (व्यवधान) मेरी सुन लें एक मिनट, इसमें आपने जवाब दिया अध्यक्ष महोदय, कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें एक बार। आप सुन लें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी ने जवाब दिया कि यहां तक कि हमारे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन और मेरे ब्रदर जो चार साल से अमेरिका में हैं, विशाल के ऊपर भी आरोप लगाये। (व्यवधान) हमने आपके तो क्या किसी भी सदस्य ने आपके भाई पर आरोप नहीं लगाये हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): एक मिनट।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सदन यह जानने के लिए बिलकुल ...(व्यवधान) इस बारे में कि यह विशाल बोहरा है कौन आखिर में ? विशाल बोहरा यह नहीं है, अध्यक्ष महोदय, आप जांच करवा लें, अध्यक्ष महोदय, आप जांच करवा लें। (व्यवधान) या माफी मांगें। (व्यवधान) यह जोर से कह रहे हैं। (व्यवधान) यह किसी गलत बात पर बोल नहीं सकते। (व्यवधान) आज राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि विशाल बोहरा है कौन आखिर में। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): एक मिनट मेरी सुन लें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): विशाल बोहरा आदमी है, किसी का भाई है, किसी का साला है, यह जयपुर में रहता है या अमेरिका में रहता है, सदन जानना चाहता है, इसके लिए माफी मांगेंगे । (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): कल ही आप यह बात कह गये, मेरा भाई है तो हम नहीं चाहते कि मंत्रीजी के भाई के ऊपर आरोप लगें, हमने मंत्रीजी पर आरोप नहीं लगाये हैं। लेकिन मंत्रीजी, आपके भाई का नाम विशाल है इसलिए विशाल बोहरा की बेइमानी और उनकी हरकतों को रोक दें, यह भी सदन बरदाश्त नहीं करेगा। (व्यवधान) यह भी हम बरदाश्त नहीं करेंगे इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप मेहरबानी करके। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप मेहरबानी करें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सदन को आश्वस्त करें।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप किसी की सुनें नहीं।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं सुन रहा हूं आपकी बात।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप सुनें तो सही।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं पूरी सुनूंगा आपकी बात। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): मेरी बात सुन लें।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय सिंघवी साहब, मैं गैर-जिम्मेदाराना बात नहीं करता, मैं कभी गैर-जिम्मेदाराना बात नहीं करता, मैं आपका सम्मान करता हूं और जिसने की, राजस्थान की जनता यह बात जाने कि विशाल बोहरा प्रताप सिंह सिंघवी का भाई नहीं है, प्रताप सिंह का भाई विशाल सिंघवी है जो अमेरिका में रहता है, यह विशाल बोहरा प्रताप सिंह का रिश्तेदार है, दूर का रिश्तेदार है, किसका रिश्तेदार है, क्या है, मैं बोलना नहीं चाहता, पर यह विशाल बोहरा के टेलीफोन नम्बर आप पता लगा लें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एमएलएशिप छोड़ दूंगा। I will resign from MLAship but I will not allow it कि राजस्थान के अन्दर यूडीएच में इस तरह की धांधलियां चलती रहें और हम चुप बैठे रहें, मंत्री का भाई यह नहीं है, यह भी कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस तरह की बातें हो रही हैं, यह सरकार के लिए भी ठीक नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय ?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सरकार के लिए भी ठीक नहीं है, यह सरकार यदि इस तरह से घोटाले करती है अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) आज राजस्थान में जयपुर के अन्दर जमीनों का भाव इतना बढ़ गया है। (व्यवधान) सौ करोड़ और दो सौ करोड़ रुपये कमाना सरल बात हो गई है। सरकार की जानकारी के आधार पर यह जमीनें एक्वायर हो रही हैं, पहले खरीद लीजिए फिर डि-एक्वायर कर लो फिर उसको 90 बी में कार्यवाही करें, इससे भी बड़ा घोटाला हो रहा है, अध्यक्ष महोदय, इन घोटालों को रोकना जरूरी है। (व्यवधान) ये धांधलियां हो रही हैं, सरकार के दामन में जो काले दाग लगे

(डा. सी.पी. जोशी)

हुए हैं, वह धुल नहीं सकते। (व्यवधान) इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आज आपको सदन में बताना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस चीज पर चर्चा हो रही है, काहे पर बोल रहे हैं? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, अध्यक्ष महोदय, यह टेलीफोन, इसका मोबाइल नम्बर आज रिकार्ड होते हैं और यह तो मैं शो नहीं कर सकता, मैं आपको अधिकृत करता हूं, अध्यक्ष महोदय कि यू डी एच सैक्रेटरी, जे डी सी और विशाल बोहरा के टेलीफोन आप चैक कर लें यदि उसमें एक भी कॉल आपस में नहीं मिले तो रिजाइन कर दूंगा। I will resign from MLAship. मना कर दें मंत्री नहीं, मना कर दें, आप एग्री कर लें इस बात को कि विशाल बोहरा, जे डी सी और यू डी एच सैक्रेटरी के टेलीफोन नम्बर में आपस में बात नहीं हो, मैं रिजाइन कर दूंगा एल एम ए शिप से....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): एक मिनट, आप थोड़ा सा विराज जाओ। आप थोड़े गुस्से में हो, गुस्सा शांत कर लो।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं गुस्से में नहीं हूं, प्रताप सिंहजी गुस्से में नहीं हूं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। फिर कह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: आप उनकी बात भी सुनें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं गुस्से में नहीं हूं लेकिन कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं हो, यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। कोयले की दलाली में हाथ काले नहीं हो, यह आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। राजस्थान की जनता जानना चाहती है, यह करोड़ों, हजारों बीघा जमीन को एक्वायर करके डी-एक्वायर करके लोगों से खरीदने का जो धंधा चल रहा है वह किसान के साथ अन्याय है और यह ब्रोकर लोग पैसा कमा रहे हैं और जनता के साथ अन्याय हो रहा है, यह राजस्थान की जनता देख नहीं सकती। यह बात कहने की जरूरत है। हम आरोप नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन यह सरकार जब तीन साल से बनी है, इस सरकार ने कितनी जमीन को एक्वायर किया, कितनी जमीन को डी-एक्वायर किया, कितनी जमीन की फेसिलिटेट करके लोगों को 90 बी करवाई है, यह आज सबसे बड़ा प्रश्न आता है जनता के सामने इसलिए

(डा. सी.पी. जोशी)

इतना हम कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्रीजी बहुत दूध के धुले हुए हैं चांदनी के जैसा इनका सब है लेकिन राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि यह विशाल बोहरा के टेलीफोन इनसे जुड़े हुए हैं या नहीं हैं, नहीं हैं तो रिजाइन कर दें अध्यक्ष महोदय।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): अब आप सुनें।

श्री अध्यक्ष: हां, बोलिये मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, सी पी साहब मेरे बड़े भाई हैं, हम लोग इनसे काफी सीखते हैं। काफी वर्षों से मैं इनको जानता हूं, और काफी मैं इनसे प्रभावित हूं पर आज पता नहीं किस गुस्से में ये बात कर रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि हाउसिंग बोर्ड की न कोई जमीन हमने डी-एक्वायर की। पहली बात। दूसरी बात, अभी सी पी साहब ने पढ़कर बताया, उसमें विशाल और अजयपाल सिंहजी का नाम आया। विशाल, जब इन्होंने नाम लिया उस टाइम पर विशाल बोहरा और विशाल सिंघवी कहीं पर भी उन्होंने मेंशन नहीं किया, नहीं किया, आपने पढ़ा है अभी। मैंने आपको यही निवेदन किया कि विशाल और अजयपाल सिंह का कहीं दूर-दूर का लेना-देना नहीं है। विशाल मेरे छोटे ब्रदर का नाम है इसलिए मैंने कहा कि वह यहां नहीं रहता है, वह बाहर रहता है और अजयपाल सिंहजी का और विशाल का कहीं लेना-देना नहीं है और मेरा और अजयपाल सिंहजी का कहीं लेना-देना नहीं है। आप उनको कहीं सी आई डी, सी बी आई, रॉ और भी कोई संस्था है उससे जांच करा लो। अगर अजयपाल सिंहजी का, मेरा और मेरे परिवार का कहीं भी किसी मामले में व्यापार में या किसी भी मामले में किसी प्रकार की कोई बात हो तो जिस प्रकार से आपने कहा कि मैं सदन छोड़ दूंगा तो..... (व्यवधान) विशाल का नाम लिया...

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): विशाल बोहरा. Don’t confuse it. हाउस में रिकार्ड होना चाहिए। मैं विशाल बोहरा की रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सका तो सदन छोड़ दूंगा। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): आप बात तो सुनो। (व्यवधान) विशाल बोहरा....

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): विशाल बोहरा की यदि मैं एस्टेब्लिश नहीं कर सका माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन छोड़ दूंगा और पालिटिक्स में भाग नहीं लूंगा मैं। I will not take part in politics. मेरी कोई आदत नहीं है। (व्यवधान) मैं इतना सम्मान करता हूं अध्यक्ष महोदय और यह खाली अजयपाल सिंह और विशाल का नहीं.......

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): ऐसी ही बात कह दी इन्होंने।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मैं आरोप लगाना चाहता हूं, विशाल बोहरा, जे डी सी और यू डी एच इनके टेलीफोन नम्बर आप उठाकर देख लें, ई-मेल उठाकर देख लें, यदि इनमें नहीं हो अध्यक्ष महोदय 6 महीने में तो रिजाइन कर दूंगा एल एल ए शिप से. I will resign from my MLAship. अधिकार है आपको। (व्यवधान) वो ही विशाल बोहरा.....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहां गलत है। अगर मेरा कोई रिश्तेदार है वह जे डी सी और यू डी एच सैक्रेटरी का दोस्त या मिलने वाला नहीं हो सकता क्या या बात नहीं कर सकता क्या?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): वैरी गुड, मजा आ गया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): या माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ही कोई रिश्तेदार है तो बात नहीं कर सकता क्या? यह कोई बात है क्या? आपका कोई रिश्तेदार बात कर सकता है....

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, कितनी बार बात करे। कितनी बार बात करे, कितनी जमीन एक्वायर हो रही है, कौनसी डी-एक्वायर करी, कौन सी खरीदी?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): हाउसिंग बोर्ड की कोई जमीन डी-एक्वायर नहीं हुई है माननीय अध्यक्ष महोदय।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अच्छा मंत्रीजी, एक बात कर लेते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जमीन आपने एक्वायर की जमीन डी-एक्वायर हुई और 90 बी हुई उनमें बता दो, बात खतम हुई। I will not go ... मैं तो कहता हूं कि कौनसी जमीन एक्वायर में थी उसको डी-एक्वायर किया गया उन

(डा. सी.पी. जोशी)

जमीन में 90 बी की गई है उसमें यह नाम है या नहीं? यह बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जिस जमीन का ये जिक्र कर रहे हैं वो जमीन...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कौनसी जमीन?

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): जमीन बता रहे हैं। जमीन भी बतायें क्या? आतिश मार्केट, और जमीन बतायें हम? एन आर आई कॉलोनी। और जमीन बतायें तीसरी? तीसरी जमीन बता रहा हूं आपको... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): कोई जमीन वहां पर डी-एक्वायर नहीं की हाउसिंग बोर्ड ने। हाउसिंग बोर्ड ने किसी भी प्रकार की कोई जमीन डी-एक्वायर नहीं की।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): हाउसिंग बोर्ड ने तो प्रस्ताव भेजा है 1500 बीघा के अब....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): नहीं भेजे।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ..... ये जो तीनों चीजें, जो जमीन है 400 बीघा जमीन आतिश मार्केट और ये जमीन है ये एक्वायर से डी-एक्वायर करके व्यवस्था की गई है। अब......

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इस तरह आरोप-प्रत्यारोप तो कोई भी किसी पर लगा सकता है, कोई किसी पर लगा सकता है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ..... आरोप क्यों, आरोप नहीं राजेन्द्रजी, आप कहो और त्याग पत्र लिखो, मैं लिखता हूं, त्याग पत्र लिखो न, क्या तकलीफ है? I will resign from public life.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप विराजो। आप विराजो। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): क्यों विराजें? क्यों विराजें? ये तथ्य सदन के बीच में आने चाहिए, सत्यता सामने आनी चाहिए। हम कुछ बोलें तो

(डा. सी.पी. जोशी)

आरोप लगते हैं पर आरोप ही तो लगा सकते हैं, जांच भी नहीं करवा सकते फिर सदन में बैठकर के क्या करें? अध्यक्ष महोदय, कुछ तो फैसला करना पड़ेगा आपको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अमर जवान ज्योति के लिए भी इन्होंने कहा था कि टेंडर नहीं हुए। यह अमर जवान ज्योति की बात इन्होंने उठाई थी, टेबल पर आपके रख दिया। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप तो यह बता दो कि विशाल बोहरा कौन है? आपका क्या रिश्तेदार है? (व्यवधान) रिश्ते में क्या है? विशाल बोहरा का तो बता दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): विराजो तो सही। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। विशाल बोहरा से क्या मतलब है? सवाल यह है कि क्या आतिश मार्केट की जमीन डी-एक्वायर की गई, एक्वायर होने के बाद डी-एक्वायर की गई? (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): नहीं की साहब। कोई जमीन डी-एक्वायर नहीं की माननीय अध्यक्ष महोदय।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): आप तो मंत्रीजी, मानसरोवर, आतिश मार्केट की जमीन एक्वायर, डी-एक्वायर नहीं करवा रहे हैं? बोलो आप। एग्री करा रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक मिनट, एक सैकण्ड अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: 23 बीघा जमीन पहले एक्वायर हुई उसके बाद डी-एक्वायर हुई, यह बता दो आप। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): नहीं की, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यहां सारी बात घूमकर आ गई आतिश मार्केट की जमीन को एक्वायर करके डी-एक्वायर करके, डी-एक्वायर करने पर। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा कोई बात नहीं आई। (व्यवधान) उसी प्रसंग में यह विशाल बोहरा नाम आया। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, नहीं, तीन-तीन....Don't side-track. There are three instances. मानसरोवर की बात कही है, आतिश मार्केट की बात कही है और एन आर आई की बात कही है. There are three places.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ... अध्यक्ष महोदय, कल आप समय तय कर दें, कल आप समय तय कर दें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, तीन प्लेसेज हैं। मानसरोवर, आतिश मार्केट और एन आर आई कालोनी। तीनों की जांच करवा लें आप..... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप तीनों की जांच करवा लें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ... आपके चैम्बर में... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप दोनों बोलेंगे तो कुछ नहीं सुन पाऊंगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अब पूरा जितना डिस्कशन था उसका एक सूत्र निकला कि आतिश मार्केट में कोई जमीन एक्वायर हुई और फिर डी-एक्वायर हुई। अध्यक्ष महोदय, कल भी माननीय सदस्य ने आरोप लगाये। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): फिर कन्फ्यूज कर रहे हैं। हम तीन जगह, तीन बातें कही हैं। मानसरोवर की जमीन....

श्री अध्यक्ष: आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो मैं नहीं सुन पाऊंगी, मैं नहीं सुन पाऊंगी। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, एक बात सुन लें। तीन जमीन, आतिश मार्केट की जमीन, मानसरोवर की जमीन और एन आर आई कालोनी की जमीन, तीन जमीनों की जांच करवा लें, बात खतम हुई। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासीय): हां, करवा लेंगे।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, बिलकुल ठीक है, बिलकुल ठीक। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, कल आप समय तय कर दें आपके चैम्बर में। आतिश मार्केट की जमीन, इन्होंने कहा एक्वायर हुई,

(डा. सी.पी. जोशी)

डी-एक्वायर कराई। कोई भी नतीजा निकलेगा। जिस तरह अमर जवान ज्योति के अन्दर इन्होंने कहा कि टेंडर नहीं हुए, आपने यों कर दिया वह आपके सामने हैं। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं, अभी भी अनूप भरतिया को 8 लाख रुपये का पेमेंट हुआ। फिर सदन..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब वो बोल रहे हैं तो आप बोलने नहीं दे रहे हो। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): उसको 8 लाख रुपये का पेमेंट किया चाहे पेमेंट सरकार से कराते हो चाहे बाहर से पेमेंट कराते हैं। अनूप भरतिया को पेमेंट हुआ 8 लाख रुपये का और मना कर रहे हो कि नहीं हुआ। बातें कर रहे हैं अपने हिसाब से... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाना आसान है। अध्यक्ष महोदय, आरोप लगाना आसान है। ये चुनौती देते हैं तो हम भी चुनौती देते हैं... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मुझे क्या चुनौती दोगे आप? (व्यवधान) अनूप भरतिया को पैसे दिलवाये हैं, बातें कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अमर जवान ज्योति पर अनूप बरतिया... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): 50 लाख का पेमेंट.... (व्यवधान) बातें कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): समय तय कर दें आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय मंत्रीजी, शाह एण्ड एसोशिएट को, राजीव खन्ना को, अनूप भरतिया को, ये सारे वास्तुविद् टेंडर से लाये थे क्या? सारे टेंडर से लाये हो? लाये हो तो रखो कागज। अगर आपमें हिम्मत हो तो रखो कागज। नाम सहित आरोप लगा रहा हूं, नाम सहित आरोप लगा रहा हूं। (व्यवधान) नाम सहित आरोप लगा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ... आपने इस प्रकार

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बिना.... (व्यवधान) अब ये वास्तुविद् की बात ले आये। अगर आरोप लगाते हैं तो उस स्पेसिफिक आरोप पर रुकना चाहिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): नाम सहित आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान) साढ़े तीन पर्सेंट लिया, साढ़े तीन पर्सेंट। साढ़े आठ लाख अनूप भरतिया को दिया.... (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस इस काम के लिए है क्या? (व्यवधान) इस बात का कोई अंत होगा या नहीं होगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, जब मंत्रीजी ने बात कही है कि कल चैम्बर में आप आ जाएंगे और आप जिस बात को सिद्ध करना चाहेंगे कि एक्वायर होकर के डी-एक्वायर वापस की है, यदि ऐसा है तो कोई आगे बात होगी वरना वो....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): वरना आप इनको प्रताड़ित करेंगे कि दुबारा इस तरह के आरोप नहीं लगायें। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): माफी मांगेंगे, माफी मांगेंगे सदन में। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ठीक है।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): सारी फाइलें, अध्यक्ष महोदय, सारी फाइलें लेकर आना पड़ेगा जिस तारीख से और उसमें नहीं हो रिक्वायरमेंट, तो माफी मांग लेंगे आपसे, माफी मांग लेंगे कोई तकलीफ नहीं है। माफी मांग लेंगे। राजेन्द्रजी राठौड़ आधी-अधूरी बात मत किया करो। फिर रिपीट करना चाहता हूं, पूरी फाइल लेकर के आना, बताऊंगा आपको कि क्या हुआ, नहीं हुआ है। बातें कर रहे हैं खामख्वाह। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): इसका कोई अंत नहीं है? आप आगे कार्यवाही शुरू करो। यह कोई बात है क्या? हाउस इसके लिए है क्या? आप घंटे-दो घंटे इसमें ही खराब कर लो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ..... बहस करानी है या नहीं? (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): हाउस इस बात के लिए नहीं है। (व्यवधान) हाउस का आप एक घंटा यूज करें.... (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): ..... हाउस इसी के लिए है। (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): हाउस इस बात के लिए नहीं है कि आप एक बात को लेकर के घंटे-दो घंटे डिस्कशन करो। (व्यवधान) हम नहीं सुनेंगे, हमारा भी अधिकार है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना बंद कर दिया क्या? लड़ना बंद कर दिया? (व्यवधान)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। (व्यवधान) लेकिन सामने लाइये बात। यह कोई बात हुई है कि आप घंटे-दो घंटे इस हाउस को यूज लोगे क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जब बात हो गई है फिर भी। बात तो हो गई न। (व्यवधान) श्री खुशवीर सिंह जोजावर।

अशासकीय संकल्प

राज्य कर्मचारियों का ग्रामीण भत्ता देने बाबत

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे राजस्थान में लगभग 70 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अध्यक्ष महोदय, उसके साथ में जितनी भी सरकारी कार्यकारी एजेंसीज हैं चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लें और जितने भी सरकार के विभाग हैं वो सभी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज समस्या सबसे बड़ी हमारे सामने यह खड़ी हो रही है कि वहां पर निवास करने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख ले, शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं और पिछली सरकार में भी कई प्राइमरी विद्यालय माननीय पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने बंद किए थे, उसका एकमात्र कारण यही था, अध्यक्ष महोदय, वहां बच्चे तो पांच और अध्यापक दस तो आज यह समस्या हमारे पूरे राजस्थान में यह फैली हुई है और इसी वजह से आज हमारे यहां गाँवों में सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे किसी भी विभाग से संबंधित हो, वहां रहने के लिए उनको समस्या खड़ी होती है, वहां उनको रहने के लिए मकान उपलब्ध नहीं होते हैं, वहां उनको बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं है और ग्रामीण परिवेश में भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अपने परिवार को साथ नहीं रख सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

ग्रामीण क्षेत्र में चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 8 डॉक्टर की पोस्ट खाली है, 15 एम की पोस्ट खाली है, वहां समस्या आकर के यह खड़ी होती है कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई आना नहीं चाहता है। आज अध्यापकों की कमी सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में है, किसी भी विभाग में आप देख लें तो अध्यक्ष महोदय मेरा यह निवेदन है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो सरकारी कर्मचारी या कार्मिक जो भी रह रहे हैं उनको अतिरिक्त सुविधा दी जाए और जैसे शहरों में रहने वाले को शहरी भत्ता दिया जाता है उसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी ग्रामीण भत्ता अलग से दिया जाए ताकि वह भी सही तरीके से रह सके और अपनी सेवाएं बिलकुल सही तरीके से जनता के बीच रख सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा, अनुपस्थित। श्री भरत सिंह।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है और गांवों के अंदर वास्तव में यह समस्या है कि जो कर्मचारी नियुक्त है उनका प्रयास रहता है कि वो गांवों से शहरों की तरफ नजदीक अपना स्थानान्तरण करवा ले और किसी भी समय अगर उपस्थिति का चैक किया जाए तो सरकारी कर्मचारी चाहे शिक्षा विभाग के हो, चाहे अन्य विभाग के, 25 प्रतिशत कर्मचारी तो अपनी ड्यूटी पर ही नहीं होते और जहां तक गांवों का सवाल है अध्यक्ष महोदय, गांव की भी स्थिति अलग है क्योंकि कुछ गांव तो शहर के नजदीक हैं उनमें तो समस्या नहीं है मगर जो दूर-दराज के गांव हैं और आज राजस्थान के अंदर जहां 40 हजार गांव हैं उनमें से दस हजार गांव तो ऐसे हैं जिनमें सड़क नहीं है और आप मान के चलिए कि ऐसे गांव के अंदर जहां पर सड़कें नहीं है, बिजली का अभाव है, रास्ते नहीं है वहां निश्चित रूप से आप जिसकी भी नियुक्ति करते हैं उसका प्रयास यह रहता है कि वह वहां न रहे, उनको वहां उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि सरकार इस पर ध्यान दे और कम से कम उन गांवों को तो एक ज़िले के अंदर सारे गांव की तो मैं बात नहीं करता मगर उन गांवों का तो केटेगराइज करना चाहिए जिनमें वास्तव में पहुंचने में दिक्कत होती हो और वहां पर जो कर्मचारी जाए उनको अगर एक अलग उसका अलाउंस या एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस मिले, हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिले तो निश्चित रूप से आपकी सेवा में लाभ होगा और उसी प्रकार से जो वन सेवा के कर्मचारी है।

(श्री भरत सिंह)

जो जंगलों के अंदर काम करते हैं, उनकी परिस्थितियां तो बहुत ही कठिन हैं। उसके अंदर काम करते हैं और निश्चित रूप से सरकार का यह दायित्व बनता है कि उसकी ओर ध्यान दे और उनको अलग मोनेटरी अलाउंस अगर वो देंगे तो निश्चित रूप से उनकी सेवाओं का लाभ उस क्षेत्र जहां उनकी नियुक्ति है वहां उनको मिलेगा, आपने अवसर प्रदान किया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, श्री रामनारायण मीणा, अनुपस्थित। श्री महिपाल सिंह यादव।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार-रत कर्मचारी है वो सबसे अधिक शोषित रहे हैं, भारत में दो तरह की दुनिया है एक इण्डिया है, एक रीयल इण्डिया है और रीयल इण्डिया जो है वह गांवों में है....

श्री अध्यक्ष: दो तरह के हैं, एक भारत है और एक इण्डिया।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी कर्मचारी हैं उनको हमेशा शोषित किया गया है। शहरों में 20-20 साल से जो नियुक्तियां हो गई, वह एक जगह बैठे हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत-से कर्मचारी ऐसे हैं कि जो 20-20 साल से ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं। उनको कभी शहरों में आने का मौका नहीं मिलता है और उनके जो आर्थिक लाभ हैं, भत्ते है वह शहरी क्षेत्रों से बहुत कम हैं। यहां तक कि अभी शिक्षा विभाग का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गांव से शहरों में उनको ड्यूटी पर लगाया गया उनको यात्रा भत्ता तक भी नहीं दिया जाता है। मैं यह तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बात कर रहा हूं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का, किसी भी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी कार्यरत कर्मचारी है उनका जो शोषण है, वह बंद होना चाहिए और शहरी क्षेत्रों के हिसाब से उनको भी अलाउंसेज मिलने चाहिए तो इस संकल्प के लिए मैं अपनी बात को यही विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेला, अनुपस्थित। श्री प्रहलाद गुंजल, अनुपस्थित। श्री विरेन्द्र मीणा मंत्री जवाब देंगे न इसका।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): हमने विचार रखे ही नहीं इस पर तो।

श्री अध्यक्ष: आपने रख दिए हैं न,

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नहीं हमने नहीं रखे हैं..

श्री अध्यक्ष: नहीं खुशवीर सिंह वाले का, ग्रामीण भत्ता दिए जाने वाले का पूछेंगे।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): हमने विचार रखे ही नहीं जो मैंने संकल्प प्रस्तुत किया।

श्री अध्यक्ष: आपका तो दूसरे में है, आगे वाले में हैं, इसमें है नहीं आपका नाम, दूसरे में है, आगे वाले में है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नहीं, इसमें भी है, मेरा ग्रामीण संकल्प वाले में भी है।

श्री अध्यक्ष: इसमें नहीं है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आप देखिए यही मेरा प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष: नहीं आपका नाम नहीं है इसमें, आपका नाम नहीं है, अच्छा तो यह है।

(समय 18.26 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: पहले आपने कह दिया न, आपने विचार व्यक्त कर दिए थे पिछली बार, अब मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं न।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नहीं, मंत्रीजी जवाब कैसे देंगे जब मंत्रीजी हमारी बात समझेंगे नहीं जवाब कैसे देंगे मंत्रीजी, हमने जो संकल्प रखा है किसी बात को लेकर वह बात तो बोलूं।

श्री उपाध्यक्ष: सुन लिया सब, आपने जो कहा है वह सब सुन लिया है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नहीं, नहीं बात हुई ही नहीं है वो, मैं दो मिनट में अपनी बात रखता हूं फिर मंत्रीजी जवाब दे देंगे इस बात का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले राज्य कर्मचारी बहुत लम्बे समय से इस बात से त्रस्त है, उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूं आप देखिए कि हाउस एंड अलाउंस बेसिक वेतन + 50 प्रतिशत के हिसाब से यह शहर में मिलता है 15 प्रतिशत और गांव में

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

मिलता है 5 प्रतिशत और क़स्बे में मिलता है 7 प्रतिशत, इसी प्रकार सिटी कम्पनसेटरी अलाउंस यह मिलता है शहर में 120 रुपए यह मिलता है शहर के हिसाब से, जब शहर के अंदर आप लोगों को यह राहत दे रहे हो तो जो व्यक्ति गाँवों में काम कर रहे हैं जो व्यक्ति डिफिकल्ट सर्विस दे रहे हैं उनको ग्रामीण भत्ता क्यों नहीं दिया जाए? जैसे आपका सिटी कम्पनसेटरी अलाउंस है वैसे ही आप विलेज कम्पनसेटरी अलाउंस दीजिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और स्वास्थ्य मंत्रीजी को अभी इन्होंने अपने इस बजट के अंदर घोषणा की थी। इन्होंने यह किया है कि जो डाक्टर्स और नर्सेज गांवों में जाएंगी, उनको दुर्गम स्थानों पर 2500 रुपए तो मिलेगा एएनएम को अतिरिक्त, इसी प्रकार चिकित्सकों को जो गांव में जाएंगे उनको मिलेगा 8 हजार रूपए एक्स्ट्रा, यह बहुत अच्छी बात है और ऐसी शुरूआत आपको हर फील्ड में करनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि गांव के अंदर न डाक्टर मिलता है, न टीचर मिलता है, न एएनएम मिलती है, न पटवारी मिलता है, गांव के बच्चे, गांव के आदमी ने क्या अपराध किया है? आज हम विधान सभा में 200 मेम्बर हैं इसमें से 70 प्रतिशत मेम्बर ग्रामीण कांस्टीट्एन्सी से आते हैं और गांव के अन्दर हम शिक्षा न दे सकें, हम स्वास्थ्य न दे सकें, हम पटवारी उपलब्ध न करवा सकें। हम वहां मकान नहीं बना सकें उनके रहने के लिए और इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने एक घोषणा और की थी कि आप दीनदयाल उपाध्याय आदर्श ग्राम बनायेंगे। मेरा ऐसा प्रस्ताव है कि आप कलस्टर विलेज डवलप कीजिये पांच-सात गांव मिला कर के एक ऐसा गांव डवलप कीजिये जहां अच्छा हास्पिटल हो, जहां अच्छी स्कूल हो, जहां सिनेमाघर हो, जहां लाइट हो, जहां बिजली हो, जहां रोड नेटवर्क हो ताकि वहां पर आपका राज्य कर्मचारी टिक सके। आप यह देखिये महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था कि देश की आजादी जब तक गांव-ढाणी में नहीं पहुंचेगी वो देश आजाद होना बेमानी है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से और सदन से मेरा निवेदन है कि पूरा सदन एकमत होकर के सरकार से निवेदन करे कि हम गांव में काम करने वाले राज्य कर्मचारियों को रूरल कंपसेंटरी अलाउंस दें ताकि वो गांव में रह कर अच्छी शिक्षा पढ़ा सके, स्वास्थ्य की सेवा कर सके, पटवारी का काम कर सके, बिजली वाले वहां काम कर सके, नल वाले वहां काम कर सके। आज स्थिति यह है कि वहां स्कूल देंगे तो वो खाली। स्कूल वहां चलता

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

है तो बस के हिसाब से, बस आती है ग्यारह बजे तो मास्टर आएंगे ग्यारह बजे। बस जाती है तीन बजे तो मास्टर जाएंगे तीन बजे। यही हाल हास्पिटल्स का है और यही हाल दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसेज का है तो क्या वजह है कि हम आजादी के इतने लंबे समय के बाद भी गांव को आधारभूत सुविधाएं नहीं दे सके। क्या इसी दिन के लिए हमारे देश के स्वाधीनता सेनानियों ने देश को आजाद कराया था? क्या आज किसान का बेटा पढ़ना नहीं चाहता, क्या किसान का बेटा इलाज नहीं चाहता या किसान का बेटा सुविधाएं नहीं चाहता? वो सब सुविधा उसको मिलनी चाहिए जिसके बूते हम राज कर रहे हैं। हम किसान की बात करते हैं, गांवों की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं और हम ग्रामीण क्षेत्र में ये सब सुविधाएं यदि हम राज्य कर्मचारियों को नहीं दे सकें, तो राज्य कर्मचारी क्यों गांव में रहेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मचारी का पूरा समय इस बात में बीतता है कि वो एमएलए को राज़ी करे, एमपी को राज़ी करे और शहर में बैठा रहे। आज भी स्थिति ऐसी है जो शहर में स्कूल हैं, उन स्कूलों में विद्यार्थी तो हैं सत्तर और स्टाफ है बाइस-तेइस का और गांव में क्या स्थिति है कि विद्यार्थी हैं तीन सौ और स्टाफ है दो आदमियों का क्योंकि कोई भी टीचर गांव में जाना नहीं चाहता। उसको हाउस रेंट का फायदा है उसको सिटी अलाउंस का फायदा है उसको दूसरे सब फायदे हैं तो जब तक आप इस बात को विचार करके ...(व्यवधान) अभी हम सब कह रहे थे।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं ये प्रतिपक्ष की ज्यादातर सरकार रही है इस प्रदेश में ...(व्यवधान) और तभी तो वास्तव में आज गांव खाली है टीचर नहीं है, सब कुछ नहीं है परन्तु इसका दोष आपको भी है प्रतिपक्ष को भी है बहुत समय सरकार रही है आपकी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): दोष हमारा है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज गांव में कोई सुविधा नहीं है राज्य कर्मचारी को जरूरी है परन्तु इसके आप ज्यादा दोषी हो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नहीं, तो आप अब भी नहीं चाहते हो क्या?

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): हम तो चाहते हैं।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): चाहते हैं न, तो मैं चाहता हूं कि हम सब इस बात को सब मिलकरके एक स्वर से प्रस्ताव पास करें और मंत्रीजी से निवेदन करें, सरकार से निवेदन करें कि गांव में काम करने वाले राज्य कर्मचारियों को एक्स्ट्रा ग्रामीण भत्ता दिया जाए, वहां गांव में उनके रहने के लिए हाउसिंग की व्यवस्था व कल्स्टर विलेज डवलप करके उस विलेज के अन्दर दूसरी व्यवस्था की जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आ गयी बात आपकी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): केन्द्र के जो करोड़ों रुपये आ रहे हैं वो इसलिए नहीं लगते कि वहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट है नहीं, तो उन योजनाओं की न जानकारी होती है किसान को और न उपलब्धि होती है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं सदन बहुत सहानुभूतिपूर्वक गांव के व्यक्ति का, उस ढाणी में बैठे बूढे किसान का चेहरा मंत्रीजी, अपने सामने रख कर फिर फैसला करना कि उस किसान को भी टीचर चाहिए, उसको भी एएनएम चाहिए, उसे भी डाक्टर चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: राज्य मंत्री उत्तर देंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन में यह संकल्प लाया गया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत राज्य कर्मचारियों को ग्रामीण भत्ता देने का कोई प्रावधान, की बात कर रहे हैं। इस प्रकार का कोई भी प्रावधान सरकार ने न तो किया है और न सरकार करने की मंशा रखती है क्योंकि कर्मचारियों को शहर के कर्मचारी और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारी को हाउस रेंट की आप बात कर रहे हैं तो हाउस रेंट शहर में भी मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में भी मिलता है ...।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): वहां पांच प्रतिशत मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष: वो ठीक है पांच प्रतिशत है। वो जवाब दे रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): मैं यही तो कह रहा हूं आप सुन लें न।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): जब स्वास्थ्य मंत्रीजी ने व्यवस्था कर दी मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं कि गांव में एएनएम को ज्यादा मिलेंगे, डाक्टर को ज्यादा मिलेंगे तो आप भी थोड़ा उदार बनें ताकि गांव के आदमी को सेवाएं मिल सकें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप स्वास्थ्य विभाग से प्रेरणा लें, जैसी घोषणा स्वास्थ्य मंत्रीजी ने माननीय मुख्य मंत्रीजी से करवायी हैं उसका अनुसरण वित्त मंत्रीजी आप भी करें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): यदि अभी मिलता होता और प्रावधान होता तो संकल्प नहीं लाते हम संकल्प इसलिए लाये हैं कि प्रावधान नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बीच में नहीं ।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण): हाउस रेंट के बारे में मैं कह रहा था कि हाउस रेंट जो ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है और शहरी क्षेत्रों में मिलता है उसमें प्रतिशत में कुछ फर्क है तो जिस प्रकार की गांवों के अन्दर व्यवस्था है और शहर में महंगाई रहती है तो हम सरकारी कर्मचारियों को सबको एक प्रतिशत के हिसाब से देते हैं। ये केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार है और हमारी सरकार आने के बाद कर्मचारियों के लिए हमने काफी कुछ किया है इसको आज कर्मचारी भी एप्रिशियेट कर रहे हैं और आप कहीं भी जाएं कर्मचारी इस बात को एप्रिशियेट करते हैं और जो ग्रामीण भत्ते वाली बात है इसके लिए कोई अतिरिक्त भत्ते का विचार सरकार नहीं रखती क्योंकि इस हेतु बजट में प्रावधान करना है चूंकि सदन में अभी बजट पारित किया गया है सरकार ग्रामीण सेवा हेतु कार्यरत कर्मचारियों को निवास हेतु सुविधाएं उपलब्ध करा रही है।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ग्रामीण क्षेत्रों में उनके ठहराव के लिए कुछ ?

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि जो संकल्प डा. गोपाल बाहेती, श्री खुशवीर सिंह जोजावर, श्री हरिमोहन शर्मा, श्री भरत सिंह, श्री रामनारायण मीणा, श्री महीपाल यादव, श्रीमती अनिता भदेल, श्री प्रहलाद गुंजल, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत किया गया उसे स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकार किया गया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों की विरोधी है और यही बात हम साबित करना चाहते थे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिमोहन शर्मा। शर्माजी, दूसरे पर बोलिये अब आप। 'स्वास्थ्य की दृष्टि से'

राज्य में तंबाकू गुटका की सार्वजनिक बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, स्वास्थ्य की दृष्टि से तंबाकू और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो यह संकल्प प्रस्तुत किया है इस संकल्प की मूल भावनाओं से इस विधान सभा के सभी सदस्य सभी प्रकार से सहमत हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का चलन और जिस प्रकार की नशे की प्रवृत्ति चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो स्मैक हो चाहे वो शराब हो और चाहे इससे संबंधित और भी नशे की जो प्रवृत्ति वाले जो साधन और जो वस्तुएं हैं, उनसे इस देश के अधिकांश लोगों को समय से पूर्व ही अपनी जान गंवानी पड़ती है और अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर अपना जीवन घसीट-घसीट करके उनको गुजारना पड़ता है और इस कारण मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमको सामूहिक रूप से इस गम्भीर समस्या की ओर सरकार का और हम सबको सामूहिक रूप से बिना राजनीतिक भेदभाव के, बिना राजनीतिक सोच के राष्ट्रीय और राजस्थान के हित में इस संकल्प को अपने को पास करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय, कि आज की तारीख में जितने भी जो कानून बने हैं जो विज्ञापनों पर प्रतिबंध के कानून बने हैं, इनमें सज़ा के जो प्रावधान हैं वो पूर्णतया बेअसर साबित हो चुके हैं। हमने कानून बनाया कि सार्वजनिक स्थान पर कोई बीड़ी नहीं पीयेगा, सार्वजनिक स्थान पर कोई सिगरेट नहीं पीयेगा लेकिन कानून बनाने के बाद भी राजस्थान का कोई भी ऐसा सरकारी कार्यालय, ऐसा सार्वजनिक स्थान जहां बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू पीना अपराध हो वहां पर किसी के खिलाफ भी अगर कोई नगण्य किसी एकाध आदमी के खिलाफ कार्यवाही हुई हो, तो हुई हो। हम सब मूकदर्शक बन कर हमारे द्वारा पारित किये कानून का उल्लंघन हमारी स्वयं की आंखों से देख रहे हैं और उसके बाद भी कोई भी सरकार या कोई भी एजेंसी जो जिम्मेदार है उस कानून का पालन करवाने के लिए आज तक इस प्रकार का कोई कानून बनने के बावजूद भी किसी के खिलाफ भी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून बनाना और उसको अमल नहीं करवाना यह हम सबकी जिम्मेदारी है। सरकार की भी जिम्मेदारी है और जो एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार है, उसकी भी जिम्मेदारी है लेकिन अफसोस के

(श्री हरिमोहन शर्मा)

साथ हम सब मूक दर्शक बन कर उस कानून का घोर उल्लंघन होते हुए देख रहे हैं और एक आदमी के खिलाफ भी ऐसी कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की। इससे तो उस कानून को विदड्रा कर लेना ठीक है । कानून हमने बनाया और उसकी अनुपालना हम नहीं करा सके इससे ज्यादा शर्म की बात कोई दूसरी नहीं हो सकती । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे ऐसे विज्ञापन जो सार्वजनिक रूप से चाहे वह सिगरेट के हों और चाहे अन्य मादक पदार्थों के संबंध में हो, चाहे वह शराब से संबंधित हो, ऐसे-ऐसे विज्ञापन हमारी नजरों के सामने प्रदर्शित किये जाते हैं और दिखाते हैं जिनको देखने के बाद उसका आम आदमी के मानस पर गहरा असर पडेगा लेकिन हम सब मिलकर भी और सरकार ऐसे विज्ञापनों पर कारगर प्रतिबंध नहीं लगा सके इस कारण से इन विज्ञापनों के माध्यम से आज के इस वर्तमान युग में कई लोग प्रभावित होते हैं और इस दुर्व्यसन की ओर अग्रसर होते हैं।

मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं अभी कुछ समय पहले रेड एण्ड व्हाइट सिगरेट की जो कंपनी थी उसने प्रचार-प्रसार कर के कुछ लोगों का बहादुरी के लिये चयन कर के उनको प्रमाण पत्र दिये थे, उनको राशि दी थी । मैं निवेदन करना चाहूंगा चाहे इस पक्ष के हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो जहां कहीं भी ऐसी सिगरेट की कंपनी के द्वारा कोई आयोजन किया जाता है तो उनके पुरस्कार देने के लिये किसी भी जनप्रतिनिधि को वहां पर उपस्थित नहीं रहना चाहिये और उन पुरस्कारों में भागीदारी नहीं निभानी चाहिये, नहीं तो कथनी और करनी में अंतर हो जायेगा। आप को ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिये जिन पर, इंज्युरियस टू हैल्थ पर लिखा हुआ होता है, माननीय मुख्य मंत्री जी ऐसी रेड एण्ड व्हाइट कंपनी के एक प्रोग्राम में शरीक हुई और उसका जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया । मेरा विनम्र अनुरोध है कि उनको जाना ही नहीं चाहिये था। भविष्य के लिये सरकार के किसी भी मंत्री को चाहे वह मुख्य मंत्री स्तर के, हो चाहे वह विधायक हो, चाहे वह पार्लियामेंट के मेम्बर हो जिस चीज को हम गलत मानते हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिये हमको इधर-उधर नहीं जाना चाहिये ।

मैं कुछ आंकडों की बात आपसे करना चाहूंगा जो तम्बाकू के क्षणिक आनंद की सच्चाई के साथ इंडियन अस्थमा केयर सोसायटी ने जो आंकड़े दिये वह आंकड़े बहुत चौकाने वाले हैं और आंकड़े ऐसे हैं कि जो तथ्य उन्होंने दिये

(श्री हरिमोहन शर्मा)

उसमें यह कहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जितने व्यक्ति मारे गये तम्बाकू जनित रोगों से उतने लोग सिर्फ डेढ़ साल में हिन्दुस्तान में मर जाते हैं । यह उनके आंकडे हैं। इसी प्रकार सेवन करने वाले हर चार में से एक की मृत्यु तम्बाकू के शुरू के 20 वर्षों में हो जाती है । एक सिगरेट पीने से अपने जीवन के पाँच मिनट कम कर देती है । रोज सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले व्यक्तियों से 20 गुना ज्यादा लोग तम्बाकू से हुई बीमारियों से मरते हैं । गले के कैंसर के हर 10 रोगियों में से 9 रोगी वह होते हैं जो जर्दा और धूम्रपान का सेवन करते हैं । हर 10 दमा के रोगियों में से 9 व्यक्ति वह होते हैं जो धूम्रपान करते हैं और 10 हृदय रोग से पीड़ित रोगियों में से 4 वह होते हैं जो तम्बाकू का सेवन करते हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं खुद इस कारनामे की वजह से आज से 20 साल पहले सिगरेट पीने के कारण मुझे यह कारण बताया गया कि मेरे जो एनजाइना हुआ उसका यहां के और अमरीका के डाक्टरों ने कारण यही बताया कि आप सिगरेट पीते हो इसके कारण यह एनजाइमा है । तब से तुरन्त मैंने उसको छोडा । लेकिन मैं भुगतभोगी हूं इसलिए सदन को भी आगाह करना चाहता हूं और सब लोगों को भी आगाह करना चाहते हैं । अगर मैं विधायक नहीं होता और सरकार मेरा इलाज नहीं कराती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा बचना बहुत कठिन था । मेरा सरकार द्वारा इलाज करवाया गया, मेरी बाई पास सर्जरी कराई गई जो पहले यहां नहीं होती थी और अमरीका में होती थी मुझे वहां भेजा गया । अगर मैं विधायक नहीं होता तो सिगरेट पीने के कारण इस देश में, इस प्रांत में मुझे बेमौत मरना पड़ता। इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इन सब बातों को केवल सुनने तक ही नहीं ले । माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी जिस बात पर चर्चा हो रही है जवाब देना तभी कारगर साबित होगा अगर कोई दुर्व्यसन अपन में इस प्रकार का है तो पहले अपन उसको छोडें। अपन अगर उसको नहीं छोडेंगे और आप केवल भाषण...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीडौरा): सदन के पूरे माननीय सदस्यों को संकल्प लेना चाहिये गुटखा, तम्बाकू, शराब छोड़ने का तभी तो संकल्प सार्थक होगा । आज पूरे सदन को इस बात का संकल्प लेना चाहिये तभी तो जनता में मैसेज जायेगा वरना हम घूंट पीते रहे, हम खाते रहे और थूंकते रहे कोई मतलब नहीं रहता । हमारे संकल्प का जनता में फिर कोई मैसेज जाने वाला नहीं है । हम जो संकल्प पारित करें उसका यह मैसेज जनता में जाना चाहिये कि हमारे जो अगवा है वह बिलकुल साफ सुथरे हैं, तभी सार्थकता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, इस बात की गंभीरता मैं आपको ऐसे-ऐसे उदाहरण बताऊं कि स्मैक के मामले आज बढ़े हैं, मुख्य मंत्रीजी जहां से जीत कर आती हैं सर्वाधिक मामले स्मैक के, अफीम के वह या तो चित्तौड़ जिले में है या झालावाड जिला प्रतिनिधित्व करता है । सबसे ज्यादा कैसेज जो है वह चाहे आप नारकोटिक्स के उठा कर देख लीजिए, आप थाने के रिकार्ड उठाकर देख लीजिए जितनी भी स्मगलिंग अफीम की और इन प्रकार की चीजों की इन दो जिलों में होती है....

श्री उपाध्यक्ष: जहां ज्यादा पकड़े जाते हैं वहां सजाएं भी ज्यादा होती है । पकड़े भी जा रहे हैं, सजाएं भी हो रही है कोई उनको माफ थोडे ही किया जा रहा है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं यह थोडे ही कह रहा हूं कि उनको छोड़ दिया जा रहा है और बहुत सुरक्षित हैं । मैं तो यह उदाहरण दे रहा हूं कि जहां से उद्योग मंत्रीजी आते हैं वह जिला और माननीय मुख्य मंत्रीजी जहां से आती है वह जिला सर्वाधिक नशीली वस्तुओं के व्यापार में ग्रसित है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह इनको छोड रहे हैं, यह सबको ही पकड रहे हैं, गृह मंत्री जी किसी को नहीं छोड रहे हैं । लेकिन वास्तविकता यह है कि जिला जिलों का प्रतिनिधित्व ऐसे विशाल व्यक्तित्व के धनी करें जो राजस्थान का शासन चलाएं उनके जिलों में इस प्रकार की बढ़ोतरी होना दूसरे जिलों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है तो प्रेरणा का स्रोत वह न बने । हम उनको आदर्श रूप में देखना चाहते हैं स्मग्लिंग के मामले में प्रेरणा का स्रोत किसी भी जनप्रतिनिधि के जिले का होना कोई शोभा जनक नहीं है । इसके साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आप इन छोटी छोटी गलियों में जाइए, बूंदी जिले की छोटी गलियों में चले जाइए जहां गरीब लोग रहते हैं । स्मैक की ऐसी खराब आदत हो गई कि वह छोटी सी पुड़िया कबाडते हैं और उसके कबाडने के बाद ऐसे आदी हो जाते हैं कि उनको चोरियां करने की आदत पड जाती है । घर घर जाकर जो छोटी छोटी चीजे हैं, लोहे का कोई टुकडा पडा है, गाडी का कोई छोटा सा सामान पडा है, कोई ताले का टुकडा बाहर पडा है, लोहा जो आजकल 20-25 रुपये किलो में बिक जाता है, चोरियां करने की सर्वाधिक प्रवृत्ति उन गरीब लोगों में है जो स्मैक के शौकीन हो गये और इस दुष्प्रवृत्ति के कारण रोज की उनकी आदत ऐसी हो गई कि कहीं से भी पैसा लाओ, चोरी कर के लाओ, डकैती कर के लाओ किसी प्रकार से भी लाओ लेकिन उनकी हालत इस प्रकार की प्रवृत्ति में जो हो गई है । दुर्व्यसन के मामले में हमको गंभीरता से

(श्री हरिमोहन शर्मा)

चर्चा करनी चाहिये । मैं अधिक लंबी बात न कह कर यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमको मन, वचन, कर्म से इस संकल्प को पारित करना चाहिये। इन दुर्व्यसनों के कारण जिस देश की युवा पीढ़ी समाप्त हो रही है, वह जवानी में बूढे हो रहे हैं, जवानी में काल से ग्रसित हो रहे हैं, उनका बचपन बिगड़ता जा रहा है और अनेक बीमारियां होती जा रही हैं। आज कितने ही आप अस्पताल बना दो । आप महावीर कैंसर में चले जाइए, कैसी भीड़ है। आप एसएमएस में चले जाइए, आप कोटा में चले जाइए देश में किसी भी कोने में कहीं भी चले जाइए । इस प्रकार से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस संकल्प को हमको सर्वसम्मति से पारित कर सरकार को इसके लिये और कारगर कदम उठाने चाहिये, धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद । डा. सीपी जोशी (अनुपस्थित) श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित)

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): उपाध्यक्ष महोदय, सदन को हमारे आचार्य तुलसीजी के बताये गये मार्ग अणुव्रत की पालना करनी चाहिये, यह संकल्प लें ।

श्री भरत सिंह (दीगोद): उपाध्यक्ष महोदय, एक महत्वपूर्ण संकल्प सदन के समक्ष रखा गया है । हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने इस पर काफी विस्तार से उल्लेख किया है । मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जो गुटखे की प्रवृत्ति चली है उससे हमारी युवा पीढ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुई है और एक गांव नहीं बचा और गांव क्या एक छोटी चाय की दुकान ऐसी नहीं बची जहां गुटखे की मालाएं न लटकी हुई हो । इस गुटखे में वह क्या मिलाते हैं, क्या बनाते हैं जो एक बार इसका शौक कर लेता है वह निश्चित रूप से उसका दुबारा सेवन करता है और वह उसमें उलझ जाता है और उसको छोड़ नहीं पाता है ।

जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि मैं खुद सिगरेट पीता था, मेरे स्वास्थ्य पर उसका दुष्प्रभाव हुआ। मैं जानता हूं मेरे एक निजी मित्र थे, उन्होंने गुटखे का प्रचलन शुरू किया, फिर पुड़ियों से उनका काम नहीं चला तो जेब में एक बड़ा डिब्बा साथ रखते थे क्योंकि उनकी इच्छा गुटखा खाने की इतनी अधिक थी और 35 साल की उम्र में उनको कैंसर हो गया और इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई, तो गुटखे की जो प्रवृति है वह अत्यन्त

(श्री भरत सिंह)

दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको सरकार को संकल्पों के सामने जो आपके प्राइवेट मैम्बर के रूप के बिल में आते हैं इससे यह कि इसे ध्वनि मत से गिराना है यह सोच भी गलत है। यह नकारात्मक सोच है। इस प्रकार की जो अच्छी सोच आपके सामने आए, सरकार को उस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये और इसके ऊपर कड़े निर्णय लेकर इस पर रोक लगानी चाहिये, नहीं तो इससे समाज का बहुत नुकसान होगा।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपका ध्यान इस बात पर भी दिलाना चाहूंगा कि अभी मैं गुजरात गया था, खाने के भोज के बाद उन्होंने कुछ पुड़िया लाकर सामने रखी, मैंने उनसे कहा कि गुटखे का सेवन मैं नहीं करता,मुझे नहीं चाहिये, तो उन्होंने कहा कि यह गुटखा नहीं है, तो मैंने कहा कि इसमें क्या है, उन्होंने बताया कि इसमें सौंफ है, इसके अंदर दाल है। मैंने उस पुड़िया को खोला और उसको खाई। बहुत कम लागत के अंदर पचास पैसे, एक रुपये की पुड़िया थी, उसमें मैंने देखा कि धनिया है, धनिया की दाल थी। मैंने कहा,धनियां तो राजस्थान में पैदा होता है, हमारे यहां तो इस प्रकार की पुड़ियां राजस्थान में तो नहीं मिल रही। सौंफ हमारे यहां पैदा होता है तो सरकार को इस प्रकार की कृषि से, जो सौंफ और धनिया दाल इस प्रकार की पुड़ियां मिलती है उसको तो सरकार को बिलकुल टैक्स फ्री करके उनको प्रोत्साहन देना चाहिये। जो नकारात्मक तरीके की पान पराग इस तरह की पुड़ियां मिलती है उनके ऊपर कठोरता से या तो टैक्स इतना अधिक लगाये कि उसका व्यापार करना लोगों के लिए कठिन हो जाए। साथ में हमारे इस तरह की एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई इस प्रकार की पुड़ियां मिलती है, क्योंकि बहुत कन्वीनेंट हो जाते हैं पुड़ियों से, आदमी एक जेब में रख ले, आज कृषि से रिलेटेड पुड़ियां है या जो पैकेट्स मिलते हैं उनको तो प्रोत्साहित करें। जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उनको निश्चित रूप से सरकार को उसके ऊपर, संकल्प के ऊपर विचार करना चाहिये । मैं समझता हूं कि इसको ध्वनिमत से सिर्फ नकार कर इसको पास करना उचित नहीं होगा। आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री महिपाल सिंह यादव। बाहेतीजी, आप तो बोल लिए काफी (व्यवधान) एक ही बात है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): महिपालजी, बैठो आप, पहले नम्बर मेरा है।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर): मैं दो ही मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: दो मिनट में कर दीजिए।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ऐसा मत करो आप।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो नशीली वस्तुएं, मादक द्रव्यों का प्रदेश में प्रचलन बढ़ रहा है और विशेषकर तो इन तीन सालों में जब से यह सरकार आई है कोई गली, मोहल्ला या चौराहा बचा ही नहीं। मैं तो सिर्फ सरकार से इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी राजस्थान में विद्यालय हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी, पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे है बड़े-बड़े पोस्टर आपने लगाए अब माननीय दिगम्बर सिंहजी लगा रहे हैं लेकिन और विभाग कुछ नहीं कर रहे हैं। कोई भी स्कूल है, अस्पताल है, जितने भी गांव के बस स्टैण्ड हैं आप इतना ही कर दो कि कम से कम उनसे 200-400 गज दूर पर आपकी यह दुकानें हो। अब तो तीन साल में हालत यह है कि 20 कदम चले तो दुकान है या तो देशी की मिलेगी या अंग्रेजी की मिलेगी। अब यह रजवाड़ी शराब और तैयार कर रही है। रजवाड़ी शराब के लिए यह कहा जा रहा है कि वह हर दुकान पर रखना जरूरी है, तो सरकार तो खुद ही इसमें लग रही है, तो आपको सोचना चाहिये ।

अब इतने अश्लील विज्ञापन है जिनको एक परिवार बैठकर देख नहीं सकता। चाहे वह सिगरेट का हो, चाहे वह शराब का हो, ऐसे-ऐसे अश्लील विज्ञापन है जिनको देखकर हमारी आंखे शर्म से झुक जाती हैं। मैं आपसे, स्वास्थ्य मंत्रीजी आप तो काफी कर रहे हैं इसमें लेकिन सरकार को और हम सबको इस पर सोचना चाहिये। आज झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ की जो हालत है वो ही धीरे-धीरे पूरे राजस्थान की होने वाली है। आज झालावाड़ में क्या हो रहा है आप रोज अखबारों में पढ़ रहे हैं।

जो नशीली प्रवृति है उससे नौजवान और नवयुवक, नवयुवतियां, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, कभी-कभी बहरोड मिड वे पर देखता हूं कि दस-दस साल की बच्चियां सिगरेट उड़ाती है, चूर्रियां चलते-चलते यूं फांकती है। बड़ा अजीब सा लगता है कि जिनकी उम्र 10 साल नहीं है, 12 साल नहीं है, स्कूल-कालेज जा रही है, पुड़िया फाड़ी और मुंह में डाल ली, तो उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर विषय है और इस संकल्प पर हमको गम्भीरता से सोचना चाहिए और इसको पास करना चाहिए। इसमें पूरे प्रदेश का हित है। अभी शराब के बारे में तो माहिर साहब बोलेंगे। एक पुरानी कविता है छोटी सी, मैं सुनाता हूं।

(श्री महीपाल यादव)

''जो डूबे है ग्लासों में, ना उबरे जिंदगानी में,

लाखों मरकर डूब गए, बंद बोतल के पानी में"

श्री उपाध्यक्ष: अब और नहीं, बस। और आगे नहीं अब। डाक्टर गोपाल बाहेती।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): जो डूबे है ग्लासों में, ना उबरे जिंदगानी में लाखों मरकर डूब गए, बंद बोतल के पानी में, गर चली गई अंदर इसकी एक चुल्लू, अभी और रजवाड़ी ला रहे हैं आप, उसका पता नहीं क्या होगा। गर चली अंदर एक चुल्लू अक्ल बाहर आ जाती है। गर चली गई अंदर एक चुल्लू, राव, राजा, नवाबों के महलों में बोल रहे उल्लू, तो यह स्थिति पूरे प्रदेश की हो जाएगी। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पवित्र संकल्प को सदन में पारित करना चाहिये ताकि इस प्रदेश का नौजवान जो बरबाद हो रहा है, बरबाद कर रहा है जवान जिंदगानी क्यों पीकर झूम रहा है तेरे नाश की निशानी। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, तेरे नाश की निशानी, तो यह हमारे नाश की निशानी है और इस पवित्र संकल्प को सबको पारित करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष: समय हो गया।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मुझे बोलना है, आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष: अब हो गया।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): आपने मेरा नाम पुकारा है।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा एक मिनिट कह दीजिए।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से कोई गलती हो गई क्या ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब तक तगारामजी अपनी बात नहीं रखें इस मुद्दे पर, तो डिबेट पूरी हो ही नहीं सकती। तगारामजी को बुलवाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: तगारामजी तो सिगरेट पीते ही नहीं है।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय.....

श्री उपाध्यक्ष: आप तो सिगरेट पीते ही नहीं हो, क्यों चिंता कर रहे हो (व्यवधान) बिराजो थोड़ा ।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार के संकल्पों के बारे में जिस तरह से माननीय सदस्यगण विचार व्यक्त कर रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि विचार गलत है, परन्तु मेरा (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): उपाध्यक्ष महोदय, आज हम मादक द्रव्य, तम्बाकू और गुटखे पर चर्चा कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): बात करते हैं किसान की, किसान खड़ा होता है तो फिर खड़े हो जाते हैं (व्यवधान) यह, रगड़ा है हमारा .....

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मेरा आपके माध्यम से निवेदन है... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): किसान की बात करते हैं और किसान खड़ा होता है तो इनका दिल दुखता है, बोलने ही नहीं देते। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): कि हम सब इस बात का संकल्प लें... (व्यवधान)

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): मैं बोला था, आप बोले तब? (व्यवधान) जोर से बोलने वाले, खून चूसने वाले, बोलते हो, गायों का घास खा गये, बोलते हो, बोलने लायक नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर):×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर):×××

श्री हरिमोहन शर्मा:×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर):×××

श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर):×××

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ×××

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर):×××

श्री उपाध्यक्ष: समय हो गया है।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 3 अप्रैल, 2007 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.00 बजे, मंगलवार, दिनांक 3 अप्रैल, 2007 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

छविगृहों द्वारा सिनेमा के पोस्टर लगाने हेतु निर्धारित नियम

255. श्री देवी शंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य के शहरों में स्थित सिनेमाघरों में चलने वाली फिल्म के पोस्टर लगाने हेतु कोई नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य में इन नियमों की पालना कठोरता से हो रही है? यदि नहीं, तो कहां-कहां व किन कारणों से? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य के शहरों में स्थित सिनेमाघरों में चलने वाली फिल्म के पोस्टर लगाने हेतु पृथक से कोई विभागीय नियम निर्धारित/प्रभावी नहीं हैं, परन्तु राजस्थान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2006 के प्रावधानों में अधिसूचित सम्पत्तियों का सिनेमा पोस्टर सहित अन्य प्रकार से विरूपण को दण्डनीय किया गया है। इसके अलावा नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा, नगर परिषद भीलवाड़ा, अजमेर, श्रीगंगानगर उदयपुर व नगर पालिका निम्बाहेड़ा ने सभी प्रकार के विज्ञापनों हेतु जिसमें सिनेमा पोस्टर भी सम्मिलित है, अनुज्ञा पत्र लेने के प्रावधान करते हुए उप विधियां लागू की हुई हैं।

(2) जी हां।

सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	वैशाख 13, बुधवार, शाके 1928-मई 3, 2006 Vaisakha 13, Wednesday, Saka 1928-May 3. 2006	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 3, 2006

संख्या प.2(7) विधि/2/2006-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल, 2006 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006

(2006 का अधिनियम सं. 13)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 25 अप्रैल,, 2006 को प्राप्त हुई)

सम्पत्ति के विरूपण के निवारण के लिए और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपलब्ध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 है।

(2) इसका प्रसार राजस्थान राज्य के नगरपालिका क्षेत्रों में होगा।

(3) यह 17 जनवरी, 2006 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं – इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) ''विरूपण'' के अन्तर्गत स्वरूप या सौन्दर्य का ह्यास करना या उसमें हस्तक्षेप करना, जिस किसी भी प्रकार से नुकसान करना विद्रूपण करना बिगाड़ना या क्षति करना और शब्द विरूपति करना का अर्थान्वयन तदनुसार किया जायेगा।

(ख) ''नगरपालिका क्षेत्र'' और ''नगरपालिका'' का वही अर्थ होगा जो उन्हें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 38) में समनुदिष्ट किया गया है।

(ग) ''सम्पत्ति'' के अन्तर्गत कोई भी भवन, झोंपड़ी, स्मारक, मूर्ति, जल पाइप लाइन, लोक सड़क, संरचना, प्रांगणभिति सहित दीवार, पेड़, बाड़, खम्भा, बल्ली या कोई भी अन्य परिनिर्माण है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये।

(घ) ''लोक स्थान'' से (सड़क, गली या मार्ग, जो चाहे आम रास्ता हो या नहीं, और किसी उतराई के स्थान को सम्मिलित करते हुए) कोई भी ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिस पर जनता की पहुंच है या आश्रय लेने का अधिकार है या जिस पर से उसे गुजरने का अधिकार है।

(ड) ''लोक दृश्य'' से ऐसी कोई भी वस्तु अभिप्रेत है जो जनता को उसके किसी भी लोक स्थान पर रहते या उससे गुजरते समय दृश्यमान हो, और

(च) ''लेखन'' के अन्तर्गत स्टेंसिल द्वारा किया गया अलंकरण, अक्षरांकन, सजावट इत्यादि है।

3. सम्पत्ति के विरूपण के लिए शास्ति (1) जो कोई भी किसी भी लोक दृश्यान्तर्गत आने वाली किसी भी सम्पत्ति को विरूपति करके या उस पर थूक कर या पेशाब करके, या पैपम्लेट, पोस्टर इत्यादि चिपका करके या ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी का नाम और पता उपदर्शित करने के प्रयोजन के सिवाय स्याही, चाक, रंग या किसी भी अन्य सामग्री या रीति से लिखकर या चिहित करके विरूपति करता है, वह प्रथम अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से और प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जहां उप धारा (1) के अधीन किया गया कोई भी अपराध किसी अन्य व्यक्ति या किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों के किसी संगम (चाहे वह निगमित हो या नहीं) के फायदे के लिए है वहां ऐसा अन्य व्यक्ति और प्रत्येक अध्यक्ष, सभापति, निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव, एजेन्ट या, यथास्थिति, उसके प्रबंध मण्डल से संबंधित कोई भी अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर दे कि अपराध उसकी जानकारी या सम्मत्ति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा।

4. अपराध करने के प्रयत्न के लिए दण्ड – जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध करने का प्रयत्न करता है या ऐसा अपराध कारित करवाता है और ऐसे प्रयन्त में अपराध के किये जाने के लिए कोई भी कार्य करता है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।

5. दुष्प्रेरक के लिए दण्ड– कोई भी व्यक्ति, जो धन की पूर्ति या याचना करके, परिसर उपलब्ध करवाकर, सामग्री का प्रदाय करके या जिस

किसी भी रीति से इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने को उपाप्त करता है, उसमें परामर्श देता है, सहायक होता है, दुष्प्रेरित करता है या उपसाधक होता है वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

6. अपराध का संज्ञेय होना- इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञय होगा।

7. लेखन आदि को मिटाने की शक्ति– धारा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसे कदम उठाने के लिए सक्षम होगा जो किसी भी सम्पत्ति से कोई भी लेखन मिटाने, उसे विरूपण मुक्त करने या कोई भी चिन्ह हटाने के लिए आवश्यक हों।

8. अपराध का शमन करने की शक्ति– नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी इस अधिनियम के अधीन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जायें, किसी भी अभियोजन को प्रत्याह्रत करने, या किये गये किसी भी अपराध का शमन करने के लिए सक्षम होगा।

9. संरक्षण–सरकार, किसी भी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति के विरूद्ध ऐसे किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन सदभावपूर्वक या लोकहित में की गयी या की जाने के लिए आशयित है।

10. अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगे।

11. नियम बनाने की शक्ति (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में

प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

12. निरसन और व्यावृत्तियां (1) राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अध्यादेश, 2006 (2006 का अध्यादेश सं. 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

बस्सी के आश्रम छात्रावासों को उपलब्ध सुविधाओं में कटौती

258. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माड़ा योजना के तहत कितने आश्रम छात्रावास कहां-कहां संचालित किये जा रहे हैं? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ जयपुर द्वारा इन आश्रम छात्रावासों के छात्रों की स्पेशल डाइट में कटौती की गई है? यदि हां, तो क्यों, किसके आदेश से व कटौती करने के क्या कारण रहे? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त छात्रों को विशेष ''डाइट'' के अलावा पेस्ट, ब्रश एवं मेवा व देशी घी में भी कटौती की गई है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उपरोक्त कटौती को तत्काल चालू कर इन छात्रों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा योजना के तहत निम्न तीन आश्रम छात्रावास संचालित किए जा रहे हैं :-

1. आश्रम छात्रावास, झर (बालिका)
2. आश्रम छात्रावास, ग्वालिनी (बालिका)
3. आश्रम छात्रावास, ठीकरिया मीणा (बालक)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(समयभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर)

खेजरोली ग्राम पंचायत (चौमूं) में ओलावृष्टि से प्रभावित कृषकों को सहायता

259. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ओलावृष्टि हुई है? यदि हां, तो सम्पूर्ण क्षेत्र की गिरदावरी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत खेजरोली में ओलावृष्टि से 80 प्रतिशत नुकसान हो चुका है? यदि हां, तो गिरदावरी रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। गिरदावरी रिपोर्ट परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी पैकेजों परिशिष्ट ''ख'' के अनुसार आदान-अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

(रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

260. श्री बंशीलाल खटीक (राजसमंद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के अस्पतालों में चिकित्सकों/कर्मचारियों के कितने पद कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इस वित्तीय वर्ष में पंचायत समिति रेलमगरा व बनेडिया में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द के अन्तर्गत आने वाले अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र टी.बी. क्लिनिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का रिक्ती अवधि सहित चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक प्रथम एवं द्वितीय, नर्स श्रेणी प्रथम, रेडियोग्राफर, वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन, टी.बी.एच.वी., बी.एच.एस. (मेल/फिमेल), मलेरिया निरीक्षक, एस.एम.पी.डब्ल्यू., वरिष्ठ लिपिक, महिला स्वास्थ्य दर्शिका एवं वाहन चालक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन पर भरने के प्रयास किए जाएंगे। चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

दन्त टैक्नीशियन, कनिष्ठ लिपिक नेत्र सहायक, लैब टैक्नीशियन, एवं वार्डबॉय/सफाई कर्मचारी के पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं जिन्हें भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित ग्रामीण जनसंख्या आधारित मापदण्ड के अनुसार 30,000 की ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। पंचायत समिति रेलमगरा में वर्ष 2001 की अनुमानित ग्रामीण जनसख्या के आधार पर निर्धारित मापदण्ड से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इसलिए पंचायत समिति रेलमगरा के ग्राम बनेडिया में वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टी.बी. क्लिनिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित विवरण निम्न प्रकार है

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति अवधि
1.	राजकीय जिला चिकित्सालय राजसमन्द	कनिष्ठ विशेषज्ञ	5 सर्जरी, नैत्र रोग, शिशु रोग पैथोलोजी मनोरोग	2/07 5/04 2/07 1/07 2/07
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	6/03
		चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	3 1	12/04, 2/07 10/04
		नर्सिंग अधीक्षक प्रथम	1	5/95
		नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय	1	6/99
		नर्स श्रेणी प्रथम	3	5/04 5/05 2/06
		नर्स श्रेणी द्वितीय	11	5/02
		रेडियोग्राफर	1	11/05
		कनिष्ठ लेखाकार	1	8/05
		वरिष्ठ लेब टेक्नीशियन	2	5/95
		दन्त टेक्नीशियन	1	5/95
		कनिष्ठ लिपिक	2	1/07
		नेत्र सहायक	1	2/07
		वार्ड बॉय/ सफाई कर्मचारी	7	7/03 10/05 6/99 5/05
2.	टी.बी. क्लिनिक, राजसमन्द	टी.बी. एच.वी.	1	2/07
		लेब टेक्नीशीयन	1	4/06
		वार्ड बॉय	1	3/06

1	2	3	4	5
3	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र, राजसमन्द	चिकित्सा अधिकारी	1	10/06
		बी.एच.एस. (मेल)	1	3/96
		बी.एच.एस. (फिमेल)	1	3/91
		मलेरिया निरीक्षक	1	3/98
		एस.एम.पी. डब्लू	1	3/98
		वाहन चालक	1	12/06
		संगणक	1	3/98
		वरिष्ठ लिपिक	1	3/00
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोही	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	10/04
		वार्डबॉय/सफाई कर्मचारी	2	3/05 2/07
5.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांकरोदा	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	3/03
6.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपली आर्चायान	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	3/03
		लैब टेक्नीशियन	1	2/91
		वरिष्ठ लिपिक	1	3/02
		वार्डबॉय/सफाई कर्मचारी	1	3/02
7.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुवांरिया	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	3/99
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केलवा	लैब टेक्नीशियन	1	3/05
9.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेलमगरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	3/07

1	2	3	4	5
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	3/03
		चिकित्सा अधिकारी	3	3/03
		नर्स श्रेणी द्वितीय	3	2/07
		बी.एच.एस. (फिमेल)	1	3/98
		बी.एच.एस. (मेल)	1	3/98
		रेडियोग्राफर	1	3/06
		एस.एम.पी. डब्लू	1	3/00
		कनिष्ठ लेखाकार	1	3/00
		संगणक	1	3/95
		वाहन चालक	2	1/07
10.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटडी	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	12/91
		लैब टेक्नीशियन	1	12/97
		वार्डबॉय/सफाई कर्मचारी	1	3/06
11.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुरज	चिकित्सा अधिकारी	1	3/04

भीण्डर नगरपालिका के अस्थाई कर्मियों को नियमित नियुक्ति

261. श्री रणवीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीण्डर नगरपालिका में वर्ष 1995 से 2005 की अवधि में कितने अस्थाई कर्मचारियों को पद मुक्त किया गया?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन्हें वापस सेवा में लेने हेतु अपनी स्वीकृति नगरपालिका को दे दी गई है? यदि हां, तो अब इन्हें कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी?

उत्तर

(1) नगर पालिका भीण्डर में वर्ष 1995 से 2005 तक की अवधि में दैनिक वेतन पर नियुक्त 6 कर्मचारियों को पालिका बोर्ड द्वारा दिनांक 03.08.1995 एवं 07.08.1995 को पारित प्रस्ताव के क्रम में दिनांक 24.08.1995 से नियमित वेतन श्रृंखला दी गई। बाद में बोर्ड द्वारा दिनांक 04.10.1995 को पुन: इन्हें हटाने का निर्णय लिया। प्रस्ताव की अनुपालना में दिनांक 09.10.1995 से इन सभी को सेवा से हटाया गया। विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। प्रकरण वर्तमान में श्रम न्यायालय उदयपुर में लम्बित है।

परिशिष्ट– ''अ''

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदनाम	दैनिक वेतन पर कार्य ग्रहण तिथि	नियमित वेतन श्रृंखला देने की तिथि	सेवामुक्त करने की तिथि	विशेष विवरण
1	श्री दौलत सिंह पुत्र श्री ओनार सिंह शक्तावत	सब नाकेदार	14.08.1985	24.08.1995	09.10.9195	इन समस्त कर्मचारियों का वाद वर्तमान में श्रम न्यायालय उदयपुर में वाद संख्या 160/97 श्री दौलत सिंह वगैरह बनाम नगर पालिका का चल रहा है, जिसकी आगामी पेशी तारीख 17.04.2007 नियत है।
2	श्री शंकर लाल आमेटा पुत्र श्री जुगलकिशोर	कनिष्ठ लिपिक	01.11.1990	24.08.1995	09.10.1995	
3	श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमनारायण	कनिष्ठ लिपिक	18.10.1994	24.08.1995	09.10.1995	
4	श्री सम्पत कुमार चौबीसा पुत्र माधवलाल	सब नाकेदार	1992	24.08.1995	09.10.1995	
5	श्री सोहन लाल चौबीसा पुत्र अमृत लाल जी	नाकागार्ड	04.06.1994	24.08.1995	09.10.1995	
6	भूपेन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह चौहान	नाकागार्ड	04.03.1994	24.08.1995	09.10.1995	

नागौर जिले में पर्यटन विकास हेतु कार्य-योजना

262. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला नागौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नागौर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एवं राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2005-06 तक राशि रु. 216.00 लाख के कार्य स्वीकृत किए गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

राज्य योजनान्तर्गत नागौर जिले में विभिन्न विकास कार्यों हेतु वर्ष 2006-07 में राशि रुपये 8.95 लाख स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि के विकास कार्य जिला कलक्टर के माध्यम से करवाये जायेंगे।

नागौर में पर्यटकों को आकर्षित किए जाने हेतु प्रत्येक वर्ष श्री रामदेव पशु मेले के दौरान पर्यटन विभाग की ओर से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।

(2) जी नहीं। राज्य के पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पर्यटक स्थलों के बारे में फोल्डर, ब्रोशर, नक्शे आदि मुद्रित करवाये जाते हैं। इसी के तहत मेड़ता के लिए मेड़ता नामक फोल्डर मुद्रित करवाकर इस क्षेत्र का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

परिशिष्ट 'अ'

LIST OF ONGOING DEVELOPMENT WORKS

DISTRICT : NAGAUR

(Rs. In Lacs)

S. No.	Name of Scheme	Sanction Year	Amount	Executing Agency	CSS/State Plan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	CSS				
1	Con, And dev. Of Amar Singh Rathor's Cenotaphs, Nagaur	1999-2000	20.00	A & M	CSS
	Total		20.00		
	CPWD				
	Integrated Development of Jaipur-Jodhpur- Jaisalmer-Bikaner-Shekhawati-Jaipur Tourist Circuit (Rs 644.00 lacs)	2002-03		CPWD	CSS
	(i) Public Utility Complex at Khimsar & Kuchaman, Nagaur		23.00		
	(ii) Landscaping, Plantation fencing illumination at khimasar, Nagaur		15.00		
	(iii) Conservation and Restoration of Buland Darwaza, Chisti Dargah and Chhatries of Nagaur		103.00		
	Total		**141.00**		
	STATE PLAN				
1	Renovation of Nath Ji ki Chattri, Badli, Nagaur	2004-05	5.00	PWD	STATE PLAN
2	Renovation of Phool Baori, Choti Khatu, Nagaur	2004-05	5.00	PWD	STATE PLAN

1	2	3	4	5	6
3	Misc. Dev. Works, Nagaur (Yatrika Shed, Dirnking Water Facility and Toilet Facilities	2004-05	15.00	RTDC	STATE PLAN
4	Development of Ganesh Doongari at Gorwara, Nagaur	2005-06	5.00	PWD	STATE PLAN
5	Reconstruction of Cenotaph of Mokham Singh at Karnu, Nagaur	2005-06	5.00	PWD	STATE PLAN
6	Development of Sirgi Sarovar, in Nagaur distt	2005-06	5.00	PWD	STATE PLAN
7	Misc. Development Works, Nagaur (Yatrika Shed, Drinkding Water Facility and Toilet Facilities)	2005-06	15.00	RTDC	STATE PLAN
	TOTAL		**55.00**		
	GRAND TOTAL		**216.00**		

जयपुर-मालपुरा-भीलवाड़ा राज्य उच्च मार्ग का सीमांकन

263. श्री जीतराम (मालपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से भीलवाड़ा वाया मालपुरा जाने हेतु स्टेट मेगा हाइवे स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो यह विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के किन गांवों से होता हुआ गुजरेगा?

(2) क्या यह सही है कि इस संबंध में भूमि का अधिग्रहण कर हाइवे के डिमार्केशन का कार्य कर लिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

भीलवाड़ा जिले की बिखरी जनजाति विकास हेतु आबंटित राशि

264. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में माडा योजना एवं बिखरी जनजाति योजनान्तर्गत वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया एवं निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत कितनी उपलब्धि अर्जित की गई? वर्षवार एवं मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत उपलब्धि अर्जित नहीं हो पाई है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक माडा योजना व बिखरी जनजाति योजनान्तर्गत आबंटित लक्ष्य एवं उपलब्धि की वर्षवार, मदवार सूचना परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

परिशिष्ट 1

भीलवाड़ा जिले में माडा, बिखरी आबादी क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 2003-04 से 2006-07 (फरवरी 2007 तक) तक मदवार लक्ष्य एवं उपलब्धि की सूचना

क्र. सं.	मद का नाम	माडा लघु खण्ड										बिखरी आबादी क्षेत्र										कुल (माडा एवं बिखरी)	
		वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07		कुल		वर्ष 2003-04		वर्ष 2004-05		वर्ष 2005-06		वर्ष 2006-07		कुल		लक्ष्य	उप.
		लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.	लक्ष्य	उप.		
1	विशेष केन्द्रीय सहायता मद	620	685	248	165	159	42	530	462	1557	1354	218	185	113	69	128	7	485	299	944	560	2501	1914
2	महाराष्ट पैटर्न	0	0	452	568	448	309	198	239	1098	1116	0	0	140	206	162	553	8	84	310	843	1408	1959
3	अनु. 275(1)	4	4	5	5	0	0	6	6	15	15	9	9	3	3	0	0	0	0	12	12	27	27
	योग	**624**	**689**	**705**	**738**	**607**	**351**	**734**	**707**	**2670**	**2485**	**227**	**194**	**256**	**278**	**290**	**560**	**493**	**383**	**1266**	**1415**	**3936**	**3900**

यहां पर बडी टेबल है

4 पेज की

जो अलग से

फाइल में है

डूंगरपुर जिले की बड़ी पालों का राजस्व ग्रामों में परिवर्तन

265. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में कई पुरानी बड़ी-बड़ी पालें हैं? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या सरकार इन बड़ी पालों को तोड़कर राजस्व गांव बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सांसरपुर पाल, झौंथरी पाल, सुराता पाल, बोडामलीपाल, गन्धवा पाल, रास्ता पाल, चुण्डावाडा पाल, गलन्दर पाल, मालमाथा पाल, गामडीउनहाडा पाल, मह्रुडी पाल को विभिन्न भागों में बांटकर राजस्व गांव घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला डूंगरपुर में ऐसी बड़ी पालों की संख्या 16 है।

(2) जी हां। बड़ी पाले जो निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करती हैं, उन्हें नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के प्रस्ताव जिला कलक्टर/राजस्व मण्डल स्तर पर परीक्षणाधीन है।

(3) राजस्व मण्डल से परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा।

राजकीय चिकित्सालय, लाडनूं (नागौर) का क्रमोन्नयन

266. श्री मनोहर सिंह (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा लाडनूं जिला नागौर के राजकीय चिकित्सालय को 34 नये पदों के साथ 100 बैड में क्रमोन्न्त किया गया है? यदि हां, तो इन पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं किए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अब इन पदों पर नियुक्तियां करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2006-07 में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

लाडनू को 75 से 100 शैय्याओं में क्रमोन्नत किया गया है। स्वीकृत पदों के अनुसार स्टाफ की नयी नियुक्ति एवं पदोन्नति की प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण पदों को भरा जाना सम्भव नहीं हो सका।

(2) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञों, कनिष्ठ विशेषज्ञों, नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी-द्वितीय एवं नर्स श्रेणी प्रथम के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन पर भरने के प्रयास किये जायेंगे। नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लैब टेक्नीशियन एवं फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण में पंजीकृत दोषी संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही

267. प्रो. बीरू सिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में कितने संवेदक पंजीकृत हैं तथा उनकी श्रेणी क्या है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) किस-किस श्रेणी के किन-किन संवेदकों को गत तीन वर्षों में कौन-कौनसा विकास कार्य आबंटित किया गया है? क्या संवेदकों द्वारा आबंटित कार्य को समय पर पूर्ण कर दिया गया? यदि नहीं, तो किस-किस संवेदक द्वारा आबंटित कार्य पूर्ण नहीं किये गये? कार्य पूर्ण नहीं करने की दशा में इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण कार्यों सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण में सिविल एवं विद्युत कार्यों हेतु पंजीकृत संवेदकों की संख्या निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	श्रेणी	संख्या
(अ) सिविल कार्यों हेतु		
1	''एए''	22
2	''ए''	31
3	''बी''	80

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

क्र.सं.	श्रेणी	संख्या
4	''सी''	71
5	''डी''	212
	योग (अ)	416
(ब) विद्युत कार्यों हेतु		
1	E-I	29
2	E-II	1
3	E-III	0
4	E-IV	4
	योग (ब)	34
	कुल योग	450

(2) उक्तानुसार पंजीकृत संवेदकों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। प्रश्न के इस भाग की सूचना परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

विद्युत उत्पादन इकाइयों से निर्बाध उत्पादन हेतु योजना

268. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 से अब तक राज्य की कौन-कौनसी विद्युत उत्पादन इकाइयां कितने समय के लिये कब-कब व किन कारणों से बंद रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्युत उत्पादन इकाइयों के बन्द रहने के कारण राज्य को कितने यूनिट बिजली का नुकसान हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004 से अब तक राज्य की विद्युत उत्पादन इकाइयों के ब्रेक डाउन का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत के अनुपात में कितना रहा? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विद्युत उत्पादन इकाइयों से सुचारू व निरन्तर कार्य लेने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2004 से अब तक राजस्थान राज्य की निम्न विद्युत उत्पादन इकाइयों के बन्द रहने का समय एवं कारणों का विवरण अनुलग्नक 'क-1' से 'क-5' पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की विद्युत उत्पादन इकाइयों के बन्द रहने के कारण राज्य को बिजली के नुकसान का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	**विद्युतगृह**	**बिजली का नुकसान (मि.यु.)**		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	कोटा सुपर तापीय विद्युतगृह, कोटा	1033.84	963.39	901.79
2	सूरतगढ़ सुपर तापीय विद्युतगृह, सूरतगढ़	1345.80	833.22	600.40

पन विद्युतगृहों द्वारा विद्युत का उत्पादन जलाशयों में पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है एवं गैस तापीय विद्युतगृहों द्वारा विद्युत का उत्पादन गैस की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(3) वर्ष 2004 से राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम की विद्युत उत्पादन इकाइयों के नियोजित रख-रखाव के अलावा, ब्रेक डाउनलोड के प्रतिशत का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	**विद्युतगृह**	2004-05 (प्रतिशत)	2004-05 (प्रतिशत)	2006-07 (जनवरी 07 तक प्रतिशत)
1	कोटा सुपर तापीय विद्युतगृह, कोटा	1.70	1.56	1.28
2	सूरतगढ़ सुपर तापीय विद्युतगृह, सूरतगढ़	2.48	1.58	0.50
3	राष्ट्रीय औसत	8.84	8.89	-

(ऊर्जा मंत्री)

(4) राजस्थान राज्य के विद्युतगृहों में ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों अनवरत पूर्ण क्षमता पर विद्युत उत्पादन कर रही हैं। तथापि इकाइयों को समय-समय पर रख-रखाव एवं सुचारू संचालन हेतु बंद करना होता है जो कि विद्युत उत्पादन की सामान्य प्रक्रिया का ही भाग है। निगम के ताप विद्युतगृह देश के सर्वश्रेष्ठ विद्युतगृहों में सम्मलित हैं और इनके द्वारा इन वर्षों में रिकार्ड उत्पादन किया गया है। इकाइयों एवं मशीनों के सुचारू रूप से संचालन हेतु नियमित अनुरक्षण कार्यक्रम एवं देखभाल की जाती है एवं कोई दोष परिलक्षित होने पर तुरन्त/प्रथम उपलब्ध अवसर पर आवश्यक कार्यवाही कर दोष निवारण किया जाता है। लगातार सुचारू रूप से संचालन हेतु समस्त आवश्यक (प्रीवन्टिव) अनुरक्षण कार्य किए जाते हैं। तथापि समयानुसार नवीनीकरण हेतु अलग योजना बनाकर आर.एण्ड.एम. प्रक्रिया द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पन विद्युत परियोजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन बांधों में पानी के भराव पर निर्भर रहता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले के विभिन्न रेलमार्गों हेतु ओवर ब्रिज

269. श्री सी.डी. देवल (रायपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के पाली शहर, रानी एवं फालना कस्बों के बीच से जोधपुर-अहमदाबाद एवं दिल्ली-अहमदाबाद का रेलमार्ग गुजरता है एवं जिससे तीनों शहर दो भागों में बंट गये हैं और इसके लिए सरकार से ओवर ब्रिज बनाने के लिए कई बार निवेदन किया गया है?

(2) क्या सरकार उक्त रेल मार्गों पर ओवर ब्रिज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 14 पर सैन्दडा व पाली में रेलवे फाटकों की वजह से भारी परेशानी होती है?

(4) क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रस्ताव भेजकर राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 14 जो ब्यावर से आबूरोड़ तक चार लेन बन रहा है पर सैन्दडा व पाली में रेलवे फाटकों पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए प्रस्ताव भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 (ब्यावर-बर-पाली-सिरोही-पिण्डवाडा) को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना फेज तृतीय-बी में फोरलेनिंग हेतु चिन्हित कर लिया गया है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाली एवं सेन्दड़ा में रेलवे फाटकों पर ओवर ब्रिज बनाने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

उदयपुर सम्भाग के निर्वाचन क्षेत्रों को आबंटित राशि

270. श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में पिछले 3 वर्षों में कितने कार्य स्वीकृत किये गये? सूची लागत सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उदयपुर सम्भाग के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कितने कार्य स्वीकृत किये गये? प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के कार्यों की सूची लागत सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की राशि उदयपुर सम्भाग के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में सामान्य रूप से वितरित नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में पिछले 3 वर्षों में स्वीकृत किए गए कार्यों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उदयपुर सम्भाग के जनजाति उपयोजना (अनुसूचित) क्षेत्र में वर्ष 2006-07 में स्वीकृत किए गए कार्यों की सूची विधान सभा क्षेत्र अनुसार परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति उपयोजना (अनुसूचित) क्षेत्र में विकास कार्यों हेतु प्राप्त राशि का वितरण स्थानीय मांग एवं उपलब्ध बजट के अनुपात में किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

गंगरार विधान सभा क्षेत्र के राजस्व ग्रामों में भू-रूपान्तरण पर रोक

271. श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगारार) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र गंगरार के किन-किन राजस्व ग्रामों के किन-किन खसरा नम्बरों पर भूमि रूपान्तरण सम्बन्धी रोक किस आदेश के तहत जारी की गई?

(2) क्या सरकार भूमि रूपान्तरण पर रोक लगाकर किसानों की भूमि को अन्य उपयोग में लेने के लिए अधिग्रहण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस उपयोग हेतु तथा कब तक इसका अधिग्रहण कर काश्तकारों को मुआवजा दे दिया जायेगा?

(3) क्या सरकार द्वारा काश्तकारों की भूमि अधिग्रहण करने के निर्णय से पूर्व काश्तकारों की राय ली गई तथा इनके रोजगार सम्बन्धी अन्य प्रावधान किये गये हैं? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गंगरार के तहसील गंगरार के ग्राम सोनियाना, गुलाबपुरा एवं नक्शनुपरा में स्थित निजी खातेदारी भूमियों की रीको को आवश्यकता होने के कारण उक्त ग्रामों की निजी खातेदारी की कृषि भूमियों का किसी भी अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नहीं किये जाने का रीको द्वारा अनुरोध किये जाने पर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के पत्र दिनांक 1.3.2006 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 के नियम 4(क) के अन्तर्गत आदेश दिये गये हैं।

हिन्दुस्तान जिंक लि. के चन्देरिया लेड जिंक स्मेल्टर प्लान्ट की ग्रीन बेल्ट विकसित करने हेतु ग्राम बिलिया की 101.51 हैक्टेयर निजी खातेदारी की भूमियों को हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा अवाप्ति हेतु प्रस्तावित किये जाने पर अवाप्ताधीन भूमियों का किसी भी अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नहीं किये जाने के निर्देश संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार को जिला कलक्टर के पत्र दिनांक 27.10.2005 से दिये गये। ग्राम बिलिया के खसरा नम्बरों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

हिन्दुस्तान जिंक लि. के लिए ग्राम पुठोली की 167.46 हैक्टेयर

(राजस्व मंत्री)

खातेदारी की भूमियों को अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन नहीं किये जाने के निर्देश जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ द्वारा संबंधित उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 1992 के उप नियम 4(क) के अन्तर्गत पत्र दिनांक 17.8.2006 द्वारा जारी किये गये। खसरा नम्बरों की सूची परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(2) अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि के उद्देश्य खण्ड (1) में वर्णित है। मुआवजा नियमानुसार अवार्ड पारित होने के उपरान्त दिया जा सकेगा।

(3) जी नहीं। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की प्रक्रिया अनुसार ही कार्यवाही की जावेगी एवं उसी अनुरूप काश्तकारों को परिलाभ दिए जा सकेंगे।

(सूची आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य कर्मियों को चयनित वेतनमान/समयबद्ध पदोन्नति

475. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राज्य के राजपत्रित अधिकारियों को चयनित वेतनमान/समयबद्ध पदोन्नति का लाभ देने, समस्त कर्मचारियों को समर्पित अवकाश के बदले नगद भुगतान करने, शिक्षकों को चयनित वेतनमान देने व मंत्रालयिक कर्मचारियों से वेतनमान संबंधी किये गये लिखित समझौते को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार यतीन्द्र सिंह कमेटी की सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजपत्रित अधिकारियों को चयनित वेतनमान/समबयद्ध पदोन्नति (Time Scale) /समर्पित अवकाश का भुगतान दिये जाने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

शिक्षकों को दिनांक 1.7.1998 से वेतनमान केन्द्र सरकार के शिक्षकों के समान कर 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सीनियर स्केल एवं 10 वर्ष/8 वर्ष की सेवा सीनियर स्केल में पूर्ण करने पर सलेक्शन स्केल दिये जा रहे हैं।

मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतनमान संबंधी प्रकरण समीक्षा/परीक्षणार्थ वेतन विसंगति निराकरण समिति को संदर्भित किया गया था। समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

(2) यतीन्द्र सिंह कमेटी की सिफारिशें अभी राज्य सरकार के परीक्षणाधीन है।

स्पेशल एढ़ेसिव फ्रेंकिंग स्टाम्प्स के रिफण्ड हेतु सक्षम प्राधिकारी

476. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

स्पेशल एढ़ेसिव फ्रेंकिंग स्टाम्पों के रिफण्ड के क्या प्रावधान हैं? क्या इनका रिफण्ड राजस्थान कर बोर्ड के द्वारा आदेश प्रसारित करने पर ही कलक्टर मुद्रांक को करने का अधिकार है? क्या यह प्रक्रिया खर्चीली है? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रक्रिया को जनहितकारी और कम खर्चीली करने के

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

लिए अतिरिक्त कलक्टर मुद्रांक व उप महा निरीक्षक पंजीयन को अधिकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 10 सपठित राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के अध्याय VI व फ्रेंकिंग मशीन के संबंध में जारी आदेश क्रमांक एफ 4(300)(75)/फ्रेंक/3610 दिनांक 3.10.2005 के द्वारा रिफण्ड के प्रावधान किये हुये हैं।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 60 के तहत मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी अर्थात राजस्थान कर बोर्ड को किसी बैंककार द्वारा या किसी निगमित कम्पनी या अन्य निगमित निकाय के द्वारा लिखितों के छपे हुये प्रारूपों के लिए उपयोग में लाये गये स्टाम्पित कागजों के लिए समय परिसीमित किये बिना पर्याप्त कारणों पर रिफण्ड के आदेश जारी करने की अधिकारिता है। इस प्रावधान के अन्तर्गत मुख्य नियंत्रक राजस्व अधिकारी कलक्टर (मुद्रांक) को भी रिफण्ड आदेश के लिए अधिकृत कर सकता है।

यह प्रक्रिया खर्चीली नहीं है। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) व उप महानिरीक्षक, मुद्रांक को अधिकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलों में पंजीयन हेतु कार्यरत कार्मिक

477. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंजीयन विभाग द्वारा यह परिपत्र/आदेश जारी किया हुआ है कि तहसील, उप तहसील व उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन संबंधी कार्य करने वाले लिपिकों को उस पद पर दो वर्ष की अवधि के बाद नहीं रखा जाये? यदि हां, तो आदेश/परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील कपासन, निम्बाहेड़ा तथा डूंगला में पंजीयन संबंधी कार्य करने वाले लिपिक काफी समय से उसी पद पर कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो इन तीनों तहसीनों में कौन-कौन कर्मचारी कब-कब से उसी पद पर कार्य कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ जिले की उपरोक्त तहसीलों में 2 वर्ष से

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

अधिक समय से पंजीयन संबंधी कार्य करने वाले कर्मचारियों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, अजमेर द्वारा जारी पत्र क्रमांक-एफ-6/सी.ए.जी./पी.ए.सी./2000-01/263-94 दिनांक 5.10.2001 एवं पत्र क्रमांक एफ-6/डीपी/पीएसी/2059-2084 दिनांक 27.10.2001 की प्रतियां संलग्न है।

(2) विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	नाम तहसील	नाम कर्मचारी	पद	कब से कार्यरत है
1	कपासन (चित्तौड़गढ़)	बद्रीलाल जाट	कार्या. सहायक	1.9.2005 से निरंतर
2	निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)	श्री पूरणमल गौड़	कार्यालय सहायक	22.2.2007 से निरंतर
3	डूंगला (चित्तौड़गढ़)	महेन्द्र सिंह यादव	वरिष्ठ लिपिक	18.8.2004 से निरंतर

(3) तहसील/उपतहसील कपासन, निम्बाहेड़ा, डूंगला (जिला चित्तौड़गढ़) के यहां पूर्णकालीन उप पंजीयक कार्यालय नहीं है। इन कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारीगण पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के कर्मचारी नहीं होकर जिला कलक्टर द्वारा पदस्थापित कर्मचारी हैं और ऐसे कार्मिकों का पदस्थापन/स्थानान्तरण संबंधित जिला कलक्टर स्थानान्तरण नीति के तहत करते हैं। स्थानान्तरण पर प्रतिबंध हटने के बाद इस पर विचार किया जायेगा।

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान

''कर भवन'', अजमेर

क्रमांक:एफ-6/सी.ए.जी/पी.ए.सी./2000-01/263-94 दिनांक 5.10.2001

समस्त कलक्टर,

एवं पदेन जिला पंजीयक,

विषय :- तहसील पदेन उप पंजीयक कार्यालय में कार्यरत पंजीयन लिपिकों के संबंध में।

महोदय

अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के ध्यान में लाया गया है कि पदेन उप पंजीयक कार्यालयों में कुछ स्थानों पर लम्बे समय से पंजीयन लिपिक का कार्य एक ही लिपिक द्वारा किया जा रहा है जो कि प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है। चूंकि तहसीलों में कार्यरत पंजीयन लिपिकों का प्रशासनिक नियंत्रण आपके अधीन है, अतः आपसे आग्रह है कि ऐसे पंजीयन लिपिक जो इस सीट पर पांच वर्ष अथवा इससे अधिक समय से कार्य कर रहे हैं उनका अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया जावे।

भवदीय

महानिरीक्षक,

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,

राजस्थान-अजमेर

<u>**गोपनीय**</u>

राजस्थान सरकार

कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.,

''कर-भवन'' अजमेर

क्रमांक : एफ-6/डीपी/पीएसी/2059-2084　　　　　　दिनांक 27-10-2001

समस्त कलक्टर एवं

जिला पंजीयक,

विषय : तहसील पदेन उप पंजीयक कार्यालयों में कार्यरत पंजीयन लिपिकों के स्थानान्तरण के संबंध में।

महोदय,

विभाग के पूर्व पत्रांक एफ-6/सीएजी/पीएसी/2000-2001/263-94 दिनांक 5.10.2001 के अतिक्रमण में लेख है कि जन लेखा समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुरूप यह आग्रह किया जाता है कि आपके अधीनस्थ तहसील कार्यालयों में पदस्थापित ऐसे पंजीयन लिपिक जो एक अथवा अधिक कार्यालयों में 2 वर्ष तक पंजीयन का कार्य सम्पादित कर चुके हैं उन्हें पंजीयन कार्य से हटाया जाकर विभाग को अवगत करावें।

भवदीय,

महानिरीक्षक,

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,

राजस्थान-अजमेर

महिला उद्यमियों को बिक्री कर में छूट हेतु लम्बित प्रकरण

478. श्री गुरजंट सिंह बराड़ (संगरिया) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत महिला उद्यमी को लघु व कुटीर उद्योगों के अन्तर्गत ईंट भट्टों के संचालन में बिक्री करों में गत वर्ष किस प्रकार की रियायतें दी गई?

(2) वर्ष 2005-06 व 2006-07 में कितनी महिला उद्यमियों को ईंट भट्टों के संचालन में बिक्री कर में छूट दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 31 मार्च, 2006 तक बिक्री कर छूट हेतु महिला उद्यमियों के प्रकरण लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत वर्ष 2005-06 में कुटीर उद्योगों में महिला उद्यमियों द्वारा विनिर्मित माल की बिक्री को निम्नलिखित शर्तों पर छूट प्राप्त थी :-

1. महिला उद्यमी द्वारा इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर संबंधित उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने के प्रावधान हैं।
2. ऐसा छूट प्रमाण पत्र 5 निर्धारण वर्षों की कालावधि के लिये विधिमान्य होता है।
3. उक्त कर की छूट का लाभ महिला उद्यमियों को 30 लाख रुपये कुल बिक्री तक ही प्राप्त होता है। जहां वार्षिक कुल बिक्री इस सीमा से अधिक होती थी ऐसी स्थिति में 30 लाख रुपये से अधिक की बिक्री पर वस्तु पर अधिसूचित कर दर से कर उधग्रहणीय है।

(2) वर्ष 2005-06 में कुल 133 महिला उद्यमियों को ईंट भट्टों के संचालन में बिक्री कर में छूट प्रदान की गई थी। वर्ष 2006-07 में दिनांक 1.4.2006 से वैट व्यवस्था लागू होने के पश्चात वैट अधिनियम में ऐसी छूट का प्रावधान नहीं होने के कारण किसी नई इकाई को छूट प्रदान नहीं की गई। ऐसी महिला उद्यमियों जिन्हें दिनांक 31.3.2006 से पूर्व छूट प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके थे, उन्हें जारी छूट प्रमाण पत्र के अनुसार शेष रही अवधि के लिये मुक्ति देय है।

(3) 31 मार्च, 2006 तक राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के तहत

(वित्त मंत्री)

महिला उद्यमियों के बिक्री कर छूट के प्रकरण लम्बित है। वैट अधिनियम के तहत केवल उन्हीं महिला उद्यमियों को शेष अवधि के लिये एवं निर्धारित पण्यावर्त पर कर छूट प्राप्त है जिनको दिनांक 31.3.2006 तक पात्रता होने पर छूट प्रदान की जा चुकी थी। लम्बित प्रकरणों में दिनांक 31.3.2006 तक छूट प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी नहीं होने के कारण राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 के अंतर्गत छूट देय नहीं है।

विधायकों को क्षेत्रीय दौरे हेतु जिला पूल से वाहन अनुपलब्धता पर वैकल्पिक व्यवस्था

479. डा. सुरेश चौधरी (भादरा) एवं **श्री रामप्रताप कासनिया** (पीलीबंगा) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में जन-अभाव अभियोग निराकरण हेतु जिला पूल से माह में 10 दिवस वाहन उपलब्ध कराया जाता है यदि किसी सदस्य द्वारा किसी माह में 10 दिवस वाहन का प्रयोग नहीं किया जाता तो क्या उक्त दिवस अगले माह में समायोजित किये जाने का प्रावधान है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सभी जिला कलक्टरों को विधायकों हेतु जिला पूल से टाटा स्पेशियो गाडी उपलब्ध कराई गई है? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराये जाने वाला वाहन टाटा स्पेशियो जिला कलक्टर (पूल) द्वारा जिले के उपखण्ड अधिकारी या अन्य अधिकारी को आबंटित नहीं किये जाने के आदेश जारी करने के बाद भी जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ द्वारा उपखण्ड अधिकारी को यह वाहन आबंटित कर दिया गया?

(4) क्या यह भी सही है कि प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (स्टेट मोटर गैराज) द्वारा जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को पत्र द्वारा माननीय सदस्यों को टाटा स्पेशियो या अन्य कोई अच्छा वाहन किराये पर उपलब्ध कराये जाने के आदेशों के उपरान्त भी सामान्य वाहन उपलब्ध कराया गया? यदि हां, तो क्यों एवं सरकार, आदेशों की अवहेलना करने वाले जिला कलक्टर के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(डा. सुरेश चौधरी)

(5) क्या सरकार जिला पूल से वाहन उपलब्ध कराने के बजाय माननीय सदस्यों को इस एवज में कोई भत्ता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से एवं कितना?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सरकार द्वारा सभी जिला कलक्टरों को प्रत्येक जिला पूल में एक टाटा स्पेसियो गाड़ी मार्च, 2006 में उपलब्ध कराकर जिला पूल को सुदृढ़ किया गया है, जिसका उपयोग पूल वाहन के रूप में किया जाता है। उपलब्धता अनुसार माननीय विधायकगणों की मांग आने पर उन्हें उक्त वाहन उपलब्ध करवाया जाता है।

(3) जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा टाटा स्पेसियो वाहन उपखण्ड अधिकारी को सरकार द्वारा जारी आदेशों से पूर्व आबंटित किया गया था। जिला कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा अब उक्त आबंटन आदेश रद्द (Withdraw) कर यह वाहन जिला पूल में रख लिया गया है।

(4) जी नहीं।

(5) फिलहाल ऐसा विचार नहीं है।

विद्याधर नगर जयपुर, स्थित सहयोग अपार्टमेंट में रख-रखाव हेतु आबंटित राशि

480. प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विद्याधर नगर स्थिति सहयोग अपार्टमेंट में कौन-कौन से फ्लेट राजकीय प्रभार में हैं एवं वर्तमान में उनमें कौन-कौन कर्मचारी/अधिकारी आवास कर रहे हैं? रिक्त फ्लेटों के रख-रखाव/सार सम्भाल की जिम्मेदारी किस अधिकारी/कर्मचारी की है? क्या यह भी सही है कि निजी आवासियों द्वारा कई सरकारी आवासों की पिछली बालकोनी पर अतिक्रमण करके निजी आवासी द्वारा स्वयं की बालकोनी को कवर कर लिया गया है? यदि हां, तो उसके लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त आवासों हेतु पूर्व में पेयजल आपूर्ति सहकारी आवासन संघ द्वारा की जाती थी जो जनवरी, 2007 से बंद कर दी

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

गई है? यदि हां, तो वर्तमान में पेयजल आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है? क्या सरकार गांधीनगर स्थित आवासों की तर्ज पर सहयोग अपार्टमेंट में भी मीटर लगवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) गत पांच वर्षों में उक्त आवासों के रख-रखाव हेतु कब-कब कितना-कितना बजट किस-किस कार्य हेतु आबंटित किया गया? क्या उक्त सभी कार्य पूर्ण हो गये? यदि नहीं, तो किस-किस आवास में क्या-क्या कार्य बकाया है? आबंटित बजट एवं करवाये गये कार्य का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विद्याधर नगर स्थित सहयोग अपार्टमेंट में कुल 191 आवास राजकीय प्रभार में है। निवासियों की सूची परिशिष्ट 'क' एवं 'ख' संलग्न है। रिक्त फ्लैटों का रखरखाव/सार सम्भाल राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किया जाता है। सरकारी आवासों की बालकोनी पर निजी आवासियों द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं कर रखा है।

(2) जी हां। वर्तमान में जलदाय विभाग द्वारा निर्माण करवाये गये 2 नये नलकूपों को चालू कर अपार्टमेंट में स्थित पाइप लाइन से जोड़कर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। गांधीनगर स्थित मल्टी स्टोरी फ्लेटस में भी मीटर व्यवस्था क्रियाशील नहीं है।

(3) गत पांच वर्षों में उक्त आवासों पर रख-रखाव हेतु किया गया बजट आबंटन एवं व्यय निम्नानुसार है :-

(राशि रु. लाखों में)

वर्ष	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-6
बजट आबंटन	14.98	14.98	--	14.98	14.98
व्यय	1.35	11.83	14.65	12.03	8.12

उक्त बजट सामान्य रखरखाव हेतु दिया गया था किसी आवास विशेष में कार्य विशेष के लिए नहीं।

ऊपर दर्शाये गये व्यय में आवासों में टूट-फूट का मरम्मत कार्य, रंग रोगन का कार्य, बिजली एवं सेनेट्री की मरम्मत एवं रख-रखाव का कार्य, दरवाजों की मरम्मत एवं रंग रोगन का कार्य इत्यादि का निष्पादन करवाया गया है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

रख-रखाव मद के अतिरिक्त वर्ष 2004-05 में इन 191 आवासों में एक-एक जाली का दरवाजा तथा किचन व कमरे में पत्थर के सेल्फ लगाने के लिए राशि रुपये 10.00 लाख आबंटित किये गये थे। उक्त कार्य पूर्ण करवा लिये गये हैं।

परिशिष्ट ''क''

विद्याधर नगर सहयोग अपार्टमेंट, जयपुर स्थित तृतीय श्रेणी राजकीय आवासों में वर्तमान में निवास कर रहे आबंटियों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	आवास संख्या	आबंटी का नाम
1	जीए/III/टी-2/2	श्री गोपाल प्रसाद
2	जीए/III/टी-2/3	रिक्त
3	जीए/III/टी-2/9	श्री कैलाश चन्द्र मीणा
4	जीए/III/टी-2/11	श्री चन्द्रभान सिंह राठौड़
5	जीए/III/टी-2/15	कार्या. आवासीय अभियन्ता, रा.आ. मण्डल
6	जीए/III/टी-2/16	रिक्त
7	जीए/III/टी-2/18	डा. राजेश सिंह
8	जीए/III/टी-2/27	डा. सुरेश चन्द्र कालानी
9	जीए/III/टी-2/28	श्री महेश कुमार शर्मा
10	जीए/III/टी-2/31	रिक्त
11	जीए/III/टी-2/32	रिक्त
12	जीए/III/टी-2/34	श्री मुकेश कुमार गुप्ता
13	जीए/III/टी-2/38	डा. सुनील चौहान
14	जीए/III/टी-2/40	श्री राजेश कुमार वर्मा
15	जीए/III/टी-2/42	सुश्री आम्रपाली सिन्हा
16	जीए/III/टी-2/43	रिक्त
17	जीए/III/टी-2/45	श्री इन्द्राज सिंह
18	जीए/III/टी-2/46	रिक्त
19	जीए/III/टी-2/49	श्री रामअवतार शर्मा
20	जीए/III/टी-2/52	श्री योगेश्वर शर्मा
21	जीए/III/टी-2/54	सुश्री विमला नावरिया
22	जीए/III/टी-2/55	श्री प्रभुदयाल धानियां
23	जीए/III/टी-2/56	श्री महेन्द्र तोषावर
24	जीए/III/टी-2/57	विधि पूल (रिक्त)
25	जीए/III/टी-2/59	रिक्त

क्र.सं.	आवास संख्या	आबंटी का नाम
26	जीए/III/टी-2/60	श्री आदित्य देव कविया
27	जीए/III/टी-2/61	रिक्त
28	जीए/III/टी-2/62	रिक्त
29	जीए/III/टी-2/63	श्रीमती ममता दाधीच
30	जीए/III/टी-2/65	श्री उम्मेद सिंह
31	जीए/III/टी-2/66	श्री विष्णुदत्त शर्मा
32	जीए/III/टी-2/68	श्री दिनेश चन्द्र बंसल
33	जीए/III/टी-2/72	श्री मानसिंह शेखावत
34	जीए/III/टी-2/76	रिक्त
35	जीए/III/टी-2/77	रिक्त
36	जीए/III/टी-2/78	रिक्त
37	जीए/III/टी-2/79	विधि पूल (रिक्त)
38	जीए/III/टी-2/80	रिक्त
39	जीए/III/टी-2/81	श्री अरूण कुमार हंसीजा
40	जीए/III/टी-2/82	श्रीमती दर्शना उत्सुक
41	जीए/III/टी-2/83	श्री बुद्धकरण पारीक
42	जीए/III/टी-2/86	श्री बी.आर. बैरवा
43	जीए/III/टी-2/88	डा. भंवर लाल यादव
44	जीए/III/टी-2/90	श्री बिशन लाल शर्मा
45	जीए/III/टी-2/91	श्री ओ.पी. तिवारी
46	जीए/III/टी-2/93	रिक्त
47	जीए/III/टी-2/94	रिक्त
48	जीए/III/टी-2/95	रिक्त
49	जीए/III/टी-2/96	रिक्त
50	जीए/III/टी-2/100	श्री श्योपाल सिंह शेखावत
51	जीए/III/टी-2/101	श्री महेन्द्र कुमार गुप्ता
52	जीए/III/टी-2/103	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
53	जीए/III/टी-2/105	रिक्त
54	जीए/III/टी-2/109	रिक्त
55	जीए/III/टी-2/112	रिक्त
56	जीए/III/टी-2/113	श्री अजय सिंह राठौड़
57	जीए/III/टी-2/114	श्री दान चन्द शर्मा
58	जीए/III/टी-2/115	श्री सुधीर वर्मा
59	जीए/III/टी-2/116	डा. कृष्ण कुमार यादव

क्र.सं.	आवास संख्या	आबंटी का नाम
60	जीए/III/टी-2/117	श्रीमती सरोज कंवर
61	जीए/III/टी-2/118	श्री कैलाश चन्द्र मीणा
62	जीए/III/टी-2/119	श्री राजेश कुमार जैन
63	जीए/III/टी-2/120	श्री भागचन्द बधाल
64	जीए/III/टी-2/121	श्री भूपेन्द्र सिंह पूनियां
65	जीए/III/टी-2/122	श्रीमती अन्नम्मा आनी थोमस
66	जीए/III/टी-2/123	डा. परमेश्वर सिंह
67	जीए/III/टी-2/124	रिक्त
68	जीए/III/टी-2/125	रिक्त
69	जीए/III/टी-2/126	रिक्त
70	जीए/III/टी-2/127	रिक्त
71	जीए/III/टी-2/128	रिक्त
72	जीए/III/टी-2/129	श्री सुधीर तोमर
73	जीए/III/टी-2/130	श्री मेवाराम जाट
74	जीए/III/टी-2/131	श्री भगवान सहाय यादव
75	जीए/III/टी-2/132	श्री बालानन्द श्रीवास्तव
76	जीए/III/टी-2/133	श्री कामता प्रसाद शर्मा
77	जीए/III/टी-2/134	श्री राजन दुष्यन्त
78	जीए/III/टी-2/135	श्री बनवारी लाल जाट
79	जीए/III/टी-2/136	श्री रामवतार सैनी
80	जीए/III/टी-2/137	रिक्त
81	जीए/III/टी-2/138	रिक्त
82	जीए/III/टी-2/139	डा. देवाराम शिवरान
83	जीए/III/टी-2/140	रिक्त
84	जीए/III/टी-2/141	रिक्त
85	जीए/III/टी-2/142	रिक्त
86	जीए/III/टी-2/143	रिक्त
87	जीए/III/टी-2/144	रिक्त
88	जीए/III/टी-2/145	श्री विनोद कुमार शर्मा
89	जीए/III/टी-1/146	श्री सुधांशु सिंह
90	जीए/III/टी-1/148	श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता
91	जीए/III/टी-1/151	श्री जगदीश प्रसाद मीणा
92	जीए/III/टी-1/153	रिक्त
93	जीए/III/टी-1/155	रिक्त

क्र.सं.	आवास संख्या	आवंटी का नाम
94	जीए/III/टी-1/157	रिक्त
95	जीए/III/टी-1/164	श्री कृष्णदत्त शर्मा
96	जीए/III/टी-1/169	रिक्त
97	जीए/III/टी-1/170	रिक्त
98	जीए/III/टी-1/171	रिक्त
99	जीए/III/टी-1/174	रिक्त
100	जीए/III/टी-1/176	रिक्त
101	जीए/III/टी-1/179	श्री सुनील कुमार वर्मा
102	जीए/III/टी-1/184	श्रीमती माया दिनकर
103	जीए/III/टी-1/186	रिक्त
104	जीए/III/टी-1/189	रिक्त
105	जीए/III/टी-1/191	रिक्त
106	जीए/III/टी-1/192	रिक्त

परिशिष्ट ''ख''

विद्याधर नगर स्थित सहयोग अपार्टमेंट, जयपुर स्थित राजकीय आवासों में वर्तमान में पंचम श्रेणी में निवास कर रहे आबंटियों का विवरण निम्न प्रकार से है

क्र.सं.	आवास संख्या	आबंटी का नाम
1	जीए/5/टी-1/2	श्री प्रेम स्वरूप शर्मा
2	जीए/5/टी-1/10	श्री करणीसिंह
3	जीए/5/टी-1/11	श्री बाबूलाल पालीवाल
4	जीए/5/टी-1/12	श्री रामावतार मामोडिया
5	जीए/5/टी-1/13	श्री मनोहर लाल
6	जीए/5/टी-1/14	श्री रामकुमार मीणा
7	जीए/5/टी-1/15	श्री कुन्दन लाल स्वामी
8	जीए/5/टी-1/16	श्री गिरेन्द्र शर्मा
9	जीए/5/टी-1/18	श्री लक्ष्मीनारायण
10	जीए/5/टी-1/19	श्री वीरेन्द्र कुमार
11	जीए/5/टी-1/23	श्री मोहन लाल विश्नोई
12	जीए/5/टी-1/24	रिक्त
13	जीए/5/टी-1/25	श्री गिरधारी सिंह
14	जीए/5/टी-1/26	रिक्त
15	जीए/5/टी-1/27	श्री मनोज कुमार माथुर
16	जीए/5/टी-1/29	रिक्त
17	जीए/5/टी-1/30	रिक्त

क्र.सं.	आवास संख्या	आबंटी का नाम
18	जीए/5/टी-1/32	श्री अरविन्द कुमार मीणा
19	जीए/5/टी-1/33	श्रीमती पुष्पा धनवानी
20	जीए/5/टी-1/34	श्री बहादुर सिंह II
21	जीए/5/टी-1/35	श्री चम्पालाल चौबे
22	जीए/5/टी-1/38	श्री बनवारी लाल शर्मा
23	जीए/5/टी-1/39	श्री घनश्याम दान सांधू
24	जीए/5/टी-1/40	श्री शम्भूदयाल शर्मा
25	जीए/5/टी-1/42	श्री प्रकाश चन्द्र गुप्ता
26	जीए/5/टी-1/44	श्री लालाराम
27	जीए/5/टी-1/47	श्री विनेश जैन
28	जीए/5/टी-1/48	श्री ग्यारसी लाल शर्मा
29	जीए/5/टी-1/49	श्रीमती संध्यादास
30	जीए/5/टी-1/51	श्री गिरधारी सिंह
31	जीए/5/टी-1/53	श्री रामावतार
32	जीए/5/टी-1/54	श्री मुकेश मृदगल
33	जीए/5/टी-1/57	श्री गणपत सिंह
34	जीए/5/टी-1/61	श्रीमती कौशल्या पंवार
35	जीए/5/टी-1/62	रिक्त
36	जीए/5/टी-1/64	श्री रामनारायण
37	जीए/5/टी-1/65	सुश्री निर्मल चौधरी
38	जीए/5/टी-1/66	श्री नरपत सिंह शेखावत
39	जीए/5/टी-1/69	श्रीमती हसीना
40	जीए/5/टी-1/72	श्री भरतसिंह भाटी
41	जीए/5/टी-1/76	रिक्त
42	जीए/5/टी-1/77	श्री राजेन्द्र कुमार कुमावत
43	जीए/5/टी-1/79	श्री ओमप्रकाश सैनी
44	जीए/5/टी-1/80	श्री रविशंकर हाडा
45	जीए/5/टी-1/81	श्री पुष्पेन्द्र सिंह
46	जीए/5/टी-1/83	श्री बजरंग लाल शर्मा
47	जीए/5/टी-1/85	श्री महेन्द्र कुमार सैनी
48	जीए/5/टी-1/88	श्री कृष्ण कुमार डांगी
49	जीए/5/टी-1/89	श्री राकेश कुमार
50	जीए/5/टी-1/91	श्री ओमप्रकाश चौरडिया
51	जीए/5/टी-1/94	रिक्त
52	जीए/5/टी-1/100	श्री मनोज कुमार मित्तल
53	जीए/5/टी-1/102	श्री गणेश ब्रह्मभट्ट

क्र.सं.	आवास संख्या	आबंटी का नाम
54	जीए/5/टी-1/103	श्री कानसिंह
55	जीए/5/टी-1/104	श्री भवानी शंकर शर्मा
56	जीए/5/टी-1/107	श्री आलोक कुमार
57	जीए/5/टी-1/109	श्री डी.के. शर्मा
58	जीए/5/टी-1/110	रिक्त
59	जीए/5/टी-1/111	श्री नन्दलाल सिंह
60	जीए/5/टी-1/112	रिक्त
61	जीए/5/टी-1/116	श्री राजेन्द्र जोशी
62	जीए/5/टी-1/119	श्री केशुसिंह
63	जीए/5/टी-1/120	श्री विनोद प्रधान
64	जीए/5/टी-1/122	श्री राधेश्याम वैष्णव
65	जीए/5/टी-1/123	सुश्री रीना सक्सैना
66	जीए/5/टी-1/125	श्री नाथूलाल खींची
67	जीए/5/टी-1/128	श्री भरतसिंह शेखावत
68	जीए/5/टी-1/134	श्री मुकेश चन्द्र जैन
69	जीए/5/टी-1/135	श्री राजकुमार निर्वाण
70	जीए/5/टी-1/136	श्री सुमेर सिंह राठौड़
71	जीए/5/टी-1/137	श्री इन्दर राम
72	जीए/5/टी-1/139	श्री दिलीप सिंह
73	जीए/5/टी-1/140	श्रीमती शैला शर्मा
74	जीए/5/टी-1/142	श्री बृजरतन
75	जीए/5/टी-1/144	श्री ईश्वर सिंह बिरख
76	जीए/5/टी-1/146	श्री उपेन्द्र सिंह
77	जीए/5/टी-1/148	श्री जय प्रकाश काबरा
78	जीए/5/टी-1/149	श्री नवल बिहारी ढलवाल
79	जीए/5/टी-1/150	श्री फूलचन्द नामा
80	जीए/5/टी-1/152	श्री देवेन्द प्रसाद चोटिया
81	जीए/5/टी-1/153	श्री ओम प्रकाश राणा
82	जीए/5/टी-1/154	श्री जुगुन कुमार जलुथरिया
83	जीए/5/टी-1/158	श्री चन्दन सिंह
84	जीए/5/टी-1/159	श्री हीरालाल सैनी
85	जीए/5/टी-1/160	श्री अशोक कुमार डांगी

अतारांकित प्रश्न संख्या-481

(स्थगित)

राज्य कर्मियों से आवासीय ऋण वसूली हेतु जारी संशोधित कटौती विवरण के लम्बित प्रकरण

482. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) एवं **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 31 मार्च, 2004 से पूर्व कार्मिक विभाग द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत भवन अग्रिम/भवन मरम्मत अग्रिम पर ब्याज दर में कमी की गई है? यदि हां, तो ब्याज दर क्या है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ब्याज दर कम करने के संशोधित कटौती विवरण कार्मिक विभाग द्वारा संबंधित विभागों को प्रेषित किए जाने हैं? यदि हां, तो कुल कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के संशोधित कटौती विवरण प्रेषित किए जा चुके हैं? विभागवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि संशोधित कटौती विवरण प्रेषित करने से पूर्व संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों से आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है? यदि हां, तो क्या?

(4) क्या यह सही है कि अभी भी संशोधित कटौती विवरण भिजवाये जाने शेष हैं? यदि हां, तो कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के? विभागवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार शेष अधिकारियों/कर्मचारियों को संशोधित कटौती विवरण भिजवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों तथा क्या शेष में भी कोई कार्यवाही अपेक्षित है?

उत्तर

(1) राजस्थान अनुदानित भवन निर्माण नियम, 1993 की ब्याज दरों में वित्त विभाग के आदेश संख्या प.11(1)वित्त/नियम/93 दिनांक 19.2.2004 के अनुसार कमी की गयी है। दिनांक 01.04.2004 से ब्याज दर 8.25 प्रतिशत प्रभावी है।

(2) जी नहीं। संशोधित कटौती विवरण तैयार किये जाने संबंधी प्रकरण विभाग में लम्बित नहीं है।

(कार्मिक मंत्री)

अब तक कुल 76 कर्मचारी/अधिकारियों के संशोधित कटौती विवरण पत्र तैयार किये जाकर भिजवाये जा चुके हैं। इनमें 64 राजस्थान शासन सचिवालय में, 11 राजस्थान विधान सभा सचिवालय में तथा 1 लोकायुक्त सचिवालय में पदस्थापित कर्मचारी है (सूची संलग्न है)। अधिकारी/कर्मचारी द्वारा संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर कटौती विवरण के संशोधन की कार्यवाही की जाती है।

(3) जी हां। संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से संशोधित कटौती विवरण पत्र तैयार करने का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

(4) जी नहीं। प्राप्त संशोधित कटौती विवरण हेतु अब तक प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है।

(5) जी नहीं। कोई संशोधित कटौती विवरण भिजवाया जाना शेष नहीं है।

राजस्थान अनुदानित भवन निर्माण अग्रिम नियम, 1983 के तहत स्वीकृत कर्मचारी एवं अधिकारियों की सूची, जिनके संशोधित कटौती विवरण पत्र संबंधित विभागों को भिजवाये जा चुके हैं।

1. राजस्थान विधान सभा सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की सूची-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद
1	श्री रसिक बिहारी मीणा	च.श्रे.क.
2	श्री शिवनारायण यादव	सहायक सचिव
3	श्री बहादुर सिंह मीणा	कनिष्ठ लिपिक
4	श्री देवेन्द्र कुमार जैन	वरिष्ठ लिपिक
5	श्री दिनेश कुमार बसेतिया	वरिष्ठ लिपिक
6	श्री गिरिराज बांगड	सहायक
7	श्री मांगीलाल विश्नोई	सहायक
8	श्री महेन्द्र कुमार जोशी	व. लिपिक
9	श्री मदन गोपाल पारीक	व. लिपिक
10	श्री मानसिंह खारवाल	निजी सहायक
11	श्री भैरूलाल रैगर	व. लिपिक

2. लोकायुक्त सचिवालयों में कार्यरत कर्मचारियों की सूची-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद
1	श्री श्याम सिंह	कनिष्ठ लिपिक

3. राजस्थान शासन सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों की सूची-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद
1	श्री अर्जुन सिंह	सहायक शासन सचिव
2	श्री अब्दुल बशीर	सहायक
3	श्री अशोक कुमार जैन	निजी सहायक
4	श्री अब्दुल मजीद नकबी	फोटो कॉपियर
5	श्री राजेन्द्र सिंह	सांख्यिकी सहायक
6	श्री राजेश कुमार माथुर	क. लिपिक
7	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा	निजी सहायक
8	श्री रामबाबू	क. लिपिक
9	श्री राजकुमार जोशी	व. लिपिक
10	श्री रामकरण पुत्र नाथूलाल जाट	च.श्रे.क.
11	श्री रामजी पुत्र रामनारायण	च.श्रे.क.
12	श्री राजेन्द्र तनेजा	सांख्यिकी सहायक
13	श्री सूरजमल कुमावत	क. लिपिक
14	श्री सुधीर कुमार नेलवानी	निजी सहायक
15	श्री सुरेन्द्रपाल सिंह राठौड़	व. लिपिक
16	श्री सुरेश कुमार शर्मा	सहायक
17	श्रीमती शांति देवी पत्नी महीलाल	च.श्रे.क.
18	श्रीमती सावित्री मलकानी	अनुभागाधिकारी
19	श्री शिवकान्त शर्मा	सहायक
20	श्री भगवानदास	व. लिपिक
21	श्री भागचन्द चपलोत	सहायक
22	श्री बोदूराम अटल	क. लिपिक
23	श्री भूपेन्द्र कुमार भटनागर	निजी सहायक
24	श्री चिंरजी लाल	क. लिपिक

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद
25	श्री चंदरराम जाटव	क. लिपिक
26	श्री दिनेश कुमार माथुर	अनुभागाधिकारी
27	श्री ध्रुव कुमार शर्मा	सहायक
28	श्री देवीसिंह पुत्र मोहन सिंह	च.श्रे.क.
29	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	डाटा एन्ट्री आपरेटर
30	श्री दिलीप कुमार माथुर	व. लिपिक
31	श्री गोपाल सिंह	व. लिपिक
32	श्री गोपाल सिंह राजपूत	सहायक
33	श्री गिरधारी लाल पुत्र कल्याण	च.श्रे.क.
34	श्री किशन लाल मीणा पुत्र कन्हैयालाल	च.श्रे.क.
35	श्री हनुमान सहाय मीणा	क. लिपिक
36	श्री हनुमान सहाय	व. लिपिक
37	श्री जोरावर सिंह राजावत	व. लिपिक
38	श्री जगदीप सिंह कुशवाहा	सहायक
39	श्री जयन्ति प्रसाद गुप्ता	व. लिपिक
40	श्री ओमप्रकाश वर्मा	व. लिपिक
41	श्री ओमप्रकाश राणा	क. लिपिक
42	श्री लालचंद गोवरानी	अनुभागाधिकारी
43	श्री लादूलाल खटीक	क. लिपिक
44	श्री मनोहर लाल शर्मा पुत्र पूरणचंद	च.श्रे.क.
45	श्री मुरलीधर मीणा	सहायक
46	श्रीमती मैरी जार्ज पत्नी जी.एल. जार्ज	च.श्रे.क.
47	श्री मदन सिंह पुत्र रेवत सिंह	च.श्रे.क.
48	श्री मदन लाल वर्मा	लेखाकार
49	श्री मूलचंद चौधरी	लेखाकार
50	श्री मानसिंह पुत्र मदन सिंह	च.श्रे.क.
51	श्री मोहम्मद यूसुफ खान	व. लिपिक

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पद
52	श्री नाथूलाल बैरवा	अनुभागाधिकारी
53	श्री नृसिंह देव व्यास	व. लिपिक
54	श्री नन्दकिशोर विजय	व. लिपिक
55	श्री नाथूलाल जेवरिया	सहायक
56	श्री पूरण कुमार मीणा	अनुभागाधिकारी
57	श्री प्रवीण कुमार बाछावत	निजी सहायक
58	श्री पूरण चंद मेहरा	व. लिपिक
59	श्री प्रेमपाल सिंह	व. लिपिक
60	श्री पूरण सिंह पुत्र सोहन सिंह	च.श्रे.क.
61	श्री प्रमोद कुमार शर्मा	व. लिपिक
62	श्री प्रदीप गोयल	व. लिपिक
63	श्री प्रकाश चंद पारीक	निजी सहायक
64	श्री प्रकाश चंद	बुक बाईडर

अतारांकित प्रश्न संख्या-483

(स्थगित)

नगर परिषद पाली में पट्टों की नकल प्राप्ति हेतु लम्बित प्रकरण

484. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2006 में नगर परिषद पाली में किन-किन व्यक्तियों ने किस-किस पट्टे की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आवेदन करने वाले ने किस हैसियत से एवं किस कारण से पट्टे की प्रति की मांग की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2006 में नगर परिषद पाली में किन-किन व्यक्तियों ने किस-किस पट्टे की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया का विवरण संलग्न परिशिष्ट ''अ'' में है।

(2) विवरण उक्त परिशिष्ट ''अ'' के कालम नं. 5 व 6 में अंकित है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 2006 में माह जनवरी से माह दिसम्बर तक नगर परिषद पाली में पट्टों की प्रतिलिपियों हेतु आवेदनकर्ताओं का विवरण

क्र. सं.	आवेदन की तारीख	आवेदनकर्ता का नाम व पता	पट्टे की संख्या/वर्ष जिसकी प्रतिलिपि हेतु आवेदन किया	हैसियत	आवेदन करने का कारण
1	2	3	4	5	6
1.	3.1.06	श्री सूरज कुमार/नारायणजी, सर्वोदय नगर	2205/1999	अन्य	वास्ते सबूत
2.	21.1.06	श्री अमरूदीन/जफरूदीन, 207, जंगीवाडा	624/1962	स्वयं	वास्ते सबूत
3.	27.1.06	श्री मो. इकबाल/मो. इब्राहीम	68/1963-64	अन्य	वास्ते सबूत
4.	28.1.06	श्री मुकेश कुमार/शांतिलाल, नेहरू नगर	28/1977	अन्य	वास्ते सबूत
5.	13.2.06	श्री अचलाराम/पन्नाजी	37/63-64	अन्य	वास्ते सबूत
6.	13.2.06	श्री ढलाराम/घीसाजी	39/63-64	अन्य	वास्ते सबूत
7.	22.2.06	श्री देवीसिंह/उम्मेदसिंह	1/1989	स्वयं	वास्ते सबूत
8.	23.3.06	श्री तुलसीराम/बालूराम, 5, पीठ का बास	40/1961	स्वयं	वास्ते सबूत
9.	7.4.06	श्री अल्ताफ अली/इंसाफ अली, चुडीगरों का बास	9-10/1977	स्वयं	वास्ते सबूत
10.	21.3.06	श्री हीरालाल घांची, मंडिया	34/1959	स्वयं	वास्ते सबूत
11.	10.3.06	श्री मोहनलाल/चंपालाल जैन, डेडों का बास,	30/1956	स्वयं	वास्ते सबूत
12.	8.3.06	श्री कालू भाई, पाली	1448/1964	स्वयं	वास्ते सबूत
13.	10.3.06	श्री कानाराम/कस्तुरजी, नया गांव	23/63-64	स्वयं	वास्ते सबूत
14.	10.3.06	श्री कानाराम/कस्तुरजी, नया गांव	12/64-65	स्वयं	वास्ते सबूत
15.	27.4.06	श्री शेषाराम/रूपाजी, पुनायता	31/1983	स्वयं	वास्ते सबूत
16.	18.4.06	श्री शिवराम/आदाजी कीर, 73 मानपुरा	75/1966	स्वयं	वास्ते सबूत

1	2	3	4	5	6
17.	28.4.06	श्री रणजीत सिंह/ सत्यपाल सिंह, गिरादडा	12/1959	स्वयं	वास्ते सबूत
18.	29.4.06	श्री दलपतसिंह/ मानसिंह, काणदरा	29,30,93/ 1962	स्वयं	वास्ते सबूत
19.	12.6.06	श्री किशनाराम/चेलाराम, गिरादडा	13/1959	स्वयं	वास्ते सबूत
20.	20.5.06	श्री छोटूखां/उस्मानखां, 14 सिंधीयों का पास	479/1962	स्वयं	वास्ते सबूत
21.	12.5.06	श्री प्रतापराम/शिवनाथ, राईको की ढाणी	10/61-62	स्वयं	वास्ते सबूत
22.	4.5.06	श्री अल्ताफअली, चुडीगर बाजार	13/1967	स्वयं	वास्ते सबूत
23.	3.6.06	श्री कन्हैयालाल/देवाराम घांची, 21 पिंजारों का बास	24/64-65	स्वयं	वास्ते सबूत
24.	2.6.06	श्री मेहबूब/अकबर तेली, 12 रागणीया का बास	652/1963	स्वयं	वास्ते सबूत
25.	3.6.06	श्री छोटू खां/उस्मान खां, सिन्धीयों का बास	313/ 1962	स्वयं	वास्ते सबूत
26.	9.6.06	श्री मांगीलाल/लालाजी भाट, नया गांव	78/1966-67	स्वयं	वास्ते सबूत
27.	5.7.06	श्री छोटूखां/उस्मानखां सिन्धी, सिपाहियों का बास	344/1962	अन्य	वास्ते सबूत
28.	5.7.06	श्री छोटूखां/उस्मानखा, सिन्धी सिपाहियों का बास	320/1962	स्वयं	वास्ते सबूत
29.	15.7.06	श्री वीरेन्द्र/देवाराम मेघवाल, पीठ का बास रामदेव रोड	39/1962	स्वयं	वास्ते सबूत
30.	12.7.06	श्री शांतिलाल मुंशी, समेगियों की पाटी	320/1962	अन्य	वास्ते सबूत
31.	19.7.06	श्री गुलाबदास/देवदास, स्टेशन भटवाड़ा	539/61-62	स्वयं	वास्ते सबूत
32.	22.7.06	श्री मो. यासिन चुडीगर मार्फत श्री अनील वकील	19/4, 1963	अन्य	वास्ते सबूत
33.	8.8.06	श्री सजनराज/चेनाराम, 158 वीडी नगर	67/1992	स्वयं	वास्ते सबूत
34.	2.8.06	श्री गुलाब सिंह राजपुरोहित	86/73-74	स्वयं	वास्ते सबूत

1	2	3	4	5	6
35.	25.8.06	श्री देवीलाल, (पार्षद वार्ड नं. 10) मदनलाल	35,36,41/-	स्वयं	वास्ते सबूत
36.	25.8.06	श्रीमती प्रतिमा पाण्डे पत्नी तिवारी दिनेश तिवारी	2944/1977	स्वयं	वास्ते सबूत
37.	13.10.06	श्री रमेश चन्द/कन्हैयालाल, शनिश्चर की बगेची	2564/1969	स्वयं	वास्ते सबूत
38.	5.9.06	श्री वेनाराम/मांगीलाल घांची	148/1977	स्वयं	वास्ते सबूत
39.	7.9.06	श्री बस्तीराम/जेठाजी परिहार, 420, वीडी नगर	1307/1974	स्वयं	वास्ते सबूत
40.	14.9.06	श्री कानाराम/जोगाजी राईका, ग्राम मंडीया	31/1959	स्वयं	वास्ते सबूत
41.	11.9.06	श्री घेवरराम/राणाजी, मंडिया	28/1959	स्वयं	वास्ते सबूत
42.	24.4.06	श्री ढलाराम/कूपाजी, नयागांव	271/74-75	स्वयं	वास्ते सबूत
43.	13.4.06	श्री अल्ताफ/इंसाफ अली चुडीगर बाजार	51,52,53, 55/1977	स्वयं	वास्ते सबूत
44.	13.9.06	श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित	27/1973	स्वयं	वास्ते सबूत
45.	7.10.06	श्री कृष्ण कुमार पंवार, रजत नगरी मार्फत घीसाराम	50/1977	अन्य	वास्ते सबूत
46.	13.10.06	श्री बदरूदीन/यासिन, कस्तूरबा नगर, नयागांव	125,6/68-69	स्वयं	वास्ते सबूत
47.	6.10.06	श्री मफतराज/चुन्नीलाल, ग्रीनपार्क	900/1963	स्वयं	वास्ते सबूत
48.	27.10.06	श्री राजेन्द्र सिंह/शंकरसिंह, 291, राजेन्द्र नगर	48/62-63	स्वयं	वास्ते सबूत
49.	9.10.06	श्री देवीलाल (पार्षद वार्ड नं. 10)	25/1977	स्वयं	वास्ते सबूत
50.	15.11.06	श्री दिनेश कुमार/चम्पालाल गुलेच्छा	32/1989	स्वयं	वास्ते सबूत
51.	22.11.06	श्री गणेशराम, पार्षद वार्ड, नं. 35 नयागांव	80/64-65	स्वयं	वास्ते सबूत
52.	13.11.06	श्री देवीलाल (पार्षद वार्ड नं. 10)	53/1977	स्वयं	वास्ते सबूत

1	2	3	4	5	6
53.	13.11.06	श्री देवीलाल (पार्षद वार्ड नं. 10)	36/1977	स्वयं	वास्ते सबूत
54.	30.11.06	श्री मो. शहीद/यूनुसखां, नयागांव	27/63-64	स्वयं	वास्ते सबूत
55.	13.11.06	श्री हिम्मतसिंह वकील	4173/1979	स्वयं	वास्ते सबूत
56.	21.11.06	श्री हबीजुररहमान/ निजामुदीन, मं. नं. क टैगोर नगर	6/1968	स्वयं	वास्ते सबूत

परबतसर नगरपालिका द्वारा स्वीकृत/अपूर्ण कार्य

485. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में परबतसर नगरपालिका द्वारा कितने कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किए गए? प्रत्येक कार्य का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त कार्य किस-किस ठेकेदार द्वारा करवाये गये? क्या सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं? यदि नहीं, तो कौन-कौन से कार्य शेष हैं?

उत्तर

(1) नगरपालिका परबतसर द्वारा गत तीन वर्षों में 83 कार्य कुल 111.40 लाख रुपये के स्वीकृत किये गये। कार्यों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) विवरण उक्त परिशिष्ट ''अ'' के कालम संख्या 6 व 7 में अंकित है।

परिशिष्ट 'अ'

नगर पालिका मण्डल, परबतसर (नागौर) राज.

गत तीन वर्षों में पालिका द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची

वर्ष 2004-05

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	वर्ष	ठेकेदार का नाम	कार्य पूर्ण/ अपूर्ण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गुलाब बोहरा से ग्राम सेवक तक डामर सडक	1.80	1.78	2004-05	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निट्टी	पूर्ण	
2	वार्ड सं. 14 में ढींकरा रोड कार्य	0.51	0.29	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
3	वार्ड नं. 12 में नालियां निर्माण	0.44	0.32	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
4	वार्ड नं. 14, 15 में नालिया निर्माण	0.14	0.13	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
5	कैलाश रेगर के सामने चौक में सत्यनारायण रेगर तक सीसी रोड़	0.84	0.56	2004-05	विभागीय	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	वार्ड सं. 3 औषधालय से सत्यनारायण रेगर तक सीसी रोड	1.08	0.83	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
7	बस स्टेण्ड प्लेटफार्म पर कोटा स्टोन फर्श कार्य	1.10	1.11	2004-05	प्रवीण कन्सट्रक्शन कम्पनी परबतसर	पूर्ण	
8	बस स्टेण्ड पर सार्वजनिक पैशाबघर निर्माण	0.35	0.3	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
9	वार्ड नं. 3 व 4 इकबाल छिपा से औषधालय तक सीसी रोड	0.41	0.28	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
10	मुक्तिधाम चार दिवारी निर्माण	1.70	0.85	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
11	वार्ड नं. 3 व 4 पुलिस थाना पुलिया से औषधालय तक सीसी रोड	1.03	0.75	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
12	शफी खां से हकीम खां तक डामर सडक कार्य	0.32	0.3	2004-05	सेवाराम मालाकार परबतसर	पूर्ण	
13	महरूनखां पठान से दिन जी गार्ड तक डामर सडक कार्य	0.21	0.22	2004-05	सेवाराम मालाकार परबतसर	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
14	प्रभू धोबी से महमूद अली तक डामर सडक कार्य	0.71	0.74	2004-05	सेवाराम मालाकार परबतसर	पूर्ण	
15	किशनगढ़ रोड से गणेश जी मन्दिर तक डामर सड़क कार्य	0.76	0.86	2004-05	सेवाराम मालाकार परबतसर	पूर्ण	
16	मजीद खां के मकान से लालाराम गुर्जर तक डामर सड़क	0.82	0.75	2004-05	सेवाराम मालाकार परबतसर	पूर्ण	
17	सत्तू बागड़ा के मकान से रमेश बोहरा तक डामर सड़क	1.03	0.99	2004-05	सेवाराम मालाकार परबतसर	पूर्ण	
18	मुक्तिधाम गेट से दरेशा की बेरी तक डामर सडक	0.86	0.96	2004-05	सेवाराम मालाकार परबतसर	पूर्ण	
19	मुक्तिधाम के अन्दर डामर सडक कार्य	0.91	1.03	2004-05	सेवाराम मालाकार परबतसर	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
20	मोती भाकर के मकान से अमरचन्द सोनी तक डामर सड़क	1.17	1.16	2004-05	प्रवीण कन्सट्रक्शन कम्पनी परबतसर	पूर्ण	
21	कानजी गुर्जर से गिंगोली रोड़ तक डामर सडक कार्य	1.17	1.51	2004-05	मै राधाबल्लभ मालाकार परबतसर	पूर्ण	
22	रतनाराम जाट के मकान से अमरचन्द सोनी तक डामर सड़क कार्य	1.10	1.47	2004-05	मै राधाबल्लभ मालाकार परबतसर	पूर्ण	
23	मिश्रीलाल माली से अम्बेडक्र भवन तक डामर सड़क	4.03	3.84	2004-05	मै. योगेस वैष्णव रूपनगढ	पूर्ण	
24	मुक्तिधाम में नई डामर सड़क	0.86	1.12	2004-05	प्रवीण कन्सट्रक्शन कम्पनी परबतसर	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
25	गणेश मन्दिर से फरीद खां, बालाजी मन्दिर तक डामर सड़क	0.99	0.96	2004-05	सेवाराम मालाकार परबतसर	पूर्ण	
26	राणीराव शमशान में सीमेंट सड़क कार्य	0.53	0.69	2004-05	प्रवीण कन्सट्रक्शन कम्पनी परबतसर	पूर्ण	
27	वार्ड नं. 13 कुंज बिहारी से बाबूलाल माली तक सीमेंट सड़क कार्य	0.67	0.57	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
28	पालिका सीमा पर स्वागत द्वार निर्माण	5.26	4.69	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
29	वार्ड नं. 13 प्रेम भांभी से विक्रम तक सीमेंट सड़क	0.60	0.56	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
30	वार्ड नं. 13 रामचन्द्र के मकान से नर्स तक सीमेंट सड़क कार्य	0.83	0.76	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
31	वार्ड नं. 14 गुलाबसिंह से घड़ला बालाजी तक सीमेंट सड़क	0.56	0.56	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
32	तकिया से पूसाखाती तक सीमेंट सड़क निर्माण	0.86	0.79	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
33	वार्ड नं. 15 होली चौक में सीमेंट सड़क कार्य	0.69	0.58	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
34	वार्ड नं. 13 रूपा के मकान से विजयसिंह तक सीमेंट सड़क	0.76	0.7	2004-05	विभागीय	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
35	मांगीलाल जी वैद्य जी की गली में सीमेंट सड़क	0.67	0.47	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
36	मुन्नाखां से सुनारों की बगीची तक सीमेंट सड़क रोड	3.99	2.2	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
37	कानाराम भार्गव के सामने चौक में सीमेंट कार्य वार्ड 3	0.99	0.71	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
38	पूसाराम बागड़ा के प्लाट से अम्बालाल तक सीमेंट सड़क	1.18	0.57	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
39	वार्ड नं. 2 अल्लाबक्ष से तालाब तक सीमेंट सड़क	0.99	0.56	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
40	मदनकुमार से मो. हमीद तक सीमेंट रोड़ कार्य वार्ड. 2	0.82	0.5	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
41	गिंवारिया मोहला वार्ड नं. 1 सीमेंट रोड	0.82	0.44	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
42	सीताराम के मकान से गणगौर चोक तक सीमेंट रोड वार्ड 15	3.38	2.97	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
43	वार्ड नं. 15 शिवजी मन्दिर चोक में सीमेंट रोड कार्य	0.90	0.52	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
44	वार्ड नं. 15 सन्तोष शर्मा से शंकर वैष्णव तक सीमेंट सड़क	0.38	0.28	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
45	वार्ड नं. 15 गुसाईया का चोक में सीमेंट रोड	0.66	0.43	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
46	वार्ड नं. 14 बड़ला बालाजी से गोरधन माली तक सीमेंट सड़क	4.99	4.53	2004-05	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निटूटी	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
47	वार्ड नं. 14 रामनिवास लखोटिया से गिंगोली रास्ता तक सीमेंट सड़क	1.69	1.39	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
48	पूसाराम बागड़ा के पास सीमेंट सड़क कार्य	0.84	0.52	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
49	वार्ड नं. 11 रामस्वरूप के मकान से मुन्नाखां तक सीमेंट सड़क	0.59	0.41	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
50	रा.उ.मा. विद्यालय परबतसर में साईकिल स्टेण्ड	0.28	0.04	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
51	वार्ड नं. 14 रतनाराम जाट से अमरचन्द सोनी तक सीमेंट रोड़ कार्य	0.82	0.78	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
52	कानजी गुर्जर के मकान से डा सोलंकी तक नाला निर्माण	1.95	1.68	2004-05	विभागीय	पूर्ण	
53	रा.उ.मा. विद्यालय परबतसर में अधूरा हॉल निर्माण	2.92	1.96	2004-05	विभागीय	अपूर्ण	

अधिशासी अधिकारी

नगर पालिका, परबतसर

नगरपालिका मण्डल, परबतसर (नागौर) राज.

गत तीन वर्षों में पालिका द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची

वर्ष 2005-06

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	वर्ष	ठेकेदार का नाम	कार्य पूर्ण/ अपूर्ण	विशेष विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	उस्मान खां के मकान से गुलाब खां तक सीमेंट रोड वार्ड नं. 6	1.35	1.52	2005-06	प्रवीण कन्सट्रक्शन कम्पनी परबतसर	पूर्ण	
2	गोपाल सोनी के मकान से शौकत जी तक सीमेंट सड़क वार्ड नं. 11	2.71	3.16	2005-06	प्रवीण कन्सट्रक्शन कम्पनी परबतसर	पूर्ण	
3	दीना लुहार से हसन खां तक सीमेंट रोड वार्ड नं. 11	0.28	0.29	2005-06	प्रवीण कन्सट्रक्शन कम्पनी परबतसर	पूर्ण	
4	बड़ला बालाजी से रमेश माली तक सीमेंट रोड वार्ड नं. 14	3.98	4.55	2005-06	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निट्टी	पूर्ण	
5	आसू मेघवाल से गोकल माली तक सीमेंट रोड नं. 13	1.50	1.66	2005-06	मै राधाबल्लभ मालाकार परबतसर	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	रामदेवजी मन्दिर से प्रेम नायक तक डामर रोड वार्ड नं. 11	0.61	0.52	2005-06	मै राधाबल्लभ मालाकार परबतसर	पूर्ण	
7	सुभाष गोड़ से मनोहरजी मास्टर तक सीमेंट रोड वार्ड नं. 15	0.84	0.99	2005-06	मै राधाबल्लभ मालाकार परबतसर	पूर्ण	
8	तेजसिंह के मकान से मुख्य सड़कें तक सीमेंट रोड वार्ड नं. 13	0.36	0.53	2005-06	मै राधाबल्लभ मालाकार परबतसर	पूर्ण	
9	फेफसिंह के मकान से मारवाड़ मि. तक डामर सडक वार्ड नं. 15	3.38	4.10	2005-06	तेजा कनस्ट्रक्शन कम्पनी निटूटी	पूर्ण	
10	रा.बा.सि. मा. विद्यालय परिसर मैं मूत्रालय निर्माण	0.38	0.32	2005-06	विभागीय	पूर्ण	
11	उपखण्ड कार्यालय परिसर में स्थित मन्दिर में फर्श निर्माण	0.63	0.52	2005-06	विभागीय	पूर्ण	
12	न.पा. कार्यालय परिसर चौक में टाईल्स फर्श कार्य	0.30	0.27	2005-06	प्रवीण कन्स्ट्रक्शन कम्पनी परबतसर	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
13	अम्बेडकर सर्किल के पीछे नाली निर्माण कार्य	0.05	0.04	2005-06	प्रवीण कन्सट्रक्शन कम्पनी परबतसर	पूर्ण	
14	देहली गेट, नानू मेघवाल से गिवारिया चोक तक डामर सड़क कार्य	4.74	4.69	2005-06	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निटूटी	पूर्ण	
15	नानू मेघवाल से मोदी तक डामर सडक कार्य	4.50	4.47	2005-06	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निटूटी	पूर्ण	
16	रामदेवजी मन्दिर से हनुमान तक वार्ड नं. 14 डामर सड़क कार्य	3.62	3.53	2005-06	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निटूटी	पूर्ण	
17	रूपाराम बागड़ा से बड़ला बालाजी तक डामर सड़क कार्य वार्ड 14	0.49	0.47	2005-06	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निटूटी	पूर्ण	
18	सुमेर सिंह से भागीरथ के घर तक डामर सड़क कार्य वार्ड 14	0.69	1.29	2005-06	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निटूटी	पूर्ण	
19	नगरपालिका कार्यालय से सूरज माली तक सड़क कार्य वार्ड 14	0.69	1.30	2005-06	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निटूटी	पूर्ण	
20	मदरसा से शमशान तक डामर सड़क कार्य वार्ड नं. 10	0.61	0.43	2005-06	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निटूटी	पूर्ण	
21	पूसाराम मास्टर से योगेश त्रिपाठी तक डामर सड़क वार्ड 12	1.13	1.00	2005-06	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निटूटी	पूर्ण	

1	2	3	4	5	6	7	8
22	सीतारामजी मन्दिर से गिवारिया चौक तक डामर सडक वार्ड नं. 6	1.05	0.78	2005-06	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निट्टूटी	पूर्ण	
23	गांधीजी सर्किल से डा. सोलंकी तक डामर सड़क वार्ड 14	0.69	1.26	2005-06	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निट्टूटी	पूर्ण	
24	परबतसर शहर के वार्ड नं. 1 बावरिया का मोहल्ला चार दिवारी गेट निर्माण	0.30	0.27	2005-06	विभागीय	पूर्ण	
25	काबरा चौक वीर मोहल्ला वार्ड नं. 5 में सीमेंट रोड/नालीयां निर्माण	0.30	0.30	2005-06	विभागीय	पूर्ण	
26	परबतसर शहर में वार्ड नं. 2 में दो पुलिया निर्माण	1.00	1.05	2005-06	मै राधाबल्लभ मालाकार परबतसर	पूर्ण	
27	रा.उ.मा.वि. परबतसर में अधूरा बालचर भवन निर्माण	3.70	2.93	2005-06	प्रवीण कन्सट्रक्शन कम्पनी परबतसर	पूर्ण	
28	राणीराव मुक्तिधाम परबतसर में चार दिवारी निर्माण कार्य	1.20	1.00	2005-06	तेजा कन्सट्रक्शन कम्पनी निट्टूटी	पूर्ण	

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, परबतसर

नगरपालिका मण्डल, परबतसर (नागौर) राज.

गत तीन वर्षों में पालिका द्वारा स्वीकृत कार्यों की सूची

वर्ष 2006-07

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	वर्ष	ठेकेदार का नाम	कार्य पूर्ण/ अपूर्ण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वार्ड सं. 14 मेघवाल बस्ती में सीमेंट सड़क/ नाली निर्माण	3.18	0.54	2005-06	विभागीय	पूर्ण	
2	गणेश मन्दिर के पास नाले का निर्माण कार्य	3.18	-	-	-		कार्य प्रारम्भ नहीं

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका, परबतसर

नगरपालिकाओं में कार्यरत विधि सलाहकारों के मानदेय में वृद्धि

486. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिकाओं में नियुक्त विधि सलाहकारों को रुपये 1500/- प्रतिमाह मासिक मानदेय दिया जा रहा है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि अन्य विभागों/संस्थाओं में कार्यरत सलाहकारों के भत्ते सरकार द्वारा समय-समय पर बढ़ाये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नगरपालिकाओं में कार्यरत विधि सलाहकारों के भत्ते भी बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। द्वितीय श्रेणी की नगरपालिकाओं में नियुक्त विधि सलाहकारों को 1500 रुपये प्रतिमाह का पारिश्रमिक निर्धारित है, जो विभागीय आदेश दिनांक 18.09.2000 से प्रभावी है। अन्य श्रेणी की निकायों में नियुक्त विधि सलाहकारों को उक्त आदेश द्वारा निम्नानुसार पारिश्रमिक निर्धारित है :-

क्र. सं.	विवरण	राशि रुपये प्रतिमाह
1	समस्त नगर निगम	5000/-
2	सम्भागीय मुख्यालय की नगर परिषदें	4000/-
3	शेष अन्य नगर परिषद	3000/-
4	तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिकाएं	800/-

(2) जी हां। वर्तमान में नगर निकायों में नियुक्त विधि सलाहकारों के भत्ते (पारिश्रमिक) बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नगरपालिका क्षेत्र बग्गड़ (झुंझुनूं) के गन्दे पानी की निकासी

487. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(1) क्या सरकार झुंझुनूं जिले के ग्राम बग्गड़ की नगरपालिका के वार्ड संख्या 01, 02 और 15 के गन्दे पानी के निकास हेतु स्थाई व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या इस सम्बन्ध में स्थानीय वार्डों के दलित एवं गरीब लोगों द्वारा मांग करने पर सरकार द्वारा उक्त समस्या का शीघ्र स्थाई समाधन करने का आश्वासन दिया गया था? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पालिका की आर्थिक स्थिति एवं उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्राथमिकता के आधार पर इन वार्डों के गंदे पानी की निकासी हेतु स्थाई व्यवस्था की जावेगी।

(2) स्थानीय जनता द्वारा पालिका से मांग करने पर इस समस्या के समाधान हेतु नगरपालिका बग्गड़ द्वारा दिनांक 16.01.2006 को नाला निर्माण हेतु टेण्डर किये गये थे, लेकिन पर्याप्त राशि के अभाव में कार्य नहीं हो सका।

नगरपरिषद/पालिका कर्मियों के पदोन्नति नियम

488. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नगरपरिषद/नगरपालिका कर्मचारियों की पदोन्नति के नियम बने हुये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राजस्थान नगरपालिका (अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा) नियम, 1963 व राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ श्रेणी सेवा) नियम, 1964 में पदोन्नति प्रावधान से संबंधित अंशों की प्रतियां संलग्न हैं।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

फतेहपुर शहर (सीकर) के गंदे पानी की निकासी पर व्यय

489. श्री भंवरू खान (फतेहपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के शहर फतेहपुर के पानी की निकासी

(श्री. भंवरू खान)

हेतु गत वर्ष बनाई गई योजना में कितनी राशि व्यय कर क्या-क्या कार्य करवाये गये? क्या योजना के अन्तर्गत करवाये जाने वाले सभी कार्य पूर्ण करवा दिये गये? यदि हां, तो इन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई तथा यदि कार्य अपूर्ण हैं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अपूर्ण कार्यों को सरकार कब तक पूर्ण करवाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) फतेहपुर शहर में छतरिया बस स्टैण्ड पर पानी भरने की समस्या के मध्य नजर वर्ष 2005-06 में छतरिया बस स्टैण्ड से फतेहपुर बीड़ तक पाइप डालकर गन्दे पानी की निकासी हेतु 58.35 लाख रुपये की योजना बनाई गई।

उक्त योजना के अन्तर्गत छतरिया बस स्टैण्ड से लच्छीराम के कुए तक 900 एम.एम. की पाइप लाइन डाली जा चुकी है एवं सम्पवेल का निर्माण कराया जा चुका है। इस हेतु 42.57 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। शेष कार्य अपूर्ण है, क्योंकि तकमीने में 300 एम.एम. के क्लास 10 के पाइप लिये हुये थे, परन्तु बाजार में क्लास 10 के पाइप उपलब्ध नहीं होने से क्लास 15 के पाइपों की संशोधित तकनीकी स्वीकृति दी गई एवं 2 मड पम्पों की आवश्यकता होने स 9.34 लाख रुपये का कुल अतिरिक्त व्यय होगा।

(2) स्वीकृत योजना राशि से अतिरिक्त व्यय के संबंध में परीक्षण कराया जाकर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर शहर की बहुमंजिला इमारतों को अग्निशमन प्रमाण-पत्र

490. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 से अब तक जयपुर शहर के कितने बहुमंजिला व्यावसायिक एवं आवासीय परिसरों को नगर निगम अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने परिसरों को नियमानुसार स्थाई प्रमाण-पत्र उपरान्त अधिवास प्रमाण-पत्र जारी नहीं किये गये? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

(3) उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना परिसर का उपयोग व उपभोग करने वाले भवन मालिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना परिसर का उपयोग व उपभोग करने पर सरकार के आदेश क्रमांक एफ. 28 (विविध) (फायर) स्वा.शा./05/24181 दिनांक 20 दिसम्बर, 2005 के अनुसार परिसर को सीज करने का प्रावधान है? यदि हां, तो वर्ष 2004 से अब तक जयपुर शहर के कितने परिसरों को सीज किया गया? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004 से अब तक 69 आवासीय, 64 व्यावसायिक अस्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। वर्षवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) उक्त में से केवल 6 को स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। अधिवास प्रमाण-पत्र हेतु नगर निगम को कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अत: इस कारण कोई अधिवास प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जी.ई. केपिटल को अधिवास प्रमाण-पत्र जारी किया गया।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन भवन) विनियम, 2000 में अधिवास प्रमाण-पत्र नहीं लिये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान नहीं है।

(4) प्रश्न में वर्णित पत्र आदेश नहीं होकर सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2005 को हुई बैठक का कार्यवाही विवरण है, जिसमें शासन सचिव के निर्देशों के क्रम में उल्लेख है। राजस्थान में परिसर सीज करने की कार्यवाही हेतु नियमों में प्रावधान नहीं होने से अब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

परिशिष्ट "अ"

जयपुर शहर में जिन बहुमंजिला व्यावसायिक एवं आवासीय परिसरों को फायर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया गया, की सूची

क्र.सं.	वर्ष	अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र		स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र	
		व्यावसायिक	आवासीय	व्यावसायिक	आवासीय
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	2004-05	22	12	शून्य	शून्य
2	2005-06	22	18	2	शून्य
3	2006-07 (20 मार्च, 07 तक)	20	39	4	शून्य
	योग	**64**	**69**	**6**	**शून्य**

अग्निशमन अधिकारी
जयपुर नगर निगम

चाकसू (जयपुर) नगरपालिका में भू-रूपान्तरण के लम्बित प्रकरण

491. श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (फागी) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्र की कृषि भूमि का आवासीय व व्यावसायिक रूपान्तरण नगरपालिकाओं द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो वर्ष 2005-06 व 2006-07 में नगरपालिका चाकसू में लम्बित कितनी पत्रावलियों का निस्तारण किया गया तथा कितनी पत्रावलियां लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नगरपालिका क्षेत्र की कृषि भूमि का आवासीय/व्यावसायिक रूपान्तरण बाबत भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी की कार्यवाही का आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित करने के उपरान्त नगरपालिका द्वारा नियमन पट्टे देने की कार्यवाही की जाती है। नगरपालिका चाकसू में वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में निस्तारित एवं शेष रहे प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	कुल प्रकरण	नये प्राप्त	योग	निर्णित	शेष
2005-06	284	-	284	70	214
2006-07 फरवरी, 2007 तक	214	67	281	75	206

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

इस प्रकार फरवरी, 2007 तक 206 प्रकरण शेष हैं, जिनके निस्तारण की कार्यवाही जारी है।

नगरीय विकास न्यास क्षेत्र भीलवाड़ा में कृषि भूमि पर निर्मित मकानों का नियमन

492. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा) : क्या नगरीय एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास क्षेत्र में कृषि भूमि पर बने हुए मकानों की कौन-कौनसी बस्तियां हैं जो आज भी योजना क्षेत्र में आती हैं? जिनका आज भी नियमन गैर योजना में न होने से रुका हुआ है, जबकि धान तलाई कृषि भूमि पर बने हुए मकानों की बस्ती आर.के. कालोनी योजना क्षेत्र में कुछ हिस्सा अनायास जोड़ने से योजना क्षेत्र में वर्षों से बने हुए मकानों का नियमन नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस हिस्से को कब तक डी-एक्वायर घोषित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास क्षेत्र में कृषि भूमि पर बने मकानों की निम्न बस्तियां योजना क्षेत्र में आती हैं :-

1. आजाद नगर (सेक्टर ए.बी.सी.डी.ई. क्षेत्र)
2. रमेश चन्द्र व्यास नगर (संजय कालोनी)
3. विजय सिंह पथिक नगर (तकनीकी कालोनी क्षेत्र)
4. मोहन लाल सुखाड़िया नगर (रमा विहार क्षेत्र)
5. पटेल नगर
6. राधाकृष्ण कालोनी (धांधोलाई क्षेत्र)

इसके अतिरिक्त बिलानाम सरकारी भूमि पर भी निर्मित भवनों/कब्जों वाले क्षेत्र इसी प्रकार के प्रकरण है। धांधोलाई क्षेत्र हेतु नियमानुसार भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की गयी है। नियमन/अवाप्ति से मुक्ति का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। न्यास भीलवाड़ा से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जावेगा।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बैंक आफ राजस्थान में जमा राशि

493. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की वर्तमान में किस-किस बैंक में कुल कितनी राशि जमा है?

(2) क्या उक्त समस्त राशि चालू खाते में है अथवा इसकी एफ.डी.आर. करवाई गई है? एफ.डी.आर. की ब्याज दर क्या-क्या है एवं किस-किस बैंक में एफ.डी.आर. हैं?

(3) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त ब्याज दरों में करवाई गई एफ.डी.आर. के अतिरिक्त अन्य बैंकों से भी ब्याज दर के प्रस्ताव प्राप्त किये गये? यदि हां, तो किस-किस बैंक से किस-किस ब्याज दर के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं।

(4) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाई गई एफ.डी.आर. की ब्याज दरें अन्य बैंकों की ब्याज दरों से अधिक दर पर हैं? यदि नहीं, तो अन्य बैंकों में एफ.डी.आर. क्यों नहीं करवाई गई?

(5) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण ने बैंक आफ राजस्थान से वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में ऋण लिया है? यदि हां, तो किस-किस दर पर एवं कब-कब तथा उक्त ऋण का भुगतान कब-कब किया गया? क्या समय पूर्व भुगतान करने पर बैंक द्वारा राशि चार्ज की गई? यदि हां, तो कितनी राशि व किन नियमों के तहत? क्या उक्त बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है एवं क्या जयपुर विकास प्राधिकरण की राशि उक्त बैंक में सुरक्षित है?

(6) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण मुख्यालय में दी बैंक आफ राजस्थान की शाखा को जगह उपलब्ध कराई गई है? यदि हां, तो उक्त स्थान हेतु बैंक द्वारा कितना किराया जयपुर विकास प्राधिकरण को दिया जा रहा है? उक्त बैंक किस दिनांक से कार्यरत है तथा उस समय प्रतिमाह कितना किराया वसूल किया जा रहा था?

उत्तर

(1) वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के निम्न बैंकों में निम्नानुसार राशि जमा है :-

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

1.	दी बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड, जेडीए ब्रान्च, जयपुर	रुपये	4108159818.83
2.	एच.डी.एफ.सी. बैंक	रुपये	6703128.00
3.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक	रुपये	291021.80
4.	यूको बैंक, ग्रेन मण्डी, जयपुर	रुपये	23930.50
5.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर बापू नगर, जयपुर	रुपये	640155.75
6.	ओरियन्टल बैंक आफ कॉमर्स जौहरी बाजार	रुपये	34692.00
7.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया एस.डी.एम.एच. ब्रान्च	रुपये	151170.00

इसके अतिरिक्त नवीन योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की रजिस्ट्रेशन राशि एकत्रित करने हेतु अधिकृत बैंकों में निम्नानुसार राशि जमा है :-

1.	दी बैंक आफ राजस्थान लि. बापू नगर	रुपये	309545.238
2.	यू.टी.आई. बैंक	रुपये	67717.001
3.	एच.डी.एफ.सी. बैंक	रुपये	19649.32

(2) जी हां। उक्त राशि चालू खाते एवं एफ.डी.आर. में है। दी बैंक आफ राजस्थान लिमिटेड़ जेडीए ब्रान्च में ब्याज दर 6.50 प्रतिशत से 9.75 प्रतिशत पर अलग-अलग समय पर एफ.डी.आर. कराई गई है।

(3) एफ.डी.आर. के संबंध में विभिन्न बैंकों से एफ.डी.आर. के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। बैंकों के प्रस्तावों में छह माह तक की एफ.डी.आर. की ब्याज दर भिन्न-भिन्न समय पर निम्नलिखित अनुसार सूचित की गई है :-

1	एच.डी.एफ.सी. बैंक, जयपुर	4.75 प्रतिशत से 5.50 प्रतिशत
2.	आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, जयपुर	6.75 प्रतिशत से 9.40 प्रतिशत
3.	फेडरल बैंक, जयपुर	4.50 प्रतिशत से 6.75 प्रतिशत
4.	ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स, जौहरी बाजार	3.50 प्रतिशत से 9.25 प्रतिशत
5.	पंजाब नेशनल बैंक, एम.आई. रोड	6.05 प्रतिशत से 7.40 प्रतिशत
6.	स्टेट बैंक आफ इन्दौर, शास्त्री नगर	6.50 प्रतिशत से 8.00 प्रतिशत
7.	इन्ड्सइन्ड बैंक, जयपुर	5.60 प्रतिशत से 9.50 प्रतिशत

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

8.	आई.डी.बी.आई. बैंक, जयपुर	8.50 प्रतिशत से 9.35 प्रतिशत
9.	देना बैंक, एम.आई. रोड, जयपुर	8.25 प्रतिशत
10.	पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक, जयपुर	5.90 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत
11.	कारपोरेशन बैंक, जयपुर	7.00 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत
12.	इण्डियन बैंक	6.00 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत
13.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया, एस.डी.एम.एच. जयपुर	9.25 प्रतिशत से 9.35 प्रतिशत

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाई गई एफ.डी.आर. की ब्याज दर पर सामान्यत: अन्य बैंकों की ब्याज दर के समकक्ष ही है। दी बैंक आफ राजस्थान लि. जयपुर विकास प्राधिकरण का मुख्य बैंकर होने के कारण एफ.डी.आर. इसी बैंक में करवाई गई है।

(5) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण ने दी बैंक आफ राजस्थान लि. से वर्ष 2004-05 में ऋण लिया है। वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में दी बैंक आफ राजस्थान लि. से कोई ऋण नहीं लिया गया है। वर्ष 2004-05 में लिये गये ऋण ब्याज दर एवं भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है :-

ऋण दिनांक	**राशि (करोड़ में)**	**ब्याज दर**	**भुगतान तिथि**
22.06.2004	5.00	8.50 प्रतिशत (दिनांक 01.11.04 से ब्याज दर 7 प्रतिशत)	05.10.2005
30.06.2004	15.00	7.50 प्रतिशत (दिनांक 01.11.04 से ब्याज दर 7 प्रतिशत)	21.10.2005
23.10.2004	15.00	7 प्रतिशत	09.01.2006

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23.10.2004 को लिये गये ऋण की राशि रुपये 15.00 करोड़ का समय से पूर्व भुगतान करने पर ऋण की शर्तों के क्रम में कुल 1500000/- का भुगतान चार्ज किया गया। उक्त बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। बैंक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का अनुसूची व्यवसायी बैंक है। बैंक रिजर्व बैंक आफ इण्डिया का अनुसूची बैंक होने के कारण राशि की सुरक्षा रिजर्व बैंक के नियमों/आदेशों के तहत ही निहित है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(6) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण में दी बैंक आफ राजस्थान की शाखा को जगह उपलब्ध करायी हुई है। उक्त बैंक द्वारा वर्तमान में 10,350 रुपये प्रतिमाह किराया दिया जा रहा है। दी बैंक आफ राजस्थान जयपुर विकास प्राधिकरण में 17.12.1996 से कार्यरत है उस समय प्रतिमाह 9,000 रुपये किराया वसूल किया जा रहा था।

बस्सी विधान सभा क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत अपूर्ण सड़कें

494. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल कितनी सड़कें जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्वीकृत हुई हैं?

(2) उक्त सड़कों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

(3) स्वीकृत सड़कों में से कितनी-कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितनी अभी अपूर्ण हैं? अपूर्ण रहने के क्या कारण रहे? अब इन्हें कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराने हेतु कोई प्रक्रिया या प्रस्ताव विचाराधीन हैं? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण व विकास हेतु कुल 20 कार्य गत तीन वर्षों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गए हैं।

(2) स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(3) विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(4) परिशिष्ट ''अ'' पर दर्शाये अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने हेतु विभागीय नियम एवं प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट- ''अ''

क्र. सं.	कार्य का नाम	वित्तीय स्वीकृति (रु. लाखों में)	कार्य पूर्ण/ अपूर्ण	अपूर्ण रहने के कारण	कार्य पूर्ण कराये जाने का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	गीला की नांगल में सी.सी. रोड का कार्य एवं ग्राम हीरावाला में सड़क निर्माण कार्य	67.30	अपूर्ण	डामर उपलब्ध नहीं होने के कारण	माह मई 2007 तक कार्य पूर्ण करवा दिया जायेगा।
2	कानोता से हरडी वाया सांसियों की ढाणी पंचमुखी हनुमानजी तक सड़क निर्माण कार्य	45.50	अपूर्ण	काश्ताकरों के भूमि विवाद के कारण	भूमि उपलब्ध होने के उपरांत कार्य पूर्ण करवा दिया जायेगा।
3	बस्सी विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य	97.45	पूर्ण	-	-
4	बस्सी विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य एवं सड़क सुधार कार्य	383.00	अपूर्ण	कार्य प्रगति पर है	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 21.7.2007 है।
5	हरचंदपुरा डेयरी फेज-द्वितीय में विकास कार्य	81.70	अपूर्ण	भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण	भूमि उपलब्ध होने के उपरांत कार्य पूर्ण करवा दिया जायेगा।
6	बस्सी क्षेत्र में विभिन्न सड़कों व चार दीवारी का निर्माण कार्य	75.86	अपूर्ण	ठेकेदार द्वारा कार्य धीमी गति से करने के कारण	ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5	6
7	हरचंदपुरा डेयरी फार्म कानोता में विकास कार्य	16.74	अपूर्ण	भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण	भूमि उपलब्ध होने के उपरांत कार्य पूर्ण करवा दिया जायेगा।
8	बस्सी के विभिन्न मोहल्लों में सड़क व नाली निर्माण कार्य	89.08	पूर्ण	-	-
9	राजभवन नगर व पीताम्बरा नगर में आन्तरिक WBM सड़क का निर्माण कार्य	330.00	अपूर्ण	उपलब्ध भूमि में कार्य पूर्ण। शेष भूमि पर वन विभाग का वृक्षारोपण होने के कारण	वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है।
10	कल्पना नगर योजना में आंतरिक सड़कों का निर्माण	850.00	अपूर्ण	मौके पर वन विभाग का वृक्षारोपण होने के कारण	वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ किया जा रहा है।
11	खोरी से श्रीरामपुरा वाया रोपाड़ा, हिंगोनिया और कानोता रेल्वे स्टेशन में सड़क निर्माण कार्य	61.80	पूर्ण	-	-
12	ग्राम भूरथल भटेसरी से कांदियावास गोनेर रोड सम्पर्क सड़क का निर्माण	27.13	पूर्ण	-	-
13	जोन-12ए क्षेत्र कानोता में पेच रिपेयर का कार्य	9.95	पूर्ण	-	-

1	2	3	4	5	6
14	सरदार सिंह नगर कानोता में सड़क व नाली निर्माण का कार्य	4.30	पूर्ण	-	-
15	जोन-12ए क्षेत्र बस्सी में पेंच रिपेयर का कार्य	9.96	पूर्ण	-	-
16	आगरा रोड (बैनाड़ा मोड़) से श्रीजी मंदिर तक सड़क नवीनीकरण का कार्य	11.00	पूर्ण	-	-
17	कांदियावास से कानोता सांभरिया रोड को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य	40.00	पूर्ण	-	-
18	एन.एच.11 से पीताम्बरा नगर तक एप्रोच रोड का निर्माण कार्य	44.80	अपूर्ण	भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण	काश्तकारों से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही चल रही है। कार्य शीघ्र शुरू करा दिया जावेगा।
19	आगरा रोड से पृथ्वीराज नगर तक एप्रोच रोड का निर्माण कार्य	67.16	अपूर्ण	भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण	
20	बस्सी (दूधली) से जगतपुरा तक रेलवे लाइन के साथ-साथ लिंक रोड का निर्माण कार्य	5624.00	अपूर्ण	दिनांक 20.1.2007 को स्वीकृत	उक्त प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु वर्तमान में कार्य योजना तैयार की जाकर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की गई है। सड़क निर्माण के प्रथम फेज हेतु विस्तृत तकमीने प्रक्रियाधीन है। उक्तसड़क को भूमि उपलब्धता के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है।

भू-उपयोग परिवर्तन समितियों द्वारा भू-परिवर्तन से प्रभावित मास्टर प्लान

495. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सरकार द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन कमेटियों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन करने के पश्चात् पुन: मास्टर प्लान को सन्तुलित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

उत्तर

जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समितियों द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन करते समय यथा सम्भव भू-उपयोगों के संतुलन का ध्यान रखा जाता है।

आवश्यकतानुसार शहरों के मास्टर प्लान्स का पुनरावलोकन किया जाता है। नया मास्टर प्लान बनाते समय मास्टर प्लान में किये समस्त भू-उपयोगों के परिवर्तन को समयोजित कर, भविष्य की आवश्यकताओं का आंकलन करने के पश्चात् मास्टर प्लान में भू-उपयोगों को सन्तुलित करते हुये प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं। यह प्रक्रिया सतत् रूप से अपनाई जाती है।

सैक्टर 65, मानसरोवर (जयपुर) के पार्क में निर्माण कार्य

496. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मानसरोवर जयपुर के सैक्टर 65 हीरा पथ के लिये छोड़ी गई पार्क भूमि के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आवासन मण्डल उक्त पार्क में कोई निर्माण कार्य करवाने का विचार रखता है? यदि हां, तो क्या व क्यों?

(3) क्या आवासन मण्डल द्वारा उक्त सैक्टर 65 के पार्क की दीवार का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार पार्क में आने-जाने के लिये गेट लगवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मानसरोवर जयपुर के सैक्टर 65 हीरापथ के लिये छोड़ी गई पार्क भूमि के नक्शे की प्रतिलिपि परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) उक्त पार्क में चारदीवारी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

(3) जी हां। पार्क की चारदीवारी का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है एवं उसी के साथ गेट लगाने का भी कार्य किया जा रहा है।

(नक्शा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर विकास प्राधिकरण में प्राप्त शिकायत की जांच

497. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में मुख्य मंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायत बी.आर. संख्या 2291 दिनांक 27 जनवरी, 2003 द्वारा दर्ज की गई है? यदि हां, तो शिकायत की प्रति एवं जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जांच के आधार पर क्या किसी कर्मचारी/अधिकारी को दोषी माना गया? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मुख्यमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त शिकायत जो कि विजिटर्स रजिस्टर (वी.आर.) संख्या 2291 दिनांक 27.11.2003 पर दर्ज की गई है कि प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। इस बारे में जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं उपलब्ध अभिलेख तथा सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के विस्तृत परीक्षण उपरान्त इन अधिकारियों को दोषी नहीं माना गया है।

(रिपोर्ट की प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

कृषि भूमियों के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु नियम

498. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान में कृषि भूमियों के भू-उपयोग रूपान्तरण व नियमितिकरण करके ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाओं नगर विकास न्यासों, नगर निगम जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पट्टे संबंधित हकधारियों को क्या अलग-अलग नियमों द्वारा जारी किये जाते हैं? यदि हां, तो क्या सरकार

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

समानता के आधार पर नियम बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों? वर्तमान में किन-किन नियमों के द्वारा भू-उपयोग में कानूनों का प्रावधान है? अधिसूचनाएं इत्यादि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायतों, नगरपालिकाऐं, नगर विकास न्यासों, नगर निगम जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा पट्टे संबंधित हकधारियों को अलग-अलग नियमों द्वारा जारी किये जाते हैं। एक समान नियम बनाना इसलिये सम्भव नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों की परिस्थितियां अलग-अलग होती हैं। वर्तमान में भू-उपयोग के लिये नियमों में निम्न प्रावधान हैं :-

1. राजस्थान नगर विकास अधिनियम 1959 की धारा 3 से 7 एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962
2. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के चेप्टर-5 धारा 21 से 23
3. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 173 अ
4. राजस्थान नगरपालिका (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम 2000
5. राजस्थान नगरविकास अधिनियम, 1959 की धारा 73 बी
6. जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 25

महेश नगर (जयपुर) में आन्तरिक सड़कों के निर्माण हेतु जारी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति

499. प्रो. बीरूसिंह राठौड (बनीपार्क) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महेश नगर में आन्तरिक सड़कों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2001 से 2004 के बीच जारी की गई थी? यदि हां, तो कितनी रकम की व कब-कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध कार्य आदेश दिया गया था? यदि हां, तो किस ठेकेदार को व कितनी राशि का?

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

(3) उक्त कार्य आदेश/स्वीकृति के विरुद्ध कितने-कितने रुपयों का कार्य किस-किस ब्लाक में कराया गया? कार्य पूर्ण नहीं होने का क्या कारण रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में बचे कार्य की अब क्या प्रगति है व कब तक उक्त कार्य को पूर्ण करवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 2001-02 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राशि रुपये 69.43 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दिनांक 27.03.2002 को जारी की गयी तथा नगर निगम जयपुर द्वारा वर्ष 2001 से 2004 तक राशि रुपये 15,01587/- की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है, जो परिशिष्ट ''अ'', ''ए' पर संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के विरुद्ध कार्यादेश जारी किया गया है, जिसके ठेकेदार मैसर्स ओमप्रकाश अग्रवाल हैं एवं कार्यादेश राशि रुपये 33.92 लाख का दिया गया था।

नगर निगम, जयपुर द्वारा महेश नगर में वर्ष 2001 से 2004 के मध्य जारी सड़क निर्माण कार्यादेशों की सूची परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस कार्यादेश के विरुद्ध परिशिष्ट 'अ' के अनुसार ब्लाकों में कार्य करवाया गया है। उक्त कार्य के पूर्ण नहीं होने का मुख्य कारण सीवर लाइन एवं पानी की लाइनों का क्रमश: प्राधिकरण एवं आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा डालने तथा निवासियों द्वारा कनेक्शन लेने में समय लगना है।

नगर निगम, जयपुर द्वारा उक्त कार्यादेशों के तहत महेश नगर के ब्लाक एफ. बी. व सी. में सड़क निर्माण कार्य करवाया गया है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में बचे शेष कार्य को प्रारम्भ कराया जा रहा है तथा शीघ्र ही कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है, जबकि नगर निगम, जयपुर द्वारा उक्त जारी कार्यादेशों के तहत सभी कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	**ब्लाक जहां कार्य किया गया**	**व्यय राशि**
1	ए ब्लाक (महेश नगर)	2.50 लाख
2	बी ब्लाक (महेश नगर)	8.64 लाख+5.31 लाख डामर
3	सी ब्लाक (महेश नगर)	2.75 लाख

परिशिष्ट 'ए'

कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर)

क्रमांक :- एफ-11()सी.ए.ओ./जननि/07/ दिनांक :-

महेश नगर में आन्तरिक सड़कों के निर्माण पर जारी वित्तीय स्वीकृति का विवरण

1. महेश नगर में ''डी'' ब्लाक में सड़क व नाली निर्माण राशि 2,05,248/- रु. वर्ष 04.08.2001
2. महेश नगर ''एस'' ब्लाक में सड़कों का निर्माण कार्य राशि 5,35,850/- वर्ष 17.01.2002
3. महेश नगर ''सी'' ब्लॉक मकान नम्बर 446 में नाली व सड़क निर्माण राशि 2,03,000
4. वार्ड नम्बर 15 में विभिन्न कालोनियों महेश नगर ''ए' व ''बी'' ब्लाक एवं चौधरी कालोनी आदि में सड़कों को चौड़ा करने का कार्य राशि 5,57489/- रु.

मुख्य लेखाधिकारी
नगर निगम, जयपुर

परिशिष्ट ''क''

महेश नगर में 2001 से 2004 तक करवाये गये सड़क निर्माण कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्यादेश संख्या	वर्ष व कार्य की स्थिति
1	महेश नगर डी ब्लाक में सडक व नाली निर्माण कार्य	मै. रॉयल कन्स. कम्पनी	2.05	73/09.08.01	2001 कार्य पूर्ण
2	महेश नगर एस ब्लॉक में सड़क निर्माण कार्य	मै. ओम जी ओम	5.36	129/17.01.02	2002 कार्य पूर्ण
3	महेश नगर एफ ब्लाक व जेतपुरी, भगवती नगर, जगदीश कॉलोनी, रूपनगर द्वितीय में डामर सडक निर्माण कार्य	मै. पाटनी ट्रेडर्स	10.50	20/23.06.04	2004 कार्य पूर्ण
4	वार्ड 15 में विभिन्न कालोनियों में महेश नगर ब्लाक ए, बी, चौधरी कालोनी आदि में सड़क निर्माण कार्य	मै. कपूर चन्द	5.57	31/19.7.04	2004 कार्य पूण

अधिशासी अभियंता (द्वितीय)

जयपुर नगर निगम

उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के स्वीकृत अपूर्ण निर्माण कार्य

500. श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती वन्दना मीणा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में आर.यू.आई.डी.पी. एवं ए.डी.बी. परियोजना द्वारा शहर के विकास कार्य करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो परियोजना प्रारम्भ से अब तक क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये व उस पर कितनी राशि स्वीकृत थी, तथा कितनी अब तक व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यों को कराने की कोई समय सीमा निश्चित थी? यदि हां, तो कार्यवार निश्चित समय सीमा बताते हुए कार्य पूर्ण करने का निर्धारित समय बतावें। यदि किसी कार्य के पूर्ण होने में देरी हुई तो विलम्ब के लिए जिम्मेदार फर्म/ठेकेदार के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा आधारभूत विकास कार्य करवाये जा रहे हैं। परियोजना प्रारम्भ से अब तक करवाये गये विकास कार्यों इस पर स्वीकृत राशि एवं अब तक व्यय की गई राशि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर है।

(2) जी हां। उक्त कार्यों की निश्चित समय सीमा, कार्य पूर्ण करने का समय एवं विलम्ब के कारण फर्म/ठेकेदार पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ख' पर है।

परिशिष्ट ''क''

आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कराये जा रहे कार्यों का विवरण

क्र.सं.	पैकेज संख्या	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि लाख रुपया	व्यय की गई राशि लाख रुपया					कुल व्यय राशि लाख रुपया
				2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वाटर सप्लाई सेक्टर									
1	डब्ल्यू.एस.02	13.5 एमएलडी क्षमता का जलपरिशोधन संयंत्र तीतरडी में निर्माण कार्य	324.62	0.00	48.05	83.86	84.12	86.31	302.34
2	डब्ल्यू.एस.04	तीतरडी एवं नीमचमाता जोन में जलापूर्ति व्यवस्था के लिए 150-600 एमएम की पाइप लाइन बिछाने का कार्य	421.19	0.00	212.03	134.51	49.19	30.40	426.13
3	डब्ल्यू.एस.05	5 उच्च जलाशयों एवं 3 भूतल जलाशयों का निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली के संवर्द्धन का कार्य	168.00	9.20	36.34	76.94	20.19	7.42	150.09
4	डब्ल्यू.एस.08	नान्देश्वर पहाड़ी पर 23.35 एमएलडी क्षमता का जलपरिशोधन संयंत्र का कार्य	356.03	0.00	22.48	160.52	16.34	50.93	250.27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	डब्ल्यू.एस.09	उदयपुर क्षेत्र के 3 जोन क्रमश: मानसी वाकल, दूधतलाई, झामरकोटडा में 15.0-600 एमएम टाइप की 32.65 किलोमीटर डी आई पाइप लाइन डालने का कार्य	1230.00	0.00	537.24	444.17	77.43	22.52	1081.36
6	डब्ल्यू.एस.10	6 उच्च जलाशय एवं 1 भूतल जलाशय का निर्माण कार्य	315.30	0.00	93.78	47.50	113.92	37.20	292.40
7	डब्ल्यू.एस.11 लोट-1	नवनिर्मित उच्च जलाशय एवं भूतल जलाशयों को वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिए नई वितरण पाइप लाइन डालने का कार्य	664.70	0.00	0.00	0.00	177.19	327.27	504.46
8	डब्ल्यू.एस. लोट-2	नवनिर्मित उच्च जलाशय एवं भूतल जलाशयों को वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिए नई वितरण पाइप लाइन डालने का कार्य	373.58	0.00	0.00	0.00	118.79	144.95	263.74
9	डब्ल्यू.एस.12	मानसीवाकाल बांध का पानी उदयपुर शहर तक लाने के लिए देवास बांध से डाउन स्टीम से उन्दरी घाटा तक 2.5 मीटर व्यास की 4.6 किमी टनल का निर्माण	1662.00	0.00	24.49	254.30	525.21	417.48	1221.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	डब्ल्यू.एस.13	टनल आउट लेट उन्दरी घाटा से नान्देश्वर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक 800 मिमी. व्यास की पाइप लाइन बिछाने का कार्य	883.00	0.00	0.00	49.36	308.33	249.29	606.98
		योग	**6398.42**	**9.20**	**974.41**	**1251.16**	**1490.71**	**1373.77**	**5099.25**
रोड सेक्टर									
11	एस.टी.05	विभिन्न सड़कों को चौडा, सुदृढीकरण करने एवं चौराये सुधार के कार्य	1226.88	0.00	0.00	522.76	277.95	22.07	822.78
		योग	**1226.88**	**0.00**	**0.00**	**522.76**	**277.95**	**22.07**	**822.78**
ब्रिज सेक्टर									
12	बी.आर. 01	नेशनल हाइवे 76 पर आयड ब्रिज को चौडा करने का कार्य	203.74	24.36	36.92	112.74	2.40	0.00	176.42
13	बी.आर. 02	सेवाश्रम रेलवे क्रासिंग फ्लाईओवर का निर्माण कार्य	1065.00	36.04	133.50	232.29	531.83	85.79	1019.54
		योग	**1268.74**	**60.40**	**170.51**	**345.03**	**534.23**	**85.79**	**1195.96**
ड्रेनेज सेक्टर									
14	डी.आर. 01	शहर के बरसाती पानी के निकासी हेतु 6.5 किलोमीटर नाले का निर्माण एवं फतहसागर को भरने वाली 6.6 किलोमीटर मदार नहर का पुर्नद्धार का कार्य	538.00	0.00	142.19	115.26	98.88	95.19	451.52
		योग	**538.00**	**0.00**	**142.19**	**115.26**	**98.88**	**95.19**	**451.52**
		कुल योग	**9432.04**	**69.60**	**1287.11**	**2234.21**	**2401.77**	**1576.82**	**7569.51**

परिशिष्ट 'ख'

आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कराये जा रहे कार्यों को विवरण

क्र. सं.	पैकेज संख्या	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि लाख रुपया	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य की वर्तमान स्थिति	कार्य पूर्ण करने में विलम्ब के कारण ठेकेदार पर की गई कार्यवाही	
							शास्ती (क्षतिपूर्ति राशि रु. में वसूल की गई)	रोकी गई अंतरिम क्षतिपूर्ति (राशि लाख रुपये में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
वाटर सप्लाई सेक्टर								
1	डब्ल्यू.एस.02	13.5 एमएलडी क्षमता का जलपरिशोधन संयंत्र तीतरडी में निर्माण कार्य	324.62	28.12.02	27.6.04	दिनांक 31/12/06 को कार्य पूर्ण।	-	13.78
2	डब्ल्यू.एस.04	तीतरडी एवं नीमचमाता जोन से जलापूर्ति व्यवस्था के लिए 150-600 एमएम की पाइप लाइन बिछाने का कार्य	421.19	4.10.02	3.10.03	दिनांक 31/08/05 को कार्य पूर्ण	306681	-
3	डब्ल्यू.एस.05	5 उच्च जलाशयों एवं 3 भूतल जलाशयों का निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली के संवर्द्धन का कार्य	168.00	10.10.02	9.10.03	दिनांक 31/08/05 को कार्य पूर्ण।	101038	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	डब्ल्यू.एस.08	नान्देश्वर पहाड़ी पर 23.35 एमएलडी क्षमता का जलपरिशोधन संयंत्र का कार्य	356.03	1.4.03	30.9.04	कार्य प्रगति पर, दिनांक 31/5/07 तक पूर्ण होने की सम्भावना	-	1.71
5	डब्ल्यू.एस.09	उदयपुर क्षेत्र के 3 जोन क्रमशः मानसी वाकल, दूधतलाई, झामरकोटडा में 15.0-600 एमएम टाइप की 32.65 किलोमीटर डी आई पाइप लाइन डालने का कार्य	1230.00	31.10.02	31.10.03	दिनांक 31/08/05 को कार्य पूर्ण।	732755	-
6	डब्ल्यू.एस.10	6 उच्च जलाशय एवं 1 भूतल जलाशय का निर्माण कार्य।	315.30	23.12.02	22.12.03	दिनांक 31/08/06 को कार्य पूर्ण।		4.92
7	डब्ल्यू.एस.11 लोट-1	नवनिर्मित उच्च जलाशय एवं भूतल जलाशयों को वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिए नई वितरण पाइप लाइन डालने का कार्य।	664.70	26.8.05	25.8.06	कार्य प्रगति पर, दिनांक 31/3/07 तक पूर्ण होने की सम्भावना		ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है।
8	डब्ल्यू.एस. लोट-2	नवनिर्मित उच्च जलाशय एवं भूतल जलाशयों को वितरण प्रणाली से जोड़ने के लिए नई वितरण पाइप लाइन डालने का कार्य। लोट-2	373.58	26.8.05	25.8.06	कार्य प्रगति पर, दिनांक 31/3/07 तक पूर्ण होने की सम्भावना		ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	डब्ल्यू.एस.12	मानसीवाकल बांध का पानी उदयपुर शहर तक लाने के लिए देवास बांध से डाउन स्टीम से उन्दरी घाटा तक 2.5 मीटर व्यास की 4.6 किमी टनल का	1662.00	5.12.03	4.12.05	कार्य प्रगति पर, दिनांक 30/3/07 तक पूर्ण होने की सम्भावना		ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है।
10	डब्ल्यू.एस.13	टनल आउट लेट उन्दरी घाटा से नान्देश्वर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट तक 800 मिमी. व्यास की पाइप लाइन बिछाने का कार्य	883.00	31.1.05	30.1.06	कार्य प्रगति पर, दिनांक 31/5/07 तक पूर्ण होने की सम्भावना		ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है।
		योग	**6398.42**					
रोड सेक्टर								
11	एस.टी. 05	विभिन्न सड़कों को चौडा, सुदृढ़ीकरण करने एवं चौराये सुधार के कार्य	1226.88	3.2.03	2.11.03	दिनांक 31/07/05 को कार्य पूर्ण।	736130	
		योग	**1226.88**					
ब्रिज सेक्टर								
12	बी.आर. 01	नेशनल हाइवे 76 पर आयड ब्रिज को चौड़ा करने का कार्य	203.74	24.10.02	23.7.03	दिनांक 15/10/04 को कार्य पूर्ण।		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	बी.आर. 02	सेवाश्रम रेलवे क्रासिंग फ्लाईओवर का निर्माण कार्य	1065.00	25.10.02	24.10.03	कार्य प्रगति पर, दिनांक 15/4/07 तक पूर्ण होने की सम्भावना	-	16.84
		योग	**1268.74**					
ड्रेनेज सेक्टर								
14	डी.आर. 01	शहर के बरसाती पानी के निकासी हेतु 6.5 किलोमीटर नाले का निर्माण एवं फतहसागर को भरने वाली 6.6 किलोमीटर मदार नहर का पुर्नद्धार का कार्य	538.00	10.12.02	9.12.03	कार्य प्रगति पर, दिनांक 31/5/07 तक पूर्ण होने की सम्भावना	-	6.23
		योग	**538.00**					
		कुल योग	**9432.04**					

सिविल लाइन्स जयपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी फर्जी पट्टे

501. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2002 में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 540 दिनांक 26 सितम्बर, 2002 जोन ए-1 द्वारा भू-खण्ड संख्या 4 हवा सड़क सिविल लाइन, जयपुर एवं पत्र संख्या 19 वर्ष 2002, शिवाजी नगर, सिविल लाइन, जयपुर का पट्टा जारी किया गया है? यदि हां, तो किस-किस को?

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किसी भी भू-खण्ड के पट्टा जारी करने से पूर्व किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त भू-खण्ड के पट्टा जारी करने से पूर्व भू-खण्डधारियों द्वारा समस्त दस्तावेज प्राधिकरण में जमा करवाये गये? यदि हां, तो दस्तावेजों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भू-खण्डों के पट्टे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी किये गये हैं? जिसकी जांच ए.सी.डी. में भी विचाराधीन है तथा जिसका रिकार्ड भी ए.सी.डी. द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण से तलब किया गया है?

(5) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त अवैध पट्टों को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार ऐसे फर्जी दस्तावेज पेश कर अवैध पट्टा लेने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन ए-1 (वर्तमान जोन-1) द्वारा पत्र क्रमांक संख्या 540 दिनांक 26.09.2002 के द्वारा भूखण्ड संख्या 4 हवा सड़क सिविल लाइन जयपुर का कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। जोन ए-1 (वर्तमान में जोन-1) द्वारा पट्टा संख्या 540 दिनांक 26.09.2002 को जारी

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

किया गया है, जो श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र माधोसिंह के नाम से खसरा नं. 50/2, ग्राम सोडाला हवा सड़क, चम्बल पावर हाउस के सामने के लिए जारी किया गया। पत्र संख्या 19 वर्ष 2002 के द्वारा शिवाजी नगर, सिविल लाइन, जयपुर का कोई पट्‌टा जारी नहीं किया गया है। लेकिन रिकार्ड अनुसार भूखण्ड संख्या 19, शिवाजी नगर योजना, जो कि श्रीमहाराज गोपालपुरा गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा सृजित की गई थी का पट्‌टा श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री मनोहर सिंह को क्रमांक 819 दिनांक 07.11.2001 को जारी किया गया है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो प्रक्रिया निर्धारित की हुई है, तदनुसार ही दस्तावेजात प्राप्त किये जाते हैं, जो निम्नानुसार है :-

1. निर्धारित व्यक्तिगत आवेदन पत्र
2. निर्धारित क्षतिपूर्ति बंध पत्र (200 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)
3. निर्धारित शपथ पत्र (10 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)
4. निर्धारित समर्पण नामा, निजी भूमि होने की अवस्था में (10 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर) एवं स्वामित्व के दस्तावेजात।

(3) भूखण्डधारियों द्वारा जो दस्तावेज जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा कराये गये हैं। उनकी प्रति परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' पर संलग्न है।

(4) इस बाबत् एक प्रकरण ए.सी.डी. में परिवाद संख्या 9/2006 विचाराधीन है। जिसकी जांच हेतु ए.सी.डी. द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण से रिकार्ड तलब किया गया था।

(5) इस संबंध में ए.सी.डी. से जांच पूर्ण होने के पश्चात् ही निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

(6) ए.सी.डी. द्वारा उक्त प्रकरण की जांच पूर्ण होने तथा इसके पश्चात् जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही इस संबंध में कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा।

(दस्तावेजों की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध लम्बित प्रकरण

502. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री संयम लोढ़ा)

(1) राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 1999 से अब तक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने कितने पुलिस अधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते गिरफ्तार किया एवं उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया? मय एफ.आई.आर. की प्रति के प्रत्येक का विवरणात्मक आलेख सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? ऐसे पकड़े गये पुलिस अधिकारी कब बहाल किये गये और वे अभी कहां पदस्थापित हैं? कितने मामलों में अभी जांच लम्बित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 1 जनवरी, 1999 से अब तक (31.12.2006 तक) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 17 पुलिस अधिकारियों को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है तथा इनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। प्रकरणों की विवरणात्मक प्रथम सूचना रिपोर्ट परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) उक्त प्रकरणों में से प्रकरण संख्या 280/99, 80/2000, 152/2001, 414/2001, 19/2002, 122/2002, 137/2002, 207/2003, 269/2004 कुल 9 प्रकरणों में चालान पेश हुआ है। प्रकरण संख्या 282/2002, 77/2004 व 280/2004 कुल 3 प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन पेश हुआ है एवं शेष 5 प्रकरण अन्वेषणाधीन है। पकडे गये पुलिस अधिकारी कब बहाल किये गये और वे अभी कहां पदस्थापित हैं का विवरण परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है। ब्यूरो में अन्वेषणाधीन प्रकरणों का विवरण निम्न है :-

क्रम सं.	प्रकरण सं.	विरुद्ध
1	201/04	श्री मुरलीधर गोड, उप पुलिस अधीक्षक
2	202/06	श्री ललित पारीक, पुलिस निरीक्षक
3	254/06	श्री अमलेश चौधरी, पुलिस निरीक्षक
4	338/06	श्री सज्जन सिंह, उप अधीक्षक पुलिस
5	363/06	श्री फूल मोहम्मद, पुलिस निरीक्षक

(रिपोर्ट/विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

परिवाद संख्या 9/2006 का जांच प्रकरण

503. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि परिवाद संख्या 9/2006 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में हो रही अनियिमतताओं के सम्बन्ध में शिकायतों की जांच विचाराधीन है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में आज तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और क्या व नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त प्रकरण में सरकार द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही किस-किस स्तर पर की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) परिवाद में अंकित आरोपों की जांच के दौरान ज्ञात मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्यों का कानूनी दृष्टि कोण से परीक्षण किया जा रहा है। प्रकरण में शीघ्र निर्णय लिया जाकर गुण-दोष के आधार पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

(4) परिवाद की जांच अति. पुलिस अधीक्षक स्तर पर की गई है। जांच के दौरान प्रारम्भिक स्तर पर अभिलेख ब्यूरो द्वारा प्राप्त कर लिये गये हैं।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की मण्डियों का सम्बन्धित पंचायतों को हस्तान्तरण

504. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 04 फरवरी, 2002 को राजस्व उपनिवेशन विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत मण्डियों का हस्तान्तरण इंदिरा गांधी नहर परियोजना की स्टेज प्रथम क्षेत्र की इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आर.डी. 620 तक की अनेक मण्डियों को संबंधित नगरपालिकाओं/ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति जारी की गई थी? यदि हां, तो किन-किन मण्डियों की?

(2) क्या उक्त मण्डियों को ग्राम पंचायतों/नगरपालिकाओं को

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है? यदि हां, तो कब-कब व किन-किन मण्डियों की?

(3) क्या यह सही है कि उक्त आदेश को अतिक्रमित करते हुए राजस्व उपनिवेशन विभाग द्वारा नवीन आदेश जारी कर अनेक मण्डियों को ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया? यदि हां, तो कब व क्यों? क्या सरकार उक्त स्थगन आदेश को निरस्त कर उक्त क्षेत्र ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि सिंचित क्षेत्र की मण्डियों को पंचायतीराज को हस्तांतरित करने के संबंध में प्रमुख शासन सचिव द्वारा कोई बैठक आयोजित की गई थी? यदि हां, तो कब? बैठक की कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखते हुए यह बताएं कि उक्त क्षेत्र की मण्डियों को ग्राम पंचायतों को स्थानांतरित करने हेतु क्या कोई निर्णय लिए गए? यदि हां, तो क्या उन निर्णयों की क्रियान्विति हो चुकी है? व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिन-जिन मण्डियों को नगरपालिका/ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण करने का जो आदेश दिया गया की सूची परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।

(2) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज प्रथम क्षेत्र की मण्डियों हनुमानगढ़ टाउन, हनुमानगढ़ जंक्शन, संगरिया, अनूपगढ़, पीलीबंगा, नोहर, रावतसर, सादुलशहर, सूरतगढ, अनूपगढ़, कुल 9 मण्डियों नगरपालिकाओं को वर्ष 2002 में हस्तान्तरित कर दी गई हैं। शेष मण्डियां हस्तान्तरित नहीं की गई हैं।

(3) जी हां। शेष बची 7 (सात) मण्डियों का ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरण उनके पास विकास के पर्याप्त साधन नहीं होने के कारण नहीं किया गया। ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करने का प्रकरण वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है। उक्त मण्डियों को समयबद्ध एचं चरणबद्ध तरीके से पंचायतीराज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने के संबंध में विचार किया गया था, लेकिन इस बाबत् कोई निर्णय नहीं हुआ था।

परिशिष्ट 'क'

राजस्थान सरकार

राजस्व (उपनिवेशन) विभाग

क्रमांक : प.3(16)उप/8/　　　　　　　　　जयपुर, दिनांक 4.3.2002

<u>आदेश</u>

अतिरिक्त कलक्टर एवं सचिव, मण्डी विकास समिति, हनुमानगढ़/बीकानेर/जैसलमेर के संबंध में इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 11 (21) उप/93 दिनांक 12/10/2000 के जारी निम्न प्रकार निर्णय लिया गया था :-

(1) मण्डी विकास समिति, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं जैसलमेर से संबंधित प्रशासनिक एवं विकास संबंधी कार्य मण्डी समिति के कार्यो का मोनिटरिंग सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपभोक्ता विभाग द्वारा सम्पादित किया जावेगा।

(2) मण्डी क्षेत्रों के भूमि का विक्रय एवं आबंटन दरों का निर्धारण तथा मण्डी नियमों/शर्तो में संशोधन तथा भूमि विक्रय आदि से आय का कार्य एवं लक्ष्यों का आबंटन भी उपनिवेशन विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र के लिए निदेशक समिति की बैठक दिनांक 11/09/2001 के एजेण्डा संख्या 5 पर निम्न प्रकार निर्णय लिया है :-

''सी.ए.डी. विभाग ने प्रस्तावित किया कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज प्रथम क्षेत्र की मण्डियां (इं.गां.न.प. मुख्य नहर की आर डी-620 तक) संबंधित स्थानीय निकायों को स्थानान्तरित की जाए (नगर पालिकायें या ग्राम पंचायत) यह निर्णय लिया गया है कि स्थानान्तरण इस शर्ते के अध्यधीन किया जावे कि इन मण्डियों में स्थित भूमि/भूखण्डों के निस्तारण/नियमितीकरण (विकसित खाली भूमि/भूखण्ड तथा अतिक्रमित भूमि) से जो आय प्राप्त होगी उसका बंटवारा स्थानीय निकाय एवं राज्य सरकार के मध्य 50:50 के आधार पर होगा।

इस निर्णय की अनुपालना में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की स्टेज प्रथम क्षेत्र की इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की आर डी 620 तक निम्न 16 मण्डियों को संबंधित नगरपालिकाओं/ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित किये जाने की एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	मण्डी	जिला	मण्डी विकास समिति	स्थानीय निकाय जिसे हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है
1.	हनुमानगढ़ (टाऊन)	हनुमानगढ़	मं.वि.स., हनुमानगढ़	नगरपालिका हनुमानगढ़
2	हनुमानगढ़ जं.	हनुमानगढ़	मं.वि.स., हनुमानगढ़	नगरपालिका हनुमानगढ़
3	सांगरिया	हनुमानगढ़	मं.वि.स., हनुमानगढ़	नगरपालिका सांगरिया
4	पीलीबंगा	हनुमानगढ़	मं.वि.स., हनुमानगढ़	नगरपालिका पीलीबंगा
5	नोहर	हनुमानगढ़	मं.वि.स., हनुमानगढ़	नगरपालिका नोहर
6	रावतसर	हनुमानगढ़	मं.वि.स., हनुमानगढ़	नगरपालिका रावतसर
7	सार्दुलशहर	श्रीगंगानगर	मं.वि.स., हनुमानगढ़	नगरपालिका सार्दुलशहर
8	सूरतगढ़	श्रीगंगानगर	मं.वि.स., हनुमानगढ़	नगरपालिका सूरतगढ़
9	अनूपगढ़	श्रीगंगानगर	मं.वि.स., हनुमानगढ़	नगरपालिका अनूपगढ़
10	घड़साना	श्रीगंगानगर	मं.वि.स., हनुमानगढ़	ग्राम पंचायत घड़साना
11	रावला	श्रीगंगानगर	मं.वि.स., हनुमानगढ़	ग्राम पंचायत रायला
12	खाजूवाला (बेरियावाली)	बीकानेर	मं.वि.स., बीकानेर	ग्राम पंचायत खाजूवाला
13	दन्तौर	बीकानेर	मं.वि.स., बीकानेर	ग्राम पंचायत दन्तौर
14	लूणकरणसर	बीकानेर	मं.वि.स., बीकानेर	ग्राम पंचायत लूणकरणसर
15	आर डी-465	बीकानेर	मं.वि.स., बीकानेर	ग्राम पंचायत रानेर
16	छतरगढ़	बीकानेर	मं.वि.स., बीकानेर	ग्राम पंचायत छतरगढ़

उपरोक्त नगरपालिकाओं/ग्राम पंचायतों को स्थानान्तरित मंडियों के भूखण्डों के निस्तारण/नियमितीकरण (इसमें विकसित भूखण्ड तथा अतिक्रमित भूखण्ड शामिल किया गया) होने वाली आय का बंटवारा नगरपालिकाओं/ग्राम पंचायतों तथा राज्य सरकार के मध्य 50:50 आधार पर होगा :-

1. शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग उपरोक्त नगरपालिकाओं से राज्य की हिस्से की 50 प्रतिशत आय का संधारण करवाएंगे।
2. शासन सचिव, पंचायत राज विभाग उपरोक्त ग्राम पंचायतों से राज्य के हिस्से की 50 प्रतिशत आय का संधारण करवायेंगे।
3. आयुक्त क्षेत्रीय विकास, बीकानेर उपरोक्त मंडियों द्वारा स्थानान्तरित पारित प्रति भूमि/भूखण्डों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे तथा राज्य के हिस्से को 50 प्रतिशत राशि राज्य-कोष में जमा करवाने की व्यवस्था करेंगे।

ह./-

शासन सचिव

परिशिष्ट ''ख''

सिंचित क्षेत्र की सात मण्डियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने के संबंध में दिनांक 17.09.2005 को प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण।

सिंचित क्षेत्र की सात मण्डियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने के संबंध में विचार-विमर्श हेतु दिनांक 17 सितम्बर, 2005 को प्रमुख शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपस्थिति अधिकारियों/जन प्रतिनिधियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्तिकरण हेतु विशेषाधिकारी सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग द्वारा वर्तमान में निम्न 7 मण्डियां पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करना प्रस्तावित किया है :-

क्र.सं.	मण्डी का स्थान	पंचायत समिति	जिला
1	रावला	अनूगढ़	गंगानगर
2	घड़साना	अनूपगढ़	गंगानगर
3	आरडी 465, ग्राम पंचायत, रानेट मय धामोलाई	लूणकरणसर	बीकानेर
4	छतरगढ़	बीकोनर	बीकानेर
5	दत्तोर	बीकानेर	बीकानेर
6	बोरियावाली	लूणकरणसर	बीकानेर
7	लूणकरणसर	लूणकरणसर	बीकानेर

इन योजनाओं के अन्तर्गत काफी बड़ी मात्रा में भूमि एवं अन्य सम्पत्ति पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित की जाएगी। उपरोक्त मण्डियों को लेने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि पंचायती राज संस्था इनकी उचित देखभाल एवं रखरखाव कर सकेगी। साथ ही इनसे पंचायती राज संस्थाओं को आय सृजन के नये स्त्रोत उपलब्ध होंगे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर का मत है कि उक्त मण्डियां ग्राम पंचायतों के स्थान पर पंचायत समिति को हस्तान्तरित की जानी चाहिए। साथ ही इन मण्डियों की देख-रेख एवं रख-रखाव हेतु अतिरिक्त स्टाफ की भी आवश्यकता है। पूर्व में नगर पालिकाओं को हस्तान्तिरत की गई

मण्डियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अतः वर्तमान में उक्त प्रस्तावित मण्डियों में से सर्वप्रथम क्रम संख्या 4, 5 एवं 6 पर अंकित मण्डियां ही पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरीत की जानी चाहिए। शेष मण्डियों को बाद में हस्तान्तरीत करने पर विचार किया जायेगा।

विकास अधिकारी पंचायत समिति, लूणकरणसर द्वारा अवगत कराया गया है कि लूणकरणसर मण्डी ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित करने हेतु जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2005 को आदेश जारी किये जा चुके हैं। परन्तु उक्त मण्डियों का कब्जा आज तक नहीं दिया गया है। इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा जिला कलक्टर, बीकानेर को पत्र लिखने के निर्देश प्रदान किये।

सरपंच, ग्राम पंचायत बोरियावाली (बीकानेर) का मत था कि उक्त मण्डियां पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने से पंचायतों को लगभग 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष राजस्व प्राप्त होगा।

सरपंच, नईमण्डी, घड़साना (गंगानगर) द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत उक्त मण्डियों को लेने में सहर्ष तैयार है। ग्राम पंचायत के पास काफी बडी संख्या में चुंगी कर्मचारी एवं सफाई कर्मचारी उपलब्ध हैं। इनके माध्यम से इन मण्डियों का पूर्ण देख-रेख एवं रख-रखाव किया जा सकेगा।

प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा विशेषाधिकारी सीएडी से अनुरोध किया गया कि जो मण्डियां विभिन्न स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित हो चुकी हैं उनसे कुल कितनी आय इन संस्थाओं को हुई है। इसका विवरण प्रस्तुत करावें।

प्रमुख शासन सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त मण्डियों को समयबद्व एवं चरणबद्व तरीके से पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किया जावें। ये मण्डियां ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की जानी हैं अथवा पंचायत समिति को इसका निर्णय बाद में लिया जावेगा। मण्डियों को हस्तान्तरित करने के संबंध में राज्य स्तर से अधिकारियों का एक दल गठित करने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसके द्वारा इनमें से कुछ मण्डियों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे। इस दल में जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि कृषि विपणन बोर्ड के अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला

परिषद, अधिशासी अभियन्ता (टीसी) विशेषाधिकारी (सीएडी) एवं संबंधित विकास अधिकारी को रखने का निर्णय लिया गया ।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

मुकेश माहेश्वरी

अधिशासी अभियन्ता (टी.सी.)

पटवार मण्डल सेनावासा (बांसवाड़ा) में अवैध काश्त

505. श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सेनावासा पर पटवार मण्डल कार्यलय है? यदि हां, तो उक्त पटवार मण्डल में कुल कितने गांव आते हैं व प्रत्येक गांव में कितने खातेदार किसान हैं? उक्त खातों में कितना-कितना रकबा कमाण्ड व नोन कमाण्ड में दर्ज है? किसान खाता नम्बर सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पटवार मण्डल सेनावासा में काश्तकार नाजायज कब्जे से खेती करते हैं? यदि हां, तो वह जमीन किस किस्म की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला बांसवाड़ा में तहसील घाटोल के पटवार मण्डल सेनावासा में 7 राजस्व ग्राम आते हैं। ग्रामवार खातेदारों का विवरण निम्नानुसार है :-

	ग्राम	खातेदार कृषकों की संख्या
1.	सेनावासा	431
2.	गरनावट	110
3.	उदपुरा	261
4.	बड़लिया	339
5.	टीम्बा गामडी	209
6.	टाटिया	135
7.	नौका	82
	योग	**1567**

(राजस्व मंत्री)

उक्त सभी ग्राम कमाण्ड क्षेत्र घोषित हैं। नाम किसान खाता नम्बर मय रकबा का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) जी हां। सम्वत 2063 फसल खरीफ में 86 व्यक्तियों द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है :-

	ग्राम	अतिक्रमियों की संख्या	रकबा (हैक्टयर में)
1.	सेनावासा	34	7.85
2.	उदपुरा	5	0.86
3.	गरनावट	6	1.39
4.	बडलिया	11	1.62
5.	टीम्बा गामड़ी	12	5.76
6.	टाटिया	9	2.96
7.	नौका	9	2.55
	योग	**86**	**22.99**

अतिक्रमित भूमि में 12.64 रकबा नहरी, 6.08 रकबा बंजर बीड़, 2.92 रकबा बारानी, 0.71 रकबा गैर मुमिकन एवं 0.64 रकबा चरागाह किस्म की है। ग्रामवार अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण का रकबा मय किस्म भूमि के विवरण परिशिष्ट ''ख'' संलग्न है।

(रकबा विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

कनेरा (निम्बाहेड़ा) में उप तहसील कार्यालय की स्थापना

506. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि तहसील निम्बाहेड़ा के अन्तर्गत पटवार मुख्यालय कनेरा, बांगेड़ा घाटा, बडावली, मेलाना, सरसी व निम्बोदा तहसील एवं उपखण्ड मुख्यालय से करीब 40 कि.मी. दूरी पर स्थित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पटवार मुख्यालयों की दूरी, भौगोलिक परिस्थितियों व आवागमन की समस्या को देखते हुए कनेरा में उप तहसील खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। फिलहाल नई उप तहसीलें बनाने के प्रस्तावों पर विचार नहीं

(राजस्व मंत्री)

किया जा रहा है। जब भी विचार किया जावेगा तब अन्य प्रस्तावों के साथ साथ इस पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

रतनजोत की खेती हेतु भू-आबंटन

507. श्री अमराराम धोद : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रतनजोत की खेती हेतु भूमि दिए जाने का प्रस्ताव है तथा कितनी भूमि सरकार के पास है?

(2) रतनजोत की खेती हेतु किन शर्तों पर भूमि दी जा रही है? शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना में सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा कितनी भूमि की मांग की गई?

उत्तर

(1) राज्य में रतनजोत की खेती एवं बायो-फ्यूल आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने हेतु भूमि दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) इस संबंध में नियम बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) राज्य सरकार द्वारा भू-आबंटन के प्रस्ताव अभी आमंत्रित नहीं किये गये हैं।

ग्राम पालड़ी तहसील विराटनगर (जयपुर) के आम रास्ते का सीमांकन

508. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पालड़ी तहसील विराटनगर जिला जयपुर के आम रास्ते का भू-प्रबन्ध विभाग की गलत कार्यवाही के कारण वर्ष 1980 में आम रास्ते के पास वाले काश्तकार की पुराना खसरा नं. 407 का 07 एयर एवं 406 का 02 एयर रकबा हाल आम रास्ता खसरा नं. 364 में एवं गत खसरा नं. 281 आम रास्ता पालड़ी से भामोद वाले का 07 एयर रकबा खसरा नं. 363 में शामिल कर आम रास्ता बंद कर दिया गया था?

(निर्भय लाल)

(2) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण उप खण्ड अधिकारी, विराटनगर, जिला जयपुर के यहां रिकार्ड दुरुस्ती हेतु विचाराधीन था, जो कि अब निर्णित हो चुका है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पालडी, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर के खसरा नं. 196 के खसरा धारक से वर्ष 2006 में 2 बीघा जमीन सड़क वास्ते लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज की गई है? यदि हां, तो उसके नामान्तरकरण, जमाबंदी, नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें तथा क्या मौके पर सीमाज्ञान कर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों तथा इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि ग्राम पालड़ी तहसील विराट नगर के आम रास्ते की भूमि भू-प्रबन्ध विभाग की गलत कार्यवाही के कारण सन 1980 में आम रास्ते के पास के काश्तकार का पुराना खसरा नम्बर 407/0.07, 406/0.02 का रकबा हाल आम रास्ते के खसरा नम्बर 364 में शामिल कर दिया गया था।

बल्कि सही यह है कि गत खसरा नम्बर 281 आम रास्ता पालाड़ी से भामोद वाले का 0.07 हेक्टेयर रकबा खसरा नम्बर 363 में शामिल कर आम रास्ता बंद कर दिया है। वर्तमान में रास्ता चालू है।

(2) जी हां। निर्णय की प्रति परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(3) जी हां। नामान्तरक, जमाबंदी एवं नक्शा की प्रति परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है। मौके पर सीमाज्ञान कर कब्जा प्राप्त नहीं किया है। क्योंकि उक्त भूमि का बंटवारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं खातेदार के मध्य किया जाने हेतु तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 5.4.2007 नियत की हुई है। इसलिए अभी कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(निर्णय की प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

तहसील हुरडा (भीलवाड़ा) में भू-आबंटन

509. श्री रामलाल (बनेड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामलाल)

(1) भीलवाड़ा जिले की हुरड़ा तहसील में सीलिंग अधिग्रहण के तहत कुल कितने प्रकरण विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सीलिंग के तहत अधिग्रहीत भूमि को पात्र व्यक्तियों को आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले की हुरडा तहसील से सम्बन्धित सीलिंग नियमों के तहत दो प्रकरण विचाराधीन हैं:-

1. सरकार बनाम दलेलसिंह राजपूत निवासी लाम्बा
2. सरकार बनाम सरस्वती दास ब्राह्मण निवासी सुलतानपुरा

(2) उक्त विचाराधीन प्रकरणों के निर्णय होने पर अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

ग्राम नगला मई (नदबई) की राजकीय भूमि पर अतिक्रणम

510. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (नदबई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि ग्राम नगला मई तहसील नदबई में जलदाय विभाग एवं विद्यालय के लिये आबंटित सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है? यदि हां, तो किन-किन द्वारा व सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

जी नहीं।

ग्राम देई (बूंदी) की अतिक्रमित वन भूमि

511. श्री महीपाल यादव (बानसूर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम देई (जिला बूंदी) में किस-किस किस्म की कितनी-कितनी भूमियां स्थित हैं? भूमि किस्म, खसरा नम्बर एवं उनके रकबे तथा उपयोग का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम देई में वन भूमि भी स्थित है? यदि हां, तो किस खसरा नम्बर की, कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री महीपाल यादव)

(3) देई में उक्त में से कितनी वन भूमि अतिक्रमण मुक्त है तथा कितनी नहीं? किए गए अतिक्रमण आदि का खसरा नम्बर व अतिक्रमी के नाम सहित रकबे का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) ग्राम देई (जिला बूंदी) में राजस्व रिकार्ड के अनुसार किस्म, रकबा, खसरा एवं उपयोग का विवरण परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) जी हां। खसरा व रकबाबार सूची परिशिष्ट ''ब'' संलग्न है।

(3) वन खण्ड देई में 830.13 बीघा वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त है तथा 173.09 बीघा भूमि अतिक्रमित है। सूची परिशिष्ट ''स'' संलग्न है।

(4) ग्राम देई में अतिक्रमित भूमि के विरूद्ध राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही न्यायालय वन संरक्षक बूंदी के अधीन जैरकार है। न्यायालय द्वारा पारित निर्णयानुसार ही अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही संपादित की जावेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

गिलूण्ड (राजसमन्द) में उप तहसील कार्यालय

512. श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उप तहसील बनाने के क्या मानदण्ड व नियम हैं? राजस्थान के कितने ऐसे गांव हैं जो उप तहसील खोले जाने के मानदण्ड पूरे करते हैं?

(2) क्या यह सही है कि राजसमंद की रेलमगरा तहसील का सबसे बड़ा गांव गिलूण्ड है तथा उप तहसील बनने के सारे मानदण्ड पूरे करता है? यदि हां, तो इसे कब तक उप तहसील बनाया जायेगा व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 16 के अन्तर्गत उप तहसील बनाने का प्रावधान तो है परन्तु उप तहसील बनाने के कोई मानदण्ड व नियम नहीं है।

(2) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न संख्या-513 व 514

(स्थगित)

उप-तहसील बालेसर (जोधपुर) का क्रमोन्नयन

515. श्री बाबू सिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नई तहसील बनाने के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उप तहसील बालेसर को तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में नई तहसीलें बनाने के प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जा रहा है, जब भी विचार किया जावेगा तब इस प्रस्ताव पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल की बैठकें

516. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल की बैठक शीघ्र बुलाने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कब व इस पर अब तक क्या कार्यावाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आयुक्त देवस्थान विभाग द्वारा राज्य सरकार को उक्त प्रन्यास में सभापति की नियुक्ति किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है? यदि हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही की गई? पत्र की प्रति सहित की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विधायक विधान सभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भी उक्त प्रन्यास की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो कब व उस पर क्या कार्यवाही की गई? जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण में वांछित कार्यवाही कर प्रन्यास की बैठक बुलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 27.9.03 द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 11 के साथ पठित राजस्थान प्रन्यास नियम, 1962 के नियम 4 के अन्तर्गत राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल का गठन किया गया। सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल के सभापति की नियुक्ति अभी प्रक्रियाधीन है। सभापति की नियुक्ति के बाद ही सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल की बैठक बुलाई जा सकती है।

(2) जी हां। आयुक्त, देवस्थान राजस्थान, उदयपुर द्वारा राज्य सरकार को सार्वजनिक प्रन्यास के सभापति की नियुक्ति हेतु दिनांक 8.2.05, 23.2.05, 17.6.05, 9.9.05, 29.9.05, 23.2.06, 7.4.06, 29.7.06 एवं 23.8.03 को पत्र प्रेषित किये गये हैं। पत्र की प्रतियां संलग्न है। प्रन्यास मण्डल के कतिपय सदस्यों के पूर्ण पते के अभाव के कारण प्राप्त पत्रों पर प्रन्यास के सभापति की नियुक्ति की कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। यह सही है कि माननीय विधायक श्री बृजकिशोर शर्मा, विधान सभा क्षेत्र, जयपुर ग्रामीण द्वारा प्रन्यास की बैठक बुलाने हेतु पत्र दिनांक 30.6.06 एवं पत्र दिनांक 17.8.06 से अनुरोध किया गया। प्रतिलिपि संलग्न है। चूंकि प्रन्यास के सभापति की नियुक्ति अभी प्रक्रियाधीन है, अत: बैठक बुलाने की कार्यवाही सभापति की नियुक्ति के उपरांत ही हो सकती है।

(4) सार्वजनिक प्रन्यास मण्डल के सभापति की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। सभापाति की नियुक्ति के उपरांत ही बैठक बुलाई जा सकेगी।

(पत्र की प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

जिला चित्तौड़गढ़ के मन्दिरों का जीर्णोद्धार

517. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के ऐसे कौन-कौन से व कितने मन्दिर हैं जिनके जीर्णोद्धार का कार्य सरकार द्वारा कराया जा रहा है या करवाने का विचार रखती है?

(2) सरकार द्वारा इन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिये कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित किसी भी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कराया जा रहा है।

(देवस्थान मंत्री)

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में मेवाड़-बागड़ सर्किट के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में स्वीकृत मंदिरों के विकास कार्य कराने की स्वीकृति दी है। मंदिरों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) चित्तौड़गढ़ जिले में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए विभागीय बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005-06 में मेवाड़-बांगड़ सर्किट के अन्तर्गत स्वीकृत मंदिरों के विकास कार्यो हेतु स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'अ'

मेवाड़-बागड़ सर्किट के अन्तर्गत चित्तौड़गढ़ जिले में स्वीकृत मंदिरों के विकास कार्यों का विवरण

क्र.सं.	**कार्य का विवरण**	**राशि रुपये (लाखों में)**
1	मीरा मंदिर का विकास कार्य	20.00
2	कालिका मंदिर का विकास कार्य	38.50
3	जोगनिया माता मंदिर का विकास कार्य	41.00
4	अरनोद (प्रतापगढ़) स्थित गोतमेश्वर महादेव मंदिर का विकास कार्य	42.50
5	मात्रि कुण्डिया का विकास कार्य	48.00
	योग	**190.00**

जिला अलवर में मन्दिर माफी की भूमियों का अवैध बेचान

518. चौधरी विनोद कुमार (हनुमानगढ़) एवं **श्री संयम लोढ़ा** (सिरोही) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर शहर में भिन्न-भिन्न मन्दिरों के अधीन कितनी जमीनें (मन्दिर माफी के नाम से जानी जाने वाली जमीनें) राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं? खसरा नम्बर व क्षेत्रफल का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मन्दिर माफी की जमीनें भू-माफियों द्वारा एग्रीमेंट के आधार पर खरीद ली गई हैं?

(चौधरी विनोद कुमार)

(3) क्या यह सही है कि जिला अलवर की मन्दिर माफी की जमीनों पर निर्माण कार्य चल रहे हैं?

(4) सरकार द्वारा अनियमित जमीनों की बिक्री एवं निर्माण कार्यों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) मन्दिर माफी की जमीनों की अवैध बिक्री एवं अवैध निर्माण कार्यों के लिए कौन अधिकारी दोषी है?

(6) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं मन्दिरों के हित सुरक्षित रखने हेतु जमीनों को कब्जे में लेने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) मंदिर माफी भूमि बाबत जिला कलक्टर, अलवर से प्राप्त सूचना अनुसार अलवर शहर में भिन्न-भिन्न मंदिरों के नाम दर्ज रिकार्ड अनुसार (माफी के नाम से जानी जाने वाली) कुल किता 474 रकबा 198.65 है. भूमि है। विवरण का परिशिष्ट संलग्न है।

(2) जी हां। कुछ भूमियां व्यक्तियों द्वारा एग्रीमेन्ट के आधार पर खरीदी गई हैं।

(3) कुछ माफी मंदिर की भूमियों पर पूर्व में भी आबादी बसी हुई है तथा वर्तमान में भी कुछ भूमियों पर अधूरे निर्माण कार्य पाये गये।

(4) मंदिर माफी की भूमियों का सर्वेक्षण करवाकर चिन्हित किया गया है एवं न्यायालय से अवैध हस्तान्तरण रोकने हेतु स्थगन आदेश जारी कराया गया है। अवैध निर्माण कार्यों को रुकवाने के लिए नगर विकास न्यास अलवर व तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया गया है।

(5) मंदिर माफी की जमीनों में पूर्व में भी कालोनियों बनी हुई हैं। जिनमें विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क नालियां आदि का निर्माण कराया हुआ है। इसलिए माफी मंदिर की भूमियों की अवैध बिक्री एवं अवैध निर्माण के लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। क्योंकि कालोनियां पुरानी बनी हुई हैं।

(6) अवैध निर्माण वर्षों से चले आ रहे हैं एवं इन भूमियों पर बनी कालोनियां काफी पुरानी हैं। अत: इतने लम्बे समय में अनेक अधिकारी समय समय पर आये हैं। अत: किसी एक अधिकारी को दोषी ठहराकर कार्यवाही

(श्री देवस्थान मंत्री)

करना सम्भव नहीं है। मंदिर के हित सुरक्षित रखने हेतु माफी मंदिर जमीनों पर कब्जे हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विद्यमान प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

आयुक्त देवस्थान द्वारा जयपुर शहर में किराया निर्धारण में व्याप्त अनियमितताएं

519. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि देवस्थान विभाग ने अपने किरायेदारों से किराये में वृद्धि करने हेतु कोई नीति बनाई है? यदि हां, तो स्वयंसेवी संस्था रिहायशी/व्यावसायिक संस्थाओं के किराये में वृद्धि के नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर के किरायेदारों को भी किराया बढ़ाने बाबत नोटिस दिये गये हैं? यदि हां, तो गत 2 वर्षों में किस किस को किराया वृद्धि के संबंध में नोटिस जारी किये गये? जारी किये गये नोटिसों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उप शासन सचिव, देवस्थान विभाग ने अपने पत्रांक प.7 (14) देव/2001 दिनांक 17 नवम्बर, 2003 द्वारा किसी संस्था को किराये के निर्धारण में छूट प्रदान की थी? यदि हां, तो किस संस्था को किस आधार पर? उक्त संस्था व्यावसायिक/रिहायशी/स्वयंसेवी सार्वजनिक प्रन्यास में से किस श्रेणी की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि किराया निर्धारण में अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं (शिक्षण संस्थाओं) के साथ भेदभावपूर्वक किराये में अत्यधिक वृद्धि की जा रही है? यदि हां, तो किस-किस की एवं किस आधार पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उप शासन सचिव के उक्त पत्र के आधार पर अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को भी किराये में वद्धि से छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस को व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। दिनांक 6.6.2000 (परिशिष्ट-'1') के द्वारा किराया नीति

(देवस्थान मंत्री)

बनाई गई। नीति के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेंडिग आर्डर वर्ष 1995 के अनुसार सार्वजनिक व आवासीय संपदाओं के लिए निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत व राज्य/केन्द्र सरकार/अर्द्ध सरकारी संस्थाओं/जनहित में कार्यरत संस्थाओं से निर्धारित किराया लेने का प्रावधान रखा गया है। किराये में वृद्धि हर तीन वर्ष में 15 प्रतिशत करने का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। जयपुर शहर के किरायेदारों को किराया बढ़ाने बाबत विगत 2 वर्षों में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

(3) जी हां। किराया नीति दिनांक 6.6.2000 के अन्तर्गत राजस्थान ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान जयपुर को अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 1995 की बी.एस.आर. दर पर निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत अथवा किरायेदार द्वारा पूर्व में दिया जा रहा किराया, जो भी अधिक हो, के आधार पर नियमन की स्वीकृति देवस्थान विभाग के पत्र क्रमांक प. 7(14)देव/01 दिनांक 17.11.03 के द्वारा प्रदान की गई थी। इस संस्था द्वारा किराये में छूट चाहे जाने पर किराया नीति के अन्तर्गत प्रकरण का गुणावगुणता के आधार पर परीक्षण कर किरायेदारी का नियमन किया गया। यह स्वयं सेवी श्रेणी की संस्था है जो ज्योतिष से संबंधित है।

(4) जी नहीं। यह सही नहीं है कि किराया निर्धारण में अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के साथ भेदभावपूर्वक किराये में अत्यधिक वृद्धि की जा रही है। विभागीय किराया नीति दिनांक 6.6.2000 के अन्तर्गत बिना भेदभाव के संबंधित वर्ग के किरायेदारों से किराया नीति के अनुसार प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात 15 प्रतिशत की वृद्धि की जाती है।

(5) जी नहीं। किराया नीति में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है फिर भी यदि ऐसा कोई विशेष प्रकरण सामने आता है तो उचित नीति अपनाकर गुणावगुण के आधार पर उस पर विचार किया जाता है।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

क्रमांक : प.7(32)देव/98 जयपुर, दिनांक 6-2000

आदेश

विषय :- देवस्थान विभाग की सम्पदाओं के किराये संबंधी प्रकरणों के निपटाने हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।

इस विभाग द्वारा आदेश संख्या प.21(92)राज-1/77 दि.2-4-93 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किराया सम्पत्तियों की स्थिति, क्षेत्र तथा उपलब्ध अन्य सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किया गया है। इस किराये से पुराने किराये की तुलना करने पर स्पष्ट है कि किराये में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अतः प्रकरण पर पुनर्विचार आवश्यक हो गया है। वर्तमान किराया नीति दिनांक 2.4.1993 के स्थान पर निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है-

क. व्यावसायिक सम्पत्तियों के लिये

इन सम्पत्तियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेडिंग ऑर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार व्यावसायिक सम्पदाओं के लिए निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत देय होगा। साझेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क उपरोक्त द्वारा निर्धारित किराये का 60 गुना एक मुश्त एक बार में लिया जाकर वास्तविक कब्जाधारी के हक में नियमन किया जायेगा। उप किरायेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क उपरोक्त द्वारा निर्धारित किराये का 120 गुना एक मुश्त एक बार में लिया जायेगा तथा उप किरायेदार के हक में नियमन किया जा सकेगा। नियमन के बाद साझेदार/उप किरायेदार द्वारा नये दर से किराया देय होगा।

ख. आवासीय सम्पत्तियों के लिये

इन सम्पत्तियों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेडिंग आर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार आवासीय सम्पदाओं के लिए निर्धारित किराये का 30 प्रतिशत देय होगा। सम्पदाओं का प्रयोजन परिवर्तन पूर्ण तथा निषेद्ध होगा। प्रयोजन परिवर्तन पाये जाने पर नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाएगी। साझेदारी के प्रकरणों में नियमन शुल्क उपरोक्त निर्धारित किराये का 60 गुना एक मुश्त एक बार में लिया जावेगा। साझेदार को नियमन के बाद नये दर से किराया देय होगा।

ग. राज्य/केन्द्र सरकार तथा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं एवं जनहित में कार्यरत संस्थाओं को किराये पर दी जाने वाली सम्पदा-

सम्पदाओं के प्रयोजन अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टैंडिग आर्डर दर वर्ष 1995 के अनुसार निर्धारित किराया देय होगा।

<u>घ. किराये में वृद्धि</u>

सम्पदाओं के किराये में प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि के बाद 15 प्रतिशत वृद्धि करने का प्रावधान रखा जाये।

नव निर्धारित किराया 1-4-2000 से देय होगा तथा किरायेदारों पर पिछले वर्ष का बकाया किराया दो समान किश्तों में 30-6-2000 तक वसूलनीय होगा। पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्टेडिंग आर्डर वर्ष 1995 के अनुसार निर्धारित किरायेदारों द्वारा किया गया भुगतान समायोजन किया जाएगा।

देवस्थान विभाग के मंदिरों में पदस्थापित चौकीदार तथा पुजारियों के लिये यदि आवासीय स्थान उपलब्ध हैं तो उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित किराया मानदण्डों के अनुसार किराये पर दिया जा सकेगा।

राज्य से बाहर स्थित सम्पदाओं का नवीन किराया निर्धारण उस क्षेत्र के लिये लागू सार्वजनिक निर्माण विभाग की बी.एस.आर. के मानदण्डानुसार निर्धारित किया जाकर उपरोक्तानुसार वसूलनीय होगा।

देवस्थान विभाग की जीर्ण-शीर्ण अथवा रिक्त भूमि जिन पर अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण होने की लगातार संभावना बनी रहती है ऐसी सम्पदाओं या भूमियों पर यदि किन्हीं सेवा भावी अथवा आस्थावान व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा निर्माण कराकर देवस्थान विभाग को भेंट स्वरूप प्रदान करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों, संस्थाओं को उनके चाहने पर प्रश्नगत संपदा बिना किसी निविदा प्रक्रिया के सार्वजनिक निर्माण विभाग के मानदण्ड अनुसार किराये पर दी जाने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति गुण-दोष के आधार पर प्रदान की जाएगी।

भविष्य में विभागीय संपदा जैसे भूमि, भवन आदि को राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त खुली नीलामी द्वारा ही किराये पर दिया जा सकेगा। देवस्थान विभाग इस नीति के अनुसार सभी वर्तमान किरायेदारों को किराया-वृद्धि के बारे में सूचित करेगा एवं आपत्तियां उठाने के लिए अवसर देगा। आपत्तियों पर सुनवाई के बाद नया किराया निर्धारित किया जाएगा तथा नये अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किया जाएगा।

यह नीति तुरन्त प्रभाव से लागू मानी जाएगी।

आक्षा से
प्रहलाद शर्मा
उप शासन सचिव

रक्त दान के प्रोत्साहन हेतु कार्य-योजना

520. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर के सवाई मानसिंह अस्पताल एवं अन्य अस्पतालों में रोगियों के परिजन खून उपलब्ध करवा पाने में भारी कठिनाई महसूस करते हैं एवं डेगूं जैसी महामारी के वक्त तो राज्य के अस्पतालों में एवं ब्लड बैंकों में खून की मांग एकदम बढ़ गई? यदि हां, तो सरकार भविष्य में लोगों को खून की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में क्या ठोस निदान सुनिश्चित करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार खून प्रदत्त करवाने वाली पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें अनुदान/सहायता प्रदान करने का विचार रखती है जिससे राज्य में खून की पर्याप्त उपलब्धता में सहायता मिल सके? यदि हां, तो क्या एवं कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। रोगियों के लिये ब्लड बैंक में समुचित मात्रा में रक्त हर समय उपलब्ध रहता हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में किसी विशेष ग्रुप के रक्त की कमी उपस्थित हो जाती है किन्तु यह स्थिति अल्प अवधि के लिये ही होती है। आपातकालीन स्थिति में रक्त उपलब्ध करा दिया जाता हैं। यह सही है कि विगत दिनों डेंगू रोग के प्रकोप के समय रक्त के एक विशेष अवयय ''प्लेटलेट'' की मांग बढ़ गई थी किन्तु इसकी उपलब्धता प्रचुर मात्रा में बनाये रखी गई। भविष्य में ब्लड़ बैंकों में रक्त की उपलब्धता में वृद्धि किये जाने के संदर्भ में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिये व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

(2) जी हां। राष्ट्रीय एडस नियंत्रण संगठन (नाको), नई दिल्ली को निर्देशानुसार पंजीकृत सामाजिक संस्थाओं एवं अन्य संस्थाओं जो रक्तदान के कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करती हैं, उन्हें 25/- रु. प्रति डोनर या 2500/- प्रति कैम्प (दोनों में से जो भी कम हो) कैम्प व्यवस्था हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। रक्तदान शिविर हेतु जो भी संस्था राजस्थान स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी को आवेदन करती है, उन्हें उक्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सकों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण

521. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कौन-कौन चिकित्सक किस चिकित्सा केन्द्र में सबसे कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सकों में से किन-किन चिकित्सकों के विरूद्ध किन किन आरोपों में जांच कर किस दण्ड से दण्डित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त चिकित्सकों में से किन-किन चिकित्सकों के विरूद्ध किस-किस आरोप में जांच चल रही है? जांच कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के चिकित्सा केन्द्रों में पदस्थापित चिकित्सकों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के चिकित्सा केन्द्रों में पदस्थापित चिकित्सकों में से किसी भी चिकित्सक को दण्डित नहीं किया गया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कार्यरत चिकित्सकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का जांच कार्य पूर्ण हो गया है एवं किसी भी चिकित्सक को दोषी नहीं पाया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किस चिकित्सा केन्द्रों में कौन-कौन चिकित्सक कब से कार्यरत है का विवरण

चिकित्सा केन्द्र का नाम	चिकित्सक का नाम	पदनाम	कब से कार्यरत हैं	विशेष विवरण
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किशनगढ़ रेनवाल	डा. भगवान सहाय सैनी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	फरवरी, 2007 से	
	डा. जनार्दन शर्मा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन)	जुलाई 2004 से	पदविरुद्ध
	डा. वाई बेनीवाल	वरिष्ठ चिकित्साअधिकारी	जून 2003 से	
	डा. बी.एल. यादव		जून 2003 से	
	डा. जया शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	जूलाई 2004 से	
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांभरलेक	डा. आशीष भारतीय	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	अक्टूबर 2004 से	पदविरुद्ध
	डा. के.बी. झालानी	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	मार्च 2007 से	
	डा. रेणू अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	दिसम्बर 1999 से	
	डा. महेश वर्मा	चिकित्सा अधिकारी	फरवरी 2000 से	
राजकीय चिकित्सालय फुलेरा	डा. एच.एन. बाजिया	चिकित्सा अधिकारी	अक्टूबर, 2004 से	
राजकीय चिकित्सालय जोबनेर	डा. वी.के. टिक्कीवाल	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	अप्रैल 2005 से	
	डा. राजेन्द्र प्रसाद कुमावत	चिकित्सा अधिकारी	फरवरी 2007 से	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बधाल	डा. रशिम गुप्ता	चिकित्सा अधिकारी	अगस्त 2006 से	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हिंगोनिया	डा. नरेन्द्र कुमार शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	जुलाई 2004 से	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र करणसर	डा. सुशील राज राजोरिया	चिकित्सा अधिकारी	जनवरी 2006 से	

राजकीय चिकित्सालयों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति

522. श्री प्रकाश चौधरी (बडी सादड़ी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में कितने डी फार्मा व बी फार्मा कालेज हैं व कितने फार्मासिस्ट इन कालेजों से प्रतिवर्ष निकलते हैं?

(2) राजस्थान में इस समय कितने पंजीकृत फार्मासिस्ट हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सरकारी अस्पतालों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त 16 डी फार्मा एवं 7 बी. फार्मा कालेज हैं। इन कालेजों में प्रतिवर्ष 1340 छात्रों को फार्मासिस्ट कोर्स के लिए प्रवेश दिया जाता है।

(2) राज्य में दिनांक 13.3.2007 तक कुल 23667 व्यक्तियों को फार्मासिस्ट पंजीकृत किया गया है।

(3) जी हां। इन पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोजवाड़ी (जयपुर) का भवन निर्माण प्रकरण

523. श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के तहसील-बस्सी के ग्राम रोजवाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है? यदि हां, तो किस वर्ष से? उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में वर्तमान में कितने चिकित्सा कर्मी पदस्थापित हैं तथा केन्द्र पर मरीजों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि निरीक्षण के दौरान अधिकांश कर्मचारी स्टाफ क्वार्टर नहीं होने से मुख्यालय पर नहीं पाये जाते? वर्तमान में मुख्यालय पर कौन-कौन कर्मचारी, कब से, कहां-कहां ठहर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्व रिकार्ड में ग्राम रोजवाड़ी के खसरा

(श्री हेमाराम चौधरी)

नम्बर 145 स्टेडियम के सामने की भूमि में से 03 बीघा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन हेतु आबंटित की गई है? यदि हां, तो कब? आबंटन साइट प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु पूर्व में भी बजट आबंटित किया गया है? यदि हां, तो कब व कितना?

(5) क्या सरकार लोकहित में उक्त आबंटित स्थल पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। वित्तीय वर्ष 1989-90 में ग्राम रोजवाडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया था। उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में वर्तमान में 8 चिकित्साकर्मी पदस्थापित हैं। आउटडोर एवं प्रयोगशाला में होने वाली साधारण जांच की सुविधाएं मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही हैं।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित ग्रामीण जनसंख्या आधारित मापदण्ड के अनुसार पंचायत समिति बस्सी में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की कमी हैं। आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पंचायत समिति बस्सी के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं। अस्पताल कार्य समय में निरीक्षण के दौरान स्टाफ ड्यूटी पर पाया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोजवाडी में पदस्थापित कर्मचारी मुख्यालय पर राजकीय आवास सुविधा न होने के कारण वर्तमान में जहां निवास कर रहे हैं उसका विवरण निम्न प्रकार है :-

कर्मचारी का नाम	पदनाम	निवास स्थान का पता	निवास की अवधि
डा. कजोड़मल मीणा	चिकित्सा अधिकारी	ग्राम झर, तहसील बस्सी, जयपुर	11/06
श्री जगदीश शर्मा	नर्स श्रेणी द्वितीय	ग्राम पोस्टराजपुरा पातलवास तहसील बस्सी, जयपुर	4/90

कर्मचारी का नाम	पदनाम	निवास स्थान का पता	निवास की अवधि
श्री रामवतार शर्मा	नर्स श्रेणी द्वितीय	ग्राम पोस्ट धूधली, तहसील बस्सी, जयपुर	2/07
श्रीमती शारदम्मा के.एम.	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	32/14 प्रताप नगर जयपुर	11/06
श्री सुनील गुप्ता	लैब टेक्नीशीयन	ग्राम पोस्ट चाकसू, जयपुर	2004
श्रीमती कमला शर्मा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	ग्राम पोस्ट लवाण, जिला दौसा	2/07
श्री भगवान सहाय रैगर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	ग्राम पोस्ट लवाण, जिला दौसा	2/07
श्री कैलाश चन्द शर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	ग्राम पोस्ट बांसखो, जयपुर	4/96

(3) जिला कलक्टर जयपुर के पत्र दिनांक 08.10.2003 के द्वारा 2.08 बीघा भूमि का आबंटन किया गया है। जिला कलक्टर के पत्र की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(5) जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रोजवाडी का भवन निर्माण करवाये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय जिला कलक्टर, जयपुर

क्रमांक:-राजस्व 2(27) 2003 दिनांक :-

<u>आदेश</u>

राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोजवाडी (बस्सी) के भवन एवं आवार हेतु भूमि आबंटन हेतु उपखण्ड अधिकारी बस्सी ने ग्राम रोजवाडी

तहसील बस्सी के आ.ख.नं. 145 रकबा 50 बीघा 10 बिस्वा किस्म चारागाह में से 3.04 बीघा भूमि आबंटन के लिये प्रस्तावित किया है।

प्रस्तावित भूमि आबंटन हेतु स्थानीय ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव में सहमति प्रकट की है अत: राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के अनुसरण में ग्राम रोजवाडी तहसील बस्सी के आ.ख.नं. 145 रकबा 50 बीघा 10 बिस्वा में से नियमानुसार 2.08 बीघा (1.5 एकड) भूमि चारागाह से कम की जाकर राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, चिकितसालयों, धर्मशालाओं तथा सार्वजनिक उपयोग के अन्य भवन निर्माणार्थ अनाधिवासित राजकीय कृषि भूमि का आबंटन) नियम 1963 यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक प. 6 (10) राज-6/99/2 दिनांक 13.2.2002 एवं परिपत्र दिनांक 3.10.01 के अनुसरण में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रोजवाड़ी (बस्सी) भवन एवं आवास हेतु निम्न शर्तो पर आबंटित की जाती है :-

(1) यह आबंटन नि:शुल्क होगा।

(2) यह आबंटन 99 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है तथा 99 वर्ष पश्चात पुनरावलोकन कर यदि भूमि का उचित उपयोग होना पाया जावेगा एवं आवश्यकता समझी जावेगी तो आबंटन का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(3) आबंटित भूमि का उपयोग केवल स्वास्थ्य केन्द्र के भवन एवं आवास हेतु ही किया जा सकेगा।

(4) आबंटित भूमि राज्य सरकार में निहित होगी तथा आबंटित को भूमि का अंतरण, रहन, दान आदि करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(5) आबंटिती को इस आबंटन हेतु एक अंडरटेकिंग उपरोक्त सभी शर्तो को मानते हुए राज्य सरकार के हित में निष्पादित करना होगा।

(6) उपरोक्त शर्तों का आबंटीति द्वारा किसी भी रूप में पालना न करने अथवा शर्त भंग करने की सूरत में उक्त भूमि बिना प्रतिकार एवं दावे के राज्य सरकार को प्रतिवर्तित हो जायेगी।

जिला कलक्टर,
जयपुर।

पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की चिकित्सा सुविधा रहित ग्राम पंचायतें

524. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में कितने स्वास्थ्य केन्द्र, कितने

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

उपस्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में संचालित है? क्या इन पर पर्याप्त स्टाफ पद स्थापित है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) किस-किस चिकित्सालय में कितने-कितने कर्मचारियों के कौन-कौन से पद रिक्त हैं? क्या सरकार उन्हें भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा की किन-किन ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा नहीं है। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिन ग्राम पंचायतों में यह सब-सेन्टर नहीं हैं क्या सरकार उनमें नवीन सब-सेन्टर खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 45 उप स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं। स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्टाफ के रिक्त पदों का विवरण व रिक्त पदों को भरने के संदर्भ में की जा रही कार्यवाही का विवरण बिन्दु संख्या 2 में प्रस्तुत है।

(2) चिकित्सालयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। रिक्त पदों में से कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्स श्रेणी प्रथम, बीएचएस मेल बीएचएस फिमेल के पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा। नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाना प्रक्रियाधीन है।

लैब टैक्नीशियन एवं सहायक रेडियोग्राफर के पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

संगणक पद भरने हेतु निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय को अनुरोध किया जा रहा है।

(3) विधान सभा क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा उपलब्ध है।

(4) पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र की किसी भी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना शेष नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के क्षेत्र में संचालित चिकित्सालयों में कौन-कौन से पद रिक्त हैं का विवरण

चिकित्सालय का नाम	रिक्त पदनाम	पद संख्या
1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ईटावा	नर्स श्रेणी प्रथम नर्स श्रेणी द्वितीय लैब टैक्नीशियन सहायक रेडियोग्राफर	1 3 1 1
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपल्दा	नर्स श्रेणी द्वितीय बीएचएस मेल बीएचएस फिमेल संगणक	1 1 1 1
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढीपरी	नर्स श्रेणी द्वितीय सफाई कर्मचारी वार्डबॉय	1 1 1
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गेंता	नर्स श्रेणी प्रथम नर्स श्रेणी द्वितीय लैब टैक्नीशियन	1 1 1
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अयाना	लैब टैक्नीशियन	1
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खातोली	नर्स श्रेणी द्वितीय लैब टैक्नीशियन सफाई कर्मचारी	1 1 1
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बमोरीकलां	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कनिष्ठ लेखाकार बीएचएस मेल संगणक एसएमपीडब्ल्यू	1 1 1 1 1

चिकित्सालय का नाम	रिक्त पदनाम	पद संख्या
8. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांगरोल	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग) कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) नर्स श्रेणी प्रथम नर्स श्रेणी द्वितीय सहायक रेडियोग्राफर कनिष्ठ लिपिक वाहन चालक सफाई कर्मचारी	1 1 1 1 1 1 1 1

राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय सेठी कालोनी, जयपुर में व्याप्त अनियमितताएं

525. श्री जगसीराम कोली (रेवदर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय सेठी कालोनी, जयपुर में चिकित्सकों की लापरवाही से अक्टूबर, 2006 के दौरान विमंदित गृह के भर्ती मरीज ने दम तोड़ दिया?

(2) क्या यह सही है कि चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही, मनमर्जी के चलते यहां लम्बे समय से पेयजल असुविधा रही तथा अविवेकपूर्ण तरीके से कराये गये मरम्मत कार्य के दौरान अस्पताल मे तीन माह तक आपरेशन इत्यादि का कार्य ठप्प रहा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सालय में मोबाइल एक्सरे मशीन, चाइल्ड फोटो थेरेपी यूनिट का सदुपयोग नहीं किया गया?

(4) क्या यह सही है कि यहां वर्षों से एक ही चिकित्सक के पास स्टोर का प्रभार है तथा महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी, जनाना आपरेशन आदि अन्य अस्प्तालों में रेफर करने या महिला रोगियों को अन्यत्र जाने की सलाह दिये जाने से डिलीवरी व जनाना ऑपरेशन नगण्य रहे हैं?

(5) क्या सरकार उक्त की जांच करवाने व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। समाज कल्याण विभाग द्वारा श्री लियाकत अली उम्र लगभग 25 वर्ष विमंदित को दिनांक 26.10.06 को सुबह 10 बजे उल्टी दस्त की बीमारी के कारण भर्ती कराया गया था। मरीज को भर्ती करने के उपरान्त समुचित उपचार दिया गया। रात को 9.30 बजे रात्रि कालीन डयूटी चिकित्सक के द्वारा देखा गया उस वक्त ब्ल्ड प्रेशर व नब्ज सही थे।

दिनांक 27.10.06 को सुबह लगभग 4.30 बजे मरीज को उल्टीयां हुई वोमीटस नाक एवं श्वास की नली में फंसा हुआ था रात्रि कालीन चिकित्सक द्वारा रात को आक्सीजन लगाई गई तथा सक्शन किया गया तथा आरटीफिशल रेस्प्रीरेशन व कार्डीय मशाज किया गया।

उपरोक्त सभी सुविधायें प्रदान करने के उपरान्त भी मरीज की प्रात: 5.00 बजे मृत्यु हो गई।

(2) जी नहीं। राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय सेठी कालोनी जयपुर में मरीजों एवं उनके रिश्तेदारों को पानी पीने के लिए तीन वाटर कूलर एक्वागार्ड सहित उपलब्ध है। चिकित्सालय में बिजली एवं मरम्मत कार्य के दौरान एक-एक वाटर कूलर को बारी-बारी से बन्द किया गया ताकि मरीजों एवं उनके रिश्तेदारों को पीने के पानी की असुविधा न हो। आपरेशन थियेटर का मरम्मत कार्य करवाये जाने के दौरान कुछ दिनों के लिये आपरेशन का कार्य बन्द रहा।

(3) जी नहीं। राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय सेठी कालोनी, जयपुर में मोबाइल एक्सरे मशीन से मार्च, 206 से फरवरी, 2007 तक 130 एक्सरे किये गये। मोबाइल एक्सरे मशीन को वार्ड एवं आपरेशन थियेटर में ले जाकर गम्भीर मरीजों के ही एक्सरे किये जाते हैं।

जनवरी, 2006 से फरवरी 2007 तक दो बच्चों को चाईल्ड फोटो थेरेपी मशीन की सुविधा दी गई।

(4) राजकीय सेटेलाइट चिकित्सालय सेठी कालोनी जयपुर में डा. आर.एम. विजय कनिष्ठ विशेषज्ञ (ईएनटी) मई 2006 से स्टोर का कार्य सम्पादित कर रहे हैं।

महिला चिकित्सकों द्वारा जनवरी, 2006 से दिसम्बर 2006 तक 50 डिलेवरी एवं 2 गायनी के आपरेशन किये गये 4 गर्भवती महिलाओं को महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट जयपुर रेफर किया गया।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(5) शिकायत प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध जांच करवाने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

वल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

526. श्री रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

वल्लभनगर तहसील के कानोड़/भीण्डर व वल्लभनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं, उनमें से कितने पद रिक्त हैं? सरकार इन रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कानोड, भीण्डर एवं वल्लभनगर में चिकित्सकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
कानोड	कनिष्ठ विशेषज्ञ	2	1
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1
	चिकित्सा अधिकारी	2	-
भीण्डर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	5	2
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1
	चिकित्सा अधिकारी	2	2
	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	1
वल्लभनगर	कनिष्ठ विशेषज्ञ	5	4
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1
	चिकित्सा अधिकारी	2	2
	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को जिला स्तर पर समेकित वेतन पर भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा अधिकारी (दन्त) के रिक्त पद को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकराना का क्रमोन्नयन

527. श्री भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला नागौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकराना में सर्जन एवं गायनिक व अस्थि रोग चिकित्सक का पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार मकराना के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 बैड से 60 बैड में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मकराना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों हेतु आवास व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस स्थान पर व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी, गायनी, अस्थिरोग) के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकराना में वर्तमान में 30 शैय्याएं स्वीकृत हैं। स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2005 में मात्र 42.30 प्रतिशत उपयोग रहा है इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकराना को 30 से 60 शैय्याओं में क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मकराना में वर्तमान में चिकित्सक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2-2 आवास गृह उपलब्ध हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 2 चिकित्सक एवं 2 पैरामेडिकल स्टाफ के आवास गृहों के निर्माण के

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

लिये राशि रुपये 26.40 लाख एवं पूर्व से निर्मित आवास गृहों के मरम्मत कार्य के लिये राशि रुपये 2.50 की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

रतनगढ़ के चिकित्सालयों में रिक्त पद

528. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के कौन-कौन से चिकित्सालयों में किस किस श्रेणी के कौन-कौन से पद कब से रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जावेंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सेठ श्री सूरजमल जालान राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ में कार्यरत चिकित्सकों अन्य कर्मियों के भारी मात्रा में वर्तमान में स्थानान्तरण किये गये हैं? क्या उक्त स्थानान्तरण के कारण चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्था खराब हो गई है?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में चिकित्सकों/अन्य कर्मियों के रिक्त पदों की पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्षय निवारण केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों का रिक्ति अविध सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध हैं। पदोन्नति के रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर तथा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद समेकित वेतन पर भरने के प्रयास किये जा रहे हैं शेष सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) सेठ श्री सूरजमल जालान राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़ से वर्तमान में 5 चिकित्सकों एवं 4 नर्स श्रेणी द्वितीय तथा 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये गये। जिनमें से 2 नर्स श्रेणी द्वितीय संविदा पर पदस्थापित होने के कारण तथा 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया है। चिकित्सालय का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जी हां। वरिष्ठ विशेषज्ञ, कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधीक्षक प्रथम एवं द्वितीय, नर्स श्रेणी प्रथम, बी.एच.एस. एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पद पदोन्नति के हैं, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने पर तथा लैब टेक्नीशियन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नर्स श्रेणी द्वितीय एवं अन्य सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद समेकित वेतन पर भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्षय निवारण केन्द्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
1	सेठ श्री सूरजमल जालान राजकीय चिकित्सालय रतनगढ़	वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	2/07
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (ईएनटी)	1	1/07
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	1/06
		चिकित्सा अधिकारी	5	6/03, 6/03, 7/03, 1/07, 2/07
		नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी प्रथम	1	4/91
		नर्सिंग अधीक्षक श्रेणी द्वितीय	1	9/95
		नर्स श्रेणी प्रथम	8	9/95, 3/96, 8/96, 6/97, 5/99, 8/92, 12/00, 1/6
		नर्स श्रेणी द्वितीय	14	1/02, 7/00, 12/00, 2/00, 4/03, 6/03, 6/03, 8/03, 2/07, 2/07, 7/00, 6/02, 7/00, 1/07
		दंत टैक्नीशियन	1	9/00
		कनिष्ठ लिपिक	1	5/06
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/ सफाई कर्मचारी	2	8/03, 1/07

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
2	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजलदेसर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग/सर्जरी)	2	1/07, 11/05
		नर्स श्रेणी द्वितीय	3	6/96, 7/04, 1/07
		सहायक रेडियोग्राफर	2	5/03, 2/07
3	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पडिहारा	बी.एच.एस.	1	3/80
		कनिष्ठ लिपिक	1	11/05
		संगणक	1	5/81
4	जिला क्षय निवारण केन्द्र, रतनगढ़	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	8/2000
		नर्स श्रेणी द्वितीय	2	10/98, 2/05
		लेब टैक्नीशियन	1	1/07
5	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौसरिया	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	9/85
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भुखरेडी	नर्स श्रेणी द्वितीय	2	2/07, 12/05
		महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	2/05
		वाहन चालक	1	1/07
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुसुमदेसर	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	2/07
8	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गोगासर	नर्स श्रेणी द्वितीय	1	4/06
		लेब टैक्नीशियन	1	6/05
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	8/05
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खुदेरा बडा	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	1	11/05
		लैब टैक्नीशियन	1	7/03

क्र. सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
10	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दाउदसर	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1	11/06
11	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेहला	लेब टैक्नीशियन	1	4/05
		चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1	12/06

बारां जिले के अपूर्ण भवन निर्माण कार्य

529. श्री प्रमोद जन "भाया" (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जिला बारां में दिनांक 1 दिसम्बर, 2003 से फरवरी, 2007 तक किस-किस भवन के निर्माण की स्वीकृति किस-किस योजना में किस-किस ग्राम व शहर में दी गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत भवनों में किस-किस भवन हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं किस-किस भवन का निर्माण कार्य किस-किस दिनांक को प्रारम्भ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत भवनों में से कौन-कौन से भवन दिनांक 1 फरवरी, 2007 को किस-किस स्टेज पर निर्माणाधीन हैं एवं इन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हो चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त स्वीकृत भवनों में से कौन-कौन से भवन का निर्माण कार्य किस-किस दिनांक को पूर्ण हो चुका है एवं इस पर कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त स्वीकृत भवन निर्माण कार्यों में से कौन-कौन से भवन का निर्माण कार्य किन-किन कारणों से प्रारम्भ नहीं हुआ एवं इन्हें किस-किस तारीख से प्रारम्भ करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बारां में 1 दिसम्बर, 2003 से फरवरी, 2007 तक भवन निर्माण की स्वीकृति की सूचना योजनावार/ग्रामवार/शहरवार संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कॉलम नं. 2 व 3 में दर्शाया गया है।

(2) उक्त स्वीकृत भवनों में प्राप्त स्वीकृत राशि तथा कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक की सूचना संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कॉलम नं. 5 एवं 6 में दर्शायी गई है।

(3) उक्त स्वीकृत भवनों की दिनांक 1 फरवरी, 2007 की भौतिक स्थिति (स्टेज) एवं उन पर किये गये व्यय राशि की सूचना संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम नं. 9 एवं 10 में दर्शायी गई है।

(4) उक्त स्वीकृत भवनों के स्वीकृत वित्तीय प्रावधान अनुसार पूर्ण होने की दिनांक एवं उन पर किये गये व्यय की सूचना संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के कालम नं. 7 एवं 8 में दर्शायी गई है।

(5) उक्त स्वीकृत भवन निर्माण कार्यों में से जो भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुए उनका कारण एवं कब से प्रारम्भ किये जाने की संभावित दिनांक की सूचना संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के कॉलम नं. 11 एवं 12 में दर्शायी गई है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

530. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में पिछले तीन वर्षों में अनेक सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं? यदि हां, तो वर्ष 2006-07 में किन-किन सड़कों की मरम्मत कितनी-कितनी राशि से किस-किस एजेन्सी से करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मरम्मत योग्य शेष सड़कों का मरम्मत कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन सड़कों का कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सड़कों पर से मिट्टी हटवाने का कार्य करवाया गया है? यदि हां, तो श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गत 2

(श्री मंगलाराम गोदारा)

वर्षों में किन-किन सड़कों पर मिट्टी कब-कब हटाई गई तथा किस एजेन्सी द्वारा कितनी राशि का कार्य किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि अब भी कई सड़कों पर मिट्टी जमा है? यदि हां, तो क्या सरकार मिट्टी हटाने का कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ की क्षतिग्रस्त सड़कों का समय-समय पर आवश्यकतानुसार मरम्मत की जाती रही है।

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ वर्ष 2006-07 में कुल 22 सड़कों पर 21.58 लाख के साधारण मरम्मत के कार्य (संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार) करवाये गये तथा कुल 4 सड़कों पर 54.65 लाख रुपये के नवीनीकरण के कार्य (संलग्न परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार) करवाये गये।

(2) जी हां। शेष मरम्मत योग्य सड़कों का जिन पर मरम्मत कार्य स्वीकृत है (परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न है) उनको वर्ष 2007-08 में पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) जी हां। श्री डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में गत 2 वर्षों में सड़कों पर से हटाई गई मिट्टी का विवरण परिशिष्ट ''द'' में संलग्न है।

(4) जी हां। श्रीडूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जिन सड़कों पर मिट्टी आई हुई है का विवरण परिशिष्ट ''क'' में संलग्न है। माह जून 2007 तक मिट्टी हटवाना प्रस्तावित है।

(कार्य विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

तहसील राजगढ़ (चूरू) में सड़क निर्माण पर व्यय

531. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में नागल बड़ी से दुमकी एवं नांगल बड़ी से धानोटी बड़ी सड़कों का निर्माण कब करवाया गया?

(2) क्या निर्माण के बाद इन सड़कों पर मरम्मत हेतु कोई राशि व्यय की गई? यदि हां, तो कितनी राशि, कब व्यय की गई?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों की हालत चलने योग्य नहीं है?

(श्री नन्दलाल पूनिया)

यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त सड़कों पर कारपेट कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़ (चूरू) में नांगल बड़ी से दुमकी कि.मी. 0/0 से 2/0 का निर्माण वर्ष 1990 एवं कि.मी. 2/0 से 3/750 का निर्माण वर्ष 1996-97 में हुआ था एवं नांगल बड़ी से धानोटी बड़ी सड़क का निर्माण वर्ष 1996-97 में हुआ था।

(2) निर्माण के बाद इन सड़कों पर नांगल बड़ी से दुमकी सड़क कि.मी. 0/0 से 2/0 में राशि रुपये 3.79 लाख वर्ष 2001 में नवीनीकरण हेतु व्यय की गई।

(3) जी नहीं। सड़कों की हालत चलने योग्य है लेकिन सड़क नांगल बड़ी से दुमकी कि.मी. 2/0 से 3/750 एवं नांगल बड़ी से धानोटी बड़ी कि.मी. 0/0 से 5/600 तक मरम्मत एवं नवीनीकरण की आवश्यकता है। नवीनीकरण हेतु सड़क नांगल बड़ी से दुमकी कि.मी. 2/0 से 3/750 पर राशि रुपये 15.40 लाख एवं नांगल बड़ी से धानोटी बड़ी कि.मी. 0/0 से 5/600 में राशि रुपये 49.25 लाख की आवश्यकता होगी जो राज्य के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

ग्राम वाटिका (जयपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

532. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर से ग्राम फतेहपुरा तक जाने वाली सड़क का निर्माण कब एवं कितनी राशि से किस एजेन्सी द्वारा करवाया गया था? वर्तमान में उक्त सड़क किस अवस्था में है?

(2) निर्माण के पश्चात उक्त सड़क की मरम्मत कब-कब कितनी राशि से किस एजेन्सी के माध्यम से करवायी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क के अत्यधिक क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहनों को कच्चे मार्ग से आना-जाना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को ठीक कर उस पर नई सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम वाटिका तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में ग्राम फतेहपुरा तक जाने वाली सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से वर्ष 1992-93 में रुपये 9,77,503/- मैसर्स जय विजय कन्स्ट्रक्शन द्वारा करवाया गया था। वर्तमान में उक्त सड़क सही अवस्था में नहीं है।

(2) निर्माण के पश्चात वर्ष 2004-05 में विभाग ने रुपये 8,500/- खर्च कर विभागीय श्रमिकों द्वारा पेच रिपेयर का कार्य करवाया था। इसके उपरान्त मरम्मत हेतु उक्त सड़क को जयपुर विकास प्राधिकरण को सम्भला दी गई है।

(3) जी हां। उक्त सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुधारीकरण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 2.12.06 को निविदायें आमंत्रित की गई थी। वाटिका से कुम्हारियावास सड़क के चौड़ाईकरण एवं सुधारीकरण हेतु जोनल अभियन्ता, 11-बी, जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा मैसर्स ए.आर. कन्स्ट्रक्शन को दिनांक 21-3-07 को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। कार्यादेश के अनुसार कार्य शुरू करने की दिनांक एवं पूर्ण करने की दिनांक क्रमश: 28-3-07 एवं 27-7-07 है। अत: उक्त अवधि में सड़क का कार्य पूर्ण करने की सम्भावना है। (कार्यादेश की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है)।

परिशिष्ट–'अ'

JAIPUR CITY LORMENT AUTHORITY, JAIPUR

No. FI( )JDA/ZEEFWO/06/D 25 Dated 21-3-07

MS AR Construction

37.396 1-C, New Naglu Dadi,

Agra (U.P.)

Work Order

Sub :- Widening & Improvement of road from Vatika to Kumariyawas, Jaipur

Ref. – Your Tender dated 03-01-07 & Negoration Dated 21-02-07

Sir,

Your tender for the above work has been accepted by the Tender approval committee on behalf of JDA Jaipur @ 22.70% Above 'G' Schedule Based on BSR 2003-04 amounting to Rs. 79,18,573.00 (Seventy Nine Lacs Eighteen Thousand Five Hundreed Seventy Three) only without any Condition (Work Restricted upto A & F Amt. Rs 69.00 Lacs)

Please start the work immediately under the instruction of the Sector Engineer Zone '11B' JDA, Jaipur and complete the same within a period of 1 months. The stipulated date of commencements which will be reckoned as under-

1- Stipulated date of commencement 28-3-2007

2- Stipulated date of completion 27-07-2007

The work has been sanctioned vide administratively and financially No. D-147 Dated 26.06.06 for Rs 69.00 Lacs Job No. – 147/2006-07

Technical sanctioned of the above work has been conveyed for Rs. 67.12 lacs vide TS No. 32 Dated 2.9.06 by the ACE-II, JDA, Jaipur

10% SD will be deducted from your running bills

Agreement No 24 2006-07 is assigned to this work Please attend the office for execution of agreement within 7 days from issue of this latter.

Sd/-

Zonal Engineer-11B

Jaipur Development Authority

Jaipur

खैरथल विधान सभा क्षेत्र के पुल व नालों की मरम्मत

533. श्री जयराम जाटव (खैरथल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खैरथल में कई ऐसे खतरनाक पुल व नाले हैं जिनमें कई बार जनहानि हो चुकी है? यदि हां, तो कौन-कौन से? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त पुल व नालों का पुन: नवीन निर्माण या मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। उक्त पुल व नालों का पुन: निर्माण व मरम्मत राज्य के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करता है।

अधिशासी अभियन्ता कार्यालय टोंक के निर्माण कार्यों का लम्बित भुगतान प्रकरण

534. श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सार्वजनिक निर्माण कार्यालय, टोंक के आदेश क्रमांक ए.आर.डी.आर.डी.ए./8059 दिनांक 3 दिसम्बर, 1999 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि संवेदक द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2000 को एक पत्र अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोंक को प्रस्तुत किया गया था? यदि हां, तो किस सम्बन्ध में? पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोंक द्वारा पत्र क्रमांक ए.आर.डी.आर.डी.ए./10153 दिनांक 13 अक्टूबर, 2000 जारी कर कार्य को पूर्ण करने हेतु अवधि बढ़ाई गई थी? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, टोंक द्वारा पत्र क्रमांक 11336-39 दिनांक 16 नवम्बर, 2000

(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)

को जारी किया गया था? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि कार्य को पूर्ण करने की अवधि से पूर्व ही सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता की निर्माण प्रगति की रिपोर्ट के बिना ही आदेशों की अवहेलना करते हुए दिनांक 24 नवम्बर, 2000 को 10 प्रतिशत पेनेल्टी लगाकर कार्य रिसेन्ट कर दिया गया? यदि हां, तो उसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग टोंक के संलग्न पत्र क्रमांक 10153 दिनांक 13 अक्टूबर, 2000 एवं पत्र क्रमांक 11336-39 दिनांक 16 नवम्बर, 2000 एवं अधिशासी अभियन्ता के निर्णय दिनांक 24 नवम्बर, 2000 को नजरअन्दाज करते हुए समयावधि प्रकरण का निस्तारण किया गया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? पत्रों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त शेष कार्य किस संवेदक द्वारा पूर्ण किया गया और क्या उसका पूर्ण भुगतान कर दिया गया? यदि नहीं, तो अब कब तक शेष भुगतान कर दिया जायेगा? भुगतान में विलम्ब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) प्रति परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। संवेदक द्वारा दिनांक 22-7-2000 को अधिशासी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग टोंक को एक पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें महाविद्यालय के रास्ते में पानी भरा होने के सम्बन्ध में पत्र लिखा गया था। पत्र की प्रति परिशिष्ट ''2'' पर संलग्न है।

(3) जी हां। पत्र की प्रति परिशिष्ट ''3'' पर संलग्न है।

(4) जी हां। प्रशासनिक कारण से अधिशासी अभियन्ता खण्ड टोंक द्वारा आदेश जारी किये गये थे।

(5) जी नहीं। संवेदक को 6 माह में निर्धारित तिथि से 18.12.1999 से 17.06.2000 तक कार्य पूर्ण करना चाहिए था। परन्तु दिनांक 24.11.2000

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

तक 11 माह में किसी प्रकार की कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं होने के फलस्वरूप इस कार्यालय के द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति आरोपित कर कार्य को निरस्त (रिसाइंड) कर दिया गया था। इसमें विभाग का कोई कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेवार नहीं है।

(6) जी नहीं। समयावधि प्रकरण का निस्तारण अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत अजमेर द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अन्तर्गत गुण दोष के आधार पर स्वीकृत किया गया था। प्रति परिशिष्ट ''3 से 6'' पर संलग्न है।

(7) जी हां। शेष कार्य भी संवेदक श्री रतन लाल चौधरी द्वारा किया गया, जिसका पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

अधिशासी अभियन्ता कार्यालय, टोंक का ग्रेवल कुटाई भुगतान प्रकरण

535. श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग टोंक द्वारा आदेश क्रमांक 11046-50 दिनांक 11 मार्च, 1996 जारी किया गया था? यदि हां, तो पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्य में ग्रेवल कुटाई को माप पुस्तिका में चढ़ाये बिना ही कार्य को क्लॉज 32 में विड्रा कर अन्तिम बिल बना दिया गया ? यदि हां, तो ग्रेवल कुटाई के भुगतान के लिये कौन जिम्मेदार है तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? ग्रेवल कुटाई सहित भुगतान बैंक गारन्टी एवं एस.डी. का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रति परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार है।

(2) जी नहीं। कार्य को विदड्रा करने तथा अन्तिम माप लिये जाने तक भी ग्रेवल कुटाई का कार्य नहीं किया गया था। अत: ग्रेवल कुटाई नहीं होने के कारण इसे माप पुस्तिका में नहीं चढ़ाया गया है। शेष कार्य का भुगतान दिनांक 14.3.07 को कर दिया गया है। साथ ही बैंक गारंटी एवं

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

एस.डी. का भुगतान दिनांक 20.3.07 को कर दिया गया है। विवरण संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम माधोराजपुरा (जयपुर) की क्षतिग्रस्त सड़क के डामरीकरण में व्याप्त अनियिमितताएं

536. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील फागी (जयपुर) में ग्राम माधोराजपुरा-खेड़ा श्री हनुमानजी सड़क का नवीनीकरण कार्य करवाया गया है? यदि हां, तो किस ठेकेदार द्वारा तथा कितनी राशि का?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क नवीनीकरण के अन्तर्गत सड़क के दोनों तरफ पटरी निर्माण एवं ग्रामीण क्षेत्र में सी.सी. सड़क निर्माण भी कराया जाना स्वीकृत था? क्या उक्त सभी कार्य करवाये जा चुके हैं? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन करवाया गया है? यदि हां, तो कब तथा किस अधिकारी द्वारा व मौके पर आज क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का डामरीकरण कार्य अत्यन्त घटिया तरीके से किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क निर्माण कार्य की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कार्य प्रगति पर है यह कार्य मैसर्स हरदयाल कन्स्ट्रक्शन ''एए'' क्लास पी.डब्ल्यू.डी. संवेदक द्वारा राशि रुपये 9,02,569/- का करवाया गया है।

(2) जी हां। उक्त कार्य करवाये जाने शेष हैं जो निर्माण कार्य पूर्ण होने के प्रस्तावित अवधि दिनांक 31-7-2007 तक करवा लिये जावेंगे।

(3) जी हां। कनिष्ठ अभियन्ता फागी द्वारा दिनांक 24-2-2007, 25-2-2007 एवं 26-2-2007 को एवं सहायक अभियन्ता फागी द्वारा 24-2-

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

2007, 25-2-2007 एवं 26-2-2007 को भौतिक सत्यापन कर लिया गया है। उक्त सड़क पर 2.900 कि.मी. लम्बी तथा 3.00 मीटर चौड़ी सड़क पर डामर का कार्य कर दिया गया है, 200 मीटर सीमेंट कंक्रीट सड़क का कार्य शेष है तथा पटरी का कार्य प्रगति पर है।

(4) जी नहीं। कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरुप करवाया गया है।

पल्लू-गुसाईंसर (पीलीबंगा) मिसिंग लिंक सड़क निर्माण कार्य

537. श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पल्लू से गुसाईंसर तक के बीच 8-10 कि.मी. कोई मिसिंग लिंक रोड नहीं बनी हुई है? यदि हां, तो क्यों

(2) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उक्त मिसिंग लिंक रोड (मोटेर से गुसाईसर तक) को निर्मित कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त मिसिंग लिंक रोड बनने से सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन पक्की रोड द्वारा पल्लू से जुड़ जायेगा?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मिसिंग लिंक रोड बन जाने से श्रीगंगानगर-सूरतगढ़ (वाया सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन) से जयपुर आने में 45-50 कि.मी. की दूरी कम हो जायेगी?

उत्तर

(1) जी हां। पल्लू से गुसाईंसर के बीच में 12 कि.मी. की मिसिंग लिंक रोड है, जिसमें से 9 कि.मी. भाग (मोटेर से धांधुसर) हनुमानगढ़ जिले में व 3 कि.मी. भाग (धांधुसर से गुसाईंसर) श्रीगंगानगर जिले में पड़ता है। उक्त मिसिंग लिंक किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है। जिसके निर्माण हेतु अनुमानित लागत रुपये 240.00 लाख होगी।

(2) वर्तमान में उक्त मिसिंग लिंक (मोटेर से गुसाईंर तक) किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं है। मिसिंग लिंक योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 में विचाराधीन है। उक्त मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं कार्य की पारस्परिक प्राथमिकताओं से सम्बन्धित है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। उक्त मिसिंग लिंक रोड के बनने से श्रींगंगानगर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

सूरतगढ़ (वाया सूरतगढ़ पावर स्टेशन) से जयपुर आने-जाने में लगभग 16 कि.मी. दूरी कम हो जायेगी।

इन्टाली फतहनगर (उदयपुर) की क्षतिग्रस्त सड़कें

538. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम इन्टाली से फतहनगर (उदयपुर) की 16 किलोमीटर की दूरी में ग्राम नीलोद एवं चुण्डावत खेड़ी के बीच करीब दो किलोमीटर सड़क का कार्य है?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम इन्टाली के बस स्टेण्ड एवं ग्राम चायला खेड़ा रोड पर अभी सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है? यदि हां, तो किस फर्म/एजेन्सी द्वारा ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़कों की मरम्मत हेतु कोई राशि या आदेश जारी किये जा चुके हैं? यदि हां, तो कब व कितनी राशि के? स्वीकृत आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अब उक्त अधूरी सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम इन्टाली से फतहनगर (फतहनगर से इन्टाली) की सड़क ग्रामीण सड़क है। जिसकी लम्बाई 20 कि.मी. है।

ग्राम नीलोद चित्तौड़गढ़ जिले में है जो फतहनगर इन्टाली सड़क के कि.मी. 4/800 से बांई ओर 1.2 कि.मी. दूरी पर होकर डामरीकृत सड़क से जुड़ा हुआ है एवं सड़क की स्थिति अच्छी है। इसी प्रकार गांव चुण्डावत खेड़ी उदयपुर जिले में है जो फतहनगर इन्टाली सड़क के कि.मी. 6/300 के दांई तरफ 1.7 कि.मी. की दूरी पर होकर डामरीकृत सड़क से जुड़ा हुआ है एवं सड़क की स्थिति संतोषजनक है।

पहुंच सड़क चुण्डावत खेड़ी के कि.मी. 0/500 से निलोद के बीच एक कच्चा रास्ता है जिसकी चौड़ाई 10-12 फीट है तथा लम्बाई 2 कि.मी. है। वर्तमान में निलोद से चुण्डावत खेड़ी की दूरी डामर सड़क से जाने पर 4.40 कि.मी. होती है। उक्त 2.00 कि.मी. कच्चे रास्ते को डामरीकृत सड़क निर्माण

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की लागत 40.00 लाख अनुमानित होगी। निर्माण कार्य की स्वीकृति राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

(2) जी हां।

1. ग्राम इन्टाली बस स्टेण्ड का कार्य संवेदक श्री रतनलाल जाट ''सी'' श्रेणी संवेदक निवासी बड़ गांव, तहसील मावली द्वारा करवाया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है।
2. ग्राम चायला का खेड़ा रोड का कार्य संवेदक श्री रघुनाथ जाट ''बी'' श्रेणी संवेदक निवासी माताजी का खेड़ा कोटड़ी जिला राजसमन्द से करवाया जा रहा है, कार्य प्रगति पर है।

(3) जी हां। क्रम संख्या 2 में वर्णित सड़कों पर निम्नानुसार स्वीकृति प्राप्त है :-

1. ग्राम इन्टाली बस स्टेण्ड हेतु कार्यालय जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता उदयपुर क्रमांक एफ.14( )12/सहा/बाड़/स्वी/2006/2071 दिनांक 6-12-06 द्वारा राशि रुपये 75000/- एवं उप सचिव (सड़क) सार्वजनिक निर्माण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.9(353)सैक्शन-द्वितीय, पार्ट-ए/2006/डी-223 दिनांक 5-10-2006 द्वारा बाढ़ क्षतिग्रस्त में राशि रुपये 2.00 लाख की स्वीकृति दी गई है। आदेश प्रतियां संलग्न हैं।
2. ग्राम चायला खेड़ा रोड़ हेतु रूरल रोड अपग्रेडेशन मेटल से डामर (फेज तृतीय) आर.आई.डी.एफ.-12 के अन्तर्गत उप शासन सचिव राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.8(1259) और पार्ट-तृतीय/सैक्शन द्वितीय/06/डी-330 दिनांक 24-7-06 से राशि रुपये 20.00 लाख की स्वीकृति दी गई है। आदेश प्रति संलग्न है।

(4) इन्टाली बस स्टेण्ड एवं चायला का खेड़ा रोड़ का कार्य प्रगति पर है तथा इसी माह में पूर्ण करना सम्भावित है। निलोद एचं चुण्डावत खेड़ी के बीच 2.00 कि.मी. सड़क निर्माण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखा गया)

पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के लम्बित विद्युत कनेक्शन

539. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में सभी श्रेणी की विद्युत कनेक्शन हेतु पत्रावलियां लम्बित हैं? यदि हां, तो कितनी? ग्राम व ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बित पत्रावलियों पर विद्युत कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार कृषि कनेक्शन के लम्बित आवेदन पर विद्युत कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व क्या इसके लिए कोई विशेष योजना है?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में विद्युत कनेक्शनों हेतु विभिन्न श्रेणी की लंबित पत्रावलियों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 31.12.2005) के अनुसार इन लम्बित आवेदनों पर सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन उनके वरीयता क्रम में संसाधनों की उपलब्धतानुसार आगामी दो-तीन वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है। अन्य श्रेणी के कनेक्शन उनके वरीयता क्रम में निरंतर दिये जा रहे हैं।

(3) जी हां। राज्य में विद्युत की उपलब्धता एवं वित्तीय संसाधनों के अनुरूप प्रतिवर्ष कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं यथा वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 में क्रमश 40000, 40000 व 20000 कृषि कनेक्शन जारी करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। जिनके सापेक्ष क्रमश: 39841, 42579 व वर्ष 2006-07 में माह फरवरी 2007 तक 15657 कृषि कनेक्शन जारी किए गए। यह एक निरन्तर प्रक्रिया है।

परिशिष्ट- ''अ''

विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में विद्युत कनेक्शनों हेतु विभिन्न श्रेणियों की लम्बित पत्रावलियों का ग्रामवार संख्या विवरण-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	लम्बित पत्रावलियों का ग्रामवार संख्या							
		घरेलू	व्याव सायिक	लघु उद्योग	मध्यम उद्योग	वृहद उद्योग	वाटर वर्क्स	मिश्रित श्रेणी	कृषि
1	सराधना	2	0	0	0	1	1	0	34
2	राजगढ़	0	0	0	0	0	0	0	10
3	चैनपुरा	2	0	0	0	0	0	0	5

क्र. सं.	ग्राम का नाम	लम्बित पत्रावलियों का ग्रामवार संख्या							
		घरेलू	व्याव सायिक	लघु उद्योग	मध्यम उद्योग	वृहद उद्योग	वाटर वर्क्स	मिश्रित श्रेणी	कृषि
4	चाट सरदारपुरा	1	0	0	0	0	0	0	3
5	मायापुर	1	0	0	0	0	0	0	15
6	नाथूथला	0	0	0	0	0	0	0	1
7	मकरेडा	3	0	0	0	0	1	0	20
8	नाहरपुरा	2	0	0	0	0	0	0	8
9	डोडियाना	0	0	0	0	0	0	0	18
10	डूमारा	0	0	0	0	0	0	0	19
11	भांवता	1	0	0	0	0	0	0	13
12	अम्बा मसिना	0	0	0	0	0	0	0	21
13	तबीजी	3	0	0	0	0	0	0	20
14	जमालपुरा	11	0	0	0	0	0	2	1
15	नूरियावास	0	0	0	0	0	0	0	5
16	ककलाना	2	0	0	0	0	0	0	2
17	दांतरा	1	0	0	0	0	0	0	20
18	लाली, खेडी	0	0	0	0	0	0	0	6
19	अलीपुरा	1	0	0	0	0	0	0	7
20	नागेलाव	0	1	0	0	0	0	0	11
21	सरसडी	2	1	0	0	0	0	0	8
22	गोला	2	0	0	0	0	0	0	29
23	अमृतपुरा	1	0	0	0	0	0	0	0
24	अजमेर	5	1	0	0	0	0	0	0
25	किरानीपुरा	2	3	0	0	0	0	0	2
26	रसूलपुरा	2	0	0	0	0	0	0	2
27	घूघरा	5	3	0	0	0	0	0	1
28	भुलाबाय	1	1	0	0	0	0	0	1
29	लाडपुरा	3	0	0	0	0	0	0	9
30	भूडोल	3	0	0	0	0	0	0	9
31	बडल्या	7	0	0	0	0	0	1	12
32	नारेली	5	0	0	0	0	0	0	10
33	माकड़वाली	20	1	0	0	0	0	0	4
34	लोहागल	4	1	0	0	0	0	0	0
35	गवारडी	3	0	0	0	0	0	0	1

क्र. सं.	ग्राम का नाम	लम्बित पत्रावलियों का ग्रामवार संख्या							
		घरेलू	व्याव सायिक	लघु उद्योग	मध्यम उद्योग	वृहद उद्योग	वाटर वर्क्स	मिश्रित श्रेणी	कृषि
36	कायड़	6	0	0	0	0	0	0	5
37	गगवाना	9	1	0	0	0	0	0	6
38	जाटली	3	0	0	0	0	0	0	2
39	गेगल	1	0	0	1	0	0	0	13
40	ऊंटड़ा	2	0	0	0	0	0	0	13
41	सराना	1	0	0	0	0	0	0	5
42	छातडी	9	0	0	0	0	0	0	6
43	अरडका	1	0	0	0	0	0	0	6
44	भवानीखेडा	3	0	0	0	0	0	0	0
45	पदमपुरा	3	0	0	0	0	0	0	1
46	कायमपुरा	6	0	0	0	0	0	0	0
47	नरवर	1	0	0	0	0	0	0	10
48	चाचियावास	5	0	0	0	0	0	0	2
49	मदारपुरा	0	0	0	0	0	0	0	1
50	मगरा	0	0	0	0	0	0	0	5
51	चांडियावास	0	0	0	0	0	0	0	19
52	मगरी	0	0	0	0	0	0	0	10
53	बवाल	11	0	0	0	0	0	0	11
54	नांद	1	0	0	0	0	0	0	0
55	तिलोरा	1	0	0	0	0	0	0	36
56	कडेल	1	0	0	0	0	0	0	33
57	खोन	1	0	0	0	0	0	0	8
58	गनहेडा	1	0	0	0	0	0	0	35
59	होकरा	15	0	0	0	0	0	0	15
60	कनास	1	0	0	0	0	0	0	0
61	पुष्कर	6	0	0	0	0	0	0	0
62	रामपुरा डाबला	2	0	0	0	0	0	0	9
63	पिचोलिया	2	0	0	0	0	0	0	32
64	भगवानपुरा	1	0	0	0	0	0	0	52
65	लेसवा	3	0	0	0	0	0	0	17
66	सेथान	1	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	ग्राम का नाम	लम्बित पत्रावलियों का ग्रामवार संख्या							
		घरेलू	व्याव सायिक	लघु उद्योग	मध्यम उद्योग	वृहद उद्योग	वाटर वर्क्स	मिश्रित श्रेणी	कृषि
67	पीसांगन	14	0	0	0	0	0	0	33
68	मेवाडिया	8	0	0	0	0	0	0	0
69	कनोस	1	0	0	0	0	0	0	8
70	केसरपुरा	5	0	0	0	0	0	0	0
71	कालेसरा	15	0	0	0	0	0	0	11
72	शिवपुरा	0	0	0	0	0	0	0	1
73	दोरिया	1	0	0	0	0	0	0	4
74	गोविंदगढ़	9	0	0	0	0	0	0	60
75	फतेहपुर	0	0	0	0	0	0	0	4
76	रामपुर नांद	0	0	0	0	0	0	0	23
77	रिछमालिया	0	0	0	0	0	0	0	2
78	पगारा	0	0	0	0	0	0	0	11
79	जेंतगढ़	0	0	0	0	0	0	0	1
80	नांड	0	0	0	0	0	0	0	1
81	भाटपुरा	0	0	0	0	0	0	0	2
82	सूरजकुड	0	0	0	0	0	0	0	50
83	किशनपुरा	1	0	0	0	0	0	0	76
84	नाडलिया	0	0	0	0	0	0	0	20
85	बांसेली	0	0	0	0	0	0	0	18
86	देवनगर	0	0	0	0	0	0	0	38
87	चवांडियस	0	0	0	0	0	0	0	20
88	कनवाला	0	0	0	0	0	0	0	8
	योग	**246**	**13**	**0**	**1**	**1**	**2**	**3**	**628**

भांची-देवली-दतवास (निवाई) के 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन

540. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र निवाई में भांची-देवली एवं दतवास में 33 के.वी. के विद्युत केन्द्र स्वीकृत किये गये थे? यदि हां, तो कब? स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत विद्युत केन्द्र प्रारम्भ कर दिये गये? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों और अब कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र निवाई में भाची-देवली एवं दतवास में 33 के.वी. सब-स्टेशन माह दिसम्बर, 2004 में स्वीकृत हुए थे। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट ''अ'' एवं ''ब'' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उक्त 33 के.वी. के विद्युत केन्द्र अभी तक चालू नहीं किए गए हैं। 33 के.वी. सब-स्टेशन, दतवास के लिए 33 के.वी. लाइन व सब-स्टेशन बनाने का कार्य प्रगति पर है एवं माह जून, 2007 तक इसे चालू करने का लक्ष्य है। 33 के.वी. सब-स्टेशन भांची-देवली के लिए रेल्वे क्रासिंग की स्वीकृति ली जा रही है। स्वीकृति प्राप्त होने पर यह कार्य भी प्राथमिकता पर कराये जाने का विचार है।

परिशिष्ट–अ

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
OFFICE OF THE DY. CHIEF ENGINEER (RE & P)
Regd. Office Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, JAIPUR-302003,
Ph, No. 2740466 & Fax No. 0141-27040416

No.JP/P/an/01/S.I./ D 2942 Date 21.12.04

The Superintending Engineer (O & M),
Jaipur Discom,
Sawaimadhopur.

Sub :- Sanction for Creation of 33/11KV S/S at Deoli Bhachi, P.S. Tonk, Distt. Tonk.

Ref :- Your office letter No. 5449 Dt. 8-12-04

In consideration of the information furnished vide your letter under reference, administrative approval for the following 33/11KV works is hereby conveyed :-

(i) Creation of 1x1.6 MVA, 33/11 KV S/S at Deoli Bhachi, P.S. Tonk, Distt. Tonk alongwith and 3 Nos. 11 KV feeder metering equipments.

(ii) Construction of 12.0 Km long 33 KV S/C line with ACSR Dog conductor from 132KV GSS Tonk to the proposed s/s.

(iii) Construction 7.5 Km. long inter concretion are under :-

(a) 2.5 Km. from proposed S/S to village Sukalpura.

(b) 2.5 Km. D/C line I/C towards village Bhandri, i.e. one ekt. Towards Deali and one ekt. Towards Manda da.

The above works have been included in STP 2004-05

R.S. Kela
Superintending Engineer (Plan)

परिशिष्ट-ब

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED
OFFICE OF THE DY. CHIEF ENGINEER (RE & P)

Regd. Office Vidyut Bhawan, Janpath, Jyoti Nagar, JAIPUR-302003,
Ph, No. 2740466 & Fax No. 0141-27040416

No.JP/P/an/01/S.I./ D 2943　　Date 21.12.04

The Superinteding Eingineer (O & M),
Jaipur Discom,
Sawaimadhopur.

Sub :- Sanction for Creation of 33/11KV S/S at Datawas, P.S. Newai, Distt. Sawaimadhopur

Ref :- Your office letter No. 5449 Dt. 8-12-04

In consideration of the information furnished vide your letter under reference, administrative approval for the following 33/11KV works is hereby conveyed :-

(i) Creation of 1x1.6 3/11 KV S/S at Datawas, P.S. Newai, Distt. Sawaimadhopur alongwith and 3 Nos. 11 KV feeder metering equipments.

(ii) Construction of 12.0 Km long 33 KV S/C line with ACSR Dog conductor from 132KV GSS Newai- Kareda Bujurg such that the load of 33/11 KV S/S Mitrapura is shifted on to this line and load of 33/11 KV S/S Kareda Bujurg and Surya will remain on the existing line.

(iii) Construction of 0.2 Km long 33KV S/C line with ACSR Dog conductor T-Off from Newai-Mitrapura feeder at a location of 31.0 Km. from 132KV GSS Newai

(iv) Construction 2.8 Km long inter connections lines.

The above works have been included in STP 2004-05

R.S. Kela
Superintending Engineer (Plan)

बस्सी विधान सभा क्षेत्र के लम्बित कृषि कनेक्शन

541. श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा कृषि कनेक्शन देने से रोक हटाकर नये कृषि कनेक्शन देने का आदेश जारी किया गया है? यदि हां, तो कब? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) बस्सी क्षेत्र में कुल कितने आवेदन-पत्र कृषि कनेक्शन हेतु

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

लम्बित हैं? क्या सरकार इन लम्बित कनेक्शनों पर से रोक हटाकर कृषि कनेक्शन देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कृषि कनेक्शन हेतु बस्सी उपखण्ड में 2989, सांगानेर उपखण्ड में 5 तथा चाकसू उपखण्ड में 616 कुल 3610 प्रार्थना पत्र कृषि कनेक्शन हेतु लम्बित हैं। सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन उनके वरीयता क्रम में संसाधनों की उपलब्धतानुसार जारी किये जा रहे है।

अन्तर्राज्यीय समझौते के आधार पर प्राप्त अतिरिक्त विद्युत

542. **डा. बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में गत तीन वर्षों में कौन-कौन से नये बिजलीघर स्थापित किये गये तथा इन बिजलीघरों से कितनी-कितनी मात्रा में बिजली का उत्पादन हो रहा है?

(2) उक्त अवधि में अन्तर्राज्यीय समझौते के आधार पर राज्य के किस-किस बिजलीघर को किन-किन राज्यों से कितनी-कितनी मात्रा में पूर्व में मिलने वाली बिजली के अतिरिक्त बिजली प्राप्त हो रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा राज्य क्षेत्र में निम्न विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं :-

क्रं सं.	प्रोजेक्ट का नाम	उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	कमीशनींग लक्ष्य
1	गिरल लिग्नाइट थर्मल परियोजना प्रथम इकाई	125	28.2.07 को कमिश्न्ड कर दिया गया है।
2	धौलपुर कम्बाइन्ड गैस आधारित परियोजना धौलपुर	330	अगस्त 07

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

क्रं सं.	प्रोजेक्ट का नाम	उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	कमीशनींग लक्ष्य
3	गिरल लिग्नाईट थर्मल परियोजना द्वितीय इकाई	125	जून 08
4	सूरतगढ़ थर्मल विद्युत परियोजना यूनिट 6	250	नवम्बर 08
5	कोटा थर्मल परियोजना यूनिट 7	195	नवम्बर 08
6	छबडा थर्मल परियोजना प्रथम चरण फेज प्रथम (जिला बारां)	2x250	सितम्बर दिसम्बर 08
	कुल	**1525**	

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न परियोजनाओं हेतु आरम्भिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

क्रं. सं.	प्रोजेक्ट का नाम	उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	कमीशनींग लक्ष्य
1	छाबडा थर्मल परियोजना प्रथम चरण फेज द्वितीय (जिला बारां)	2x250	11वीं पंचवर्षीय योजना में
2	कालीसिंध थर्मल विद्युत परियोजना (जिला झालावाड़)	1000	11वीं पंचवर्षीय योजना में
	कुल	**1500**	

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा वर्ष 2004-05 से वर्ष 2006-07 (28.2.07 तक) पवन ऊर्जा एवं बायोमास के माध्यम से कुल 314.815 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना की गई है जिनका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

(ऊर्जा मंत्री)

वर्ष	पवन ऊर्जा	बायोमास
2004-05	103.74	-
2005-06	73.275	22.5 (15 MW for captive use)
2006-07 (28.2.07 तक)	99.3	16
कुल योग	276.315	38.5

उपरोक्त संयंत्र अपनी क्षमतानुसार बिजली का उत्पादन कर रहे हैं।

(2) केन्द्रीय विद्युतगृहों से वर्ष 2004-05, 2005-06 व 2006-07 (जनवरी, 07 तक) के दौरान स्थापित नई विद्युत परियोजनाओं से राज्य को अतिरिक्त आबंटित विद्युत क्षमता 258.23 मेगावाट है। विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट अ

Capactiy addition to Rajasthan from Central Generating Stations commissioned during 2004-05, 2005-06 & 2006-07 (as On 1.1.2007)

S. No.	Particulars	Available Capacity to Rajasthan (MW)
1	In the year 2004-05	
	Central Sector Projects	
	Nathpa Jhakri (2x250 MVV)	37.34
	Sub-Total 1	**37.34**
2	In the Year 2005-06	
	Central Sector Projects	
	1 Rihand TPS Stage-II (Unit-1 500 MW)	50
	2 Dhauli Ganga (4x70 MW)	27
	Sub-Total 2	**77**
3	In the year 2006-07 (as on 1.2.07)	
	Central Sector Projects	
1	RIHAND TPS STAGE-II Unit 2 (1x500 MW)	50.00
2	TEHRI STAGE-I (Unit-iv) (250 MW)	18.75
3	TEHRI SATGE-1 (Unit-III) 250 mw)	18.75
3	Allocation from ER in Lieu of Tala (2*170MW)	33.39
4	UNCHAHAR-III (210 MW)	**23.00**
	Sub-Total 3	**143.89**
	Total (1+2+3)	**258.23**

ग्राम सेविका (द्वाकरा) का महिला पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थापन

543. श्रीमती वन्दना मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेविका (द्वाकरा) का पद महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत आता है? यदि हां, तो इन्हें महिला पर्यवेक्षक के पद पर स्वयं के वेतनमान में किन नियमों के अन्तर्गत लगाया गया?

(2) क्या सरकार इन्हें महिला पर्यवेक्षक के पदों पर समायोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन नियमों के आधार पर तथा नहीं, तो इनको किन पदों पर व कब तक समायोजित किया जावेगा?

(3) सरकार द्वारा द्वाकरा परियोजना समाप्त हो जाने पर ग्राम सेविकाओं को अधिशेष क्यों नहीं किया गया? ग्राम सेविकाओं को महिला पर्यवेक्षक के पद पर लगाने के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है? क्या सरकार उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। द्वाकरा योजना दिनांक 1.4.99 से समाप्त होने पर प्रशासनिक निर्णयानुसार ग्राम सेविकाओं को महिला पर्यवेक्षक के पद के विरूद्ध अधिशेष समिति का निर्णय होने तक अस्थाई तौर पर स्थानान्तरित कर पदस्थापित किया गया।

(2) जी नहीं। राजस्थान महिला एवं बाल विकास (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 1998 में संशोधन के उपरान्त इनको महिला पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति की जा सकेगी।

(3) इन ग्राम सेविकाओं को विभाग के अन्तर्गत महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों पर समायोजित करने के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा असहमति व्यक्त करने के पश्चात इन्हें महिला पर्यवेक्षकों के पदों पर पदौन्नति प्रदान करने के निर्णय लिये जाने के कारण अधिशेष घोषित नहीं करके नियमों में संशोधन का मामला विचाराधीन है। अत: कोई अधिकारी/ कर्मचारी दोषी नहीं है। तथा किसी के खिलाफ कार्यवाही करना अपेक्षित नहीं है।

रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

544. श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवन बनाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रानीवाडा में कुल 188 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन रहित है। सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने वर्ष 2007-08 के बजट भाषण में तीन हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर भवन निर्माण की घोषणा की है।

बजट प्रस्ताव 2007-08 पर नीति निर्धारण एवं जिलेवार लक्ष्य निर्धारण का काम बजट पारित होने के उपरान्त प्रारम्भ हो सकेगा।

परिशिष्ट 'अ'

भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
1	रानीवाड़ा 1	11	डूंगरी 2
2	रानीवाड़ा 2	12	रामपुरा
3	रानीवाड़ा 3	13	जालेरा खुर्द 1
4	रानीवाड़ा 4	14	जालेरा खुर्द 2
5	रानीवाड़ा 5	15	जालेरा कलां
6	रानीवाड़ा 6	16	गोलवाड़ा
7	रानीवाड़ा 7	17	तावीदार
8	रानीवाड़ा खुर्द 1	18	सिलासन 1
9	रानीवाड़ा खुर्द 3	19	सिलासन 2
10	डूगरी 1	20	सूरजवाड़ा

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
21	धूलीगा	47	अदेयपुरा
22	केर	48	वगतापुरा
23	रोडा	49	धामसीन
24	जाखडी 1	50	जैतपुरा
25	जाखडी 2	51	रुपावटी खुर्द
26	जाखडी 3	52	बानमवाडा
27	दहीपुर 1	53	धानोल 1
28	दहीपुर 2	54	धानोल 2
29	सिंगावास	55	धानोल 3
30	जोडवास 1	56	मालवाडा 1
31	जोडवास 2 (बडलू)	57	मालवाडा 2
32	मेडक कला	58	मालवाडा 3
33	रतनपुर 1	59	मालवाडा 4
34	रतपुर 2	60	फतापुरा
35	मारुवाड़ा	61	आखराड
36	मैत्रीवाडा 1	62	दौलतपुरा
37	मैत्रीवाडा 2	63	डाडोली
38	गांग	64	कागमाला 1
39	हिरपुरा	65	कागमाला 2
40	आजोदर 1	66	बीडल
41	आजोदर 2	67	करडा 1
42	आदरवाडा	68	करडा 2
43	सेवाडिया	69	करडा 3
44	बडगांव 2	70	करडा 4
45	बडगांव 3	71	करडा 5
46	बडगांव 4	72	करडा 6

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
73	कोडका 1	104	चरपाटिया
74	कोडका 2	105	बरेठा
75	भाटीप 1	106	भवरिया
76	भाटीप 2	107	दूधवर
77	डिगांव 1	108	सामरानी
78	डिगांव 2	109	सान्थरू
79	वणधर 1	110	हर्षवाडा
80	वणधर 2	111	भण्डारडी
81	रतोवलावास	112	भाटवास
82	चाटवाडा 1	113	चाण्डपुरा
83	चाटवाडा 2	114	जसवन्तपुरा 3
84	लाखावारा	115	जसवन्तपुरा 4
85	दातवाडा 1	116	चान्दुर 1
86	दातवाडा 3	117	चान्दुर 2
87	करवाडा 3	118	फेदाणी
88	करवडा 2	119	अम्बातरी
89	सेवाडा 2	120	डोरडा 1
90	सेवाडा 3	121	डोरडा 2
91	कुडा	122	पावटी 1
92	पाल	123	कलापुरा 1
93	सान्थरू	124	कलापुरा 2
94	हर्षवाडा	125	गोलाणा 1
95	कोटडा 1	126	गोलाणा 2
96	कोटडा 3	127	उच्चतम
97	मोरगतरा 1	128	वाडापादक
98	मोरगतरा 2	129	वाडाभवजी
99	डोडवारिया	130	राजिकावास 1
100	मेडक खुर्द	131	राजिकावास 2
101	रुपावटी कला	132	चेकला
102	धामसीन 2	133	जाविया
103	रामपुरा	134	कीबला

क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम	क्र.सं.	आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम
135	मनोरजीकावास	162	लूर
136	दातलावास 2	163	लूररोटा
137	शिवगढ	164	तवाब 3
138	राजपुरा 2	165	तवाब 4
139	पसेरी 1	166	थूर 2
140	पूरण 1	167	बुगांव
141	पूरण 2	168	बेतारना
142	डेरडी	169	आजवर
143	कोटडा	170	पूनग खुर्द
144	साविधर 2	171	बाडका गंगा
145	कारलू 2	172	पुनासा 1
146	पावली 1	173	पुनासा 2
147	पावली 2	174	पुनासा 3
148	बूटिया ढाबी पावली	175	पुनासा 4
149	पहाड़पुरा	176	पुनासा 5
150	मणधर	177	वियो का गोलिया 1
151	रामसीन 2	178	वियो का गोलिया 2
152	रामसीन 3	179	दातिवास 1
153	रामसीन 5	180	दातिवास 3
154	माण्डोली 2	181	दातिवास 4
155	सीकवाडा 2	182	दातिवास 5
156	चान्दणा	183	फागोतरा
157	सोमता 2	184	सारियाणा
158	मूडतरा सेली 2	185	वनू की ढाणी
159	बासडा धन्जी	186	थोबाऊ 1
160	विश्नाईया का गोलिया	187	थोबाऊ 2
161	जोडवाडा 1	188	जोगाऊ

जनजाति उपयोजना क्षेत्र के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता

545. श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि समाज कल्याण के माध्यम से जनजाति के प्रतिभावान विद्यार्थियों को अतिरिकत सहायता राशि प्रदान की जाती है? यदि हां, तो जनजाति उपयोजना में कितने विद्यार्थियों को चालू वित्तीय वर्ष में सहायता प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थी, जो प्रतियोगी एवं व्यावसायिक परीक्षा हेतु तैयारी करते हैं उन्हें सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कितनी एवं किस-किस परीक्षा हेतु? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में जनजाति उपयोजना के किस-किस विद्यार्थी को सहायता प्रदान की गई कितनों द्वारा आवेदन किया गया था? क्या सभी को सहायता प्रदान कर दी गई व नहीं, तो क्यों?

(4) सरकार द्वारा इस योजना के प्रचार-प्रसार हेतु क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतियोगी एवं व्यावसायिक परीक्षा हेतु दी जाने वाली आर्थिक सहायता का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुसूचित क्षेत्र के 38 जनजाति छात्रों के आवेदन प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से पीएमटी/पीईटी/आईआईटी की पूर्व परीक्षा कोचिंग लेने हेतु प्राप्त हुए थे जिनमें योग्य पाये गये 31 अभ्यार्थियों को सहायता प्रदान की गयी है। लाभार्थियों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। सात आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति के अभाव में अथवा पात्रता नहीं होने से भुगतान नहीं किया गया है।

(4) योजना के प्रावधान अनुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रसारित करवा कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

परिशिष्ट 'अ'

1. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का विवरण

I. अनुसूचित क्षेत्र में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती) परीक्षा हेतु अनुप्रति योजना 06 अन्तर्गत प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 30,000/- तथा प्रधान (मुख्य) परीक्षा उत्तीर्ण होने पर 15,000/- इस प्रकार कुल रुपया 45,000/- की अनुदान सहायता प्रदान कियके जाने का प्रावधान है।

II. पीएमटी/पीईटी/आईआईटी प्रवेश हेतु पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से लेने पर जनजाति छात्रों को अधिकतम रुपये 23000/- फीस पुनर्भरण तथा 500/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक छात्रवृत्ति अधिकतम 5000/- व 1000/- की सहायता एक मुश्त (पुस्तकें स्टेशनरी इत्यादि) क्रय करने हेतु। इस प्रकार प्रति छात्र अधिकतम रुपये 29000/- तक की राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है।

2. समाज कल्याण विभाग द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता का विवरण

क्र. सं.	विवरण	अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि (अनु. जाति/ जनजाति हेतु)	राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि (केवल अनु. जाति हेतु)
1	प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर अभ्यार्थी को	25000/-	15000/-
2	प्रशिक्षण संस्थान को जिसमें अभ्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करता है।	50000/-	15000/-
3	मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होने पर साक्षात्कार की तैयारी हेतु अभ्यार्थी को	25000/-	15000/-
	योग	**100000/-**	**45000/-**

परिशिष्ट 'ब'

2006-07 में प्रतिष्ठित संस्थाओं के माध्यम से पीएमटी/पीईटी/आईआईटी पूर्व परीक्षा कोचिंग योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लाभान्वित जनजाति अभ्यार्थियों की सूची

क्र. सं.	छात्र का नाम व पता	संस्था का नाम	कोर्स
1	श्री वरदीचंद कटारा पुत्र श्री वीरजी मुकाम महोदव काड झाडोल जिला उदयपुर	केरियर पोईन्ट कोटा	पीएमटी
2	श्री ईश्वरलाल पुत्र श्री प्रभूलाल मीणा गांव सेवानगर मुगाणा, त. धरियावद जिला उदयपुर	ऐलन कोटा	पीएमटी
3	श्री जिगनेश कटारा पुत्र श्री प्रेमनाथ मु.पो. पोहरी खातुरात जिला डूंगरपुर	ऐलन कोटा	पीएमटी
4	श्री चन्द्रवीर परमार पुत्र श्री कांतिलाल निवासी कलाखण्डा फला पुनेला वाया पुलानी डूंगरपुर	ऐलन कोटा	पीएमटी
5	श्री कांतिलाल पुत्र श्री खातु गरासिया निवासी सोठला दूदा त. बागीदोरा जिला बांसवाड़ा	ऐलन कोटा	पीएमटी
6	श्री विवेक गरासिया पुत्र श्री वरसिंग निवासी गामनिया हमीरा त. बागीदोरा जिला बांसवाड़ा	रिजोनेंस केटा	आईआईटी
7	श्री प्रवीण सुवेरिया पुत्र श्री नारायण लाल बिछीवाडा जिला डूंगरपुर	ऐलन कोटा	पीएमटी
8	समताकुमारी मीणा पुत्री श्री रामकिशोर खेरवा त. घटोल, जिला बांसवाड़ा	ऐलन कोटा	पीएमटी
9	किरण मीणा पिता श्री जीवा तह. घाटोल जिला बांसवाड़ा	ऐलन कोटा	पीएमटी
10	श्री ओमप्रकाश रोत पिता श्री थानेश्वर मु. पो. सेलज तहसील व जि. डूंगरपुर	केरियर पोईन्ट, कोटा	पीएमटी
11	श्री कांतिलाल पिता श्री हरिशचन्द्र बामणिया नि माटियापाडा त. घाटोल जिला बांसवाड़ा	केरियर पोईन्ट, उदयपुर	पीएमटी

क्र. सं.	छात्र का नाम व पता	संस्था का नाम	कोर्स
12	श्री संदीप कलासुआ पिता श्री थानेश्वर गांव हाउसिंग बोर्ड शिवाजी नगर, डूंगरपुर	ऐलन कोटा	पीएमटी
13	अनिता पिता श्री वरसिंग गरासिया निवासी गामडिया हमीरा, तह. बागीदौरा जिला बांसवाड़ा	दासवानी क्लासेज कोटा	पीएमटी
14	राजकुमारी पिता श्री रामकिशोर मीणा मु. पो. खेरवा तह. घाटोल जिला बांसवाड़ा	ऐलन कोटा	पीएमटी
15	श्री धन्नालाल पिता री गोगन जी मीणा निवासी रणपुर चिकलाड तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़	दासवानी क्लासेज, उदयपुर	पीएमटी
16	श्री प्रदीप सिंह राठौड पिता श्री मोहनलाल राठौड द्वारा 153, माही सरोवर नगर, बांसवाड़ा	ऐलन कोटा	पीएमटी
17	सुश्री लीना डेन्डोर पुत्री लक्ष्मणलाल नये हास्पिटल के पास, इन्दिरा नगर, डूंगरपुर	ऐलन कोटा	पीएमटी
18	श्री अनिल खराडी पिता श्री रामलाल जी मु.पो. गलन्दर पाल डूंगरपुर	दासवानी क्लासेज कोटा	पीएमटी
19	सुश्री सोनल खराडी पुत्री श्री हरिराम खराडी निवासी मु.पो. कनबा जिला डूंगरपुर	केरियर पोईन्ट, उदयपुर	पीएमटी
20	श्री दिनेश कुमार बामनिया पुत्र श्री हरिमोहन बामनिया छात्रावास के पास गांव घाटोल जिला बांसवाड़ा	ऐलन कोटा	पीएमटी
21	श्री दीपक कुमार पटेल पुत्र श्री थावरचंद पटेल पो. सज्जनगढ़ त. कुशलगढ बांसवाड़ा	ऐलन कोटा	पीएमटी
22	हेमांगी निनामा पुत्री श्री रामलाल निनामा निवासी नादिया त. बांसवाड़ा	ऐलन कोटा	पीएमटी

क्र. सं.	छात्र का नाम व पता	संस्था का नाम	कोर्स
23	श्री रोशनलाल दरांगी पिता श्री वालीलाल मु.पो. करेल पोस्ट आमलिया जिला उदयपुर	केरियर पोईन्ट उदयपुर	पीएमटी
24	श्री रमणलाल पिता श्री संतुजी मीणा निवासी माण्डकला पोस्ट पाल जिला चित्तौड़गढ़	दासवानी क्लासेज उदयपुर	पीएमटी
25	श्री दिनेश चन्द्र खडा पुत्र श्री नगजी खडा मु. वाया टाडा बजवाना त. गढी जिला बांसवाड़ा	दासवानी क्लासेज उदयपुर	पीएमटी
26	सुश्री रेणु डामोर पुत्री श्री कालूलाल गांव टामटिया पोस्ट सरोदिया घाटोल जिला बांसवाड़ा	ऐलन कोटा	पीएमटी
27	सुश्री मनीषा पुत्री श्री कांतिलाल निवासी गडा रोदा त सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर	ऐलन कोटा	पीएमटी
28	श्री अमनलाल पुत्र श्री चिरंजीवलाल नागदा मोहल्ला आसपुर जिला डूंगरपुर	ऐलन कोटा	पीएमटी
29	श्री भावेश डोडा पिता श्री लक्ष्मीलाल गुलाबी नगर, डूंगरपुर	ऐलन कोटा	आईआईटी
30	श्री विमल प्रकाश पुत्र श्री बृज मोहन गांव झूथरी पोस्ट जवास उदयपुर	दासवानी क्लासेज, कोटा	पीएमटी
31	श्री अमित गरासिया पिता श्री नरसिंह खान्दू कालोनी जिला बांसवाड़ा	दासवानी क्लासेज, कोटा	पीएमटी

जिला मुख्यालय राजसमंद पर जनजाति क्षेत्रीय विकास कार्यालय की स्थापना

546. श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार राजसमन्द जिला मुख्यालय पर जनजाति कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री बंशीलाल खटीक)

(2) क्या सरकार माडा में महाराष्ट्र/पैटर्न/बिखरी आबादी जनजाति बस्तियों में पंचायत समिति राजसमन्द की 7 ग्राम पंचायतों में 0.955 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माडा, कलस्टर एवं बिखरी आबादी कार्यक्रमों के अंतर्गत राशि आबंटन के मापदण्ड अनुसार राजसमंद जिले को सीमित मात्रा में राशि आबंटित होती है जिसके लिए पृथक से जनजाति कार्यालय खोलने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है।

(2) प्राप्त प्रस्तावों पर राशि की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जावेगा।

पाली जिले के वाहन चालकों से दुर्घटना दावों की राशि की वसूली

547. श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची) : क्या मोटर गैराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में निजी वाहनों/टैक्सी वाहनों का बीमा करवाया जाना अनिवार्य है? यदि हां, तो क्या सरकारी वाहनों का बीमा भी करवाया जाता है? यदि हां, तो इन वाहनों का बीमा किसके द्वारा करवाया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) सरकारी वाहनों द्वारा दुर्घटना से किसी की मृत्यु होने पर बीमा दावों की राशि पीड़ित परिवार को किस रूप में किसके द्वारा दी जाती है?

(3) पाली जिले में पिछले 10 वर्षों में सरकारी वाहनों से दुर्घटना में किस-किस व्यक्ति की किस-किस वाहन से कब मृत्यु हुई तथा कितनी राशि किस-किस व्यक्ति को कब व किसके द्वारा दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि सरकारी वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु होने पर दावे की राशि वाहन चालक से वसूल की जा रही है? यदि हां, तो पाली जिले में ऐसे कितने सरकारी वाहन चालक हैं, जिनसे यह राशि वसूल की जा रही है तथा किन नियमों के तहत यह वसूल की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। लेकिन सरकारी वाहन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 146(3) के अन्तर्गत तृतीय पक्ष की जोखिम के विरूद्ध अनिवार्य बीमा कराने से मुक्त हैं।

(2) सरकारी वाहनों द्वारा दुर्घटना से किसी की मृत्यु होने पर बीमा दावों की राशि पीड़ित परिवार को न्यायालय के निर्णय अनुसार राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

(3) विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(4) सामान्यत: सरकारी वाहनों से दुर्घटना में मृत्यु होने पर दावे की राशि वाहन चालकों से वसूल नहीं की जाती है, परन्तु माननीय न्यायालय द्वारा इस आशय का निर्णय हो जाता है कि वाहन चालक से राशि वसूल की जानी है तो तदनुसार कार्यवाही की जाती है। पाली जिले का ऐसा एक प्रकरण है, जो संलग्न परिशिष्ट ''अ'' के क्र.सं. 4 पर अंकित है, किन्तु संबंधित वाहन चालक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर लेने से वाहन चालक के पक्ष की राशि भी विभाग द्वारा दुर्घटना दावा अधिकरण, जालौर में जमा करा दी गई है।

परिशिष्ट ''अ''

पाली जिले में गत 10 वर्षों में सरकारी वाहनों से दुर्घटना से मृत्यु एवं भुगतान संबंधी विवरण

क्र. सं.	मृतक का नाम	वाहन का विवरण	मृत्यु की तिथि	भुगतान की राशि	भुगतान की तिथि	जिसको भुगतान किया गया	भुगतान किया गया
1	स्व. डा. अब्दुल हकीम	आर. जे 14ई 0082	15.7.96	334400 रुपये	2.1.2004	पीड़ित परिवार को	सरकार द्वारा
2	स्व. श्री बी.के. मिश्रा	आर.जे. जे14ई 0082	15.7.96	25000 रुपये अन्तरिम राहत	2.4.2004	पीड़ित परिवार को	सरकार द्वारा
3	स्व. डा. सुमेर सिंह राजावत	आर.जे. पीएक्स 825	8-9.5.1995 मध्यराशि	50000 रुपये अन्तरिम राहत	19.6.2002	पीड़ित परिवार को	सरकार द्वारा
4	स्व. श्री नानकसिंह	आर.जे.पी.एक्स 825	8-9.5.2995 मध्यराशि	112171 रुपये 209849 रुपये (वाहन चालक के पक्ष की राशि)	12.11.2001 10.11.2006	एम.ए.सी.टी. जालौर में जमा	सरकार द्वारा
5	स्व. श्री बालाराम मीणा	आर.जे. 19जी 3502	18.2.2005	50000 रुपये अन्तरिम राहत	31.1.2007	पीड़ित परिवार हेतु एम.ए.सी.टी. बाली में जमा	सरकार द्वारा
6	स्व. श्री मांगीलाल वाहन चालक जिला पूल	दुर्घटना निजी वाहन के द्वारा हुई।	9.5.2001	एम.ए.सी.टी. सुमेरपुर में प्रकरण संख्या 361/01 विचाराधीन है।	-	-	-
7	स्व. श्री किशोर कुमार वाहन चालक जिला पूल	दुर्घटना निजी वाहन के द्वारा हुई।	6.3.2007	प्रकरण में पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट दी जानी है।	-	-	-

आरक्षित वर्ग के आयुर्वेद कर्मियों के रिक्त पद

548. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कम्पाउण्डर एवं वैद्यों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पदों पर कम्पाउण्डर, वैध कार्यरत हैं? वर्गवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त रिक्त पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का बैकलाग है? यदि हां, तो कितने पदों का? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सकों व नर्स कम्पाउण्डरों के स्वीकृत पदों एवं इन पदों के विरुद्ध कार्यरत कार्मिक का विवरण निम्न प्रकार है :-

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिकों की संख्या
आयुर्वेद चिकित्सक	3761	3377
नर्स/कम्पाउण्डर	4161	3414

(2) उक्त संवर्ग में अनुसूचित जाति व जनजाति का बैकलाग निम्न प्रकार है :

पदनाम	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
आयुर्वेद चिकित्सक	487	350
नर्स/कम्पाउण्डर	372	-

(3) आयुर्वेद चिकित्सकों की नवीन नियुक्ति पर मा. राजस्थान उच्च न्यायालय की रोक है। नर्स/कम्पाउण्डर के 219 रिक्त पदों की भर्ती हेतु प्रार्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई जा चुकी है।

नागौर जिले के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में रिक्त पद

549. श्री रामचन्द्र जारोड़ा (नागौर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामचन्द्र जारोड़ा)

(1) नागौर जिले में कितने किस-किस श्रेणी के आयुर्वेदिक औषधालय हैं तथा उनमें कितने चिकित्साकर्मी किस-किस श्रेणी के पदस्थापित हैं?

(2) जिला नागौर में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभागान्तर्गत नागौर जिले में आयुर्वेद के 7 'अ' श्रेणी शैय्यायुक्त चिकित्सालय तथा 147 'बी' श्रेणी औषधालय संचालित हैं। इन चिकित्सालयों/औषधालय में पदस्थापित चिकित्सा कर्मियों की संवर्गवार संख्या निम्न प्रकार है :-

आयुर्वेद चिकित्सक	-	133
नर्स/कम्पाउण्डर	-	96
परिचालक	-	120

(2) नागौर जिले में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के 26 पद रिक्त हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों की नवीन नियुक्ति पर माननीय उच्च न्यायालय की रोक है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक, 20 मार्च, 2007)

झारखण्ड राज्य में केप्टिव कोल माइनिंग हेतु निजी क्षेत्र सहभागिता योजनान्तर्गत कोयला आपूर्ति

235. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा केप्टिव कोल माइनिंग हेतु झारखण्ड में कोयला खान आबंटित कर किसी निजी संस्था के साथ मिलकर माइनिंग का कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त माइनिंग से राज्य को कोयला कितनी मात्रा में कब-कब व किस दर पर उपलब्ध कराया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा केप्टिव माइनिंग हेतु कोयला खान आबंटित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाए गए हैं किन्तु अभी तक कोई आबंटन नहीं किया गया है।

(2) शून्य

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-252 की सूची)

परिशिष्ट-अ

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	अधीक्षक ग्रेड द्वितीय	230	17
2	कोच ग्रेड-तृतीय	66	45

जनजाति उपयोजना क्षेत्र में संचालित आवासीय विद्यालय में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की सूची

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	वार्डन	9	4
2	अध्यापक	135	86

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या–254 की प्रति)

PLANNING COMMISSION

(HEALTH & FAMILTY WELFARE DIVISION)

To achieve health for all by the year 2000 A.D. health infrastructure has to be provide throughout the country as per the following norms

(1) One Village Health Guide per village or for a population of 1000.

(2) One Sub Centre for a population of 3000-5000 depending upon terrain back wardness etc.

(3) One Primery Health Centre for a population of 20,000 to 30,000.

(4) One community Health Centre for 100,000 population with 4 specialists and 30 indoor Beds Plus X-ray and clinical investigation facilities.

It has been observed that the States are not in a position to establish a full fledged unit as per the recommended patterns of the Ministry of Health because of paucity of funds and paucity of available trained personnel. It is proposed that for establishemnt of the following institutions, a phasing pattern may be adopted which will Facilitate the establishment of these institutions in a phased manner and also ensure radiation of adequate and appropriate health service facilites from these centres.

I. Sub Centre

Phase-I

(a) A sub-Centre would have been deemed to have been established only when (1) a builiding is a available either rented or government owner or donated by the people, (2) It will have a minimum of Auxilary Nurse Midwife posted at the Centre. Without ANM posted a Centre, it would not be accepted as established as per Phase I.

(b) Such a Centre should be entitled to the support for drugs and contiagent amount as per norms for a sub-centre.

Phase-II

In this phase it should be ensured that the total staff of a sub centre is in position. It should be particularly ensured that a male Multipurpose worker is posted at the sub center. It should be furhter ensured that both male and female workers have been trained as multi-purpose workers and specific population are demarcated for their action, i.e. 3000 or 5000 depending upon the characterisation.

Phase-III

In this Phase proper institutional and residential building should be ensured.

It is suggested that the first two phases should be completed in plan period while the third phase may spill over into the next plan.

II Primary Health Centres

Primary Health Centres are being established for a population of 20,000-30,000. It is proposed that the establishment of primary Health Centres be done as per the following phases.

Phase I

PHC has at least one medical officer a pharmacist, a lab. Technician, male and female health assistants and equipments as laid down. This will ensure that PHC is to some extent is capable of delivery of essential and priority health services.

Phase-II

(a) All the remaining staff for the PHC as per the norms of the Primary Health Centre should be filled up.

(b) Training of multi-purpose workers and proper placement of multi workers on specific population norms (should be ensured).

(c) All national health programme should be integrated in the population of 20,000-30,000 with the comprehensive health services being provided from the Primary Health Centres ensuring appropriate work place.

Phase-III

(a) Provision for completion of institutional and residential buildings, equipment and staff as per the approved pattern should be ensured.

(b) Proper linkage of all the sub Centres and other health institutions with the primary Health Centres should be fully established. Proper referral and linkage of primary Health Centres with higher institutions like Community Health Centres, a sub District Hospital and a District Hospital should be envoled.

III. Community Health Centres.

A Community Health Centre will cater for a population of 100,000 will have 4 clinical specialists in medicine, surgery, pediatrics and Gynecology, It is expected to be having 30 indoor beds, an x-ray Unit and clinical investigation facilities. Keeping in view the shortage of specialites in the state, the phasing of the Community Health Centres is proposed as under.

Phase-I

(a) Minimum of 2 clinical specialists should be provided before a community health centre is deemed to have been established.

(b) A minimum of 30 beds should be operational before the community Health Centre is deemed to have been established.

(c) An X-ray Unit must be provided.

Phase-II

(a) Posting of the supporting Staff Should be ensured.

(b) The bad strength must be raised to 30.

(c) Clinical investigation facilities must be fully provided.

(d) Linkages with the Primary Health Centres downwards and district and sub-district hospitals must be established.

Phase-III

(a) All the specialists supporting staff, equipment and vehicle should be ensured.

(b) The Community Health Centre should function as an integrated unit providinig comprehensive health are the 100,000 population throuth its referral units, that is, the primary Health Centers and Sub-Centres.

(c) All the national health programme in the 100,000 population should be integrated from the community Health Centers.

(d) Buliding, institutional as well as residential, should be provided as per norms.

A meeting was taken by shri Virendar Prakash, Additional Secretary, Minsitry of Programme Implementation in which Joint Secretary from the Minsitry of Health Shri Alok and Other officers of the Ministry also participated. If approached, these instructions will be communicated to the Ministry as phasing Guidelines for the establishment of health institutions in the rural areas and will guide the Health Divistion of the Planing Commission in the appropriation of of resources to the states for the establishment of these centre.

Sd/-

Mr. Harcharan Singh

Jt. Advisor (Health)

परिशिष्ट-3

(तारांकित प्रश्न संख्या-256 का विवरण)

परिशिष्ट–अ

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वृत्त चित्तौड़गढ़

विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़

क्र. सं.	पंचायत का नाम	विद्युत बिल की बकाया राशि जमा नहीं करने के कारण काटे गये कनेक्शनों की सूची	पुन: जोड़े गये कनेक्शनों की सूची
1	असायता	65	51
2	अवलेरवर	117	80
3	बसाऊ	265	172
4	बसेरा	35	22
5	बरोठा	17	10
6	डावडा	47	30
7	घोटारसी	53	35
8	अंधेर	98	65
9	झांसडी	31	56
10	केरवास	13	7
11	खैरोट	112	82
12	कचोटिया	23	17
13	कल्याणपुरा	54	38
14	कुल्थाना	93	58
15	कुनी	37	20
16	मनोहरगढ़	13	7
17	माटीखडी	17	11
18	सुहागपुरा	73	52
19	वरमण्डल	67	38
20	पाननोडी	167	94
21	अमलावद	103	60
22	लुहारिया	53	25

1	2	3	4
23	अचलपुर	57	8
24	देवगढ़	59	15
25	रामपुरिया	120	61
26	जोलर	70	17
27	बडीलोट	70	17
28	हथियाना	90	41
29	बैडना	15	6
30	जाऊली	29	15
31	वीरावली	41	21
32	नौगाया	3	2
33	लालगढ़	4	3
34	मोटा धामनिया	8	3
35	सा.खुर्द	59	32
36	फतेहगढ़	29	15
37	धूपना	108	52
38	कोटड़ी	76	38
39	मचुण्डला	39	12
40	मोहेड़ा	76	45
41	अचनेरा	38	21
42	चकुण्डा	45	30
43	सेवना	62	49
44	सालमगढ़	175	108
45	मोरी	0	0
46	दलोट	308	261
47	चन्दरा	78	32
48	निन्गर	128	79
49	बड़ी सालमड़ी	208	147
50	बोरदिया	128	79
51	मोथाई	71	29
52	रायपुर	84	42
53	आबीरामा	5	2
54	**योग**	**3894**	**2312**

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या-197 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 से जिलों को आबंटित राशि व व्यय का विवरण तथा लाभान्वित महिलाओं की संख्या का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	जिले का नाम	आबंटित राशि (राशि. लाखों में)	रिपोर्टड व्यय (राशि रु. लाखों में)	लाभान्वित महिलाओं की संख्या
1	अजमेर	154.53	60.04	9028
2	अलवर	212.72	105.64	18532
3	बांसवाड़ा	220.68	201.87	15214
4	बारां	152.11	70.00	7644
5	बाड़मेर	141.33	55.15	4116
6	भरतपुर	303.25	145.31	14711
7	भीलवाड़ा	191.78	55.11	9813
8	बीकानेर	123.08	80.05	9011
9	बूंदी	106.47	90.96	9964
10	चित्तौड़गढ़	152.20	120.04	15333
11	चूरू	164.10	95.00	9899
12	दौसा	136.84	95.14	9464
13	धौलपुर	131.84	65.06	4707
14	डूंगरपुर	110.04	53.22	10854
15	गंगानगर	95.12	70.61	6292
16	हनुमानगढ़	155.65	45.00	4212
17	जयपुर	565.19	300.26	34195
18	जैसलमेर	34.22	10.07	833
19	जालौर	110.55	50.08	255
20	झालावाड़	91.92	40.05	7390
21	झुन्झुनूं	135.58	80.00	7881
22	जोधपुर	221.91	100.14	10369

1	2	3	4	5
23	करौली	169.75	74.63	9970
24	कोटा	186.57	123.58	11099
25	नागौर	186.40	70.04	10566
26	पाली	108.03	45.07	5241
27	राजसमंद	88.64	50.03	3422
28	सीकर	156.9	130.13	10894
29	सिरोही	65.05	35.00	3142
30	सवाई माधोपुर	99.74	98.23	7996
31	टोंक	144.33	80.00	8920
32	उदयपुर	209.32	170.19	18363
	योग	**5125.53**	**2865.70**	**309330**

परिशिष्ट-ब

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत हैल्प लाइन योजना में हुए व्यय राशि का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि रु. लाखों में)

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**व्यय राशि नवम्बर 2006 से जनवरी 2007 तक**
1	अजमेर	0.66489
2	अलवर	0.83880
3	बीकानेर	0.79603
4	बाड़मेर	0.55594
5	बांसवाड़ा	0.71805
6	बारां	0.74101
7	झालावाड	0.87119
8	भरतपुर	0.64178
9	भीलवाड़ा	0.61042
10	चित्तौडगढ़	0.48666
11	डूंगरपुर	0.73787

क्र.सं.	जिले का नाम	व्यय राशि नम्बर 2006 से जनवरी 2007 तक
12	दौसा	0.70392
13	हनुमानगढ़	0.85084
14	जैसलमेर	0.59308
15	जोधपुर	0.55010
16	जयपुर	0.71746
17	करौली	0.71746
18	नागौर	0.71747
19	जालौर	0.70468
20	झुन्झुनूं	0.65443
21	कोटा	0.73344
22	पाली	0.63077
23	राजसमंद	0.84637
24	सिरोही	0.71690
25	सवाई माधोपुर	0.75387
26	सीकर	0.80488
27	गंगानगर	0.61080
28	उदयपुर	0.52173
	योग	**19.49084**

जिला टोंक, चूरू, बूंदी, एवं धौलपुर जिले में हैल्प लाइन प्रोजेक्ट कार्यशील नहीं है।

परिशिष्ट-स

जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत महिलाओं को सरकारी चिकित्सा संस्थानों में जाने के लिए परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने पर हुए व्यय राशि का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	जिले का नाम	महिलाओं को रैफरल सेवा उपलब्ध करायी गई	प्रसूता महिलाओं को परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने पर व्यय राशि
1	अजमेर	789	2.24
2	अलवर	1800	6.06

1	2	3	4
3	बांसवाड़ा	147	0.59
4	बारां	145	0.43
5	बाड़मेर	807	3.23
6	भरतपुर	308	1.23
7	भीलवाड़ा	201	0.60
8	बीकानेर	173	1.04
9	बूंदी	390	1.56
10	चित्तौड़गढ़	1821	6.18
11	चूरू	90	0.27
12	दौसा	854	2.56
13	धौलपुर	478	1.62
14	डूंगरपुर	1171	3.51
15	गंगानगर	429	1.72
16	हनुमानगढ़	42	0.17
17	जयपुर	881	8.53
18	जैसलमेर	14	0.06
19	जालौर	24	0.02
20	झालावाड़	3325	12.38
21	झुन्झनूं	472	1.53
22	जोधपुर	279	1.12
23	करौली	1634	5.66
24	कोटा	1375	5.50
25	नागौर	145	0.58
26	पाली	2828	11.31
27	राजसमंद	67	0.20
28	सीकर	922	2.77
29	सिरोही	123	0.49
30	सवाई माधोपुर	653	2.61
31	टोंक	230	0.69
32	उदयपुर	189	0.57
	योग	**22806**	**87.03**

परिशिष्ट-5

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव

रेवदर में महाविद्यालय खोलने बाबत

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि रेवदर तहसील सिरोही जिले का उपखण्ड कार्यालय है तथा वहां पर महाविद्यालय नहीं है। रेवदर तहसील की सिरोही मुख्यालय से औसतम दूरी 60 से 100 कि.मी. है। अधिकांश विद्यार्थी गांवों में रहते हैं जो समयाभाव व आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण प्रतिदिन किराया न देने की वजह से अच्छी शिक्षा रूपी मूलभूत आवश्यकता से वंचित हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो वर्ष पूर्व माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा स्व. विधायक श्री जयन्ती लालजी कोली के मूर्ती अनावरण के समय मेरे द्वारा इस बात को अवगत कराने पर जनता को महाविद्यालय खोलने का आश्वासन दिया था।

अत: आपसे मेरा आपके माध्यम से जनता की इस मांग को सदन के समक्ष रखता हूं कि रेवदर तहसील जो भौगोलिक दृष्टि से तथा जनता की आवश्यकता अनुसार रेवदर में महाविद्यालय की अत्यन्त आवश्यकता है अत: आपसे करबद्ध अनुरोध करता हूं कि राजस्थान सरकार जनहित में एक और कदम उठाये जिसमें वहां की जनता छात्र-छात्राओं में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा तथा आवश्यकताओं की कमी को झेलने वाली प्रतिभाएं अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकेंगी जो रेवदर तहसील ही नहीं वरन राजस्थान व देश के लिये एक सार्थक कदम होगा।

जगसीराम कोली
(रेवदर)

कपासन में सरसों की खरीद प्रारम्भ कराने बाबत

महोदया जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान विधान सभा संचालन प्रक्रिया नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की कल्याणकारी सरकार ने हर क्षेत्र हर पहलू, हर संवर्ग, हर व्यक्ति के कल्याण के लिए योजनाएं प्रारम्भ की हैं।

इसी के तहत कल्याणकारी सरकार ने समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद करने हेतु निर्देश जारी कर सरसों तौल केन्द्रों पर सरसों का तौल/क्रय करना आरम्भ कराया। जिससे किसानों को राहत मिलने लगी है।

इसी के साथ मैं यह निवेदन करना चाहूता हूं कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में समर्थन मूल्य पर सरसों का तौल/क्रय करना सम्बन्धित अधिकारियों ने नहीं कराया है। जिससे किसान अपनी उपज स्थानीय व्यापारियों को कम मूल्य पर बेचने हेतु मजबूर हो रहे हैं। इसलिए मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र कपासन में सरसों का समर्थन मूल्य पर तौल शीघ्र आरम्भ किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश जारी करावें ताकि किसानों को अपनी उपज का वास्तविक मूल्य समय पर मिल सके व राहत मिल सके।

बद्रीलाल जाट

(कपासन)

तहसील फागी व चाकसू में मुंसिफ न्यायालय खोलने में करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख है कि :-

मेरे विधान सभा क्षेत्र फागी की तहसील चाकसू व फागी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त दोनों ही तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ न्यायालय नहीं होने के कारण तहसील चाकसू के ग्रामीणों को 60-65 कि.मी. दूर जयपुर एवं फागी के ग्रामीण को दूदू जाना पड़ता है। परन्तु यातायात के साधनों व सड़कों के अभाव में कोर्ट के समय पर आने जाने में बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, कभी-कभी दो-तीन बसों को बदलना पड़ता है, जिससे गांवों के गरीबों किसानों मजदूरों को न्यायालय तक पहुंचने में बहुत कठिनाई होती है। परन्तु जब न्यायालय का समय सुबह 7.30 से 12 बजे तक का होता है। तब ग्रामवासियों को सुबह 3 बजे उठना पड़ता है या फिर एक दिन पहले ही जयपुर व दूदू में रात को ठहरना पड़ता है, तब जाकर सुबह कोर्ट में समय पर पहुंच पाते हैं। इस प्रकार मुंसिफ न्यायालय के अभाव में ग्रामीण जनता को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जबकि जिले कि करीब-करीब सभी तहसील मुख्यालयों पर मुंसिफ न्यायालय बने हुए हैं।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया व विधि एवं न्याय मंत्री महोदय से निवेदन है, कि विधान सभा क्षेत्र की तहसील चाकसू व फागी में मुंसिफ न्यायालय खोलने की कृपा करें जिससे गांव की गरीब जनता को न्याय पाने में राहत मिल सके। सम्पूर्ण मामला जनहित का है।

लक्ष्मीनारायण बैरवा

(फागी)

सीकर नगर परिषद में सफाई कार्मिकों की नियुक्ति बाबत

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बधी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सीकर नगर परिषद में सफाई कार्मिकों की नियुक्ति की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगी।

विगत कई दिनों से सीकर शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं हो रही है, शहर की नालियों व सड़कों की सफाई समय पर नहीं की जा रही है। सड़कों पर कचरा इत्यादि पड़ा रहता है जिससे अनेक बीमारियों के फैलने की सम्भावना बनी हुई है जिसका एक मुख्य कारण सफाई कर्मचारियों की कमी होना है। सीकर नगर परिषद में वर्तमान में 205 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं जिनमें से 6 कर्मचारियों से वाहन चालक का कार्य भी लिया जाता है। इनमें से कुछ कर्मचारियों से इसी प्रकार अन्य कार्य लिया जाता है शेष बचे कर्मचारियों से शहर की सफाई व्यवस्था समय पर होना नामुमकिन है।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगी कि वर्ष 1999 में इन कर्मचारियों की नई भर्ती पर रोक लगी थी जो आज तक बरकरार है चूंकि सीकर शहर की आबादी विगत वर्षों में लगातार बढ़ती चली जा रही है। विशेष अवसरों जैसे दीपावली, होली, ईद, गणगौर, तीज, ताजिये पर भी सफाई व्यवस्था ठेके पर करवाई जाती है।

अत: मैं पुरजोर शब्दों में माननीय मुख्य मंत्री महोदया एवं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वह सीकर शहर में सफाई कार्मिकों की भर्ती पर लगी रोक को तुरन्त हटा कर नई नियुक्तियां करे ताकि शहर में सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से हो सके।

धन्यवाद। जय भारत।

राजकुमारी शर्मा

(सीकर)

अलवर जिले में 33 के.वी.जी.एस.एस. (बिजली सब-स्टेशन) बनाने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरथल में दो जी.एस.एस. स्थापित हैं जो 33 के.वी. के हैं। दोनों सब स्टेशनों से क्षेत्र के ग्रामीणों को बिजली की सप्लाई की जाती है। लम्बी दूरी की बिजली की लाइनें पुरानी व ढीले तार होने के कारण ज्यादातर बिजली की लाइनें आंधी व बरसात के कारण टूट जाती हैं। इस वजह से ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में सही समय पर बिजली नहीं मिलती है व कम वोल्टेज की बिजली मिलने के कारण यहां के निवासियों को एवं ग्रामीण किसानों को पर्याप्त मात्रा में समय पर बिजली नहीं मिलने के कारण उनकी फसलें नष्ट भी हो जाती हैं। उपरोक्त तीनों गांवों में 33 के.वी. सब स्टेशनों के लिये भूमि उपलब्ध है वह भी सड़कों के पास है। ये गांव इस क्षेत्र के मध्य में पड़ते हैं।

अत: मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि ग्रामीणों की बिजली की समस्या को ध्यान में रखते हुये 33 के.वी. सब स्टेशन ग्राम बाथोड़ा, जगताबसई, पं.स. किशनगढ़ बास ग्राम नांगल सालिया पं.सं. कोटकासिम जिला अलवर में इसी वित्तीय वर्ष में उक्त सब स्टेशन खोलने की कृपा करें।

धन्यवाद।

जयराम जाटव

(खैरथल)

अंशकालीन कार्यकर्त्ता वार्ड बाय/धोबी/कुक/स्वीपर को स्थायी कर नियमान्तर्गत वेतन देने बाबत

राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2) राजस्थान, जयपुर के आदेश एफ 11(91) एफ.पी.एच./90/ग्रुप-2 दिनांक 15.9.90 के द्वारा अंशकालीन कार्यकर्ता वार्ड बॉय/धोबी/कुक/ स्वीपर के रूप में मात्र 200/- रु. के मानदेय पर नियुक्ति प्रदान की गई।

इसी प्रक्रिया के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिणधरी निवासी मदनलाल पुत्र श्री लक्ष्मणराम को वार्डबाय के पद पर नाहटा चिकित्सालय बालोतरा के पद पर नियुक्त किया गया। जिसके तहत 01.03.1993 को उक्त पद पर कार्यग्रहण किया। दिनांक 31.05.1993 को उसे सेवा से मुक्त कर दिया गया।

सेवा समाप्ति के विरूद्ध में माननीय श्रम न्यायालय, जोधपुर में वाद संख्या 9/98 पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 22.07.2002 को हुआ जिसके तहत सेवाओं को निरन्तर मानते हुए सेवा में पुनः लिया गया। माननीय न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार की अपील 902/03 को दिनांक 27.07.2002 को खारित की गयी।

उक्त कर्मचारी दिनांक 16.08.2004 से नियमित रूप से मात्र 200/- रु. प्रतिमाह मानदेय पर 8 से 10 घंटों के लिये प्रतिदिन कार्यरत रहता है। विभाग द्वारा रिक्त पद होने के कारण उन रिक्त पदों पर प्रार्थी एवं समकक्ष को समायोजित करने की अनुमति भी मांगी गई है।

मात्र दो सौ रुपये में वर्तमान में महंगाई के इस युग में परिवार का तो क्या एक व्यक्ति का भी भरण पोषण सम्भव नहीं है। एक ओर तो हम न्यूनतम मजदूरी 70 रु. देने की बात कर रहे है तथा दी भी जा रही हैं लेकिन इस व्यवस्था में ऐसे व्यक्तियों का सरासर शोषण हो रहा है जो अमानवीय है।

अतः इस प्रकार से कार्यरत कार्मिकों को रिक्त पद के विरूद्ध समायोजन कर 13 वर्षों से सेवारत अनुबन्धित अंशकालीन कार्यकर्त्ता वार्ड बाय/धोबी/कुक/स्वीपरों को नियमित करने के आदेशों में शिथिलता प्रदान कर या नियमों में संशोधन कर इन्हें नियमित करने हेतु सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार लेकर न्याय प्रदान करना चाहिये।

टीकमचन्द कान्त

(सिवाना)

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कर कार्यवाही करने बाबत

मान्यवर,

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा विभिन्न जिलों (खण्डों) में फेबरीकेशन के कार्य, विभिन्न साइज के एम.एस. स्पेशल फेबरीकेशन का कार्य, विभिन्न साईज के ज्वाइंट टर्न करना तथा सी.आई/जी.आई. फलेन्जों में होल करने का कार्य, विभिन्न साइज के जी.आई. पाइप की कटिंग/वेल्डिंग/चूड़ी डालने का कार्य करवाए जाने के लिए क्षेत्रवार विभागीय अधिशासी अभियन्ता अधिकृत हैं। किन्तु विगत कुछ वर्षों से उक्त प्रकार के कार्य करवाए जाने में भारी भ्रष्टाचार पनप गया है। अधिकारियों द्वारा बहुत से कार्य बिना करवाये ही

ठेकेदारों से मिलीभगत करके बिल बनवाकर राजकीय राशि का भुगतान कर दिया जाता है। गलत एम.बी. भरने वाले जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के संबंधित अधिकारियों को निश्चित हिस्सा राशि ठेकेदारों से मिल जाती है। उदाहरणार्थ वर्ष 2003 में बूंदी खण्ड के लाखेरी, इन्द्रगढ़, क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए लगाए गए टेंकरों के कम चक्कर होते हुए भी अधिक चक्कर दर्शा कर राशि का भुगतान कर दिये जाने के प्रकरण में विभाग द्वारा सत्यता की जानकारी नहीं करके जांच को रफा-दफा कर दिया गया। उक्त क्षेत्र में फेबरीकेशन के कार्य भी अधिक राशि के होने बताये गये हैं, जबकि इन कार्यों में इतनी अधिक राशि व्यय नहीं हो सकती। अधिशासी अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बूंदी द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या 6/2003-04 दिनांक 16.01.2004 में बूंदी जिले में होने वाले फेबरीकेशन कार्यों की कुल लागत मात्र 150000/- एक लाख पचास हजार रुपये वार्षिक दर्शायी गई थी, किन्तु उसके बाद इन कार्यों में भारी राशि व्यय की जाने लगी है तथा नवम्बर, 2005 से अब तक की एक वर्ष की अवधि में इसके पेटे लाखों रुपये का व्यय होना बताकर माप पुस्तिकाओं में भी काम होने के फर्जी इन्द्राज सरकारी राशि बदनियतीपूर्ण तरीके से हड़पने के लिए किया गया है। जबकि इस अवधि में कोई नई स्कीम का कार्य भी नहीं हुआ है, तो बूंदी जिले के लाखेरी, नैनवां, इन्द्रगढ, हिण्डौली क्षेत्र के कनिष्ठ अभियन्ताओं के क्षेत्र में इतनी अधिक राशि विभिन्न प्रकार के फेबरीकेशन कार्यों में व्यय होना बताया जाना स्पष्टत: गलत तथा फर्जी है। गर्मी के मौसम में मौके की खरीद के नाम पर की गई खरीद के सामानों की राशि का भुगतान प्रचलित बाजार दर से अधिक राशि का किया गया है।

जिस-जिस कनिष्ठ अभियन्ता के क्षेत्र में अधिक राशि के कार्य करवाये जाने बताये गये हैं उस-उस क्षेत्र के एक-एक आयटम की पुख्ता जांच की जाकर भौतिक सत्यापन करके एम.बी. में जितना भी गलत इन्द्राज किया गया है, उसका विवरण तैयार किया जाकर जनहित में अविलम्ब कार्यवाही की जाकर आवश्यकतानुसार दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों या स्थानीय पुलिस में मुकदमें दर्ज करवाये जाने तथा राशि की भी वसूली की जाना जनहित में है।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में बून्दी जिले में परिवहन के नाम पर राजकोष को नुकसान पहुंचाने का दूषित कार्य भी किया गया है। बून्दी में विभाग के पास चालू हालत में एक ट्रक होने पर भी परिवहन के लिए

निविदाएं आमंत्रित करके रुपये 295.00 (दो सौ पिच्यानवे) प्रति टन प्रति दस किलोमीटर की दर से तथा बाद के 20 किलोमीटर तक प्रति किलोमीटर 20 रुपया प्रतिटन अतिरिक्त राशि अदा करने की स्वीकृति, ट्रक यूनियन से जानकारी नहीं लेकर एवं बाजार की प्रचलित दर से बिना सामंजस्य बिठाये, जारी की गई। यह राशि बाजार में प्रचलित दर तथा ट्रक यनियन की दर से काफी अधिक है। बाजार की प्रचलित दर मात्र 55.00 (पचपन) रुपये प्रति दस किलोमीटर प्रति टन तथा इसके बाद करीब 6.00 रुपया प्रति टन प्रति किलोमीटर के लगभग ही है। विभाग के पास स्वयं का ट्रक होते हुए बेइमानी पूर्ण तरीके से इस प्रकार से सरकारी राशि का अपव्यय किया गया है जो वसूली योग्य है एवं जानबूझकर जनता के हितों के खिलाफ कार्य करने वाले अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाने के लिए पर्याप्त आधार है।

पाईबालापुरा बांध भराव सीमा में खोदे गए नये ट्यूबवैलों में प्लेटफार्म निर्माण कार्य के बतौर बिल मौके पर प्लेटफार्म बना हुआ नहीं होने पर भी स्वीकृत किए गए हैं। एम.बी. में फर्जी इन्द्राज करने वाले एवं कार्य का गलत सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी स्वत: दोषी होने पर भी कार्यवाही नहीं की जा रही है।

उपखण्ड लाखेरी क्षेत्र में हैण्डपम्पों के पुराने निर्मित प्लेटफार्मों की रिपेयरिंग के लिए प्रति प्लेटफार्म 1800.00 (एक हजार आठ सौ) रुपये स्वीकृत किए गए, जबकि नये प्लेटफार्म निर्माण के लिए (लोरिंग, अनलोरिंग कार्य तथा हैण्डपम्प स्थापना के कार्य सहित) मात्र 1750.00 (एक हजार सात सौ पचास) रुपये ही अदा किए जा सकते हैं। इस हिसाब से रिपेयरिंग का कार्य प्रति प्लेट फार्म मात्र 800.00 (आठ सौ) रुपये से अधिक का नहीं हो सकता। वास्तविकता यह है, कि अधिकांश हैण्डपम्प रिपेयर नहीं किए गए हैं, फिर भी माप पुस्तिका में फर्जी इन्द्राज दर्शा कर सरकार को धोखा दिया गया है। सत्यता की जानकारी स्थानीय राजस्व एवं शिक्षा विभाग के कर्मचारी व पंचायतीराज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों से की जा सकती है।

अत: निवेदन है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों की जांच कार्यवाही उच्च स्तरीय जांच दल से करवाई जावे तथा दौराने जांच जो भी नये तथ्य जानकारी में आये उनके आधार पर कार्यवाही की जाने का आदेश प्रदान किया जावे। जनहित में यह प्रकरण राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों में भी दर्ज करवाया जावे।

रामनारायण मीणा

(नैनवां)

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर की मिसिंग लिंक सड़कों की स्वीकृति हेतु

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि मण्डी समिति के गठन के समय मुझे राज्य सरकार की ओर से विधायक के रूप में मनोनीत किया था। इसका मैं आपका आभारी हूं। इसी कड़ी में मण्डी समिति जोधपुर (अनाज) द्वारा लिए निर्णय अनुसार मण्डी समिति के पत्रांक 5658 दिनांक 22.02.2007 द्वारा 07 मिसिंग लिंक सड़कों के प्रस्ताव निदेशालय, कृषि विपणन जयपुर को निम्नानुसार भिजवाये गये है :-

क्र. सं.	नाम सम्पर्क सड़क	अनुमानित	
		दूरी कि.मी.	लागत लाखों में
1	एम.आर. देवातु से सेखाला वाया गोंगादेव मंदिर	14.00	140.00
2	एम.आर. नाथडाऊ से गिलाकौर	4.50	45.00
3	एम.आर. अमृतनगर से सिंहादा वाया चारणी भाण्डू	12.00	120.00
4	एम.आर. देवानिया से बारनाऊ	3.00	30.00
5	एम.आर. खींचन से भूरे बाबा सड़क	4.50	55.00
6	एम.आर. खाबड़ा खुर्द से डाबड़ी	4.00	40.00
7	एम.आर. ओसिया चाडी चौराहा से स्वामी नगर	4.50	50.60
	योग :-	**46.50**	**480.60**

इस संदर्भ में यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्ष 2004-05 एवं 2005 06 में भी मण्डी समिति, जोधपुर (अनाज) को केवल 60 लाख रुपये की 02 सम्पर्क सडकों के निर्माण की स्वीकृति मिली थी। वर्ष 06-07 में मुख्यमंत्री सम्पर्क सड़क विशेष मरम्मत के तहत 05 सड़कों की राशि रुपये 55.60 लाख की स्वीकृति जारी की गयी।

समय-समय पर मण्डी समिति द्वारा मिसिंग लिंक सड़कों के प्रस्ताव लेकर निम्नानुसार कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर को भिजवाये जाते रहे हैं, परन्तु खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि अभी तक जोधपुर में एक भी नवीन सड़क की स्वीकृति जारी नहीं की गई है। मण्डी समिति की बैठक के समय सदस्यों द्वारा बार-बार सड़कों की मांग का मुद्दा उठाये जाने पर सड़क स्वीकृति के संबंध में सन्तोषजनक प्रतिउत्तर नहीं मिलता है। जबकि जोधपुर की मण्डी विशिष्ठ श्रेणी की मण्डी है तथा आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ है।

भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2002 से कृषि उपज मण्डी को स्थानीय निकाय की परिभाषा से निकालकर आयकर के दायरे में लाया गया। जिसके तहत समस्त मण्डियों को चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीयन के लिये निर्देशित किया गया। जोधपुर अनाज मण्डी में भी कर निर्धारण वर्ष 2003-04 व 2004-05 में चैरिटेबल ट्रस्ट में पंजीयन हेतु आवेदन कर आयकर रिटर्न फाईल की गयी। आयकर विभाग द्वारा मण्डी समिति की रिटर्न का निर्धारण कर वर्ष 2003-04, 2004-05 में क्रमश 255 लाख एवं 183 लाख की मांग निकाली। उक्त मांग के विरुद्ध मण्डी समिति द्वारा अपील दायर की गई, जिस पर आयकर विभाग ने अपील निरस्त कर 01 मार्च, 2007 को अनाज मण्डी, जोधपुर के बैंक खाते एटेच कर करीबन 235 लाख रुपये बैंक खातों से निकाल लिये गये।

यहां मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चेरिटेबल ट्रस्ट में पंजीयन के पश्चात मण्डी समिति की आय का 15 प्रतिशत की राशि को छोड़कर शेष 85 प्रतिशत राशि जन कल्याणकारी कार्यों में खर्च होनी आवश्यक है। यदि मण्डी समिति शेष राशि खर्च नहीं करती है तो नियमानुसार आयकर देना पड़ेगा। जो सीधे रूप से राज्य सरकार एवं मण्डी समिति के निर्माण एवं विकास कार्यों को बाधित करता है।

मण्डी समिति के स्वयं के संसाधनों से वार्षिक आय इस वर्ष करीबन 8.50 करोड़ होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त जीरा मण्डी के दुकानों के भूखण्ड एवं अन्य व्यवसाइयों के दुकानों के भूखण्ड अलग से आबंटित इस वर्ष किए जायेंगे जिसकी आय 13.07 करोड़ होने की सम्भावना है। वर्तमान में मण्डी के पास 01.02.2007 को बैंक बचत 7.24 करोड़ है तथा इस मण्डी के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों पर 1.4 करोड़ बचत होने की सम्भावना है।

मण्डी समिति द्वारा पूर्व में 21.08.2006 द्वारा 12 सम्पर्क सड़कों के

674.86 लाख प्रस्ताव भिजवाये थे एवं 29.08.2006 के द्वारा 163 लाख रुपये के 03 सम्पर्क सड़कों के प्रस्ताव भेजे गये हैं। बार-बार निवेदन करने के पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा अभी तक स्वीकृति जारी नहीं की है। जिससे सीधे रूप से इस वर्ष में होने वाली मण्डी आय एवं बचत पर आयकर देना पड़ेगा। इससे मण्डी समिति द्वारा करवाये जाने वाले निर्माण कार्य कम होंगे।

अत: मैं पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि उपरोक्त 07 सड़कें एवं मण्डी समिति द्वारा पूर्व में 29.08.2006 को भेजी गयी सम्पर्क सड़क सामराऊ से बन्नो का बास, लम्बाइ्र 4.60 किमी राशि 46 लाख की स्वीकृति शीघ्र जारी करावें, ताकि भविष्य में लगने वाले आयकर से बचा जाकर अधिक सम्पर्क सड़कों को निर्माण करवाया जाकर विकास की गति को बढ़ाते हुए जन हित को लाभान्वित किया जा सके।

अत: मण्डी समिति में उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त सड़कों की स्वीकृति प्रदान करवाने का श्रम करावें।

बाबूसिंह राठौड़

(शेरगढ़)

लालकोठी योजना कच्ची बस्ती के वर्ष 1981-82 में आबंटित भू-खण्डों की लीज डीड पट्टे जारी करने बाबत

महोदय,

राजस्थान विधान सभा क्षेत्र के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर माननीय का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क के वार्ड संख्या 16 में राज्य सरकार ने लालकोठी क्षेत्र में स्थित कच्ची बस्ती के निवासियों को भू-खण्ड आबंटन किये जाने के संबंध में राज्य स्तर पर सुव्यस्थित ढंग से बसाने के लिये लालकोठी क्षेत्र में निम्न कच्ची-बस्तियों को बसाने का निर्णय लिया गया था।

1- लालकोठी मुख्य कच्ची बस्ती

2-लाखाजी की ढाणी

3- मालियों की ढाणी

4- मोटर गैराज के पीछे वर्मा शैल स्थित बस्ती।

उक्त कच्ची बस्ती के निवासियों को भूखण्ड/नियमन/आबंटन दिनांक

21.08.71 के सर्वे वालों को 110 वर्ग गज का भू-खण्ड और दिनांक 1.1.81 तक के सर्वे वालों को 50 वर्गगज का भू-खण्ड आबंटन/नियमित कर दिया गया।

तथा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 7(78)नविआ/4/79 दिनांक 21.01.82 के अनुसार 10/- रुपये प्रति वर्ग गज एवं 5/- रुपये प्रति वर्ग गज के अनुसार कीमत पर भू-खण्ड आबंटन कर दिया गया था। लालकोठी कच्ची बस्ती वालों को इन आदेशों की पालना में प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1981-82 में लाटरी द्वारा भू-खण्ड आबंटन कर दिये गये एवं आबंटन पत्र जारी कर निर्धारित राशि की मांग की गई थी। निर्धारित समय में सभी आबंटित भू-खण्ड धारियों ने राशि जमा कराई और नियमानुसार सभी ने अपना-अपना कब्जा पत्र प्राप्त कर भू-खण्डों का निर्माण करा लिया। आज तक भू-खण्ड बस्ती में खाली नहीं है। आबंटित सभी भू-खण्डों पर निर्माण पूर्ण है। जहां तक उक्त कच्ची बस्ती के भू-खण्डों के लीज राशि लिये जाने का प्रश्न है इस संबंध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार वार्षिक शहरी जमा बन्दी की राशि भी मय ब्याज के जविप्रा में जमा करा दी थी। इस कार्य हेतु वर्ष 1991 में नेहरू बाल उद्यान में जविप्रा द्वारा शिविर का आयोजन कर राशि जमा कर 99 वर्ष के लिये प्राधिकरण द्वारा मुक्त प्रमाण पत्र भी जाकर दिये थे।

वर्ष 2003-04 में पुन: उक्त नियमों के तहत 50 वर्ग तथा 110 वर्ग गज वालों को भी पट्टे जारी किये गये किन्तु बस्ती के कुछ भू-खण्ड धारियों ने अपरिहार्य कारणों से पट्टे नहीं ले सके। जो अब जविप्रा के कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई समुचित समाधान नहीं किया जा रहा है बल्कि उक्त कच्ची बस्ती को लालकोठी योजना में मानकर दिनांक 6.12.2001 के आदेश का हवाला देकर राज्य सरकार से मार्ग दर्शन मांगा जा रहा है जबकि लालकोठी योजना इस पुर्नवास-योजना से बिलकुल अलग है। केवल जविप्रा के संबंधित जोन अधिकारियों द्वारा 6-12-2001 के आदेश की आड में कच्ची बस्तियों को आबंटित भू-खण्डों/प्लाटों के पट्टे जारी करने के लिये जो अधिक राशि की मांग की जा रही है वह अनुचित/गैर कानूनी है, तथा उच्च अधिकारियों को मुगालते में रखते हैं जिसका कोई विधिक अधिकार व आधार नहीं है।

अत: उपरोक्त वर्णित वस्तुस्थिति एवं विधिक तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस संबंध में जविप्रा को निर्देशित

किया जावे कि उक्त बस्ती में शिविर लगाया जाकर कच्ची बस्ती में पूर्व निर्धारित नियमों के तहत पट्टों का वितरण किया जावे।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़

(बनीपार्क)

रोडवेज के बढ़ते आयाम के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया के कुशल नेतृत्व में माननीय यातायात मंत्रीजी ने नित नये आयाम से परिवहन निगम को घाटे से उभारने के प्रशंसनीय कार्य किये, उन सदप्रयासों के लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं। हमारी सरकार ने रोडवेज में अनेक सुविधाऐं उपलब्ध करवायी हैं। जैसे हाल ही में महिलाओं के लिये विशेष सिटी बसें संचालित की गयी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने झालावाड़ जिले में सुन्दरतम बस स्टेण्ड बनवाया जो मध्य भारत का प्रवेश द्वार है इसके लिए हमारी झालावाड़ जिले की सम्पूर्ण जनता सराहना करते हुये मुख्यमंत्री महोदया एवं यातायात मंत्रीजी का आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदया मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे डग विधान सभा क्षेत्र के भवानीमण्डी से कोटा 7.00 बजे प्रात: चलने वाली बस को उसके चालक एवं परिचालक मनमाने तरीके से संचालित करते हैं। यह बस कभी 7.30 या 8.00 बजे तक नहीं चलने से यात्री प्राय: परेशानी रहते है। कंडक्टर सुनेल का रहने वाला है जो शाम को बस भवानीमण्डी में खड़ी कर सुनेल चला जाता है और सुबह सुनेल से बस 7.00 बजे तक नहीं आता है अत: यह बस कभी भी 8.00 बजे पहले रवाना नहीं होती है। कभी-कभी तो 9.00 बजे तक भी नहीं आती है।

माननीय अध्यक्ष महोदया साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मेरे डग विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र में भवानीमण्डी डग चौमहला क्षेत्र रोडवेज बसों के संचालन में कोताही बरती जा रही है जिससे निजी बस मालिकों के दुर्व्यवहार से आये दिन यात्रीगण शिकायत करते रहते हैं। डग चौमहला के बीच शटल सेवा नियमित रूप से प्रारम्भ की जाये। एक रोडवेज बस जो डग इन्दौर संचालित हो रही है उसका परमिट चौमहला इन्दौर चौमहला है परन्तु रोडवेज स्टाफ चूंकि डग का है अत: उनको मनमानी से ही डग इन्दौर के बीच

संचालित हो रही है। साथ ही झालावाड़ प्रतापगढ़ वाया चौमहला मन्दसौर यात्री बस को पुन: प्रारम्भ की जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदया जो रोडवेज की प्लाईंग इन बसों को चैकर करने आती है परन्तु कभी भी बस में चढ़कर भौतिक रूप से सवारियों की चैकिंग नहीं करती आपस में क्या गुफ्तगू होती है ये रोडवेज वाले ही जाने इसलिये माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जयपुर से ही विशेष उड़न दस्ता भेजकर इन रूट की बसों का सघन निरीक्षण करवाये जिससे न तो रोडवेज का घाटा जायेगा और न ही यात्रियों को असुविधा होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदया मेरा यातायात मंत्रीजी से अन्तिम गुजारिश है कि भवानीमण्डी से जयपुर तक एक बस नयी संचालित करे पूर्व में एक 1985-86 में एक बस जयपुर से भवानीमण्डी जयपुर संचालित होती थी जो लम्बे समय से बन्द है इस बस सेवा की तुरन्त प्रभाव से संचालित की जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदया मैं माननीय यातायात मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे भवानीमण्डी कस्बे का बस स्टेण्ड काफी अपर्याप्त है और घनी आबादी के बीच होने से दुर्घटना की हर समय सम्भावना बनी रहती है। अत: खुली जगह में नया बस स्टेण्ड बनवाया जावे।

माननीय यातायात मंत्री महोदय मेरा आपके समक्ष एक सुझाव है कि आप जब कभी भी विशेष चैकिंग अभियान प्राइवेट बसों/टैक्सियों का चैकिंग अभियान चलाते हैं तो यह अभियान बन्द होने पर ही रोडवेज की आय में बढ़ोत्तरी हो जाती है जैसे ही अभियान बन्द होता है तो फिर ये प्राइवेट बसें बिना टैक्स चुकाये सरकार व निगम को घाटा देती है। इस सन्दर्भ में मेरा एक प्रभावी सुझाव है कि जो बसें बार-बार मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर टैक्स चोरी करती है उनको जब्त कर सरकार की सम्पत्ति घोषित कर दी जावे जैसा कि मध्य प्रदेश सरकार में पहले किया जा चुका है।

इससे सरकार व परिवहन निगम की आय में वृद्धि होगी साथ ही आपके कार्यालय में यह आदेश मील का पत्थर साबित होगा आने वाला समय माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभारी रहेगा एवं माननीय यातायात मंत्रीजी का शुक्रगुजार रहेगा।

स्नेहलता

(डग)

पूर्व विधायकों को नगण्य सुविधाएं होने बाबत

महोदय,

राजस्थान राज्य में पूर्व विधायकों को प्राप्त सुविधाएं अन्य राज्यों की तुलना में नगण्य है। राज्य के विश्राम गृहों एवं दिल्ली स्थित राजस्थान भवन में पूर्व मंत्री 5 दिन, पूर्व सांसद 3 दिन व पूर्व अधिकारी 7 दिन रियायती दर पर ठहरते हैं, जबकि पूर्व विधायकों को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखण्ड, झारखण्ड व छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में पूर्व विधायकों को रेल यात्रा कूपन दिए जाते हैं, किन्तु राजस्थान में पूर्व विधायकों यह सुविधा नहीं है। राज्य में पूर्व विधायकों को चिकित्सा पुनर्भरण राशि मात्र 5000/- रुपये दी जाती है, जिसके लिए बिल बनवाने एवं पास करवाने के लिए एक पूर्व विधायक को डाक्टर से लेकर विधान सभा तक चक्कर लगाना पड़ता है अतः यह राशि बढ़नी चाहिए एवं पेंशन के साथ ही एक मुश्त दी जानी चाहिए। एक बार विधायक रहने पर पेंशन मात्र 2500/- रुपये है, जिसे बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है एवं भारत सरकार के 19 राज्यों में पूर्व विधायकों की मृत्युपरान्त परिवार में आश्रित को पेंशन देने का प्रावधान है, जिसे राज्य में भी लागू करना चाहिए। राज्य में 65 वर्ष से अधिक आयु पर परिवहन निगम की बस में सहयात्री की सुविधा है, यह सुविधा प्रत्येक पूर्व विधायक को मिलनी चाहिए।

अतः राज्य के पूर्व विधायकों को दी जाने वाली सुविधाओं एवं उनकी अन्य ज्वलन्त समस्याओं पर चर्चा करने हेतु राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अनुमति प्रदान कर अनुगृहित करें।

सी.डी. देवल
(देसूरी)

हनुमानगढ़ में राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि चक्र 13 के.एस.पी. व 14 के.एस.पी. की कुल 180 बीघा जमीन मदन मोहन कृषि सहकारी समिति जिला हनुमानगढ़ के नाप खातेदार भूमि गरीब हरिजन 1960 से लगातार काबिज कास्त कर रहे हैं सरकार द्वारा निर्धारित किस्तों से राशि 1983 में जमा करवायी जा चुकी है। उक्त रकबे की सनद 1.8.83 को जारी की जा चुकी है

रकबे की किस्तें सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा जमा करवायी जा चुकी हैं। 45 वर्षों से सहकारी समिति के सदस्य भूमि में काबिज होकर कास्त कर रहे हैं। अत: इन्हें मालिकाना हक नहीं मिलने के कारण दर-दर अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं। कृपया सहकारी समिति के सदस्यों के नाम मालिकाना हक देकर खातेदारी अधिकार दिलवाये जावें।

अध्यक्ष महोदय इसके साथ ही अनकमाण्ड में कमाण्ड हुई भूमि की अंतर राशि पर ब्याज की छूट दिनांक 30.6.06 तक राज्य सरकार द्वारा दी गयी जिसकी विधिवत सूचना सम्बन्धित काश्तकारों को समय पर नहीं दिये जाने के कारण कृषकों को जानकारी के अभाव में छूट का लाभ नहीं मिल सका। कृपया उक्त ब्याज की छूट की समयावधि बढ़ायी जावे ताकि कृषकों को इसका लाभ मिल सके।

अध्यक्ष महोदय इसके साथ-साथ उपनिवेशन विभाग द्वारा आबंटित कृषि भूमि किस्तों के अभाव में काट (निरस्त) कर दी गयी थी पुन: उन्हें जुर्माने की राशि भरवाकर पुन: बहाल कर दीं थी जब इन काश्तकारों को ब्याज में छूट का पता चला तो इन्हें विभाग द्वारा अवगत करवाया कि ऐसे प्रकरणों में ब्याज की छूट का प्रावधान नहीं है। हनुमानगढ़ जिले में ऐसे अनेक प्रकरण हैं अत: इन काश्तकारों की ब्याज की राशि में छूट प्रदान की जावे ताकि छूट का लाभ मिल सके और ऐसे काश्तकारों को राशि भरने के बाद खातेदारी सनद प्राप्त हो सके।

धर्मेन्द्र कुमार मोची
(टिब्बी)